राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 2] ग्यारहवीं विधान सभा के दूसरे सत्र का तेईसवां दिवस [संख्या : 13

मंगलवार,

13 अप्रेल, 1999

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री परसराम मदेरणा, अध्यक्ष, पदासीन)

व्यवस्था

प्रश्नकाल के दौरान प्रश्न पूछे जाने की व्यवस्था तथा अनुपूरक प्रश्न पूछे जाने का अधिकार

श्री अध्यक्ष : बैठिये आप। कल मैंने सदन को सूचित किया था कि मैं प्रश्नकाल के दौरान पूछे जाने वाले प्रश्न व अनुपूरक प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था दूंगा, मैं यह व्यवस्था दे रहा हूं।

यह देखने में आया है कि प्रश्नकाल के दौरान प्रति दिन तीन-चार तारांकित प्रश्नों पर ही विचार किया जाता है जबकि राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 31(2) के अनुसार यह व्यवस्था है कि प्रश्न को पूछने और उसका उत्तर देने में साधारणतया पांच मिनट से अधिक नहीं लगने चाहिए और यह प्रयास किया जाना चाहिए कि प्रत्येक दिन कम से कम 12 प्रश्नों पर विचार किया जाए। इसी प्रकार अनुपूरक प्रश्नों के संबंध में राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 46 में यह व्यवस्था की गई है कि प्रश्नों के समय में किसी प्रश्न या किसी प्रश्न के उत्तर के संबंध में चर्चा की अनुमति नहीं होगी। कोई सदस्य अध्यक्ष द्वारा पुकारे जाने पर ही अनुपूरक प्रश्न पूछ सकेगा। अनुपूरक प्रश्नों के संबंध में दसवीं राजस्थान विधान सभा में अध्यक्ष ने यह भी व्यवस्था दे रखी है कि एक प्रश्न पर पांच से अधिक अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे एवं अनुपूरक प्रश्न सीधा और स्पष्ट होना चाहिए। असम्बद्ध विषय पर प्रश्न नहीं पूछा जाना चाहिए। मूल प्रश्नकर्ता दो अनुपूरक प्रश्न पूछ सकेगा और तीन सदस्य एक-एक अनुपूरक प्रश्न पूछ सकेंगे। अनुपूरक प्रश्नों के संबंध में संसदीय प्रणाली तथा व्यवहार बुक में संसदीय प्रणाली को इन शब्दों में व्यक्त किया गया है :- "कोई भी सदस्य अध्यक्ष द्वारा पुकारे जाने पर मौखिक प्रश्न या उसके उत्तर में उत्पन्न कोई अनुपूरक प्रश्न किसी तथ्यगत विषय के स्पष्टीकरण के लिए ही पूछ सकता है। ऐसे सदस्यों द्वारा अनुपूरक प्रश्न पूछे जाने की निन्दा की गई जिन्हें अध्यक्ष ने न बुलाया हो कोई भी सदस्य यह दावा नहीं कर सकता कि किसी प्रश्न विशेष के संबंध में अनुपूरक प्रश्न पूछने का उसका अधिकार है।"

मैं उक्त वर्णित नियमों, अध्यक्षीय व्यवस्था तथा संसदीय परम्परा का पालन इस सदन में माननीय सदस्यों द्वारा किये जाने की अपेक्षा करता हूं तथा उन्हें निर्देश देता हूं कि भविष्य में उक्त वर्णित व्यवस्था का कठोरता से पालन करें जिससे प्रश्नकाल का अधिक से अधिक लाभ सभी माननीय सदस्यों को प्राप्त हो सके।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : सर, एक निवेदन और है इसमें। एक निवेदन और है आपसे। आपने कहा, सही है कि जिसका नाम आप पुकारें वही सप्लीमैंट्री पूछे लेकिन जो आपके नाम के बिना खड़ा हो जाए तो उसका अंकित भी नहीं हो, यह भी निर्देश इसमें होना चाहिए। (व्यवधान) बोलते तो रहते हैं, वह अंकित ही नहीं होगा तो अपने आप ही नहीं बोलेंगे।

श्री सी. पी. जोशी (पंचायती राज मंत्री) : आपरेटिव वही है, साइलेंट। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : किसी द्वितीय सत्र में अंकित नहीं होगा। मैंने सब कुछ माननीय सदस्यों के गम्भीर व्यवहार पर, उस पर छोड़ दिया था। लेकिन कल मैंने एक माननीय सदस्य का कहा था कि अंकित नहीं होगा। अंकित कार्यवाही नहीं किये जाने के संबंध में यह है कि कोई माननीय सदस्य निरन्तर प्रक्रिया के नियमों में बाधा उत्पन्न करता है तो ऐसा करना जब कभी भी उचित होगा तो आसन उस सम्बन्ध में व्यवस्था देगा।

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री उदय सिंह राठौड़ : प्रश्न संख्या 329.

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

मोहम्मद माहिर आजाद : साहब, क्वेश्चन बड़ा इम्पोर्टेंट है, वे नहीं हैं तो इसका जवाब तो दिलवा दें।

श्री अध्यक्ष : श्री शैलेन्द्र जोशी। प्रश्न संख्या-330.

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री गोविन्द सिंह।

विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन

331. श्री गोविन्द सिंह (नसीराबाद) : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) राजस्थान विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के अन्तर्गत प्रीलिटिगेशन दिनांक 28-2-99 तक कितने प्रकरणों का निस्तारण अधिनियम लागू होने के उपरान्त किया गया है ?

(2) क्या राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन हो चुका है? यदि हां, तो इन प्राधिकरणों के सदस्यों की सूची की प्रति सदन की मेज पर रखें। क्या तालुका विधि सेवा समितियों का भी गठन हो गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

विधि मंत्री (श्री खेतसिंह राठौड़) :

(1) विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 जो दिनांक 9-11-85 को प्रभावी हुआ, के अन्तर्गत दिनांक 28-2-99 तक प्रीलिटिगेशन स्टेज पर निस्तारित प्रकरणों की संख्या शून्य है।

(2) विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 6 के तहत राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया जा चुका है। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्यों की सूची परिशिष्ट–क पर संलग्न है। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 9 के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों का गठन भी किया जा चुका है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के सदस्यों की सूची परिशिष्ट–2 पर संलग्न है। तालुका विधिक सेवा समितियों का गठन अभी तक नहीं किया गया है। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष का पद

(श्री खेतसिंह राठौड़)

रिक्त होने के कारण राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा तालुका विधिक सेवा समितियों का गठन अभी नहीं हो सका है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री गोविन्द सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह कानून इसलिए बनाया गया था कि जो अदालतों में अम्बार लगा हुआ है उसको कम किया जा सके किन्तु मुझे अफसोस है कि 87 में कानून बना, 94 में लागू हुआ और 99 तक- इसमें कोई प्रेक्टिकल कार्यवाही, एक भी केस का निस्तारण ये नहीं कर पाये हैं, यह एक बहुत ही दुःख की बात है। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे विधि मंत्रीजी इस पूरे प्रकरण को देखेंगे। अगर कार्यकारी अध्यक्ष नहीं है, पहले तो थे वे, बना सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं बनाया, अब उनकी जगह जिसको बनाना है उसको बनाएं, तालुका कमेटियां बनाएं। मेरा दूसरा पूरक प्रश्न है कि कितने केसेज आपने आइडेंटिफाई किये हैं जो प्रीलिटिगेशन की परव्यू में आते हैं? उनकी कितनी संख्या है और उनका किस प्रकार आप आने वाले समय में निस्तारण करना चाहते हैं?

श्री खेतसिंह राठौड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक लोक अदालतों का प्रश्न है, उनमें बिलकुल ऐसी बात तो नहीं जैसा कि माननीय सदस्य महोदय ने फरमाया है। इतना अवश्य है कि जितना होना चाहिए था उतना काम नहीं हुआ है। यह बात भी सही है कि अभी तक इसके अध्यक्ष कोई नियुक्त नहीं किये गये हैं। हमने चीफ जस्टिस आफ हाई कोर्ट, राजस्थान से निवेदन किया है, उनसे मैं पर्सनली भी मिला हूं उन्होंने मुझ से वादा किया है कि दो सप्ताह के अन्दर-अन्दर हम किसी न किसी जज को डैपूट कर देंगे इसके लिए। मैं आपसे यह निवेदन कर सकता हूं कि सन् 1997 में करीब 70817 केसेज लोक अदालतों के मार्फत निस्तारित किये गये हैं और 98 में 64190 केसेज इसी प्रकार से लोक अदालतों के द्वारा फैसला किये गये हैं। तो काम तो हुआ है लेकिन फिर भी उतना तेजी से नहीं हुआ। आप सही फरमा रहे हैं कि मुकदमे इतना ज़्यादा बढ़ गये हैं कि उनके फैसले होने आवश्यक हैं। छोटे-छोटे मुकदमे ज्यादा हो गये हैं, उनके लिये हमने मुख्य न्यायाधीश से यह बात की है कि आप सैशन कोर्ट को ही नहीं एडिशनल सैशन कोर्ट को भी आगाह कीजिए और उनके लिये भी दिन मुकर्रर कीजिए। अभी एक ही दिन मुकर्रर है, महीने में एक शनिवार को ही लोक अदालत बैठती है। अब हम यह चाहेंगे कि लोक अदालत ज्यादा बैठें, फैसले ज्यादा हों और आम तौर पर एक्सीडेंट आदि के केसेज़ हैं वे तुरन्त निपटा दिये जाएं जिससे लोगों को आपत्ति न हो। इस ओर हमारा ध्यान है। जबसे मेरे पास यह चार्ज आया है, माननीय सदस्य, मैं आपसे निवेदन कर सकता हूँ कि हम कमेटियों का रिआर्गेनाइजेशन करने के बारे में, तालुका कमेटियां बनाने के बारे में और जो स्टेट कमेटी है, उसके अंदर भी कुछ रद्दो बदल करने के बारे में बहुत जल्दी ही निर्णय हम ले लेंगे।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे महाजन फील्ड फायर रेंज के विस्थापितों के मामले रैफरेंसेज बीकानेर में चल रहे हैं। लोक अदालत के माध्यम से उन्हें निपटाने के लिये हम

(श्री भीमसेन)

बराबर कोशिश कर रहे हैं, उसके बारे में आप क्या व्यवस्था कर रहे हैं ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : ऐसे और भी केसेज हैं—400 केसेज हैं, उन केसेज के बारे में हमने चीफ जस्टिस साहब से भी बात की है। उन्होंने यह हिदायत दी है वहां के सैशन जज को कि ऐसे मामलों में जिन न्यायालयों में ये केसेज हैं उनसे बात करके विधिवत जल्दी से जल्दी फैसले कर दिये जाएं।

श्री भीमसेन : वहां के मामले हमारे करीब 2000 हैं, उन्हें निपटाने की व्यवस्था कीजिए।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट। श्री भीमसेन चौधरी।

परिवहन निगम के घाटे में वृद्धि

332. श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1989-90 में राज्य पथ परिवहन निगम के पास कितनी बसें थीं ? उस वर्ष राजस्थान में कुल कितने यात्रियों ने यात्रा की थी ?

(2) वर्ष 1989-90 से मार्च, 1999 तक प्रति वर्ष कितनी-कितनी बसें कंडम की गईं तथा उनके लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गई ?

(3) उक्त अवधि में प्रति वर्ष कितनी-कितनी बसें खरीदी गईं तथा बसों को खरीदने व उनकी बॉडी के संदर्भ में क्या प्रक्रिया अपनाई गई ?

(4) उक्त अवधि में प्रति वर्ष कितने व्यक्तियों को रोजगार दिया गया व नियुक्ति के संदर्भ में क्या प्रक्रिया अपनाई गई ?

(5) क्या नवम्बर, 1997 में परिवहन निगम लाभ में चल रहा था, उसके बावजूद 30 प्रतिशत की अत्यधिक किराया बढ़ोतरी की गई ? क्या उक्त बढ़ोतरी निजी बसों के संचालकों को लाभ प्रदान करने के उद्देश्य के लिए की गई थी ? उक्त किराया बढ़ोतरी की वजह से घाटे में चल रहे निगम के लिए कौन उत्तरदायी है ? नवम्बर, 1997 से मार्च, 1999 तक निगम को कितना घाटा हुआ है ?

यातायात मंत्री (श्री छोगाराम बाकोलिया) : (1) वर्ष 1989-90 में परिवहन निगम के पास स्वयं की 3006 बसें तथा 53 निजी बसें अनुबन्ध पर थीं तथा वर्ष के दौरान 2314.93 लाख यात्रियों द्वारा यात्रा की गई थी।

(2) वर्ष 1989-90 से 1998-99 (16-3-99) तक की अवधि में कंडम की गई बसों की संख्या एवं कंडम की प्रक्रिया का विवरण परिशिष्ट–1 में उपलब्ध है।

(3) वर्ष 1989-90 से 1998-90 (माह जनवरी, 1999) तक खरीद की जाकर वाहन बेड़े में सम्मिलित की गई बसों व खरीद हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का विवरण परिशिष्ट–2 में उपलब्ध है।

(4) उक्त अवधि (वर्ष 1989-90 से 17-3-99 तक) में दिए गये रोजगार का विवरण परिशिष्ट–3 में उपलब्ध है। निगम में सीधी भर्ती/नियुक्ति के लिए उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार विज्ञापन जारी कर आवेदन पत्र प्राप्त करने के बाद उस पद हेतु निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार (ट्रेड टैस्ट/लिखित परीक्षा आदि) कार्यवाही कर

(श्री छोगाराम बाकोलिया)

सेवा चयन मण्डल द्वारा नियुक्ति की कार्यवाही की जाती है।

(5) जी, नहीं। वर्ष 1997-98 में माह नवम्बर, 1997 तक निगम 106.66 लाख रुपये हानि की स्थिति में था। किराये में बढ़ोतरी निजी बसों के संचालकों को लाभ प्रदान करने के लिए नहीं की गई बल्कि निगम के संचालन व्यय में काफी वृद्धि होने के कारण किराया वृद्धि की गई थी, जो अत्यधिक होने के कारण ये यात्रीगण का रुख रोडवेज की बसों में यात्रा का रुझान कम होने से, राज्य में राष्ट्रीयकृत मार्गों पर अनधिकृत वाहन संचालन होने व अनधिकृत वाहन स्वामियों द्वारा कम किराये में यात्रा करवाने के कारण निगम को हानि हो रही है। नवम्बर, 1997 से फरवरी, 1999 की अवधि में 3924.86 लाख रुपये का प्रोविजनल घाटा हुआ है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्री भीमसेन : माननीय अध्यक्ष महोदय; जवाब में कहा गया है कि अत्यधिक किराया वृद्धि से यात्रियों का रुझान प्राइवेट बसेज की तरफ चला गया है। मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जो निजी बसें राष्ट्रीकृत मार्गों पर चल रही हैं उनको रोकने के लिये आपने क्या विशेष व्यवस्था की है जिससे कि निगम घाटे से उबर सके?

श्री छोगाराम बाकोलिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने निजी बसों को रोकने के लिये कम्पोटिज चैकिंग की है, उस कम्पोटिज चैकिंग के कारण से हमको 3 करोड़ 96 लाख का लाभ हुआ है और निजी वाहनों पर कंट्रोल भी हुआ है। निजी वाहनों को रोकने के लिये जो बस की बॉडी ली जाती है, चेसिस ली जाती है उस चेसिस के ऊपर भी हमने 50 प्रतिशत टैक्स ज्यादा कर दिया है। टैक्स बढ़ने से निजी बसों ने अपने किराये में 10 प्रतिशत वृद्धि की है। यह हमने कारगर कार्यवाही करके निजी वाहनों को रोकने की तरफ एक कदम उठाया है।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : अध्यक्ष महोदय, जैसा मंत्री महोदय ने बताया कि हमने चैकिंग की जिससे 3 करोड़ से अधिक की आय हुई, अगर चैकिंग करने से आपका नियन्त्रण होता है तो यह अतिरिक्त इनकम कैसे होती। फर्जी वाहन मिले; अनधिकृत वाहन मिले तभी तो आपको यह इनकम हुई है। इससे मेरा इस विभाग पर स्पष्ट आरोप है कि इनकी मिलीभगत से ही ये सारी बसें चलती हैं। जहां पर रोडवेज रूट है वहां पर प्राइवेट बसें आगे-आगे चलती हैं और फिर ये कह देते हैं कि यह रूट घाटे का है इसलिए हम बसों का चक्कर कम कर रहे हैं। यह सरासर गलत उत्तर दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : इसका उत्तर आने दीजिए।

श्री छोगाराम बाकोलिया : अध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन किया है कि अवैध वाहनों को रोकने के लिये हमने कदम उठाये। इसका मतलब अवैध वाहन चलते हैं। मैंने गलत तो बयानी की नहीं है। उनको रोकने के लिये हमने विभाग के द्वारा कम्पोजिट चैकिंग की है जिसके माध्यम से 3 करोड़ 96 लाख का लाभ हुआ है। उसको और अधिक रोकने के लिये अब कानून बनाकर यह व्यवस्था की गई है कि

(श्री छोगाराम बाकोलिया)

उसके अंदर टैक्स ज्यादा लिया जाए। टैक्स की बढ़ोतरी के कारण से प्राइवेट बसों ने अभी 10 दिन पहले ही न्यूज पेपर के माध्यम से बताया है कि उन्होंने 10 परसेंट किराया बढ़ा दिया है।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने प्रश्न के भाग संख्या 5 में यह उत्तर दिया है कि जो अवैध वाहन हैं उनका किराया कम है, मैं मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि 1997 में जो 30 प्रतिशत किराया बढ़ाया गया था उसमें लोकल बसों को आपने कम कर दिया है, क्या एक्सप्रेस बसों का भी आप कम करेंगे जिससे अवैध वाहनों में यात्रा करने वाले जो लोग हैं उनकी संख्या रोडवेज की तरफ बढ़े? इसके लिये क्या एक्सप्रेस बसों का किराया कम करने की मंशा यह सरकार रखती है? दूसरा मैं पूछना चाहूंगा कि आपने.....

श्री अध्यक्ष : एक ही पूरक प्रश्न पूछिए आप। अभी मैंने व्यवस्था दी है और फिर आप।

श्री अमराराम (धोद) : एक ही में है, साहब। परिचालक के पद के लिये आपने बेड़े में 500-500 बसें हर साल नियुक्ति की हैं लेकिन 1990-99 के बीच में आपने परिचालकों की भर्ती के लिये कब-कब विज्ञापन दिये हैं, यह मंत्रीजी बताएं?

श्री छोगाराम बाकोलिया : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो पहले प्रश्न पूछा है उसके तहत पूर्व सरकार ने केवल मात्र आर्डिनरी बसों की 30 प्रतिशत वृद्धि कम की है। दूसरा माननीय सदस्य का प्रश्न है कि क्या दूसरी बसों के किराये को कम करने जा रहे हैं तो जैसा मैंने आपके पहले प्रश्न का जवाब दिया है कि अत्यधिक किराया होने के कारण से हमारी रोडवेज की बसों में यात्रियों का रुझान कम रहा है क्योंकि उसमें 30 प्रतिशत ज्यादा किराया मांगते हैं और चूंकि प्राइवेट बसें करीब आधा किराया लेती हैं, हमारी रोडवेज की बसों में आर्डिनरी को छोड़कर दूसरी बसों में किराया थोड़ा ज्यादा होने के कारण से यात्री कम बैठते हैं। हमने टैक्स बढ़ाया, उसमें उन्होंने 10 परसेंट बढ़ाया। फिर भी और किराया कम करने की कोशिश करने के लिए राजस्थान स्टेट रोडवेज कारपोरेशन उस पर अमल कर रही है। रोडवेज की अब बैठक के अन्दर अमल करके जो प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रस्तुत करेंगे उसमें निःसंदेह हम विचार करके किराया कम करने की कार्यवाही करेंगे।

श्री अध्यक्ष : कटारिया जी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : मंत्री महोदय 30 प्रतिशत किराया बढ़ाने से पूर्व आपकी लम्बे रूट पर चलने वाली जो बसें थीं उनमें यात्रियों का भार कितना था और 30 प्रतिशत किराया बढ़ाने के बाद इस भार में कितनी प्रतिशत कटौती आयी? आपने स्वीकार तो किया कि आयी लेकिन कितनी आयी है? इसी के साथ अगर आप जोड़ लें, आपने स्वयं ने स्वीकार किया कि इसके पैरेलल चलने वाली प्राइवेट बसों का किराया कम है, इसका मतलब यह तो तय हो गया कि आप स्वयं इस बात को स्वीकार करते हैं कि उनके पैरेलल प्राइवेट बसें चल रही हैं जो आपके किसी परमिट के तहत नहीं चल रही हैं। जब आपने अपने प्रश्न में ही स्वीकार कर लिया, जब आपको यह पता है कि इसके पैरेलल चल रही हैं और उनकी बसों का किराया कम है तो फिर उन सब

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

को रोकने के लिए आपने क्या किया? आपने किस परमिट के तहत इनको चलने की स्वीकृति दे रखी है?

श्री छोगाराम बाकोलिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जितनी भी बसें चलती हैं, कांट्रैक्ट कैरिज और स्टेट कैरिज हैं। स्टेट कैरिज तो नेशनलाइज रूट्स पर चलती हैं और जो कांट्रैक्ट कैरिज हैं वे अगर स्पेशल परमिट लेकर उन रुट्स पर चलने के लिए परमिशन लेती हैं तो उनको हम अलाउ कर देते हैं। या....

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूं लेकिन जब आपकी पूरी की पूरी गाड़ी का परमिट है तो इंडिविजुअल टिकट का हिसाब निकाल ही नहीं सकते कि वह गाड़ी कितने रुपये में जाती है, वह तो पूरे अमाउण्ट में एक साथ जाती है। 40 सवारियों का मान लो पांच हजार लगता है। तो आपने यह कैसे निकाला कि इसका टिकट किराया कम है? यह कहां से निकाला?

श्री छोगाराम बाकोलिया : कांट्रैक्ट कैरिज का जो किराया है वह हमने यह निकाला है, जैसे उदयपुर से बस आती है सीधी जयपुर तक उसका हम दो सौ रुपये लेते हैं, प्राइवेट वाले सौ रुपये लेते हैं। (व्यवधान) यह आपके कहने से नहीं, पूरी की पूरी इन्क्वायरी करके, राजस्थान स्टेट रोडवेज कारपोरेशन इसका अध्ययन कर रही है। रेलवे के किराये का अध्ययन कर रही है, प्राइवेट बसों का अध्ययन कर रही है। रोडवेज कितनी लेती है उस पर अध्ययन करके फिर हम सरलीकरण का प्रस्ताव कर रहे हैं कि हम राजस्थान रोडवेज वाली बस का किराया कितना कम करें या कितना ज्यादा करें। इसके बारे में अध्ययन किया जा रहा है। उसके अनुरूप मैं आपको बता रहा हूं कि इसके अन्दर किराया थोड़ा-सा ज्यादा होने के कारण....

श्री लक्ष्मण सिंह रावत (भीम) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं, एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि प्राइवेट बस वाले कम किराया ले रहे हैं और रोडवेज की बस वाले उनसे करीबन दुगुना किराया ले रहे हैं। प्राइवेट बस वाले कम किराया लेकर लाभ में चल रहे हैं और रोडवेज वाले ज्यादा किराया लेकर लाभ में चल रहे हैं। यह स्पष्ट रूप से बताता है कि आपकी रोडवेज में या आपके डिपार्टमैंट में कितना मिस-मैनेजमैंट है, कितना करप्शन है। आप तो एक ठोस बात बताइये कि किस प्रकार से आप अपनी रोडवेज के मिस-मैनेजमैंट, करप्शन और प्राइवेट बसों को चलने से रोकने के लिए क्या ठोस काम करने जा रहे हैं?

श्री छोगाराम बाकोलिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो मिस-मैनेजमैंट और करप्शन को कम करने की तरफ इंगित किया है, हमने पूरी कोशिश की, जब से सरकार मे आये हैं, कि रोडवेज का घाटा कम किया जाए। रोडवेज का घाटा दिसम्बर, 1998 के अन्दर 4 करोड़ 31 लाख 93 हजार हुआ है जो कि पहले दिसम्बर के अन्दर 5 करोड़ 85 लाख और 80 हजार का था। फरवरी, 1999 में 3 करोड़, 47 लाख 53 हजार. ..(व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह रावत अध्यक्ष महोदय, मैं पूछ कुछ और रहा हूं और आप जवाब कुछ और दे रहे हैं। Why are

(श्री लक्ष्मण सिंह रावत)

you wasting the time of the House ?

श्री छोगाराम बाकोलिया : और मार्च के अन्दर लगभग 2 करोड़ का लाभ अर्जित किया है जो कि अपने आप में साबित है कि हमने बिलकुल कंट्रोल करके हमारी रोडवेज को प्रोफिट में लाकर खड़ा किया दो करोड़ के ऊपर। कुमुलेटिव, इफैक्ट में तो लोस है लेकिन मार्च के अन्दर हमने लगभग दो करोड़ से ज्यादा लाभ अर्जित किया है जो कि पहले पांच-पांच करोड़ के नुकसान में चल रहा था। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री माहिर आजाद।

श्री जुगल काबरॉ (जोधपुर शहर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह सवाल है कि आपके राष्ट्रीयकृत रूट पर.....

श्री अध्यक्ष : काबरा जी, आप बैठिये, आपको मैंने अनुमति नहीं दी है।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय परिवहन मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि आपने अवैध वाहनों को रोकने के लिए कार्यवाही की, लेकिन जो यात्री उन वाहनों में यात्रा करते थे उनकी यात्रा के लिए रोडवेज की क्या अतिरिक्त बसें लगाकर उसका भी प्रबन्ध किया है कि उनको असुविधा नहीं हो ?

श्री छोगाराम बाकोलिया : नहीं, उसके लिए हमने प्रबन्ध किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब भी चैकिंग होती है उसके साथ में रोडवेज की बसें लगायी जाती हैं। ज्यों ही चैकिंग में डिफाल्टर पाते है तो रोडवेज की बस में बैठाकर उनको गन्तव्य स्थान पर पहुँचाने की कोशिश की जाती है।

मोहम्मद माहिर आजाद : नहीं, नियमित रूप से नहीं है। वह तो चैकिंग के वक्त आप जो बसें पकड़ते हैं उनकी सवारियां उतरती हैं उनको आप रोडवेज की बस में बैठा देते हैं, लेकिन रोज जो आते-जाते हैं उनके आवागमन के लिए क्या किया है ?

श्री अमीन खान (शिव) : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह एक ही सवाल है।

मोहम्मद माहिर आजाद : उनकी व्यवस्था नहीं करेंगे दूसरे दिन परेशान होंगे तो फिर तो प्राइवेट बसों में बैठेंगे।

श्री अमीन खान : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह सवाल है क्या यह बात सही है.....

श्री छोगाराम बाकोलिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस तरीके से यात्री भार होता है उसी के अनुरूप हम रोडवेज की बसें लगाते रहते हैं। नियमित रूप से उनको चलाने की कोशिश करते हैं अगर यात्री भार हो तो लेकिन अवैध वाहनों के अन्दर एक ग्रुप बनाकर जब रोडवेज की बस को छोड़कर दूसरी में बैठते हैं और वह गंतव्य स्थान तक जाती है कांट्रैक्ट कैरिज के रूप में, उसको तो रोक ही नहीं सकते। फिर भी कहीं-कहीं कानून की अवहेलना करके अगर बस जाती है और उसके पास अगर.....

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक सवाल है।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये, मंत्री जी जवाब दे रहे हैं और आप खड़े हो रहे हैं ?

श्री राजेन्द्र पारीक : इसी से सम्बन्धित बात पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी जवाब दे रहे हैं तो आप बीच में क्या खड़े हो रहे हैं? आप ठहरिये, दो मिनट बाद में।

श्री छोगाराम बाकोलिया : इन्हीं अवैध वाहनों को रोकने के लिए हम चैकिंग करते हैं। जैसे कैलादेवी का मेला था, पहले हमारे को 20 लाख, 30 लाख की आय मिलती थी, इस साल हमने एक करोड़ 86 लाख रुपये अर्जित किये हैं इन अवैध वाहनों को रोक कर।

श्री अमीन खान : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक ही सवाल है।

श्री अध्यक्ष : नहीं, आपको किसने अनुमति दी?

श्री अमीन खान : एक ही सवाल है।

श्री अध्यक्ष : नहीं, आप कैसे खड़े हो गये? अभी मैंने आज व्यवस्था दी है और व्यवस्था देने के बाद मैंने यह कहा था कि इसका पालन करना चाहिए। श्री कटारिया जी ने पूछ लिया, श्री रामस्वरूप मीणा।

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : माननीय अध्यक्ष महोदय, रोडवेज घाटे में क्यों गयी है? पिछली भाजपा सरकार के समय में इन्होंने अपने चहेतों को इतने परमिट बांट दिये थे। सीधा प्रश्न है, माननीय मंत्री महोदय, जो परमिट इस प्रकार दिये गये थे, क्या आपने उनकी जांच करायी है? क्या उन परमिटों को आपने निरस्त किया है ताकि हमारी रोडवेज घाटे में नहीं चले?

श्री अध्यक्ष : लम्बा भाषण नहीं। स्पेसिफिक क्वेश्चन।

श्री छोगाराम बाकोलिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने परमिट के बारे में कुछ बात कही है, वह अलग से है लेकिन फिर भी उसको दिखवा लूंगा और अगर उसके कारण से घोटाला हुआ है तो जरूर इसकी जांच कराऊंगा। लेकिन एक निवेदन करना चाहता हूं कि फिफ्थ पे कमीशन के कारण से 40 करोड़ रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़े, उसके कारण से रोडवेज में निरन्तर घाटा जा रहा है, नहीं अन्यथा और कोई विशेष कारण नहीं है। इसके कारण 40 करोड़ हमको देने पड़े।

श्री अध्यक्ष : श्री राजेन्द्र पारीक, प्रश्न स्पेसिफिक।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने फरमाया, कि कैरिज कांट्रैक्ट पर बसें चलती हैं, मैं इसमें विशेष रूप से मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि—

श्री अध्यक्ष : क्वेश्चन पर आ जाइये।

श्री राजेन्द्र पारीक : कि कैरिज कांट्रैक्ट होता है पूरी बस को एक साथ ले जाने के लिए, जबकि ये बसें व्यक्तिशः एक-एक के लिए टिकट की एडवांस बुकिंग करती हैं, माननीय मंत्री महोदय, क्या कैरिज कांट्रैक्ट में और व्यक्तिशः एक-एक आदमी की टिकट बुकिंग करने में कोई फर्क नहीं है? यदि आप फर्क महसूस करते हैं तो कैरिज कांट्रैक्ट आप बंद करने की कोई योजना बनाएंगे? साथ ही, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी पूछना चाहूंगा कि—

श्री अध्यक्ष : सप्लीमैंट्री तो पूछ लिया आपने।

श्री राजेन्द्र पारीक : जयपुर से दिल्ली जो बसें जाती हैं वे बसें जाकर सराय रोहिल्ला रुकती हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपने प्रश्न पूछ लिया, आप पूरक लम्बा क्यों कर रहे हैं?

श्री राजेन्द्र पारीक : इसी से सम्बन्धित प्रश्न पूछ रहा हूं। कैरिज कांट्रैक्ट की बसें जयपुर से दिल्ली भी चलती हैं जबकि राजस्थान रोडवेज की बसें वहां जाकर बीकानेर हाउस के बजाय सराय काले खां रुकती हैं। सराय काले खां रुकने की वजह से क्या आपकी राजस्थान रोडवेज की बसों के यात्री भार में कमी आयी है जिससे आपको नुकसान हुआ?

श्री छोगाराम बाकोलिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, पहला पांइट उन्होंने पूछा था कि एक-एक करके जो प्राइवेट वाले बुकिंग करके एक ग्रुप बना लेते हैं उसके ऊपर किसी तरीके की रोकने की व्यवस्था नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इनसे निवेदन करूंगा, कोर्ट के द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि अगर ग्रुप आफ पर्सन्स एक-एक करके भी बनाया जाता है तो उसको ग्रुप माना जाएगा पाइन्ट टू पाइन्ट चलाने के लिये। इसलिये पाइण्ट-टू-पाइण्ट डिस्टेंस को कवर करने के लिये कांट्रैक्ट कैरिज अगर जयपुर से उदयपुर जाती है और उसमें एक-एक करके यात्री को लेकर उदयपुर तक एक ग्रुप आफ पर्सन्स बना लेती है तो हम उसको रोकने के लिये अधिकृत नहीं हैं क्योंकि उसमें कानूनी तरीके से हिदायत दी गयी है।

इसके अलावा माननीय सदस्य ने दूसरा प्रश्न सराय काले खां के लिये कहा है। हमने रात्रिकालीन, सराय काले खां के बस स्टेण्ड पर जानेवाली जो बसें हैं – 58 बसें थीं, उनको हमने आई.एस.बी.टी. तक चालू करवा दिया है जिससे रोडवेज को काफी बेनिफिट मिला है।

श्री राजेन्द्र पारीक : इससे रोडवेज को कितना घाटा हुआ है?

श्री छोगाराम बाकोलिया : अब इससे भी और घाटे की सारी प्रवृत्तियों को अलग-अलग देने के लिये, अभी मेरे से इस समय पूछा भी नहीं गया है। अगर पूछते तो मैं जरूर दे देता, उसके कारण।

श्री अध्यक्ष : मैंने यह कहा था कि 3 माननीय सदस्य अनुपूरक प्रश्न पूछ सकेंगे। 5 तो पूछ चुके हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता था।

श्री अध्यक्ष : आपकी पार्टी से पूछ लिया है। श्री जगमाल सिंह जी यादव, शॉर्ट में।

श्री जगमाल सिंह यादव (तिजारा) : अध्यक्ष महोदय, मैं यातायात मंत्री से केवल इतना पूछना चाहता हूं, यह सही है कि आपने मुनाफा कमाया है, अंकुश भी लगाया है। लेकिन क्या यह भी सही है कि जब से सुप्रीम कोर्ट ने आर.एस.आर.टी.सी. को प्राइवेट ट्रांसपोर्टर की डेफिनिशन दे दी और मान लिया तथा क्लैंडेस्टाइन ऑपरेशन को रोकने के लिये आर.एस.आर.टी.सी. के चैक करने पर जब से सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंध लगाया है तब से प्रभावी तरीके से क्लैंडेस्टाइन ऑपरेशन रोकने के आर.एस.आर.टी.सी. के उपाय फेल हो गये? क्या सरकार, कोर्ट के इस फैसले के मद्देनजर कि R.S.R.T.C. is private operator, क्या कोई कानूनी संशोधन करने का विचार रखती है? जब तक यह नहीं करेंगे तब तक आप क्लैंडेस्टाइन ऑपरेशन रोकने के कारगर उपाय नहीं कर पायेंगे, क्या यह सही है?

श्री छोगाराम बाकोलिया : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान रोडवेज कारपोरेशन एक

(श्री छोगाराम बाकोलिया)

फ्लीट ओनर है और प्राइवेट बसें भी जो चलायी जाती हैं उनके भी अपने आप में एक ओनर हैं। ओनर ओनर के ऊपर किसी तरीक से प्रतिबंध नहीं लगा सकता, इस कारण से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किये थे। सुप्रीम कोर्ट ने उसको फ्लीट ओनर मानकर ही निर्णय दिया है। अगर इसमें आवश्यकता समझेंगे तो हम संशोधन करेंगे, लेकिन हम तो दूसरे तरीके से भी सब तरीके से इन अवैध वाहनों को रोकने के लिये पूरी कोशिश कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमैंट उसकी चैकिंग निरन्तर कर रहा है। इन अवैध वाहनों को रोकने का अधिकार ट्रांसपोर्ट डिपार्टमैंट को है, वह अपनी तरफ से सख्ती से कार्यवाही कर रहा है। उसमें कमी होती तो हम और ज्यादा से ज्यादा इसके ऊपर चैकिंग करेंगे ताकि अवैध वाहनों का संचालन बंद हो सके।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन, श्री यशवंत सिंह।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न शुरू हो उससे पहले मुझे एक निवेदन करना है कि आज जयपुर शहर के जौहरी समाज के लोग हजारों की संख्या में गेट पर खड़े हैं, वे केवल मुख्य मंत्रीजी से मिलना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : आप प्रश्न तो (व्यवधान) प्रश्न हो तो बोल दीजिए।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : एक मिनट, सुनिये तो सही, वे केवल मुख्य मंत्रीजी से मिलना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप सदन के बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं और....

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : मैं इसलिये निवेदन कर रहा हूं कि वहां कोई अप्रिय घटना न हो जाए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नहीं दंगा-बंगा नहीं होगा। आप वरिष्ठ सदस्य हैं, आप प्रश्नकाल में...

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : मैं केवल टाइम मांगने की बात कर रहा हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय यशवंत सिंह जी।

श्री खेतसिंह राठौड़ (संसदीय कार्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता था, पहले तो प्रश्नकाल चल रहा है और आपने अभी व्यवस्था दी है, इस तरह से माननीय उप नेता और इतने एक्सपीरियंस्ड आदमी को इस तरह से बीच में खड़े होकर पूछने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा मैं यह निवेदन कर रहा था....

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : गम्भीरता बता रहा हूं मैं केवल। (व्यवधान) गम्भीर विषय है, मैं इसलिये ही कह रहा हूं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : वह गम्भीर विषय है इसके लिये हमको पूरी जानकारी है। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने उनका डेलीगेशन बुला लिया है, उनसे बातचीत कर लेंगे। उसके लिये आप परेशान न हों।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : ठीक है, पर्याप्त है।

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है, बैठिये। माननीय आप वरिष्ठ सदस्य हैं। प्रश्नकाल में पहले, मैंने व्यवस्था दी। उसमें कुछ समय चला गया और फिर उसके बाद में आप इस प्रश्न को उठा रहे हैं कि जौहरियों का आन्दोलन हो रहा है, वहां

(श्री अध्यक्ष)

कुछ हो जाएगा। यहां पर सरकार विद्यमान है तथा कानून और व्यवस्था बनाये रखना उसका उत्तरदायित्व है, वह निश्चित तौर पर उसका निर्वहन करेगी। आपको चिन्तित होने की आवश्यकता नहीं है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, बीच में नहीं। मंत्री लोग बैठे-बैठे यहां क्या प्रवचन दे रहे हैं?

प्रधान मुख्य वन संरक्षकों के कार्य

333. **श्री यशवन्त सिंह** (रामू)(नदबई): क्या वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य में प्रधान मुख्य वन संरक्षक के 3 पद विद्यमान हैं? यदि हां, तो उक्त प्रधान वन संरक्षकों को कार्य का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या राज्य में वन सलाहकार का कोई पद सृजित है? यदि हां, तो उसका कार्य क्षेत्र क्या है?

राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण (श्री भगराज चौधरी) : (1) (अ) राज्य में प्रधान वन संरक्षक स्तर के निम्न दो पद स्वीकृत हैं :—

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर।

2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य आयोजना एवं बन्दोबस्त, जयपुर।

इन प्रधान मुख्य वन संरक्षकों को आबंटित कार्य का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(ब) उपरोक्त के अतिरिक्त एक पद वन सलाहकार के नाम से स्वीकृत है जो प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पद के समकक्ष है।

(2) जी हां। वन सलाहकार का कार्य क्षेत्र निम्न प्रकार प्रस्तावित है :—

(अ) वृक्षारोपण क्षेत्र में गुणात्मक सुधार करने सम्बन्धी सुझाव देना।

(ब) साझा वन प्रबन्धन क्षेत्रों में उपयुक्त वृक्षारोपण सम्बन्धी मॉडल विकसित करने सम्बन्धी सुझाव देना।

(स) शासन सचिव के द्वारा तकनीकी सलाह हेतु भेजे गये मसलों के सम्बन्ध में सलाह देना।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि वर्ष 1997 तक केवल एक ही मुख्य वन संरक्षक का पद सृजित था और सम्पूर्ण वन प्रशासन का कार्य सुचारू रूप से चल रहा था। फिर एक और नया पद एक अधिकारी को लाभ पहुंचाने के लिये सेवानिवृत्ति से मात्र 3 दिन पहले आपने सृजित किया, इसका क्या औचित्य है? केवल एक के व्यक्तिगत लाभ के लिये ही इस पद का सृजन किया गया था तो उसकी सेवानिवृत्ति के बाद इस पद को खतम क्यों नहीं किया गया? नम्बर दो, इस अतिरिक्त सृजित प्रमुख वन संरक्षक के पास एक ही मुख्य वन संरक्षक के बराबर ही कार्य नहीं है। यदि सी.सी.एफ. अरावली परियोजना के कार्य क्षेत्र से तुलना की जाए तो यह कार्य सी.सी.एफ परियोजना, जो पद वर्तमान में विद्यमान है, द्वारा बखूबी चलाया जा सकता है, जो इस पद से पूर्व भी चलाया जाता रहा है तो अतिरिक्त वित्तीय भार राज्य की जनता पर क्यों?

श्री भगराज चौधरी : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने प्रश्न के उत्तर में जवाब दिया, प्रधान मुख्य वन संरक्षक के 2

(श्री: भगराज चौधरी)

पद पहले से ही चले आ रहे थे, काफी समय पूर्व से। एक तीसरा पद जो कि प्रधान मुख्य वन संरक्षक के समान स्तर का है, दिनांक 22.9.98 तक 2 प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पद कायम थे उसके पश्चात् पूर्व सरकार, माननीय भैरोंसिंह जी की थी, उस समय दिनांक 23.9.98 को आदेश जारी करके एक ओ.एस.डी. के रूप में सृजित किया गया। वह पद ओ.एस.डी. के रूप में था, उसकी विधिवत रूप से पोस्ट क्रीएट नहीं की गयी थी। नई सरकार ने कार्यभार सम्भालने के बाद उस खामी का निवारण करने के लिये वन सलाहकार के रूप में पोस्ट क्रिएट की है और उसके बाद में उनको कार्य भी बराबर आबंटित किया गया। इसलिये वह तीसरा पद भी चल रहा है।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : अध्यक्ष महोदय, जो पोस्ट क्रिएट नहीं थी, मंत्रीजी, वह आपने क्रिएट कर दी। जबकि आपके वित्त मंत्रीजी कह रहे हैं कि 11 चीफ इंजीनियर हैं, 7 उनमें से रिटायर हो चुके हैं, हमको सोचना पड़ेगा तो वह पद...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नहीं, वे इंजीनियर दूसरे हैं, वे तो इर्रिगेशन के हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : इर्रिगेशन में हैं, साहब, लेकिन जनरली राजस्थान में हैड बहुत हैवी हो गया हर डिपार्टमैंट के अन्दर माननीय सदस्य का यही सवाल है कि 3 चीफ कंजरवेटर आफ फोरेस्ट की जरूरत है या नहीं है। आज अगर आप उसको जस्टिफाई मानते हैं तो आपने जो पोस्ट क्रिएट की है वह वाजिब है। अदरवाइज आपने एबोलिश क्यों नहीं की आपको आपर्चुनिटी थी? उन्होंने सिर्फ वैसे ही प्रमोट कर दिया, एक आदमी को एडजैस्ट करना था। माननीय सदस्य का यह स्पेसिफिक क्वेश्चन है। आपने क्यों पोस्ट क्रिएट की वापस, यह बताने का कष्ट करें? (व्यवधान)

श्री भगराज चौधरी : मौजूदा सरकार बनने के पश्चात् कोई नया पद सृजित नहीं किया गया है। केवल मात्र को पद उन्होंने तीसरा बना दिया था, पर उसकी विधिवत पोस्ट क्रिएट उन्होंने नहीं की थी और इसलिए दिक्कत आ रही थी, उस खामी को मिटाने के लिए...

श्री सुरेन्द्र व्यास : माननीय अध्यक्ष महोदय, सही मानते हैं क्या आप उसको? इसको सही मानते हो क्या आप?

श्री भगराज चौधरी : उसकी खामी को मिटाने के लिए...(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : जस्टिफाइड ही नहीं है। उन्होंने नहीं की तो आपने कर दी।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अपना जस्टिफिकेशन दो न... (व्यवधान)

श्री भगराज चौधरी : नहीं, तीसरा पद उन्होंने कायम कर दिया था 23.9.98 के जरिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसलिए मौजूदा सरकार ने भी उस पद को यथावत कायम रखते हुए ही व्यवस्था बनाये रखी है। अभी तक इसमें किसी प्रकार का रद्दोबदल नहीं किया है। जहां तक कार्य आबंटन का सवाल है...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, बी.जे.पी. की गवर्नमैंट ने एक आदमी को एडजैस्ट करने के लिए किया था, आप उसको जस्टिफाइड मानते हो क्या?

श्री भगराज चौधरी : नहीं, कार्य का आबंटन किया गया है। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : दो-तीन कंजरवेटर ऑफ फोरेस्ट और बना देंगे तो उनको भी कार्य का आबंटन कर देंगे, उसमें क्या दिक्कत है? सवाल यह है कि बी.जे.पी. का एक्शन सही मानते हो क्या आप? डिपार्टमैंट में इतना बर्डन है क्या, प्रैशर आफ वर्क है क्या कि पोस्ट क्रिएट करते आप? है, तो वह बताओ। बी.जे.पी. की गवर्नमैंट ने किया उस पर मत जाइये आप। वह खामी थी तो आप लोगों को एबोलिश करनी चाहिए थी। आप अपना जस्टिफिकेशन बताइये।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी निवेदन है। अध्यक्ष महोदय, जब 1997 से पहले एक ही व्यक्ति से कार्य चल रहा था तो तीन-तीन.....

श्री अध्यक्ष : पूछ लिया आपने। माननीय प्रश्नकर्ता, आप नीचे बैठिये। उसके बाद में यह जो सप्लीमैंट्री पूछा है श्री सुरेन्द व्यास ने, उसका उत्तर दे रहे हैं, वन मंत्रीजी। (व्यवधान)

श्री भगराज चौधरी : पूर्व में प्रधान मुख्य वन संरक्षक के दो पद चल रहे थे, उनको तो पूर्व में ही कार्य का आबंटन कर दिया गया था। उनके पास में बहुत ज्यादा काम है। तीसरा पद जो प्रधान मुख्य वन संरक्षक के समकक्ष है, उसी वेतन श्रृंखला में है। उस तीसरे पद को भी पूर्व की सरकार ने कायम कर दिया था लेकिन कायम करने के पश्चात् कार्य का बंटवारा नहीं किया था। कार्य का बंटवारा नहीं किया था, यह बात सही है इसलिए इस नई सरकार ने कार्य सम्भालने के पश्चात् उनको भी कार्य का बंटवारा कर दिया है। उनके पास में कार्य है और वह पद ठीक ढंग से चल रहा है। वन सम्बन्धी नीति के बारे में...(व्यवधान)

श्री राजेन्द राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, आपने व्यवस्था दे दी और हमें पाबन्द कर दिया कि हम आपकी बिना अनुमति के खड़े नहीं हो सकते। मंत्रीगणों को भी आप पाबन्द करो कि वे उत्तर की तैयार करके आएं। (व्यवधान) उनका भी उत्तर आए। उनको पता ही नहीं है। आज अधिकारियों ने दिया और पढ़कर सुना दिया। कुछ आप थोड़ी तैयारी करके तो आएं। (व्यवधान)

श्रीमती कमला बृजलाल (सपोटरा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तीसरा पद जिसका बी.जे.पी. गवर्नमैंट ने उनको लाभ देने के लिए सृजन किया था, उसी पद को हमारी सरकार ने भी आगे कर दिया है जबकि उसका किसी भी तरह से कोई औचित्य नहीं है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : औचित्य है, वे कह चुके हैं कि कार्यभार है। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : कुछ भार नहीं है।

श्री अब्दुल अजीज (राज्य मंत्री, शिक्षा) : उन्होंने कहा है न कि काम है इसलिए उनको रखा जाएगा। स्पष्ट कहा है उन्होंने, अब कहां आपत्ति है? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप मंत्री हो क्या? एक मंत्री और है, हमको तो यह भी पता नहीं कि....(व्यवधान)...मंत्रिमण्डल के सदस्य समझते हैं, उनको अधिकार है, मर्जी आये जब खड़े हो जाते हैं। हम इस पवित्र सदन में आपके नेतृत्व की पालना करने के लिए कटिबद्ध हैं पर यह कौनसा तरीका हुआ?

श्री अब्दुल अजीज : अध्यक्षजी, इनको जो दर्द है न वह कई किस्म का है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सवाल किससे करें और जवाब कौन दें? (व्यवधान)-ये कौन हैं? उत्तर क्यों दे रहे हैं ये? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, आप बैठिये। आप बीच में क्यों खड़े हो रहे हैं?

श्री जगमाल सिंह यादव : आप मंत्री हो क्या? अध्यक्ष महोदय, इनको भी धमकाइये। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हमें ही हमें धमकाते हों, अध्यक्ष महोदय, आप (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप गवर्नमैंट की तरफ से रिप्लाई देंगे?

श्री अब्दुल अजीज : नहीं, नहीं, मैं आपसे निवेदन करूं, अध्यक्ष महोदय, गवर्नमैंट से नहीं.....

श्री अध्यक्ष : नहीं, नहीं, आप बैठिये।

श्री अब्दुल अजीज : इनको जो दर्द है न कई किस्म का दर्द है, आपको पता नहीं है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नहीं नहीं, आपको अनुमति नहीं दी जाएगी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अब हमारे दर्द की बात करते हैं। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, यह क्या बात है? यह क्या बात है?, अध्यक्ष महोदय, आप सदन की गरिमा की बात कर रहे हैं और यह कह रहे हैं, दर्द है (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल (बामनवास) : अध्यक्ष महोदय, आप तो सदन की गरिमा की बात कर रहे हैं और ये हमारे दर्द का इलाज करेंगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बैठिये, बैठिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ये दर्द का इलाज करेंगे हमारा? नहीं, अध्यक्ष महोदय, यह...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बैठिये बैठिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं, अध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं है, यह कोई...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री हरजीराम बुरड़क।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाड़नूं) : अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्रीजी यह बताएंगे, आज तक उनको न तो पूर्व सरकार ने और न इस सरकार ने सैक्रेटेरिएट में बैठने का कमरा नहीं दिया, वह आज तक सैक्रेटेरिएट गया नहीं। गया तो वह बैठे कहां? आपने कह दिया कि वे सलाह दे रहे हैं, एक भी फाइल आज तक उनके पास गयी हो तो वह बता दीजिए।

श्री अध्यक्ष : इतना लम्बा नहीं, आप प्रश्न पूछ लीजिए।

श्री हरजीराम बुरड़क : प्रश्न ही पूछ रहा हूं न।

श्री अध्यक्ष : हां।

श्री हरजीराम बुरड़क : एक भी फाइल आज तक उनके पास नहीं गयी, उनको बैठने का कमरा नहीं दिया गया फिर वे सलाह कहां दे रहे हैं? बी.जे.पी. सरकार ने अगर गलत किया है तो आप उस गलत को क्यों सही मान रहे हो? तीसरा मेरा यह है कि.....

श्री अध्यक्ष : प्रश्न पर कोई इतना लम्बा प्रश्न, तीसरा या चौथा नहीं, आप कोई एक प्रश्न पूछिये। हां, बोलिये।

श्री हरजीराम बुरड़क : अच्छा तो दो का ही जबाव दे दो कि उसके पास कितनी तो फाइलें गयीं और वह बैठता कहां है?

(श्री हरजीराम बुरड़क)

उसका कार्यालय कहां है, यह बता दीजिए? कार्यालय ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी।

श्री भगराज चौधरी : जी। अध्यक्ष महोदय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक के स्तर का जो तीसरा पद पूर्व सरकार ने क्रिएट किया था उस पद को यथावत रखते हुए चूंकि उनके पास पहले कार्य का बंटवारा नहीं किया गया था, हमने कार्य का बंटवारा कर दिया है और उनके पास में भी कार्य है।

मोहम्मद माहिर आजाद : क्या औचित्य है उसका? क्या औचित्य है उसका?

श्री जगमाल सिंह यादव : क्या काम है?

श्री अध्यक्ष : बैठिये।

श्री भगराज चौधरी : मैंने अभी जवाब दिया, माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक के स्तर के समान जो तीसरा पद कायम किया गया है, उनके पास में भी बहुत वर्क है। बहुत कार्य है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। मंत्रीजी, ठहरिए। सुनाई नहीं दे रहा है कि आप क्या कह रहे हैं। आप रिप्लाई रिपीट कीजिए।

श्री भगराज चौधरी : तीसरा पद जो प्रधान मुख्य वन संरक्षक....

श्री हरजीराम बुरड़क : उसका कमरा कौनसा है? वह बैठता कहां है?

श्री अध्यक्ष : आप बीच में नहीं, Don't intervene. कमरा-कमरा, फाइल, सब बात सुन ली है उन्होंने। कमरा, फाइल सब सुन ली है। (व्यवधान)

श्री भगराज चौधरी : अध्यक्ष महोदय, तीसरा पद प्रधान मुख्य वन संरक्षक के नाम से नहीं है। तीसरा पद प्रधान मुख्य वन संरक्षक के नाम से नहीं है बल्कि प्रधान मुख्य वन संरक्षक के समान स्तर का पद है जिसका नामकरण वन सलाहकार के रूप में किया गया है। उनको बराबर कार्यों का आवंटन कर दिया गया है। बहुत महत्त्वपूर्ण कार्य उनको दिया गया है, जिसके बारे में मैं पहले भी निवेदन कर चुका हूं। मैं जवाब दे चुका हूं। वृक्षारोपण क्षेत्र में गुणात्मक सुधार करने सम्बन्धी सुझाव देने का कार्य उनको सुपुर्द किया गया है, नम्बर–एक। नम्बर–दो, साझा वन प्रबन्धन क्षेत्रों में उपयुक्त वृक्षारोपण करने सम्बन्धी माडल तैयार करने सम्बन्धी सुझाव देने का कार्य भी उनके पास में है। तीसरा, शासन सचिव द्वारा तकनीकी सलाह हेतु भेजे गये प्रश्नों के बारे में, कार्यों के बारे में सुझाव देने का कार्य-दायित्व भी उनका है। ये तीन प्रकार के मोटे रूप से कार्य उनको सुपुर्द किये गये हैं। मेरे ख्याल से यह कहना कि उनके पास में कार्य नही है, बिल्कुल गलत है। (व्यवधान) फाइल वे ही करते हैं, मैं थोड़े ही करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री यशवन्त सिंह।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाह रहा हूं कि जब 1997 से पहले एक ही मुख्य वन संरक्षक से कार्य चल रहा था तो यह दो की आवश्यता क्यों पड़ी? माननीय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि....

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न आप पहले पूछ चुके हैं, इसी को आप रिपीट कर रहे हैं।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि 65 लाख रुपये लेकर

(श्री यशवंत सिंह (रामू))

यह पद सृजित किया गया था तीन दिन के लिए मात्र। 65 लाख रुपये लेकर मात्र तीन दिन के लिए यह पद सृजित किया गया था। आपको बताना चाहूंगा, आपके माध्यम से मैं...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अभी मंत्रीजी ने उत्तर दे दिया है कि अब...(व्यवधान) आप बैठिये। यह का यही प्रश्न आप पूछ चुके हैं पहले, पूरक प्रश्न पूछ चुके हैं।

श्री राजेन्द्र पारीक : एक प्रश्न मेरा भी है।

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है, आप बैठिये। मंत्रीजी यह कह रहे हैं कि इनको अलग-अलग तीन कार्यभार दे दिये हैं और कार्य में गुणवत्ता लाने के लिए आवश्यकता है कि यह पोस्ट अभी तक एक एडवाइजर की रहे। एडवाइजर की हैसियत से, हालांकि सब कुछ उसके समकक्ष है, यह उन्होंने उत्तर दे दिया है। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, उसको कोई कमरा दें, गाड़ी दें। सिर्फ आपकी हाजरी देने के अलावा और कुछ नहीं है। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, मूल प्रश्नकर्ता ने यह बहुत ही गम्भीर बात कही है कि पिछली सरकार के समय में काफी गम्भीर अनियमितताएं हुई हैं, भ्रष्टाचार हुआ है और **लाखों रुपये लेकर यह पद सृजित किया गया है। यह मूल प्रश्नकर्ता ने गम्भीर आरोप लगाया है।** (व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा) : ये आज्ञा के बिना ही खड़े हो रहे हैं, साहब। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अध्यक्ष महोदय ये आपकी बिना आज्ञा के ही खड़े हो गये। (व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, ये बिना आज्ञा के खड़े हो गये। क्यों नहीं फिर जांच कराते पिछली सरकार की आय। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : इसलिए इस बात की गहराई में जाने की आवश्यकता है। (व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी : ये बिना आज्ञा ही प्रश्नकाल में खड़े हो गये हैं। (व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव : उनको जांच कराने से हम नहीं रोकते। (व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी : अध्यक्ष महोदय, आपने व्यवस्था दी है कि आप खड़े नहीं होंगे जबकि ये खड़े हो गये हैं। यह बिना अनुमति के कैसे खड़े हो गये?

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, मूल प्रश्नकर्ता ने जो आरोप लगाये हैं, उन आरोपों की गहराई में जाने की आवश्यकता है। मंत्रीजी, इस बात के बारे में कुछ जबाव दीजिए। (व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव : मंत्रीजी को जांच कराने के लिए अब तक किसने रोका है?

श्री श्रीचन्द कृपलानी : हम आपकी परमिशन के बिना यहां पर खड़े नहीं हो रहे हैं और ये...(व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : इस पद के सृजन के साथ-साथ आचार संहिता की दुहाई दी गयी थी, आप कह दो कि उल्लंघन नहीं किया। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा (बानसूर) : अध्यक्ष महोदय, यह 65 लाख की बात नहीं है। 65 लाख का जिक्र आ रहा है, 65 लाख रुपये कोई...(व्यवधान)...

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : अध्यक्ष महोदय, तीन दिन के लिए 65 लाख रुपये लेकर...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष : बैठिये-बैठिये। आप बीच में नहीं....

श्री जगत सिंह दायमा : बहुत बड़ी बात है, 65 लाख रुपये...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सदन में व्यवस्था बनाये रखिये।

श्री जगत सिंह दायमा : यह घोटाला हो रहा है तो इसको मंत्रीजी का भी... (व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष : बैठिये, आप नीचे बैठिये। नैक्स्ट क्वेश्चन।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : हमें तो कह रहे हैं और वे खड़े हो रहे हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : अध्यक्ष महोदय, इस पद को समाप्त करने से राज्य सरकार को मितव्ययता में कुछ फायदा होगा क्या? चालीस हजार रुपये लेने वाला अधिकारी, उसके कोई टेलीफोन की व्यवस्था दे दी क्या? उसका टेलीफोन नम्बर क्या है, यह बता दीजिए? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन, श्री आत्माराम मेघवाल।

श्री राजेन्द्र पारीक : मितव्ययता बरतने के बजाय वैसे अधिकारी को यहां पर डैपूट करें जिसका विभाग को कोई लाभ नहीं हो। विभाग पर 40 हजार रुपये महीने के खर्चे का भार पड़ रहा है।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन।

ग्राम बूसी (पाली) का छात्रावास भवन

334. **श्री आत्माराम मेघवाल** (देसूरी) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि जिला पाली के बूसी गांव में अनुसूचित जाति छात्रावास भवन का शिलान्यास किया गया था? यदि हां, तो कब? आज तक छात्रावास भवन का कार्य चालू नहीं होने के क्या कारण हैं? अब निर्माण कार्य कब तक शुरु करवा दिया जाएगा?

समाज कल्याण मंत्री (श्री बनवारी लाल बैरवा) : जी, हां। बूसी छात्रावास का शिलान्यास 9 दिसम्बर, 1996 को किया गया था। छात्रावास का निर्माण प्लिंथ लेवल तक हो चुका है। आवास विकास संस्थान द्वारा कार्य पर्याप्त गति से नहीं किये जाने के कारण कार्य समय पर पूरा नहीं किया जा सका। कार्य शीघ्र ही चालू करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं।

श्री आत्माराम मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि आवास विकास संस्थान द्वारा कार्य पर्याप्त गति से क्यों नहीं किया गया?

श्री बनवारी लाल बैरवा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने यह अर्ज किया है कि पर्याप्त गति से वे नहीं कर पाये, इसलिये पूरा नहीं हुआ। क्यों नहीं कर पाये, यह तो सदन के सामने बात आ चुकी है कि आवास विकास का जो कार्य था, वह ठीक नहीं था इस वजह से यह स्थिति सामने आयी।

श्री आत्माराम मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत माननीय

(श्री आत्माराम मेघवाल)

मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि क्या इस वर्ष के अन्त तक यह कार्य चालू कर दिया जाएगा?

श्री बनवारी लाल बैरवा : प्रयत्न किया जाएगा।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन। श्री रामगोपाल जी।

श्री राम गोपाल बैरवा (पीपल्दा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय समाज कल्याण मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि राजस्थान में समाज कल्याण भवन जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं, जिन समाज कल्याण छात्रावासों के लिये जो राशि स्वीकृति की गयी, लम्बे समय बाद भी सम्पूर्ण राजस्थान में अधिकांश समाज कल्याण छात्रावासों का निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है, तो आप कब तक उन समाज कल्याण छात्रावासों का निर्माण कार्य प्रारम्भ करवा देंगे? आगे के लिये क्या इस तरह की व्यवस्था करेंगे एक समय निर्धारित करके, कि इस समय तक यह निर्माण कार्य पूरा करवा दिया जाएगा? इटावा में 1995-96 में जो 29.73 लाख की राशि समाज कल्याण छात्रावास के लिये स्वीकृत की गयी थी, उसका निर्माण कार्य भी अभी प्रारम्भ नहीं हुआ है। आप उसका निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ करवा देंगे?

श्री अध्यक्ष : यह अलग से प्रश्न पूछ लें। यह तो बूसी गांव की बात है, पाली जिले का प्रश्न है। नैक्स्ट क्वेश्चन। श्री केसाराम चौधरी।

प्रश्न संख्या-335

श्री केसाराम चौधरी।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री रामचन्द्र सराधना।

डार्क जोन क्षेत्र, जयपुर में किसानों को वैकल्पिक सुविधाएं

336. श्री रामचन्द्र सराधना (जमवा-रामगढ़) : क्या भू-जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर जिला क्षेत्र डार्क जोन एरिया में घोषित किया हुआ है? यदि हां, तो कब से?

(2) क्या सरकार अब उक्त जिले को डार्क जोन एरिया से मुक्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो किसानों को नये कुए निर्माण में दी जाने वाली आर्थिक सुविधा के स्थान पर सरकार क्या साधन और सहयोग देने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

भूतल मंत्री (श्री तैयब हुसैन) : (1) जी, हां। वर्ष 1990 से।

(2) राज्य के समस्त जिलों का प्रतिवर्ष सर्वे कर प्रत्येक तीन वर्ष में भू-जल आकलन किया जाता है। जयपुर जिले का पुनः सर्वे पूर्ण हो गया है। नवीन मूल्यांकन प्रतिवेदन पर अन्तिम निर्णय के बाद विभिन्न क्षेत्रों को पुनः वर्गीकृत किया जा सकेगा।

श्री रामचन्द्र सराधना : माननीय अध्यक्षजी, माननीय मंत्रीजी ने जवाब दिया है कि पुनः अन्तिम निर्णय के बाद में वर्गीकृत किया जाएगा। मैं माननीय मंत्रीजी से पूछना चाह रहा था कि वर्गीकृत से आपका क्या तात्पर्य है? मान्यवर, मैंने मूल प्रश्न में यह पूछना चाहा है कि डार्क जोन एरिये में किसानों को कुए बनाने के लिए ऋण सुविधा उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में आर्थिक मदद और ऋण सुविधा से

(श्री रामचन्द्र सराधना)

वंचित किसानों के लिये सरकार कौनसा साधन अपना रही है? आपने इसका जवाब दिया है कि पुनः वर्गीकृत करने के बाद में, मूल्यांकन करने के बाद में प्रतिवेदन पढ़कर या प्रतिवेदन पर विचार करके फैसला करेंगे। यह फैसला कब तक हो जाएगा?

श्री तैयब हुसैन : मोहतरम स्पीकर साहब, यह हर तीन साल बाद क्लासिफिकेशन की जाती है, अभी लेटेस्ट 1-1-98 को की गयी है और वह फाइनल स्टेज में है। सेंट्रल की टीम और स्टेट की टीम, दोनों मिलकर उसका फैसला करती हैं। जो उसका फैसला होगा, उससे आपको अवगत करा दिया जाएगा। दूसरा, जयपुर जिले के पानी का स्तर, आप सबको मालूम है कि काफी नीचे है, ओवर एक्सप्लायटेड है। लेटेस्ट 1995 का है वह 115 फीसदी है। इस सिलसिले में जो अल्टरनेटिव के लिए आपने कहा उसमें बूंद-बूंद सिंचाई के लिये, फव्वारे के लिये, पक्की नाली के लिये और जिस चीज से पानी का स्तर ऊपर आ सके, यानि रीचार्ज हो सके, उस डोलबंदी वगैरह के लिये लोन दिया जाता है।

श्री रामचन्द्र सराधना : माननीय अध्यक्ष जी, मैंने मूल प्रश्न यह पूछा था, आपने फव्वारा और बूंद-बूंद सिंचाई के लिये व्यवस्था कर रखी है, लेकिन जब कुँआ ही नहीं होगा, कुआ ही नहीं बना पाएंगे काश्तकार, तो बूंद-बूंद सिंचाई और फव्वारा कहां से चलाएंगे? मेरा निवेदन केवल मात्र यह है कि कुए निर्माण के लिये जो सहायता पहले दी जाती थी, आपके डार्क जोन घोषित करने के बाद में बैंकों ने वह सुविधा बंद कर दी। उसकी एवज में काश्तकारों के लिये आप क्या सोच रहे हैं?

श्री तैयब हुसैन : मोहतरम स्पीकर साहब, मैं समझता हूं कि जो मकसद है, वह तो यही है कि कुए और न खुदें, इसलिए कि पानी का लेवल बहुत नीचे चला गया है और डार्क जोन तो है ही। राजस्थान ग्राउंड वाटर रैगुलेशन बिल, 1997 भी इसके लिये बनाया गया, बिल मौजूद है। उसके लिये पब्लिक ओपिनियन भी ली गयी है और एक सेमीनार भी की गयी 27 दिसम्बर, 1997 को, कि यह जो समस्या है, यह बहुत गंभीर समस्या है, इस पर किस तरह से काबू पाया जा सके। अगर इसी तरह से धड़ल्ले से पानी का दोहन होता रहा तो मैं समझता हूं स्थिति कोई ऐसी नहीं जिससे आप सब लोग वाकिफ नहीं कि उसके क्या नतीजे निकलेंगे। उससे आप अच्छी तरह से वाकिफ हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री शिवनाथ सिंह।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : माननीय अध्यक्षजी, मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि डार्क जोन है उसमें कुए खोदने की मनाही नहीं है। कुए खुद रहे हैं। तो जो सहायता कुए खोदने के लिये बैंकों से मिलती थी, उसको बंद किस कारण से, किन नियमों के तहत किया गया? आज भी आपने कहा, चिंता जरूर है लेकिन कुए धड़ाधड़ खुद रहे हैं। लोग अपनी मेहनत से खोद रहे हैं, अपने पैसे से खोद रहे हैं, तो सरकारी सहायता या बैंकों की सहायता उनको मिलती थी,वह किन नियमों के अंदर बंद की गयी है?

श्री तैयब हुसैन : मोहतरम स्पीकर साहब, वही मैंने अर्ज किया है, जो कुए

(श्री तैयब हुसैन)

खुद रहे हैं उसी के लिये यह राजस्थान ग्राउंड वाटर रैगुलेशन बिल, 1997 का है। यह विचारधीन है उस पर लोगों की राय ली जा रही है ताकि जो कुए इस तरह से खुद रहे हैं उन पर पाबन्दी लगायी जा सके।

श्री शिवनाथ सिंह : अध्यक्ष जी, सीधा-सा सवाल है कि किस कानून के अन्दर आपने पाबन्दी लगा रखी है?

श्री अमराराम (धोद) : क्या सरकार '97 के बिल को पास करने का विचार रखती है?

श्री अध्यक्ष : श्री सांवरलाल।

श्री सांवर लाल (भिनाय) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा, वाटर लेवल तो नीचे जा रहा है, यह बात ठीक है पर किसान के पास खेती के अलावा और कोई सहारा नहीं है और खेती पानी के बिना नहीं होती है। क्या आपकी सरकार का इरादा किसान कुएं नहीं खोदे, इस प्रकार के दिशा-निर्देश जारी करने का है, पहला प्रश्न तो मेरा यह है? दूसरा, माननीय शिवनाथ सिंह जी ने स्पष्ट पूछा कि कुएं तो खोदे जा रहे हैं, जिनके पास पैसे हैं, डार्क जोन में भी है तो भी कुए वे खोदते हैं। बैंक ऋण नहीं देते वे, किस कानून के तहत ऋण नहीं देते, यह हमको जरा जानकारी देने का कष्ट करें।

श्री तैयब हुसैन : मोहतरम स्पीकर साहब, पानी का जो लेवल है, वह कितना नीचे जा रहा है, इसमें मेरा ख्याल है कि आप प्रतिपक्ष के नेता महोदय से सलाह करें, वे शायद हम सबसे ज्यादा चिन्तित हैं इस बात पर। उनसे मेरी बात हुई थी तो वे यह कह रहे थे कि यह सबसे बड़ी गंभीर समस्या है। इस गंभीरता का अंदाजा इसी बात से है, मोहतरम स्पीकर साहब, कि जो यह बिल है 1997 का उसको, माननीय सदस्य उधर बैठे हुए हैं, वे ही लाए थे कि इसमें पाबन्दी लग सके।

श्री शांतिकुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन मंत्री) : आप ही लाये थे उस बिल को। फिर आज बिल काहे को लाये थे? आपकी क्या मंशा थी?

श्री सांवर लाल : आप लगाने जा रहे हैं कि नहीं? हम यह पूछ रहे हैं कि आप लगाने जा रहे हैं क्या पाबन्दी, उसका स्पष्ट जवाब दें।

श्री तैयब हुसैन : मैंने जैसा अर्ज किया, मोहतरम स्पीकर साहब, कि यह मामला विचारधीन है।

श्री सांवर लाल : इसका उत्तर आना चाहिये, अध्यक्ष महोदय। स्पेसिफिक सवाल है कि आप पाबन्दी लगाने जा रहे हैं कि नहीं? बैंक ऋण नहीं देती तो कौनसे काननू के तहत नहीं देती? स्पेसिफिक सवाल है, साहब, इसको घुमाने की जरूरत कहां पड़ गयी?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : हां, बैठिये आप। श्री श्रीचन्द कृपलानी।

(12.00 बजे)

श्री श्रीचन्द कृपलानी : अध्यक्ष महोदय एक तरफ आपने यह बात कही कि

(श्री श्रीचन्द कृपलानी)

जिस क्षेत्र में डार्क जोन घोषित कर रखा है वहां पर कुओं पर लोन नहीं दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जहां काश्तकार अपने पैसे से कुआ खोद रहे हैं वहां बिजली के कनेक्शन आपकी सरकार दे रही है, यह विसंगति क्यों हो रही है?

दूसरा, जैसे मेरा निम्बाहेड़ा, छोटी सादड़ी एरिया है, पिछले 8 वर्षों से वहां डार्क जोन घोषित कर रखा है, बीच में एक-दो बार बाढ़ भी आ गयी लेकिन डार्क जोन वहां से नहीं हटा है। तो डार्क जोन हटाने का क्या मापदण्ड है, यह भी बताने का कष्ट करें?

श्री तैयब हुसैन : मोहतरम स्पीकर साहब, शायद माननीय सदस्य ने सुना नहीं, मैंने यह अर्ज किया कि इसका हर तीन साल के बाद अंदाजा लगाया जाता है, तकमीना लगाया जाता है। उसका एक सिस्टम है। अब 1-1-1998 को उसकी रिपोर्ट आ चुकी है और वह फाइनल स्टेज में है। उसके आ जाने के बाद इस पर विचार कर लिया जाएगा और जहां पर पानी रीचार्ज हो चुका है उसको डार्क जोन से निकाल दिया जाएगा।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : बिजली के कनेक्शन तो दे रहे हैं आप।

श्री अध्यक्ष : हां, माननीय सदस्य, पूछिये।

श्री रामचन्द्र सराधना : अध्यक्ष महोदय, मैं गरीब किसान की समस्या की गम्भीरता पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। कुएं भी धड़ाधड़ खुद रहे हैं, पैसे वाले ट्यूबवैल लगा रहे हैं अपने आप लेकिन छोटा और गरीब किसान जो बैंक की राहत लेकर कुआ खोदता था, पंम्पसैट लगाता था उसको कुआ खोदने में ऋण देने से मना कर दिया गया। पम्पसैट का ऋण बंद करने से ही क्या वाटर लेवल बढ़ रहा है। उन किसानों को बंद कर दिया गया. जो ऋण की सुविधा लेकर काम चलाते थे अपना। मेरा निवेदन है कि कोई वैकल्पिक व्यवस्था कर के उनको ऋण की सुविधा दी जानी चाहिए ताकि वे भी अपना काम चलाएं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट, मैं यह जानना चाह रहा था—

डा. किरोड़ी लाल : अध्यक्ष महोदय, अमीर किसान तो कुआं खोद रहे हैं, गरीब किसान कुआ नहीं खोद सकते। क्वेश्चन जो है उसका जवाब तो दे दो कि बैंक ऋण क्यों नहीं दे रहे हैं?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने एक घोषणा तो आज सदन में कर दी कि वाटर लेवल नीचे जा रहा है इसलिए जो किसान अपने सोर्स से कुआ खोदता था उस पर वह कुआ नहीं खोद सके, इसके लिए कानून लाने जा रहे हैं। मैं आप से निवेदन कर रहा हूं कि आप जो कानून ला रहे हैं कि किसान अपने स्वयं के अर्जित धन से भी कुआ नहीं खोद सकेगा वाटर लेवल नीचे जाने के कारण, यह कब तक ला रहे हैं, यह बता दें आप?

श्री जगमाल सिंह यादव : यह कहा ही कहां है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कह दिया न। कह दिया न बिल ला रहे हैं। (व्यवधान) बिल लाने के लिए कहा है न।

मोहम्मद माहिर आजाद : यह कहा है विचाराधीन है।

श्री जगमाल सिंह यादव : यह नहीं कहा कि लागू कर रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं, जब कह दिया तो बिल्कुल ठीक है। (व्यवधान)

श्री तैयब हुसैन : मैं जो अर्ज कर रहा हूं जरा सुनिये, आप, अगर सुनने का हौसला करें तो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हां, सुनाओ।

श्री तैयब हुसैन : मोहतरम स्पीकर साहब, यह मामला मैं पहले अर्ज कर चुका हूं कि विचाराधीन है आप जो बिल लाये थे 1997 का उस पर काफी लोगों से राय ली गयी और उस पर लोगों ने राय दी है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हमने लागू नहीं किया, आप लागू कर रहे हो क्या उस बिल को?

श्री तैयब हुसैन : उसके बाद एक सेमिनार इस पर 27 दिसम्बर, 1997 को हो चुका है और अब सोच रहे हैं कि दोबारा इस सिलसिले में लोगों को जो सम्बन्धित लोग हैं, बुला कर विचार विमर्श किया जाए ताकि एक पब्लिक अवेयरनैस पैदा की जा सके, लोगों में जाग्रति पैदा की जा सके कि यह जो समस्या है उससे लोग वाकिफ हो सकें।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

केन्द्रीय मुद्रणालय (जयपुर) में अनियमितताएं

329. श्री उदय सिंह राठौड़ (बनीपार्क) : क्या मुद्रण एवं लेखन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर के स्टेशनरी स्टोर में हुई अनियमितताओं की जांच की गई थी? यदि हां, तो जांच में कितनी राशि का गबन पाया गया?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त जांच में दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है? यदि हां, तो किस-किस के विरुद्ध एवं क्या और कब?

(3) क्या यह सही है कि उक्त गबन में केवल अधीनस्थ कर्मचारियों के विरुद्ध ही कार्यवाही की गयी? क्या अधिकारी व बिचौलियों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की गई? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार अब इस गबन के जिम्मेदार अधिकारियों व बिचौलियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, हां। राज्य अन्वेषण ब्यूरो, राज. जयपुर द्वारा राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर के स्टेशनरी स्टोर में हुई अनियमितताओं की जांच की गई। जांच में 1,18,40,309.40 का गबन पाया गया।

(2) जी, हां। राज्य अन्वेषण ब्यूरो, राजस्थान जयपुर की जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषी कर्मचारियों/अधिकारियों को निलंबित किया जा चुका है। दोषी कर्मचारियों/अधिकारियों के प्रकरण राज्य अन्वेषण ब्यूरो

(यातायात मंत्री)

2. उस स्थान के आस-पास के मार्ग राष्ट्रीयकृत होने चाहिए।

वर्तमान में सवाई माधोपुर जिले के निम्नलिखित मार्ग ही राष्ट्रीयकृत हैं : —

1. टोंक-सवाईमाधोपुर वाया उनियारा अलीगढ़
2. बून्दी-लाखेरी-इन्द्रगढ़ वाया खाटकड़

शेष मार्ग राष्ट्रीयकृत नहीं हैं। वर्तमान में सवाईमाधोपुर में 15 वाहनें रात्रि विश्राम करती हैं एवं दूसरे दिन वहां से 15 वाहनों का संचालन प्रारम्भ होता है। अतः मात्र 15 वाहनों की संचालन व्यवस्था के लिये सवाईमाधोपुर में पृथक से आगार स्थापित किये जाने का कोई विचार नहीं है।

(2) जी, हां। बजरिया में बस स्टेण्ड है, निगम की बसें वहां तक ही संचालित हो रही हैं।

निगम द्वारा पूर्व में वाहनें सवाई माधोपुर शहर तक संचालित की गई थी लेकिन निम्न कारणों के कारण संचालन बन्द करना पड़ा : —

1. शहर में वाहनों के ठहराव हेतु स्थित स्टेण्ड पर्याप्त नहीं है।
2. वाहन खड़ी कर व घुमाने का स्थान नहीं है।
3. प्राईवेट सिटी बसों के स्वामी वाहनों को खड़ा नहीं होने देते हैं।
4. सिटी बसों के चालक/परिचालक द्वारा निगम वाहन के चालक/परिचालकों के साथ झगड़ा लड़ाई एवं मारपीट पर उतारू होते हैं।
5. मुख्य बाजार होने की वजह से मार्ग अवरुद्ध हो जाता है।

सवाई माधोपुर में रोडवेज बस स्टेण्ड बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन है। बस स्टेण्ड हेतु 10 बीघा भूमि जिलाधीश, सवाईमाधोपुर द्वारा आवंटित की गई है, जिसका कब्जा निगम द्वारा 2-9-98 को प्राप्त कर लिया गया है।

नसीराबाद-मांगलियावास मार्ग बस सेवा का नयागांव में ठहराव

446. श्री रमजान खान (पुष्कर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि नसीराबाद से मांगलियावास निगम की बसें चलती हैं ?

(2) क्या उक्त मार्ग पर ग्राम नयागांव आबाद है ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त ग्राम में लोकल बसों का ठहराव नहीं होने के कारण ग्रामवासियों को तीन किलोमीटर आगे-पीछे बस स्टेण्डों पर उतरना पड़ता है ?

(4) क्या निगम उक्त मार्ग पर नयागांव के नाम से बस स्टाप स्वीकृत करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी, हां। ब्यावर से नसीराबाद से मांगलियावास के बीच निगम की बसों का संचालन किया जा रहा है। वर्तमान में इस मार्ग पर 4 बसों द्वारा 24 परिचक्र संचालित किये जा रहे हैं इनके अतिरिक्त दो बसों द्वारा 2 एकल परिचक्र रात्रि में जोधपुर-ब्यावर-मांगलियावास-नसीराबाद-कोटा के बीच संचालित की जा रही है।

(यातायात मंत्री)

(2) जी, हां।

(3) जी, हां। ब्यावर से नसीराबाद के मध्य बिडकचियावास ग्राम की दूरी 32 कि.मी. है तथा उसके पश्चात् भीमपुरा गांव आता है एवं भीमपुरा व बिठुर के बीच नयागांव (कास्या) आबाद है। वर्तमान् में परिचालकों द्वारा बिठुर गांव का किराया चार्ज कर यात्री को नयागांव उतारा/चढ़ाया जाता है। इसी प्रकार नसीराबाद-ब्यावर वापसी पर बिड़कचियावास का टिकिट लेने पर यात्री को नयागांव उतारा जाता है।

नयागांव वर्तमान में घोषित प्रार्थना बस स्टाप से करीब तीन कि.मी. अन्दर स्थित है एवं केवल पगडंडी मात्र है जो वाहन संचालन योग्य नहीं है। गांव तक पक्की सड़क निर्माण के पश्चात् निगम बसों का संचालन सम्भव हो सकेगा।

(4) जनता एवं जन प्रतिनिधियों की मांग पर जनता की सुविधार्थ दिनांक 30-3-99 से ब्यावर आगार द्वारा ब्यावर-नसीराबाद मार्ग पर संचालित बस सेवाओं के लिए नयागांव को प्रार्थना बस स्टाप घोषित कर दिया गया है एवं चालक/परिचालकों को यात्रियों को नयागांव उतारने/चढ़ाने के लिए निर्देशित कर दिया गया है।

ब्यावर शहर का विचाराधीन परिवहन कार्यालय

447. श्री के. सी. चौधरी (ब्यावर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

क्या यह सही है कि ब्यावर शहर में परिवहन केम्प कार्यालय की कोई योजना विचाराधीन है? यदि हां, तो कब से और नहीं, तो क्या सरकार अब ऐसी योजना बनाने का विचार रखती है?

उत्तर

इस आशय का एक प्रस्ताव मार्च, 1999 से विभाग के विचाराधीन है। निकट भविष्य में सरकार प्रस्तावों पर विचार कर निर्णय लेगी।

प्रधानों एवं विकास अधिकारियों के विचाराधीन प्रकरण

448. श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) राजस्थान में कितने प्रधानों एवं विकास अधिकारियों के विरुद्ध कब-कब से अनियमितता के आरोप विचाराधीन हैं?

(2) क्या उक्त में से कुछ के विरुद्ध आरोप सिद्ध हो चुके हैं? यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान में प्रधानों एवं विकास अधिकारियों के विरुद्ध अनियमितता के आरोप विचाराधीन होने की स्थिति परिशिष्ट "अ" के अनुसार है।

(2) जिन प्रधानों एवं विकास अधिकारियों के विरुद्ध प्राथमिक जांच में आरोप सिद्ध होने पाये गये हैं। उनका विवरण परिशिष्ट "ब" के अनुसार है, इनके विरुद्ध विस्तृत विभागीय जांच कराई जा रही है।

(स्थिति एवं विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–8 देखें)

ग्राम पंचायत मलिकपुर एवं कुदन (सीकर) के निःशुल्क आवासीय पट्टे

449. श्री अमराराम (धोद) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

सीकर जिले की ग्राम पंचायत मलिकपुर (खण्डेला) एवं कुदन (सीकर) द्वारा वर्ष 1990 से फरवरी, 1999 तक कितने पट्टे आवासीय निःशुल्क तथा कितने पट्टे हरिजनों, पिछड़ों एवं अन्य को दिए गए? उक्त पट्टों से कितनी-कितनी राशि प्राप्त की गई? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

सीकर जिले की ग्राम पंचायत, मलिकपुर (खण्डेला) द्वारा वर्ष 1990 से फरवरी, 99 तक 10 आवासीय भूखण्डों के पट्टे निःशुल्क आंबटित किए गए जिनमें 6 पट्टे अ. जाति, 2 पट्टे पिछड़े वर्ग एवं 2 पट्टे अन्य व्यक्तियों को दिये गये तथा सामान्य वर्ग के 10 आवासीय भूखण्ड के पट्टे सःशुल्क आंबटित किये गये जिनसे कुल राशि रू. 2970/– प्राप्त की गई तथा उक्त अवधि में ग्राम पंचायत, कुदन (सीकर) द्वारा 150-150 वर्गगज भूमि के 7 आवासीय पट्टे निःशुल्क आबंटित किए गए जिनमें 2 पिछड़ा वर्ग एवं 5 अन्य को किए गये तथा 11 सशुल्क आवासीय पट्टे आंबटित किये गये जिनमें 1 अनु. जाति को, 3 पिछड़े वर्ग को एवं 7 सामान्य वर्ग को जारी किये गये जिनसे कुल राशि रुपये 5583/– प्राप्त की गई। विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–9 देखें)

पंचायत समिति माण्डल (भीलवाड़ा) द्वारा आवंटित आवासीय भू-खण्ड

450. श्री हफीज मोहम्मद (मांडल) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) पंचायत समिति मांडल (भीलवाड़ा) की किन-किन पंचायतों में गरीबी की रेखा से नीचे आने वाले व्यक्तियों को सरकार द्वारा आवासीय भू-खण्ड उपलब्ध करवाये गये? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त व्यक्तियों को भूखण्ड देने का क्या मानदण्ड रखा गया था?

(3) क्या यह सही है कि भूखण्ड प्राप्त करने वाले व्यक्तियों में से कुछ व्यक्ति सम्पन्न परिवारों के थे? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158(i) व (ii) में वर्णित मापदण्डों के अनुसार भूखण्ड आबंटित किये गये थे।

(3) जी, नहीं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

ग्राम पंचायत रायपुर (पाली) के चुंगी नाके के कर्मियों का समायोजन

451. श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(हीरासिंह चौहान)

(1) राज्य में जिला परिषद स्तर एवं पंचायत समितियों में कार्यरत कर्मचारियों की विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक गत 4 वर्षों में किस-किस जिला परिषद् में कब-कब हुई? जिलेवार बैठक तिथि की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत रायपुर जिला पाली में गत सात-आठ वर्षों से चुंगी नाके पर कार्यरत कर्मचारियों की सेवाएं पंचायत समिति रायपुर में सरकार के आदेश से दी गई है? यदि हां, तो क्या उनको कोई कार्य समिति द्वारा नहीं दिया जा रहा है? क्या सरकार उक्त कर्मचारियों की सेवाएं पंचायत समिति में समावेशित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जिला परिषदों एवं पंचायत समितियों में कार्यरत कर्मचारियों की गत 4 वर्षों में डी.पी.सी. की बैठक की तिथि की सूचना जिला परिषदवार परिशिष्ट "अ" के अनुसार सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी, नहीं। ग्राम पंचायत रायपुर में चुंगी नाके पर पूर्व में कार्यरत कर्मचारियों की सेवाएं पूर्व की भांति ग्राम पंचायत में ही ली जा रही हैं। चुंगी समाप्ति के पश्चात् अधिशेष हुए कर्मचारियों के समायोजन का प्रकरण राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट-10 देखें)

विधान सभा क्षेत्र जैतारण में अध्यापकों के रिक्त पद

452. श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र जैतारण में कुल कितने प्राथमिक विद्यालय कार्यरत हैं? सूची सदन की मेज पर रखें?

(2) उक्त विद्यालयों में अध्यापकों के कितने पद स्वीकृत हैं और उनमें से कितने पद रिक्त हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) अब उक्त रिक्त पद कब तक भर दिये जायेंगे?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र जैतारण में 105 प्राथमिक विद्यालय कार्यरत हैं। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) उक्त विद्यालयों में तृतीय श्रेणी अध्यापकों के 323 पद स्वीकृत हैं एवं उनमें से 27 पद रिक्त हैं। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) अध्यापकों की नियुक्ति का प्रकरण माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, निर्णयोपरान्त अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने की समुचित कार्यवही की जावेगी।

(सूचियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

जिला सिरोही की सम्बल ग्रामों में आवश्यक सुविधाएं

453. श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सम्बल योजना के तहत जिला सिरोही की पांच पंचायत समितियों में किन-किन गांवों का चयन किया गया है?

(श्री संयम लोढ़ा)

(2) उक्त गांवों में इसके तहत अब तक क्या आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं?

(3) उक्त ग्रामों में अब किन-किन कार्यों का कराया जाना प्रस्तावित है?

उत्तर

(1) सम्बल योजना के तहत सिरोही जिले की पंचायत समितियों में 39 गांवों का चयन किया गया है जिसकी सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) सम्बल ग्राम योजना के अन्तर्गत समाज कल्याण विभाग द्वारा सामुदायिक भवन का निर्माण करवाया जाता है। वर्ष 1997-98 में स्वीकृत 4 सामुदायिक भवनों में से एक भवन का कार्य पूर्ण हो चुका है दो भवनों का कार्य लगभग पूर्ण होने को है, एक भवन का कार्य प्रारम्भ करवाने के प्रयास किये जा रहे हैं। यातायात, पेयजल, विद्युतीकरण तथा चिकित्सा सुविधा एवं शैक्षणिक सुविधाएं संबंधित विभागों द्वारा उपलब्ध करवाई जाती हैं।

(3) वर्ष 1998-99 में गांव दत्तानी एवं बाड़का में सामुदायिक भवन स्वीकृत किये गये हैं। वर्ष 1999-2000 में भी दो और सम्बल ग्राम में सामुदायिक भवन स्वीकृत किया जाना प्रस्तावित है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-11 देखें).

ग्राम पंचायत रानीला एवं बिन्जारी (कोटा) की स्वीकृत सड़कें

454. डा. किरोड़ी लाल (बामनवास) : क्या विशिष्ट योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा वर्ष 1996-97 में एस. आर. वाई. योजनान्तर्गत बामनवास विधान सभा क्षेत्र में बिन्जारी, बपुई, थडौली एवं रानीला के लिये ग्रेवल सम्पर्क सड़कें स्वीकृत की गई थीं? यदि हां, तो स्वीकृति की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त सभी ग्रामों को ग्रेवल सम्पर्क सड़कों से भी नहीं जोड़ा गया है? यदि, हां, तो क्यों?

(3) क्या उक्त स्वीकृत राशि का पूर्ण उपयोग कर लिया गया है? यदि हां, तो उपयोगिता एवं पूर्णता प्रमाण-पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) ग्राम पंचायत रानीला एवं बिन्जारी को सड़क से जोड़े जाने हेतु आवश्यक राशि स्वीकृत कर कब से कार्य चालू कर दिया जाएगा?

उत्तर

(1) जी, हां। यह सही है कि सम्भागीय आयुक्त कोटा द्वारा वित्त वर्ष 96-97 में (एसआरवाई) सुनिश्चित रोजगार योजनान्तर्गत विधान सभा क्षेत्र बामनवास में बपुई, थड़ोली एवं रानीला के लिये ग्रेवल सम्पर्क सड़कों की स्वीकृति पत्रांक 127-30 दिनांक 24-1-97 द्वारा की गई थी (फोटो प्रति परिशिष्ट 1 पर संलग्न है।) स्वीकृति पत्र में वर्णित सड़क बिन्जारी विधान सभा क्षेत्र सवाईमाधोपुर में आती है। विधान सभा क्षेत्र बामनवास की ग्राम पंचायत मुख्यालय बिन्जारी की स्वीकृति अभिकरण के आदेश क्रमांक 2229 दिनांक 19-12-96 द्वारा सुनिश्चित रोजगार योजनानन्तर्गत की गई थी। फोटो प्रति परिशिष्ट 2 पर संलग्न है।

(विशिष्ट योजना संगठन मंत्री)

(2) सम्भागीय आयुक्त कोटा द्वारा बपुई, थड़ोली एवं रानीला में वर्ष 96-97 में जो उक्त स्वीकृतियां जारी की गई थी उनके विरुद्ध सु. रो. योजना में बजट के अभाव में कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं करवाई गई परन्तु इससे पूर्व अभिकरण सवाईमाधोपुर द्वारा उक्त सड़कों की स्वीकृति जारी कर निम्नानुसार सम्पर्क सड़कों का कार्य करवाया गया : —

1. सम्पर्क सड़क बिन्जारी —

इस सम्पर्क सड़क की कुल लम्बाई 3 किमी. है जिसके विरुद्ध वर्ष 94-95 में जे. आर. वाई. (1) योजनान्तर्गत 2 कि. मी. ग्रेवल सड़क का निर्माण कार्य करवाया गया जिसके विरुद्ध 1.5 कि.मी. ग्रेवल सड़क का निर्माण कार्य करवाया गया इसके पश्चात् अभिकरण द्वारा उक्त पूर्ण लम्बाई 3 कि.मी. की डब्लू.बी.एम. स्तर तक की सड़क वर्ष 96-97 में स्वीकृति जारी की गई, जिसका कार्य प्रगति पर है।

2. सम्पर्क सड़क बपुई —

ग्रेवल सड़क बपुई की कुल लम्बाई 9.50 कि.मी. तक जोड़ा जाना था। प्रारम्भ में स्वीकृत 6 कि.मी. सड़क के विरुद्ध इस सड़क पर 3 कि.मी. ग्रेवल सड़क का निर्माण कार्य सुनिश्चित रोजगार योजनान्तर्गत वर्ष 96-97 में कराया गया था शेष 3 कि.मी. से 9.50 कि.मी. तक की सड़क का निर्माण कार्य होना बाकी है। जिसका मुख्य कारण सड़क निर्माण में अधिक लागत आना एवं सुनिश्चित रोजगार योजनान्तर्गत सड़क मद में राशि उपलब्ध न होना रहा है। जबकि सड़क नीति के अनुसार सा.नि.वि. द्वारा विभागीय योजना में यह गांव शिशोलाव से डामर सड़क से जुड़ चुका है।

3. सम्पर्क सड़क थड़ोली -

इस सम्पर्क सड़क की कुल लम्बाई 7 कि.मी. है। जिसे वर्ष 95-96 व 96-97 में सुनिश्चत रोजगार योजना के तहत स्वीकृत किया गया था जिसमें से 6.5 कि.मी. ग्रेवल सड़क का निर्माण कार्य वर्ष 97-98 में हो चुका है। शेष 0.5 कि.मी. ग्रेवल सड़क कार्य दो स्थानों पर भूमि विवाद के कारण नहीं हो पाया है। उक्त 6.5 कि.मी. की निर्मित ग्रेवल सड़क पर 2.5 कि.मी. तक डब्ल्यू.बी.एम. का कार्य भी करा दिया है।

4. ग्रेवल सड़क रानीला—

इस सम्पर्क सड़क की कुल लम्बांई 6 कि.मी. है। प्रारम्भ में जेआरवाई–11 से 2.50 कि.मी. तक सड़क की स्वीकृति वर्ष 93-94 में दी जाकर 2 कि.मी. ग्रेवल सड़क का निर्माण कार्य वर्ष 94-95 में हो चुका है। शेष 4 कि.मी. का कार्य सुनिश्चित रोजगार योजना में बजट अभाव के कारण सम्भव नहीं हो सका परन्तु कृषि उपज मण्डी गंगापुरसिटी द्वारा वर्ष 98-99 से इस गांव को शहर गढखेड़ा से डामर सड़क से जोड़ने का कार्य प्रगति पर है।

(3) सम्भागीय आयुक्त कोटा से वर्ष 96-97 में प्राप्त स्वीकृतियों के विरुद्ध कोई व्यय एवं कार्य नहीं कराया गया परन्तु अभिकरण द्वारा पूर्व में जारी उक्त स्वीकृतियों के विरुद्ध किया गया व्यय का विवरण कार्यवार निम्नानुसार है तथा इनके यूसी/सीसी की प्रति उनके सामने अंकितानुसार सदन की मेज पर प्रस्तुत है :—

(विशिष्ट योजना संगठन मंत्री)

(राशि लाखों में)

क्र. सं.	कार्य का नाम	योजना	स्वीकृत वर्ष	स्वीकृत राशि	व्यय	किया गया कार्य	यू.सी.एवं सीसी	संलग्न परि. नं.
1.	ग्रेवल सड़क बिन्जारी	जरोयो सुरोयो	94-95 96-97	2.00 4.86	3.40 1.50	1.5 किमी. ग्रेवल एवं मिट्टी कार्य मिट्टी कार्य. प्रगति पर	यू. सी. यू. सी.	3 4
2.	ग्रेवल सड़क बपुई	जरोयो सुरोयो	94-95 96-97	6.00 4.79	1.21 4.88	2 किमी. मिट्टी कार्य 3 किमी. ग्रेवल कार्य	यू. सी. सी. सी.	5 6
3.	ग्रेवल सड़क थड़ोली	जरोयो सुरोयो	95-96 95-96	3.97 6.00	3.87 7.58	4 किमी. ग्रेवल कार्य 2.5 कि. मी. डब्लू.बी.एम. कुल 6 किमी. में ग्रेवल एवं 2.5 में डब्लू.बी.एम. कार्य	सी. सी. सी. सी.	7 8
4.	ग्रेवल सड़क राडीला	जुरोयो सुरोयो	94-85	2.50	2.45	2 किमी. ग्रेवल कार्य	यू. सी.	9

उपरोक्त सड़कों के कार्यों में स्वीकृत राशि व्यय हो जाने के फलस्वरूप सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किये गये हैं।

(4) सुनिश्चित रोजगार योजनान्तर्गत ग्राम रानीला का सड़क निर्माण कार्य सुनिश्चित रोजगार योजना के सड़क मद में राशि अभाव के कारण शेष 4 किमी. लम्बाई में नहीं कराया गया है परन्तु ग्राम रानीला को शहरगढ़ खेड़ा से रानीला तक डामर सड़क से जोड़ने का कार्य कृषि उपज मण्डी समिति गंगापुरसिटी द्वारा प्रगति पर है तथा ग्राम पंचायत बिन्जारी की राशि स्वीकृत है तथा कार्य वर्ष 1996-97 से प्रगति पर है।

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

सरपंच ग्राम पंचायत सेवा (जयपुर) द्वारा कराये गये कार्यों की गुणवत्ता की जांच

455. श्री कन्हैया लाल (बस्सी) : क्या विशिष्ट योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सरपंच, ग्राम पंचायत सेवा, पंचायत समिति, दूदू (जयपुर) द्वारा अपने कार्यकाल में कौन-कौन से निर्माण/विकास कार्य कितनी-कितनी राशि के कहां-कहां करवाए गये? क्या उक्त कार्यों में निर्धारित मानदण्डों के अनुसार सामग्री/मजदूरी का भुगतान किया गया है।

(2) उक्त निर्माण/विकास कार्यों में उपयोग में ली गई सामग्री की गुणवत्ता की जांच कब-कब किस-किस स्तर के अधिकारी

(श्री कन्हैया लाल)

द्वारा की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्तमान सरपंच, ग्राम पंचायत सेवा, पंचायत समिति दूदू द्वारा अपने कार्यकाल में कराए गए निर्माण कार्यों की सूची मय राशि के संलग्न है। उक्त कार्यों में सामग्री/मजदूरों का भुगतान निर्धारित मापदण्डों के अनुसार किया गया है।

(2) उक्त निर्माण/विकास कार्यों की माप/जांच समय-समय पर कनिष्ठ अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता द्वारा की गई है। जिसकी सूची संलग्न है।

(सूचियों के लिए कृपया परिशिष्ट-12 देखें)

जिला चूरू की स्वयं सेवी संस्थाओं को दी गई राशि

456. श्री रामसिंह कस्वां (सादुलपुर) : क्या विशिष्ट योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) जिला चुरू में कितनी स्वयं सेवी संस्थाएं कार्यरत हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) गत पांच वर्षों में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण चुरू द्वारा विभिन्न योजनाओं में किस-किस स्वयं सेवी संस्थाओं को कितनी-कितनी राशि कब-कब किस कार्य के लिए दी गई? उसमें से संस्थाओं ने सौंपे गये कार्य कब-कब सम्पन्न कराये?

(3) स्वयं सेवी संस्थाओं से कार्य सम्पन्न कराने के बारे में भारत सरकार ने क्या-क्या निर्देश जारी किये हैं? प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त संस्थाओं को अनुदान देते समय किसी प्रकार का अनुबन्ध किया गया? यदि हां, तो उसकी पालना किस सीमा तक की गई?

(5) जिन संस्थाओं को अनुदान दिया गया उनके पदाधिकारी कौन-कौन हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सहकारी संस्था रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत पंजीकृत कुल 1005 हैं।

(2) (अ) जल ग्रहण योजनान्तर्गत 7 स्वयं सेवी संस्थाओं को कार्य स्वीकृत किया गया है, इन सातों संस्थाओं को प्रशासनिक व्यय, सामुदायिक संगठन, प्रशिक्षण एवं प्रवेश बिन्दु कार्य हेतु कुल 13.50 लाख रु. वर्ष 96-97 एवं वर्ष 98-99 में हस्तान्तरित किये गये हैं। संस्थाओं की सूची एवं पूर्ण विवरण परिशिष्ट–क पर संलग्न है।

(ब) ट्राइसम योजनान्तर्गत गत पांच वर्षों में 10 संस्थाओं को प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु कुल 7,90,826 रु. हस्तान्तरित किये गये हैं। योजनान्तर्गत स्वीकृत वर्ष में ही संस्थाओं द्वारा प्रशिक्षण कार्य पूरा किया गया है। संस्थावार विस्तृत विवरण परिशिष्ट-ख पर संलग्न है।

(3) भारत सरकार द्वारा स्वयं सेवी संस्थाओं से कार्य करवाने हेतु पृथक् से कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किये गये हैं। राज्य सरकार द्वारा प्रदत्तर निर्देश निम्नानुसार हैं : —

(i) स्वयं सेवी संस्था पंजीकरण अधिनियम, 1958 या कोपरेटिव सोसायटी एक्ट या इण्डियन ट्रस्ट व चेरिटेबिल ट्रस्ट एक्ट, 1920 के तहत कम से कम 3 वर्ष पूर्व से ही पंजीकृत होनी चाहिए।

(विशिष्ट योजना संगठन मंत्री)

(ii) स्वयं सेवी संस्था को सम्बन्धित कार्य में तीन वर्ष का कार्य क्षेत्र का अनुभव होना चाहिए।

(iii) स्वयं सेवी संस्था की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ होनी चाहिये, एवं उसके पास तकनीकी स्टाफ उपलब्ध होना चाहिए।

(iv) स्वयं सेवी संस्था गैर राजनीतिक होनी चाहिए एवं किसी धर्म विशेष से सम्बन्धित नहीं होनी चाहिये। प्रति संलग्न है (परिशिष्ट–"ग")

(4) (अ) उक्त संस्थाओं को अनुदान देने से पहले (जलग्रहण योजनाओं में) अनुबंध विशिष्ट योजनाएं एवं एग्रावि. विभाग द्वारा जारी सितम्बर, 1994 के दिशा निर्देशों में दिये गये निर्धारित प्रारूप में किया गया है। प्रारूप की प्रति संलग्न है। अनुबन्ध की पालना शत-प्रतिशत की गई है। (परि. "घ")

(ब) ट्राइसम योजनाओं में संस्थाओं से किसी प्रकार के अनुबन्ध किये जाने का प्रावधान नहीं है।

(5) (अ) जल ग्रहण योजनान्तर्गत कार्यरत स्वयं सेवी संस्थाओं के पदाधिकारियों की सूची परिशिष्ट "च" पर संलग्न है।

(ब) ट्राईसम योजनान्तर्गत कार्यरत स्वयं सेवी संस्थाओं के पदाधिकारियों की सूची परिशिष्ट "छ" पर संलग्न है।

(सूचियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

जिला बारां की सड़कों का मरम्मत प्रकरण

457. श्री मदन दिलावर (अटरू) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) चालू वर्ष में बारां जिले की सड़कों की मरम्मत हेतु कितनी राशि की आवश्यकता थी तथा 1 दिसम्बर, 98 से आज तक कितनी राशि का आवंटन कर स्वीकृति जारी की जा चुकी है?

(2) क्या यह सही है कि उक्त स्वीकृत राशि से सड़कों की मरम्मत हेतु निविदायें आमंत्रित की जा चुकी हैं? उक्त में से कितनी सड़कों की मरम्मत हेतु कार्यादेश दिए जा चुके और कितनी सड़कों पर कार्य प्रारम्भ हो गये तथा कितने पूर्ण हो चुके हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या दिसम्बर, 1998 के बाद अटरू से छबड़ा, क्वाई से छीपा बडौद, अटरू से बपावरकलां, अटरू से खानपुर, मेरमाचाह से कुन्जेड वाली सड़कों की मरम्मत की स्वीकृति जारी कर दी गई है? यदि हां, तो कितना कार्य पूर्ण हो गया और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) वित्तीय वर्ष 1998-99 में बारां जिले की सड़कों की मरम्मत हेतु 143.00 लाख रुपये की आवश्यकता थी जिसे व्यय करने के लिये अधिकृत किया गया था। एक दिसम्बर, 98 से आज तक पृथक से ना ही कोई राशि का आबंटन किया गया है और ना ही कोई स्वीकृति जारी की गई है।

(2) जी नहीं। क्योंकि वर्ष 1998-99 में एक दिसम्बर, 98 के बाद सड़कों की मरम्मत हेतु कोई राशि स्वीकृत नहीं की गई थी। वर्ष 1999-2000 में सड़क मरम्मत के नये प्रस्तावित कार्यों के लिये बतौर अग्रिम कार्यवाही निविदायें आमंत्रित की गई थीं, परन्तु वित्तीय स्वीकृति

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

के अभाव में निविदायें प्राप्त नहीं की गईं। अतः कोई कार्यादेश भी नहीं दिया गया।

(3) जी, नहीं, 1 दिसम्बर, 1998 के बाद अटरू से छबड़ा, क्वाई से छीपा-बड़ौद, अटरू से बपावरकलां, अटरू से खानपुर, मेरमाचाह से कुन्जेड वाली सड़कों की मरम्मत की स्वीकृति जारी नहीं हुई है। अटरू से छबड़ा सड़क किमी. 124/0 से 126/0 (2 किमी.) में 8.00 लाख रुपये की लागत का एवं अटरू से बपावरकलां सड़क पर किमी. 83/0 से 88/0 (5 किमी.) में 15.00 लाख रुपये की लागत के कार्य योजना मद में सड़क सुधार कार्यक्रम के तहत वर्ष 1999-2000 में प्रस्तावित है।

बेडच (उदयपुर) नदी का टोल-टैक्स प्रकरण

458. **श्री गुलाब चन्द कटारिया** (बड़ी सादड़ी) :-क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या उदयपुर-मंगलवाड मुख्य मार्ग पर दरोली एवं डबोक के बीच कुछ वर्षों पूर्व एक नदी (बेडच) पर पुल का निर्माण कराया गया था? यदि हां, तो कब एवं उस पर कितनी राशि व्यय हुई?

(2) क्या सरकार ने उक्त राशि के लिये टोल टैक्स लगाया? यदि हां, तो प्रथम बार कब इसका टेन्डर किया? उक्त टेन्डर किस के नाम से एवं कितनी राशि के लिये स्वीकृत हुआ?

(3) क्या उक्त पुल हेतु समय-समय पर और टेन्डर आमंत्रित किये गये? यदि हां, तो टेन्डर की प्रक्रिया की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) सरकार टोल टैक्स क्यों लगाती है? क्या उक्त पुल पर लगाया टोल टैक्स नियमानुसार समाप्त हो जाना चाहिये था? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी, हां। उदयपुर मंगलवाड सड़क मार्ग पर दरोली एवं डबोक के मध्य बेडच नदी पर संस्थागत वित्त पोषित योजना के अन्तर्गत पुल निर्माण कराया गया था। इस पुल का निर्माण माह जुलाई, 1996 में पूर्ण हो गया था। इस पुल के निर्माण में मूल लागत, ब्याज एवं अन्य खर्चों सहित कुल राशि 440.92 लाख व्यय हुई। इसी योजना के अन्तर्गत, राज्य सरकार की स्वीकृति के अनुसार इस पुल को डबोक से मंगलवाड को जोड़ने वाली सड़क पर सुधार कार्य भी कराये गये जिस पर मूल लागत, ब्याज एवं अन्य खर्चों सहित रुपये 193.02 लाख व्यय होना अपेक्षित है। अतः उक्त पुल के निर्माण एवं सड़क सुधार कार्य में कुल लागत मय ब्याज व अन्य खर्चों सहित राशि रुपये 633.94 लाख व्यय होना अपेक्षित है।

(2) जी, हां। राज्य सरकार के नियमानुसार उक्त राशि की वसूली के लिये टोल टैक्स लगाया गया। प्रथमवार दिनांक 10-7-96 को एक वर्ष की अवधि के लिये टोल टैक्स वसूलने हेतु खुली नीलामी का नियमानुसार टेण्डर किया गया। उक्त टेण्डर श्री रामेश्वर प्रसाद गर्ग निवासी हिन्डोन सिटी के नाम से उच्चतम बोली रुपये 110.001 लाख (एक सौ दस लाख, एक सौ रुपये मात्र) स्वीकृत किया गया।

(3) जी, हां। टोल टैक्स की वसूली के लिये समय-समय पर खुली नीलामी के टेण्डर आमंत्रित किये गये। प्रथम नीलामी

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

के बाद, द्वितीय नीलामी दिनांक 26-7-97 को एक वर्ष की अवधि (26-8-97 से 25-8-98 तक) के लिये तथा तृतीय बार दिनांक 9-9-98 को एक वर्ष की अवधि (27-9-98 से 26-9-99 तक) के लिये टेण्डर किये गये। इसके अतिरिक्त विभागीय स्तर पर भी टोल टैक्स की वसूली कुछ समय के लिये की गई। राज्य सरकार द्वारा पुल निगम को टोल टैक्स वसूलने के लिये अधिकृत किया गया था। नीलामी के टेण्डर की प्रक्रिया के अन्तर्गत नीलामी की सूचना दो राज्य स्तरीय व एक राष्ट्रीय स्तर के दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाती है। नियत तिथि पर निविदादाता खुली नीलामी की बोली एक निर्धारित समिति के समक्ष लगाते हैं। उच्चतम बोली, राज्य हित के अनुरूप होने पर समिति इसकी स्वीकृति की अभिशंषा, निगम के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक को कर देती है। निगम अध्यक्ष की स्वीकृति मिलने के उपरान्त, निविदा की शर्त के अनुसार, निविदादाता को उच्चतम बोली की 10 प्रतिशत राशि (धरोहर राशि) तत्काल जमा करानी होती है, प्रथम किश्त $17\frac{1}{2}$ प्रतिशत एवं अन्य 11 किश्तें 7.5 प्रतिशत के हिसाब से जमा कराने के लिये उच्चतम बोली वाले निविदादाता को अनुबंधित कर लिया जाता है।

(4) राज्य सरकार के राज पत्र (विशेषांक) दिनांक 29.10.1994 के अनुसार जिस योजना का निर्माण संस्थागत ऋण, बी.ओ.टी. एवं नये कार्य रुपये 50.00 लाख व सुधार कार्य रुपये 75.00 लाख से अधिक लागत पुल निर्माण एवं अन्य निर्माण कार्यों पर टोल टैक्स लगाया जाता है। जी नहीं। उक्त पुल पर लगाया गया टोल टैक्स नियमानुसार पूर्ण लागत रु. 633.94 लाख की वसूली के बाद, समाप्त होना प्रस्तावित है।

विधान सभा क्षेत्र खारची सड़क विहीन ग्राम

459. श्री केसाराम चौधरी (खारची): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) विधान सभा क्षेत्र खारची में ऐसे कितने गांव हैं जो पंचायत मुख्यालय/तहसील मुख्यालय सड़क मार्ग से जुड़े हुए नहीं हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार इन गांवों को विभिन्न योजना में प्राथमिकता देकर सड़कों से जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र खारची में ऐसे 52 गांव हैं जो पंचायत मुख्यालय/तहसील मुख्यालय से सड़क मार्ग से जुड़े हुए नहीं हैं। ऐसे गांवों की सूची संलग्न प्रपत्र "क" में अंकित है।

(2) उपरोक्त सभी गांवों की 1991 की जनसंख्या 1000 से कम होने के कारण इन्हें जोड़ना सड़क नीति के प्रावधान में नहीं आता है, अतः सीमित संसाधनों के दृष्टिगत इन्हें अभी जोड़ना प्रस्तावित नहीं है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-13 देखें)

पीसांगन से रिछमालिया सड़क का डामरीकरण

460. श्री रमजान खान (पुष्कर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(श्री रमजान खान)

क्या पीसांगन से रिछमालिया तक सड़क पर डामरीकरण की स्वीकृति हो चुकी है? यदि हां, तो उक्त सड़क पर कार्य शुरू नहीं होने के क्या कारण हैं? अब कब तक उक्त सड़क का कार्य शुरू करवा दिया जाएगा?

उत्तर

जी, हां। पीसांगन से रिछमालिया तक 8.00 कि.मी. लम्बी सड़क में से 5.00 कि.मी. लम्बाई में डामरीकरण कार्य की स्वीकृति वर्ष 96-97 में दिनांक 22.10.96 को एम.एन.पी. योजना में 6.00 लाख रुपये के लिये हो चुकी है। डामरीकरण की स्वीकृति इस बात को ध्यान में रखते हुए की गयी थी कि मैटल स्तर तक का सड़क निर्माण जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की योजनाओं के तहत पूर्ण करवा लिया जायेगा।

उक्त सड़क 6.00 कि.मी. लम्बाई में मेटल स्तर तक सड़क निर्माण हेतु आश्वासित रोजगार योजना के तहत 11.00 लाख रुपये की स्वीकृति जिला विकास अभिकरण द्वारा दिनांक क्रमशः 21-5-95 (3.00 लाख), 15-7-96 (3.00 लाख) एवं 9-6-97 (5.00 लाख) की जारी की गयी है। इस स्वीकृति के विरुद्ध कि.मी. 0/0 से 4/0 तक दो लेयर मैटल कार्य एवं कि.मी. 4/0 से 6/0 तक एक लेयर मैटल का कार्य पूर्ण करवाया जा चुका है। उक्त सड़क के शेष 2 कि.मी. (6/0 से 8/0) में मैटल स्तर तक एवं कि.मी. 4/0 से 6/0 में दूसरी मैटल लेयर का सड़क निर्माण कार्य अकाल राहत सम्वत् 2055 के तहत 10.00 लाख रुपये की स्वीकृति दिनांक 28.10.98 को प्राप्त हुई है एवं इस स्वीकृति के विरुद्ध कार्य प्रगति पर है। चूंकि मैटल स्तर तक सड़क निर्माण हेतु स्वीकृतियां डामरीकरण की स्वीकृति के बाद विलम्ब से जारी हुई है, अतः मैटल स्तर तक सड़क निर्माण अभी तक भी पूर्ण नहीं होने के कारण डामरीकरण का कार्य शुरू नहीं किया जा सका है। परन्तु अब डामरीकरण का कार्य शीघ्र प्रारम्भ करवाकर जून, 1999 तक 5.00 कि.मी. लम्बाई में डामरीकरण (सरफेस पेंटिंग) का कार्य पूर्ण कर दिया जावेगा।

विधान सभा क्षेत्र श्रीगंगानगर में सड़क निर्माण

461. श्री राधेश्याम गंगानगर (गंगानगर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र श्रीगंगानगर में कितने गांव सड़क विहीन हैं? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त क्षेत्र में सड़क विहीन गांवों की सड़क से दूरी कितनी है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) अब सरकार उक्त गांवों में सड़क सुविधा कब तक उपलब्ध कराने का विचार रखती है?

(4) उक्त क्षेत्र की कितनी सड़कें खराब हैं और उनकी मरम्मत कब तक करा दी जायेगी?

उत्तर

(1) श्री गंगानगर विधान सभा क्षेत्र में 11 गांव सड़क से जुडे हुए नहीं हैं। सूची संलग्न है प्रपत्र "अ"।

(2) 11 सड़क विहीन गांवों की सड़क से दूरी संलग्न सूची में दर्शायी गई है। सूची संलग्न है। प्रपत्र "ब"।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(3) उपरोक्त सभी 11 गांवों की जनसंख्या 1991 की जनगणना पर 1000 से कम होने के कारण इन्हें जोड़ना सड़क नीति के प्रावधान में नहीं आता है। अतः सीमित वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत इन्हें जोड़ना अभी प्रस्तावित नहीं है।

(4) उक्त विधान सभा क्षेत्र की खराब 4 सड़कों की मरम्मत हेतु योजना मद 1999-2000 में 65.00 लाख सड़क सुधार कार्यक्रम में 4 किलोमीटर लम्बाई के लिए तथा सड़क मरम्मत मद में 8.00 लाख रुपये 2 किलोमीटर लम्बाई के लिए प्रस्तावित है। राष्ट्रीय उच्च॰ मार्ग नं.-15 किलोमीटर 244/250 व 248/650 तक की मरम्मत करा दी गई है शेष कार्य प्रगति पर है जो कि अप्रैल, 1999 तक पूरे करा दिये जायेंगे।

(सूचियों के लिए कृपया परिशिष्ट-14 देखें।)

विधान सभा क्षेत्र चूरू की सड़कों की मरम्मत

462. श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या चूरू शहर में राज्य सभा के सांसद द्वारा मंडी चौराहे से बुटिया रोड़ तक सड़क निर्माण हेतु राशि कब प्रदान की गई थी? सड़क निर्माण हेतु निविदाएं कब आमंत्रित की गईं और सड़क निर्माण कार्य अपूर्ण क्यों छोड़ा गया?

(2) उक्त शहर में वर्ष 1998-99 व 1999-2000 में कितनी सड़कें निर्बंध योजना, 32 जिला 32 काम, सांसद कोष, विधायक कोष में स्वीकृत की गई, कितने का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया, कितना शेष है? उक्त निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं होने या अधूरा रहने पर क्या दोषी अभियंता/ठेकेदार के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई? यदि हां, तो क्या, और कब?

(3) क्या सरकार पंखा चौराहा से तारानगर रोड़ की मरम्मत व ऊपर उठाकर पुनर्निर्माण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(4) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र की खराब संपर्क, सड़कें यथा नाकरासर, लादडिया, भामासी धांधु, राणासर, पोटी की मरम्मत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(5) क्या सरकार जिला मुख्यालय की तारानगर / सरदारशहर / सादुलपुर को जोड़ने वाली खराब हाल सड़कों की मरम्मत करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) सड़क निर्माण कार्य गढ़ से छोटू रैगर के मकान तक (सिंधी पार्क, चूरू बूटियां सड़क तक) सड़क पर डामर कार्य तथा स्ट्रेथनिंग कार्य (1400 मीटर) के निर्माण हेतु राशि रुपये 10.00 लाख की सांसद कोटा (राज्य सभा) में 30-5-98 को स्वीकृत की गई थी उक्त सड़क निर्माण हेतु निविदाएं 4-7-98 को प्राप्त की गईं, कार्य प्रगति पर है व इसको जून, 99 तक पूर्ण कर दिया जायेगा।

(2) चूरू शहर में वर्ष 1998-99 में विभिन्न योजनाओं में स्वीकृत सड़कों की स्थिति मय कार्य के पूर्ण होने व शेष रहे कार्यों का विवरण परिशिष्ट "क" में संलग्न है। वर्ष 1999-2000 में कोई सड़क कार्य स्वीकृत नहीं किया गया। कोई भी अभियन्ता/ठेकेदार दोषी नहीं है। अतः

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

किसी के विरुद्ध कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

(3) पंखा, चौराहे से तारानगर रोड (बागला, हायर सैकेण्डरी स्कूल तक) यातायात को चालू करने के लिये आवश्यक साधारण मरम्मत कर दी गई है सड़क को ऊंचा उठाकर पुनर्निर्माण का कार्य करवाने के लिये राशि 14.37 लाख रुपये की आवश्यकता है। सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण अभी प्रस्तावित नहीं है।

(4) जी, हां। वर्णित सड़कों की मरम्मत का कार्य जून, 99 तक पूर्ण करवा दिया जायेगा।

(5) जी, हां। वर्णित सड़कों पर यद्यपि गत वर्ष मरम्मत कार्य करवा दिया गया था। ये सड़कें ठीक हालत में है। मरम्मत कार्य एक निरन्तर प्रक्रिया है इसके अन्तर्गत जून, 99 तक आवश्यकतानुसार पुनः मरम्मत कार्य करवा दिया जायेगा।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-15 देखें)

विधान सभा क्षेत्र छबड़ा में सड़क निर्माण

463. श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) विधान सभा क्षेत्र छबड़ा में कौन-कौन से सड़क निर्माण कार्य वर्तमान में बंद हैं?

(2) उक्त कार्य बंद होने के क्या कारण हैं और अब किस तिथि तक चालू कर दिए जाएंगे?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र छबड़ा में वर्तमान में कडियावन से कोटडी सड़क का निर्माण कार्य बंद हैं।

(2) उक्त कार्य संवेदक द्वारा कार्य अधूरा छोड़ दिये जाने के कारण बन्द है। अनुबन्ध अनुसार संवेदक के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही कर शेष कार्य के लिये पुनः निविदायें दिनांक 24 मार्च, 1999 को प्राप्त कर ली गई हैं। निविदाएं स्वीकृत होने के उपरान्त कार्य प्रारम्भ करवा दिया जावेगा।

ग्राम नाल बमोरी (बारां) की सड़क मरम्मत

464. श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि बारां जिले के ग्राम नाल बमोरी में सड़कों पर पानी भरे रहने व गहरे गड्ढे के कारण रास्ते खराब हैं?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त रास्ते को ठीक करने के लिए ग्रामवासियों व जन प्रतिनिधियों के द्वारा शिकायतें की गई हैं? यदि हां, तो उन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो उसके लिये कौन दोषी है?

(3) क्या सरकार उक्त रास्तों को ठीक करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी, हां। बारां जिले के ग्राम माल बमोरी में सड़कों पर मकानों एवं बरसात का पानी आकर इकट्ठा हो जाता है जिससे सड़क पर गड्ढे पड़ जाने के कारण रास्ता खराब रहता है।

(2) जी, हां। ग्रामवासियों एवं जनप्रतिनिधियों से प्राप्त शिकायतों को मध्य नजर रखते हुये विभाग के पास उपलब्ध मरम्मत मद के आधार पर सड़क पर पड़े

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

गड्ढों की मरम्मत पर अस्थाई समाधान समय-समय पर किया जाता रहा है। उक्त सड़क पर पानी के निकास की व्यवस्था न होने के कारण डामर की सड़क में निरन्तर पड़ने वाले गड्ढों की समस्या के समाधान हेतु ग्राम माल बमोरी में खरंजा निर्माण हेतु वर्ष 1999-2000 में योजना मद में 8 लाख रुपये की लागत का कार्य प्रस्तावित है। अतः इसके लिये कोई दोषी नहीं है।

(3) जी, हां। वर्ष 1999-2000 में यह कार्य करवाया जाना प्रस्तावित है।

तहसील नावां के ग्रामों में सड़क निर्माण

465. श्री हरिशचन्द (नावां) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि तहसील नावां के ग्राम लूनवा से मून्दगसोई तक डामर सड़क बनाना, चितावा से घाटवा के बीच सड़क का डामरीकरण करना, देवली से रपट का निर्माण करना आदि कार्य स्वीकृत हैं? यदि हां, तो कितनी-कितनी राशि के? उक्त कार्य किन ठेकेदारों द्वारा करवाये जा रहे हैं?

(2) नावां से ग्राम खाकड़दी के लिए सड़क निर्माण हेतु कितनी राशि स्वीकृत हुई थी अब तक कितनी राशि व्यय की गई है? क्या सरकार इसे पूर्ण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी, हां। स्वीकृत सड़क भाग का नाम स्वीकृत राशि एवं ठेकेदार जिससे कार्य करवाया जा रहा है, का विवरण परिशिष्ट "क" में अंकित है।

(2) नावां से ग्राम खाकडदी के लिये सड़क किमी. 6/0 से 13/0 निर्माण हेतु 42.00 लाख बी.एम.एस.पी. योजना में एवं किमी. 0/0 से 2/500 में सड़क निर्माण हेतु 9.00 लाख आश्वासित रोजगार योजना में स्वीकृत हुये हैं। किमी. 2/500 से 6/0 तक सड़क निर्माण हेतु कोई स्वीकृति उपलब्ध नहीं है। माह 2/99 तक 12,37,498/- रुपये बी.एम.एस.पी. योजना में व्यय किये गये हैं तथा आश्वासित रोजगार योजना के अन्तर्गत डी.आर.डी.ए. से राशि प्राप्त होने के अभाव में कार्य प्रारम्भ ही नहीं किया गया। इस सड़क का निर्माण सड़क विकास नीति अनुसार नवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत संसाधनों की उपलब्धता अनुसार पूर्ण कराने का विचार रखती है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-16 देखें)

विधान सभा क्षेत्र जैतारण की विचाराधीन सड़कें

466. श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र जैतारण में कौन-कौन से मार्गों की मैटल सड़कें कितनी-कितनी लागत की किस योजना के तहत स्वीकृत हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें?

(2) क्या उक्त सभी कार्य पूर्ण हो गये हैं? यदि नहीं, तो कब तक पूर्ण करवाये जायेंगे?

(3) क्या सरकार उक्त क्षेत्र की गरनिया से राणीवाल, गरणिया से राजादण्ड, धनेरिया से कठमोर, बलाड़ा से राबडियावास गांव के मध्य डामर सड़क स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र जैतारण में वर्तमान में 5 मैटल सड़कें सुनिश्चित रोजगार योजना के तहत 24.58 लाख रु. एवं 1 मैटल सड़क निर्बन्ध राशि योजना के तहत रुपये 2.10 लाख की स्वीकृत है कार्यवार विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी, नहीं। संलग्न विवरण परिशिष्ट "अ" के अनुसार सुनिश्चित रोजगार योजना के तहत पांच सड़कों के कार्य प्रगति पर हैं जिसमें 4 कार्य मई, 99 तक पूर्ण होने प्रस्तावित हैं तथा एक कार्य अप्रेल, 99 में पूर्ण होना प्रस्तावित है। शेष एक कार्य निर्बन्ध राशि योजना के तहत मैटल सड़क का पूर्ण हो चुका है।

(3) सड़क नीति के प्रावधान में आने के कारण गरणिया से राणीवाल, गरणिया से राजादण्ड, धनेरिया से कठमोर को नवीं पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता अनुसार डामर सड़क से जोड़ने हेतु प्रस्तावित कर दिया जावेगा। बलाड़ा से राबडियावास मिसिंग लिंग है, इसे जोड़ना सड़क नीति के प्रावधानों में नहीं आता। अतः सीमित वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत इसे जोड़ना प्रस्तावित नहीं है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट-17 देखें)

तहसील उदयपुरवाटी (झुंझुनूं) के सड़कविहीन ग्राम

467. श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि वर्तमान सड़क नीति के अन्तर्गत रेगिस्तानी क्षेत्रों के जिलों में सात सौ पचास तक की आबादी वाले गांवों को सड़कों से जोड़ने की योजना है ?

(2) यदि हां, तो झुंझुनूं जिले की उदयपुर वाटी तहसील के गांव कैरोठ, बासबिसना, श्योनाथपुरा, गुमाना का बास, भौजगढ़, ढ़ाणी खेदड़ा, बडकी ढ़ाणी, बासड़ी, बिजारणियों की ढ़ाणी व नांगली आदि गांव जिनकी आबादी सात सौ पचास तथा एक हजार से ऊपर है को सड़क से जोड़ने की क्या योजना है तथा अब कब तक इनको सड़कों से जोड़ दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां, सड़क विकास नीति अनुसार नवीं पंचवर्षीय योजना के विरल रूप से आबाद मरुक्षेत्र एवं जनजातीय क्षेत्र 750 से अधिक जनसंख्या (1991 की जनगणना) के सभी गांवों को सड़कों से जोड़ना प्रस्तावित है।

(2) मरु क्षेत्र के झुंझुनूं जिले की उदयपुरवाटी तहसील के गांव कैरोठ (948/1991), बास बिसना (857/1991), श्योनाथपुरा (783/1991), गुमाना का बास (774/1991), भोजगढ़ (822/1991), बड़ की ढाणी (836/1991), को नवीं पंचवर्षीय योजना में सड़क से जोड़ा जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता अनुसार प्रस्तावित है। ग्राम बासडी (729/1991) के लिये सड़क निर्माण सड़क विकास नीति के अन्तर्गत नहीं आता है। क्योंकि इसकी आबादी 1991 की जनगणना पर 750 से कम है। ग्राम बीजारणियों की ढाणी पूर्व में ही डामर सड़क से जुड़ा हुआ है। ग्राम नांगली गुजरान एवं ढाणी खेदड़, जिसकी आबादी 1991 की जनगणना पर 1000 से ज्यादा है, के लिये डामर सड़क का निर्माण नवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक वित्तीय

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार किया जाना प्रस्तावित है।

विधान सभा क्षेत्र चौमू के ग्रामों की सड़क मरम्मत

468. श्री भगवान सहाय सैनी (चौमू) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) विधान सभा क्षेत्र चौमू की सामोद से बांसा-कुशलपुरा-चीथवाड़ी मोड़ की सड़क का निर्माण कब किया गया था?

(2) क्या यह सही है कि सुप्रसिद्ध बांसा बाग में काफी मात्रा में विदेशी-देशी पर्यटक आते हैं, जिससे राज्य को विदेशी मुद्रा की आय होती है?

(3) क्या यह सही है कि उक्त सड़क काफी क्षतिग्रस्त हो चुकी है?

(4) क्या सरकार उक्त सड़क को ठीक कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक एवं नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र चौमू में सामोद में बांसा-कुशलपुरा चीथवाड़ी मोड़ तक डामर सड़क की लम्बाई 6 किमी. है, जिसका निर्माण वर्ष 1985-86 में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किया गया था।

(2) जी, हां।

(3) वर्ष 98-99 में सड़क मरम्मत मद में सीमित संसाधनों की उपलब्धता एवं सड़कों की आपसी प्राथमिकताओं के कारण आपेक्षित मरम्मत का कार्य नहीं कराया जा सका है।

(4) जी, हां। वर्ष 1999-2000 में सड़क मरम्मत मद में उपलब्ध संसाधनों एवं प्राथमिकताओं के अनुसार इस सड़क पर साधारण मरम्मत का कार्य किया जाना प्रस्तावित है।

धौलपुर का चम्बल नदी पुल निर्माण प्रकरण

469. श्री जसवन्त सिंह (बाड़ी) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) जिला धौलपुर में ए. डी. एफ. योजना के तहत सेवरपाली ग्राम के निकट चम्बल नदी पर बनाये जाने वाला पुल कब तक पूर्ण हो जायेगा?

(2) क्या यह सही है कि उक्त पुल पर लगभग 9 करोड़ रुपया व्यय किए जाने के बाद पुल का कार्य जुलाई, 1996 में बन्द कर दिया गया?

(3) क्या उक्त पुल के निर्माण कार्य में तकनीकी खामियां हैं?

(4) क्या सरकार को पुल निर्माण में हुई अनियमितता के संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो कब-कब? क्या उक्त शिकायतों की जांच कराई गई? यदि हां, तो जांच में दोषी पाए गए लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है?

उत्तर

(1) इस पुल की संशोधित निर्माण लागत की स्वीकृति राज्य सरकार के विचाराधीन है एवं वित्तीय स्वीकृति पश्चात् ही पूरा कराना सम्भव हो सकेगा।

(2) उक्त पुल पर कुल 703 लाख रुपये खर्च किये जा चुके हैं एवं कार्य अगस्त, 96 से संशोधित स्वीकृति के अभाव में स्थगित है।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(3) इस पुल के निर्माण कार्य में कोई तकनीकी खामी नहीं थी, लेकिन अगस्त, 1996 में अप्रत्याशित बाढ़ आ जाने के कारण उच्चतम जलस्तर 216 मीटर के बजाय 219.30 मीटर मापा गया, इसी के अनुकूल इसका डिजाइन बदलना विचाराधीन है।

(4) जी, नहीं। इस पुल के निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार सम्बन्धित कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई तो जांच कराने की गुंजाइश ही नहीं थी।

न्यायालयों में पी. जी. व एजी. पी. की नियुक्ति

470. श्री मदन दिलावर (अटरू) : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या दिसम्बर, 1998 के बाद सरकार ने अदालतों में सरकारी पक्ष रखने के लिये वकीलों में से पी. जी. व एजी. पी. की नियुक्ति की है? यदि हां, तो एक दिसम्बर, 1998 के बाद कहां-कहां से पी. जी. व ए. जी. पी. हटाये गये?

(2) उक्त के बदले कहां-कहां किस को पी. जी. व एजी. पी. नियुक्त किया गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त पदों पर नियुक्ति करने का क्या मानदण्ड है? आदेशों निर्देशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) दिसम्बर, 1998 के बाद राज्य सरकार द्वारा अदालतों में लोक अभियोजक/अपर लोक अभियोजक/विशिष्ट लोक अभियोजक की, की गई नियुक्तियों को संलग्न सूची के कालम संख्या–2 में दर्शाया गया है तथा हटाये गये लोक अभियोजक/अपर लोक अभियोजक/विशिष्ट लोक अभियोजक को नवनियुक्त लोक अभियोजक/अपर लोक अभियोजक/विशिष्ठ लोक अभियोजक के सामने कालम संख्या–3 में दर्शाया गया है।

(2) इसका उत्तर प्रश्न संख्या–1 के उत्तर में दिया जा चुका है।

(3) इन पदों पर लोक अभियोजक/अपर लोक अभियोजक/विशिष्ट लोक अभियोजक की नियुक्तियां राजस्थान लॉ एण्ड ज्यूडिशियल डिपार्टमेन्ट मैन्यूअल, 1952 के नियम 12-28 के अन्तर्गत की जाती है। मैन्यूअल के नियम 12-16 की प्रति संलग्न है।

(प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

प्रश्न संख्या-471

(स्थगित)

विधान सभा क्षेत्र सिवाना के कृषकों को अनुदान

472. श्री गोपाराम मेघवाल (सिवाना) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या सरकार की फव्वारा एवं बूंद-बूंद सिंचाई पर अनुदान देने की कोई योजना है? यदि हां, तो इस संबंधी नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) कृषकों द्वारा आवेदन करने पर कितने समय पश्चात् अनुदान राशि मिल जाती है?

(3) गत पांच वर्षों में विधान सभा क्षेत्र सिवाना के कितने कृषकों ने आवेदन किया, उनमें से कितनों को अनुदान मिला

(श्री गोपाराम मेघवाल)

और कितनों के शेष रहने के क्या कारण रहे ?

(4) क्या उक्त क्षेत्र में ऐसे प्रकरण भी हैं, जिनमें अनुदान अधिकारियों की गलती के कारण नहीं मिला है? क्या सरकार द्वारा ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है? यदि हां, तो क्या ?

उत्तर

(1) जी, हां। दिशा-निर्देशों की प्रति संलग्न है।

(2) बजट उपलब्ध होने की स्थिति में एक माह की अवधि में अनुदान राशि उपलब्ध करा दी जाती है।

(3) गत पांच वर्षों में विधान सभा क्षेत्र सिवाना में कुल 3299 कृषकों ने फव्वारा अनुदान हेतु आवेदन किया, उनमें से 3183 कृषकों को अनुदान मिला। विभिन्न वर्षों में कुल 116 पत्रावलियां शेष रहीं। इन पत्रावलियों के शेष रहने का मुख्य कारण पत्रावलियों को अपूर्ण होना तथा कृषकों द्वारा इन कमियों की पूर्ति नहीं किया जाना रहा है।

(4) जी, नहीं।

(प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा के अपूर्ण भू-संरक्षण कार्य

473. श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गत 10 वर्षों में विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा में भू-संरक्षण विभाग द्वारा क्या-क्या कार्य किस-किस मद में कराये गये? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त में से कुछ कार्य अपूर्ण हैं? यदि हां, तो कौन-कौन से? अब सरकार इन्हें कब तक पूर्ण करवाने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) गत 10 वर्षों में विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेडा में जल ग्रहण एवं भू-संरक्षण विभाग द्वारा कराये गये कार्यों का मदवार विवरण एनेक्चर-ए पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेडा में जल ग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग द्वारा गत 10 वर्षों की अवधि में कुल 13 कार्य स्वीकृत किये गये हैं। इन कार्यों की विस्तृत जानकारी संलग्न एनेक्चर-ए में दर्शाये अनुसार कार्यों में से क्र. सं.-1 से 4 तक के कार्य पूर्ण हो चुके हैं तथा शेष क्र. सं.-5 से 13 तक वर्णित 9 कार्य वर्तमान में प्रगति पर हैं। इस एनेक्चर के क्र.सं.-5 व 6 पर वर्णित कार्यों को वर्ष 2002 तक तथा क्रम संख्या-7 से 13 तक वर्णित कार्य 2001 तक पूर्ण कर लिये जावेंगे।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-18 देखें।)

विधान सभा क्षेत्र भिनाय के स्वीकृत भू-संरक्षण कार्य

474. श्री सांवर लाल (भिनाय) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या भू-संरक्षण विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र भिनाय में कार्य करवाये जा रहे हैं/करवाये गये हैं? यदि हां, तो कहां-कहां कितनी-कितनी लागत के क्या-क्या कार्य स्वीकृत हुए, उनमें से कितने पूर्ण हुए कौन-कौन से कार्य चल रहे हैं?

(श्री सांवर लाल)

(2) क्या वाटर शेड के कार्यों हेतु गांव की यूजर कमेटी का गठन किया जाता है? यदि हाँ, तो कब-कब कहां-कहां कमेटी गठित की गई?

(3) क्या इस प्रक्रिया की सूचना ग्रामवासियों को दी गई? यदि हां, तो किस माध्यम से? गठन के समय कहां-कहां कौन-कौन ग्रामवासी उपस्थित था?

उत्तर

(1) जी, हां। विधान सभा क्षेत्र भिनाय में जल ग्रहण विकास कार्य करवाये गये/करवाये जा रहे हैं। इस क्षेत्र में कुल 49 जल ग्रहण विकास कार्य स्वीकृत हुए हैं जिनमें से 42 कार्य पूर्ण हो चुके हैं एवं 7 कार्य प्रगति पर हैं। उक्त कार्यों का ग्रामवार, पंचायत समितिवार स्वीकृत राशि, पूर्ण एवं चल रहे कार्यों का विवरण एनेक्चर-1 पर संलग्न है।

(2) जी, हां। गठित कमेटियों का विवरण एनेक्चर-2 पर संलग्न है।

(3) जी, हां। यूजर्स कमेटियों के गठन की सूचना ग्रामवासियों को दी गई। ग्राम की यूजर्स कमेटी के गठन की पूर्व सूचना प्रस्तावित ग्राम सभा की बैठक की दिनांक से 7 दिवस पूर्व सम्बन्धित ग्राम की ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करके ग्रामवासियों को दी गई। कमेटियों के गठन के समय भाग लेने वाले ग्रामवासियों की उपस्थिति का विवरण एनेक्चर-3 पर संलग्न कर प्रस्तुत है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

विधान सभा क्षेत्र खारची के वन्य जीवों का उत्थान

475. श्री केसाराम चौधरी (खारची) : क्या वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) विधान सभा क्षेत्र खारची में वन विभाग का क्षेत्र कहां-कहां स्थित है, उनमें कितने कर्मचारी/अधिकारियों के पद स्वीकृत हैं और उनमें से कितने पद कब से रिक्त पड़े हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा गत पांच वर्षों में उक्त क्षेत्र के वन्य जीवों के संरक्षण एवं उत्थान हेतु कोई योजना स्वीकृत की गई है? यदि हां, तो कब-कब, कौन-कौन सी योजनाएं उक्त योजनाओं पर कितना-कितना बजट स्वीकृत कर व्यय किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र खारची में टाटगढ़ रावली अभ्यारण्य के जोजावर, भगौडा, सिरयारी सारण, कटालिया वन खंडों के वन क्षेत्र स्थित हैं। इस विधान सभा क्षेत्र में वन पौधशाला फुलाद वन खंड कल्याणपुरा तथा वृक्षारोपण सिरयारी भी स्थित है। इन क्षेत्रों की सुरक्षा एवं प्रबन्ध हेतु वन अधिकारियों/कर्मचारियों के 57 पद स्वीकृत हैं जो सभी भरे हुये हैं। पदवार सूची "क" सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) विधान सभा खारची के वन्य जीवों के संरक्षण एवं विकास हेतु तो पृथक से कोई योजना स्वीकृत नहीं की गई है। टाटगढ़ रावली अभ्यारण्य में वन्य जीवों के संरक्षण एवं उत्थान के उद्देश्य से वर्ष

(राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण)

1993-94 से 1997-98 की अवधि में स्वीकृत की गई राशि एवं व्यय की गई राशि का वर्षवार विवरण सूची "ख" सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(सूचियों के लिए कृपया परिशिष्ट-19 देखें)

वन्य जीव अभ्यारण्य गजनेर

476. श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : क्या वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) जिला बीकानेर के गजनेर वन्य जीव अभ्यारण्य के कानूनी अधिकार किसके पास हैं?

(2) क्या यह सही है कि गजनेर वन्य जीव अभ्यारण्य को विभाग ने अपनी देख-रेख संरक्षण में लेने से पूर्व पूर्ण तारबन्दी व सुरक्षा बाड़ सहित प्राप्त की थी?

(3) क्या यह भी सही है कि विभाग द्वारा उक्त क्षेत्र को अपने संरक्षण में लेने के बाद वन्य जीवों की संख्या कम हुई है? उक्त क्षेत्र में पूर्व व वर्तमान में वन जीवों की संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि वर्तमान में तारबन्दी प्रायः पूर्ण रूप से टूटी हुई है या चोरी चली गई है? यदि हाँ, तो सरकार ने इसके लिये किसे जिम्मेवार माना व अब तक क्या कार्यवाही की है?

उत्तर

(1) वन्य जीव अभ्यारण्य, गजनेर राज्य सरकार की अधिसूचना एफ 3(5) पर्या/74 दिनांक 25.9.85 द्वारा वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 18 उपधारा (1) के उपबन्धों के अधीन अभ्यारण्य घोषित किया गया था। यह क्षेत्र पूर्व में भूतपूर्व महाराजा बीकानेर का निजी आखेट क्षेत्र था। जिला कलक्टर, बीकानेर द्वारा इस क्षेत्र को अधिग्रहण कर दिनांक 19.12.75 से वन विभाग के कब्जे में दिया गया तभी से इसका कब्जा वन विभाग के पास है परन्तु इस क्षेत्र के सम्बन्ध में राजस्व मण्डल, अजमेर के समक्ष क्षतिपूर्ति प्रकरण 115/96 – अखिल भारतीय सार्वजनिक संस्था बनाम सरकार विचाराधीन है।

(2) जी, नहीं। दिनांक 19.12.75 को जब वन विभाग द्वारा उक्त क्षेत्र का कब्जा लिया गया उस समय उसके चारों ओर पुरानी व टूटी फूटी हालत में तारबन्दी थी। यह तारबन्दी तत्कालीन बीकानेर रियासत के समय की थी। इस अभ्यारण्य क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था को और पुख्ता करने के उद्देश्य से इसके चारों ओर खाई फैन्सिंग सुरक्षा बाड़ वर्ष 1987-88 में अकाल राहत कार्यों के तहत राज्य सरकार द्वारा बनवाई गयी थी।

(3) वन विभाग द्वारा इस क्षेत्र को कब्जे में लेने के समय वन्य जीवों की संख्या के बारे में कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं है। वन विभाग द्वारा कब्जा प्राप्त करने से पूर्व यह अभ्यारण्य बीकानेर के भूतपूर्व महाराजा का निजी आखेट क्षेत्र था तथा इसमें उस समय वन्य जीवों की गणना नहीं की जाती थी जैसा कि बीकानेर भूतपूर्व रियासत के ट्रस्ट कोर्डिनेटर द्वारा बताया गया। वर्तमान में वर्ष 1998 की गणना के अनुसार इस अभ्यारण्य में वन्य जीवों की संख्या निम्नानुसार है : —

चिंकारा – 142, सियार – 108, काला हिरण – 98, जंगली सूअर - 116,

(राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण)

रेगिस्तानी लोमड़ी – 6, नीलगाय – 50, जंगली बिल्ली – 9, सेहली – 3, अतः यह नहीं कहा जा सकता कि विभाग द्वारा उक्त क्षेत्र अपने संरक्षण में लेने के बाद वन्य जीवों की संख्या में कमी हुई है अथवा नहीं हुई है।

(4) दिनांक 19.12.75 को जब विभाग द्वारा इस क्षेत्र का कब्जा लिया गया था उस समय तारबन्दी पुरानी होने के कारण जगह-जगह से टूटी हुई थी। अभ्यारण्य संधारण हेतु अलग से बजट प्रावधान नहीं होने के कारण कार्यरत कर्मचारियों द्वारा ही समय-समय पर तारबन्दी संधारित की जाती है। वर्ष 1987-88 में अकाल राहत योजना के तहत इस क्षेत्र के चारों ओर खाई फैंसिंग की गई थी। वर्तमान में इस क्षेत्र में वन्य जीवों की सुरक्षा मौके पर तैनात स्टाफ द्वारा की जा रही है। तारबन्दी तत्कालीन बीकानेर रियासत के समय की होने एवं समयावधि अधिक होने के कारण टूट-फूट गई है। नयी तारबन्दी राजस्व मण्डल में प्रकरण विचाराधीन होने के फलस्वरूप नहीं करवायी जा सकी है। इसके लिये वन विभाग का कोई कर्मचारी दोषी नहीं होने के कारण किसी के विरुद्ध कोई कार्यवाही किये जाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

मदार रेलवे स्टेशन, अजमेर पर वायु प्रदूषण

477. श्री गोविन्द सिंह (नसीराबाद) : क्या वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या अजमेर के निकट मदार रेलवे स्टेशन पर सीमेन्ट के लदान से उत्पन्न वायु प्रदूषण के सम्बन्ध में कोई शिकायत विधायक नसीराबाद ने दिनांक 6-1-99 को राजस्थान वायु प्रदूषण नियन्त्रण मंडल के अध्यक्ष को की है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई?

(2) क्या उक्त संबंध में जिला कलक्टर, अजमेर को भी प्रदूषण रोकने हेतु कोई शिकायत की गई है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) अब तक उक्त वायु प्रदूषण को नहीं रोक पाने के क्या कारण हैं?

उत्तर

(1) जी, हां। इस शिकायत के मिलने पर राजस्थान प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल ने उक्त शिकायत के निवारण हेतु डिविजनल रेलवे मैनेजर, अजमेर एवं जिला कलक्टर, अजमेर को पत्र दिनांक 4-2-99 द्वारा इस संबंध में सुझाव देते हुये तत्काल कार्यवाही करने के लिये कहा है। जिसकी सूचना माननीय विधायक महोदय को भी दी गयी है। पत्र की प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी, हां। जिला कलक्टर, अजमेर से उक्त शिकायत की प्रति राज्य मंडल को प्राप्त हुई है। राज्य मंडल ने इस मामले की जांच भी करवायी है जिसमें यह पाया गया कि मदार रेलवे स्टेशन पर मैसर्स श्री सीमेन्ट लि., ब्यावर उद्योग की सीमेन्ट के बैगों को रेलवे बेगन और ट्रकों में उतारने/चढ़ाने से धूलकणों से आस-पास के क्षेत्र में अपदूषण (nvisance) सम्भावित है। इस प्रकार का प्रदूषण गैर इंगित (non-point) प्रदूषण की श्रेणी में आता है। इससे आस-पास के क्षेत्र के निवासियों को हो रही दिक्कतों से इंकार नहीं किया

(राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण)

जा सकता। राज्य मंडल ने अपने पत्र दिनांक 2-4-99 के जरिये संबंधित उद्योग मैसर्स श्री सीमेन्ट लि. को इस समस्या के निवारण हेतु निर्देश एवं सुझाव दिये हैं। पत्र की प्रति परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(3) इस प्रकार का प्रदूषण गैर इंगित प्रदूषण (नोन पोईट स्रोत) की श्रेणी में आता है, जिससे आस-पास के क्षेत्र में अपदूषण (nuisance) सम्भावित है। ऐसे अपदूषण को हटाने का दण्ड प्रक्रिया की धारा-133 के अन्तर्गत प्रावधान है। जहां तक वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण) अधिनियम, 1981 का प्रश्न है, ऐसे प्रकरणों में इस प्रकार के अपदूषण को कानूनी रूप से इस अधिनियम की परिधि में लाकर कानूनी कार्यवाही राज्य मंडल द्वारा नहीं की जा सकती है। क्योंकि इस प्रकार के अपदूषण नियन्त्रण हेतु मानक निर्धारित नहीं है। अतः ऐसे मामलों में रेल्वे अधिकारी/ स्थानीय प्रशासन द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इस प्रकार के सीमेन्ट के लदान एवं चढ़ान की हैण्डलिंग सावधानीपूर्वक की जावे।

(प्रति के लिये कृपया परिशिष्ट—20 देखें)

विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम का विचाराधीन स्टेडियम

478. श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : क्या खेलकूद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में खेल स्टेडियम बनाने हेतु कोई प्रस्ताव विचाराधीन है? यदि हां, तो कहां?

(2) क्या सरकार इस वित्तीय वर्ष में उक्त विधान सभा क्षेत्र में खेल स्टेडियम बनाकर उपलब्ध करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी, नहीं।

(2) जी, नहीं।

प्रश्न संख्या-479

स्थगित

विज्ञापन पर व्यय राशि

480. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या सूचना एवं जन सम्पर्क राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जन सम्पर्क निदेशालय द्वारा पत्र-पत्रिकाओं व स्मारिकाओं को विज्ञापन दिया जाता है? यदि हां, तो दिनांक 1 जनवरी, 1998 से फरवरी, 1999 तक किस-किस पत्र-पत्रिका व स्मारिका को कितनी-कितनी राशि के विज्ञापन कब-कब दिए गए? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) विज्ञापन देने के संबंध में क्या प्रक्रिया अपनायी जा रही है तथा किस अधिकारी को किस सीमा तक विज्ञापन की राशि स्वीकृत करने का अधिकार है? नियमों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। 1 जनवरी, 1998 से मार्च, 1999 तक पत्र-पत्रिकाओं व स्मारिकाओं को जारी किये गये सजावटी विज्ञापनों का विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) सभी राजकीय विज्ञापन निदेशक, सूचना एवं जन-सम्पर्क द्वारा राजकीय विज्ञापन नियम–1962 में दिये गये प्रावधानों के तहत जारी किये जाते हैं।

(राज्य मंत्री, सूचना एवं जनसम्पर्क)

सजावटी विज्ञापन जारी करने का अधिकार राज्य सरकार को है। (नियमों की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।)

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-21 देखें)

मालवीय इंजीनियरिंग कालेज, जयपुर के रिक्त पद

481. श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : क्या तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि माह जनवरी/फरवरी, 1999 में मालवीय इंजीनियरिंग कालेज, जयपुर में विभिन्न पदों के लिए विज्ञापन निकाला गया था? यदि हां, तो किस-किस पदों के लिए? क्या उक्त नियुक्तियों के संबंध में नियम बने हुए हैं? यदि हां, तो नियमों की प्रति सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त विज्ञापन में कनिष्ठ लिपिक/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद रिक्त होने के बावजूद भी विज्ञापन नहीं निकाला गया? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार इन पदों के लिए भी विज्ञापन निकालने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(3) क्या यह सही है कि कालेज के आदेश संख्या एफ. 6 ( ) एम. आर. इ. सी/इ. एस. टी. सी/98/17483-86, दिनांक 17 अक्टूबर, 1998 के तहत संविदा के आधार पर 2250/– रुपये प्रति माह पर स्वीकृत पदों एवं रिक्त पदों के विपरीत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पदों पर नियुक्तियां की हैं? यदि हां, तो किन नियमों के आधार पर एवं किसके आदेश पर? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त कालेज में कनिष्ठ लिपिक/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एवं चौकीदारों के रिक्त पदों पर विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के व्यक्तियों को डेलीवेजेज के आधार पर नियुक्त कर रखा है? यदि हां तो कितने व्यक्तियों को कितने वेतन पर कब से? क्या सरकार इनकी स्थाई नियुक्ति करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी, हां। विज्ञापन की प्रतिलिपि संलग्न है (परिशिष्ट "अ")

जी, हां, नियुक्तियों के नियमों की प्रतिलिपि संलग्न है। (परिशिष्ट "ब")

(2) जी, हां। इन पदों पर नियुक्ति वित्त विभाग की सहमति के उपरान्त ही की जानी है, इस हेतु प्रयास जारी हैं।

(3) जी, हां। महाविद्यालय में परीक्षा, प्रयोगशाला एवं अन्य महत्त्वपूर्ण कार्य सुचारू रूप से चलता रहे इसलिए संविदा पर कुछ व्यक्तियों को रखा गया है। यह महाविद्यालय के सक्षम अधिकारी के आदेशों से किया गया है।

(4) जी, नहीं। संविदा के आधार पर उनकी योग्यता एवं कार्य कुशलता के आधार पर एक निश्चित समय/अवधि के लिए रखा गया है। स्थाई नियुक्तियां नियमानुसार ही की जावेंगी।

(प्रतिलिपियों के लिए कृपया परिशिष्ट-22 देखें)

चिकित्सालयों में निःशुल्क दवा वितरण

482. श्रीमती यास्मीन अबरार (सवाईमाधोपुर) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(श्रीमती यास्मीन अबरार)

(1) क्या सरकार सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर की बिगड़ती स्थिति के सुधार हेतु कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या?

(2) गत पांच वर्षों में सवाई मानसिंह अस्पताल में कितने रोगियों को मुफ्त दवाईयां दी गईं तथा इस वर्ष कितनी राशि की दवाईयां मुफ्त दिये जाने का प्रावधान है।

(3) सवाईमाधोपुर सामान्य चिकित्सालय में गत वर्ष कितनी राशि मुफ्त दवाइयों के लिए दी गई तथा उसमें से कितनी दवाइयां रोगियों को उपलब्ध कराई गईं? चालू वर्ष में मुफ्त दवा की कितनी राशि है? उक्त चिकित्सालय की व्यवस्था को सुधारने हेतु क्या प्रयास किये जा रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सवाई मानसिंह चिकित्सालय की स्थिति ठीक है। सेवाओं में सुधार एक निरन्तर प्रक्रिया है जिस पर सरकार ध्यान दे रही है।

(2) गत पांच वर्षों में इस चिकित्सालय में रोगियों को निम्नानुसार मुफ्त (फ्री) दवाइयां दी गयी हैं : —

वर्ष	रोगियों की संख्या	
1994-95	95,618	रोगी
1995-96	99,480	रोगी
1996-97	1,00,375	रोगी
1997-98	1,01,237	रोगी
1998-99	1,04,325	रोगी

वर्ष 1998-99 के लिये मुफ्त दवाइयां (भेषज एवं औषधियां) के मद से 175.00 लाख रु. वर्ष 1999-2000 के लिये रु. 400.00 लाख का प्रावधान प्रस्तावित है।

(3) सामान्य चिकित्सालय, सवाई-माधोपुर को गत वर्ष 1998-99 में दवाइयों के मद में रुपये 10.35 लाख आंवटित किये गये जिसमें से 7.98 लाख रु. की दवाइयां रोगियों को मुफ्त उपलब्ध कराई गईं। वित्त वर्ष 1999-2000 में लिये बजट आवंटित किया जाना अपेक्षित है।

सामान्य चिकित्सालय, सवाई माधोपुर में निम्नांकित विभिन्न विशेषज्ञों की सेवाएं सुचारू रूप से उपलब्ध हैं — मेडिसन, शल्य, स्त्री रोग, बाल रोग, अस्थि रोग, नेत्र, कान-नाक एवं गला रोग के अतिरिक्त एक्स-रे, ई.सी.जी., सोनोग्राफी, प्रयोगशाला की जांच एवं परीक्षण की समुचित व्यवस्था उपलब्ध है। चिकित्सालय का रख रखाव मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी द्वारा किया जाता है।

जिला धौलपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन

483. श्री जसवन्त सिंह (बाड़ी) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

सरकार प्रदेश के अंदर वर्तमान सत्र में किन-किन स्थानों पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोल रही है? धौलपुर जिले में किन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए किन-किन स्थानों पर नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवनों का निर्माण किया जा रहा है? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

वर्ष 1999-2000 में 17 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (12 ग्रामीण एवं 5 शहरी) खोला जाना प्रस्तावित है। बजट निर्णायक समिति का कार्यवाही विवरण प्राप्त होने पर स्थानों का चयन किया जाना संभव हो सकेगा। धौलपुर जिले में योजनान्तर्गत वर्ष 1995-96 में नये स्वीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण चरणबद्ध करवाया गया लगभग पूर्ण हो चुके हैं। निर्माण करवाये गये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की सूची निम्नांकित है : —

1. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, खानपुर
2. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, चितोरा
3. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गोपालपुरा
4. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सेपऊ
5. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जस्सूपुरा
6. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, अब्दुलपुर
7. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कंचनपुर
8. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मरैना
9. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, झिरी
10. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, आंगई
11. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हथवारी

बांगड़ चिकित्सालय, पाली हेतु रोगी वाहन

484. श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या प्रथम श्रेणी के चिकित्सालयों में सरकार द्वारा रोगी वाहन उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है?

(2) क्या यह सही है कि बांगड चिकित्सालय, पाली में रोगियों को लाने एवं ले जाने हेतु चिकित्सालय द्वारा कोई व्यवस्था नहीं की हुई है?

(3) क्या सरकार उक्त चिकित्सालय में रोगी वाहन उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) जी, हां।

(3) जी, हां। आगामी वित्तीय वर्षों में समुचित वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर राज्य के अन्य जिला चिकित्सालयों में रोगी वाहन उपलब्ध कराये जाने के साथ बांगड चिकित्सालय, पाली में भी रोगी वाहन प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध करवाया जाना सम्भव होगा।

जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय अजमेर का मरम्मत/पुनर्निमाण प्रकरण

485. श्री ललित भाटी (अजमेर पूर्व) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि जनवरी, 1995 से जनवरी, 1999 तक जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय, अजमेर में मरम्मत/पुनर्निर्माण का कार्य किया गया?

(2) उक्त चिकित्सालय में वार्डवार मरम्मत/पुनर्निर्माण पर कितनी राशि व्यय की गई और उक्त कार्य किस एजेंसी के द्वारा करवाया गया? क्या उक्त कार्य के लिए निविदायें आमंत्रित की गई हैं? यदि हां, तो निविदाओं की सूची राशि सहित सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त अवधि में कराये गये मरम्मत/पुनर्निमाण कार्यों में वार्डों में भारी एवं हल्के गर्डर,

(श्री ललित भाटी)

दरवाजे, खिड़कियां एव अन्य सामान पुराने ही पुनः काम में लिये गये हैं? यदि नहीं, तो उक्त सामानों का क्या किया गया? पुराने सामान की सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि खण्ड तीन में वर्णित सामान की नीलामी चिकित्सालय अधीक्षक द्वारा कर दी गई है? यदि हां, तो नीलामी से कितनी राशि प्राप्त हुई? सामानवार प्राप्त राशि एवं ऊंची बोली देने वाले व्यक्ति/फर्म के नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) वार्डवाइज मरम्मत का ब्यौरा सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा नहीं रखा जाता। इस अवधि में सम्पूर्ण चिकित्सालय की मरम्मत पर राशि 24.15 लाख व्यय की गई एवं पुनर्निमाण पर राशि रु. 58.12 लाख व्यय की गई। उपरोक्त सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कराया गया। मरम्मत कार्य हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कुछ कार्यों को विभागीय स्तर पर एवं कुछ कार्यों की निविदाएं आमंत्रित कर कराये गये, निविदाओं की सूची एवं राशि संलग्न है। पुनर्निर्माण के कार्यों के लिए निविदाएं आमंत्रित की गईं निविदाओं की सूची एवं राशि संलग्न है।

(3) चिकित्सालय में उक्त अवधि में कराये गये मरम्मत कार्य/पुनर्निर्माण कार्यों में वार्डों में से भारी एवं हल्के गर्डर नहीं निकले हैं एवं विभिन्न स्थानों से दरवाजे, खिड़कियां एवं अन्य निकाले गये छोटे-मोटे सामान को पुनः अस्पताल की आवश्यकतानुसार काम में लिया गया।

(4) जी, नहीं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय अजमेर का दवा क्रय प्रकरण

486. श्री ललित भाटी (अजमेर पूर्व) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकारी चिकित्सालयों हेतु दवाइयां क्रय करने के नीति/निर्देश बने हुए हैं? यदि हां, तो प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त चिकित्सालयों को कौन-कौनसी दवाइयां आर.डी.पी.एल. से ही क्रय किये जाने के आदेश स्थाई/अस्थाई रूप से जारी किये हुए हैं? आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय, अजमेर में वर्ष 1994-95 से फरवरी, 1999 तक कितनी राशि की कौन-कौनसी दवाइयां कितनी मात्रा में क्रय की है? संख्या सूची वर्षवार सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त दवाईयां कहां-कहां से किस प्रक्रिया से क्रय की गई?

(5) उक्त दवाइयों के क्रय पर भौतिक सत्यापन किस स्तर के अधिकारी द्वारा किया गया? वर्षवार खरीद व भौतिक सत्यापन की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(6) उक्त दवाइयों के विभिन्न बैच की एक्सपायरी डेट क्या थी? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। आदेश क्रमांक एफ. 7(7)चिकि/ग्रुप-2/81, दिनांक 10-3-88,

(राज्य मंत्री, चिकित्सा)

आदेश क्रमांक 18(100)एमई/ग्रुप-1/92 दिनांक 31-10-95 एवं 11(14)चिस्वा/2/90 दिनांक 6-7-97 की प्रतियां संलग्न है।

(2) निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य एवं प.क्र. सेवाएं, राज. जयपुर के पत्र संख्या एसपीओ / डी.एम. / एपीपी / लिस्ट / प. बी. सेक्टर/ 96-98 / 97 / 2527-2806 दिनांक 12-5-97 की प्रति संलग्न है।

(3) जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय, अजमेर में वर्ष 1994-95 से फरवरी, 99 तक की अवधि में क्रय की गई औषधियां, उनकी मात्रा, लागत संलग्न सूची में अंकित कर दी गई है। सूची संलग्न है।

(4) उपरोक्त दवाइयां राजकीय उपक्रम, निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज. जयपुर द्वारा अनुमोदित दर संविदा एवं चिकित्सालय स्तर पर आमंत्रित खुली निविदा के माध्यम से क्रय की गई है वस्तुस्थिति प्रत्येक औषधि के सामने प्रश्न के भाग-3 की संलग्न सूची में अंकित कर दी गई हैं।

(5) चिकित्सा महाविद्यालय के प्रोफेसर स्तर के चिकित्सा अधिकारी द्वारा क्रय की गई दवाइयों का भौतिक सत्यापन प्रति वर्ष किया जाता है जिसके लिये अधीक्षक, जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय ने जो प्रमाण-पत्र दिया उसकी प्रति संलग्न है।

(6) दवाइयों की एक्सपायरी डेट प्रश्न के भाग-3 में संलग्न सूची में अंकित कर दी गई है।

(प्रतियां एवं सूचियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

राजकीय मुद्रणालय द्वारा घटिया किस्म के प्रपत्र प्रकरण

487. **श्री वृद्धिचन्द जैन** (बाड़मेर) : क्या मुद्रण एवं लेखन सामग्री राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि सरकार से सभी विभागों के लिए राजकीय मुद्रणालय द्वारा प्रपत्र के लिए काम में ली जाने वाली मुद्रण सामग्री घटिया किस्म की होती है? क्या उक्त पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति की जाती है?

(2) क्या सरकार इस संबंध में सुधार हेतु कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और किस प्रकार?

उत्तर

(1) जी, नहीं। प्रपत्र मुद्रण हेतु उपयोग में आने वाला कागज डी.जी.एस. एण्ड डी. नई दिल्ली के रेंट कान्ट्रेक्ट के अन्तर्गत क्रय किया जाता है तथा मुद्रण सामग्रियां राजस्थान वित्तीय एवं लेखा नियमों के अन्तर्गत खुली निविदाएँ आमंत्रित कर उपयोगिता को दृष्टिगत रखते हुए न्यूनतम दर पर क्रय की जाती है। स्टाक को दृष्टिगत रखते हुये विभागों की मांग के अनुसार मुद्रित सामग्री प्रदाय की जाती है।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

अनुपस्थिति-अनुमति

माननीय श्री रामसिंह विश्नोई को दि. 8-4-99 से 18-4-99 तक एवं माननीय श्री किशन मोटवानी को 22-3-99 से सत्रान्त तक।

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि श्री रामसिंह विश्नोई, सदस्य, विधान सभा ने अपनी

(श्री अध्यक्ष)

माताजी के असामयिक निधन हो जाने के कारण दिनांक 8-4-1999 से 18-4-1999 तक तथा श्री किशन मोटवानी, सदस्य, विधान सभा ने शारीरिक अस्वस्थता के कारण दिनांक 22 मार्च, 99 से सत्रान्त तक सदन की बैठकों में अनुपस्थित रहने की अनुमति चाही है।

क्या सदन की अनुमति है कि इन्हें सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गयी।

दलीय स्थिति

भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के उप नेता का मनोनयन

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि राजस्थान विधान सभा के भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता माननीय श्री भैरोंसिंह शेखावत ने अपने पत्र दिनांक 9-4-1999 द्वारा सूचित किया है कि राजस्थान विधान सभा के लिए बड़ी सादड़ी, जिला चित्तौड़गढ़ निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य, श्री गुलाब चन्द कटारिया भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के उप नेता के रूप में कार्य करेंगे।

स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था। (व्यवधान) कृपा बात नहीं करें।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है : —

श्री मदन दिलावर, सदस्य, विधान सभा की ओर से कोटा, इटावा एवं अटरू नगर में पीलिया रोग फैलने तथा इन स्थानों पर अभी तक स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जाएगा।

मुझे माननीय सदस्यों को यह भी सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त हुई है : —

(1) श्री अमराराम (धोद) एवं एक अन्य, सदस्य, विधान सभा की ओर से रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, जयपुर में अभी हाल ही में की गयी नियुक्तियों में कथित अनियमितताओं के सम्बन्ध में।

यह स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है अतः इस पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(2) डा. किरोड़ी लाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से अलवर जिले के खेरलीगंज के पैट्रोल पम्प की लूट के मुख्य अभियुक्त के हवालात से फरार हो जाने के सम्बन्ध में।

यह प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है अतः इस पर अनुमति देने में असमर्थ हूँ। दिनांक 19 अप्रेल, 1999 को पुलिस विभाग की मांग पर चर्चा के समय माननीय सदस्य को इस विषय को उठाने का अवसर उपलब्ध रहेगा।

(3) प्रो. सांवर लाल एवं एक अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य के अधिकांश गांवों में अकाल की भयंकर स्थिति के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

अकाल की स्थिति पर सदन में विस्तृत चर्चा होने की संभावना है अतः स्थगन प्रस्ताव के रूप में इस पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(4) श्री ज्ञानदेव आहूजा एवं 7 अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से आवास विकास संस्थान के अधिशेष कर्मचारियों को अन्य विभागों में समायोजित करने के सम्बन्ध में।

यह स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है अतः इस पर अनुमति देने में असमर्थ हूं। मुख्य प्रस्तावक माननीय सदस्य को दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

बोलियें।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आवास विकास संस्थान के 600 कर्मचारियों के सम्बन्ध में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगते हुए भी कल पत्रकार वार्ता में स्वायत्त शासन मंत्री महोदय ने उनको नियोजन वापस देने के लिए समायोजन करने के लिए कहा है जबकि, यह बात सदन में आनी चाहिए, उसके बाद पत्रकारों के पास बात जानी चाहिए। क्या यह सदन की अवमानना नहीं है? साथ ही एक मंत्री कहते हैं कि इनका समायोजन किया जाएगा, मुख्य मंत्रीजी कहते हैं समायोजन किया जाएगा और बोर्ड ने प्रस्ताव पास कर 10 कर्मचारियों की सेवाओं को समाप्त कर उनको नोटिस थमा दिया और चैक भेज दिया। क्या ये विसंगतियां नहीं हैं? सरकार की ओर से इन कर्मचारियों के बारे में क्या घोर उपेक्षा नहीं की गयी है जबकि अधिशेष कर्मचारियों को समायोजित किया जाएगा?

साथ ही अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि कल ही उन्होंने पत्रकार वार्ता में यह भी कहा है कि उनको समायोजित करने के समय तक वेतन और सारी सुविधाएं नहीं दी जाएगी, क्या यह अन्याय नहीं है? एक तो समायोजन कब तक करेंगे, किस समय तक करेंगे? समयावधि निश्चित करें।

साथ ही मेरा निवेदन है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से कि आवास विकास संस्थान के कर्मचारी जो अब राजस्थान सरकार के ही हैं, अब उस बोर्ड के नहीं बचे हैं इसलिए उनका समायोजन भी करें और समायोजन होने की तारीख तक बराबर वेतन भी देते रहें।

मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि पत्रकारों के बीच में पहले कहा गया है, इसके लिए मंत्री महोदय खेद भी प्रकट करें। यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से कहना चाहता हूँ।

डा. किरोड़ी लाल (बामनवास) : हमारे भी दस्तखत है इस पर, बोलने दें। एक मिनट ही उनका है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : अध्यक्ष महोदय, बस दो मिनट की अनुमति प्रदान कर दें। दो मिनट की अनुमति चाहिए।

श्री जगमाल सिंह यादव (तिजारा) : अध्यक्ष महोदय, रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य तो ध्यानाकर्षण पर बोल रहे हैं, स्थगन पर बोले ही नहीं। आपने स्थगन पर कहा था।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह तो आपने स्थगन पर ही व्यवस्था दी है।

श्री जगमाल सिंह यादव : उन्होंने ध्यानाकर्षण कहा है, आप प्रोसीडिंग दिखवा

(श्री जगमाल सिंह यादव)

लें। आप परमिट करें तो दो मिनट इजाजत चाहता हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, ये स्थगन पर ही बोले हैं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : माननीय जगमाल सिंहजी, स्थगन पर ही बोला हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैंने दो मिनट बोलने के लिए अनुमति केवल एक माननीय सदस्य को दी है, रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य को और वे बोल चुके हैं।

डा. किरोड़ी लाल : नहीं इसमें हमारे भी दस्तखत हैं।

श्री अध्यक्ष : मैंने जो व्यवस्था दे दी, उस पर चर्चा कीजिए।

श्री जगमाल सिंह यादव : साहब, वे तो ध्यानाकर्षण पर बोले हैं, स्थगन पर बोले ही नहीं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ध्यानाकर्षण पर नहीं है, स्थगन प्रस्ताव है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव अलग दिया है।

श्री जगमाल सिंह यादव : आप दिलवा दीजिए। आपने खुद ही कहा है कि मैं ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर बोल रहा हूं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : (व्यवधान) उनको नौकरी से निकाला जा रहा है। नौकरी से निकाल दिया है। दस लोगों को चैक थमा दिया गया है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : क्या, स्थगन दिया है न? नहीं, स्थगन प्रस्ताव दिया है। इनको पता ही नहीं है।

श्री जगमाल सिंह यादव : नहीं मिनिट्स बुक में उन्होंने कहा है कि मैं ध्यानाकर्षण पर बोल रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : वह शायद स्थगन और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में फर्क नहीं समझ रहे होंगे। स्थगन दिया है।

डा. किरोड़ी लाल : नये आदमी हैं। (व्यवधान) मंत्रीजी का प्रैस में स्टेटमैंट छपा है, क्या वास्तव में समायोजित कर देंगे? (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से ध्यानाकर्षण कर निवेदन किया है। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (अटरू) : निश्चित तारीख बताएं कि कितनी तारीख तक उनको समायोजित कर दिया जाएगा?

श्री श्रीचन्द कृपलानी : अध्यक्ष महोदय, निकाल दिया नौकरी से। (व्यवधान) उनको आदेश पकड़ा दिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, सवाल इस बात का है कि सरकार की कथनी और करनी में कितना अन्तर है। अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी और मुख्य मंत्रीजी 10 तारीख को मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला करते हैं कि आवास विकास संस्थान को बन्द करेंगे और आवास विकास संस्थान के कर्मचारियों को नगरपालिकाओं, नगर निगमों और दूसरी स्वयं सेवी संस्थाओं में हम समायोजित करेंगे। अध्यक्ष महोदय, लेकिन होता क्या है? इस सरकार में कौन कितना बड़ा है? 26-3-99 को इन्हीं मंत्रीजी के इशारे पर आवास विकास संस्थान के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मिलते हैं। मंत्रीजी उसमें यह फैसला करते हैं कि उनको तत्काल प्रभाव से और श्रम कानून

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

के तहत हटाया जाएगा, इनकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी इनका समायोजन नहीं किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, सवाल इस बात का है और माननीय मंत्रीजी, आप इतना बता दें कि आपकी सरकार के आवासन मंडल के अध्यक्ष जिन्होंने मुख्य मंत्रीजी के लिए अपनी कुर्सी खाली की है, वे बड़े हैं या आप हो? अगर आप हो तो आप कृपया बता दें कि आपकी केबिनेट का फैसला अखबारों में आपने बयान दे दिया उसके बाद नीतिगत तौर पर आप आवास विकास संस्थान के 600 कर्मचारियों को नौकरी से निकालना चाहते हैं या समायोजित करना चाहते हैं? सवाल इस बात का है।

श्री जगमाल सिंह यादव (तिजारा) : अध्यक्ष महोदय, एक ही बात पूछना चाहता हूं मंत्रीजी से। आपने कल बयान दे दिया कि इनका समायोजन किया जा रहा है। आप यह समायोजन कर रहे हैं, उसके पहले आपका बोर्ड टर्मिनेट कर रहा है। 54 कर्मचारियों को टर्मिनेट कर चुके। अध्यक्ष महोदय, मैं इतना जानना चाहता हूं कि वह जो समायोजन होगा, टर्मिनेट करने के बाद करेंगे? अगर टर्मिनेट करने के बाद समोयाजन किया तो उसकी पिछली सर्विसेज का क्या होगा? या आप उनको सेवा में सरप्लस मानकर उनका समायोजन करेंगे? अगर उनको सरप्लस मानकर उनका समायोजन करेंगे तो उनके अधिकारों को कोई नुकसान नहीं होगा, उनकी सर्विस मैरिट पर गिन ली जाएगी। अगर आपने टर्मिनेट किया और टर्मिनेट करके पुन· नौकरी पर लिया तो उनकी पिछली सर्विस का क्या होगा? इसलिये मैं यह चाहता हूं आपने सदाशयता दिखाई है, आपने कल घोषणा भी कर दी कि समायोजन किया जाएगा, तो आप यह और कह दें कि बिना टर्मिनेट किये इन कर्मचारियों को सरप्लस करके इनका समायोजन कर लिया जाएगा, चाहे विलम्ब हो जाए। जितना बड़ा मन आपने दिखाया उतना ही बड़ा मन आप इस मामले में भी दिखाएं।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री राम नारायण चौधरी (मण्डावा) : अध्यक्ष महोदय, यह मामला माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है और माननीय उच्च न्यायालय ने आवास विकास संस्थान के पक्ष में स्थगन आदेश दे रखा है। मान्यवर, जब यह विचाराधीन है हाई कोर्ट के अन्दर तो यहां पर कैसे तो सरकार जबाव देगी? किस प्रकार से माननीय सदस्य इस पर चर्चा उठा रहे हैं?

श्री श्रीचन्द कृपलानी : तो सरकार ने टर्मिनेट कैसे कर दिया उनको?

श्री जगमाल सिंह यादव : दे दिया कल जबाव तो। (व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी : (व्यवधान) दोहरी बात क्यों करते हो? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : सेवाएं समाप्त कर दी हैं। नोटिस दे दिये हैं। (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : मैटर हाई कोर्ट में सबजुडिस है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : करना क्या चाहते हैं आप? (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जब माननीय मंत्रीजी ने समायोजन के लिए कह दिया तो फिर और माननीय सदस्य क्या चाहते है? माननीय मंत्रीजी ने जब समायोजन के लिए कह दिया, अखबारों में आ गया, अब आप क्या

(श्री रामस्वरूप)

चाहते हो? (व्यवधान) कह तो दिया समायोजन होगा उनका। हो तो रहे हैं। घोषणा कर रहे हैं वे। आप बोलने तो देते नहीं उनको। जब आपकी सरकार थी, आपने क्या किया? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : क्या है?

श्री रामस्वरूप : माननीय अध्यक्ष महोदय, ये लोग चाहते ही नहीं हैं कि रोजगार मिले युवाओं को। (व्यवधान) आप खुद ही तो कोर्ट में चले गये। कोर्ट में जाकर स्टे ले लिया आपने। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल (भिनाय) : सत्ता में रहते हुए भी इनके साथ क्या करना चाहते हैं, रामस्वरूप जी, आप? (व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी : अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन किया कि हमें दो मिनट बोलना है।

श्री अध्यक्ष : बराबर आप मुझे डाकुमैंट दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। मैं आपके दल के उप नेता महोदय से कहूंगा कि आपके माननीय सदस्य चार-चार, पांच-पांच खड़े हो रहे हैं, आप थोड़ा बहुत अनुशासित रहिए, पार्टी के उप नेता महोदय के अनुशासन में (व्यवधान) हां, उनके नेतृत्व में।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : संवेदनशील मामला है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : अध्यक्ष महोदय, यह कोई बड़ी बात नहीं थी क्योंकि मंत्रीजी का और मुख्य मंत्रीजी का स्टेटमैंट है कि इनको हम एडजैस्ट करेंगे। दूसरी तरफ बोर्ड यह कहता है कि नहीं हम इनको टर्मिनेट करेंगे और टर्मिनेट के आदेश दे दिये। इसका स्पष्टीकरण चाहते हैं कि वास्तव में जो आपने अखबार में दिया उसकी मंशा क्या है। इन दोनों में अन्तर है? आप जो कह रहे हैं वह सही है या वहां जो टर्मिनेट के आदेश दिये जा रहे हैं वह सही है, यह जानना चाहते हैं?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : और कहने का अधिकार तो है क्या आपको?

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी (ओसियां) : मंत्रीजी, राजेन्द्र जी को मुंह तोड़ जबाब दीजिए।

श्री सांवर लाल : आपका नम्बर नहीं आना है, काहे को झगड़े में पड़ते हो आप?

श्री शांतिकुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह स्थगन प्रस्ताव के जरिये बात उठायी गयी थी लेकिन उठाने वाले माननीय सदस्य ने इसको ध्यानाकर्षण प्रस्ताव बना दिया।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से ध्यानाकर्षण किया था।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अच्छा-अच्छा। आप यहां के नियमों की जानकारी कर लें पहले कि स्थगन प्रस्ताव क्या होता है और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव क्या होता है।

अध्यक्ष महोदय, दूसरा आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं प्रतिपक्षी साथियों ने यह कहा कि बोर्ड आफ डायरेक्टर्स ने यह फैसला कर लिया। मैं आपकी जानकारी के लिए क्योंकि आपकी जानकारी अधूरी है, आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नाम की कोई चीज इस संस्था में नहीं होती है। यह एक सोसाइटी है जो कि

(श्री शांति कुमार धारीवाल)

रजिस्टर हुई है। इसकी मीटिंग हुई 26 तारीख को और 26 तारीख को मीटिंग में इन्होंने तय किया कि इसमें रिट्रैन्च कर दिया जाएगा जितने भी रिट्रैन्च किये गये हैं, आठ या दस आदमी अभी तक वे किए गए हैं जो कि स्वयं रिट्रैन्च होना चाहते थे वहां से पैसा लेकर और लाभ लेकर वहां से रवाना होना चाहते थे। कैबिनेट का फैसला यह है कि इनको समायोजित किया जाएगा। जैसा कि आप खुद भी जानते हैं कि मुख्य मंत्री और मेरे द्वारा जो स्टेटमैंट दिया गया वह यही था कि समायोजित किया जाएगा। जैसे-जैसे जिस-जिस डिपार्टमैंट में वांट्स निकलेंगी और जहां-जहां भी जो समायोजित होने योग्य होगा उसको धीरे-धीरे समायोजित किया जाएगा। कुल मिलाकर बात यह है।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : बिल्कुल गलत कह रहे हैं। मंत्रीजी स्पष्ट रूप से + + + बोल रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : सेवाएं समाप्त कर दी गयी हैं, उनका क्या होगा?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने कहा कि आवास विकास संस्थान के बोर्ड की कोई बैठक नहीं होती। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से पलटकर फिर आ रहा हूं...

श्री शांतिकुमार धारीवाल : माननीय सदस्य, संसदीय परम्पराओं की जानकारी लीजियेगा, + + + शब्द यहां नही बोला जाता है। यह निम्बाहेड़ा का कोई खेल का मैदान नहीं है।

श्री अध्यक्ष : + + + शब्द किसने बोला?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : माननीय कृपलानी साहब ने।

श्री अध्यक्ष : एक्सपंज किया जाता है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने यह कहा है कि इस तरह की कोई बैठक नहीं हुई। मैं यह पढ़कर सुना रहा हूं। दिनांक 26-3-99 को विशेष साधारण सभा की बैठक अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में राजस्थान आवासन मण्डल बोर्ड में हुई और उसमें आपने फैसला किया है, अध्यक्ष महोदय, कि आवास विकास संस्थान को बन्द करके जो श्रम कानून है उसके तहत इनकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी। अध्यक्ष महोदय, यही नहीं, सेवा समाप्त करने में बाकायदा यह लिखा है कि एतद् द्वारा आपके...(व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : बात समाप्त हो चुकी है, अध्यक्ष महोदय, सरकार के इस फैसले से कि लोगों को समायोजित किया जाएगा। अगर आप लोगों को दुःख है तो उसका इलाज मेरे पास है नहीं। जब यह निवेदन कर चुके हैं कि समायोजित किया जायेगा तो आप बार-बार इस बात को उठाकर सदन का वक्त क्यों जाया कर रहे हैं? अगर दुःख है तो बता दें आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं, नहीं, आप सीधा-सी एक बात कह दें न कि समायोजित करेंगे।

श्री अध्यक्ष : यह कह रहे हैं न कि समायोजित कर दिया जाएगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मान गये, मान गये। मंत्री, हों तो ऐसे हों।

श्री जगमाल सिंह यादव : यह जवाब तो मेरे स्थगन का दिया है।

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के अदेशानुसार अपलोपित किया गया।

नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष : प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं।

(1) श्री नानालाल नीनामा, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र घाटोल में कतिपय सड़कों की मरम्मत करवाये जाने के संबंध में।

(2) श्री हीरालाल सहरिया, सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला बारां की रामपुरिया से गरड़ा रोड की पुनः मरम्मत करवाये जाने के संबंध में।

(3) श्री गणेशी राम मेघवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से जालोर शहर की नालियों का गंदा पानी आबादी क्षेत्र से दूर निकालने के संबंध में।

(4) डा. किरोड़ी लाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र बामनवास के कई महत्वपूर्ण मार्गों एवं गांवों का विकास कार्य नहीं करवाये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(5) डा. के. सी. चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से ब्यावर की टैक्सटाइल मिलों के बंद होने तथा एक मिल के श्रमिक द्वारा आत्महत्या का प्रयास करने से उत्पन्न स्थित के संबंध में।

(6) श्री निहाल चन्द चौहान, सदस्य, विधान सभा की ओर से तहसील रायसिंह नगर की गंग कैनाल की लखा माइनर चालू करने के संबंध में।

(7) श्री शिवनारायण, सदस्य, विधान सभा की ओर से बारां शहर में नगरपालिका द्वारा रोड लाइटों का बिजली का बिल जमा नहीं कराने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(8) श्री हीरासिंह चौहान, सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला पाली में कानूजा से आसन जिलेलाव तथा कतिपय अन्य सड़कों को बनाये जाने के संबंध में।

(9) श्री भीमसेन चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला बीकानेर में पाक विस्थापितों के दस्तावेजों के पंजीयन की समस्या का समाधन करने के संबंध में।

(10) श्री महादेव सिंह खण्डेला, सदस्य, विधान सभा की ओर से ग्राम कांवट में पानी के नाले पर बनी रपट की मरम्मत करवाये जाने के संबंध में।

(11) श्रीमती यास्मीन अबरार, सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला मुख्यालय सवाईमाधोपुर स्थित सीमेंट फैक्ट्री की बिजली चालू करने के संबंध में।

(12) श्री शिवराम सिंह कुशवाह, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र धौलपुर की कतिपय सड़कों की मरम्मत करवाये जाने के संबंध में।

(13) श्री रामस्वरूप, सदस्य, विधान सभा की ओर से तहसील टोडाभीम के ग्राम लुहारखेड़ा के एक शहीद की पत्नी को सहायता प्रदान करने के संबंध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

श्री नानालाल नीनामा। (अनुपस्थित), श्री हीरालाल सहरिया (अनुपस्थित), श्री गणेशी राम मेघवाल।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

जालौर शहर के गन्दे पानी का निकास

श्री गणेशी राम मेघवाल (जालोर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम 295 राजस्थान विधान सभा प्रक्रिया के अन्तर्गत जालौर शहर के नालियों का गन्दा पानी आबादी क्षेत्र, से दूर निकालने के संबंध में निवेदन करना चाहता हूं।

महोदय, जालोर शहर में सिनेमा हाल से तालाब की पाल पर बने हनुमान मंदिर तक के आबादी क्षेत्र में बसे कुम्हारों का वास, रैबारियों का वास वार्ड नं. 14 में जालोर शहर की गन्दी नालियों का पानी इस क्षेत्र की आबादी की सड़क पर फैलता हुआ बहता है। इस गन्दगी के कारण इस आबादी क्षेत्र के निवासियों का जीवन नारकीय बना हुआ है और महामारी फैलने की आशंका बनी रहती है।

अतः श्रीमान् स्वायत्त शासन मंत्री महोदय का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित कर निवेदन करता हूं कि शहर का गन्दा पानी सीवरेज के माध्यम से इस आबादी क्षेत्र से हटाकर जालोर सायला मुख्य सड़क के सहारे-सहारे शहर से बाहर दूर ले जाया जाए ताकि इस क्षेत्र के निवासियों को राहत मिल सके।

(12.24 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री उपाध्यक्ष : डा. किरोड़ी लाल।

बामनवास विधान सभा क्षेत्र की सड़कों का विकास

डा. किरोड़ी लाल (बामनवास) : उपाध्यक्ष महोदय, क्षेत्र बामनवास (जिला सवाईमाधोपुर) के कई महत्त्वपूर्ण मार्गों एवं गांवों में विकास का कार्य नहीं करवाये जाने से महीनों तक (विशेष कर बरसात काल में) आवागमन पूर्णतया ठप हो जाने से उत्पन्न स्थिति पर नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के जरिये निवेदन करना चाहता हूं।

मान्यवर, बामनवास विधान सभा क्षेत्र की पंचायत समिति बौंली मुख्यालय एवं शहर के डूंगर पिछवाड़े में एक दर्जन से भी अधिक ग्राम पंचायतों की आम जनता को 25-30 किलोमीटर की दूरी पार करके सवाईमाधोपुर क्षेत्र में होकर बौंली मुख्यालय के लिये जाना पड़ता है। इन ग्राम पंचायतों एवं बौंली कस्बे के मध्य एक पहाड़ पड़ता है जिसमें घाटी है। इस घाटी में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा जनता के हित को ध्यान में रखते हुए आधा-अधूरा कार्य भी करवाया गया था, किन्तु यह घाटी आवागमन के योग्य अभी तक नहीं बन पाई है। अगर इस घाटी में सड़क निर्माण हेतु आवश्यक स्वीकृति प्रदान कर दी जाए तो ग्राम लाखनपुर एवं बौंली मुख्यालय की दूरी मात्र 3-4 किलोमीटर ही रह जाती है और दर्जनों ग्राम पंचायतों के इन लोगों का लाखनपुर की इस घाटी में होकर बौंली के लिये आना-जाना सम्भव हो सकता है। इसके अभी तक नहीं बन पाने के कारण बरसात काल में इन दर्जनों पंचायतों की आम जनता बौंली नहीं पहुंच सकती क्योंकि इन गांवों के चारों तरफ बड़े-बड़े नाले एवं छोटी-मोटी नदियां हैं, इससे बरसात के चार महीने तक आवागमन पूर्णतया ठप रहता है।

इसी प्रकार बामनवास के ग्राम सुखार एवं बिचपुरी के मध्य बिनोरी बालाजी के अमावरा मुख्य सड़क पर एक

(डा. किरोडी लाल)

पुलिया निर्माण कार्य नितान्त आवश्यक है। इन करीबन एक दर्जन ग्राम पंचायतों के लोगों का बरसात काल में आवागमन पूरी तरह से बन्द हो जाता है। ग्राम बिचपुरी में तो गत वर्ष एक महिला नाले में डूबने के बाद बहकर मर गई। पशु तो अनेक बार काफी तादाद में बहकर मर गये। इसी प्रकार विधान सभा क्षेत्र बामनवास के ग्राम कोड़ियाई, जस्ताना, गूगड़ोद, ग्राम राणेला एवं बड़ीदा के मध्य ग्राम टोडा एवं टूंडिला के मध्य, ग्राम सराय एवं ग्राम जीवद में पुलिया निर्माण किया जाना अत्यन्त आवश्यक है क्योंकि बरसात काल में भी इन गांवों का आवागमन बन्द हो जाता है और पंचायत एवं तहसील मुख्यालय से सम्पर्क पूरी तरह से टूट जाता है जिसके कारण जनता को अनेकों परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

अतः निवेदन है कि जनहित में उक्त कार्यों को प्राथमिकता देते हुए स्वीकृति प्रदान करें। शीघ्र निर्माण कार्य करवाये जाने का कष्ट करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री के. सी. चौधरी (अनुपस्थित), श्री निहाल चन्द चौहान (अनुपस्थित), श्री शिवनारायण (अनुपस्थित), श्री हीरासिंह चौहान (अनुपस्थित), श्री भीमसेन चौधरी।

बीकानेर में पाक विस्थापितों के दस्तावेज पंजीयन की समस्या

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : उपाध्यक्ष महोदय, जिला बीकानेर के पाक विस्थापितों के दस्तावेज पंजीयन की समस्या समाधान हेतु विशेष उल्लेख के जरिये निवेदन करना चाहता हूं।

मान्वयर, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के माध्यम से राज्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करता हूं कि बीकानेर जिले में 1982 में पाक विस्थापितों को इन्दिरा गांधी नहर परियोजना में भू-आवंटन करके पुनर्वास किया गया था। इन विस्थापितों को सन् 1978 में भारतीय नागरिकता प्राप्त हुई थी। इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र में अचल सम्पत्ति के दस्तावेज पंजीयन में क्रेता के लिये राज्य के मूल निवास प्रमाण-पत्र एवं 1981 की मतदाता सूची की प्रमाणित प्रति संलग्न करना आवश्यक है। लेकिन इन पाक विस्थापितों को 1982 में बीकानेर जिले में आबंटन किया गया था अतः बीकानेर जिले में इनकी 1981 की मतदाता सूची नहीं बनी। बल्कि इन विस्थापितों का नाम बीकानेर जिले में 1982 के बाद की मतदाता सूची में ही दर्ज हो सकता था। अतः इन विस्थापितों द्वारा इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र में भूमि खरीद हेतु पंजीयन दस्तावेज के साथ 1984 की मतदाता सूची की प्रमाणित प्रति एवं 1978 की भारतीय नागरिकता के प्रमाण-पत्र शामिल करने पर दस्तावेज पंजीयन हेतु जिला पंजीयन अधिकारी, बीकानेर को निर्देश जारी किये जाएं ताकि विस्थापितों के दस्तावेज पंजीयन में आने वाली समस्या का समाधान हो सके।

अतः राजस्व मंत्रीजी से निवेदन है कि वे पाक विस्थापितों की उक्त समस्या समाधान हेतु जिला पंजीयन अधिकारी, बीकानेर के नाम उपरोक्त प्रशासनिक आदेश प्रसारित करने हेतु आदेश दें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री महादेव सिंह खण्डेला।

कांवट ग्राम में नाले पर बनी क्षतिग्रस्त रपट की मरम्मत

श्री महादेव सिंह (खण्डेला) : महोदय, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 295 के तहत मैं निम्नांकित लोक महत्व के प्रश्न की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं :—

ग्राम कांवट के दक्षिण दिशा में पानी के नाले पर रपट टूट गया है इससे ग्राम में आने-जाने वाली समस्त बसें, गाड़ियां व अन्य साधन एकदम बंद हो गये हैं एवं ग्रामवासियों का रोजगार व आवागमन अत्यधिक प्रभावित हो गया है। ग्रामवासी इस परेशानी से भयंकर रूप से तंग हो रहे हैं। सामान आदि लाने-ले-जाने में भारी मुसीबत हो रही है।

मेरा निवेदन है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग प्राथमिकता के आधार पर नाले के इस रपट की तत्काल मरम्मत करायें ताकि ग्रामवासियों को सुविधा मिल सके।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती यास्मीन अबरार।

सवाईमाधोपुर बिजली फैक्ट्री का विद्युत कनेक्शन

श्रीमती यास्मीन अबरार (सवाई माधोपुर) : प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत सवाईमाधोपुर जिला मुख्यालय में सीमेंट फैक्ट्री की बिजली चालू करने के सम्बन्ध में विशेष उल्लेख के जरिये निवेदन करना चाहती हूं।

महोदय, निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र सवाईमाधोपुर में सीमेंट फैक्ट्री 10-11 साल से बंद पड़ी है। सीमेंट फैक्ट्री के बंद हो जाने के पश्चात् वहां के मजदूरों को कुछ सालों तक तनख्वाह मिलती रही, उसके बाद उनका वेतन बंद कर दिया गया। वेतन बंद होने के बाद भी सीमेंट फैक्ट्री में बराबर समय के अनुसार घंटे बजते रहे और व्यवस्था चलती रही, लेकिन वेतन नहीं मिला। कुछ समय के लिये बिजली भी बंद होने के बावजूद वहां के मजदूर दरिद्रता का जीवन जीते रहे।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि गरीब मजदूरों की पेट की आग बुझाने की व्यवस्था अगर सीमेंट फैक्ट्री चलाकर पूरी नहीं की जा सकती हो तो कम से कम उनको रात की स्याही से निकाल कर हमारी नयी सरकार उजाले की किरण तो दे ही सकती है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से हमारे ऊर्जा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगी कि अगर सरकार ने यह कहा कि पुराना बकाया फैक्ट्री पर बिजली का है, वह जमा कराएं तब बिजली के कनेक्शन मिलेंगे तो, महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगी कि बिजली का बिल बकाया होने पर तो गरीब मजदूर की बिजली काट दी गयी लेकिन गरीब मजदूर को जो कई सालों से वेतन नहीं मिला है, वह अपनी व्यथा किसको सुनाएं, वह किसका गला काटे?

महोदय, जब भी कभी गत वर्षों में बिजली कनेक्शन देने की बात कही जाती है प्रशासन द्वारा यह दलील दी जाती है कि एक कमेटी बना दी गयी है जिसमें मजदूर, फैक्ट्री के प्रशासन के साथ-साथ कलक्टर साहब भी शामिल हैं। इस कमेटी में कोई भी निर्णय इस कारण नहीं हो पाता है क्योंकि इसमें फैक्ट्री का मैनेजमेंट साथ रहता है।

डा. किरोडी लाल (बामनवास) : बड़ा गंभीर मामला है।

श्री उपाध्यक्ष : है न तो क्या हुआ?

डा. किरोड़ी लाल : इसमें क्या हुआ...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्रीमती यास्मीन अबरार : आप एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए उसके बाद आप बोलियेगा।

डा. किरोड़ी लाल : आपको सपोर्ट कर रहे हैं।

श्रीमती यास्मीन अबरार : सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन मैं...

श्री उपाध्यक्ष : सपोर्ट की अभी जरूरत नहीं है।

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : उपाध्यक्ष महोदय, बहुत गंभीर मसले को उठाया है, आप ध्यान से तो पढ़िये और जवाब दिलाइये मंत्रीजी से।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये, विराजिये।

श्रीमती यास्मीन अबरार : यह समस्या गंभीर इतनी है कि मैंने मंत्रीजी से पर्सनल रिक्वेस्ट करने के बावजूद यह मोशन दिया है।

श्री उपाध्यक्ष : कैरी ऑन।

श्रीमती यास्मीन अबरार : मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगी कि आप आम व्यक्ति की तरह फैक्ट्री मजदूरों को बिजली के कनेक्शन दें और उनको उजाला दें। इस व्यवस्था में जो व्यक्ति बिल जमा नहीं कराता है उसकी बिजली काट दी जाए।

महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगी कि आप आम व्यक्ति की तरह फैक्ट्री मजदूरों को बिजली के कनेक्शन दिये जायें और मजदूरों को फैक्ट्री मजदूर के नाम से अलग नहीं करके मेरे विधान सभा क्षेत्र में आम व्यक्ति की तरह कनेक्शन दे दिये जाएं तो मैं एक बड़ी उपलब्धि मानूंगी।

अतः मैं आपके माध्यम से ऊर्जा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहती हूं कि मेरे क्षेत्र में मजदूरों को बिजली की रोशनी देकर मुझे अनुगृहित करें, आपका व हमारी सरकार का मजदूरों पर यह अहसान होगा। धन्यवाद।

श्री रामस्वरूप : मंत्रीजी, इसके बारे में दो शब्द कहें।

डा. चन्द्रभान (ऊर्जा मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, सवाईमाधोपुर सीमेंट फैक्ट्री में मजदूरों के मौहल्ले में बिजली गुल रहती है यह माननीय सदस्या का कहना एकदम सही है।

डा. किरोड़ी लाल : काट दी।

डा. चन्द्रभान : हां, काट दी।

उपाध्यक्ष महोदय, वास्तविकता यह है कि वहां मजदूरों को जो बिजली उपलब्ध करायी जाती थी वह सीमेंट फैक्ट्री के मैंनेजमैंट द्वारा उपलब्ध करायी जाती थी और उनके बिल का भुगतान भी मेनेजमैंट करता था। इनडिविजुअल किसी मजदूर को आर.एस.ई.बी. के द्वारा बिजली उपलब्ध नहीं करायी जाती थी, वे कंजूमर नहीं थे। अब यह सही बात है कि पिछले कई सालों से वह सीमेंट फैक्ट्री बंद पड़ी है और आर.एस.ई.बी. का उनके ऊपर लाखों रुपयों का बकाया है। उसमें वह बिजली भी शामिल है जिसका मजदूरों ने उपयोग किया

(डा. चन्द्रभान)

और दूसरी तरह की बिजली भी है जो फैक्ट्री को चलाने के काम में आयी। इसको लेकर एक विवाद खड़ा हुआ और इसके लिये एक कमेटी भी बनी। जिलाधीश महोदय के यहां पर बैठक भी हुई। उसमें कुछ निर्णय भी हुए। लेकिन हकीकत यह है कि वे निर्णय लागू नहीं हुए। बीच में बिजली चालू भी की गयी, फिर बकाया बढ़ता गया इसलिये आर.एस.ई.बी. को मजबूर होकर पुनः बिजली के कनेक्शन काटने पड़े।

अब, उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने 295 में भी यह सवाल खड़ा किया है, मुझसे भी व्यक्तिगत ये मिली थीं और इस सवाल को खड़ा किया था। सवाईमाधोपुर से आने वाले सभी माननीय सदस्य भी इसे बहुत ही लोक महत्व का प्रश्न बता रहे हैं और इससे...

श्री रामस्वरूप : नहीं, मैंने भी आपको निवेदन किया था।

डा. चन्द्रभान : आपने भी किया था। इससे यह बात सही है कि करीब पांच सौ मजदूर परिवार सीधे रूप से प्रभावित हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इसके लिये हमने निर्णय किया है कि 17 अप्रेल को जिलाधीश महोदय के यहां पर दुबारा बैठक बुलायी जाएगी जिसमें मजदूरों के प्रतिनिधियों को बुलाएंगे, विधायक महोदय को बुलाएंगे और हमारे विद्युत मंडल के मुख्य अभियन्ता वहां पर मौजूद रहेंगे। उस बैठक में जो भी निष्कर्ष निकलेगा उस निष्कर्ष के आधार पर जो कुछ भी संभव हो सकता है उस तरह का निर्णय ले करके कोशिश यह की जाएगी कि मजदूरों को बिजली उपलब्ध करायी जाए। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, हम जो भी फैसला करेंगे वह नियमों के अन्तर्गत ही कर सकते हैं। लेकिन आर.एस.ई.बी. की भावना यह रहेगी कि मजदूरों को किसी तरह से बिजली की वजह से परेशानी न हो।

श्री रामस्वरूप : बहुत बढ़िया।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शिवराम सिंह कुशवाहा।

श्री रामस्वरूप : लो डाक्टर साहब, आपकी सरकार ने तो नहीं किया कुछ भी। क्या बढ़िया जबाव दिया?

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनूं) : मैं निवेदन करना चाहूंगी, जिस प्रकार से विद्युत मंत्रीजी ने जबाव दे दिया फौरन, हम यहां पर 295 के प्रस्ताव रखते हैं, न तो मंत्री सुनते हैं, न उनका लिखित में जवाब आता है।

श्री उपाध्यक्ष : सुना ना, तब जवाब दिया है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : पहले पूरी बात सुनिये। सुनिये तो सही। ऊर्जा मंत्री की बात छोड़िये आप...

डा. किरोड़ी लाल : ऊर्जा मंत्रीजी वास्तव में जवाब देते हैं। इस ढंग की अगर कोई व्यवस्था हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : ऊर्जा मंत्रीजी ने तो अपना काम कर दिया। लेकिन बाकी भी हम लोग रखते हैं, कभी कोई जवाब देता नहीं, बोलता नहीं। मैं इस सम्बन्ध में आसन से व्यवस्था चाहूंगी कि आप इस सम्बन्ध में मंत्रियों को हिदायत दें कि जब हम 295 के बहुत इस तरह के महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाते हैं तो वे जवाब दिया करें। चाहे लिखित में दें, चाहे खुद खड़े होकर

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

अपनी जानकारी के मुताबिक दें, वरना क्या महत्व है इस 295 का कि हम आते हैं और केवल पढ़ देते हैं और उसके बाद में सरकार की तरफ से कोई गौर उस पर होता नहीं है?

श्री रामस्वरूप : ऊर्जा मंत्रीजी ने तो बिजली भी बहुत अच्छी दी है और यहां सदन में भी बहुत अच्छा जवाब देते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट, माननीय सदस्य। 295 का हमेशा यह क्रम रहा है कि आप पढ़ लेते हैं, यदि अवकाश हुआ तो मंत्री उसका जवाब या सूचना देते हैं। कम्पैल मंत्री को आसन नहीं कर सकता कि आप इसका जवाब दें।

श्री रामस्वरूप : देना चाहिये, साहब।

श्री जगमाल सिंह यादव : ये जनता दल के संस्कार हैं इनमें। बाकी ये हैं शहरी कल्चर के लोग, ये नहीं देते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : अभी दिया ना इन्होंने मरजी से। इन्होंने समझा इसको, महत्वपूर्ण समझा तो जवाब दिया है।

धौलपुर विधान सभा क्षेत्र की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत

श्री शिवराम सिंह कुशवाह(धौलपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधान सभा के प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र धौलपुर में निम्न सड़कें बुरी तरह से जर्जर एवं टूटी-फूटी हालत में हैं : —

(1) बाड़ी रोड से सरानी खेड़ा तक।

(2) कुथियाना रोड से गांव सिंघावली तक।

(3) कुथियाना रोड से सुन्दरपुर तक।

(4) जेल रोड से भूराखेड़ा तक।

(5) फट्टी के चौराहे से जेल, सोलह खम्भा होती हुई वरखंडी हनुमानजी के मंदिर तक।

(6) ओड़ेला से टेहरी राजपुर होती हुई कौलारी तक।

(7) जी. टी. रोड से मोरोली तक।

(8) वाटर वर्क्स चौराहे से नगरपालिका गेट तक।

(9) सालेपुर से सैंपऊ तक।

(10) सैंपऊ से गढ़ी लज्जा तक।

(11) मनिया जी. टी. रोड से रमगढ़ा तक।

(12) मौरोली गांव से नीम की बंसई तक।

(13) जाटौली मोड़ से चंगोरा खुर्द तक।

(14) बाड़ी रोड से शिवजी के मंदिर तक।

(15) जी.टी. रोड चौराहे से धूलकोट होते हुए निहालगंज थाने के आगे मोड तक।

(16) सैंपऊ से रजौरा कलां तक।

इन सड़कों की जीर्ण-शीर्ण हालत एवं गड्ढे होने के कारण मेरे क्षेत्र के निवासी एवं अन्य यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है। यहां तक कि दूर-दराज के क्षेत्रों से बीमार एवं प्रसव पीड़ित महिलाओं की इन सड़कों से गुजरते समय मृत्यु तक हो जाती है। अतः प्राथमिकता के आधार पर अविलम्ब उक्त सड़कों का मरम्मत कार्य चालू कराया जाना नितान्त आवश्यक है। मंत्रीजी इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामस्वरूप।

टोडाभीम तहसील के ग्राम लुहार खेड़ा के एक शहीद की पत्नी को सहायता

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधान सभा के प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम की तहसील टोडाभीम के ग्राम लुहार खेड़ा के श्री प्रहलाद सिंह गुर्जर ने दिनांक 15 अप्रेल, 1998 को जम्मू-कश्मीर में देशद्रोहियों के साथ अपनी जान की परवाह न कर घमासान युद्ध करते हुए देश की अक्षुण्णता एवं अखण्डता के लिए प्राण न्यौछावर कर दिये और देश ने एक वीर, वफादार, कर्तव्य परायण सैनिक खो दिया। समस्त राष्ट्र को उन पर गर्व है। लेकिन सरकार द्वारा उनको क्या सहायता दी गयी? उनकी धर्मपत्नी के लिए अपने परिवार का पालन-पोषण करने हेतु सरकार ने कोई चिन्ता क्यों नहीं की? क्या उसकी पत्नी का सरकार के सामने कोई प्रार्थना-पत्र अब तक दिया गया? यदि हां, तो उसमें क्या कार्यवाही की गयी? नहीं, तो क्यों?

पैट्रोल पम्प हेतु भी क्या सरकार को उसने आवेदन किया? यदि किया तो सरकार ने उसे भूमि आवंटित क्यों नहीं की? अतः मैं इस प्रक्रिया के माध्यम से देश के लिए शहीद हुए उस वीर के परिवार के ऊपर ध्यान दिलाना चाहता हूं एवं निवेदन करना चाहता हूं कि उनको सहायता प्रदान करें और पैट्रोल पम्प दिलावें।

सरकार स्वतन्त्रता सेनानियों को विशेष महत्व दे रही है। अभी हाल के बजट में स्वतन्त्रता सेनानियों के लिए बहुत ही ध्यान रखा जा रहा है...

श्री उपाध्यक्ष : श्री मदन दिलावर। यह क्या पढ़ रहे हो आप?

श्री रामस्वरूप : अतः मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि संतरा देवी, जिसका पति देश के लिए शहीद हुआ है, मेहरबानी करके आप उनके लिए क्या व्यवस्था कर रहे हैं?

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये, माननीय सदस्य।

श्री रामस्वरूप : माननीय मंत्री महोदय विराज रहे हैं, गृह मंत्रीजी यहां विराज रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराजें, माननीय सदस्य।

श्री रामस्वरूप : उनके लिये क्या व्यवस्था वे कर रहे हैं?...(व्यवधान) बहुत महत्वपूर्ण मामला है।

श्री मदन दिलावर (अटरू) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में...

श्री रामस्वरूप : सरकार देश के लिये...(व्यवधान) देने के बारे में कोई विचार नहीं कर रही है सरकार। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : उपाध्यक्ष महोदय, पीलिया रोग भयंकर रूप से अपने पैर पसार चुका है।

श्री रामस्वरूप : मेरा तो आपके माध्यम से निवेदन है...(व्यवधान) आप कोई व्यवस्था कराएंगे इसके लिये।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराजें, माननीय सदस्य।

श्री मदन दिलावर : उपाध्यक्ष महोदय, कई लोगों की मौतें हो गयी हैं।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये, माननीय सदस्य।

श्री रामस्वरूप : यह देश के शहीदों का मामला है। एक शहीद की धर्मपत्नी निवेदन कर रही है, मैं उसकी पीड़ा को सदन के सामने रख रहा हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : हो गयी ना प्रकट।

श्री रामस्वरूप : उसके सामने जो अपने रोजगार के लिये...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : यह कोई नियम ...(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : जिसने यह मांग की है कि उसे पैट्रोल पम्प दिलवाया जाए। उपाध्यक्ष महोदय, क्या कोई सुनेगा नहीं? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजें।

श्री रामस्वरूप : सदन के सामने आप मुझे इसके बारे में कुछ...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : उपाध्यक्ष महोदय, पीलिया रोग भयंकर रूप से पैर पसार चुका है...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप विराजें।

श्री रामस्वरूप : माननीय सदस्य दिलावर जी, आप इसे दूसरी दृष्टि से देख रहे हो।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, इसके नियमों में तरीका है आपने पढ़ लिया ना। (व्यवधान)

पर्चों के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

खानपुर कस्बे में पीलिया का प्रकोप

श्री मदन दिलावर (अटरू) : उपाध्यक्ष महोदय, पीलिया रोग हो चुका है इनको।

उपाध्यक्ष महोदय, कोटा जिले के कोटा शहर सहित इटावा कस्बे में और झालावाड़ जिले के खानपुर कस्बे में जबरदस्त तरीके से पीलिया रोग फैल चुका है। उपाध्यक्ष महोदय, अभी 3-4 दिन पहले इटावा शहर में 19 पीलिया के रोगी पाये गये हैं और केवल इटावा नगर में ही नहीं गेंता, खातौजी इत्यादि गांवों में बहुत बड़ी संख्या में पीलिया रोगी हैं मजबूरी में लोग निजी अस्पतालों में अपना इलाज करा रहे हैं क्योंकि इटावा कस्बे में इलाज की कोई व्यवस्था नहीं है। लगभग सारे के सारे डाक्टर्स छुट्टियों पर गये हुए हैं। कोई एकाध डाक्टर या कम्पाउण्डर वहां हो तो हों। पानी की स्थिति आप देखेंगे. .(व्यवधान)

श्री मोहन लाल चौहान : पढ़कर नहीं बोल रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। आप समझ नहीं रहे हो इस बात को, क्यों बोल रहे हो?

श्री मदन दिलावर : उपाध्यक्ष महोदय, पानी की स्थिति देखेंगे तो भयंकर दूषित जल उनको पिलाया जा रहा है। तीन दिन पहले भी प्रशासन के पास कीड़ेयुक्त पानी वहां के लोग लेकर आये हैं, उस कीड़ेयुक्त पानी को लोग पी लेंगे तो मरना तय है। खानपुर की स्थिति आप और हमसे छुपी हुई नहीं है। ढाई हजार पीलिया रोगी वहां प्रभावित हैं। साढ़े 600 पीलिया रोगी तो सरकारी अस्पतालों में चिह्नित किये गये हैं और कई हजारों की संख्या में निजी अस्पतालों में अपना इलाज करा रहे हैं। कई जादू-टोने से अपना इलाज करा रहे हैं झाड़-फूंक से इलाज करा रहे हैं। 4 मौतें हो चुकी हैं और अब इस भयंकर बीमारी से लोग ग्रस्त हैं। खानपुर शहर के बाहर भी झालावाड़, कोटा और अन्य शहरों में जाकर अपना इलाज करा रहे हैं। अस्पतालों

(श्री मदन दिलावर)

से उनको इतना भय हो चुका है कि अस्पतालों में दवाइयां उपलब्ध नहीं होने के कारण वे दवाइयां नहीं ले पा रहे हैं। बार-बार सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि सारी की सारी दवाइयां उपलब्ध हैं, शुद्ध पेयजल पिलाया जा रहा है, शुद्ध पानी की व्यवस्था की जा रही है। मैं समझता हूं इन सब वक्तव्यों के बावजूद लोग कैसे मर रहे हैं? आखिर वहां शुद्ध पेयजल की व्यवस्था क्यों नहीं की जा रही? वहां अच्छे विशेषज्ञ डाक्टर क्यों नहीं भेजे जा रहे? इटावा में अभी जल के नमूने लिये गये हैं उसमें भी मेरी जानकारी के अनुसार अशुद्ध जल पाया गया। इतने सारे वक्तव्य के बावजूद खानपुर के लिये जो सरकार अपने आपको गंभीर कह रही है उसमें भी कई में क्लोरीन शून्य पायी गयी। यह बहुत गंभीर मामला है परन्तु सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंग रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा विधान सभा क्षेत्र लगा हुआ है खानपुर विधान सभा क्षेत्र से, उसका असर बकार में आ गया है। बकार में, पीलिया के रोगी होने की पूरी संभावना है। बहुत सारे लोग वहां बीमार पड़ रहे हैं। अटरू से लगा हुआ बड़ौदा कतार है, कतार खानपुर से लगा हुआ है और उसके कारण वहां भी बहुत सारे लोग पीलियां के रोगी होने की सम्भावना है। लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। सरकार का तो एक सूत्रीय कार्यक्रम है यहां पर खड़े होकर वक्तव्य दे देना। बहुत अच्छा जल पिलाया जा रहा है। रोग पर नियन्त्रण पाने के लिए सब तरह के इंतजाम किये जा रहे हैं। तीन माननीय मंत्री महोदय वहां गये थे खानपुर में। सर्किट हाउस में बैठकर, बिसलरी का पानी पीकर, कोका कोला, पीकर, जब जनता उनके सामने मिलने आई तो कहा कि जनता से हम नहीं मिल सकते। व्यापार संघ के लोग मिलने आए तो मिलने से मना कर दिया, पतली गली से निकल कर अस्पताल में चले गये। जनता नहीं पहुंच जाए इसलिए अस्पताल से तुरंत भागे और गांव के बाहर सड़क पर चले गए। ड्राइवर से कहा, गाड़ियां इधर ले आना। लोग देख नहीं लें, वहां से भाग कर आ गए। आखिर लोग मर रहे हैं, चार लोग मर चुके हैं और मुझे ऐसी आशंका है कि इसे गम्भीरता से नहीं लिया गया तो दर्जनों लोगों की मौत हो सकती है। इसलिये मेरी करबद्ध प्रार्थना है इस सरकार से कि अगर थोड़ी सी संवेदनशीलता बची है, थोड़ी भी मानवता बची है, थोड़ी भी इन्सानियत बची है तो एक महीने तक टैंकों से 10 किलोमीटर की रेडियस के बाहर का पानी खानपुर के लोगों को पिलाया जाए, अन्यथा रोग रुकेगा नहीं और खानपुर ही नहीं मेरे विधान सभा क्षेत्र को भी ग्रसित कर लेगा, पूरे हाड़ौती को ग्रसित कर लेगा। खसरा भी पूरी ताकत से फैल रहा है, उपाध्यक्ष महोदय, उसकी भी कोई चिंता नहीं कर रहा है। मैंने आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित किया है, मुझे आशा है कि संवेदनशून्य सरकार में कहीं न कहीं कुछ संवेदनशीलता जागेगी, इसी आशा के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मोहम्मद माहिर आजाद।

नगर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम भटपुरा में हुए अग्निकाण्ड के पीड़ितों को राहत

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र नगर के एक ग्राम भटपुरा में बहुत ही हृदय विदारक

(मोहम्मद माहिर आजाद)

घटना हुई है। 10 तारीख को भीषण अग्निकाण्ड हुआ जिसमें करीब 50 घर जल गए, 25-30 जिंदा पशु जल गए और उन 50 घर वालों का करीब-करीब सारा सामान जल गया। सैंकड़ों क्विंटल अनाज, कपड़े और दो परिवार—एक कुम्हार परिवार और एक मेव परिवार, जिनके अगले महीने बच्चियों की शादी होने वाली थी, उनकी शादी का पूरा का पूरा सामान भी जल गया। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय राहत मंत्रीजी को कल लिखकर भी दिया था, उन्होंने शायद जिला कलक्टर से सूचना मंगवाई है लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, स्थिति यह है कि बड़ौदा मेव के समीपवर्ती गांव भटपुरा में 10 तारीख को दोपहर में खाना बनाते समय लगी आग पूरे गांव में फैल गई जिससे करीब 50 परिवारों का लाखों रुपयों का घरेलू सामान जलकर राख हो गया, 25-30 मवेशी भी आग में ज़िन्दा जल गए। इस भयंकर अग्नि दुर्घटना के कारण ग्राम भटपुरा में मातम जैसा माहौल है। भटपुरा गांव के रोशन लाल दीवान के घर पर दोपहर का भोजन बनाते समय तेज आंधी के कारण लगी आग की लपटें पूरे गांव के घरों को लीलती हुई चली गई और लोगों के खेतों में फसल कटाई के काम में व्यस्त होने के कारण आग बुझाने के लिए भी वहां कोई उपलब्ध नहीं था।

अलवर में अग्निकाण्ड की सूचना दे दी गई, मगर मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि सूचना देने के बाद आधा घण्टे, पौन घण्टे का भी रास्ता नहीं है लेकिन चार-पांच घण्टे बाद वहां दमकलें पहुँचीं, इस कारण आग पर काबू पाने में बहुत समय लगा। 45-50 परिवार ऐसे हैं जिनके सामने आज रोटी खाने का भी संकट पैदा हो गया है। सारी नकदी, अनाज, मवेशी और यहां तक कि एक कुल्हड़ कुम्हार और लालतोरा मेव की लड़की की शादी का सारा सामान भी नष्ट हो गया। उपाध्यक्ष महोदय, इस भयंकर आग की लपटें करीब दो-तीन किलोमीटर दूर से भी देखी जा रही थीं। खेतों में दौड़ कर लोग आए और पूरी मेहनत मशक्कत करने के बाद करीब चार-पांच घण्टे बाद इस आग पर काबू पाया जा सका। जब आग बुझने पर आ गई तब जाकर दमकलें वहां पहुँची। (व्यवधान) माननीय सीकर से आने वाले सदस्यजी, बहुत गम्भीर मामला है, लोगों के सामने मातम जैसा माहौल है और आप इसे मजाक में ले रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अकाल राहत मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि बेसहारा और गरीब लोग, जिनके रोजी-रोटी का भी संकट पैदा हो गया है, तुरंत उनके खाने-पीने की व्यवस्था की जाए और उनको जितनी जल्दी हो सके राहत मुहैय्या कराई जाए। साथ ही इस बात की भी जांच कराने का कष्ट करें कि आखिर सूचना मिलने के बाद भी दमकलें इतनी देर से क्यों पहुंचीं।

उपाध्यक्ष महोदय, गर्मीयों का सीजन आने वाला है और गर्मीयों में आग का सिलसिला चला रहता है, अगर सरकार ने तत्परता दिखाई और एकाध मामले में भी किसी को जांच करके दोषी पाए जाने पर जिम्मेदार ठहराया तो मैं समझता हूं कि आग से इस तरह की लापरवाही की पुनरावृत्ति नहीं होगी। मैं आपके माध्यम से माननीय राहत मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जो कि यहां मौजूद नहीं हैं

(मोहम्मद माहिर आजाद)

लेकिन गृह मंत्रीजी बैठे हैं कि यह बड़ी हृदय विदारक घटना है, मातम का सा माहौल है, अगर आप उन लोगों को राहत पहुंचाने की सरकार की तरफ से कोई बात कहें तो मैं आपका बड़ा आभारी रहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अमरारामजी

राजस्थान लघु उद्योग निगम में कथित आर्थिक अनियमितताओं की जांच

श्री अमराराम (धोद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से उद्योग मंत्रीजी जो यहां विराजे हुए हैं, उनका ध्यान राजस्थान लघु उद्योग निगम जिसमें आर्थिक अनियमितताएं और घोटाले हुए हैं, उसकी ओर दिलाना चाहूंगा। 8 अक्टूबर, 1998 को घोटालों की जांच कराने के लिए आदेश दिए गए लेकिन क्योंकि उच्च अधिकारी ये घोटाले करने में शामिल था, इसलिए उसको बचाने के लिए न तो आज तक जांच की गई और न उस पर कोई कार्यवाही की गई।

उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार एक तरफ तो बेरोजगारों को रोजगार देने की बड़ी-बड़ी घोषणाएं करती है, वहीं राजस्थान लघु उद्योग निगम में जो सेवानिवृत्त अधिकारी हैं, उनको पुनः नियुक्ति देकर, 10-10 हजार रुपए के कॉण्टैक्ट पर रख रखा है। माननीय उद्योग मंत्रीजी, राजस्थान लघु उद्योग निगम में जो आर्थिक अनियमितताएं पिछले समय में वहां के मैनेजिंग डाइरेक्टर ने की हैं, उनकी जांच करवाएं सेवानिवृत्त लोगों को कॉण्टैक्ट के आधार पर पुनः नियुक्त कर रखा है। जहां डाइरेक्ट नियुक्ति का प्रोविजन है, उसकी जगह लोगों को प्रमोशन देकर भर दिया गया, जो नियम विरुद्ध है। इन तमाम आर्थिक अनियमितताओं की जांच करवाएं। सीधा रिक्रूटमैंट जिन पदों का होना चाहिए और वहां सेवानिवृत्त लोगों को लगा रखा है, उनको हटाकर नई नियुक्तियां दें। धन्यवाद।

श्री महावीरजी में गम्भीर नदी पर एनीकट का निर्माण

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामस्वरूप मीणा।

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से गम्भीर नदी जो जिला करौली में मेरे क्षेत्र से होकर बहती है, श्री महावीरजी के बिल्कुल पास होकर गुजरती है, के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। यह गम्भीर नदी का बड़ा ही गम्भीर मसला है। उपाध्यक्ष महोदय, इस गम्भीर नदी का बड़ा ही गम्भीर मसला है। उपाध्यक्ष महोदय, इस गम्भीर नदी पर एनीकट बनाने के लिए बहुत पुरानी योजना हमारे यहां चली हुई थी। तत्कालीन मुख्य मंत्री शिवचरणजी माथुर जब श्री महावीरजी पधारे थे तो उन्होंने उस समय यह घोषणा की थी कि गम्भीर नदी पर एनीकट बनाया जाएगा। उसके बाद भी एनीकट नहीं बना। भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आई, उस समय मैं जब लगातार दो बार जीतकर आया तो दोनों बार मैंने उनके सामने यह मांग रखी थी कि इस गम्भीर नदी जिस पर जैनियों का महान तीर्थस्थल श्री महावीरजी है, उस पर एक एनीकट बनाया जाए। हमारे पानी का स्तर नीचे चला गया है, नदी बिलकुल गहराई में चली गई है, जिससे पीने के पानी की भयंकर समस्या पैदा हो चुकी है। उपाध्यक्ष महोदय, अगर इस गम्भीर नदी पर एनीकट बनता है तो हमारा जल स्तर भी ऊपर आएगा। आसपास में जो निम्नलिखित गांव हैं, दानालपुर, शेखपुरा, गिरवाड़ा, भोटवाड़ा, आखाड़ा, नांगल,

(श्री रामस्वरूप)

पाडली, नगला, भाबी, गांवड़ी, भोपड़, भादरपुर, कंजौली, निसुरा आदि इन गांवों में सिंचाई की बात तो दूर, पीने के पानी की भी समस्या पैदा हो गई है। इसलिए माननीय मंत्री महोदय से विनम्र निवेदन है कि वहां एक एनीकट बनाया जाए। पहले कांग्रेस के समय में हमारे मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा कर दी थी, भाजपा सरकार के सामने हमने बहुत कुछ कहा, लेकिन जैसे नदी का जलस्तर नीचे चला गया, उसी तरह उनका स्तर भी इतना गिर गया कि उन्होंने मेरी एक बात को भी नहीं सुना। उपाध्यक्ष महोदय, संवेदनशील सरकार आई है, हमारी हर बात को सुन रही है, लगातार अच्छी-अच्छी घोषणाएं कर रही है। ऐसी सरकार जो किसानों की ओर ध्यान देती है। श्री महावीरजी एक महान तीर्थ स्थान है जैनियों के लिए, मैंने पिछली बार भी इस सदन में भूख हड़ताल की थी, और उनके मसले को यहां उठाया था। (13.00 बजे) उसी महान जैनियों के स्थान पर यह गंभीर नदी का मामला पड़ा हुआ है। अगर यह एनीकट बन जाए तो यह एक बहुत सुन्दर स्थान बनेगा और पानी की समस्या भी हल होगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गंभीर नदी पर एनीकट बनाने के लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन उस क्षेत्र में हो रहा है। वहां के किसानों ने एक बहुत बड़ी सभा की थी, उसके अंदर सारे नेताओं को भी बुलाया था। हमने आश्वासन दिया था कि हमारी सरकार निश्चित इस मांग को पूरा करेगी और सुनेगी। हमने यह विश्वास भी दिलाया था कि मैं राजस्थान की विधान सभा में इस मसले को उठाऊंगा। मैंने उनसे हुक्म लेकर, उनके आशीर्वाद से आज यह मसला आपके सामने उठाया है, जो लाखों लोगों के जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए मैं आपका अधिक समय न लेकर, माननीय मंत्रीजी यहां विराजमान हैं उनसे एक निवेदन करूंगा कि आप गंभीर नदी के इस मसले को गंभीरता से लें। इन लोगों में आंदोलन की जो भावना है उसको हमने रुकवा दिया है कि कोई आंदोलन की जरूरत नहीं है, हमारी सरकार इतनी बढ़िया आ गई है, हमारे आदरणीय मुख्य मंत्रीजी इतने महान आ गए हैं कि वे हमारी बात को वैसे ही मान लेंगें। इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इस गंभीर नदी के एनीकट की बात पर आप ध्यान देंगे और घोषणा करेंगे कि निश्चित रूप से यह एनीकट बन जाएगा। आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : समिति के प्रतिवेदन।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान इस सर्वोच्च सदन के बाहर हजारों-हजारों जौहरी अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, उसकी तरफ दिलाना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, वे नारा लगा रहे हैं "भैरूं बाबा वापस आओ, अशोक गहलोत का बोझ उठाओ।" उपाध्यक्ष महोदय, इस सरकार ने नगीनों को तराशने वाले गरीब अल्पसंख्यक लोगों के ऊपर दो प्रतिशत कर लादकर बुरी हालत बना दी है। जिस कला उद्योग के लिए पूरे विश्व के अंदर जयपुर विख्यात था, यहां के जौहरी, यहां के कारीगरों की वह कला समाप्त करने के लिए उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार का + + + सरकार ने किया है (व्यवधान)

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य (व्यवधान) माननीय सदस्य।

श्री रामस्वरूप : जौहरियों की बात याद आ रही है, गरीबों की बात याद नहीं आ रही है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री रामस्वरूप : इस विधान सभा के अंदर आपको जौहरी याद आ रहे हैं, यह सरकार कोई जौहरियों के ऊपर टिकी हुई है ?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : किसानों की बात करते हैं तो आप बोलने नहीं देते।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर, आर्डर। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : यहां के किसानों के वोट लीजिए। (व्यवधान) जौहरियों की जो बात कर रहे हो, किसानों की बात नहीं करते हो। हम किसान की बात करते हैं तो जौहरियों की बात की आपने। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जौहरियों की जो बात कर रहे हैं...(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : इसलिए मेरा निवेदन है कि गंभीर नदी के एनीकट के बारे में विचार किया जाए, उस एनीकट को बनवाने के लिए सरकार घोषणा करे। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री रामस्वरूप : जौहरियों की बात तो बाद में भी हो सकती है, लेकिन किसानों की बात पहले सुनी जाए। आप किसानों की बात नहीं करने देते। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। (व्यवधान) माननीय सदस्य, समाप्त कीजिए। आर्डर प्लीज। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : गंभीर नदी पर एनीकट बनाने की बात कर रहे हैं और इनको यहां जौहरियों की बात याद आ रही है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय राठौड़ साहब। माननीय राजेन्द्र जी राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, इस उद्योग को बचाने की आवश्यकता है। (व्यवधान) मेरा आपसे आग्रह है, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि बजट में आपने उन पर जो कर लगा दिया उसको वापस लिया जाए। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : पहले किसानों की बात होगी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आज चारों तरफ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, माननीय दिलावर जी।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा) : ये छोटे-छोटे कर्मचारी हैं, ये जौहरी नहीं हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय दिलावर जी।

श्री मदन दिलावर : नगीने तराशने वाले ये छोटे-छोटे मजदूर हैं और आपने

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

अधीनस्थ सेवा नियम प्रचलित थे उनमें उप निरीक्षक से निरीक्षक की पदोन्नति हेतु आर्म्ड पुलिस, सिविल पुलिस तथा आई.बी. में अलग-अलग पाठ्यक्रम के आधार पर पदोन्नति की परीक्षाएं ली जाती थीं। 1989 के नियमों के तहत यह अलग-अलग परीक्षा न ली जाकर एक ही परीक्षा तीन प्रकार की निरीक्षकों की ली जाती है तथा तीनों को एक ही प्रशिक्षण पाठ्यक्रम से गुजरने के बाद निरीक्षक के पद पर पदस्थापित किया जाता है। इस प्रकार नियमों के तहत निरीक्षकों में एपी. सीपी. तथा आई.बी. में किसी प्रकार का अंतर नहीं रह जाता है।

अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को यह भी ध्यान दिलाना चाहूंगा, यद्यपि उप निरीक्षक इंटैलिजैंस ब्रांच, सिविल पुलिस तथा आर्म्ड पुलिस तीनों प्रकार की ड्यूटीज के लिए प्रशिक्षित हैं, सभी निरीक्षकों को फील्ड पोस्टिंग में थानों पर नहीं लगाया जा सकता। इस समय राज्य में 700 थानों में से 253 में ही निरीक्षक स्तर के एस.एच.ओ. के पद हैं जबकि कुल निरीक्षकों की संख्या 730 है। इनमें से 120 निरीक्षक आई.बी. अति महत्त्वपूर्ण कार्य करने के लिये आवश्यक हैं मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आई.बी. को कुशल व सुदृढ़ बनाना भी राज्य सरकार का तथा पुलिस प्रशासन का महत्त्वपूर्ण कार्य है। ऐसे ही आई.एस.आई. की बढ़ती हुई गतिविधियां, पाकिस्तान से लगता हुआ करीब 240 किलोमीटर का बॉर्डर, असामाजिक तत्वों की विध्वंसकै गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण रखने तथा उनकी निगरानी रखना अति आवश्यक है। प्रत्येक पुलिस लाइन में दो-दो आर.आई. का होना आवश्यक है जबकि पहले पुलिस के प्रत्येक जिला पुलिस में एक आई. आर. काम संभाल लेता था। परन्तु पुलिस पुनर्गठन के फलस्वरूप प्रत्येक जिले में पुलिस की संख्या में वृद्धि की गई है तथा आर्म्ड पुलिस ड्यूटी के लिए एक-एक आर.आई. पदस्थापित करना आवश्यक हो गया है। इस तरह 37 पुलिस जिलों में 74 आर.आई. की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण संस्थाओं में परेड़ व अन्य बाह्य आउटडोर की गतिविधियों हेतु उनमें आर्म्ड पुलिस निरीक्षकों की आवश्यकता रहती है। इससे स्पष्ट है कि सभी पुलिस निरीक्षक थानों में नहीं लगाए जा सकते हैं, उन्हें महत्त्वपूर्ण कार्य हेतु पद स्थापित करना उतना ही आवश्यक है। जैसा कि मैं निवेदन कर चुका हूं. 1989 नियम आने के पश्चात् यद्यपि भर्ती आर्म्ड पुलिस में की जाती है.

(13.12 बजे)

(श्री रामनारायण चौधरी, सभापति, पदासीन)

भर्ती किए गए कांस्टेबल, उप निरीक्षकों के स्थानान्तरण के बाद में वरिष्ठतम वरिष्ठता के आधार पर सिविल पुलिस में कर दिया जाता है। 1989 के नियमों के तहत सी.पी., एपी., आई.बी. का अंतर नहीं रह गया था, कुछ यही शब्द पारम्परिक (कंवेंशनल) आधार पर चल रहे हैं। पुलिस जैसे अनुशासित विभाग में फोर्स का अनुशासन एवं परे महत्त्वपूर्ण अंश हैं। पुलिस विभाग द्वारा यह अनुभव किया जा रहा है कि एपी. सीपी. व आई.बी. के इकट्ठा मिल जाने एवं एक प्रकार के अनुभव के अधिकारी दूसरे प्रकार के कार्य में लग जाने के कारण पुलिस लाइन के प्रशासन व अनुशासन में शिथिलता आई है। इस कारण यह आवश्यकता पुलिस प्रशासन द्वारा समझी गई है कि जो उपयुक्त अधिकारी, एपी. के बैकग्राउंड वाले

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

हैं वे लाइन के कार्य पर अधिक प्रभावी ढ़ंग से नियन्त्रण रख सकते हैं। इस कारण कुछ अधिकारी जिनकी संख्या बहुत अधिक नहीं है अधिक सहयोग मानते हुए ए.पी. की ड्यूटी व आई.बी. की ड्यूटी हेतु पदस्थापित किया गया है। यह भी ठीक है कि एक अधिकारी, पहले यह अधिकारी सिविल पुलिस में बतौर थानाधिकारी काम कर चुके थे लेकिन यह देखते हुए कि अन्य विशेष योग्यता वाले काम को अधिक सुचारू रूप से कर सकते हैं उन्हें ए.पी. तथा आई.बी. के पदों पर केवल मात्र पूर्व अनुभव तथा इस योग्यता के मापदण्ड से पदस्थापित किया गया। इस पदस्थापन का उद्देश्य अधिकारी की कार्य दक्षता पर प्रश्न चिन्ह लगाना नहीं है बल्कि पुलिस विभाग के अनुसार यह उन अधिकारियों की कार्यक्षमता तथा उपयुक्तता के मापदंड को ध्यान में रखते हुए पदस्थापित किया गया है। इस प्रकार के पदस्थापन पुलिस विभाग की ओवर आल एफिशिएंसी (समग्र कार्यदक्षता) के लिए किया गया है। जहां तक राजस्थान पुलिस सेवा अधिकारियों का प्रश्न है, उन पर न तो 1974 के अधीनस्थ सेवा नियम लागू होते हैं न ही 1989 के राजस्थान पुलिस सेवा में आकर सभी धाराओं (स्ट्रीमों) के अधिकारी एक ही धारा में मिल जाते हैं तथा उनकी उपयुक्त पोस्टिंग की जाती है।

श्री जगमाल सिंह यादव : सभापति महोदय, गृह मंत्री जी ने जो बयान यहां पढ़ा है और जो सदन शाखा ने मुझे जवाब भेजा, वह बिलकुल अलग है या तो मुझे गलत जवाब भेजा है। यह जवाब जो मेरे हाथ में है इसका तो अर्थ शेष बचा ही नहीं है। अगर आप मुझे परमिट करें, सभापति महोदय, तो आपकी (व्यवधान)

श्री सभापति : मंत्री महोदय ने जो वक्तव्य दिया है (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : मुझे सदन शाखा ने दिया है। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैंने जवाब नहीं भेजा था, तथ्यात्मक टिप्पणी भेजी थी। जो यहां से गया था सचिवालय के अंदर उसमें एक्चुअल पोजीशन भेजी थी। वक्तव्य मेरा, श्रीमान, यही माना जाए।

श्री सभापति : यही माना जाए माननीय मंत्री जी ने वक्तव्य दिया है, सरकार का यही वक्तव्य अधिकृत माना जाएगा।

श्री जगमाल सिंह यादव : मुझे दिया है वो और यह तो मेल ही नहीं खाता। (व्यवधान) जो मुझें दिया है अगर आप मुझे परमिट करें .. नहीं, आपकी परमीशन से मैं रखूंगा जो स्टेटमैंट दिया। जो मुझे कहा गया कि व्याख्यात्मक टिप्पणी मानें आपको भेजी (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : आपके इसमें फर्क क्या है? मूल बात इसमें और इसमें करीब करीब एक ही है। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, अगर आपको कोई फर्क नजर आता है तो प्रश्न के द्वारा आप पूछ लीजिए।

श्री जगमाल सिंह यादव : मैं आपको टेबल कर रहा हूं।

श्री सभापति : प्रश्न के द्वारा आप क्लैरिफिकेशन मांग लीजिए। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : इसमें मैंने भी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया था।

श्री सभापति : आपको भी मौका देंगे।

डा. किरोड़ी लाल : नहीं, मौके की बात नहीं है, मैंने जिस ढंग से ध्यानाकर्षण प्रस्ताव...(व्यवधान)

श्री जनार्दन गहलोत : मैंने भी कहा है, मेरे पास कोई जवाब नहीं आया। कॉपी नहीं आई हमारे पास। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : सभापति महोदय, काहे का ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है? इसको टालने का प्रयास है, और कुछ नहीं। मैंने एक दर्जन से अधिक क्वेश्चन किए और मेरे पास सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : फ्लोर पर आप कब्जा कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूं। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : मैं फ्लोर पर कब्जा नहीं कर रहा। आपके पास तो रिपोर्ट आई है, मेरे पास कुछ भी तथ्यात्मक रिपोर्ट नहीं आई, मुझे तो कोई जानकारी नहीं दी।

श्री जगमाल सिंह यादव : यह तथ्यात्मक रिपोर्ट है ही नहीं कुछ। मेरे पास जानकारी है, जो स्टेटमैंट आपने पढ़ा यह उससे मेल नहीं खाता। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री प्रद्युम्न सिंह : जो भिन्नता है आकर मुझसे पूछ लीजिए।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आपको इसमें भिन्नता लग रही है मेरे वक्तव्य से तो कृपया आप उसकी जानकारी मुझसे प्राप्त कर लें, आप क्वेश्चन कर लें। I will try to answer to your queries.

मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने की चेष्टा करूंगा।

श्री जगमाल सिंह यादव : वो तो ध्यान आकर्षण में मेरा राइट है ही प्रश्न पूछने का।

श्री सभापति : आप बात क्यों बढ़ाना चाहते हैं?

श्री जगमाल सिंह यादव : सभापति, महोदय, मैं आपसे एक...(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय मंत्री महोदय ने वक्तव्य दिया है वह अधिकृत है। इसके संबंध में अगर आप कोई जानकारी प्राप्त करना चाहे, अगर नहीं आया है तो आप क्लैरिफिकेशन ले सकते हैं, यह मेरा आपसे निवेदन है।

श्री जगमाल सिंह यादव : और यह जो मुझे दिया वो?

श्री सभापति : इसको आप अपना समझ लीजिए।

श्री जगमाल सिंह यादव : यह कूड़ादान है, फैंक दूं इसको?

श्री सभापति : मुझे उसकी जानकारी नहीं है।

श्री जगमाल सिंह यादव : सदन शाखा ने दिया है।

डा. किरोड़ी लाल : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर 40 से अधिक लोगों ने...(व्यवधान) कांग्रेस के सदस्यों ने भी दिया, दोनों पक्षों का है। (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : सभापति महोदय, मैंने कोई बाजार से नहीं खरीदा है, मुझे जो नकल सदन शाखा ने दी है और मेरे सिग्नेचर लिए...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, इस प्रकरण में सदन के माननीय 40 सदस्यों के हस्ताक्षर हैं। यह ध्यान आकर्षण जो है...(व्यवधान)

श्री सभापति : आप सुनिए तो, मान्यवर।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह जवाब गलत आ गया तो क्या सुनें। (व्यवधान)

श्री सभापति : जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव राज्य सरकार के पास जानकारी के लिए भेजा गया और राज्य सरकार ने जो जानकारी विधान सभा को भेजी थी वह विधान सभा की जानकारी थी, वह जानकारी आपके पास है। आज मंत्री महोदय, ने जो अभी वक्तव्य दिया वह अधिकृत वक्तव्य है सरकार का। वह जानकारी ऑफिशियली भेजी गयी थी विधान सभा के अंदर।

श्री प्रद्युम्न सिंह : एक मिनट मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं...

श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : सभापति महोदय, यह एक सामान्य बात नहीं है। मैं आपसे निवेदन करता हूं, कृपया एक सैकण्ड (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : कृपया मेरी बात सुनिए। (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : सभापति महोदय, नियमों में जैसे हमें प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं वैसे ही मोशन के उत्तर दिए जाते हैं। हमको प्रश्नों के उत्तर वितरित कर दिए जाएं कुछ और, लेकिन मंत्री सदन में जवाब दें कुछ और, फिर आप यह आसन की व्यवस्था कर देंगे क्या कि यह जो जवाब दिया है वह गलत है?

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं निवेदन करना चाहूंगा, कृपया आप मेरी बात सुनें। (व्यवधान)

श्री सभापति : होम मिनिस्टर साहब कुछ कहना चाह रहें हैं, अब आप इनकी बात सुनिए।

श्री प्रद्युम्न सिंह : सभापति महोदय, कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 131 के अंदर जगमाल सिंह यादव, डा. किरोड़ी लाल मीणा, जनार्दन सिंह गहलोत, व अन्य इनके अलग-अलग ध्यानाकर्षण आए हैं।

श्री जगमाल सिंह यादव : सबके अलग हैं? अन्य कितने हैं?

श्री प्रद्युम्न सिंह : तीन के दिए हैं, लेकिन एक के ऊपर 8-8, 10-10 माननीय सदस्यों के हस्ताक्षर हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : प्रस्ताव का मतलब एक ही है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मजमून एक ही है तीनों अलग हैं। जगमाल सिंह जी माननीय सदस्य का शायद सबसे पहले आया था, उसके उत्तर में तथ्यात्मक टिप्पणी भिजवाई थी अध्यक्ष महोदय के पहले निर्देश के तहत जनार्दन सिंह जी का, डा. किरोड़ी लाल जी का, जगमाल सिंह जी का तीनों एक कर दिए उनमें वर्णित तथ्यों में भिन्नताएं थीं। जो उन्होंने उसमें तथ्य सामने रखे थे, जो उन्होंने क्वैरीज उसके अंदर रेज की थीं, ध्यानाकर्षण किया था, उन सब बिन्दुओं का समावेश करके मैंने आपके स्टेटमैंट प्रस्तुत किया है। इसलिए इनको फर्क नजर आ रहा है, यह मैं निवेदन करना चाहता हूँ।

श्री जनार्दन गहलोत (करौली) : माननीय सभापति महोदय, यह बात ठीक है, मैं और किरोड़ी लाल जी अध्यक्ष महोदय के चैम्बर में उनसे मिले थे और हमने कहा था कि मसला एक है, थोड़ी-थोड़ी डिफरेंट भाषा है, इसका आप एक ही जवाब दिलवा दीजिये, इसलिए मैं सोचता हूं कि माननीय मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया वह तीनों के स्टेटमैंन को देखकर दिया है, उस पर चर्चा कराइये आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जवाब तो आना चाहिए न।

डा. किरोड़ी लाल : हमारा तो अधिकार है, हमें तो आप जवाब दे दें। (व्यवधान) मेरे अधिकारों का हनन कैसे हो जाने दूंगा?

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : जो मंत्री महोदय वक्तव्य दें उसकी एक कापी सम्बन्धित सदस्य को दी जानी जरूरी है। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : मेरा जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है उसमें कम से कम 13 बिन्दु हैं, उनका एक का भी जवाब नहीं दिया है, सारे को गोल कर दिया। क्लब करने का मतलब यह थोड़े ही हैं...?

श्री हरजीराम बुरड़क : यह व्यवस्था है कि जो मंत्री वक्तव्य दे वह सही है लेकिन उसकी कापी माननीय सदस्यों को दी जानी आवश्यक है। इस मामले में मैंने चपलोत साहब जब अध्यक्ष थे तब इस मामले को उठाया था और उसमें यह व्यवस्था है। सही तो वही है जो आप अब देंगे लेकिन उसकी कापी माननीय सदस्यों को दी जानी जरूरी है।

श्री सभापति : इसमें, माननीय संदस्य, फर्क है। इसमें माननीय सदस्यों ने अलग-अलग प्रस्ताव दिये हैं पहले यहां विधान सभा सचिवालय की तरफ से राज्य सरकार के पास जानकारी के लिए भेजा गया, उसका उत्तर सचिवालय में आया होगा और वह उत्तर माननीय सदस्यों के पास गया है। आज मंत्री महोदय...

डा. किरोड़ी लाल : हमारे पास तो नहीं आया।

श्री सभापति : नही आया तो यह जो वक्तव्य है इसको आप मान लीजिये। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : हमारे पास ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का जवाब आना चाहिए। उसको कैसे मान लें, वह तो मैनिपुलेटेड जवाब है?

***श्री राजेन्द्र पारीक** : आप वाकआउट कर जाएं।

डा. किरोड़ी लाल : कैसे कर जाएं वाकआउट?

श्री सभापति : सुनिये तो सही आप। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : आपके मंत्री लोग ...(व्यवधान) वाकआउट कर जाएं, यह तरीका है? वाक आउट कर जाएं? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : आपके लिए उचित यही रहेगा। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हमें अधिकार है।

डा. किरोड़ी लाल : ...राजनीतिकरण कर रहे हो। (व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। माननीय किरोड़ी लाल जी, आप अपनी बात को थोपने की कोशिश मत कीजिये। आप मेरी बात सुनिये। आप ऐसी बात मत करिये, यह विधान सभा का सदन है और आप ठीक ढंग से बात कीजिये। आर्डर प्लीज। मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया गया है...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य अपनी सीट पर नहीं विराजे हुए हैं। उनको अपनी सीट पर जाकर बोलना चाहिए। यह व्यवस्था का प्रश्न है, आप अपनी सीट पर जाकर बोलें।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य जो अपनी सीट पर नहीं हैं वे अपनी सीट से ही बोलेंगे। मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि जिन माननीय सदस्यों के पास माननीय मंत्री महोदय का स्टेटमैंट नहीं पहुँचा है, माननीय मंत्री महोदय इसकी फोटो स्टेट कापी यदि दिलवा सकते हैं तो इन माननीय सदस्यों को आप स्टेटमैंट की फोटो कापी दिलवा दीजिये।

श्री जगमाल सिंह यादव : माननीय सभापति महोदय, मैं यह नहीं कह रहा हूं..(व्यवधान)

श्री जनार्दन गहलोत : सभापति महोदय, सवाल इस बात का नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय के चैम्बर में हम जाकर आये थे। हम चाहते तो माननीय किरोड़ी लाल जी का मेरा तो क्वेश्चन इसमें जुड़ता ही नहीं, इसमें समय लग सकता था इसलिए हमने अध्यक्ष जी से निवेदन किया क्योंकि मामला एक-सा ही है..(व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : सभापति महोदय, मैं फ्लोर पर हूं, मैं यह नहीं कर रहा हूं। आपने जो स्टेटमैंट पढ़ा है वही अधिकृत है आपका, लेकिन एक मिनट ..(व्यवधान)

श्री जनार्दन गहलोत : मैं मेरी बात कर रहा हूं, आप अपनी बात कह रहे हो। मैं बोल रहा हूं, आप बैठिये। सभापतिजी मेरी तरफ देख चुके तो पहले मुझे मेरी बात पूरी करने दीजिये। (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : फिर गरम क्यों हो रहे हैं? फिर आप गरम क्यों हो रहे हैं?

श्री जनार्दन गहलोत : आप बोलें लेकिन मुझे क्यों रोकते हो? आप कौन होते हैं मुझे बिठाने वाले? (व्यवधान) सभापति महोदय की तरफ इंगित करके बोलना शुरु किया है..(व्यवधान)

श्री सभापति : ये पहले बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : सभापति जी ने मेरा नाम पुकारा है। (व्यवधान)

श्री सभापति : नहीं, मैंने पहले इनको दिया है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय सभापति महोदय, पहले आपने पुकार लिया है। (व्यवधान)

श्री सभापति : पुकारने वाली बात नहीं है, वे माननीय सदस्य दूसरी बात कह रहे हैं। (व्यवधान)

श्री जनार्दन गहलोत : आप जो बोलेंगे वह हम नहीं बोलेंगे? (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : माननीय सभापति महोदय, अगर मेरा नाम पुकारने के बाद आपको उनको परमिट करना है तो वे पाइंट ऑफ आर्डर रेज करें फिर आप व्यवस्था करें। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप बैठिये। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, आपने खुद ने व्यवस्था दे दी, पहले आपने नाम पुकार लिया। (व्यवधान)

श्री सभापति : आप विराजिये। (व्यवधान)

श्री जनार्दन गहलोत : यह ओरिजिनल प्रश्न है मेरा। (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : सभापति महोदय, मैं अकेला सदन में मैम्बर हूं तो यह अर्थ नहीं है कि धमका कर बोल जाएं। यह कोई + + + नहीं है। आपने मेरा नाम पुकारा है और इन्होंने पाइंट ऑफ आर्डर रेज नहीं किया है। यह क्या मजाल हुई? (व्यवधान)

श्री सभापति : आप बिराजिये। (व्यवधान)

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, कुछ तो व्यवस्था होगी, कुछ तो नियम प्रक्रिया होगी ?

श्री जगमाल सिंह यादव : जिस तरह की भाषा का उपयोग कर रहे हो, जिस तरह का एक्शन कर रहे हो, कोई मैं आपका सबोर्डिनेट हूं ? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, आप सभापति के रूप में सर्वोच्च आसन पर बैठे हैं, माननीय सदस्य का अधिकार है (व्यवधान)

श्री सभापति : तो कौन इन्कार करता है ? (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : मेरे बोलने के समय अगर पाइंट ऑफ आर्डर रेज करते तब आप मुझे बैठने के लिए कहते तो उनको बोलने का अधिकार था। (व्यवधान) सदन नियमों से चल रहा है और मैं आपके नियमों और आदेशों को फॉलो कर रहा हूं। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : सभापति महोदय, इन कांग्रेसियों को तो जनता ने चुना है और हम लोग ऐसे ही आये हैं ? हमें भी जनता ने चुना है। ये हर बार + + + करते हैं बहुमत की। (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : बी.जे.पी. वाला रवैया अख्तियार कर रखा है।

(13.25 बजे)

(श्री परसराम मदेरणा, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री जनार्दन गहलोत : माननीय अध्यक्ष महोदय, हम आपके आभारी हैं कि आपसे हमने निवेदन किया। प्रश्न इस बात का नहीं, माननीय जगमाल सिंह जी जो बात कह रहे हैं, मैं उस बात को नहीं कहना चाह रहा हूं। पहले वे बोलना चाहें तो बोल लें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं बात यह कह रहा हूं, सभापति महोदय ने जो व्यवस्था दी, मेरी तरफ इंगित करके कहा कि आप कहिये। मैं यह कहना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी असीम कृपा से हमने, मैंने और किरोड़ी लाल जी ने निवेदन किया कि जगमाल सिंह जी का प्रश्न है, चाहे किरोड़ी लाल जी का या मेरा या अन्य माननीय सदस्यों का, जब एक ही नैचर का है, भाषा का कोई फर्क हो सकता है, मंशा एक ही है तो इसको आप एक जगह जोड़कर हमारे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की रिप्लाई दे दें। प्रश्न इस बात का है कि माननीय गृह मंत्री जी ने जो यहां रिप्लाई भेजा है वह केवल मात्र जगमाल सिंह जी को प्राप्त हुआ, मुझे और किरोड़ी लाल जी को उसका जवाब प्राप्त नहीं हुआ। माननीय गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि क्योंकि अलग-अलग भाषा थी इसलिए मैंने जो स्टेटमैंट दिया है वह तीनों की भाषाओं को जोड़कर दिया। उसमें फर्क है। इसलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, में आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि उसकी कापी हमको भी दिलवा दें। गृह मंत्रीजी ने जो वक्तव्य दिया उस पर हमको जो क्वेश्चन करने हैं, चर्चा करेंगे वह हम कर लें। यही में आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

श्री जगमाल सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन था नियमों के तहत। जो मुझे सदन शाखा से जवाब भिजवाया गया है या व्याख्यात्मक टिप्पणी, जो भी कहें उसको कह लें, अगर इसका मूल रूप, भावना वही होती जो स्टेटमैंट होम मिनिस्टर ने यहां पढ़ा तो मुझे कोई

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री जगमाल सिंह यादव)

ऐतराज नहीं था। मुझे अपनी बात का ध्यानाकर्षण करना था केवल गवर्नमैंट का। मकसद भी मैं जानता हूं, इतना ही था। नियमों में मैं ज्यादा उलझना नहीं चाहता था लेकिन इसका तो अर्थ ही बदल दिया, भाव ही बदल दिये। अध्यक्ष महोदय, अभी जो गृह मंत्री जी ने स्टेटमैंट पढ़ा है, उसमें कहा है कि आई. बी. के अधिकारी सी. आई. और डी. वाई. एस. पी. बहुत ज्यादा सक्षम है और आई. जी. को भी हमें बहुत काम्पीटैंट बनाना है। उनकी ज्यादा आवश्यकता शायद पुलिस लाइन में कन्ट्रोल करने की है क्योंकि वे ज्यादा सक्षम हैं। यह तो मैं बाद में पूछूंगा। आपने जो मुझे इसमें कारण गिनाया वह यह लिखा है कि हमारी पोस्टिंग (पदस्थापना) के जो कारण हैं वे हैं वरिष्ठता, कार्यकुशलता और अनुभव अब आपने फील्ड की पोस्टिंग का कारण बताया है मुझे इस टिप्पणी में। आपने कहा कि आर्म्ड पुलिस और यहां तक कि टेली-कम्युनिकेशन विभाग की सामान्य शाखा, उसका और चौथा है, कि हम इनको पोस्टिंग इसलिए फील्ड में नहीं देते कि वे ज्यादा विद्वान हैं, ज्यादा कैपेबल हैं। इसलिए इनको लाइन में रखते हैं। आपने इसमें कोई जिक्र नहीं किया। आपने जो इसमें पद-स्थापना के कारण गिनाये हैं वे पदस्थापना के कारण आपने इस टिप्पणी में नहीं दिये हैं जो आज आपने स्टेटमैंट दिया है।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है कि सरकार ने जो अभी वक्तव्य दिया है वह और माननीय सदस्य के पास जो जानकारी दी है वह...(व्यवधान) सुनिये आप।

डा. किरोड़ी लाल : हमारे पास जवाब आया ही नहीं है, आप हमारी बात को सुनें। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : मेरी बात मैं कह रहा हूं। जरूरी थोड़े ही है कि सारी बात आप ही कहेंगे? मुझे भी एज ए मैम्बर कहने का अधिकार है।

डा. किरोड़ी लाल : मेरा तो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है, कैसे नहीं होगा? मेरा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है।

श्री रामनारायण चौधरी : तो क्या हो गया ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है तो? (व्यवधान) आप सारे सदन को...(व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : मैं यह कहना चाहता हूं कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव मेरा है, जवाब तो आना चाहिए, अध्यक्ष महोदय। सदन की यह व्यवस्था है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : व्यवस्था बदल दी तो कोई बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नियम 131 के अन्तर्गत तिजारा से आने वाले माननीय सदस्य ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया, फिर डाक्टर किरोड़ी लाल मीणा व कई अन्य माननीय सदस्यों ने भी दिया, जनार्दनसिंह जी व कई अन्य माननीय सदस्यों ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया। यह इसी विषय का था, इसी इश्यू का था और चूंकि एक का उत्तर आया था इसलिए मैंने कल दोनों को ही अपने चैम्बर में बुलाकर बात की और कहा कि मैं तीनों ही ध्यानाकर्षण प्रस्तावों को रख रहा हूं। इसलिए तीनों के ही नाम हैं, आज की कार्य सूची में तीनों के नाम हैं। आपसे मैंने कहा था कि इनको एक साथ कर देते हैं। अब आप कह रहे हैं कि मुझे जो तथ्यात्मक रिपोर्ट दी है और

(श्री अध्यक्ष)

जो स्टेटमैंट दिया है..तथ्यात्मक रिपोर्ट इन्होंने दी है और जो आज स्टेटमैंट दिया है, मैं समझता हूं उसमें कोंट्राडिक्शन कहां है? (व्यवधान) आप ठहरिये। उसमें कोंट्राडिक्शन कहां है? मैं समझता हूं उसमें कोई कोंट्राडिक्शन नहीं है। दूसरे माननीय सदस्यों ने जो प्रश्न किये हैं, उनका जरूर समावेश कर दिया अपने स्टेटमैंट में और वह करना चाहिए था। इनको...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हमें सर्कुलेट नहीं किया है।

श्री अध्यक्ष : नहीं, आ गया। नहीं, क्योंकि अभी तक रिपोर्ट उन. दो की आई नहीं थी, नहीं आते हुए भी क्योंकि आप मुझे मेरे चैंबर में मिले तो मैंने कहा था कि मैं तीनों को साथ ही रख रहा हूं।

डा. किरोड़ी लाल : हमें कोई भी रिप्लाई नहीं मिली। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपने तो प्रश्न किये थे।

डा. किरोड़ी लाल : हाँ, प्रश्न किये हैं। बिल्कुल प्रश्न किये हैं 131 में।

श्री अध्यक्ष : आपने काल अटैंशन किया ही नहीं है। क्योंकि क्वेश्चन आवर में जैसे कोई सप्लीमैंट्री पूछ रहे हैं (व्यवधान) उस तरह की एक सप्लीमैंट्री बनाई है।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, आपने जो व्यवस्था दी है...

श्री अध्यक्ष : प्रश्न तो ए.पी., सी.पी. का है निश्चित तौर पर इनका कालिंग अटैंशन है, उसमें फैक्ट्स दिये हैं। लेकिन मेन मुद्दा तो इनका भी एक ही है, ए.पी., सी.पी. का इसलिए आपसे बात करने के बाद में हमने गृह मंत्रीजी को यहां से टेलीफोन करवाया कि आप तीनों कालिंग अटैंशन के सम्बन्ध में एक सम्मिलित वक्तव्य देंगे और वह वक्तव्य उन्होंने दिया है। अब तिजारा से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे हैं कि तथ्यात्मक रिपोर्ट मेरे पास आई है। क्योंकि अब सदन के सामने जो स्टेटमैंट पढ़ा है, वह तो अंकित हो रहा है, इसकी प्रतिलिपि आपको मिल जाएगी, आपने सुनी भी है अभी। सुनने के बाद में जो आपका दिया हुआ है, उसमें कोई कोंट्राडिक्शन नहीं दिखता कि कहीं पर कोंट्राडिक्शन है।

श्री जगमाल सिंह यादव : मैं वही निवेदन कर रहा हूं, अध्यक्ष महोदय, आसन से।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मेरा पांइट आफ आर्डर है। मेरा पाइंड ऑफ आर्डर यह है, माननीय मंत्री महोदय ने स्टेटमैंट दिया उसके बाद माननीय सदस्य कहते हैं कि मेरे पास इससे डिफरेंट इन्फोर्मेशन है, मेरे पास अदर फैक्चुअल पोजिशन है, वह गवर्नमैंट की दी हुई है। मैं यह निवेदन कर रहा हूं, मान्यवर, कि स्टेटमैंट देते समय अगर सरकार के पास फरदर इन्फार्मेशन आती है, जो पहले सचिवालय से आपको दी हुई है उसके बाद फरदर इन्फोर्मेशन आती है तो वह इन्फोर्मेशन भी मंत्री महोदय अपने वक्तव्य में देकर अपने पहले वाले वक्तव्य को बदल सकते हैं, पहले वाली इन्फोर्मेशन बदल सकते हैं, बदलकर दे सकते हैं।

श्री जनार्दन गहलोत : कोंट्राडिक्शन मतलब जो है...

श्री रामनारायण चौधरी : ... कोंट्राडिक्शन अगर है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो मंत्री महोदय ने स्टेटमैंट

(श्री रामनारायण चौधरी)

दिया, वह फाइनल है, अध्यक्ष महोदय, और वही फाइनल माना जाएगा। इनको फरदर इन्फोर्मेशन जोड़ने का अधिकार है, स्टेटमैंट देते वक्त he can add. (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, शायद नियमों में और उप नियमों में वरिष्ठ सदस्य से उलझना नहीं चाहता, आपकी राय की कद्र कर रहा हूं लेकिन अध्यक्ष महोदय, जैसा कहा है अभी गृह मंत्रीजी ने यह कहा कि जो मैंने वक्तव्य पढ़ा है, वह और मुझे भेजी टिप्पणी है, इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मूलतः, इसके अन्दर फण्डामेंटली कोई कोंट्राडिक्शन नहीं है। मैं तिजारा से आने वाले माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा...

श्री जगमाल सिंह यादव : मैं पूछ रहा हूं।

श्री रामनारायण चौधरी : अगर है तो, मिनिस्टर साहब, आपका स्टेटमैंट ही वैलिड है। अगर है तो आप कर सकते हैं। You have the right. (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं आपका आभारी हूं। यह जानकारी मुझे पहले से थी। मैं आपका आभारी हूं, आपने पुनः इस बात को दोहराया है।

श्री जगमाल सिंह यादव : सदन के लिए दुर्भाग्य... (व्यवधान) ज्ञानी और विद्वान सदन में...

श्री जगत सिंह दायमा (बानसूर) : ऐसा है, मंडावा से आने वाले माननीय सदस्य, जो आप ऊपर कह रहे थे, वही अब नीचे आकर करने लग गये।

श्री रामनारायण चौधरी : मैं क्या कर रहा था?

श्री जगत सिंह दायमा : वहां पर जो व्यवस्था दी उस अपनी व्यवस्था के लिए आप यहां लड़ रहे हैं। डबल डबल ... (व्यवधान) अब अध्यक्ष महोदय आ गये हैं, वे अपनी व्यवस्था दे देंगे।

श्री रामनारायण चौधरी : नहीं, मैं व्यवस्था के लिए नहीं लड़ रहा हूँ। जो पोजीशन है इन्फार्मेशन की, सरकार का यह राइट है कि वह इन्फार्मेशन एड कर सकती है। आपको जानकारी दी है उसमें भिन्न स्थिति हो सकती है, उसके बाद में उनके पास फरदर इन्फोर्मेशन आ सकती है। (व्यवधान)

व्यवस्था

पूर्व में भेजी गयी तथ्यात्मक रिपोर्ट में मंत्री द्वारा दिये जा रहे वक्तव्य का समय परिवर्तन

श्री अध्यक्ष : पूर्व में व्यवस्था भेजी गयी तथ्यात्मक रिपोर्ट में मंत्री द्वारा दिये जा रहे वक्तव्य के समय परिवर्तन किया जा सकता है, आपने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है, उसमें मैं अपनी व्यवस्था यह दे रहा हूँ कि मिनिस्टर अपना फाइनल स्टेटमैंट देगा, पर तथ्यात्मक रिपोर्ट उन्होंने पहले भेजी थी। कौल एण्ड शकधर में भी यह है— "... the minister has a right to amend his statement till he makes it in the House but he has to give prior information to the Table." यह विधान सभा सचिवालय ने और मैंने स्वयं ने इनसे कहा है कि आपको स्टेटमैंट तीनों ध्यानाकर्षण प्रस्तावों का सम्मिलित देना है। सम्मिलित आपने स्टेटमैंट दिया है जो निश्चित रूप से इन दोनों उच्च ध्यानाकर्षण प्रस्तावों में जो मुद्दे

(श्री अध्यक्ष)

थे, उसका भी उन्होंने अपने स्टेटमैंट में समावेश किया है आपने जो तथ्यात्मक स्टेटमैंट दिया है उसकी प्रतिलिपि मेरे पास है, जब ये स्टेटमैंट दे रहे थे मैं सुन रहा था अपने चैम्बर में, वह कोंट्राडिक्शन कहां है? कोई कोंट्राडिक्शन नहीं है इसमें। उन दोनों ध्यानाकर्षण प्रस्तावों में जो मुद्दे उठाये गये हैं उनका समावेश करके यह स्टेटमैंट दिया गया है और ऐसा स्टेटमैंट देने का मिनिस्टर का अधिकार है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपकी व्यवस्था शिरोधार्य है।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

राजस्थान पुलिस सेवा के विभिन्न संवर्गों में पद स्थापन को लेकर व्याप्त असंतोष

श्री जगमाल सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, आपके आसन की व्यवस्था होगी मैं उसको आब्जैक्शन नहीं कर रहा हूं लेकिन मैं इतनी बात निवेदन करना चाहता हूं, अगर मुझे दी हुई व्याख्यात्मक टिप्पणी और स्टेटमैंट में डिफरेंस हो? मतलब जो मेरी भावना है पूछने की, उसी के अनुकूल नहीं हो?

श्री अध्यक्ष : नहीं, नहीं, कहां है? डिफरेंस बता दीजिये आप। हां, आप बता दीजिये।

श्री जगमाल सिंह यादव : नहीं, मैं पूछ रहा हूं, मैं आसन को बता रहा हूं। सी.आई. और डीवाई.एस.पी. की फील्ड में नियुक्ति के मामले में जो व्याख्यात्मक टिप्पणी दी गई है उसमें बताया गया है आप पढ़ लें पैराग्राफ नम्बर एक, "उप अधीक्षक पुलिस, राजस्थान अधीनस्थ सेवा नियम 1989 के अन्तर्गत नहीं है। अतः इनका... यह तो हो गया लेकिन सी.आई. के लिए बताया है। इन्होंने कहा है कि "इन नियमों में पुलिस दूर संचार के उप अधीक्षक पुलिस के अतिरिक्त सभी उप अधीक्षक समान हैं। उनका पदस्थापन, प्रशिक्षण, कार्यानुभव, कार्यदक्षता एवं सर्वाधिक उपादेयता तथा विभाग की समग्र कार्यकुशलता को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में उपयुक्त पद पर किया जाता है।"

इसके अंतिम पैरा को और मुलाहिजा फरमा लें, सर, इसमें लिखा है, अंतिम दो लाइन पढ़ लें, "पदोन्नत हुए कर्मचारियों को उनके कार्यानुभव, कार्य-दक्षता एवं सर्वाधिक उपयोगिता तथा विभाग की समग्र कार्य कुशलता के आधार पर ही विभिन्न शाखाओं में पदस्थापित करना तर्कसंगत व आवश्यक है।" आज यह बात कही अपने स्टेटमैंट में अब जो कोंट्राडिक्शन है, वह बता रहा हूँ कि कोंट्राडिक्शन क्या है। आज इन्होंने यह कहा कि हमने इसलिए इन लोगों को आई. बी. के लोग और एपी. के लोग, इनको इसलिए फील्ड में नहीं लगाया चूँकि ये ज्यादा काबिल हैं, ज्यादा विद्वान हैं और आई. बी. को सक्षम बनाना चाहते हैं इसलिए इनको आई. बी. में, पुलिस लाइन में रखा गया है। तो मेरा पूछने का अर्थ यह है कि आई. बी. और ए. पी. के जो लोग हैं, जिन्होंने एक जैसे सिलेबस के अनुसार ट्रेनिंग ले ली, बोर्ड ने एक जैसे सिलेबस के अनुसार उनका चयन कर लिया, एक जैसी परीक्षा पास कर ली और यही नहीं, माननीय अशोक जी गहलोत जो आज मुख्य मंत्री हैं, 1989 में 1974 के नियमों को सस्पैंड करते हुए जो नये नियम बनाये गये थे, ये उन्हीं के बनाये हुए हैं।

(श्री जगमाल सिंह यादव)

मेरा यह कहना था, जब आपको ये आई.बी. के लोग आई.बी. में रखने थे, आई.बी. को कुशल बनाना चाहते थे और आर्म्ड पुलिस के लोग बना रहे थे, पुलिस लाइन में रखना चाहते थे फिर 1989 में पुलिस अधिनियम, जो पुलिस रूल्स बने हैं, उनको बनाने की कहां जरूरत थी आपको, वे तो पहले ही आई.बी. को संक्षम कर रहे थे? आई.बी. के लोग बहुत सक्षम हैं, आई.बी. को आप सक्षम बना रहे हैं। आर्म्ड पुलिस के लोग पुलिस लाइन में रहते, आर्म्ड पुलिस को बहुत बढ़िया बना रहे थे तो फिर वह चारों का विलय क्यों किया आपने? यह मेजर जो मेरा सवाल पूछने का था, वह यह था कि उनके सी.पी. में और पदस्थापित क्यों नहीं की जा रही है?

श्री अध्यक्ष : सी.पी., ए.पी. और आई.बी. की ब्रांचेच में पोस्टिंग के सम्बन्ध में उन्होंने स्टेटमैंट दिया है कि ये अलग-अलग ब्रांच के अन्दर हम पोस्टिंग करेंगे, वैकेंसीज के हिसाब से और एफिशियंसी को भी देखेंगे, कार्य-कुशलता भी देखेंगे ये देखकर हम पोस्टिंग कर रहे हैं सबआर्डिनेट सर्विसेज के लिए। जहां तक राजस्थान पुलिस सर्विसेज का सवाल है, उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, वह तो रूल ही अलग है।

डा. किरोड़ी लाल : नहीं, वह तो कर दिया है? उनको तो हटा दिया।

श्री अध्यक्ष : ऐसा इन्होंने कहां कोंट्राडिक्शन किया है?

श्री जगमाल सिंह यादव : कोंट्राडिक्शन यह है, सर, कि इन्होंने यह कह दिया कि आई.बी. के लोगों को आई.बी. में लगाएंगे और आर्म्ड पुलिस के लोगों को पुलिस लाइन में रखेंगे ताकि कार्य दक्षता बढ़ सके। मेरे कहने का अर्थ यह है कि पुलिस नियम 1989 में बने। अशोक गहलोत जी जो आज मुख्य मंत्री हैं, तत्कालीन गृह मंत्री थे, इन्होंने आई. बी. ए.पी. और सी.पी. को एक मिलाया और कहा कि एक जैसी परीक्षा होगी, एक जैसा सिलेबस होगा और एक जैसा बोर्ड होगा, एक बोर्ड इन्टरव्यू लेगा जो सक्षम होगा। आई. बी. का आई. बी. में तबादला नहीं होगा, अगर वह कुशल है, अनुभवी है और काबिलियत रखता है तो वह सी.पी. में भी जाएगा, थाना प्रभारी भी बनेगा। अध्यक्ष महोदय, चलो, स्टेटमैंट की बात छोड़ो, मुझे मंत्रीजी यह बता दें कि कितने डीवाई. एस. पी. आई. बी. के ए.पी. के फील्ड में लगे हुए हैं? कितने सी.आई. आज के दिन फील्ड में थाना प्रभारी हैं ए.पी. के और आई. बी. के, यह बता दें मुझे? अभी तो और लोग भी पूछेंगे आपसे, आपके इस रिटन स्टेटमैंट से पार नहीं पड़ेगी। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कह दिया कि आई.बी. को काबिल बनाना है यानी हलुवा खा जाएं, सी.पी. के लोग, माल लूट जाएं सी.पी. के लोग। जितने माननीय सदस्य बैठे हैं, सब जानते हैं, थाना प्रभारी की थाने में नियुक्ति के लिए...अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं, कितने लोगों से सिफारिश कराते हैं? और ये कह रहे हैं... जो कार्य कुशल हैं, अनुभवी हैं, ज्यादा प्रतिष्ठा वाले हैं, जिनकी विश्वसनीयता ज्यादा है उनको थानाप्रभारी लगाएंगे यही नहीं है, अध्यक्ष महोदय, मैं सवाल ही पूछ रहा हूं कि पुलिस महानिदेशक ने 30.6.95 को एक रेडियोग्राम जारी किया और उस रेडियोग्राम के जरिये यह संदेश भिजवाया कि ए.पी., आई. बी. के जितने सी. आई. या थाना प्रभारी हैं उनको

(श्री जगमाल सिंह यादव)

तत्काल प्रभाव से सी. पी. से हटा कर, थाना प्रभारी हटाकर आई. बी. में और आर्म्ड पुलिस में नियुक्त कर दिया जाए। ट्रिब्यूनल में और हाई कोर्ट में गए लोग तो पुलिस विभाग राजस्थान का जवाब देता है हाई कोर्ट में और ट्रिब्यूनल में कि हमने इस रेडियोग्राम के आधार पर इन सी.ओ. को और इन पुलिस अधिकारियों को, जो आई. बी. के और ए. पी. के हैं, नहीं हटाया है। अध्यक्ष महोदय, मैं तो यह कहता हूं कि राजस्थान पुलिस पर कन्टैम्प्ट ऑफ कोर्ट बनना चाहिए था। यह रेडियोग्राभ विथड्रा किया और कहा कि चूंकि लोग कोर्ट में जाने लग गये, ट्रिब्यूनल में जाने लग गये इसलिए इस रेडियोग्राम को तो निरस्त किया जाता है। मौखिक राठौड़ी आदेश दे दिये कि आई. बी. के और ए. पी. के किसी भी डीवाई. एस.पी. को डीवाई. एस.पी. नहीं लगाया जाए और किसी भी सी. आई. को सर्किल ऑफिसर नहीं लगाया जाए। मैं पूछना चाहता हूं कितने लोग लगा रखे हैं? यह माहवारी राज कब तक चलेगा, अध्यक्ष महोदय? आपकी सरकार को जो मैन्डेट मिला है, एस.सी. का मिला है, एस.टी. का मिला है, किसानों का मिला है। इन्हीं लोगों ने आपको सत्ता में बैठाया है, 153 का आदेश आपको दिया है। राजस्थान के जो वर्तमान मुख्य मंत्री हैं उनके बनाये हुए 1989 के नियम हैं और आज उनकी मौखिक धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मैं कहता हूं, गृह मंत्रीजी, अगर आप में दम हो तो कानून बनाओ। जैसे पहले रेडियोग्राम आपने बनाया था, भेजा था, उसी तरह का कानून बना दीजिये, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। 1989 के पुलिस रूल्स बदल दीजिये, हमें कोई ऐतराज नहीं है, आपका 153 का राज है। लेकिन हम जाकर चिल्लायेंगे तो सही कि हे लोगों, जिनके हक सुरक्षित रखने का वादा कांग्रेस की गवर्नमेंट ने किया था, मुख्य मंत्री ने किया था, उन मुख्य मंत्री और बी.जे.पी की सरकार में कोई ज्यादा अन्तर नहीं रहा। वही माहवारी राज बी.जे.पी के जमाने में था और वही माहवारी राज आप चलाना चाह रहे हो। इसलिए...

श्री देवीसिंह भाटी : कौन-सा था, किस की बात कह रहे हैं? (व्यवधान) नहीं, किसकी बी.जे.पी की बात कर रहे हैं? कोई बात हो तो। या तो सबूत दो। मर्जी आये जैसे भाषण ठोकते रहते हो।

श्री जगमाल सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं बीच में इन्टरप्शन नहीं करना चाहता, मुझे लज्जा के साथ कहना पड़ रहा है कि यह आदेश दिनांक 30-6-95 के भैरोंसिंह की उर्फ बी.जे.पी की तत्कालीन सरकार के आदेश हैं। मैं तो कांग्रेस से यह कह रहा हूं कि जो + + + इन लोगों ने किये उसको सुधार लो। गरीबों के, किसानों के, हरिजनों के बेटे, जो आज सी.आई. बने हुए हैं, जो डीवाई.एस.पी. बने हुए हैं, आप लोग उनको उनके अधिकारों से फील्ड पर लगाने से चूक रहे हो, वरना वही हाल आपका हो जाएगा जो इनका हुआ है। मैंने तथ्य दे दिये, अब बोलिये; क्या कहना है माननीय अध्यक्ष महोदय? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : चालीस आदमी हैं इसमें।

श्री अध्यक्ष : क्या हो गया उससे?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सब बोलेंगे न, साहब।

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री अध्यक्ष : नहीं, सब नहीं बोलेंगे।

श्री जगत सिंह दायमा (बानसूर) : अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी के समय में चालीस जयपुर में थाने थे और चालीस थानों में से अट्ठाईस में...

श्री अध्यक्ष : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में मिनिस्टर का वक्तव्य होने के बाद में आप इल्यूसिडेशन के लिए, स्पष्टीकरण के लिए सिर्फ प्रश्न पूछ सकते हैं, भाषण नहीं दे सकते यहां लम्बा-चौड़ा।

श्री जगत सिंह दायमा : एक ही बिरादरी के लोग थे, यह बात को कहनी पड़ेगी, अध्यक्ष महोदय। चालीस में से 28 में एक ही बिरादरी के लोग थानो में। ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप स्पष्टीकरण के लिए प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री जगमाल सिंह यादव : मैं सवाल ही पूछ रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं गृह मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि जो 95 में...

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये।

श्री जगत सिंह दायमा : मैंने तो एक बताया था...

श्री अध्यक्ष : नहीं-नहीं, आप कैसे खड़े हो रहे हैं बिना अनुमति के?

श्री जगत सिंह दायमा : साहब, कौन से कह रहे हैं?

श्री जगमाल सिंह यादव : मैं सवाल पूछ रहा हूं, क्या 1995...

श्री अध्यक्ष : आप लम्बा-चौड़ा इसको डिटेल में मत कीजिये।

श्री जगमाल सिंह यादव : मैं सवाल ही पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : आप इल्यूसिडेट करने के लिए उस स्टेटमैंट के संबंध में स्पष्टीकरण जो चाह रहे हैं, वह प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री जगमाल सिंह यादव : मैं प्रश्न ही पूछ रहा हूं। एक्सक्यूज मी। गृह मंत्रीजी, मुझे अब बताने का कष्ट करेंगे कि 1995 में और अब तक ए. पी. और आई. बी. के जो सी. आई. और डीवाई. एस.पी. रैंक के लोग हैं जिनका एकीकरण कर दिया, जिनको एक ही माना है, सी.पी. को मिलाकर सब को एक ही माना है, उन सी.आई. और डीवाई.एस.पी. की पदस्थापना फील्ड पर, थाना प्रभारियों और डीवाई.एस.पी. सर्किल पर देने का विचार क्या कांग्रेस गवर्नमेंट रखती है या नहीं रखती है? दूसरा, आपने स्टेटमैंट में यह कह दिया कि डीवाई.एस.पी. का कोई केडर नहीं, है, डीवाई.एस.पी. को कहीं भी लगा दिया जाता है, तो दूसरा सवाल मैं आपसे पूछता हूं कि ए.पी. और आई.बी. के अब तक राजस्थान में कितने डीवाई.एस.पी. हैं जो फील्ड पर काम कर रहे हैं? तीसरा, आपने यह कहा कि पदोन्नति होने के बाद जो सर्किल इंस्पैक्टर बनता है उनमें भी काबलियत, कार्य कुशलता और अनुभव के आधार पर हम आई. बी. और ए.पी. के लोगों को थाना प्रभारी बनाते हैं, तो मुझे यह बता दें कि कितने तो आपके सी.आई. आज तक ए.पी. और आई.बी. के थाना प्रभारी बने हुए हैं और ए.पी. और आई.बी. के जो डीवाई. एस.पी. हैं वे राजस्थान में कितने फील्डों पर हैं? जो आपकी अब तक राठौड़ी चल रही है, नियम बदला है, क्या उन नियमों को फॉलो करोगे जो

(श्री जगमाल सिंह यादव)

माननीय मुख्य मंत्रीजी और तत्कालीन गृह मंत्री ने बनाये? 1989 के नियमों की पालना करोगे या नही करोगे, मैं आपसे तीन प्रश्न पूछना चाहता हूं? (व्यवधान) नहीं, पहले यह रिप्लाई करा दीजिये। तीन और माननीय सदस्य पूछेंगे, उनके अलग प्रश्न हो सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, पहले मेरे सवालों का जवाब दिलवा दें।

श्री अध्यक्ष : नहीं-नहीं, साथ है, स्टेटमेंट एक है।

डा. किरोड़ी लाल (बामनवास) : अध्यक्ष महोदय, एक तो मैं पूछना चाहूंगा गृह मंत्रीजी से कि जो 1989 के रूल्स हैं, क्या सरकार ने कोई नीतिगत फैसला ले लिया? आखिर में यह असंतोष फैला क्यों है? कोई ऐसा नीतिगत फैसला सरकार ने ले लिया है, गृह मंत्रीजी ने ले लिया कि जिसके कारण असमंजस की स्थिति पुलिस की फोर्स में पैदा हो गई है और माननीय सदस्य भी यहां बड़ी इसकी चिंता जता रहे हैं, एक बात? 1989 में यह बात तय हो गई कि ए.पी., सी.पी., आई.बी. एक है और एक होने के बाद में उसी तरह से इनकी परीक्षा हो रही है, एक कोर्स हो रहा है, एक तरह का प्रशिक्षण हो रहा है उसके बाद में, अध्यक्ष महोदय, इन्होंने एक सलेक्शन की लिस्ट निकाली बोर्ड की और उस बोर्ड की सलैक्शन की लिस्ट निकालने के बाद में उनकी फील्ड में पोस्टिंग दे दी। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात पूछना चाहता हूं, जब आपने फील्ड में पोस्टिंग दे दी तो क्या ए.पी. जिसको ये मानते थे, या आई.बी. के लोगों का कोई एडवर्स रिमार्क, गृह मंत्रीजी, ऐसा आया है कि उनकी फील्ड की सेवाएं अच्छी नहीं थीं या किसी कोर्ट का कोई जबरदस्त रिट्रक्चर पास हुआ उनके खिलाफ कि उनकी कार्य कुशलता पर कोई आक्षेप लगा हो? अध्यक्ष महोदय, यह सब कुछ नहीं होने के बाद भी आखिर में गृह मंत्रीजी ने अब यह मन कैसे बनाया? 1989 के रूल्स को ताक पर रखकर ये जो + + + रोज के निर्णय ले रही है सरकार, उसके कारण फोर्स में असमंजस की स्थिति बन रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी पूछना चाहूंगा कि ए.पी. का जो हैड कांस्टेबल हुआ करता था उसका सीधा प्रमोशन सब इंस्पैक्टर पर हुआ करता था और अब सी.पी. में आने के बाद, ए.पी., सी.पी. और आई.बी. एक करने के बाद में उनको इन्होंने प्रमोशन दे दिया ए.एस.आई. का। उसका जो सीधा प्रमोशन आठ-दस साल में, 1989 के बाद अब 98-99 तक जो उसका प्रमोशन अफैक्ट हुआ है उसका क्या करेंगे? जो ए.एस.आई. बन गया है, उसको कहां एकोमोडेट करेंगे? उसका प्रमोशन अब तक सब इंस्पैक्टर का हो जाता। इसको कम्बाइन्ड करने के बाद में वह ए.एस.आई. बना बैठा है। तो यह फोर्स में जो इस ढंग की स्थिति पैदा हुई है, गृह मंत्रीजी इसका मेरे को जबाव देंगे कि जो हैड कांस्टेबल से सीधा प्रमोशन सब इंस्पेक्टर का होता, वह इस बात से सफर हुआ है। एक जो गृह मंत्रीजी ने बताया कि हम कार्य दक्षता देखेंगे क्योंकि हमको इनकी ज्यादा आवश्यकता है, आर.आई. बनाने में ज्यादा आवश्यकता है, उनके अनुभव का हम यहां पर लाभ लेंगे, तो आर.आई. बनाने में आप कितने लोगों को

+ + + : शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(डा. किरोड़ी लाल)

यहां खाने वाले हो? आप 1989 से 1998 तक आठ सौ सब इंस्पैक्टर का सलैक्शन कर चुके...

श्री अध्यक्ष : नहीं, सात सौ और कुछ का कहा है इन्होंने।

डा. किरोड़ी लाल : आठ सौ।

श्री अध्यक्ष : स्टेटमैंट में कहा है इन्होंने।

डा. किरोडी लाल : और अध्यक्ष महोदय, बीस हजार सिपाहियों का सलैक्शन कर...

श्री जगमाल सिंह यादव : उनका क्या होगा जो सात सौ भर लिये? (व्यवधान) उनको आई.बी. में रखेंगे कि ए.पी. में रखेंगे? उनका क्या होगा?

श्री अध्यक्ष : ऐसे इंस्पैक्टरों का सलैक्शन जो हुआ है आर.पी.एस.सी. से, 700 कुछ का आपने कहा है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह सर, 815 सब इंस्पैक्टर हैं।

श्री अध्यक्ष : अच्छा, 815 हैं।

श्री जगमाल सिंह यादव : 20 हजार कांस्टेबल हैं, उनका क्या करोगे आप?

डा. किरोड़ी लाल : 20 हजार कांस्टेबल हैं, 8 सौ सब इंस्पेक्टर हैं जो इन दस सालों में भर्ती किये हैं, इनका क्या होगा?

श्री जगत सिंह दायमा : हमारे दलित वर्ग के जो हैं...

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप विराजो, आपका नहीं है इसमें।

श्री जगत सिंह दायमा : मेरा भी है ना, मेरा कैसे नहीं है इसमें? जब असली बात कहने को होती है तो आप कहते हैं कि विराजिए।

श्री प्रद्युम्न सिंह : नहीं, फिर आप बोलो।

श्री जगत सिंह दायमा : हां, मैं बोल रहा हूं, इसमें क्या बात है? हक हमारा मारा जा रहा है, आप इनको पोस्टिंग दे देते हैं।

श्री अध्यक्ष : पहले जिनका कालिंग अटैंशन है।

श्री जनार्दन गहलोत : पहले हमारा प्रश्न तो आ जाए, वे बीच में ही।

श्री अध्यक्ष : श्री जनार्दन गहलोत।

डा. किरोड़ी लाल : जनार्दन जी, मेरा एक क्वेश्चन और रह गया। अध्यक्ष महोदय, मैंने कैडर की बात की। आर.पी.एस. का कैडर एक है। चाहे ए.पी. से आया हो, चाहे आर.पी.एस.सी. से आया हो उसका कैडर एक है। इन्होंने एक आदेश निकाल दिया कि जितने भी ए.पी. पहले के लगे थे उनको फील्ड से हटा दिया जाए। हटा दिया — जो एस.आई. थे उनको हटा दिया, ए.एस.आई. थे उनको हटा दिया और डीवाई.एस.पी. को भी हटा दिया। अध्यक्ष महोदय, उस हटाने में भेदभाव किया गया है भेदभाव क्या किया है? अभी आई.बी. के कैडर के चार आदमी जिन पर गृह मंत्री जी की कृपा है, विनय कुमार गुप्ता, दुर्गादत्त, श्रीचन्द एवं ज्ञानेन्द्र सिंह, वे अभी तक फील्ड में हैं। फिर उन चार को क्यों नहीं हटाया गया?

श्री रामनारायण चौधरी : आपके कहने से उनको हटा दें?

डा. किरोड़ी लाल : नहीं, हटाने के लिये नहीं कह रहा हूं। जब आपने एक मापदण्ड तय कर लिया...

श्री अध्यक्ष : नहीं, इसका मतलब यह है कि ए.पी. वाले लोग भी अभी एडिशनल एस.पी. हैं सिविल में। यही बात तो कह रहे हैं आप?

डा. किरोड़ी लाल : हां हैं, साहब, विनय कुमार गुप्ता हैं...

श्री अध्यक्ष : नहीं, उसमें विनय कुमार गुप्ता जो हैं, तीनों का ही सर्विस में जब रिक्रूटमैंट ए.पी. में हुआ, सब इंस्पैक्टर, तो तीनों ही ब्रांच में जाएंगे वो। फिर इंडक्शन कोर्स भी रखा है। जहां तक 1989 के रूल्स हैं, इन रूल्स का संबंध राजस्थान स्टेट पुलिस सर्विस में तो नहीं है, वे रूल्स अलग हैं।

डा. किरोड़ी लाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, 1989 के बाद तो इंडक्शन का कोर्स खतम कर दिया, इंडक्शन कोर्स है ही नहीं। इन्होंने सबको एक मान लिया और एक मानने के बाद अब इनको अलग-अलग कर रहे हैं।

श्री जनार्दन गहलोत (करौली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्री जी ने जो अपना जवाब दिया है वह कुछ हद तक बिलकुल सही दिया है, लेकिन आखिर में उन्होंने कुछ थोड़ा-सा टिवस्ट कर दिया है। यह बात सच है कि सिविल पुलिस इंटैलीजैंस, आर्म्ड पुलिस मेवाड़ कोर पुलिस, वायरलैस संगठन इनको राजस्थान सर्विस रूल्स, 1974 के रूल में एक जगह चार कैडर में बांट दिया था। माननीय अध्यक्ष महोदय, 1984 में इस मामले में प्रथम महानिदेशक, पुलिस थे उन्होंने पहली बार आर्म्ड पुलिस इंटैलीजैंस ब्रांच और आ.ए.सी. कैडर की पदोन्नति हेतु आर.पी.एस. अधिकारियों को ट्रेनिंग के आधार पर सबको प्रमोट कर दिया था। आज एक एडिशनल एस.पी., डीवाई.एस.पी. उसी में सब लोग कार्यरत हैं। अध्यक्ष महोदय, जब 1989 में सरकार द्वारा रूल बन गया, उस समय श्री शिवचरण जी माथुर मुख्य मंत्री थे, अशोक गहलोत जी उस समय गृह मंत्री थे 1989 में जब रूल बन गया तो 1974 का रूल तो आटोमैटिक समाप्त हो चुका है। आज वह रूल तो कायम ही नहीं है, वह तो मृतप्राय: हो गया। 1974 का रूल तो आज कहीं वकत रखता ही नहीं। ऐसी स्थिति में जब वह 1989 का रूल आ गया उसके बाद 1993 में डाइरेक्टर जनरल थानवी साहब ने 5-1-93 को आदेश जारी कर दिये। 93 के आदेश में कहा कि ए.पी., सी.पी. के जो लोग हैं इन सबकी ट्रेनिंग करा दी जाए और जो लोग वर्षों तक पुलिस लाइन में बैठे हैं, इंटैलीजैंस में बैठे हैं, सी.आई.डी. में बैठे हैं, मैं सोचता हूं कि एक कुर्सी पर बैठा हुआ आदमी काम को पूरा नहीं कर सकता, उसमें नये उत्साह की आवश्यकता है। माननीय गृह मंत्री जी से मैं कहना चाहता हूं कि आप किसी नये व्यक्ति की जब पोस्टिंग करते हैं या उसको नया जॉब देते हैं तो उसमें उत्साह अधिक हो जाता है और एक जगह बैठे-बैठे व्यक्ति के जंग लग जाता है, एक ही काम को करते हुए उसका उत्साह खतम हो जाता है। इसी उद्देश्य को लेकर उस समय इस नियम को बनाया गया था। उसके बाद आज तक कोई रूल बदला नहीं है। माननीय गृह मंत्री जी, अगर कोई रूल बदल गया है तो उसका जवाब हमको दीजिए। 1989 के बाद कोई रूल अगर बदल गया हो तो हम आपकी बात से संतुष्ट हो सकते हैं लेकिन अगर कोई रूल बदला नहीं है तो आप कम से कम हमें इस बात का जवाब देंगे। एक तरफ आपने

(श्री जनार्दन गहलोत)

आर्म्ड पुलिस, सिविल पुलिस और इंटैलीजैंस ब्रांच को तो एक कर दिया और दूसरी तरफ मेवाड़ फील्ड कोर को अलग कर दिया। और तीसरा आपने इनको चार हिस्सों में बांट दिया। जो पहले चार हिस्से थे उसके बाद आपने चार हिस्सों में बांट दिया। आज मेरे ख्याल से आर्म्ड पुलिस, सिविल पुलिस, इंटैलीजैंस ब्रांच एक ही है, 1989 के रूल के आधार पर। जब एक ही है तो उनको नयी आवश्यकता क्या पड़ गई? आज की तारीख में ऐसी कौनसी आवश्यकता पड़ गई? जो थानों में लोग बैठे थे, जो डीवाई.एस.पी. बनकर थानों में बैठे थे, अब कोई नयी नीति बनाकर किनकी रक्षा करना चाहते हैं आप? जो वर्षों से जंग लगे हुए लोग हैं उन लोगों को आप वहीं बैठाये रखना चाहते हैं? हम यह चाहते हैं कि मैरिट के आधार पर हो। मैं यह नहीं कहता हूं कि सी.पी. को, ए.पी. को किसी पर्टीकुलर स्थान पर ही लगाएं। आपकी प्रशासनिक क्षमता को देखते हुए लगाएं, आपके डी.जी. साहब, होम मिनिस्टर साहब इस बात में सक्षम हैं। इनमें कैडर का आधार क्यों मानते हैं? क्षमता का आधार क्यों नहीं मानते? तीनों चीजें आपने एक कर दीं तो यह देखिए कि कौन इंटैलीजैंस में उपयुक्त हो सकता है, किनकी सेवाएं थाने में उपयुक्त हो सकती हैं। यह फैसला तो आपको करना है। लेकिन इनको यह कहकर नहीं लौटा सकते कि आप ए.पी. के हैं, आप सी.पी. के हैं। अच्छी पुलिस की व्यवस्था हो सके, इसके लिये जो अधिकारी अनुकूल फिट होते हों उन सबको मौका दिया जाना चाहिये। इसके लिये 1989 के बाद रूल नहीं बना है तो उसमें प्रशासनिक दृष्टि से आपका आधार निश्चित होना चाहिये कि कौन आदमी कहां कैपेबल है, उसकी उपयोगिता कहां पर है वह बात तो हमको समझ में आती है। मैं गृह मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जब इनको एक ट्रेनिंग करा दी, एक कोर्स करा दिया, पाठ्यक्रम जब एक था सबका, उस पाठ्यक्रम के आधार पर इनकी पदोन्नतियां हो गईं, जब एक रूल बन गया तो फिर आज की तारीख में ऐसी कौनसी आवश्यकता पड़ी?

माननीय अध्यक्ष महोदय, अन्य माननीय सदस्यों ने भी कहा कि पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा 800 उप निरीक्षक आ चुके, 20 हजार सिपाहियों की सीधी भर्ती हो चुकी, इनका भविष्य क्या होगा? 1974 के रूल के तहत तो ये लोग ए.एस.आई. के पद पर बैठ नहीं सकते। अध्यक्ष महोदय, ऐसी गंभीर परिस्थिति है कि अगर इस स्थिति को समय पर नहीं सुधारा गया तो मैं सोचता हूं कि 50 हजार लोग ऐसे हैं पुलिस में जो इससे प्रभावित होंगे। 30-35 हजार तो रिटें होंगी हाई कोर्ट में। पुलिस का एक ही काम होगा जवाब देते रहना। जिस भी कर्मचारी के साथ चोट होगी, जिसको भी वह फायदा नहीं मिलेगा, वह कोर्ट में जाएगा और उनके जवाब आप देते रहना।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि इसी कैडर के मामले को लेकर सरकार बनाम सत्यमल तिवाड़ी की याचिका माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की हुई थी और उसके फेवर में फैसला भी आया। हाई कोर्ट का फैसला आ चुका है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन सारी विसंगतियों को देखते हुए मैं सोचता हूं

(श्री जनार्दन गहलोत)

1989 का रूल अगर कोई आ गया हो तब तो हम इस बात को मानने को तैयार हैं, नहीं तो यह भेदभावपूर्ण नीति नहीं चलनी चाहिये। प्रशासनिक क्षमता के आधार पर फैसला तो पुलिस का है, मंत्री जी का फैसला है लेकिन इसका यह आधार नहीं बन सकता कि यह सी.पी. में है, ए.पी. में हैं, आई. पी. में है। अगर यह आधार आपने पोस्टिंग का बनाया तो मैं सोचता हूं कि भैरोंसिंह जी के राज में जो हो रहा था, उस व्यवस्था से तो हमको निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि त्राहि-त्राहि मचाई थी उन्होंने तो। उन्होंने तो किसी पर्टीकुलर इश्यू के ऊपर, पर्टीकुलर सरनेम जिनके लगे हुए थे उन्हीं की पोस्टिंग की। पर्टीकुलर सरनेम को पोस्टिंग में प्राथमिकता दी। आज हम चाहते हैं कि बैकवर्ड क्लास के लोग, शिड्यूल्ड कास्ट के लोग जिनके आधार पर हम चुनकर आये हैं, उन लोगों को आप प्रशासनिक क्षमता के आधार पर पोस्टिंग दीजिए। मुझे यही आपसे कहना है, यही स्पेसिफिक क्वेश्चन मुझे आपसे पूछना है कि 1989 के रूल में परिवर्तन नहीं है तो फिर क्यों?

श्री जगत सिंह दायमा : अध्यक्ष महोदय, इसकी जो मूल भावना है वह मूल भावना यह है कि एस.टी., एस.सी. और ओ.बी.सी. के लोगों को आप कभी भी अच्छी पोस्टिंग नहीं देते हैं। पिछली सरकार में मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूं, लोग मुझे कह रहे हैं कि आप जाति का नाम मत लो, मैं क्वेश्चन के रूप में बताना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि 40 थानेदार थे जयपुर में 40 में से 28 राजपूत हैं फिर हम कहां पडें? कुए में? अगर वही बात आप करना चाहते हो, वही मनुवादियों को लगाना चाहते हो तो जगत सिंह दायमा विधान सभा में बैठकर आपको भी +++ काम करेगा। अगर आपने दलित वर्ग को, पिछड़े समाज के व्यक्ति को पोस्टिंग बराबर नहीं दी तो इस बात को सहन नहीं करेंगे।

(14.00 बजे)

श्री अध्यक्ष : सुरेन्द्र जी व्यास।

श्री जगत सिंह दायमा : इसलिए हम कह रहे हैं कि आप...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपने कह दिया, प्रश्न पूछ लिया।

श्री जगत सिंह दायमा : मेरा प्रश्न यह है कि अभी जो आपने...

श्री अध्यक्ष : आ गया आपका प्रश्न।

श्री जगत सिंह दायमा : अभी जो डीवाई.एस.पी. के जयपुर से आपने ट्रांसफर किये हैं उनमें से कोई एस.सी. क्लास का व्यक्ति डीवाई. एस.पी. रैंक का जयपुर में है, बताइये आप?

श्री अध्यक्ष : सुरेन्द्र जी व्यास।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : क्या यह सही है कि 1989 के रूल्स से 1974 के रूल्स रिपील हो गये? क्या यह सही है कि 1989 के बाद कोई कैडर अलग नहीं है, ए.पी.,सी.पी. और आई. बी. का एक कैडर है? क्या यह सही है कि 1974 के नियमों के अन्तर्गत जो भर्ती किये गये उन कर्मचारियों के लिए इंडेक्शन कोर्स का प्रावधान किया गया और इंडेक्शन कोर्स का प्रावधान करके 1989 के नियमों के अन्तर्गत वह एक कैडर हो गया? क्या यह

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

सही है कि नियमों के प्रतिकूल राज्य सरकार कोई नीति का निर्धारण नहीं कर सकती? क्या यह सही है कि आपने अनौपचारिक रूप से इस बात का निर्णय किया है कि जो एपी. के लोग हैं उनको वापस एपी. में लगाया जाए, आई.बी. के लोग हैं उनको आई.बी. में लगाया जाए और उनको सी.बी. में नहीं लगाया जाए? अगर आपने इस प्रकार का कोई विचार नहीं बनाया है तो आपका कोई आधार क्या होगा? आपने कोई आधार तय किया है जिसके ऊपर क्लासिफिकेशन करेंगे? क्या यह सही है कि 1989 से लेकर 1990 तक जो पहले एपी. के लोग थे उन्होंने 10-10 साल तक सी.बी. में काम किया है, उनकी परफोरमेंस अच्छी रही है क्या यह सही है कि आपने बिना रूल्स को अमैंड किये, बिना नये कोई रूल्स बनाये, अनौपचारिक रूप से जितने हैं मैं उन आक्षेपों को तो शेयर नहीं करता हूं कि चार आदमियों को आपने रख लिया, मैं आपकी नीयत पर भी शक नहीं करता हूं लेकिन, मंत्री जी, आपको अगर नीयत को ट्रांसलेट करना है तो आप रूल्स को अमैंड कीजिये। नहीं तो क्या यह सही है कि आपने बिना रूल्स को अमैंड किये, अनौपचारिक रूप से डी.जी. को कहकर तमाम एपी. के लोगों को वापस एपी. में भेज दिया और उसके अन्दर वे लोग भी आ गये जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है?

एक आखिरी सवाल है। मंत्री जी, अगर एपी. के अन्दर आप प्रावधान नहीं रखेंगे तो जो थानेदार बदमाशी करेगा थाने पर, उसको जो लाइन हाजिर करते हो वह कैसे करोगे आप? वह तो सी.पी. है, पुलिस लाइन एपी. है। जब आप जाते हो दौरे पर तो, मिनिस्टर साहब, आप क्या करोगे थानेदार का? सस्पैंशन का केस नहीं बनता, लाइन हाजिर कर नहीं सकते। ये समस्याएं हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं कि वह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पुलिस प्रशासन को सुधारने की दृष्टि से रखा गया है और यह बड़ा महत्त्वपूर्ण मुद्दा है, मेरा माननीय सदस्यों से निवेदन है कि इसमें दलित और शिड्यूल्ड कास्ट नहीं करें, सी.पी. के अन्दर भी शिड्यूल्ड कास्ट है, सी.पी. के अन्दर भी दलित हैं, सी.पी. के अन्दर भी एस.सी. है। यह तो सिर्फ सी.पी. का और एपी. का सवाल है। वर्गीकरण करने का आपके पास कोई आधार नहीं है और अगर कोई आधार है तो आप सदन को बताएं मैं इतनी-सी बात जानना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : सुरेन्द्र जी व्यास साहब, आपने यह बात कैसे कह दी?

श्री अध्यक्ष : नहीं, नहीं।

श्री जगत सिंह दायमा : नहीं, नहीं, अध्यक्ष महोदय, कैसे कहनी चाहिए? (व्यवधान) हम क्यों नहीं एस.सी., एस.टी. की बात उठाएं?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मेरे को तो एक सवाल पूछना है। एक पाइंटेड सवाल ही पूछना है। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : आप कह रहे थे, आप मुस्करा रहे थे, मैं दोनों को देख रहा था।

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर, आसन पैरों पर।

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

नहीं करता हूं, क्योंकि हमारे पास शार्टेज थी। एफिशिएंट आदमियों की लाइन्स में शार्टेज थी। आज लाइन्स इतनी बड़ी हुई हो गयी हैं कि जयपुर की लाइन के अन्दर 2 हजार आदमी से ऊपर हैं। अब लाइन्स का डिसिप्लिन बिलकुल बिगड़ रहा है। इंटैलीजैंस की इन्फार्मेशन आती नहीं है। अच्छी प्रकार का इंटैलीजैंस बिंग कमजोर हो रहा है, अगर एक्सपीरियेंस्ड आदमियों को वहां नहीं लगाएंगे। एक बात यहां और कही गयी कांस्टेबल का कहीं हित इसके अन्दर एडवर्सली इफैक्ट नहीं होने वाला है। पुलिस की नफरी आज की तारीख में करीब 70 हजार है, 69 हजार समथिंग इन आल।

श्री सुरेन्द्र व्यास : विद्ड्रा करने का आपका अधिकार है ही। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : नहीं, नहीं, मेरा निवेदन डाक्टर साहब यह है...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : आपने यह मानते हुए विद्ड्रा किया कि वे ए. पी. के हैं?

श्री प्रद्युम्न सिंह : किसको?

श्री सुरेन्द्र व्यास : जो 42 आदमियों को विद्ड्रा किया, विद्ड्रा करने का तो आपको अधिकार है। (व्यवधान) वह तो आपका डिस्क्रिशन है कि किसको विभाग रिक्रूट करे।

श्री प्रद्युम्न सिंह : नहीं, नहीं, रिक्रूट नहीं। जो अभी विद्ड्रा हुए, उसमें मूल भावना यह थी...(व्यवधान) आई. बी., ए.पी. they will be more useful. Keeping individual experience and their competence they will be more useful in these branches. अध्यक्ष महोदय, कल रात को इस मामले के अन्दर मैं काफी देर तक बैठा आपका आदेश मिलने के बाद में, क्योंकि रिकास्टिंग हुई। मैंने पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से इस बारे में चर्चा की। क्योंकि उनके सामने जो व्यावहारिक कठिनाई है वह प्रशासनिक कठिनाई है, उनकी अपनी कठिनाई है। जब लॉ-एण्ड-ऑर्डर की स्थिति या इंटैलीजैंस की सी.आई.डी. के अभाव में, इंटैलीजैंस के अभाव में कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है, तो दिक्कतें आती हैं। वे उनकी अपनी दिक्कतें हैं। हम लोग तो वहां पर उनसे पूछताछ करते ही हैं। उनको इस बात पर परेशानी होती है। तो मैंने उनसे कहा कि देखिये, इस मामले के अन्दर हमारे सम्माननीय सदस्य काफी एजिटेटेड हैं, लोग घूम रहे हैं। मैंने सदन की भावना से, कल काफी संख्या के अन्दर थे, उनको अवगत कराया। मैंने कहा कि अब आप ऐसा कीजिए ब्लैंकेट कोई ऐसा मन में, क्योंकि आदेश तो है नहीं, आदेश कोई निकला नहीं है, लेकिन मैं सदन के अन्दर तो...

श्री सुरेन्द्र व्यास : That is objectionable.

श्री जगमाल सिंह यादव : अगर पुलिस आदेश कर लेती, कोई दिक्कत नहीं है। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : अब आप मेरी बात सुन लीजिए। प्लीज देखिये, मैं सही-सही बात कह रहा हूं। मैं कोई नमक-मिर्च मिला नहीं रहा हूं। असत्य बोल नहीं रहा यहां पर। I am coming with the truth, nothing but the truth before the House. मैं बिलकुल सत्य कह रहा हूं, उसमें भी अगर आपको लग रहा है तो फिर आपकी मर्जी।

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

माननीय अध्यक्ष महोदय, सबको मालूम है, सदन में असत्य बोलना नहीं चाहिए, बोलने से कोई लाभ नहीं, हकीकत सबको पता है। कोई तुक नहीं है। मैंने उनसे कहा कि इस मामले के अन्दर आपको पुनर्विचार करना चाहिए। आप इंडिविजुअल केसेज को देख लीजिए गुणावगुण के आधार पर। ऐसा कुछ नहीं है कि जो लोग इस ब्रांच में रहे हुए हैं वे दूसरी ब्रांच में नहीं जा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मैंने यह बात उनसे कल रात को कही है। मैंने कहा कि देखिये, जो आप कह रहे हैं, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। फिर, अध्यक्ष महोदय, होता क्या है, कि इनकी व्यावहारिक कठिनाइयां और मेरी व्यावहारिक कठिनाइयां...(व्यवधान) मेरी बात सुन लीजिए।

श्री जनार्दन गहलोत : मंत्रीजी, कह रहे हैं कि जो लोग हमेशा थानों का मजा भोगते रहे, पूरी आजादी के बाद, कोतवाली से माणक चौक, माणक चौक से, आप उनको भी तो कभी भेजो। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, ऐसा है, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा आपसे कि फिर प्रैशर बिल्ड-अप होते हैं। मैं यहां इस बात को इसलिये नहीं कहना चाहता हूं...(व्यवधान) अब आप आगे की बात...

श्री सुरेन्द्र व्यास : उससे कोई ताल्लुक नहीं है। वह आपका डिस्क्रिशन है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अब आप एक बात...(व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : बात यह हुई थी, सर, जो प्रैशर डवलप नहीं कर सकता, उसकी थानों में पोस्टिंग नहीं हो सकती है। मैं भी यही बात कहना चाहता हूं कि जिनकी यूनियन नहीं, जिनकी जुबान नहीं, जो दलित हैं, पिछड़े हैं, वे प्रैशर डवलप नहीं कर सकते हैं। प्रैशर डवलप कैसे करें? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप विराजिए।

श्री श्रवण कुमार : पुलिस के अन्दर यूनियन बाजी करना चाहते हो क्या?

श्री अध्यक्ष : अब आप विराजिए।

श्री श्रवण कुमार : नहीं, पुलिस में भी यूनियन कराना चाहते हैं क्या, आप, यह बताइये? (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, मुझे अपनी बात कहने दीजिए, ये अपनी बात कह चुके हैं।

श्री जगत सिंह दायमा : मैं इसके लिये आपको धन्यवाद देता हूं कि आप सच तो बोल रहे हो, कि प्रेशर डवलप नहीं कर सकते हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बैठिये आप।

श्री प्रद्युम्न सिंह : क्या बात कर रहे हैं? बात समझिये तो...(व्यवधान) बात समझने की चेष्टा कीजिए पहले। आप सुन लेंगे तो बात आपकी समझ में आ जाएगी।

श्री जगत सिंह दायमा : बताइये न।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अब आप विराजिए।

श्री जगत सिंह दायमा : ऐसा है, सुनिये। आप यह समझ रहे हैं कि मैं पढ़ा-लिखा नहीं हूं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप एम.ए., एल.एल.बी. हो, साहब।

श्री जगत सिंह दायमा : हां, मैं एलएलबी. हूं, बी.ए. भी हूं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं कब मना कर रहा हूं कि आप पढ़े-लिखे नहीं हैं?

श्री जगत सिंह दायमा : मैं बैकबर्ड क्लास की वकालत करता हूं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप एम.ए., एल.एल.बी. परम.. विद्वान, एक पार्टी के अध्यक्ष, मैं आपको कहां समझ सकता हूं? मेरी क्या औकात है?

श्री जगत सिंह दायमा : हां, मैं परम विद्वान...(व्यवधान) मैं कहता हूं कि आप मेरे से ज्यादा...

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप सरकार के मंत्री रह चुके हैं।

श्री हरिसिंह महुवा (सरकारी मुख्य सचेतक) : आप, माननीय द ग्रेट।

श्री जगत सिंह दायमा : माननीय हरिसिंह जी महुवा साहब, आप जिस जाति से बिलोंग करते हैं, मुझे पूरे राजस्थान में बता दीजिए एक डीवाईएसपी. का नाम जो गूजर हो। क्या बात करते हैं आप? क्यों नहीं, हम पढ़े-लिखे नहीं हैं? हमारे लड़के योग्य नहीं हैं? आप कहते हो यह बात लेकिन एक डीवाईएसपी. का नाम पूरे राजस्थान में बता दीजिए। आप बात करते हो, खड़े हो जाते हो और जब हम कहते हैं तो कहते हैं कि आप बहुत ज्ञानी हैं। मैं तो ज्ञानी नहीं हूं, परन्तु आप महाज्ञानी हैं, इसके बावजूद भी बैकबर्ड की तरफ आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस बात का मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जो बीजेपी. ने किया, वही आप कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री जनार्दन गहलोत : अध्यक्ष महोदय, पुलिस में कलर नहीं देना चाहिए। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, कम्युनल कलर नहीं देना चाहिए। कम्युनल कलर की बात ही नहीं है। (व्यवधान) कम्युनल कलर देने की बात आनी नहीं चाहिए।

श्री दिग्विजय सिंह : और पुलिस के अन्दर नहीं देना चाहिए। (व्यवधान)

श्री जनार्दन गहलोत : पुलिस में अगर अपन देंगे तो बड़ी गलत बात हो जाएगी।

श्री प्रद्युम्न सिंह : ऐसा है, पहले तो विराजें आप। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बात...(व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : एक काम करो, मुझे बना दो होम मिनिस्टर, मैं फिर बताऊंगा, कितने लोग आते हैं, भर्ती में टेलीफोन करते हो आप लोग।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप अव्यवस्था मत करिये।

श्री जगत सिंह दायमा : अन्दर जाकर होते हैं सारे।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, एक बात मैं यहां रिकार्ड के ऊपर और आपके माध्यम से सदन में बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार का जातिगत आधार के ऊपर नियुक्ति, किसी की भी, कहीं पर भी करने को कोई मानस नहीं है। हमारा एक ही मानस है कि हम योग्यता, एक्सपीरियंस, कांपिटेंस, इसके आधार पर नियुक्ति देंगे। जातिगत आधार के ऊपर किसी व्यक्ति को नियुक्ति नहीं दी जाएगी, यह बात मैं यहां बहुत साफ कर देना चाहता हूं।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू) : आप यह बताइये कि अनुसूचित जाति के लोगों में

(श्री बाबूलाल नागर)

कहीं योग्यता का अभाव नजर आता है क्या आपको? अनुसूचित जाति के लोगों में, गरीब तबके के लोगों में कहीं योग्यता की कमी महसूस होती है क्या?

श्री प्रद्युम्न सिंह : उनको तो रिजर्वेशन है।

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न नहीं है।

श्री बाबूलाल सिंगारिया : माननीय मंत्रीजी, योग्यता का आप आधार मत मानें, एस.सी., एस.टी. वालों को आप लोगों ने बर्फ में लगा रखा है। कृपया उनका भी ध्यान रखें। आपसे आशाएं और अपेक्षाएं हैं।

श्री बाबूलाल नागर : बड़े दुःख की बात है, अध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति का एक डीवाई.एस.पी. जयपुर में आज कहीं पोस्टेड नहीं है। (व्यवधान) गरीब वर्ग का एक आदमी कहीं कोई जगह पर पोस्टेड आज नहीं है।

श्री जगत सिंह दायमा : नहीं है। यही बात मैं कह रहा हूं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जुबान खुलने लगी है अब। अब ये चुप नहीं रहेंगे।

श्री बाबूलाल नागर : गरीब लोगों के साथ यह अत्याचार नहीं चल सकता है, अध्यक्ष महोदय।

श्री. गोपाराम मेघवाल (सिवाना) : माननीय अध्यक्ष जी, बिल्कुल भेदभाव किया जाता है। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : जब जगत सिंह दायमा ऐसी बात करते हैं तो आप रोकते हैं हमको। अब देखो, मेरे कितने भाई खड़े हुए हैं? (व्यवधान) मेरा यही उद्देश्य है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजिए।

श्री बाबूलाल नागर : अध्यक्ष महोदय, मैं गृह मंत्रीजी से अनुरोध करना चाहता हूं कि आप जिस पार्टी के बेस पर, जिन लोगों के बेस पर सरकार में बैठे हैं, जो आपके वोट के मुख्य आधार हैं उन पर भी आप कृपा करो। (व्यवधान)

श्री बाबूलाल सिंगारिया : अध्यक्ष महोदय, सामान्य वर्ग से भी ज्यादा अनुसूचित जाति के आदमी योग्यता रखते हैं, कृपया उन पर भी ध्यान दीजिए, उनको भी मौका दीजिए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अनुसूचित जाति के डीवाई.एस.पी. भी हैं और एडिशनल एस.पी. भी हैं।

श्री बाबूलाल सिंगारिया : उनको अभी तक पोस्टिंग नहीं दी गयी है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : हैं?

श्री कन्हैयालाल : माननीय अध्यक्ष जी, फील्ड में नहीं लगाया जाता है। (व्यवधान) फील्ड में नहीं लगाया जाता है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : गरीब ज्वाला बन गया है, यह देख लो। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : फील्ड में नहीं लगाया जाता, अच्छी जगह नहीं लगाया जाता।

श्री कन्हैयालाल : ये एस.सी. और एस.टी. के खिलाफ जो बात कर रहे हैं (व्यवधान)...

श्री जगत सिंह दायमा : कोई फील्ड में नहीं है। अच्छी जगह पर नहीं लगाया जाता है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य आई.जी. हैं, एडिशनल डी.जी. भी हैं।

श्री जगत सिंह दायमा : एकाध होगा।

श्री राधेश्याम गंगानगर : एस.पी. रहा है खुद, गंगानगर, एस.पी. खुद...(व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : अनुसूचित जाति की बात, एस.पी. (व्यवधान)

श्री कन्हैयालाल : क्या करेंगे वे? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : अध्यक्ष महोदय, सदन में जिस तरह की संकीर्णता जिस तरह का जहर फैलाया जा रहा है, आपके द्वारा डाइरेक्शन दिये जाने चाहिए कि इस तरह की हल्की बात करके सदन की गरिमा को ठेस नहीं पहुंचाएं। हर समाज के सभी माननीय सदस्य यहां पर हर वर्ग से आते हैं। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : माननीय पारीक साहब, आज आपको हलवा-पूड़ी मिल रहे हैं और हमको रोटी नहीं मिल रही है, खाने के लिए, तो यह...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : यह आपके भाग्य में लिखा हुआ नहीं है, इसका कसूर किसी और पर नहीं डाला करो। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : आज उस भाग्य को ही हमको तोड़ना है। आज भाग्य को तोड़ना है हमको।

श्री राजेन्द्र पारीक : आप अपने कर्मों से पैदा करो।

श्री जगत सिंह दायमा : हम भी यही कोशिश कर रहे हैं, भाग्य की बात कह रहे हैं आप तो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बारबार...

श्री राजेन्द्र पारीक : बारबार खड़े होकर यह...(व्यवधान) हलवा-पूड़ी खाने से तो आप बीमार हो नहीं जाएं। (व्यवधान) इससे सदन की गरिमा को ठेस पहुंचती है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बारबार...

श्री जगत सिंह दायमा : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष : नहीं-नहीं, आप हरेक मैटर पर बातचीत कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : आपने अपनी इंसानियत तक को तिलांजलि दे दी। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : अध्यक्ष महोदय, Mr. Pareek is not my Minister. ये जो कह रहे हैं, भाग्य पर है। भाग्य की बात हो रही है। अंधविश्वास की बात हो रही है, पोंगे-पंड़ित की बात हो रही है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कहां हो रही है? (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : बिलकुल, आप मनुवादी की तरह बात कर रहे हो।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठिये।

श्री जगत सिंह दायमा : मनुवादी हैं आप। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : मनुवादी हैं और मनुवादी रहेंगे। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : आप हैं तो क्या हम यहां पर बात नहीं करेंगे? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज आर्डर।

श्री जगत सिंह दायमा : यहां पर कर्म की बात होगी, कर्म की पूजा होगी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्लीज़, माननीय सदस्य, बैठिये। आर्डर, आर्डर।

श्री राजेन्द्र पारीक : पहले खोटे कर्म किये हैं तो...(व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : भाग्य की पूजा नहीं होगी, यहां पर कर्म की पूजा होगी।

श्री अध्यक्ष : बैठिये।

श्री राजेन्द्र पारीक : कर्म की पूजा होती तो आप यहां पर एम.एल.ए. नहीं होते।

श्री जगत सिंह दायमा : हम एम.एल.ए. हैं, आपके रहमोकरम पर नहीं हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : यह आपके कर्मों की पूजा नहीं है। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : हम आपकी, रहमोकरम पर नहीं हैं।

श्री राजेन्द्र पारीक : तो सदन का वातावरण क्यों बिगाड़ रहे हो? पूरे सदन में जहर घोल दिया है। जिस दिन से यह सदन में...(व्यवधान)...

श्री जगत सिंह दायमा : अबकी बार आप सीकर में...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र पारीक : जिस दिन से सदन में ये उपस्थित हुए हैं, उस दिन से मनुवादी, मनुवादी, मनुवादी, इनको पता नहीं है क्या है, मनुवादी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बैठिये, माननीय सदस्य। आप बैठिये।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसे अज्ञानी व्यक्तियों को तो माफ किया जाना चाहिए, इनको पता नहीं है कि ये क्या कह रहे हैं। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : अध्यक्ष महोदय, यह आपको ऐसा मिल रहा है न...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बैठिये।

श्री जगत सिंह दायमा : आपको मिल रहा है न।

श्री जगमाल सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, जो काल अटेंशन हमने पूछा है, उससे वे विषयान्तर हो रहे हैं। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : आपको मिल रहा है, सब कुछ, हमें मिल नहीं रहा है इसलिए हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ये दे रहे हैं जवाब। दे रहे हैं उसको आपको...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ये एस.सी. और एस.टी. के खिलाफ बोल रहे हैं, इसलिए पारीक साहब को सदन से बाहर किया जाए।

श्री जगमाल सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, हम तो चाहते यही थे कि जो काल अटेंशन लगा है उस पर...(व्यवधान)...

श्री जगत सिंह दायमा : खड़े हों आप अपने स्थान पर...(व्यवधान)...

श्री ज्ञानदेव आहूजा : इनको सदन से बाहर करवाइये, जगतजी। (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : आप अपना स्टेटमैंट...(व्यवधान)...

श्री ज्ञानदेव आहूजा : जगतजी, इनको सदन से बाहर करवाइये, ये एस.सी. और एस.टी. के खिलाफ बोल रहे हैं, छुआछूत फैला रहे हैं यहां पर। यहां पर छुआछूत

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

पनपा रहे हैं, सदन से बाहर करवाइये इनको।

श्री जगत सिंह दायमा : आज हमारे मुख्य मंत्री अशोक गहलोत हैं। (व्यवधान) हमारे मुख्य मंत्री हैं।

श्री अध्यक्ष : नहीं, नहीं, जब ...(व्यवधान)

श्रीमती कमला बृजलाल : अध्यक्ष महोदय, जब एस.सी. और एस.टी. की बात आती है तो ये बीच में क्यों भड़क उठते हैं, यह बताइये आप? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बैठिये।

श्री देवीसिंह भाटी : गम्भीर बात है (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : कह नहीं रहे पर...(व्यवधान)

श्रीमती कमला बृजलाल : नहीं, मतलब जब भी सदन में एस.सी. और एस.टी. की बात होती है तो इनको भड़काने की क्या जरूरत आ रही है? हम अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे, लड़ेंगे, लड़ेंगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बैठिये आप, बैठिये।

श्रीमती कमला बृजलाल : यह क्या मतलब है? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : यह सदन भावनाओं से नहीं चलता है। (व्यवधान)

श्रीमती कमला बृजलाल : अध्यक्ष महोदय, ये कर्मों की बात करते हैं, क्या होता है कर्म? कर्म किसने बनाये हैं? उनसे यह पूछिये कि क्या होता है कर्म? एस.सी. और एस.टी. की बात जब आएगी तो कर्म, क्या होता है कर्म? इन्होंने, पंडितों ने बनाये हैं क्या? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बैठिये।

श्रीमती कमला बृजलाल : क्यों बैठिये?

श्री अध्यक्ष : बारबार क्यों खड़े हो रहे हैं? (व्यवधान)

श्रीमती कमला बृजलाल : आपके अच्छे हैं क्या कर्म? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : अध्यक्ष महोदय, सदन भावनाओं से नहीं चलता, सदन नियम और परम्पराओं से चलता है। (व्यवधान) हम कहते हैं वे सुन नहीं सकते।

श्रीमती कमला बृजलाल : हमको भी बोलने दीजिए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप क्यों खड़े हो रहे हो? (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : अध्यक्ष महोदय, आज यहां मेरी बहिन को धमकाया जा रहा है। (व्यवधान)

श्रीमती कमला बृजलाल : हमें कहते हैं, बैठिये। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : आज मेरी बहिन को धमकाया जा रहा है, वह बात कर रही हैं तो। (व्यवधान)

श्रीमती कमला बृजलाल : समय कहेगा कैसे करेंगे। ये लोग करेंगे जो कि यहां...(व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : यह कोई तरीका नहीं है, अध्यक्ष महोदय (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर : यह तरीका आपका सही नहीं है। (व्यवधान) इस तरह से आप कह रहे हैं। ये भी सदन की माननीय सदस्या हैं और इस समय...(व्यवधान) भविष्य में आप इस तरह से एक महिला से बात नहीं करें। (व्यवधान)

श्रीमती कमला बृजलाल : अध्यक्ष महोदय, पहले यह करिये कि इस तरह से वे नहीं बोलेंगे (व्यवधान) समझ गये? अध्यक्ष महोदय, इनको कहिये, ये इस तरह से बोल रहे हैं कि विराजिये, विराजिये, क्यों विराजें हम? (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : अध्यक्ष महोदय, एक महिला को धमकाया जा रहा है, सदन की गरिमा गिरेगी इससे (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : अध्यक्ष महोदय, यह एक दिन का मसला नहीं है, इस राजस्थान के सदन की गरिमा बनी है...(व्यवधान) सदन की भावना बिगाड़ रहे हैं ये। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : सीकर से आने वाले माननीय सदस्य ने कोई ठेका ले रखा है? (व्यवधान)

श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : अध्यक्ष महोदय, ये एस.सी. और एस.टी. के खिलाफ बोल रहे हैं। माननीय सदस्य को कहिये, यह अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों की आत्मसम्मान की बात है, इसके ऊपर विशेष ध्यान दिया जाए। अध्यक्ष महोदय, इतना करें। एक माननीय सदस्य को दबाएंगे तो यह गलत तरीका है। (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : एस.सी., एस.टी. और ओ.बी.सी. के खिलाफ टिप्पणी करना ठीक नहीं है।

श्री जगत सिंह दायमा : यह बात को बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बैठिये-बैठिये। (व्यवधान)

श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : यह क्या तरीका हुआ? कोई बोलता है तो उसको धमकाते हो? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : यह क्या तरीका है? हर मामले में खड़े होते हैं। हर मामले पर खड़े होते हैं। (व्यवधान)

श्रीमती कमला बृजलाल : यहां पर धमकाने की जरूरत ही क्या है, (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : माननीय सदस्य बोलते हैं तो उसको धमकाते हो। कोई बोलता है, खड़ा हो जाता है तो उसको (व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र पारीक : आपके पीछे से करके भागने वाला...(व्यवधान)...

डा. करण सिंह यादव : इस सदन में एस.सी., एस.टी. और ओ.बी.सी. के लिए खूब बोलेंगे, उनके बारे में बोलेंगे, जब चाहे बोलेंगे। एस.सी. और एस.टी. की बात आएगी तो बोलेंगे। (व्यवधान) इन लोगों की तो आदत है यह। (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : वास्तविक व्यावहारिकता की बात है, अध्यक्ष महोदय, हम बोलेंगे और खुलकर बोलेंगे। (व्यवधान)

श्री कय्यूम खान : अध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को राहत देने वाली सरकार है, अनुसूचित जाति और जनजाति के सम्मान की रक्षा की जाए, कृपया इस पर ध्यान दिया जाए। (व्यवधान)

श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट में अपनी एक बात कहना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : अध्यक्ष महोदय, बड़े शर्म की बात है, मेरी बैकवर्ड बहिन है, यहां पर एस.टी. की, उसको पारीक साहब धमका रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नहीं, कोई नहीं धमका रहे हैं। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : (व्यवधान) वहां कितने कमजोर तबके के अधिकारी बैठे हैं? (व्यवधान)

श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : अध्यक्ष महोदय, अधिकारियों की अब अगर बात करें, ईमानदारी से देखा जाए, बात की जाए तो लाइनों में कितने कमजोर तबके के अधिकारी बैठे हैं और थानों और अच्छे सर्किलों में कितने अधिकारी बैठे हैं? यह कड़वा सत्य है, यह सत्य बात है, सत्यता को हमेशा गले उतारना चाहिए। (व्यवधान)

श्रीमती कमला बृजलाल : अध्यक्ष महोदय, यह आज की बात नहीं है, हमेशा से ही ऐसी अवहेलना क्यों हो रही है? हम सदन में आये हैं तो अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे बोलेंगे।

श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : अब मैं उदाहरण दे सकता हूं कि कितने लोग हैं, वे आई.ए.एस. पैदा करते हैं। वह मानना पड़ेगा। (व्यवधान)

श्री कय्यूम खान : आपके माध्यम से गृह मंत्रीजी से निवेदन है कि आई.जी. अन्दर बैठे हुए हैं, अनुसूचित जाति के आदमियों को फील्ड में लगाया जाए। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : हमारा यह प्रकरण सामने नहीं आना...(व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : अध्यक्ष महोदय, जब तक एस.सी. और एस.टी...(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, (व्यवधान) जगत सिंह जी, जगमाल सिंह जी को सदन में इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए, जिससे सदन की गरिमा गिरती हो। जगमाल सिंह जी को चाहिए कि वे...(व्यवधान)...

श्री जगत सिंह दायमा : हमें ऐसी गरिमा से कोई मतलब नहीं है कि वह हमारे हक-हकूक को काटे। हमें उस गरिमा को...(व्यवधान)...

श्री श्रवण कुमार : जगमाल सिंह जी, यह सदन की गरिमा के अनुकूल नहीं है। सदन की गरिमा...

श्री जगत सिंह दायमा : हम उस गरिमा को तोड़ देंगे।

श्री श्रवण कुमार : सदस्यों की गरिमा, हमारी गरिमा, इस बात से सदन नहीं चल सकता कि...(व्यवधान) जगमाल सिंहजी ने जो बात कही है, वह सदन के लायक नहीं कही है। उन्होंने कहा कि जाति को करो। (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : मैंने तो कहा ही नहीं।

श्री श्रवण कुमार : जगतसिंह जी दायमा की बात कह रहा हूं। एक बात वह अलग है, मेरा (व्यवधान)...

श्री जगत सिंह दायमा : हमें ऐसे आदमी, गरिमा से कोई मतलब नहीं है।

श्री श्रवण कुमार : वह अलग है। सदन में कोई जाति और धर्म नहीं चलता, सदन तो नियमों से चलता है। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : मैं बहुजन समाज का अध्यक्ष हूं, मैं अपने वर्ग की बात कैसे नहीं करूंगा? (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : बहुजन समाज के तो आप...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री जगत सिंहजी दायमा, आप बैठिये। श्रवण कुमारजी, आप भी बैठिये। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : एक बात कही आपने, यह पार्टी नहीं है, यह कोई पार्टी की मीटिंग नहीं है।

श्री जगमाल सिंह यादव : मेरी बात नहीं है।

श्री श्रवण कुमार : यह जगतसिंह जी कह रहे हैं, दायमाजी की बात कह रहा हूं। (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मेरा नाम लिया जा रहा है। जगत सिंह जी ने कही है, और मेरा नाम लिया जा रहा है। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : ऐसे सदन नहीं चलता। आपने जो जबाव दिया है, वह स्पेसिफिक जवाब है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्रवण कुमार जी, आप विराजिये।

श्री जगमाल सिंह यादव : मेरा नहीं है। पिलानी से आने वाले माननीय सदस्य, जगत सिंह जी कह रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये।

श्री श्रवण कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो आदमी काम नहीं कर सकता...(व्यवधान)...

श्री जगमाल सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मेरा नाम ले रहे हैं, जबकि जगत सिंहजी डिबेट कर रहे हैं, वह तो मेरे नाम से दर्ज हो रही है।

श्री श्रवण कुमार : आपकी नहीं, जगत सिंहजी की है।

श्री रामनारायण चौधरी : राशि एक ही है। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : अध्यक्ष महोदय, कोई आदमी खड़ा ही नहीं रह सकता। सदन में यह बात कहने लायक नहीं है। जाति और धर्म से सदन चलता है क्या? इन्होंने जाति की बात कर ली और जाति के लिए उन्होंने कहा।

श्री अध्यक्ष : माननीय गृह मंत्रीजी।

श्री श्रवण कुमार : आरक्षण की बात की है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नहीं, नहीं। गृह मंत्रीजी।

श्री श्रवण कुमार : असल में इनको...(व्यवधान) अपाइंटमैंट में भी आरक्षण होता है क्या? अपाइंटमैंट में आरक्षण होता है? यह सदन...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप, माननीय सदस्य बैठिये। आप आपस में बात मत कीजिए। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : आप मुझे बताएं, आप जाट हैं तो क्यों आरक्षण की बात कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? अगड़ों की बात नहीं है? (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : अपांइटमैंट में नहीं मानते (व्यवधान) इसमें कहां आता है? (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : तो फिर जाति की बात नहीं होती है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : ये आरक्षण की बात करते हैं, इनको कोई (व्यवधान) यह सरकार ने दिया है। (व्यवधान) वह लिखा हुआ नहीं है कि आरक्षण की बात नहीं करेंगे। (व्यवधान) यह मैनिफैस्टो में लिखा हुआ है।

श्री श्रवण कुमार : अध्यक्ष महोदय, कोई आदमी थानों में काम नहीं कर सकता, वह थानों में कैसे बैठेगा? थानों में जनता (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : माननीय पारीक साहब, सीकर से आने वाले माननीय सदस्य को सदन से बाहर निकलवाने की कार्यवाही की जाए। ये लगातार एस.सी. और एस.टी. के खिलाफ बोल रहे हैं, छुआछूत पनपा रहे हैं। यह छुआछूत सदन में नहीं चलेगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, एस.सी., एस.टी. और ओ.बी.सी. और माइनोरिटी की कोई बात कहें, हम आपको इंगित करके, आपसे अनुमति लेकर करते हैं, लेकिन माननीय सदस्य जो सीकर से आते हैं, उनका व्यवहार कुछ पिछले दिनों से देख रहे हैं कि..(व्यवधान) यह मामला, इनका व्यवहार, हम आपको कहते हैं..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बैठिये।

मोहम्मद माहिर आजाद : ये डाइरेक्ट हमको कहते हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : भावनाएं भड़का रहे हैं। भावनाएं भड़काकर सदन का अपमान किसी कीमत पर नहीं करने दिया जाएगा। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : हम आसन से ही बात करते हैं, आप कोई..(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : आप जाति-वर्ग की बात करके दलितों और सवर्णों में कुंठा पैदा कर रहे हो। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, मैं यह बात कह रहा हूं कि..(व्यवधान)..

श्री अध्यक्ष : देखिये, माननीय सदस्य, अब क्या? आप बैठिये, विराजिये।

मोहम्मद माहिर आजाद : आप क्यों कह रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं, इसका निर्णय करना आपका काम है।., इसका निर्णय करना सीकर से आने वाले माननीय सदस्य का काम नहीं है, आसन का काम है। हम आपसे अनुरोध करते हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : हां, विराजिये।

मोहम्मद माहिर आजाद : हम आपसे अनुरोध करते हैं, हम आपसे अपनी बात कहना चाहते हैं, ये बीच में कौन होते हैं, कहने वाले? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : गृह मंत्रीजी, आप उत्तर दीजिए। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने..(व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : माननीय अध्यक्ष महोदय, + + + (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैंने विस्तार से..(व्यवधान)..

श्री राजेन्द्र पारीक : यह नहीं, यह वे ही लोग हैं जो..(व्यवधान)..

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये।

श्री जगत सिंह दायमा : क्या मतलब है?

डा. किरोड़ी लाल : इनको सदन से बाहर निकालो। यह क्या तरीका हुआ? (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : क्या मतलब है? पंडितों का ठेकेदार बना दिया आपने? क्या तरीका है यह? क्या समझते हो अपने आपको? (व्यवधान)

श्रीमती कमला बृजलाल : इस तरह से बदतमीजी क्यों की जा रही है? यह इस तरह से बोलने के शब्द हैं? यह इस शब्द से इस सम्बन्ध में बोल रहे हैं..(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, इस तरह का अपमान बर्दास्त नहीं किया जाएगा।

श्री अध्यक्ष : गृह मंत्रीजी।

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, इस सदन के अन्दर महिलाएं अपने आपको असहाय महसूस कर रही हैं। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : यह क्या आप बताएंगी कि...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय जगत सिंह जी, माननीय जगत सिंह जी।

श्री जगत सिंह दायमा : हम एस.सी. और एस.टी. की बात कहते हैं तो...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय जगत सिंह जी, विराजिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब फिर बात कर रहे हो, क्यों बोल रहे हो आप उसमें फिर? (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : सम्माननीय सदस्यों ने जो यहां पर...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज। आपस में बात क्यों कर रहे हैं? (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : जानकारी चाही थी उसमें जानकारी मैंने विस्तार से दे दी है भविष्य के लिए मैं आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि किसी ने कोई कोर्स किया और किसी ब्रांच का उसे एक्सपीरियंस है, उसे हम इंडिविजुअल केसेज के आधार पर देखेंगे और गुणावगुण के आधार पर ही, मैरिट के आधार पर केस को डिसाइड करेंगे। यही मैं आपको आश्वासन दे सकता हूं, श्रीमन्। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : अध्यक्ष महोदय, हमारी यही तो लड़ाई है। (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, एक स्पष्टीकरण पूछना चाहता हूं, ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विराजिये। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : हमारे अंदर तो अवगुण आ गये और इनके अंदर गुण आ गये? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बहुत डिस्टर्ब करते हैं...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय इस तरीके से क्या आप ...(व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : एक मिनट में एक प्रश्न करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : नहीं, क्वेश्चन कुछ नहीं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जिनको फील्ड से हटा लिया, उनको वापस फील्ड में लगा देंगें न? (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : अध्यक्ष जी, गृह मंत्रीजी ने अपने जवाब में यह कहा कि आई.बी. के और ए.पी. के जो सक्षम थे, काबिल थे उनके बगैर काम नहीं चलता है। पुलिस लाइन की व्यवस्थाएं...(व्यवधान) आई.बी. का जो 1040 किलोमीटर रकबा इन्होंने बताया, किलोमीटर क्षेत्र जो लगता है उसकी व्यवस्था ठीक नहीं चल रही है और यह कह रहे हैं कि सी.पी. में कोई काबिल आदमी था नहीं इसलिए हमने आई.बी. के लोगों को आई.बी. की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिये भेज दिया और ए.पी. के लोगों...(व्यवधान) मेरा कहने का मतलब यह है कि सी.पी. में कोई काबिल आदमी नहीं है, इन गन्दे लोगों से काहे को पुलिस विभाग चलवा रहे हो? इनको सस्पैण्ड करो। नई भर्ती करो। आपने कहा है आई.बी. और ए.पी. के लोग ही सक्षम हैं। दूसरा, आपने कहा कि 253 थाने हैं जहां निरीक्षक पद हैं, तो मुझे बता दो कि 253 में आपने कितने आई.बी. के,

(श्री ज़गमाल सिंह यादव)

ए.पी. के इंस्पैक्टर लगा रखे हैं? एक भी काबिल नहीं है। एक भी 253 में से आपने नहीं लगाया। आई.बी. के और ए.पी. के जितने डीवाई.एस.पी. हैं, उन सबको आपने सक्षम बताकर पुलिस लाइन भेज दिया। ये जो माल खा रहे हैं, यह सारा सदन जानता है कि थाने पर पोस्टिंग चाहने वाला आदमी लूट करने वाला आदमी है। वरना जो आदमी ईमानदार होते हैं...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप इसको बहुत कह चुके हैं पहले। (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : फिर यह लूट-खसोट सी.पी. के लोगों से क्यों करा रहे हो? फिर हिस्सा कराओ। अगर लूट में हिस्सा है तो सारी पुलिस का है वरना होगा क्या? अध्यक्ष महोदय, गोली तो खाएंगे ए.पी. के लोग और माल खाएंगे सी.पी. के लोग कभी कानून-व्यवस्था खराब हुई और ए.पी. के लोगों ने यह कह दिया सी.पी. के लोगों से, कि जो भी माल खाएगा वही सिर फुड़वाएगा और वही गोली खाएगा तो आपकी पुलिस में बगावत के लक्षण पैदा हो जाएंगे और आप उसको दबा नहीं सकेंगे। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मैं यह चाहता हूं कि 253 थानों पर आप व्यवस्था कर दो कि आई.बी. के और ए.पी. के जितने इंस्पैक्टर हैं, उनको अनुपात के रूप में लगाया जाए। (व्यवधान)

श्री जर्नादन गहलोत : माननीय अध्यक्ष महोदय, सिर्फ एक मिनट चाहूंगा। (व्यवधान) एक ही बात कहता हूं।

श्री जगत सिंह दायमा : अध्यक्ष महोदय, भ्रष्टाचार इसलिए ही चल रहा है। यह जो भ्रष्टाचार चल रहा है वह इसलिए चल रहा है। (व्यवधान) ईमानदार लोग हैं, सक्षम लोग हैं, इसलिए उनको आप थाने पर नहीं भेजते हो, इसलिए भ्रष्टाचार चल रहा है।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये। (व्यवधान)

श्री जर्नादन गहलोत : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने बड़ा स्पष्ट जवाब दे दिया। अंदर की बात भी उन्होंने बता दी। उन्होंने अपने अंदर की भावना बता दी। उन्होंने कोई तथ्यात्मक बात छुपाई नहीं। अधिकारी सोचते हैं कि उन लोगों को लगाया जाए, लेकिन, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने वह बात खुले रूप से सदन में स्वीकार की, उसमें कोई तथ्य उन्होंने छिपाये नहीं। उन्होंने अपने जवाब में यह कह दिया कि गुण-दोष के आधार पर ए.पी., सी.पी. और आई.बी. में अब कोई अन्तर नहीं रहेगा। 1989 के रूल को उन्होंने मान लिया। रूल वही है, रूल बदले नहीं गये। हम यही तो कहलाना चाहते थे। अध्यक्ष महोदय, जब रूल बदले नहीं गये, गुण-दोष के आधार पर...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त।

श्री जनार्दन गहलोत : ईमानदार अधिकारियों को लगाइये, यही बात है।

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, एक सवाल। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त, अब नहीं। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : सिर्फ एक सवाल। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त। कालिंग अटेंशन हैं, आपने पूछ लिया। प्रश्न पूछ लिये, नहीं, अब नहीं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : प्रश्न उनका है, उन्होंने कमिटमैंट..(व्यवधान) क्या आप 1989 के रूल को फालो करेंगे? क्या उन रूल्स को अमैंड करेंगे? क्या आप 1989 के रूल्स को अमैंड करेंगे, मंत्रीजी?

श्री अध्यक्ष : यह आज कैसे कह देंगे, अभी तो 1989 के रूल्स प्रोवोक हैं? They are in force.

श्री सुरेन्द्र व्यास : No. No. They are in force but.....

श्री अध्यक्ष : What will happen, you see, in future? How can he give you an assurance in advance?

श्री सुरेन्द्र व्यास : The Government cannot follow in contravention of the rules.....

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त।

श्री सुरेन्द्र व्यास : If they lay down the...

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त। अनुदान की मांगों पर विचार।

श्री सुरेन्द्र व्यास : Government can only amend the rules. अगर ये अलग-अलग कैटेगराइज करना चाहते हैं तो रूल अमैंड करने पड़ेंगे इनको। जब तक 1989 के रूल्स फोर्स में हैं, आपको फालो करने पड़ेंगे। कमिटमैंट में सिर्फ यह चाहता हूं कि आप जो नीति की बात कह रहे हैं न कि आई.बी. को स्ट्रैंथन करना चाहते हैं, ए.पी. को स्ट्रैंथन करना चाहते हैं तो आप अमैंड करेंगे 1989 के रुल्स को?

श्री अध्यक्ष : अब नहीं, अब नहीं। पूछ लिया आपने।

श्री सुरेन्द्र व्यास : जवाब नहीं दिया है उन्होंने।

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त। श्री हरेन्द्र मिर्धा, सार्वजनिक निर्माण मंत्री अनुदान की मांग संख्या-21, विचार एवं मतदान हेतु प्रस्तुत करेंगे।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 21–सड़कें एवं पुल की प्रस्तुति

श्री हरेन्द्र मिर्धा (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि मांग संख्या 21 सड़कें एवं पुल के संबंध में 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 5,49,35,93,000/- (पांच अरब उनचास करोड़ पैंतीस लाख तिरानवे हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए।

श्री अध्यक्ष : श्री छोगाराम बाकोलिया, परिवहन मंत्री मांग संख्या-12, विचार एवं मतदान हेतु प्रस्तुत करेंगे।

मांग संख्या 12–अन्य कर (परिवहन) की प्रस्तुति

श्री छोगाराम बाकोलिया (यातायात मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 12 – अन्य कर (परिवहन) के संबंध में 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 32,35,76,000/- (बत्तीस करोड़ पैंतीस लाख छिहत्तर हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए।

मांग संख्या-21 पर कटौती प्रस्ताव

श्री रतन लाल ताम्बी (जहाजपुर) :

1. जहाजपुर क्षेत्र की समस्त पंचायतों की सड़कों को डब्ल्यू.बी.एम. तथा डामरीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
2. बनास नदी पर चैनपुरा के समीप तथा खजूरी वांकरा मार्ग पर वाकरा के पास नाले पर पुलिया निर्माण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।
3. जहाजपुर क्षेत्र की सड़कों की गम्भीर हालत एवं वर्ष 1990 से मरम्मत नहीं होने से उत्पन्न स्थिति एवं सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर (बाडी) :

4. विधान सभा क्षेत्र बाडी के गांव नकसौदा, टौटरी मोड़ से नौरा यड़ी सुक्खा से सेमरे पुल, कंचनपुर से कांसपुरा, पिदावली से नीमखेड़ा, लालौनी चौराहे से मरहौली जिन सड़कों पर अभी तक मिट्टी का कार्य ही पूर्ण किया है इन सड़कों का डामरीकरण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(1) श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा)

(2) श्री अमीन खान (शिव)

5. वर्तमान सड़क नीति में परिवर्तन कर छोटे गांवों, ढ़ाणियों तक सड़क पहुंचाने की व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
6. राजस्थान के विभिन्न जिलों की सड़क मरम्मत हेतु सड़कों की लम्बाई को आधार मानकर धन आवंटन करने की व्यवस्था कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) :

7. झुंझुनूं जिले में ग्रेवल तथा डब्ल्यू.बी.एम. सड़कों का डामरीकरण करने की व्यवस्था के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।
8. झुंझुनूं जिले में अकाल राहत तथा आश्वासित रोजगार योजना में अधूरी रही सड़कों को पूरा करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
9. झुंझुनूं जिले की सड़कों की मरम्मत हेतु उचित मात्रा में धन तथा डामर उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मदन दिलावर (अटरू) :

10. ग्राम दिवाली से कुन्जेड़ तहसील अटरू जिला बारां की सड़क को पूर्ण कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।
11. ग्राम मुण्डला बिसौती से ग्राम हरनावदा तहसील अटरू-बारां को सड़क से जोड़ने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) :

12. चूरू से तारानगर सड़क की मरम्मत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मदन दिलावर (अटरू) :

13. ग्राम भोज्याखेड़ी ग्राम पंचायत कटावर तहसील अटरू जिला बारां को सड़क से जोड़ने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।
14. ग्राम ढाबडीया तहसील अटरू-बांरा को सड़क से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
15. ग्राम खुटी से जिरोड़ तहसील अटरू-बारां सड़क बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनूं) :

16. राजस्थान में सड़कों की दयनीय हालत पर चर्चा के लिये।
17. झुंझुनूं जिले की झुंझुनूं-गुढ़ा, झुंझुनूं-श्योलाणा, बड़ा गांव चंदाना सड़क की मरम्मत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) :

18. सम्पर्क सड़क किविया (चूरू) की मरम्मत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
19. चूरू से तारानगर, चूरू से सरदार शहर सड़क में अवाप्त भूमि का किसानों को मुआवजा देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) :

20. राज्य में सड़कों के निर्माण में व्याप्त भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।
21. रेगिस्तानी जिलों में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1991 की जनसंख्या के 500 की आबादी के ग्रामों को डामर सड़कों से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
22. बाड़मेर जिले में बालोतरा एवं सिणधरी में जहां लूनी नदी, अधिक वर्षा अजमेर एवं पुष्कर में होने पर बहती है, पुल के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
23. बाड़मेर जिले में गत पांच वर्षों में सड़कों के घटिया निर्माण के कारण सभी सड़कों की मरम्मत एवं सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शंकर लाल अहारी (चौरासी) :

24. विधान सभा क्षेत्र चौरासी (डूंगरपुर) में पंचायत मुख्यालयों स्थित सड़कों का डामरीकरण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
25. विधान सभा क्षेत्र चौरासी में मोरण नदी (भैसला), गेजी से बिलपन रोड पर एवं रास्ता से लिखी सड़क पर नई पुलिया निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
26. विधान सभा क्षेत्र चौरासी (डूंगरपुर) में जठोला हनुमान पुल ग्रेड़ (रतनपुर नदी) भादर नदी (बोडमली), पर भाटीया महादेव नदी पर, निलकंठ (झाफरा नदी पर) नानोड़ा भाणा सिम्बल नदी पर कई पुलियाओं के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
27. विधान सभा क्षेत्र चौरासी (डूंगरपुर) में नई सड़कों के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
28. विधान सभा क्षेत्र चौरासी (डूंगरपुर) की सड़कों की मरम्मत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा) :

29. छोटी सादड़ी में बम्बोरा (पंचायत मानपुरा जागीर) सड़क निर्माण के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।
30. निम्बाहेड़ा में चांदखेड़ा सड़क का डामरीकरण करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।
31. छोटी सादड़ी में धोला पानी से साटोला सड़क निर्माण के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।
32. छोटी सादड़ी में मानपुरा जागीर सड़क का डामरीकरण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
33. निम्बाहेड़ा-मंगलवाड़ सड़क को चौड़ा करने व पुलिया बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) :

34. विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में पंचायत मुख्यालयों को डामरीकरण सड़कों से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
35. विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम की तहसील नादोती में गुढ़ाचन्द्रजी से पाल एवं गुढ़ाचन्द्रजी से रायसैना तक सड़क निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
36. टोडाभीम विधान सभा क्षेत्र में अधूरी सड़कों को पूर्ण कराये जाने एवं टोडाभीम एवं नादोती में सहायक अभियन्ता कार्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सांवर लाल (भिनाय) :

37. क्षतिग्रस्त भिनाय विधान सभा क्षेत्र की सड़कों की मरम्मत समय पर न होने से लोगों को होने वाली परेशानी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।
38. झीरोता से मनोहरपुरा पंचायत मुख्यालय सड़क वाया दोथजी गुजरवाड़ा न बनाने से किसानों को होने वाली असुविधा के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।
39. पंचायत मुख्यालय हरपुरा से हिगोनिया वाया कसाणा कचोलिया कुम्हारिया सड़क न बनाने से किसानों को होने वाली परेशानी के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) :

40. नारादरा (जिला सिरोही) से उम्मेदगढ़ सड़क निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
41. जवाई नदी पर शिवगंज (जिला सिरोही) में पुल को चौड़ा करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
42. पंचदेवाय (जिला सिरोही) से चूखी के रास्ते पर सूकड़ी नदी पर पुल/सड़क निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
43. जोयला (जिला सिरोही) में सूकड़ी नदी पर पुल/सड़क निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
44. कैलाश नगर (जिला सिरोही) से वाण के बीच पुल व सड़क निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अमीन खान (शिव) :

45. सीमा विकास कार्यक्रम के तहत सीमावर्ती ग्रामों में रामेसर चौकरन रोड से तामलीमार-खांनी मानी से खडीन-सांखली, फांटा से रतडेकी, खुडोनी से उगेरी, बालेवा से जानसिंह की बेरी, गरढीआ से चाड़ारमदरूप, आगासडी से उनरोड, तामलोर से मखन कापार वाया अमीर कापार सड़के बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
46. जिला बाड़मेर के पंचायत मुख्यावास बीडेकापार-चाड़ार मदरूप-स्वामी का गांव–धारवीकला–आरंग–चोचरा–खबडाला को डामर सड़कों से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) :

47. लूणकरणसर विधान सभा क्षेत्र के पंचायत मुख्यालय रायवाड़ा पर्यटन स्थल खीयेरा की सड़कों का डामरीकरण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. जसवन्त सिंह यादव (मण्डावर) :

48. अलवर जिले के कोट कासिम में साहिबी नदी पर पुल नहीं होने से आने जाने में हो रही परेशानी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

49. सड़कों पर पुल नहीं होने से वर्षा ऋतु में मुण्डावर में आने जाने का साधन नहीं होने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

50. मुण्डावर में एक भी सड़क ठीक नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा) :

51. जिला टोंक में सड़कों के रख-रखाव हेतु अधिक धन-राशि उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

52. जिला टोंक में तहसील उनियारा व देवली में अधूरी पड़ी सड़कों को पूरा करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

53. उनियारा-नगर रोड के मिसिंग लिंक बोसरिया से नगर फोर्ट तक अधूरे काम को पूरा कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नारायण सिंह (दांतारामगढ़) :

54. दांतारामगढ़ विधान सभा क्षेत्र में सड़कों की मरम्मत करने तथा पंचायत मुख्यालयों को डामर सड़कों से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अमराराम (पचपदरा) :

55. नाकोड़ा से सिणली जागीर वाया मेवा नगर पंचायत मुख्यालय 11 किलोमीटर (पंचायत समिति बालोतरा) तक की सड़क का डामरीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

56. चारलाई खुर्द फोटा से नेवरी पंचायत मुख्यालय तक वाया चारलाई कला सड़क का डामरीकरण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

57. पारलू से काकराला पंचायत मुख्यालय तक (पंचायत समिति बालोतरा) डामरीकरण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

58. बाड़मेर जिले के ग्राम उमर लाई से पारलू तक अधूरी सड़क का डामरीकरण करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

59. बालोतरा के समीप लूनी नदी पर पुल का निर्माण कार्य शीघ्र कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राधेश्याम गंगानगर (गंगानगर) :

60. श्री गंगानगर विधान सभा क्षेत्र के टूटे हुए पुलों व सड़कों का निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

61. श्री गंगानगर विधान सभा क्षेत्र के शेष रहे गांवों को पक्की सड़क से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

62. श्री गंगानगर पर चक कालूवाला के समीप खतरनाक पुल को दुरुस्त कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

63. श्री गंगानगर विधान सभा क्षेत्र के चक एक एल.एन.पी. से तीन एल.एन.पी. तक तथा चक तीन एल.एन.पी. से दो एल.एन.पी. तक पक्की सड़क बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

64. श्री गंगानगर शहर की सड़कों का पुनर्निर्माण कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) :

65. बर से, रायपुर नेशनल हाइवे नं. 8 को पुनः खोदकर स्थायी डामरीकरण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये :

(श्री हीरासिंह चौहान)

66. झाला की चौकी से कानूजा, बर से गिरी, रायपुर से कुशालपुरा सड़कों का सुदृढ़ीकरण के साथ विस्तार कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

67. एक से डेढ़ हजार की आबादी के राजस्व गांव सीरमा, कालबखुर्द, सोडपुरा, गजनाई के सड़क मार्ग डामरीकृत घोषित नीति के अनुसार कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

68. विधान सभा क्षेत्र रायपुर (पाली) के नदी व नाले यथा—रायराकला, दीपावास, बरड बगडी, गजनाई, सूरजकुंड, नानणा, गिरी, लीलाम्बा नाला, आसन जिलेलाव कुशालपुरा नदी नालों पर पुलियां बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

69. ग्राम पंचायत मुख्यालय कानूजा (पाली) से ग्राम पंचायत मुख्यालय कलालिया (पाली) के बीच आसन जिलेलाव तक 8 किलोमीटर ग्रेवल सड़क का जनहित में डामरीकरण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा) :

70. उनियारा हायर सैकण्डरी स्कूल से सुरेली रेल्वे स्टेशन के बीच की मिसिंग लिंक खोल्या तक पूर्ण कराकर डामरीकरण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

71. राज्य में सड़कों के रख-रखाव हेतु अधिक धन उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) (नदबई) :

72. भरतपुर जिले के ग्राम खेडली गडातिया से फरसो तक सड़क बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

73. भरतपुर जिले के गांव फरसो से गोवरा तक सड़क बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

74. भरतपुर जिले के गांव बड़ौदा से रूदावल तक सड़क बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

75. भरतपुर जिले के गांव खेड़ली गाडासिया से सिंह तक सड़क बनवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़) :

76. कुशलगढ़ क्षेत्र के हेजा माल से महुड़ी व डुगरा से सेर पुल माया जालीमपुरा रोड का डामरीकरण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

77. कुशलगढ़ क्षेत्र में सातसेरा से चारोबड़ा, पुल निर्माण व सड़कों तथा कलीजरा से इटाला रोड का निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

78. कुशलगढ़ क्षेत्र के ग्राम सोभावटी 1500 (पन्द्रह सौ) की आबादी का होने के फलस्वरूप सड़क से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

79. कुशलगढ़ क्षेत्र की पुरानी सड़कें कील कुआ से कुशलगढ़, ताम्बेसरा से कुशलगढ़, डुगरा से सातसेरा के पेज निकलने व नवीनीकरण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

80. कुशलगढ़ क्षेत्र में पंचायतों को जोड़ने वाली सड़कें व पुल निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) :

81. खण्डेवला-गाजूका को कस्बा पहाड़ी से जाने वाली सड़क को शीघ्र पूरा कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

82. पंचायत मुख्यालय डायना की बास (खोहरी) व सम्बद्ध ग्रामों को सड़कों से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

83. कस्बा नगर से जगड़का होकर जा रही सड़क को शीघ्र पूरा कराकर डामरीकरण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

84. लबान घाटी से हरियाणा को जोड़ने वाली सड़कें जो अधूरी पड़ी हैं, को शीघ्र पूरा कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

85. कस्बा सीकरी (भरतपुर) को कस्बा गोविन्दगढ़ (अलवर) तक जोड़ने हेतु चिमरवाड़ा पुल का निर्माण (वाया जलालपुर) शीघ्र कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. किरोड़ी लाल (बामनवास) :

86. सराय (पं. सं. बामनवास) से टुंडीला वाया रानीला, ठीकरिया बड़ीला, दाता-सूती को सड़क से नहीं जोड़े जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

87. पंचायत समिति बामनवास में झाड़ौली से रानीला वाया ठीकरिया बड़ीला सड़क की डी.आर.डी.ए. द्वारा स्वीकृत होने के बावजूद अधूरा कार्य कर छोड़ देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

88. गंगापुर-सवाईमाधोपुर मुख्य सड़क का ग्राम बाटोदा के पास तथा आंतरी क्षेत्र की सड़क बिनौरी बालाजी से अमावरा-डूंगरवाड़ा तक एवं जस्टाना (बौली) के गांव की सड़क पूर्णतया क्षतिग्रस्त हो जाने तथा अभी तक भी मरम्मत नहीं कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

कु. मीनाक्षी चन्द्रावत (खानपुर) :

91. खानपुर विधान सभा क्षेत्र में सड़कों एवं पुलों के रख-रखाव व मरम्मत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

92. खानपुर विधान सभा क्षेत्र में पंचायत हैड क्वार्टर को मुख्य, सड़कों से जोड़ने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

93. खानपुर विधान सभा क्षेत्र के गांवों को सड़कों के माध्यम से पंचायत हैड क्वार्टर से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू (पीलीबंगा) :

94. निर्वाचन क्षेत्र पीलीबंगा से ढाबांझालार व पीलीबंगा से सूरावाली सड़कों की स्थिति सुधारने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) :

95. बीकानेर-जैसलमेर सड़क से नापासर स्टेशन से सूरतसिंह पुरा सड़क डाइवरसन की विशेष मरम्मत कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

96. लूणकरणसर विधान सभा क्षेत्र के पंचायत मुख्यालय रामबाग व खियेरा सड़क के डामरीकरण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

97. क्षतिग्रस्त सड़के छतरगढ़ से महादेववाली खाजूवाला से 8 किमी. की मरम्मत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मोहनलाल मोदी (नीमकाथाना) :

98. नीमकाथाना निर्वाचन क्षेत्र के ग्राम पंचायत हसामपुर से ग्राम वोपया की सड़क से जोड़ने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

99. नीमकाथाना से हरियाणा प्रदेश को जोड़ने वाली सड़कों के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

100. नीमकाथाना निर्वाचन क्षेत्र के ग्राम टोडा से चान्दोली सड़क बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. करण सिंह यादव (बहरोड़) :

101. अलवर-नारनौल अन्तर्राज्यीय सड़क के विस्तार व नवीनीकरण न होने से होने वाली असुविधाओं के क्रम में चर्चा के लिये।

102. कुण्ड-बहरोड़ अन्तर्राज्यीय सड़क की दुर्दशा के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा) :

103. विभाग द्वारा छबड़ा विधान सभा क्षेत्र में बीलखेड़ा में निर्बन्ध राशि से पुलिया नहीं बनाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

104. छबड़ा विधान सभा क्षेत्र के ग्राम मुवा खेड़ी कोटड़ा पार सड़क पर अधूरी पुलिया को पूर्ण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

105. सालपुरा छबड़ा मार्ग पर लासी नदी पर पुलिया को ऊंचा करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

106. छीपा बडोद कस्बे में सरकारी पुल को ऊंचा कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

107. छबड़ा विधान सभा क्षेत्र की सड़कों के पेच रिपेयर को ठीक कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भरोसी लाल (हिण्डौन) :

108. हिण्डोन वाजना रोड से वेरखेड़ा होती हुयी विजयपुरा तक नवीन सड़क बनवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

109. हिण्डौन से बयाना के मध्य जटनगला नदी पर नया पुल बनवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

110. हिण्डौन से गंगापुर के बीच गम्भीर नदी पर नवीन पुल बनवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

111. हिण्डौन विधान सभा क्षेत्र की सभी सड़कों की मरम्मत कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जनार्दन गहलोत (करौली) :

112. हिण्डोन से कैला देवी वाया करौली मार्ग को चौड़ा कर हाइवे से जोड़ने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

113. जिला करौली में सड़कों के रख-रखाव हेतु अधिक धन राशि उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

114. जिला करौली में अधूरी पड़ी सड़कों के पूरा कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

115. करौली विधान सभा क्षेत्र की टूटी हुई सड़कें एवं पुलों का निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

116. करौली विधान सभा क्षेत्र के शेष रहे गांवों को पक्की सड़क से जोड़ने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री महादेव सिंह (खण्डेला) :

117. खण्डेला विधान सभा क्षेत्र में चौमूं पुरोहितान से आभावास की सड़क की दयनीय स्थिति पर चर्चा के लिये।

(श्री महादेव सिंह)

118. खण्डेला से गुरारा तक की सड़क मरम्मत नहीं कराये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।
119. खण्डेला विधान सभा क्षेत्र के ग्राम चला से गोविन्दपुरा-भगोट तक की सड़क मरम्मत नहीं कराये जाने पर चर्चा के लिये।
120. खण्डेला विधान सभा क्षेत्र के ग्राम कांवट से प्रितमपुरी तक सड़क मरम्मत नहीं कराये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।
121. खण्डेला विधान सभा क्षेत्र के ग्राम कांवट के उत्तर दिशा में नदी पर रपट निर्माण नहीं कराये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू) :

122. विधान सभा क्षेत्र दूदू की सड़कों की पुनः मरम्मत कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री आर.पी. शर्मा (भरतपुर) :

123. भरतपुर अछनेरा सड़क के पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त होने एवं उसे आज तक चौड़ा नहीं करने से यातायात में हो ही असुविधा पर चर्चा के लिये।
124. भरतपुर गोवर्धन रोड़ पर बाढ़ से गिर्राज कैनाल पर स्थित पुल के क्षतिग्रस्त होने के कारण हो रही असुविधा से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री अशोक तंवर (फागी) :

125. विधान सभा क्षेत्र फागी में पुलियाओं के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
126. विधान सभा क्षेत्र फागी में सड़कों का डामरीकरण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
127. विधान सभा क्षेत्र फागी में सड़कों की मरम्मत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
128. विधान सभा क्षेत्र फागी में नई सड़कों के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
129. विधान सभा क्षेत्र फागी की पंचायत मुख्यालयों को सड़कों से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री दुर्गाप्रसाद (गंगापुर) :

130. गंगापुर सिटी से जयपुर को जाने वाली सड़क वाया लालसोट कैथून की मरम्मत, पुल निर्माण एवं दुहरी सड़क निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
131. स्टेट हाईवे नं. 2 गंगापुर सिटी (जिला सवाईमाधोपुर) के भाग ईदगाह से सालौदा मोड़ की मरम्मत एवं पुनः निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
132. विभाग द्वारा वर्षा के समय में सड़कों की मरम्मत करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।
133. विभाग द्वारा गंगापुर नगरपालिका क्षेत्र में मुख्य सड़कों को बनाने में उपेक्षा बरतने, निर्माण घटिया करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री अरुण सिंह (डीग) :

134. डीग निर्वाचन क्षेत्र में सिनसिनी से गैरावल सड़क बनवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
135. डीग निर्वाचन क्षेत्र के ग्राम जनूथर से ऐचेरा तक सड़क बनवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
136. निर्वाचन क्षेत्र डीग में पुरानी सड़कों की मरम्मत करवायी जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री अरुण सिंह)

(1) श्री शिवनारायण (बारां)

(2) श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा)

137. कोटा से बारां एवं बारां से इकलेरा वाया छीपाबडोद सड़क को विशेष अभियान चलाकर मरम्मत करवाने एवं सड़क के पास हो रहे गड्ढे भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

138. बारां एवं छबड़ा विधान सभा क्षेत्र की ग्राम पंचायतों को डामर की सड़क से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

139. बारां विधान सभा क्षेत्र की सड़कों की पेज रिपेयर करवाकर ठीक करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

140. बारां से अन्ता तक पेवर सड़क बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

141. बारां में चारमूर्ति चौराहे से अम्बेडकर चौराहे तक सड़क चौड़ा करने एवं डिवाइडर बनवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

1. श्री हेमन्त कुमार (दीगोद)

2. श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा)

142. दिगोद से सुल्तानपुर सड़क की मरम्मत नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

1. श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा)

2. श्री शिव नारायण (बारां)

143. बारां से अकलेरा स्टेट हाईवे को शीघ्र चौड़ा करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

144. छबड़ा में अम्बेडकर चौराहे से हाई स्कूल तक सड़क चौड़ी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जगमाल सिंह यादव (तिजारा) :

145. तिजारा विधान सभा क्षेत्र की अधूरी पड़ी सड़कों का कार्य पूरा कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

146. हरियाणा की सीमा से लगे ग्रामों में सड़क बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

147. तिजारा विधान सभा क्षेत्र की पुरानी सड़कों की मरम्मत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जगत सिंह दायमा (बानसूर) :

148. ग्राम बख्तपुरा से छीन्द रोड तक 5 किलोमीटर सड़क निर्माण नहीं होने से बानसूर अलवर मार्ग पर यातायात में हो रही असुविधा पर चर्चा के लिये।

149. विधान सभा क्षेत्र बानसूर के बड़े कस्बे रामपुर को बख्तपुरा (विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़) से सड़क द्वारा जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अमराराम (धोद) :

150. राष्ट्रीय राज मार्ग 11 पर रोलसाबसर (सीकर जिले) से रसीदपुरा तक अतिक्रमण हटाने के नाम पर दोहरे मापदण्ड अपनाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

151. दिल्ली - सीकर - नागौर - जोधपुर - बाड़मेर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करके बनवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

152. सीकर जिले की सड़कों की मरम्मत के अभाव में हो रही दुर्दशा से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

153. धोद विधान सभा क्षेत्र के ग्रामों यथा जांचास, मुकन्दपुरा, अनोखू से

(श्री अमराराम) (धोद)

सुजानपुरा, सीहोट बडी से रेवासी लोसल से बोसाना, सरवडी से सीगरावट, लोसल से जाना को सड़क मार्ग से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

154. धोद विधान सभा क्षेत्र में स्वीकृत सड़कों का निर्माण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री मणेशीराम मेघवाल (जालोर) :

155. जालोर-सायला बाड़मेर मार्ग पर जालौर से 8 किलोमीटर दूरी पर जवाई नदी की क्षतिग्रस्त रपट के स्थान पर पुलिया बनवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया

(बड़ी सादड़ी) :

156. प्रदेश में सड़कों का विस्तार कार्यक्रम बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

157. बी.ओ.टी. द्वारा सड़क का रख-रखाव करने की योजना लागू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

158. सड़क निर्माण में धन खर्च के अनुपात में गुणवत्ता की कमी रहने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

159. विभाग द्वारा प्रदेश में नई सड़कों के निर्माण से पूर्व अधूरे सड़क कार्य को पूरा करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) :

160. बाड़मेर जिला मुख्यालय बाड़मेर नगर में शहीद स्मारक बाड़मेर-सिणधरी, बाड़मेर-जोधपुर रोड पर सड़क दुर्घटना रोकने हेतु सड़क सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर) :

161. जैसलमेर जिले के पोकरण उप खण्ड स्तर पर विभाग का खण्ड कार्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

162. जैसलमेर जिले में पंचायत मुख्यालयों को सड़कों से जोड़ने के बारे में चर्चा के लिये।

163. जैसलमेर जिले में इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र में सड़क निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती पूनम गोयल (लाडपुरा) :

164. लाडपुरा कोटा में सड़कों की मरम्मत नहीं किये जाने के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रामचन्द्र सराधना (जमुवारामगढ़):

165. मनोहरपुर से दौसा तक स्वीकृत सड़क का निर्माण शुरू करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

166. जमवारामगढ़ तहसील के ग्राम थुरानपुरा से गठवाड़ी सड़क पर पुल बनवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

167. जमवारामगढ़ के ग्राम ताला को जाने वाली सड़क पर नेशनल हाईवे 8 से ताला के बीच में आने वाले दो नालों पर पुलिया निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री निर्भय लाल (रूपवास) :

168. रूपवास क्षेत्र की सड़कों की मरम्मत करने के क्रम में चर्चा के लिये।

श्री राम प्रताप (हनुमानगढ़) :

169. हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय के लिए बाईपास निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

170. डबलीबास कुतुब से करणीसर सहजीपुर लिंक रोड के लिये घग्गर नदी पर पुल बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

171. हनुमानगढ़ टाऊन से भंवर काली मन्दिर की सड़क पर (लिंक रोड) मंदिर के पास पुल निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री निहाल चन्द (रायसिंह नगर) :

172. गांधी नगर, जयपुर क्षेत्र में बनाई गई अधूरी एवं अनियोजित सड़क निर्माण से हो रही असुविधा के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

173. गांधी नगर, जयपुर में बनी सड़कों के व नालों के निर्माण में बजट से अधिक राशि व्यय करने तथा निर्माण कार्यों में की गई अनियमितताओं की जांच कराये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

174. रायसिंह नगर से राईयावाली बोर्डर सड़क व लिखमे वाला पुल बनवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मोहन लाल राठौर (झालरापाटन) :

175. झालरापाटन से सुनेल की सड़क एवं पुल वाया झूमकी तथा रुन्डलाव ग्राम पंचायत की सड़क कार्य पूर्ण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

176. झालरापाटन से बकानी तक के लिये अधूरी डामर सड़क एवं पुलियाओं के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री रमजान खान (पुष्कर) :

177. पुष्कर विधान सभा क्षेत्र में बनी पक्की सड़कों की मरम्मत के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) :

178. जयपुर से मालपुरा-केकड़ी सड़क के रख-रखाव की विभाग द्वारा उपेक्षा करने पर चर्चा के लिये।

श्रीमती कमला बृजलाल (सपोटरा) :

179. निर्वाचन क्षेत्र सपोटरा में अमरगढ़ में अधूरी डामर रोड और टूटी फूटी सड़कों का कार्य पूरा करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

180. निर्वाचन क्षेत्र मण्डरायल में रोधई की तरफ जाने वाले रास्ते में अधूरे पुल का निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) :

181. रामगढ़ क्षेत्र (अलवर) में पंचायत नसवारी के अन्तर्गत रामगढ़ गोविन्दगढ़ मुख्य रोड से गुरमेज सिंह ढाणी तंक सड़क निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

182. रामगढ़ (अलवर) क्षेत्र के अन्तर्गत पंचायत केन्द्र बीजवा से मुबारिकपुर तक सड़क निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

183. रामगढ़ (अलवर) विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम पंचायत केन्द्र पाटा या मुबारिकपुर से (नगला चरांवडा) मन्सा माता मन्दिर तक सड़क बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

184. रामगढ़ (अलवर) क्षेत्र के ग्राम पंचायत अलावड़ा के अन्तर्गत पंचायत केन्द्र से नगली तक सड़क बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

185. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ (अलवर) में पंचायत केन्द्र खूंटेटा से ग्राम गूजरबास तक सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

डा. रतन लाल जाट (सहाड़ा) :

186. तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा के देवरिया से सालेरा-पल्लाई व खांखला रोड निर्माण के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

187. तहसील सहाड़ा (भीलवाड़ा) में माझावास से पोटलॉ रोड काफी टूट गई है उसका पुनः डामरीकरण करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

188. जिला भीलवाड़ा के ग्राम कोशीथल से आशाहोली व आमली सड़क का डामरीकरण करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

189. जिला भीलवाड़ा के ग्राम कोशीथल से झड़ोल वाया गलवा, सिगपुरा, रालीखेड़ा रोड के डामरीकरण कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

190. बोराणा से जगदीश माराज रोड तहसील रायपुर के डामरीकरण कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री कय्यूम खान (मसूदा) :

191. निर्वाचन क्षेत्र मसूदा में विजयनगर से मसूदा, रामगढ़ से ब्यावर रोड, रखवा से मसूदा, मसूदा से किराप-जामोला, रूप नगर से ब्यावर, ब्लाक लुलुआ होते हुये मसूदा की सड़कों की मरम्मत न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

192. विधान सभा क्षेत्र मसूदा में टूटी हुयी सड़कों की मरम्मत करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

193. विधान सभा क्षेत्र मसूदा में जामौला वाया किराप होते हुए नासून तक पक्की सड़क बनवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं) :

194. चौमूं विधान सभा क्षेत्र के नेशनल हाईवे से वीर हनुमान जी तक क्षतिग्रस्त मार्ग का पुनः निर्माण करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

195. चौमूं विधान सभा क्षेत्र में नीवाना-खेजरोली मार्ग पर पुलिया बनाकर सड़क बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

196. चौमूं तहसील क्षेत्र में वर्तमान में क्षतिग्रस्त सभी सड़कें, जिन्हें अविलम्ब डामर रोड बनवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

197. चौमूं विधान सभा क्षेत्र के कालाडेरा-गोविन्दगढ़ मार्ग पर मलिकपुर ग्राम में अवरुद्ध सड़क मार्ग को ऊंचा करके मार्ग चालू कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री रामसिंह कस्वां (सादुलपुर) :

198. सादुलपुर विधान सभा क्षेत्र जिला चूरू में सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत निर्मित राधाबाड़ी से गागड़वास, गुगलवा किरतान से हरियाणा सीमा, थिरपाली बड़ी से डीगली, नूहन्द से पिलानी सीमा, सांखू से विजयपुरा, राजगढ़ से ख्याली वाया ढंढाल लेखू सम्पर्क सड़क आच्छापुर, राधा छोटी से कान्धरान, गागड़वास से सदाऊ वाया बीसलान, जैतपुरा से ढाणी मौजी सड़कों का डामरीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री रामसिंह)

199. सादुलपुर विधान सभा क्षेत्र जिला चूरू में कालाना ताल से राऊटीबा नूहन्द से गोविन्द सिंह का बास, सांखनताल से रबूड़ी कालरी से खैरू बड़ी, हमीर वास से बास किरतान, हमीरवास से दन्देऊ मोहन सिंह, कालरी-जादूवास, हमीरवास-बेवड़ तक सड़कें बनवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

200. सादुलपुर विधान सभा क्षेत्र की सभी क्षतिग्रस्त सड़कों का मरम्मत का कार्य कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

201. सादुलपुर विधान सभा क्षेत्र जिला चूरू राजगढ़ कस्बे को जोड़ने के लिये हिसार रोड से मोहता कन्या विद्यालय तक हिसार रोड से नेहरू बाल मन्दिर तक सड़कें बनवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण) :

202. निर्वाचन क्षेत्र जैतारण (पाली) के ग्राम गरनिया से राजादण्ड, गरनिया से राणीवाल, निम्बोल से खराड़ी, बलाड़ा से राबड़ियावास, कोटड़िया से कुडकी, धनेरिया से कठमोर मेटल सड़क पर डामरीकरण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

203. निर्वाचन क्षेत्र जैतारण में निम्बोल नदी की रपट का निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

204. निर्वाचन क्षेत्र जैतारण में लाम्बीया रास-ब्यावर अत्यन्त खराब सड़क की मरम्मत करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

205. निर्वाचन क्षेत्र जैतारण के बाझा कुड़ी से बलाड़ा सड़क पर पेवर मशीन द्वारा डामरीकरण करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जीतमल खांट (बागीदोरा) :

206. विधान सभा क्षेत्र बागीदोरा के ग्राम ओडवाड़ा, हडमतिया पनाली छोटी व डकार कुण्डी आदि अपूर्ण सड़क/पुलिया को बनवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

207. निर्वाचन क्षेत्र बागीदोरा में परतापुर से आनन्दपुरी वाया अरथूना आदि पुरानी सड़कों को पेवर सड़कों में बदलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

208. विधान सभा क्षेत्र बीगादोरा के पंचायत समिति गढ़ी, आनन्दपुरी व बागीदोरा की पुरानी सड़कों को पेवर सड़कों में बदलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री घनश्याम जैन (बेगूं) :

209. रावतभाटा कस्बे को जिला मुख्यालय चित्तौड़गढ़ व कोटा से शीघ्र सम्पर्क हेतु सड़कों को चौड़ा कर जोड़ने व नवीनीकरण करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

210. विधान सभा क्षेत्र बेगूं के पंचायत मुख्यालयों को डामर की सड़कों से जोड़ने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

211. विधान सभा क्षेत्र बेगूं में बने राणा प्रताप सागर बांध के डूब विस्थापित गांवों को सड़क सुविधायें देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

212. बेगूं विधान सभा में पंचायत समिति भैंसरोड़गढ़ में गोपालपुरा व अन्य

(श्री घनश्याम जैन)

गांवों को जोड़ने हेतु ब्राह्मणी नदी पर एवं पंचायत समिति बेगूं में बेड़च नदी पर पुल निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

213. रावतभाटा में राणा प्रताप सागर बांध के डूब विस्थापित लोगों के लिए सड़क सुविधा हेतु रावतभाटा से जवाहर नगर तक पेरीफेरी सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा) :

214. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा की सड़कें क्षतिग्रस्त होने से जनता को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

215. वर्ल्ड बैंक द्वारा स्वीकृत सड़कों का निर्माण कार्य समय पर पूर्ण नहीं होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

216. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा में बडौद से ढीणरी में आर.बी.सी.सी. द्वारा पुलिया निर्माण की अनियमितता की जांच के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा (बयाना) :

217. बयाना-भरतपुर की कोट से वाजना एवं सिघाड़ा से तरसूमा की सड़क पर पुलिया निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

218. बयाना (भरतपुर) की सिंघाडा से तरसूमा बाया ब्यानाडांग, धाधरेन से कपूरा मलूका की अधूरी सड़कों को पूर्ण करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

219. बयाना (भरतपुर) की बयाना से छोकरवाड़ा, धाधरेन से ईट खेड़ा तक सड़कों की मरम्मत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

220. बयाना (भरतपुर) क्षेत्र में बयाना से बसेड़ी, बयाना से तालचिड़ी, बयाना से धाधरैन, भरतपुर रोड से सिधरावली, कोट से बाजना, कोट से उत्तर प्रदेश बोर्डर तक की सड़कों की मरम्मत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

221. बसेडी (धौलपुर) की बसेड़ी से मासलपुर, बसेडी से बागधर बसेडी से श्योहली, मासलपुर रोड पर धोबी की तिवरीया से वडरीया तक की सड़कों की मरम्मत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रमेश खींची (कठूमर) :

222. कठूमर विधान सभा क्षेत्र के खेरली मोड़ से नगर तक सड़क की पेवर रोड़ बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

223. कठूमर विधान सभा क्षेत्र के पंचायत मुख्यालयों की सड़कों का डामरीकरण एवं अडोनी से गोठणा तक सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

224. कठूमर विधान सभा क्षेत्र की खस्ता सड़कों का सर्वे कर ठीक करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया

(रतनगढ़) :

225. निर्वाचन क्षेत्र रतनगढ़ में रतनगढ़ से सेहला तक, राजलदेसर से पड़िहारा, रतनगढ़ से सुजानगढ़, रतनगढ़ से सालासर एवं नेशनल हाईवे नं. 11 से लाछड़सर तक सड़कों की मरम्मत कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मोहन लाल चौहान (परबतसर) :

226. परबतसर निर्वाचन क्षेत्र के रावरवाड़ा से रिड़ वाया भवानी गांव निम्बोला व मोडी खुर्द 8 किलोमीटर सड़क का डामरीकरण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

227. परबतसर से औद्योगिक क्षेत्र बिदीयाप 15 किलोमीटर सड़क को पेवर रोड निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

228. परबतसर निर्वाचन क्षेत्र में रिड़ से मेडतियां 5 किलोमीटर सड़क का डामरीकरण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

229. परबतसर निर्वाचन क्षेत्र में जावला से खेड़ी खीसवी तक सड़क का डामरीकरण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

230. नादोसवी मेड़तिया से बडू तक 7 किलोमीटर सड़क का डामरीकरण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) :

231. बांदीकुई निर्वाचन क्षेत्र में अधिकांश सड़कों की हालत खस्ता होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री मंगलाराम गोदारा (डूंगरपुर) :

232. बीदासर से लूणकरणसर वाया श्री डूंगरगढ़ सड़क को पुनः निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

233. डूंगरगढ़ निर्वाचन क्षेत्र के ग्राम कल्याण सर से जाखासर ग्राम पंचायत को सड़क से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

234. निर्वाचन क्षेत्र डूंगरगढ़ से ग्राम उपनी से दुसारणा पंचायत हैड क्वार्टर तक सड़क से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

235. डूंगरगढ़ विधान सभा क्षेत्र में कातर से लालगढ़ सड़क का पुनर्निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. रघुवीर सिंह गौड़ (कोटपूतली) :

236. कोटपूतली क्षेत्र में सड़कों का नवीनीकरण तथा नवर्निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कन्हैया लाल (बस्सी) :

237. बस्सी विधान सभा क्षेत्र के सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कोटखावदा से रामनगर तक सड़क मार्ग हेतु जिनकी भूमि अवाप्त की है उन्हें मुआवजे की राशि का भुगतान कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

238. बस्सी विधान सभा क्षेत्र में चाकसू-कोटखावदा व गरूड़वासी चाकसू के मध्य ढूंढ नदी पर पुल निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

239. विधान सभा क्षेत्र बस्सी की क्षतिग्रस्त समस्त सड़कों की प्राथमिकता से मरम्मत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शिवराम सिंह कुशवाह (धौलपुर) :

240. धौलपुर विधान सभा क्षेत्र की अधिकतर सड़कों के पूर्णतया क्षतिग्रस्त हो जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री केसाराम चौधरी (खारची) :

241. खारची विधान सभा क्षेत्र में मारवाड़ जंक्शन से जोजावर तक सड़क का सुदृढ़ीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री केसाराम चौधरी)

242. खारची विधान सभा क्षेत्र में 1000 की आबादी वाली ऊपरली निम्बड़ी एवं मेवी कल्ला को सड़क से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

243. खारची विधान सभा क्षेत्र के खिवाड़ा से नीपल होते हुए नाडोल तक सड़क सुदृढ़ीकरण एवं रास्ते में पड़ने वाली रपटों के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

244. खारची विधान सभा क्षेत्र के पंचायत मुख्यालयों धामली, बांता, गुडाकेसर सिंह, गुड़ा रामसिंह की रपटें एवं हिमलीयावास खुर्द गांव के पास सड़क बचाव हेतु दिवार बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

245. खारची विधान सभा क्षेत्र में सिवाड़ा से सोमेसर सड़क सुदृढ़ीकरण एवं 4 किलोमीटर पिलावनी से रुगडी तक सड़क निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत (चित्तौड़गढ़) :

246. चित्तौड़गढ़ विधान सभा क्षेत्र में सड़कों की खस्ता हालत सुधारने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

247. चित्तौड़गढ़ विधान सभा क्षेत्र में बामनिया व ठीकरीया गांव के पास मुरलिया नाले पर पुलिया निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कालूलाल खोईवाल (गंगरार) :

248. राज्य सरकार की सड़क नीति के तहत ग्राम पंचायतों एवं बड़े गांवों को सड़क से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

249. गंगरार व राश्मी क्षेत्र में विभागीय सड़कों का रख-रखाव सही नहीं होने एवं इनका पुनरुद्धार कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

250. विधान सभा क्षेत्र बस्सी आमा सड़क पर पड़ने वाले 5 बड़े नालों से वर्षा ऋतु में बसें व आवागमन अवरुद्ध हो जाता है। उक्त सड़क मार्ग के नालों पर पुलिया निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जगन्नाथ (मनोहर थाना) :

251. थानागाजी (अलवर) के ग्राम आगर वाया भूरयावास झीरी सड़क को पूर्ण करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

252. थानागाजी (अलवर) के ग्राम आगर में स्थित गणेश मंदिर के गणेश सिंह द्वार के पास एवं मंदिर से 200 फीट सड़क मार्ग पर हो रहे अतिक्रमण नहीं हटाने से मार्ग अवरुद्ध होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाड़नूं) :

253. लाडनूं नागौर सड़क की मरम्मत एवं रख-रखाव में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

254. उपखण्ड लाडनूं में सड़कों की मरम्मत के लिये राशि का प्रावधान नहीं किये जाने के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

255. उपखण्ड लाड़नूं में ग्राम जसवन्तगढ़ से डाबड़ी सड़क निर्माण में डामरीकरण में डामर की मोटाई फर्जी बताकर अधिक बिल बनाकर भुगतान किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

256. उपखण्ड लाड़नूं में ग्राम निम्बीजोधा से आडिट डामर सड़क की साईज तकनीकी स्वीकृति व तखमीने से

(श्री हरजीराम बुड़रक)

छोटी बनाई जाने पर चर्चा के लिये।

257. उप खण्ड लाडनूं में आश्वासित योजना में स्वीकृत सड़क मालगांव व हीरावती की राशि बिना स्वीकृति के दुजार व जसवन्तगढ़ में खर्च किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री प्रभुलाल करसोल्या (नैनवां) :

258. गांधीनगर, जयपुर की सार्वजनिक निर्माण योजना की चौकी के प्रभारी सहायक अभियन्ता एवं अधिशाषी अभियन्ता द्वारा मार्च, 99 में अनियमित खर्च राशि पर चर्चा के लिये।

मांग संख्या-12 पर कटौती प्रस्ताव

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) :

1. खाजूवाला-बीकानेर व अनुपगढ़-छतरगढ़ बीकानेर मार्ग पर प्राइवेट बसेज के परिचालन पर रोक लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. जसवन्त सिंह यादव (मण्डावर) :

2. राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों की अव्यवस्था से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री राधेश्याम गंगानगर (गंगानगर) :

3. गंगानगर जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

4. जिला श्रीगंगानगर में बिना परमिट चल रही बसों को बन्द करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री अमराराम (पचपदरा) :

5. बालोतरा से जोधपुर साधारण बसें नहीं चलने से गरीब जनता को आवागमन में हो रही कठिनाई के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री अमीन खां (शिव) :

6. राज्य में राष्ट्रीयकृत मार्गों पर निजी वाहनों के अवैध संचालन को बन्द करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) :

7. प्रदेश में किसान बुग्गे (जुगाड़) के लिये कानून बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

8. राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की नगर से सीकरी-गोपालगढ़ पहाड़ी तक पर्याप्त संख्या में बसें संचालित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

9. नगर होकर अलवर जाने वाली रोडवेज बसों को मानोता व जालूकी रुकवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

10. राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम का कस्बा नगर (भरतपुर) में आगार (डिपो) बनाकर बसों का संचालन डिपो से कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

11. जयपुर से नगर (भरतपुर) डीलक्स बस संचालित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) :

12. चूरू के ग्रामीण क्षेत्र झाणीयां को राजस्थान राज्य पथ निगम से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनूं) :

13. विभाग द्वारा अवैध वाहनों के परिवहन को रोकने में असफलता से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

14. राजगढ़ से मंड्रेला होती हुई जयपुर तक राजस्थान राज्य पथ परिवहन की बस चलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

15. झुंझुनूं से मंड्रेला होती हुई हिसार तक राजस्थान राज्य पथ परिवहन की बस चलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) :

16. हिण्डौन डिपो की दयनीय स्थिति को सुधारने एवं टोडाभीम में डिपो खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सांवर लाल (भिनाय) :

17. भिनाय क्षेत्र के विभिन्न गांव जो निजी बसों के परमिट में सम्मिलित हैं, उन गांवों में बसे नहीं जाने से जनता को हो रही परेशानियों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

18. भिनाय क्षेत्र में निगम की विभिन्न बसों के बन्द कर देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू (पीलीबंगा) :

19. राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों के संचालन की स्थिति में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) :

20. लूणकरणसर में बस अड्डा राष्ट्रीय मार्ग पर बनाने के संबंध में चर्चा के लिये।

21. खाजूवाला बस अड्डा भवन को पंचायत से किराये पर लेकर संचालित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

22. खाजूवाला – बीकानेर, विजयनगर-छतरगढ़ व छतरगढ़ – बीकानेर राष्ट्रीयकृत मार्गों पर निजी बसेज का परिचालन बंद कराने पर चर्चा के लिये।

डा. करण सिंह यादव (बहरोड) :

23. निजी बस चालकों द्वारा मनमाने किराये वसूल करने से जनता को होने वाली आर्थिक क्षति के क्रम में चर्चा के लिये।

24. राजस्थान रोडवेज का बहरोड़ में बस स्टेण्ड न होने से जनता को होने वाली परेशानियों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री भरोसी लाल (हिण्डौन) :

25. हिण्डौन में जिला परिवहन अधिकारी का कार्यालय खोलने के क्रम में चर्चा के लिये।

श्री जनार्दन गहलोत (करौली) :

26. करौली स्थित जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

27. जिला करौली में बिना परमिट चल रही बसों को शीघ्र बन्द करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

28. जिला करौली में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों की अव्यवस्था के क्रम में चर्चा के लिये।

29. जयपुर से करौली तक डीलक्स बस संचालित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

30. राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की करौली से जयपुर तक पर्याप्त संख्या में बसों के संचालित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अमराराम (धोद) :

31. परिवहन विभाग में हो रहे घोटाले एवं परिवहन एजेन्टों द्वारा आम जनता को लूटने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

32. राज्य में ट्रक मालिकों की यूनियन द्वारा नियम विरुद्ध मालभाड़ा वसूलने से जनता को हो रही हानि के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

33. राज्य में परिवहन की समुचित व्यवस्था नहीं होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

34. राष्ट्रीयकृत मार्गों पर अवैध वाहनों से परिवहन निगम को होने वाली हानि एवं जन हानि से बचाने के लिये आवश्यक कदम उठाने के सबंध में चर्चा के लिये।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) :

35. प्रदेश में हजारों अवैध वाहन संचालित होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

36. निजी बस मालिक द्वारा मनचाहा किराया वसूलने एवं टिकट मांगने पर यात्रियों से दुर्व्यवहार करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

37. बड़ी सादड़ी एस.डी.ओ. हैड-क्वांटर को जिला मुख्यालय रोड़वेज के माध्यम से नहीं जोड़ने से लोगों को हो रही भारी परेशानी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

38. परिवहन विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री निर्भय लाल (रूपवास) :

39. भरतपुर जिले में रोडवेज बसों की और अधिक व्यवस्था करने व आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) :

40. राज्य भारी तादाद में विभागीय कर्मचारियों की मिलीभगत से निजी वाहनों के चलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रामसिंह कस्वां (सादुलपुर) :

41. राजगढ़-भादरा वाया पहाड़सर-भगेला, सिंगारला सिधमुख नया मार्ग सर्वे करवाकर खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

42. राजगढ़ से चूरू वाया गंगोर, डोकंवा, मून्दीलाल, रतनपुरा झाड़सर, हडियाल, दूधवारवारा, लालासर, बारड़ादास, भामासी, बूंटिया नया मार्ग सर्वे करवा कर खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

43. रामगढ़ से जयपुर एक डीलक्स बस सेवा सुबह 5 बजे से व शाम 6 बजे जयपुर से शुरू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

44. राजगढ़ से साहवा वाया धणाऊ बांय, मनीण, झाडसर, कान्धलान, डाबड़ी, छोटी, डाबड़ी बड़ी, धीरवास नया मार्ग खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जीतमल खांट (बागीदौरा) :

45. बागीदौरा विधान सभा क्षेत्र में पूर्व की तरह राज्य पथ परिवहन बसों को चलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रमेश खींची (कठूमर) :

46. कठुमर विधान सभा क्षेत्र, खेड़ली से अलवर वाया मनोखर, सटाड़ी, बहुतूकलां को राष्ट्रीयकृत मार्ग बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री रमेश खींची)

47. कठूमर विधान सभा क्षेत्र, खेड़ली से लक्ष्मणगढ़ वाया नाटौज को राष्ट्रीयकृत मार्ग घोषित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) (नदबई) :

48. नदबई से हलेन तक बस व्यवस्था की जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

49. नदबई से सोरों बस चलाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

50. नदबई से कुम्हेर बस चलाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

51. नदबई में बस स्टैण्ड बनवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मंगलाराम गोदारा (डूंगरगढ़) :

52. चूरू जिले का आर.टी.ओ. कार्यालय बीकानेर से हस्तान्तरित कर सीकर करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री कन्हैया लाल (बस्सी) :

53. कृषकों के ट्रैक्टर खेती पूरी हो जाने के बाद ट्रैक्टर शहरों में कार्य करने की स्थिति में टैक्स फ्री करने के संबंध में चर्चा के लिये।

54. जयपुर से पड़ासौली, भटेरी वाया हंसमहल एवं जयपुर से पीलिया खतेपुरा, रूपपुरा, भौरण्डी तक रोडवेज बस चलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री केसाराम चौधरी (खारची) :

55. किसानों के उपयोग हेतु ट्रैक्टर से पूरा टैक्स हटाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत (चित्तौड़गढ़) :

56. ट्रकों के ओवरलोडिंग परिवहन में आने वाली कठिनाइयों तथा कर से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

डा. रतन लाल जाट (सहाड़ा) :

57. भीलवाड़ा से गंगापुर मार्ग पर अवैध बसों व डीपो से परिवहन निगम को होने वाले राजस्व घाटे के संबंध में चर्चा के लिये।

58. विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा-रायपुर जिला भीलवाड़ा में निजी बसें जिनके परमिट जिन गांवों के होते हैं उन गांवों में बसें नहीं ले जाने से ग्रामीणों को होने वाली असुविधा के संबंध में चर्चा के लिये।

59. भीलवाड़ा से करेड़ा वाया गंगापुर देवरिया, नान्दशा, रायपुर रोडवेज की बसों के परमिट होते हुये भी थोड़े समय तक चलाकर वापस बन्द कर दिये जाने से यात्रियों को होने वाली असुविधा के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) :

60. निगम द्वारा खरीदे जा रहे सामान व बसों की बॉडी बनवाने में हो रहे भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों के मामलों में प्रभावी कार्यवाही नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये।

61. पुरानी गाड़ियों के नाम बदलने पर अत्यधिक कर लगाने के कारण कर चोरी की अधिक सम्भावना के संबंध में चर्चा के लिये।

62. निजी बसों को दिये जा रहे परमिट से फर्जी बसें चलाकर निगम को घाटा पहुंचाने पर चर्चा के लिये।

63. लाडनूं नागौर मार्ग पर निगम के स्वीकृत वाहन चक्र से कम बस

(श्री हरजीराम बुरड़क)

चलाना एवं निजी बसों से मिली-भगत करने की स्थिति में निगम को हो रही हानि से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

64. विभागीय अधिकारियों की मिली-भगत से अवैध वाहन संचालन से रोडवेज को हो रही हानि के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

मांग संख्या-21 एवं 12 पर विचार

श्री अध्यक्ष : श्री गोविन्द सिंह।

श्री गोविन्द सिंह (नसीराबाद) : अध्यक्ष महोदय, सार्वजनिक निर्माण विभाग के संबंध में जो राशि माननीय मंत्री महोदय ने मांगी है, उसका तो मैं स्वागत करता हूं। अध्यक्ष महोदय, जैसा कांग्रेस के घोषणा-पत्र में लिखा गया है, कांग्रेस शासन में निमित्त करीब 47 हजार किलोमीटर लम्बी सड़कों, जिनकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार मरम्मत तक नहीं करा सकी, इन वर्षों में एक हजार तक की आबादी वाले गांवों को सड़कों से जोड़ने की घोषणा के बावजूद भी सरकार विफल रही, जिन सड़कों की खराब हालत के कारण प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में निरन्तर बढ़ोतरी हुई, मुझे खुशी है कि मंत्री महोदय ने उनकी मरम्मत के मद में ही करीब 227 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। मैं समझता हूं यह अपने आप में एक दिशा से हटकर कोशिश है। पूरे पांच साल तक इस सदन में सड़कों की मरम्मत नही होने की चर्चा बराबर होती रही, मुझे बहुत खुशी है कि उन्होंने सड़कों की मरम्मत के ऊपर उतना ही ध्यान दिया, जितना सड़कों को बनाने के ऊपर ध्यान दिया है। अध्यक्ष महोदय, हमने अपने घोषणा-पत्र में यह भी लिखा है कि हम उत्तरदायित्वपूर्ण और पारदर्शी सरकार देंगे। मंत्री महोदय, गत पांच सालों में जिस प्रकार से इस विभाग का शोषण हुआ है, वह अपने आप में एक अलग इतिहास है, कुछ उदाहरण भी मैं आपको बाद में तथ्यों के साथ प्रस्तुत करूंगा, लेकिन मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि यह जो आपको विभाग मिला है, इस विभाग को ठीक करने के लिये, इस विभाग की मरम्मत करने के लिये आपको बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी।

आप देखेंगे कि विभाग द्वारा ठेकेदारों का पंजीकरण किया जाता है, उस पंजीकरण में जो शर्तें हैं, जो मुख्य-मुख्य बातें हैं उन बातों पर विभाग ध्यान नहीं देता या जान-बूझकर उन बातों को नजरअंदाज किया जाता है।

(14.40 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

मैं इस सम्बन्ध में आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि ठेकों के सम्बन्ध में जो पंजीकरण आप करते हैं उसमें यह है कि अगर 12 लगातार ठेके देने पर या दो वर्ष में कोई ठेकेदार काम नही लेता है, काम उसको नहीं मिलता है तो उसका पंजीकरण निरस्त होना चाहिए। लेकिन मेरे को तो एक भी ऐसी नजीर देखने को नहीं मिली कि जब इस चीज को कोई तवज्जोह दी गयी हो।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत कहना चाहता हूं कि जो ठेकेदारों के पंजीकरण के नियम बने हुए हैं—चाहे वे ए ए हो, चाहे वे ए हों, चाहे वे बी हों, इनके लिए प्रावधान किये हुए हैं कि ये अपनी एक अलग से इंजीनियरिंग यूनिट रखेंगे और उसके लिये स्टॉफ भी रखेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, यह सब कार्यवाही केवल

(श्री गोविन्द सिंह)

कागजों में हो रही है। आज जैसा आपको भी मालूम है, मंत्री महोदय को भी मालूम है कि हमारे पास एक लम्बी कतार उन लोगों की है जो इंजीनियरिंग की परीक्षा पास कर नौकरी के इन्तजार में बैठे हुए हैं। कागजों में तो दिखा दिया गया है कि इस नियम का पालन हो रहा है लेकिन वास्तविकता में उनको रखा नहीं जाता और इस नियम का उल्लंघन होता है। मैं मंत्री महोदय को सुझाव देना चाहता हूं इस नियम के पालन में कि अगर इंजीनियर रखना अनिवार्य है, इंजीनियरिंग स्टॉफ रखना अनिवार्य है तो वह आप गवर्नमेंट की तरफ से अपनी जो मैन पावर है उस मैन पावर में से उनको उपलब्ध करवाएं। ठेके की जो राशि आप पेमेंट करते हैं उसमें से उनकी राशि काटें और उन इंजीनियर्स को पेमेंट आपके विभाग की तरफ से हो। तो मैं समझूंगा कि बहुत सारे इंजीनियर्स को इसमें काम मिल सकेगा और यह जो नियम है, इस नियम का पालन भी हो सकेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, एक नियम यह भी है कि जो भी ठेकेदार वृत्त में या संभाग में काम करेंगे उनका एक रजिस्टर होगा जो इनके रूल 22(2)(II) के अन्तर्गत संधारित किया जाएगा। जिस तरह से अफसरों की कांफीडेंशल रिपोर्ट लिखी जाती है उसी तरह से वह रजिस्टर मेन्टेन करना रूल्स में अनिवार्य है। लेकिन मैंने यह देखा है और मैं समझता हूं मंत्री महोदय भी इसको देखेंगे। इस प्रकार के रजिस्टर के संधारण से एक स्पष्ट तस्वीर यह मिल सकती है कि कौन आदमी केवल रजिस्ट्रेशन करा कर जो लोग टेंडर्स देते हैं उनसे पैसे वसूल करने के लिए आज काम कर रहे हैं। ऐसे हजारों ठेकेदार इससे एलिमिनेट हो सकते हैं, निकाले जा सकते हैं अगर इन कानूनों का ढंग से पालन किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, कानून यह भी है कि किसी भी इंजीनियर का, अधिकारी का या कर्मचारी का अगर कोई रिश्तेदार ठेकेदारी करता है तो वह उस वृत्त में ठेकेदारी नहीं कर सकता। अजमेर जिले मे कम से कम आठ-दस आदमियों के नाम तो मुझे मालूम हैं। मैं मंत्री महोदय के ध्यान में आपके मार्फत लाना चाहता हूं कि इस नियम का पालन होना चाहिए, क्योंकि यह नियम इसीलिए बनाया गया है कि कोई सरकारी नौकरी में होते हुए नाजायज फायदा उन आदमियों को नहीं दे सके जिनको नहीं देना चाहिए। इसलिए मैं आपके मार्फत माननीय मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं कि इन नियमों में जो प्रावधान हैं उनका हमें पालन करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बहुत ही गम्भीर प्रवृत्ति पनप रही है सार्वजनिक निर्माण विभाग में और जो दूसरे निर्माण के विभाग हैं चाहे पी.एच.ई.डी. हो, चाहे सिंचाई हो उनमें। जिस तरह से शराब के माफिया हैं, जिस तरह से भू-माफिया हैं उसी तरह से एक माफिया ग्रुप निर्माण के कामों में भी धीरे-धीरे पनपता जा रहा है। जो सरकार के अधिकारी हैं, उच्च पदस्थ अधिकारी हैं वे एक योजनाबद्ध तरीके से इस तरह की कार्यवाही कर रहे हैं कि उनको पनपने का मौका मिल रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूं कि एक कंडीशन लगा रखी है प्री-बिड की। जो आपको ठेका देना है उसकी एक प्री-बिड और होगी जिसमें आपकी प्री - क्वालिफिकेशन है,

(श्री गोविन्द सिंह)

आपकी फाइनेंशल कैपेसिटी देखी जाएगी। उपाध्यक्ष महोदय, आप एक ठेकेदार का रजिस्ट्रेशन करते हैं, इस बात को देख कर करते हैं कि उसकी क्या कैपेसिटी है। बहुत ही कम अमाउंट के लिए अगर इस प्रकार की प्री-बिड जैसी चीजें काम में लायी जाएंगी तो मैं समझता हूं कि इससे उन लोगों को शह मिलती है या जिनके पास बहुत सारे संसाधन हैं वे इस पर मोनोपॉली बना लेते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, आपको ध्यान होगा हमारे यहां इस तरह की कुछ प्रवृत्तियां हुई हैं, एक कंडीशन लगा दी कि जो रोड्स बनेंगी, गांव की रोड भी जो बनेंगी वे भी पेवर से बनेंगी और पेवर में भी एक अलग तरह का रोड रोलर काम आएगा, एक अलग तरह की मशीन काम में आएगी। इसका नतीजा यह हुआ कि केवल एक आदमी अजमेर जिले में उसमें क्वालिफाई करता है। इस तरह से यह जो मोनोपॉली की प्रवृत्ति सार्वजनिक निर्माण विभाग में बढ़ती जा रही है इस पर अंकुश लगाने के लिए मंत्री महोदय को सोचना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि वे इस सम्बन्ध में निश्चित तौर से कुछ करेंगे ताकि कम्पीटिशन में जो रेट कम आ सकती है, वह रेट आ सके। उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह की गतिविधियों में क्योंकि करने वाले आदमी एक-दो होंगे तो अपने आप रेट बहुत ज्यादा होगी। उससे विभाग को और जनता के पैसे को काफी नुकसान उठाना पड़ता है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी सम्बन्ध में मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं कि इस विभाग में क्वालिटी कंट्रोल एक अलग से आर्गेनाइजेशन है। वह क्वालिटी कंट्रोल का काम एक ही है कि पहले जो कमीशन अलग-अलग स्तर पर मिलता था उस स्तर में एक स्टेज और आ गयी, क्वालिटी कंट्रोल वाले को भी अपने कमीशन के लिए वहां चौकीदार बनाकर बैठा दिया। क्वालिटी कंट्रोल का कोई काम वे नहीं देखते हैं, उनका कोई काम नहीं है। क्वालिटी कंट्रोल में वे ही अफसर आते हैं, जिस तरह से थाने के आदमी को या थानेदार को लाइन हाजिर कर देते हैं उसी तरह से जिस व्यक्ति को निर्माण विभाग में कोई सजा देनी है उसको क्वालिटी कंट्रोल में लगा दें। लेकिन वह वहां बैठ कर भी इस प्रकिया में बाधा पहुंचाता है। मुझे उम्मीद है कि इस चीज को दूर करने में मंत्री महोदय कुछ न कुछ विचार करेंगे।

(14.50 बजे)

(श्री तकीउद्दीन अहमद, सभापति, पदासीन)

सभापति महोदय, इन्टीग्रेटेड बी. एस. आर., 93 में 30 प्रतिशत वृद्धि के आदेश तखमीने बनाने के लिए वहां के चीफ इंजीनियर ने जारी किये। सभापति महोदय, 93 के बी.एस.आर. में की वृद्धि करने के 30 प्रतिशत के आदेश हुए 20-1-97 को उस तारीख से पहले 31-8-96 तक इस दौरान में बहुत सारे राजस्थान में विभिन्न डिवीजन्स में जो टेण्डर निकले केवल तखमीना के लिए जो चीफ इंजीनियर साहब ने आदेश दिये थे उसमें 30 प्रतिशत जोड़ने के टेण्डर दिये गये। इससे लाखों रुपये का और पूरे राजस्थान का देखा जाए तो करोड़ों रुपयों का नुकसान इस विभाग को हुआ है। सभापति महोदय, मैं आपकी मार्फत मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में कोर्ट में एक केस चला

(श्री गोविन्द सिंह)

अजमेर में और कोर्ट ने, यह आदेश दिया कि इससे जनता के पैसे का नुकसान होगा. इसलिए इसको जब तक कि विधिवत रूप से लागू नहीं किया जाए तब तक 30 प्रतिशत की जो रेट आगे बढ़ायी गयी है उस हिसाब से टेण्डर नहीं लिए जाएं। इसके बाद यह मामला चीफ सैक्रेटरी साहब की नालेज में लाया गया, चीफ सेक्रेटरी साहब ने उसके ऊपर आदेश दिये। उस आदेश के आधार पर एक चीफ इंजीनियर को इस काम में लगाया गया कि इस आदेश से इस दौरान जो टेण्डर हुए हैं उनमें कितना नुकसान हुआ है। 10-9-97 को इन्क्वायरी के लिए चीफ सेक्रेटरी साहब ने आदेश दिया इस आदेश के तहत चीफ इंजीनियर साहब छपरवाल हैं. इन्होंने इन्क्वायरी की इन्क्वायरी करने के बाद इन्होंने यह लिखा : "Due to non-clearity this confusion prevailed up to 20-1-97 in PWD Ajmer as well as in UIT Ajmer. This confusion might have been in other Circles and Divisions of the PWD and in other UITs, as well as in other construction departments. Therefore a detailed inquiry by the Finance Department, Govt. of Rajasthan may kindly be got conducted so that the loss incurred to the State Government and the local bodies could be ascertained and action should then be taken of the recovery of amount and disciplinery action against the concerned officers." मैं आपकी मार्फत मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि इन इन्क्वायरी की रिपोर्ट आने के बाद क्या कार्यवाही इस विभाग ने की है? अगर नहीं की तो करोड़ों रुपये का जो एक इन्टीग्रेटेड बी.एस.आर. का 30 प्रतिशत का मामला जो बना है इसके ऊपर इन्होंने कार्यवाही क्यों नहीं की? कौन इसके लिए जिम्मेदार है, इसको चिन्हित किया जाना चाहिए। सभापति महोदय, हमारा मैनिफैस्टो जो इलेक्शन का है उसमें लिखा है कि हम उत्तरदायी सरकार देंगे, जवाबदेह सरकार देंगे, पारदर्शी सरकार देंगे। यह घटना मांग करती है कि इस सम्बन्ध में कौन लोग कसूरवार हैं, इनके खिलाफ कार्यवाही अभी तक क्यों नहीं हुई, इस बात की जांच की जानी चाहिए।

सभापति महोदय, इसी तरह नारेली गांव अजमेर के पास है, वह सड़क से जुड़ा हुआ है। नारेली हाई-वे नम्बर 8 से जुड़ा हुआ है। सरकार की यह नीति है कि मिनिमम नीड्स प्रोग्राम के तहत सड़कों से गांवों को जोड़ा जाए। उसके तहत गांव को सड़क से जोड़ने की आवश्यकता नहीं, लेकिन आपको ताज्जुब होगा, सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय को बताना चाहता हूँ कि इस नारेली गांव में 71 लाख रुपये खर्च करके पहाड़ के ऊपर एक सड़क बनायी गयी इस मिनिमम नीड्स प्रोग्राम के तहत। जरूरत नहीं थी। वह पहाड़ ट्रस्ट का है, प्राइवेट संस्था का है, सरकार का उससे कोई लेना-देना नहीं। उसके ऊपर 71 लाख रुपये पूर्ववर्ती सरकार ने, मैं आरोप लगाना चाहता हूं, उस समय जो मंत्री थे, उन्होंने वहां जाकर घोषणा की थी कि वे सड़क बनाएंगे और 71 लाख रुपये इस सरकार के, राजस्थान की जनता के इसके ऊपर खर्च कर दिये। यह किस तरह से

(श्री गोविन्द सिंह)

किया? कौन लोगों ने सैंक्शन की? जिन अधिकारियों ने रिकमण्ड किया उनके खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए और ये 71 लाख रुपये उन लोगों से वसूल किये जाने चाहिए, चाहे वे मंत्री हों, चाहे चीफ इंजीनियर हों और चाहे वे सैक्रेटरी हों। मेरे पास यह आर्डर है डिप्टी सैक्रेटरी का, और मुझे मालूम है कि मंत्री महोदय के निर्देश के ऊपर सारी कार्यवाही हुई है। एक ट्रस्ट को फायदा पहुंचाने के लिए एक करोड़ रुपये की सड़क बना रहे हैं जबकि, सभापति महोदय, मेरे यहां ढाल एक गांव है जो पंचायत हैडक्वार्टर है। मैंने कहा कि एक शार्ट रास्ता है उस शार्ट रास्ते से उसको सड़क से जोड़ दीजिए। मामला वहां से चला। एक्स. ईएन. ने रिकमण्ड किया, एसई. ने रिकमण्ड किया, एडीशनल चीफ इंजीनियर ने किया और कहा कि सड़क को जोड़ने के लिए कम पैसे में यह काम हो सकता है। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस है कि उस समय जो चीफ इंजीनियर थे उन्होंने इस बात को नहीं माना। नतीजा क्या हुआ? नतीजा यह हुआ कि एक पंचायत हैडक्वार्टर को 21 किलोमीटर का चक्कर खाकर उनको शहर में आना पड़ता है जबकि 7 किलोमीटर का सीधा रास्ता है। लोग आते-जाते भी उसी से हैं। मैंने कहा था कि 7 किलोमीटर से जोड़ दीजिए, आप 21 किलोमीटर का क्यों चक्कर लगाना चाहते हैं? लेकिन उस प्रपोजल को जो एक्स. ईएन., एसई. और एडीशनल चीफ इंजीनियर की मार्फत रिकमण्ड होकर आया, इनकार कर दिया गया। बेसिक मिनिमम नीड्स प्रोग्राम में इस तरह की कार्यवाही करते हैं। जहां जरूरत है वहां तो बनाते नहीं हैं और जहां जरूरत नहीं है, प्राइवेट आदमी के ट्रस्ट के ऊपर एक करोड़ रुपये की सड़क बना रहे हैं। मेरी पुरजोर मांग है कि इसकी जांच मंत्री महोदय कराएं और जांच करके जनता का पैसा जो खर्च हुआ है उस पैसे की वसूली करें ताकि आइन्दा से कोई आदमी इसकी हिमाकत नहीं कर सके, कोई यह नहीं समझे कि मैं मंत्री हूं, यह सारा पैसा मेरा ही है और मैं चाहूं जहां इसको लगा दूं।

सभापति महोदय, अजमेर में एक जनाना अस्पताल बना। वह जनाना अस्पताल करीब साढ़े पांच करोड़ रुपये की लागत से बना, साढ़े पांच करोड़ रुपये की सैंक्शन हुई। आप ताज्जुब करेंगे, मंत्री महोदय, कि आज तक यह जनाना अस्पताल काम में नहीं आया। बने हुए दो साल हो गये तो काम में क्यों नहीं आया? अब यह लिख रहे हैं कि उसको चलाने के लिए ओवरहैड टैंक होना चाहिए, बी टाइप में डाक्टर्स के क्वार्टर्स होने चाहिए, नर्सिंग क्वार्टर होने चाहिए तथा होस्टल होना चाहिए। ये चीजें पहले बननी चाहिए थीं, मंत्री महोदय। उन्होंने ओरिजिनल एस्टीमेंट में तो इसको इन्क्ल्यूड किया है लेकिन बाद में उन सब चीजों को हटाकर एक ढांचा वहां खड़ा कर दिया जो पैसा इन चीजों के ऊपर लगना चाहिए था वह गैर वाजिब तरीके से खर्च कर दिया गया जिसका कोई कहीं मैंशन नहीं है। वह पूरी फाइल मेरे पास है। एक नीचे से बेसमैंट बना दिया, बेसमैंट के ऊपर करीब 80 लाख रुपये खर्च कर दिये। उसमें तर्क क्या था? तर्क यह था, सभापति महोदय, कि जब नीचे बनता है तो इसमें ठेकेदार को लाभ होता है, ठेकेदार को लाभ ज्यादा होगा और जितनी ऊपर मंजिल बनती जाएंगी उसका मुनाफा कम होता जाता है।

(श्री गोविन्द सिंह)

तो उस पूरे एस्टीमेट को बदलकर, सारी चीज को बदलकर नीचे से एक बेसमैंट बना दिया गया। आज उस बेसमैंट की हालत यह है कि वहां पानी भर जाता है। पानी भरने के कारण उसमें सीलन है। अब उसमें लिफ्ट लगेगी और लिफ्ट सीलन के कारण लग नहीं सकती। इस सम्बन्ध में नियम भी हैं, मैं आपको पढ़कर बताता हूं।

(15.00 बजे)

"The walls and floors of the basement shall be water-tight and will be so designed that the effects of the surrounding soil and matters, if any, are taken into account in design and adequate damp-proofing treatment is given" यह व्यवस्था है नहीं। वहां लिफ्ट काम करेगी नहीं, नीचे का बेसमैंट काम में आएगा नहीं, लेकिन 80 लाख रुपये सरकार के खर्च कर दिये और जिन चीजों की जरूरत थी वे बनायी नहीं। इसका नतीजा यह है कि आज वह काम में आने के लायक नहीं है। इस सम्बन्ध में मैं आपको प्रिन्सिपल, मेडिकल कालेज ने जो चिट्ठी लिखी है उसका उदाहरण देना चाहूंगा। उन्होंने लिखा है—"Requirement at New Zanana Hospital." और इसमें जो मैंने बताया है उन सब चीजों के लिए लिखा है। जिन लोगों को पैसा मिलता है काम करने का, डिजाइन करने का, वे अगर इस बात को नही जानते कि पहले कौनसी चीज बननी चाहिए और बाद में कौनसी चीज बननी चाहिए तो इसकी जिम्मेदारी फिक्स होनी चाहिए। उन लोगों ने यह सारा किस्सा तरीके से प्लानिंग किया इस प्लानिंग के लिए उनसे जवाबदेही मांगी जानी चाहिए ताकि इस तरह की गलतियां और नहीं हों। सभापति महोदय, जैसा मेरी जानकारी है, अभी भी बेसमेंट में पानी भरा है और वहां वह काम हो नहीं सकता।

सभापति महोदय, इसी तरह मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां 786वें उर्स के समय काम हुए थे। उनकी जांच मुख्य मंत्री महोदय ने कोरानी साहब को दी लेकिन वे वहां से बदल कर आ गये। मेरे ख्याल से आप कोई नया व्यक्ति नियुक्त करेंगे और इसकी जांच कराएंगे। पहले के जो भी काम हैं उन कामों में भी इसी तरह की गलतियां थीं। आप ताज्जुब करेंगे कि नागफनी से दरगाह की रोड बनी है; वैकल्पिक मार्ग बना है उसमें भी लाखों रुपये का इसी तरह का घोटाला हुआ। वहां जो पत्थर था वही काम में लिया गया, लेकिन बताया यह गया कि हम उस पत्थर को काम में नहीं ले रहे हैं। दूसरा पत्थर बता कर लाखों रुपयें उन्होंने उठा लिये। आज आप वहां देखेंगे तो उसी पहाड़ का पत्थर वहां लगा हुआ है। इस बात को देखने में कोई दिक्कत नहीं है। इसी चीज की भी जांच की जानी चाहिए कि इन चीजों को करने के लिए और इन चीजों का पेमेंट करने के लिए कौन उत्तरदायी है।

सभापति महोदय, इस विधान सभा में मैंने 30 सितम्बर, 1992 को एक प्रश्न रखा था। उस प्रश्न के ऊपर मुझे जवाब दिया गया कि टौंक से अजमेर तक जो सड़कों का सुदृढीकरण किया जा रहा है, आन्ध्र की कोई कम्पनी थी प्रोग्रेसिव कम्पनी, उस कम्पनी को यह ठेका दिया गया। मैंने उसमें की जा रही लाखों रुपये की जो गलतियां थीं, अनियमितताएँ थीं जिनसे सरकार को नुकसान हो रहा था,

(श्री गोविन्द सिंह)

उसके सम्बन्ध में यहां प्रश्न रखा। प्रश्न के जवाब में मंत्री महोदय ने कहा कि सदस्य ने जो पूरक सूचनाएँ दी हैं उनकी भी मैं जांच करवा लूंगा। सभापति महोदय, आज तक उसकी जांच नहीं हुई और आप ताज्जुब करेंगे कि वह कन्स्ट्रक्शन कम्पनी अपना सब कुछ वाइंड-अप करके यहां से चली गयी। लाखों रुपये का पत्थर अजमेर व नसीराबाद के बीच में आपने देखा होगा, पहाड़ियां हैं, उस पहाड़ी में से उन्होंने ब्लास्टिंग की है। मैंने ब्लास्टिंग की फोटोज दीं। वे सारा पत्थर उस ब्लास्टिंग से निकाल कर ले गये और उसका पैसा सरकार से ले लिया। जो जमीन उन्होंने ली स्केटिंग के नाम से, वहां लगा दिया स्टोन क्रैशर उद्योग के काम में ली। इसी तरह मशीनरी वर्क किया गया वह स्टैण्डर्ड का नहीं सब-स्टैण्डर्ड है, जो सड़क बनायी गयी वह सब-स्टैण्डर्ड थी। लेकिन किसी की कोई जांच नहीं की गयी क्योंकि उस आदमी की एप्रोच थी। वह अपनी सिफारिश करवा कर, अपना सारा पैसा लेकर, वाइंड-अप करके चला गया। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस तरह के जो घोटाले आपके डिपार्टमैंट में हो रहे हैं या पहले हुए हैं उनको देखिये। सभापति महोदय, हालत यह थी पूरे डिपार्टमैंट में कि न तो किसी चीफ इंजीनियर की हिम्मत थी, न सैक्रेटरी साहब की हिम्मत थी कि वे कुछ कह सकें मंत्री महोदय को। एक चपरासी, एईएन., और जेईएन के ट्रांसफर के लिये भी हर आदमी को उनके पास जाना पड़ता था। जब तक वह नहीं कहते, इनके हाथ में कुछ नहीं। नतीजा क्या हुआ? पूरा का पूरा विभाग सड़ गया और इतनी अनियमिताएं, इतनी बातें हो गयीं। मेरे को कुछ जानकारी है लेकिन अगर पूरे राजस्थान की आप जानकारी लेंगे तो हालात पता लगेंगे कि किस तरह से क्या काम हुआ है। उसका नतीजा है कि जो मेन्टिनेंस सड़कों की होनी चाहिए वह मेन्टिनेंस नहीं हो सकी। आज करोड़ों रुपये इस काम के लिए बजट में रखे हैं।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, मुझे अच्छी तरह याद है कि इण्डिया इंजीनियर्स के नाम से एक संस्था है हमारी निर्माण की, विदेशों में काम कर रही है। एक उसका भी काम है और एक हमारा यह डिपार्टमैंट है जो काम तो कर रहा है लेकिन उसमें कोई इनोवेटिव बात नहीं, कोई इनिशिएटिव नहीं, कोई नई बात नहीं। केवल जो काम चल रहे हैं, किसी तरह पूरा करके उसको जैसे घसीटते जाते हैं, उस तरीके से करते हैं। सभापति महोदय, इन्हीं बातों के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि इन सब बातों की मंत्री महोदय जांच कराएंगे और जो पैसों में घोटाले हुए हैं, या क्वालिटी खराब हुई है उन सब बातों को निश्चित तौर पर देखेंगे ताकि यह निर्माण विभाग वास्तव में निर्माण का एक विभाग बन सके।

श्री सभापति : श्रीमती पूनम गोयल।

श्रीमती पूनम गोयल (लाडपुरा) : महोदय, लाडपुरा विधान सभा क्षेत्र के मानस गांवों में सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा निर्मित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भाजपा. राज्य में किये गये तथाकथित विकास कार्यों में हुए भ्रष्टाचार का जीता जागता उदाहरण है, जिन्दा मिसाल है, जो निर्माण कार्य पूर्ण होने के अगले दिन ही फट रहा है, भवन की दीवारों में दरारें आ गयी हैं। 25 लाख की लागत से निर्मित इस भवन का निर्माण 21 सितम्बर, 1996

(श्रीमती पूनम गोयल)

को हुआ था। पूर्ण होते ही इसका फर्श धंस गया और दीवारों में दरारें आ गयीं। हमारे यहां की मिट्टी ऐसी है जो जालोट चिकनी मिट्टी है व चम्बल कराड़ों के मध्य है, उसकी प्रकृति है कि वह गर्मी में शुष्क होती है और फट जाती है। वहां पर बिना मिट्टी की जांच के निर्माण कार्य कराया जाना सम्भव नहीं, वरना वह मकान खण्डहर होकर गिर जाएगा। परन्तु उसके निर्माण के पूर्व या बाद में मिट्टी की जांच नहीं की गयी। उस क्षेत्र का अनपढ़ व्यक्ति भी आपको यह जानकारी दे देगा कि यहां की मिट्टी का क्या दोष है, कि निर्माण के बाद उसमें दरारें आ जाती हैं, कि उसको रोकने के लिए क्या करना चाहिए। परन्तु सार्वजनिक निर्माण विभाग के एक्सईएन., जे. ईएन., ए. ईएन. जो भी तकनीकी ज्ञान वाले हैं, इसको नहीं बताते हैं। कारण सिर्फ यह है कि उन्हें तो निर्माण कार्यों से मिलने वाले कमीशन से मतलब है, और किसी चीज से नहीं। इन इंजीनियर्स को भूतपूर्व सरकार के समय कोई डर नहीं था, वे कहते थे कि हमारा इस राज में कोई नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि हम सबको हिस्सा देते हैं। तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, सहायक अभियंता, कनिष्ठ अभियंता जिनको ठेकेदार लगातार आगाह कर रहे थे, उपरोक्त भ्रष्टाचार के जीते-जागते उदाहरण हैं। ठेकेदार ने 27-8-96 व 3-10-96 को पत्र लिखा कि जहां पर पी.एच.सी. बनायी जानी है उसके दोनों तरफ नदी बहती है। मिट्टी ढहने से कटाव हो रहा है। 6 फीट के बाद भी हार्ड पोर नहीं निकली है, इसकी तकनीकी जांच की जाए। परन्तु सहायक अभियंता तो भ्रष्टाचार में आकण्ठ डूबे हुए थे, उन्होंने इस ओर ध्यान नहीं दिया और निर्देश दिया कि तुरन्त काम चालू करें। यह लापरवाही का द्योतक है। इसके पश्चात् ठेकेदार ने एक्सईएन. को लिखा कि 6 फीट की खुदाई के बाद भी हार्ड स्ट्रेटा उपलब्ध नहीं हुआ है तथा वहां पर दीमक भी बहुत है। परन्तु उन्होंने इस ओर भी कोई ध्यान नहीं दिया। अतिरिक्त मुख्य अभियंता को भी उपरोक्त सभी कारणों सहित लिखा गया परन्तु किसी अधिकारी ने मिट्टी की जांच करने और योजना में आवश्यक तरमीम करके उसके अनुसार कार्य करने की कोशिश नहीं की। नतीजा यह है कि भवन किसी काम का नहीं रहा है। पूरे भवन में दरारें ही दरारें हैं और हर बीतते दिन के साथ वह खण्डहर होता जा रहा है इसलिए मेरी मंत्रीजी से मांग है कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को तुरन्त सस्पैण्ड किया जाए और इस सारे मामले की भ्रष्टाचार निरोधक विभाग से जांच करवायी जाए ताकि लोगों में एक मैसेज जाए कि यह सरकार भ्रष्ट और अयोग्य अधिकारियों को बर्दाश्त नहीं करेगी। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री रमजान खान।

श्री रमजान खान (पुष्कर) : सभापति महोदय, आज मांग संख्या-21 और 12 पर चर्चा हो रही है। इस सम्बन्ध में आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहूंगा कि पी.डब्ल्यू.डी. वैसे तो बहुत ही बड़ा विभाग है, प्रदेश की जनता के लिये बहुत ही उपयोगी विभाग है, परन्तु इस विभाग के अन्दर अधिकारी-गण ठेकेदारों के इतने गुलाम हो गये हैं कि जिस तरह से ठेकेदार कहता है उसी ढंग से अधिकारी काम करते हैं। अधिकारी भी अपने मनपसंद के ठेकेदारों को रखते हैं और जो टेण्डर कापी होती है वह भी

(श्री रमजान खान)

मनपसन्द ठेकेदारों को दी जाती है। और होता क्या है, सभापति महोदय? एक-एक ठेकेदार को दस-दस काम अलाट कर दिये जाते हैं। जिस दिन उसको वर्क आर्डर मिलता है उस वर्क आर्डर की तारीख से लेकर एक साल तक उस काम को वे पूरा नहीं करवा पाते हैं। हम जब बार-बार अधिकारियों से पूछते हैं तो वे कहते हैं कि ठेकेदार उस काम को खतम करके आएंगे तब जाकर इस काम को पूरा करेंगे, उस काम को खतम करके आएंगे जब इस काम को पूरा करेंगे। इस तरह की ठेकेदारी प्रथा इस विभाग के अन्दर इतनी हावी है कि सरकार चाहते हुए भी अच्छा काम नहीं कर सकती। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस ठेकेदारी प्रथा के ऊपर विचार करें। इस तरह का नियमों में भी प्रावधान है कि अगर ठेकेदार दो महीने तक काम को शुरू नहीं करता है, या पूर्ण नहीं करता है, या समयावधि के अन्दर कार्य को पूर्ण नहीं करता है तो उसका टेण्डर कैंसिल कर दिया जाता है। परन्तु यह नियम जो खास मर्जीदान ठेकेदार होते हैं उनके ऊपर लागू नहीं होता है।

वैसे तो इस बार इस विभाग की अनुदान की मांगों के तहत बहुत भारी रकम मंजूर की गयी है, परन्तु सभापति महोदय, आप और हम सब जानते हैं, पूरे का पूरा सदन जानता है, देश का प्रधान मंत्री जानता है, मुख्य मंत्री जी जानते हैं, माननीय मंत्री महोदय जानते हैं कि जिस ढंग से कमीशन की प्रथा इस विभाग में चल रही है उसमें कम से कम 20 से लेकर 25 प्रतिशत कमीशन अधिकारियों की जेबों में जाता है। और 20 से 25 प्रतिशत ठेकेदार का मुनाफा होता है। टोटल जो माननीय मंत्री महोदय ने आज मांग रखी है उसका आधा पैसा तो चंद लोगों की जेबों में चला जाता है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य. ..(व्यवधान)

श्री जनार्दन गहलोत : शायद वह आपको अच्छा लगता है। ..(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, जनार्दन जी, प्लीज।

श्री रमजान खान : नहीं-नहीं, आप यह मान लो हमारा अनुभव अच्छा रहा। हमारा अनुभव अच्छा रहा तो अब आप भी अनुभव कर लेना। करौली से आने वाले माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहूंगा कि बीच-बीच में टोकाटाकी नहीं करें..

श्री सभापति : आप तो चर्चा पर फर्माएं।

श्री रमजान खान : आप जब बोलते हैं तो हम तो कभी आपको टोकते नहीं हैं। जो बात वाजिब है, सही बात है, उसको कहने दो।

सभापति महोदय, कोई हिम्मत नहीं दिखाता है। करौली से आने वाले माननीय सदस्य का कुछ तालमेल होगा इसलिये माननीय सदस्य ने इस बात का आब्जेक्शन कर दिया। कोई भी हिम्मत आज तक नहीं जुटा पाए। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि आप..

श्री जनार्दन गहलोत : माननीय सदस्य ने कहा इनका कुछ तालमेल है, किस पोस्टिंग में क्या रेट थी और किस पोस्टिंग में क्या रेट थी, मैं तो एक-एक फिगर दे सकता हूं आपको। इनका तालमेल है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य जनार्दनजी, आप बोलेंगे इस डिमांड पर तब आप अपनी बात बोलें।

श्रीं रमजान खान : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि इसके बारे में बहुत ही गंभीरता से सोचें। आप गांव के रहने वाले हैं, काश्तकार के घर में जन्म लिया है, यह पैसा गरीब लोगों का एक-एक कर चुकता है। अभी खजाने में कमी हुई तो माननीय वित्त मंत्रीजी ने टैक्स लगा दिया। इसलिए बहुत ही गहनता से विचार करना चाहिये, खरी बात को कहना चाहिये। सब जानते हैं और अच्छी तरह से जानते हैं कि इस तरह के गड़बड़-घोटाले इस विभाग में चल रहे हैं, फिर भी बोलने की हिम्मत नहीं करते हैं, करने की हिम्मत नहीं करते हैं। आप हिम्मत करके इसको अगर करें तो मैं एक बात कहना चाहता हूं इस सदन के अन्दर कि इस राजस्थान के इतिहास में आपका नाम ईमानदारी की बात है, स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। अगर इस पर आप कुछ न कुछ कण्ट्रोल कर लें, पाबंदी लगा दें तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी।

सभापति महोदय, कुछ सड़कें अकाल राहत कार्य के तहत पी.डब्ल्यू.डी. को दे दी जाती हैं। पी.डब्ल्यू.डी. वे सड़कें ठेकेदारी प्रथा से तो नहीं चला सकता, वह तो मजदूरी के माध्यम से चलाता है, इसलिये उनको कोई इंट्रैस्ट नहीं होता है। अधिकारी लोग मजदूरों को पहाड़ों के अन्दर गिट्टी तोड़ने के लिये लगा देते हैं और जब तक उस सड़क का पूरा का पूरा पैसा खतम नहीं होता तब तक वे गिट्टी तोड़ते रहते हैं। जैसे ही वह पैसा खतम हुआ उसके बाद छुट्टी हो जाती है बरसात के बाद और 12 महीने वह गिट्टी पड़ी रहती है। लोग-बाग उसको चुरा-चुरा कर ले जाते हैं। असली जो मकसद था उस काम में वह आयी नहीं और सड़क बनी नहीं, क्योंकि उनका इंट्रैस्ट नहीं था।

दूसरी बात, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि ग्रेवल रोड विभाग बनाता है। हम सभी जानते हैं, मंत्री महोदय भी इस बात को जानते होंगे कि आज ग्रेवल रोड बना दो, जून-जुलाई के अन्दर बरसात आएगी, बरसात के बाद उस रोड को जाकर देख लो, पूरी की पूरी रोड पर खड्डे पड़े हुए मिलेंगे आपको, पत्थरों से वह रोड भरी हुई मिलेगी। वहां पर पैदल चलना भी मुश्किल होता है। ईमानदारी की बात है, गांव जाना मुश्किल बात है। पैदल भी नहीं जा सकते, गांव के जानवर भी नहीं जा सकते। पीढ़ियों से जो पगडंडी थी, रास्ता था उसको ये ग्रेवल रोड बनाकर खराब कर रहे हैं।...(व्यवधान)... मैटल रोड ग्रेवल रोड एक ही बात है, मैटल रोड मान लो। तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि इस तरह के काम को तो आप बंद करें। रोड चाहे थोड़ी बनाएं मगर मजबूत बनाएं ताकि वह काम तो आए ग्रामवासियो के और उसका कुछ उपयोग मिल सके।

सभापति महोदय, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। पुष्कर से खरेकड़ी बाइपास सड़क का निर्णय सन् 1991 में पुष्कर विकास मंडल की तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री भैरोंसिंहजी शेखावत की बैठक में हुआ था। यह तय किया गया कि पुष्कर घाटी के अन्दर तीर्थयात्री आते हैं और कई बार अकाल मौतें होती हैं, दुर्घटनाएं होती रहती हैं इसलिये पुष्कर बाइपास का निर्माण किया जाए। पुष्कर बाईपास के निर्माण के लिये पुष्कर से टोटल 15 किलोमीटर का

(श्री रमजान खान)

रास्ता है पुष्कर से खरेकड़ी तक साढे सात किलोमीटर और खरेकड़ी से लेकर फाईसागर साढ़े सात किलोमीटर साढ़े सात किलोमीटर रोड बनाने के लिये दी पी.डब्ल्यू.डी. को और साढ़े सात किलोमीटर रोड बनाने के लिये दी कृषि उपज मंडी को। पी.डब्ल्यू.डी. ने तो गत वर्ष बना दी, परन्तु मैं कृषि उपज मंडी के माध्यम से जो सड़क बनी है उसके लिये आपको निवेदन करना चाहूंगा सभापति महोदय, कि उसके लिये 22.48 लाख रुपये दिये गये। प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति दी गयी और वे पैसे उस साढ़े सात किलोमीटर के ऊपर खर्च हुए। ईमानदारी की बात है, आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, सभापति महोदय, मंत्री महोदय को कि एक इंच सड़क डामर की नहीं बनी और छोटी-छोटी दो पुलिया भी छोड़ दीं। उस सड़क के लिये कई बार मैंने कलक्टर को लिख कर दिया, विभाग को कहा। उसकी जांच भी जिला कलक्टर, अजमेर ने करवायी मगर उसका कोई फायदा नहीं मिला। क्योंकि जांच करने वाले अधिकारी या तो पी.डब्ल्यू.डी. के होते हैं या कृषि उपज मंडी के होते हैं। कोई भी उसमें जांच सही नहीं करता है। उस 22.48 लाख रुपये की सड़क के अन्दर मुश्किल से 3-4 लाख रुपये का काम हुआ होगा, 15-16 लाख रुपये का गबन घोटाला है। अजमेर से एक किलोमीटर दूर है मंत्री महोदय अगर जांच कराएं और 15-16 लाख का घोटाला आपको नहीं मिले तो मैं ईमानदारी की बात है, इस सदन से इस्तीफा दे दूंगा। इस तरह का भ्रष्टाचार वहां पर खुले रूप में किया गया है खरेकड़ी रोड के ऊपर और अब कम से कम 8-10....

श्री बाबूलाल नागर : आपके समय की बात है।

श्री रमजान खान : बोलने तो दो। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं...

श्री जनार्दन गहलोत : भैरोंसिंह जी के समय...(व्यवधान)

श्री रमजान खान : सभापति महोदय, कि अब इस साढ़े सात...(व्यवधान) एक मिनट। इस साढ़े सात किलोमीटर रोड को बनाने के लिये कृषि उपज मंडी समिति ने कृषि बोर्ड से 68.50 लाख रुपये की और मांग की है। 22.48 लाख तो पहले खर्च हो गये। और अब 68.50 लाख रुपये की और मांग की है। प्रशासनिक स्वीकृति 8-10 महीने से पैंडिंग पड़ी हुई है, मिल नहीं रही है। इस कारण पी.डब्ल्यू.डी. ने जो साढ़े सात किलोमीटर रोड बनायी वह भी किसी काम आ नहीं रही है। साढ़े सात किलोमीटर सड़क बनाने के लिये 92 लाख रुपये की राशि कृषि उपज मण्डी समिति वहां खर्च करने जा रही है, इसके ऊपर विचार करना चाहिये। मैं तो मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इसकी आप गहनता से जांच करवाएं।

सभापति महोदय, तीर्थराज पुष्कर हिन्दुओं का हिन्दुस्तान में ही नहीं विश्वविख्यात तीर्थस्थान है। यहां पर तीर्थ यात्री मेले के टाइम में या आये दिन हजारों की तादाद में आते रहते हैं उनके वाहन उस घाटी में होकर चलते हैं और उस घाटी में आये दिन एक्सीडैंट होते हैं। इसके लिये पुष्कर घाटी में एक सुरंग बना दी जाए। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि मैं हज करने के लिये मक्का शरीफ में गया था तो वहां मक्का शरीफ में मैंने कम से कम 10-12 सुरंगें देखीं जिसको

(श्री रमजान खान)

शायद आप भी जानते होंगे। मैंने माननीय पूर्व मुख्य मंत्री भैरोंसिंहजी से निवेदन किया कि यह तीर्थस्थल है, यहां पर अगर एक सुरंग बना दी जाए तो आने-जाने वाले वाहन आराम से गुजर जाएंगे और पैदल यात्री भी आराम से निकल जाएंगे और एक्सीडेंट से बचाव हो जाएगा। उन्होंने मेरी बात को मानकर सुरंग को मंजूर किया। सुरंग को मंजूर करके तखमीना वगैरह बनवाया तो उसके ऊपर 7 करोड़ 5 लाख रुपये का तखमीना बना जिसमें 4 करोड़ 90 लाख रुपये तो हुडको बैंक से लोन लेना था और बाकी पैसा राज्य सरकार को सीड मनी से देना था। सभापति महोदय, अब होता क्या है कि इस सुरंग को बनाने के लिए पिछले 3-4 साल से कागज पी. डब्ल्यू. डी. और स्टेट ब्रिज कॉरपोरेशन के पास फिर रहे हैं। वे तो कह रहे हैं कि तुम करो और वे कह रहे हैं कि तुम करो। जब पिछले टाइम में मुख्य मंत्रीजी अजमेर गये थे वहां उन्होंने मीटिंग ली थी, मैंने यह बात उठायी तो एक अधिकारी ने मंत्री जी के कान में कह दिया कि साहब, यह तो टनल है...

श्री जनार्दन गहलोत : पिछली सरकार ही ड्राप कर गयी। आपकी सरकार ही ड्राप कर गयी इस योजना को।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अब आप करवा देना। बार-बार टोक क्यों रहे हो, आप करवा देना।

श्री रमजान खान : माननीय सदस्य, आप करवा देना, आपसे ही तो कह रहा हूं, अब आपकी सरकार है।

श्री दिग्विजय सिंह : आप नते हो कि किस सुरंग की बात कर रहे हैं।

श्री रमजान खान : सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि उस सुरंग को दिल्ली के अंदर पर्यावरण विभाग से एन.ओ.सी. लेने के लिये भेजा गया। पर्यावरण विभाग, दिल्ली ने यह लिख दिया कि 1.68 हैक्टेयर जमीन जो वन विभाग की है वह टनल बनाने में आएगी, उस 1.68 हैक्टेयर वन विभाग की जमीन के बदले कोई सरकारी जमीन हैण्ड ओवर कर दें और एन.ओ.सी. दे दें और इस काम को चालू कर दें। तीन साल से कागज फिर रहे हैं। केन्द्र सरकार तैयार है मगर यहां के विभाग के अधिकारी कभी तो ब्रिज कॉरपोरेशन के पास कागज भेज देते हैं और कभी कहां भेज देते हैं।

सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि जब पिछले टाइम में मंत्री महोदय और मुख्य मंत्रीजी आये थे तब मैंने यह बात उठायी थी मंत्रीजी के कान में किसी अधिकारी ने कह दिया कि साहब, वह तो उपयोगी सुरंग नहीं बनेगी, इसमें लाभ वाली बात नही होगी। मंत्रीजी ने भी मुख्य मंत्री जी को कह दिया कि वह तो ज्यादा लाभ वाली सुरंग है नहीं, पैसा खर्च होगा, ब्रिज कॉरपोरेशन वाले इसका टोल-टैक्स लेंगे तो वह वसूल होगा नहीं। तो मुख्य मंत्रीजी ने भी कहा कि इसको आप किसी भी तरह से देखो कि क्या है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को कहना चाहता हूं कि आपका पूरा का पूरा नागौर का ट्रैफिक उस सुरंग से होकर निकलेगा नहीं। तो इस वक्त कभी तो वह जैतारण होकर जाता है, कभी मांगलियावास होकर जाता है और कभी इधर-उधर होकर जाता है। अगर वह सुरंग बना दोगे तो यह पूरा का पूरा ट्रैफिक निकलेगा और टोल-टैक्स भी वसूल होगा। सभापति महोदय, आपके

(श्री रमजान खान)

माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि धार्मिक स्थल बनाने की जगह पर चाहे मंदिर बने, चाहे मस्जिद बने, घाटा और मुनाफा नहीं देखा जाता। यह विश्व प्रसिद्ध तीर्थराज पुष्कर है, मंत्री महोदय, अगर इस टनल को आप बना दें तो लोग कहेंगे कि एक बहुत बडा काम मंत्री महोदय कर गये। घाटे-मुनाफे को छोड़कर पुष्करराज की इस टनल को बनाकर एक बहुत बड़ा पुण्य का काम करेंगे, मंत्री महोदय, ऐसी मुझे उम्मीद है।

इसके अलावा मैं कुछ बातें ट्रांसपोर्ट और रोड़वेज के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। सभापति महोदय, एक तो ये जो वीडियो कोच चलाते हैं, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यानाकर्षित करूंगा कि जहां पर कंडक्टर की और ड्राइवर की मनपसंद होटल से कांट्रैक्ट हो जाता है कि हम आपको खाना खिलाएंगे, लेन-देन करेंगे, फ्री में रखेंगे, आपको सहूलियत देंगे, यहां आप बस रोका करो, चाहे रात हो या दिन, बस को वहां पर रोक देते हैं। चाहे एक्सप्रैस बस हो, चाहे वीडियो कोच बस हो, कैसी भी बस हो उसको रोक देते हैं, पौन-पौन घंटे जब तक कंडक्टर और ड्राइवर संतुष्ट नहीं हो जाते खाने-पीने से, वह बस वहां रुकती है। कोई यात्री चाय-पानी, पीता है, नहीं पीता है, बैठा रहता है, ऊंघता है। जिसको जल्दी जाने की लगी रहती है वह आधा घंटा-पौन घंटा वहां खतम कर देता है। इसलिए मैं आपके माध्यम में मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इस बात को भी देखें, जंगल की होटलों में इस तरह से जो एक्सप्रैस बसें हैं उनको नहीं रोका जाए तो अच्छा है।

इसके अलावा बस स्टैण्डों पर यात्रियों के लिये ज्यादा कोई सुविधा नहीं है। कभी-कभी ऐसा होता है कि यात्रियों को बैठने के लिए कुर्सियां भी नहीं मिलती हैं या सीमेन्ट की बनी हुई बैंचे भी उपलब्ध नहीं होती हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि किराया तो हम बढ़ा रहे हैं या और भी कुछ कर रहे हैं, परन्तु यात्रियों की सुविधा के लिए भी अपने को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि अवैध जीप जो चलाते हैं उन जीपों के अंदर इतने यात्री बैठते हैं ऊपर और नीचे, कि जीपों का हुड कपड़े का होता है उस कपड़े के हुड पर आप देखेंगे तो कभी-कभी 8-8, 10-10 यात्री तक बैठे रहते हैं। रोडवेज बसों के आगे-आगे चलते हैं और सवारियों को उठाते जाते हैं। आये दिन इनकी दुर्घटनाएं होती रहती हैं आये दिन आदमी मरते हैं। मरते हैं तब कितने मरते हैं? कम से कम 8-8, 10-10, 15-15 आदमी एक साथ मरते हैं। आज विधान सभा में भी इस बारे में कोई प्रश्न पर चर्चा हुई थी कि अवैध वाहनों को रोका जाए। अवैध वाहनों में मुख्यरूप से ये जो टैक्सी जीपें चलती हैं इनके ऊपर आपको प्रतिबंध लगाना चाहिए। कोई पढ़ा-लिखा लड़का है, उसको रोजगार चाहिए, थोड़ा-सा पैसा जमा कराया और जीप दे दी। जीपें इतनी हो गयी हैं कि आप किसी भी स्टैण्ड पर जाकर देखें तो 50-100 जीपों से कम आपको नहीं मिलेंगी। ये तमाम की तमाम जीपें अवैध सवारियां ले जाकर रोडवेज को घाटा पहुंचा रही हैं। इसकी तरफ भी आप मुख्य रूप से ध्यान देकर कार्यवाही करेंगे ऐसी मुझे उम्मीद है। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : अवैधानिक चल रही हैं।

श्री रमजान खान : अवैधानिक चल रही हैं जो तो चल रही हैं, मगर 8-8, 10-10 आदमी एक साथ मरते हैं, सबसे बड़ी बात तो यह है। इसके अलावा जो ट्रांजिट परमिट आप दते हैं, यह एक बार लेते हैं वीडियो कोच वाले और उसका चक्कर कई बार लगाते रहते हैं, इनकी कोई रोक-टोक नहीं है। मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन है कि इस तरह के परमिट आप जारी करें तो इस तरह की व्यवस्था करें कि वह कहीं इंद्राज हो और उसका मालूम हो जाए कि यह परमिट अब काम में आ गया है। दुबारा बस आपरेटर उसे काम में नहीं ले सकें इसका भी आपको कोई न कोई बंदोबस्त करना चाहिए। आपने मुझे समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री श्रीचन्द कृपलानी।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा) : सभापति महोदय, आज अनुदान की मांग संख्या-21 सड़क एवं पुल विचारार्थ प्रस्तुत की गयी है, मैं उस पर अपने विचार रख रहा हूं। राजस्थान कृषि प्रधान राज्य है जिसमे 70 परसेन्ट जनसंख्या गांवों में निवास करती है। सभापति महोदय, यह ठीक है कि कांग्रेस पार्टी ने जो बजट प्रस्तुत किया उस बजट में बड़ी तादाद में सड़कों के निर्माण के लिए और मरम्मत के लिए पैसा रखा है और कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्य यह कह भी रहे हैं कि हम राजस्थान में सड़कों का जाल बिछाने का विचार रखते हैं, राजस्थान के गांव-गांव में हम सड़कें पहुंचाएंगे, किन्तु, सभापति महोदय, मुझे बड़ा दुःख होता है, अगर राजस्थान के गांव-गांव में ही सड़कें पहुंचानी होतीं, गांव का अगर इनको भला करना होता तो पहले भी 40 साल तक इनका शासन था। 40 साल में सड़कों का विकास करते तो मेरे ख्याल से आज कोई गांव, ढाणी, मजरा ऐसा न होता जहां सड़क नहीं होती। लेकिन 40 साल तक इन्होंने सड़कों की तरफ ध्यान नहीं दिया। थोड़ा बहुत अगर सड़कों का विकास हुआ है तो पिछले आठ साल के भारतीय जनता पार्टी के शासन में हुआ है। सभापति महोदय, मैं इसको आंकड़ों सहित आपके सामनें रखना चाहता हूं। (व्यवधान)

डा. करण सिंह यादव (बानसूर) : कुछ तो शर्म करो, साहब, आप 33 हैं, इसका मुख्य कारण पी.डब्ल्यू.डी. है। राजस्थान की सड़कों पर चलने वाले लोगों की वजह से आपकी आज यह हालत हुई है, उन खड्डों की वजह से। पुराने मंत्रीजी की गाड़ी वहीं अटक कर रह गई और आप बहुत मुश्किल से पहुंच पाए हैं। कुछ तो बात करो, आठ साल में सड़कों की हालत की।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : आप मेरी बात सुनिए, मेरे पास एक-एक चीज के आंकड़े हैं। पिछले चालीस वर्षों में आपने 43797 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया और भारतीय जनता पार्टी के आठ वर्षों के शासन में 38188 किलोमीटर सड़कों का निर्माण हुआ। चालीस वर्षों का औसत देखें तो 29028 किलोमीटर सड़कें औसत से ज्यादा पिछले आठ वर्षों में राजस्थान में बनी हैं। राजस्थान के 33879 गांवों में से 17500 गांवों में आज भी सड़क नहीं है। आपने चालीस साल में जो सड़कें बनाई थीं, उन सड़कों की मरम्मत भी हमने ही की है। (व्यवधान)

(श्री श्रीचन्द कृपलानी)

सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि पिछले दिनों कांग्रेस पार्टी ने श्वेत-पत्र जारी किया उसमें शिक्षा का जिक्र किया, चिकित्सा का जिक्र किया, गरीबी उन्मूलन, पेयजल, जितने भी डिपोर्टमेंट थे, उनका जिक्र किया लेकिन सड़कों का किसी भी प्रकार का जिक्र इसमें नहीं है। इसलिए जिक्र नही किया कि जो लक्ष्य हमें प्राप्त करने थे, उससे ज्यादा लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी के शासन में हमने प्राप्त किए। इसलिए श्वेत- पत्र में इसका जिक्र नहीं है। (व्यवधान) कोटा में हार गए, वह बात अलग है, उसका कारण अलग है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि मंत्री महोदय ऊर्जावान हैं, युवा हैं, मुझे उनसे उम्मीद है। चाहे भारतीय जनता पार्टी राज में रही हो या कांग्रेस पार्टी राज में रही हो, सड़क बनाने के जो मापदण्ड तय किए, अगर उन मापदण्डों की बात करें तो पहले पंचायत हैडक्वाटर सड़क से जोड़े, फिर दो हजार की आबादी वाले गांव सड़क से जोड़े, फिर पन्द्रह सौ की आबादी वाले गांव सड़क से जोड़े, फिर भारतीय जनता पार्टी के राज में एक हजार की आबादी वाले गांवों को सड़क से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया। अधिकतर गांव जुड़ भी गए और सन् 2000 तक सब गांवों को जोड़ने का लक्ष्य था। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हम एक तरफ तो परिवार नियोजन की बात करते हैं कि गांवों की जनसंख्या कम होनी चाहिए और दूसरी तरफ हम नीति में जनसंख्या के मापदण्ड की बात करते हैं। हमें किसी गांव को सड़क से जोड़ना है, आबादी बढ़ाएं तो सड़क से जुड़े, नहीं तो नहीं जुड़ सकता। इसलिए इन मापदण्डों में परिवर्तन आना चाहिए। आज स्कूल की बात करें तो स्कूल वहीं खुलेगा जहां 250 बच्चे होंगे, 250 की आबादी पर स्कूल खुलेगा। पेयजल योजना की बात करें तो पन्द्रह सौ की आबादी होनी चाहिए तब पेयजल योजना लागू की जाएगी। सड़क के बारे में बात करें तो एक हजार की आबादी होनी चाहिए। सभापति महोदय, हम आबादी के आधार पर मापदण्ड तय करते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इन मापदण्डों पर हमें पुनः विचार करना चाहिए अगर हम आबादी को कण्ट्रोल करना चाहते हैं। जहां सबसे कम आबादी हो, वहां सबसे पहले सड़क बनाओ, वहां स्कूल खोलो तो लोगों को उससे प्रोत्साहन मिलेगा।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि सड़कें विकास की कुंजी हैं, सड़कों के माध्यम से कृषि, व्यापार, किसानों के माल की आवाजाही, शिक्षा, समाज कल्याण आदि दूसरे कामों को आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन हमने कभी भी सड़क निर्माण की ओर गम्भीरता से ध्यान नहीं दिया। हिन्दुस्तान में राजस्थान ही ऐसा पहला राज्य है जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सड़क नीति बनाई और सड़कों की ओर ध्यान दिया। (व्यवधान) सभापति महोदय, आप देख रहे हैं कि ये हंस रहे हैं। (व्यवधान) करौली से आने वाले नहीं, ये हंस रहे हैं।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में ही नहीं, हिन्दुस्तान में भी पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण बनाया है। अभी आपने राज्यपालजी से अभिभाषण पढ़वाया, उसमें

(श्री श्रीचन्द कृपलानी)

आपने यह कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-आठ पर चार लेन का कार्य जयपुर से कोटपूतली तक हमने कम्पलीट करवाया, उसको आगे भी करवाएंगे। तीन अन्य राष्ट्रीय राजमार्ग का आपने जिक्र कर दिया जबकि वे आलरेडी भारतीय जनता पार्टी के राज में स्वीकृत हो चुके हैं। पता नहीं क्या आवश्यकता हुई कि उसका श्रेय लेने का आप प्रयास कर रहे हैं?

सभापति महोदय, आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि 1950-51 में 100 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में सड़क का अनुपात जहां 4 किलोमीटर था, वह भारतीय जनता पार्टी के शासन में 22 किलोमीटर का हो गया। यह हमारे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। भारतीय जनता पार्टी के राज में 100 किलोमीटर लिंक रोड बनाए गए। कृषि उपज मण्डी के माध्यम से 8690 किलोमीटर सड़कें 354 करोड़ रुपए लागत से बनायी गयीं। सभापति महोदय, राजस्थान के तत्कालीन मुख्य मंत्री शिवचरण माथुर के समय राजस्थान की सातवीं पंचवर्षीय योजना साढ़े तीन हजार करोड़ रुपये की थी उस समय कांग्रेस पार्टी के पांच साल के शासन में सिर्फ 90 करोड़ रुपए सड़कों पर खर्च किए गए जबकि आठवीं पंचवर्षीय योजना बनी और भैरोंसिंह जी शेखावत मुख्य मंत्री बने तो 90 करोड़ की जगह 702 करोड़ रुपये खर्च किए। नवीं पंचवर्षीय योजना में भैरोंसिंहजी शेखावत ने 1353 करोड़ रुपये सड़क निर्माण का प्रावधान रखा, उसमें से काफी पैसा खर्च हो गया है।

सभापति महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आज से छह-आठ महीने पहले राजस्थान सरकार ने मार्केटिंग बोर्ड के माध्यम से 300 करोड़ रुपये सड़कों की स्वीकृति के लिए जारी किए। मेरे ख्याल से उसमें 100 करोड़ रुपये टेण्डर भी हो गए लेकिन टेण्डर होने के बाद वर्क ऑर्डर नई बनी सरकार ने रोक दिए। मेरी समझ में नहीं आता। राजनीति करनी चाहिए लेकिन राजनीति का स्तर इतना नीचे नहीं होना चाहिए कि कोई सरकार अच्छा काम कर जाए आप उसको भी रोक दें। वर्क आर्डर रोक कर सड़क निर्माण का कार्य रोकने का प्रयास किया जा रहा है, मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे इस ओर निश्चित रूप से ध्यान दें।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में जो तीन राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, जिनकी हमें सख्त आवश्यकता थी, हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है कि कांग्रेस पार्टी ने अपनी घोषणा-पत्र में इसका जिक्र कर दिया, राज्यपाल के अभिभाषण में भी जिक्र कर दिया लेकिन ये राष्ट्रीय राजमार्ग अटलजी की सरकार बनने के बाद स्वीकृत हुए, हमारे तत्कालीन मुख्य मंत्री और सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी के प्रयासों से स्वीकृत हुए, जो हमारे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। एक जालंधर से चूरू, फतेहपुर, सालासर, लाडनूं, नागौर, जोधपुर, पाली, अहमदाबाद। दूसरा, काण्डला, सिरोही, पिण्डवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़, बूंदी, कोटा वाया शाहबाद शिवपुरी। तीसरा अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, निम्बाहेड़ा होकर नीमच।

सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि बी.जे.पी. के राज में एक हज़ार की आबादी वाले गांवों को सड़कों से जोड़ने का प्रयास किया, मुझे खुशी होती कि आप इस बजट में पांच सौ

(श्री श्रीचन्द कृपलानी)

तक की आबादी वाले गांवों को सड़क से जोड़ने का विचार करते। (व्यवधान) लक्ष्य पूरा कर दिया। एक हजार की आबादी को सड़क से जोड़ने का लक्ष्य सन् 2000 तक का है। (व्यवधान)

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में सैंकड़ों, हजारों कस्बे ऐसे हैं जिनमें बाइपास की सख्त आवश्यकता है। वहां बाइपास बनाए जाएं क्योंकि पहले उनकी आबादी कम थी, अब आबादी बहुत बढ़ गई है। जैसे निम्बाहेड़ा, जहां से मैं चुनकर आता हूं, वहां जो मेन सड़क है, वहां हर पन्द्रह मिनट में ट्रैफिक जाम हो जाता है, वहां ओवर ब्रिज की सख्त आवश्यकता है। छोटी सादड़ी, राशमी तथा और भी राजस्थान में काफी क्षेत्र हैं जहां बाइपास बना दिए जाएं तो उन शहरों, कस्बों की समस्या का समाधान हो सकता है।

सभापति महोदय, हमारी सरकार ने धार्मिक स्थानों को सड़कों से जोड़ने का प्रयास किया उसके बावजूद भी कई धार्मिक स्थान रह गए हैं, जिनको सड़कों से जोड़ने की सख्त आवश्यकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि मंत्रीजी इस बारे में विचार करेंगे और राजस्थान के बचे हुए धार्मिक स्थानों को सड़क से जोड़ेंगे। मेरे क्षेत्र में जो धार्मिक स्थान हैं उनके बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि घाटी वाले बालाजी की सड़क, बरवाड़ा से शिव मंदिर सड़क, सिवाड़ी, हनुमानजी से अम्बामाता सड़क, बम्बोरी से शिव मंदिर सड़क, निम्बाहेड़ा, चित्तौड़ सड़क से महादेवजी सड़क, बढ़ावली से सुखानन्द महादेव सड़क निर्माण की जाए। हजारों-लाखों की आस्था इन धार्मिक स्थलों से जुड़ी हुई है, आप इनको सड़क से जोड़ेंगे तो निश्चित रूप से इसका फायदा आपको मिलेगा।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि गांवों तक तो हम सड़क पहुंचा देते हैं, लेकिन गांव से थोड़ा आगे स्कूल है, गांव से थोड़ा आगे कोई हॉस्पिटल है, निश्चित रूप से अगर आप कोई सड़क स्वीकृत करें उसे हॉस्पिटल तक स्वीकृत कर दें या स्कूल तक स्वीकृत कर दें तो उसका लाभ वहां के रहने वाले छात्रों को भी हो सकता है जिनको बरसात के समय में गांवों में सड़क होने के बावजूद भी काफी परेशानी झेलनी पड़ती है या हॉस्पिटल में मरीजों को बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इस बारे में आप विचार करेंगे तो निश्चित रूप से इसका काफी फायदा मिलेगा।

श्री जगत सिंह दायमा : मंदिर तक पहुंचने के बाद स्कूल की क्या जरूरत है?

श्री श्रीचन्द कृपलानी : मंदिर हो, चाहे स्कूल हो, दोनों जगह पहुंचनी चाहिए।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा, अभी रमजान खान जी ने भी जिक्र किया कि सार्वजनिक निर्माण विभाग के अलावा मार्केटिंग बोर्ड से भी अकाल राहत के माध्यम से, जे.आर.वाई. से, अनटाइड फण्ड से, सांसद मद से या विधायक मद से, विभिन्न मदों से समय-समय पर ग्रेवल सड़कें, गिट्टी रोड, डामर सड़कें बनती हैं। लेकिन सभापति महोदय, इसमें बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार होता है। भ्रष्टाचार यों होता है, जैसे अकाल राहत की बात रमजान खान जी ने कही कि लोग गिट्टी ले जाते हैं।

(श्री श्रीचन्द कृपलानी)

लेकिन मैं उदाहरण दे सकता हूँ, मेरे पास रिकार्ड पड़ा है। हमारे जिले में जब-जब भी अकाल पड़ा है, सड़कें स्वीकृत हुई हैं, मैं उन सबका रिकार्ड लेकर आया हूं। ऐसी 50 सड़कें जिले में होंगी, जहां पर पहले जब 1996 में अकाल पड़ा उस समय 3-3 लाख, 4-4 लाख, 5 लाख, 6 लाख रुपये की सड़कें स्वीकृत हुईं। 1998 में उसमें 6 लाख रुपये स्वीकृत हुए या उसके पहले जब कांग्रेस पार्टी का राज था उस समय भी अकाल राहत में वहां काफी काम हुआ होगा। लेकिन उसके बावजूद भी जब वे सड़कें आपके मापदण्ड में आ गईं और आप उन सड़कों की स्वीकृति जारी कर देते हैं तो वहां का एईएन. या एक्सईएन. वैसा का वैसा एस्टीमेट ज़ारी कर देते हैं जबकि सड़कों का आधा काम तो आलरेडी हो चुका होता है अकाल राहत कार्यों के माध्यम से या जे.आर.वाई. के माध्यम से या विभिन्न योजनाएं जो मैंने आपको बतायीं उनके माध्यम से। वह पैसा सीधा-सीधा या तो अधिकारियों के पास या ठेकेदारों की जेब में जाता है। ये गिट्टी की बात कर रहे थे, मैं आपको कह सकता हूं कि जो गिट्टी अकाल राहत के कार्यों में तुड़वायी जाती है वह गिट्टी जब बरसात होती है उसके बाद वहां से तोड़कर दूसरी जगह सड़कों में काम में ठेकेदार ले लेते हैं। उसकी कोई सुनता नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। अकाल राहत कार्य में ग्रेवल सड़क का कार्य चूंकि लोगों को रोजगार देने के लिए स्वीकृत करते हैं उसमें रोजगार तो मिलता है लोगों को, लेकिन गिट्टी का वास्तव में उपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है इसकी निश्चित रूप से आप जांच कराएंगे तो आपको लगेगा। यह पूरे राजस्थान में होगा। हमारे जिले की तो मैं कह ही रहा हूँ, लेकिन पूरे राजस्थान में इस तरह के काफी घोटाले आपके सामने आ सकते हैं।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि निम्बाहेड़ा से उदयपुर सड़क और निम्बाहेड़ा से मंगलवाड़ सड़क चौड़ी होना सख्त आवश्यक है क्योंकि उसी रोड़ पर आवरी माता और सांवरिया जी मण्डफ्या का स्थान है जो कि पूरे हिन्दुस्तान में बहुत ज्यादा धार्मिक रूप से माना जाता है जहां लाखों-करोड़ों दर्शनार्थी आते हैं। वहां पर पुलियाएं बनाना भी आवश्यक है। नपावली की पुलिया, वहां पर थोड़ी-सी बरसात पड़ते ही आठ-आठ, नौ-नौ घण्टे तक ट्रैफिक जाम हो जाता है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि इन सड़कों की तरफ आप ध्यान देंगे क्योंकि चित्तौड़ होकर लोगों को उदयपुर जाना पड़ता है, अगर निम्बाहेड़ा से सीधा उदयपुर जाया जाए तो 15-16 किलोमीटर लोगों के बच जाएंगे। उससे डीजल भी ट्रकों का व अन्य जाने वाले साधन हैं उनका बचेगा।

सभापति महोदय, हमारा चित्तौड़ जिला, विशेषकर जो मेरी कांस्टीट्युएंसी है वह बिलकुल मध्यप्रदेश से अड़ी हुई है। निम्बाहेड़ा से कनोड़ा घाटा क्षेत्र या निम्बाहेड़ा, प्रतापगढ़ और छोटी सादड़ी की पंचायत समितियों के विभिन्न गांव मध्यप्रदेश की सीमा से जुड़े हुए हैं। मध्यप्रदेश, हरियाणा, उत्तरप्रदेश व दिल्ली, आपने देखा होगा कि जितने भी राजस्थान के आसपास के राज्य हैं, राजस्थान की सीमा तक उनकी सड़कें आती हैं उन सड़कों को उन्होंने जोड़ दिया है, लेकिन

(श्री श्रीचन्द कृपलानी)

राजस्थान राज्य में अभी तक इसके बारे में गंभीरता से विचार नहीं किया गया है। अगर आप अन्तरराज्यीय मार्गों की तरफ ध्यान देंगे, दूसरे प्रदेशों में जैसे सड़कें जुड़ी हैं उसी तरह आप उनको जोड़ देंगे तो राजस्थान की जनता को उससे बहुत अधिक लाभ हो सकता है।

सभापति महोदय, इस तरह की काफी सड़कें मेरे क्षेत्र में हैं–रंम्भावली से मध्यप्रदेश सीमा तक, बांगरेडा घाटा से मनोहरखेड़ी मध्यप्रदेश सीमा तक, गुण्डारेल से सरसी मध्य प्रदेश सीमा तक, बागेड़ा से मध्यप्रदेश सीमा तक, अरनोड़ा चरलिया से मध्यप्रदेश सीमा तक, बड़ावली से सुरवानन्द रोड़ राज्य सीमा तक, दीपपुरा से मध्यप्रदेश सीमा तक, कोठड़ी कलां से मध्यप्रदेश सीमा तक, निम्मोड़ा से मध्यप्रदेश सीमा तक। सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह भी निवेदन करना चाहूंगा, पिछले दिनों जब ललित जी सार्वजनिक निर्माण मंत्री थे, उन्होंने आर.बी.सी.सी. के माध्यम से निम्बाहेड़ा और नीमच के बीच में, राजस्थान और मध्यप्रदेश के बीच में एक प्रवेश द्वार की स्वीकृति दी थी। उसमें 10 लाख रुपये की स्वीकृति हुई थी, लेकिन वहां पर कुल 2.50 लाख रुपया ही लगा। वहां पर महाराणा प्रताप की प्रतिमा लगाने का हमने उस समय विचार किया था, स्वीकृति हुई थी। अगर उसको आप लगाएंगे तो निश्चित रूप से मध्यप्रदेश से आने वाले जो लोग हैं उनके सामने राजस्थान की गरिमा बढ़ेगी। हमने रतनपुर बार्डर पर इस तरह का प्रवेश द्वार बना रखा है। आशा है आप इस बारे में विचार करेंगे।

सभापति महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आप सड़कें मापदण्ड के हिसाब से तो बनाएं लेकिन एक पंचायत समिति से दूसरी पंचायत समिति को जोड़ने वाली जो सड़कें हैं, जैसे विनोता भागल से निम्बाहेड़ा पंचायत समिति पड़ती है उसको अगर विलोट तक जोड़ दिया जाए तो बड़ी सादड़ी पंचायत समिति भी जुड़ जाती है। बड़ी सादड़ी से बोरखड़ा, रतिचन्द का खेड़ा, गुन्दलपुर, सरीपिपली होकर प्रतापगढ़ तक जोड़ दिया जाए तो तीन पंचायत समितियां जुड़ती हैं। करजु से भीमगढ़ को जोड़ दिया जाए तो दो पंचायत समितियां जुड़ती हैं। भाटियों का खेड़ा, जो चित्तौड़ में आता है उसको अरनोदा पेमड़िया खेड़ा तक जोड़ दिया जाए तो दो पंचायत समितियां जुड़ती हैं। इसी तरह कांकरा से रतिचन्द जी का खेड़ा से काफी सड़कें हैं। सभापति महोदय, इस तरह राजस्थान में ऐसे काफी गांव होंगे मापदण्ड के हिसाब से सड़क वहां पर बन गई, लेकिन उस सड़क को थोड़ा घुमाकर निकाल दिया जाता तो एक ही जगह छह गांवों को उसका लाभ मिलता। मंत्रीजी, इस बारे में विचार करें तो आपको काफी सड़कें इस तरह की राजस्थान में मिलेंगी। मैं एक उदाहरण दे सकता हूं, हमारे यहां मरजीवी एक गांव है, उस गांव को कृषि उपज मण्डी के माध्यम से सड़क से जोड़ा गया। उस गांव का जब एस्टीमेट बनाया गया तो उसके बाद चांदखेड़ा धोला और मरजीवी से जोड़ा और चार पंचायतें उस गांव से जुड़ गईं। अगर इस तरह से राजस्थान में ढूंढ-ढूंढ कर सड़कों का निर्माण कराएंगे तो ग्रामीण जनता को काफी लाभ होगा। इस तरह की काफी सड़कें हमारे क्षेत्र में भी हैं। बड़ोली घाटा से मांगरोल अरनोदा रोड वाया शाहबाद रामगढ़, बसेड़ा से बाड़ी

(श्री श्रीचन्द कृपलानी)

सड़क, छोटी सादड़ी बरवाड़ा नाका वाया अचलपुरा, बडोली माधोसिंह से लसडावन, बडोली माधोसिंह से फलवा, सावा से कारन्दा वाया पायरी, बाडी से मक्खनपुरा वाया साजनपुरा।

सभापति महोदय, हमारा क्षेत्र चूंकि आदिवासी क्षेत्र है, आदिवासी क्षेत्र में सड़कों का निर्माण कराना बहुत अधिक आवश्यक है। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि आदिवासियों में साक्षरता बहुत कम होती है। धीरे-धीरे भारतीय जनता पार्टी के राज में साक्षरता का जैसे-जैसे विकास हुआ तब जाकर थोड़े लोग साक्षर हुए हैं, बाकी 40 साल तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। जगत सिंहजी, सही कह रहा हूं मैं जब 1990 में पहली बार चुनाव लड़ा, उसके पहले हमारे यहां निम्बाहेड़ा से भैरोंसिंहजी शेखावत साहब एम.एल.ए. थे, उनसे हमने रिक्वैस्ट करके एक जियाखेड़ी-तरजूका सड़क के लिए 80 लाख रुपये स्वीकृत कराये थे। मैं चुनाव के समय में वहां गया और वहां पर मैंने आदिवासी भाइयों को इकट्ठा किया। चुनाव में जब मैं भाषण देने लगा और उनके बीच में मैंने कहा कि इस सड़क निर्माण हमने कराया, मुझे वोट देना तो आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि उनमें से दो जनों ने खड़े होकर मुझसे कहा, इस सड़क का निर्माण आपने कराया क्या? मैंने कहा, हां। तो कहा कि वोट देते तो भी अब वोट नहीं देंगे आपको। मैंने कहा, क्यों, क्या हो गया? उन्होंने कहा कि इस सड़क का निर्माण कराया तब से ही यहां फोरेस्ट वाले हमको पकड़ने लग गए, कच्ची दारू पकड़ने वाले पकड़ने लग गए। मैं साक्षरता की बात कर रहा हूं। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के आठ साल के शासन के बाद उन्हीं आदिवासी क्षेत्रों में इतने स्कूल खुल गए, इतने प्राइमरी स्कूल खुल गए, इतनी साक्षरता हो गई...

श्री जगत सिंह दायमा : वो यह और कह रहे थे कि ये मनुवादियों द्वारा बनाये गये थे।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, व्यवधान न डालें।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : सभापति महोदय, आज उन्हीं क्षेत्रों में यह हालत है कि गांव-गांव में सड़कों की मांग करने लग गए हैं। आदिवासी क्षेत्रों में इतनी बुरी उनकी दुर्दशा है कि उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। हमारे यहां के आदिवासी क्षेत्रों की सड़कें हैं—अखेपुरा से रेला, गजपुरा, प्रतापपुरा वाया राजपुरा, लालपुरा से संतोखपुरिया, उम्मेदपुरा सड़क साटोला कांकरा मचेड़ी, मालीखेड़ा से मुख्य सड़क वाया फतेहसिंह का खेड़ा, ईंटों का तालाब सड़क, संतोखपुरिया से बम्बोरा रावतपुरा सड़क, हरमरा की रेल, कल्याणपुरा से भगवानपुरा सड़क, ईंटों की तालाब से जोड़माकुण्डा तक सड़क।

सभापति महोदय, सड़क के साथ-साथ पुल का भी डिमाण्ड में जिक्र किया गया है। मैं आदिवासी क्षेत्रों में ऐसे पुलों के बारे में मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं जहां पर अगर पुल बन जाएं तो उससे बरसात के मौसम में उनको आने-जाने में सुविधा हो जाए। यहां अनेक तरह की विषम परिस्थितियां हैं घर में कोई मरीज मर रहा है उसको हॉस्पिटल में, शहर में लाना है तो नहीं ला सकते हैं। अगर ऐसी पुलियाओं का निर्माण कराया जाए तो

(श्री श्रीचन्द कृपलानी)

आदिवासी क्षेत्रों के लोगों को काफी फायदा मिलेगा। हमारे क्षेत्र में घाबरा से जलमण्डी के बीच में पुलिया बनाना सख्त आवश्यक है, नावनखेड़ी और चित्रावली के बीच में रपट और पुलिया बनाना सख्त आवश्यक है, जलोड़ा केलूखेड़ा से खेरमालिया सड़क पर पुलिया बनाना आवश्यक है, राजूखेड़ा रास्ते में पुलिया बनाना आवश्यक है, चाप नदी पर पुलिया बनाना आवश्यक है, कोटली कलां व सरलाई के बीच में पुलिया बनाना आवश्यक है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से ज्यादा लंबा-चौड़ा जिक्र न करते हुए यही निवेदन करना चाहूंगा कि वैसे तो राजस्थान की सरकार ने अपने बजट में प्रावधान रखा है, काफी लंबी-चौड़ी घोषणाएं भी की हैं, मुझे मंत्रीजी पर पूरा भरोसा है कि आप इन घोषणाओं के अनुरूप कार्य करने का प्रयास करेंगे, लेकिन पंचायत हैडक्वार्टर और 1500 से 1000 की आबादी को सड़कों से जोड़ने का जो हमारा लक्ष्य था उसमें कुछ सड़कें रह गईं। मजरे और ढाणियां आज की तारीख में गांव से भी ज्यादा आबादी वहां हो गई और गांव की आबादी कम है। मजरे और ढाणियों में जो गांव बस गए हैं वहां पर सड़कों का निर्माण करवाएंगे तो हमें उसका बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। वहां विभिन्न विभागों की विसंगतियां हैं जैसा कि मैंने आपको निवेदन किया था। अकाल राहत कार्य या सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से सड़कें बनती हों, चाहे जे. आर. वाई. में पैसा लगता हो, चाहे सांसद कोटे से पैसा लगता हो इसमें सामंजस्य अगर हम बैठाएंगे तो सही रूप से सड़कों का निर्माण होगा, ईमानदारी से पैसा खर्च होगा और हमारी गुणवत्ता के आधार पर सड़कें बनने का हमें ज्यादा फायदा मिलेगा। आपने मुझे मौका दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री जनार्दन जी।

श्री जनार्दन गहलोत (करौली) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके सम्मुख मांग संख्या-21 और मांग संख्या-12 पर कुछ सुझाव प्रस्तुत करते हुए इनका समर्थन करना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के अंदर जो हालत सड़कों पर रही...

श्री जसवंत सिंह गुर्जर : बोलना सच।

श्री जनार्दन गहलोत : सच वही बोलूंगा जो आपकी आत्मा बोलती हैं, जैसा कि ललितजी ने कहा था कि सड़कों पर खड्डे मेरे हाथ पर फफोले हैं। शुरुआत वहीं से कर देता हूं।

माननीय सभापति महोदय, पिछली सरकार ने जो किया उसका मैं बहुत ज़िक्र नहीं करना चाहता। राजस्थान की जनता अच्छी तरह जानती है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग में कितनी अनियमितताएं हुईं, कितने घोटाले हुए और किस प्रकार राज्य के अंदर पंगुवाद बन गया था। यहां पर सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी बैठे हैं, उन्होंने बजट के प्रावधान में एक प्रकार की मंशा दर्शाई है। उन्होंने प्राथमिकता इस बात को दी है कि पिछली बार की तरह नई सड़कों की बात हम कम करें, क्योंकि रख-रखाव की ज्यादा आवश्यकता है। ललितजी उस काम को नहीं कर पाए। इस साल के अंदर जिस प्रकार का प्रावधान इन्होंने रखा है 515 करोड़ 84 लाख एक हजार रुपए का, जिसके अन्तर्गत 350 किलोमीटर सड़कों का निर्माण भी है, रख-रखाव के ऊपर पूंजी भी है और 265

(श्री जर्नादन गहलोत)

पंचायत मुख्यालयों को सड़कों से जोड़ने की बात भी है, मैं सोचता हूं निश्चित तौर से आज के दिन यह आवश्यकता है। आवश्यकता इसलिए कि चारों तरफ सड़कें तो बन गईं लेकिन हालत क्या है सड़कों की? गिट्टियां उखड़ी पड़ी हैं, डामरीकरण उस पर नहीं हुआ है। जो हालत बन गए थे, मैं सोचता हूं कि उन्हें सुधारने की दृष्टि से प्रक्रिया के अन्तर्गत एक महत्त्वपूर्ण काम हाथ में लिया गया है।

माननीय मंत्री महोदय, राजस्थान के अंदर जिन सड़कों के ऊपर डब्ल्यू.बी.एम. हो चुका है प्राथमिकता होनी चाहिये कि उन पर डामर का काम सबसे पहले हो। हम नई सड़कें बनाने के ऊपर पैसा तो लगाएंगे ही लेकिन जितना पैसा खर्च हो गया है, राजस्थान के कोने-कोने में जो सड़कें बनी थीं आधे से ज्यादा उखड़ चुकी हैं, बिखर चुकी हैं, हमारे उस पैसे का सही मायने में सदुपयोग नहीं हुआ। आज अगर दुबारा डामरीकरण करते हैं तो मानकर चलिये, 25 प्रतिशत आपकी कास्ट फिर बढ़ने वाली है क्योंकि मिट्टी-गिट्टी वहां से सारी बिखर चुकी है। इसलिए मैं सोचता हूं, माननीय मंत्री महोदय, इसको आप प्राथमिकता दें।

माननीय सभापति महोदय, पिछले राज में ठेकेदारों ने जिस प्रकार की प्रथा डाली, यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। जिस प्रकार मनचाहे ठेकेदारों को ठेका दिया गया, यह भी आज आम चर्चा की बात है और पूरा राजस्थान इस बात को जानता है। क्षेत्र से आने वाले विधायक जानते हैं कि किस क्षेत्र में कौन-कौन ठेकेदार की मोनोपोली रही है। मैं सोचता हूं इस मोनोपोली को आप तोड़ेंगे। ठेकेदारों की जो पूल प्रथा है, पूल में मिलकर जिस प्रकार की व्यवस्था वे करते हैं मैं सोचता हूं, माननीय मंत्री जी, आपकी ओर राजस्थान की निगाहें लगी हुई हैं, जो पहले की परम्पराएं हैं उन परम्पराओं को तोड़ने में आप हिम्मत से काम लेंगे। आप हिम्मत से काम लेंगे तो सदन आपके साथ है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं कि एक जमाना था जब राजस्थान के अंदर एक चीफ इंजीनियर हुआ करता था, उससे राजस्थान की व्यवस्थाएं चलती थीं। उसके बाद रोड का चीफ इंजीनियर अलग हुआ और बिल्डिंग का चीफ इंजीनियर अलग हुआ। हम 1972 में जब यहां विधान सभा में पहली बार आए थे, उस जमाने के अंदर दो चीफ इंजीनियर हुआ करते थे। काम में कोई कमी नहीं थी, एक सुव्यवस्थित सिस्टम से चल रहा था। आज आपने संख्या अधिक कर दी, चीफ इंजीनियर बढ़ाते गए, एडिशनल चीफ इंजीनियर बढ़ाते गए, एक्स. ईएन. बढ़ाते गए। पिछले ललित जी के राज में कम से कम 100 असिस्टैंट इंजीनियर्स ऐसे भर्ती हुए जिनको प्रमोशन करके जेईएन. से एईएन. बना दिया गया और आज हालत यह है कि उनके पास कोई काम नहीं है। आप कहीं जिला हैडक्वार्टर में जाकर मालूम करें, खाली तनख्वाह उठाने के लिए एईएन. आता है। उसके पास कोई काम नहीं है क्योंकि पूर्व के पी.डब्ल्यू.डी. मंत्रीजी ने सारे जेईएन. का प्रमोशन करके एक भीड़ पी.डब्ल्यू.डी. के अंदर पैदा कर दी। आज वे सब लोग हाथ पर हाथ रखकर बैठे हैं, सिर्फ तनख्वाह लेने जाते हैं, और कोई काम उनके पास नहीं है। माननीय सभापति महोदय, मैं

(श्री जर्नादन गहलोत)

आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं, आज आपने 6-6 चीफ इंजीनियर रख रखे हैं—सी.बी.एंड.आर. का चीफ इंजीनियर, चीफ इंजीनियर आर. नम्बर एक चीफ इंजीनियर आर नम्बर दो, चीफ इंजीनियर नेशनल हाइवे, चीफ इंजीनियर प्रोजैक्ट एण्ड मोनिटरिंग, चीफ इंजीनियर मैकेनिकल इतनी बड़ी जमात आपने खड़ी कर दी है और सरकार पर आर्थिक भार बढ़ाए जा रहे हैं। इसके अलावा और डिपार्टमैंट में भी हैं एग्रीक्लचर मार्केटिंग बोर्ड, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, जयपुर डवलपमैंट आथोरिटी, इनके पास एडिशनल चीफ इंजीनियर अलग-अलग हैं। इतनी बड़ी संख्या में आपने रख रखे हैं उसके बाद भी मैं सोचता हूं जो प्रगति होनी चाहिये उस प्रगति के अंदर काफी रुकावटें हैं। इसके अन्दर आप तब्दीली लाएंगे या इनको कोई काम हो, दूसरे विभागों में भेजें। लोग खाली हैं, उनके पास जितना आवश्यक है उतना काम नहीं है। उस जमाने के अन्दर किसी भी चीफ इंजीनियर को जाकर एक जेईएन. के ट्रांसफर के लिए कह दिया करते थे तो वे ट्रांसफर कर देते थे। चीफ इंजीनियर को इतना पावर था। चीफ इंजीनियर पी.डब्ल्यू.डी. में बैठे हैं उनकी हालत यह थी पिछले 5 साल के राज के अन्दर कि जेईएन. से लेकर चीफ इंजीनियर तक के ट्रांसफर की लिस्ट मंत्री महोदय के यहां बनती थी। जब हम फोन करके पूछते थे तो कहते साहब, वो जमाना गया आप लोगों का, अब तो जेईएन. के ट्रांसफर की भी टिक वहां से लगकर आती है तब हम कर सकते हैं। यह हालत आपके डिपार्टमैंट की बन गई थी।

श्री मोहन लाल मोदी : चपरासी का भी है।

(16.00 बजे)

श्री जनार्दन गहलोत : चलो, चपरासी, का भी मोदी साहब कह रहे हैं। बेलदार के आ रहे हैं, चपरासी के आ रहे हैं, हालत यह थी। प्रशासनिक हालत इतनी बिगड़ी पिछले शासन के अन्दर लोगों का मनोबल इतना टूटा है पी.डब्ल्यू.डी. के अन्दर जितना कभी इंजीनियर का टूटा नहीं होगा। सारे डिपार्टमैंट के अन्दर त्राहि-त्राहि थी। कौन कहां पहुंचे, किसकी क्या मन मर्जी हो, कैसे हो? जब तक कोई व्यवस्था नहीं होती थी, किसी की पोस्टिंग नहीं होती थी। प्रमोशन एक साथ कर दिये। क्या-क्या बातें मैं कहूंगा? सदन में कहने लायक नहीं हैं। जो सदस्य यहां सदन में मौजूद नहीं हैं, आज उनके बारे में जिक्र करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जिस प्रकार का वातावरण पी.डब्ल्यू.डी. में बना हुआ है उस वातावरण को आपको सुधारना होगा। कई लोगों की मानसिकता यही है कि आज हम रहेंगे कि नहीं, कल हम रहेंगे कि नहीं। आखिर कोई आदमी कहीं काम करेगा तो उसको दो साल का मौका तो चाहिए ही चाहिए। किसी भी जगह पर आप किसी की पोस्टिंग करें, कोई एक्सईएन. भेजें, कोई इंजीनियर भेजें, उसको यह मालूम होना चाहिए कि उसे यहां पर काम करना है। पहले व्यवस्था इस प्रकार की थी, लगता ही नहीं था कि कब किसी को जाना है। इसलिए, माननीय मंत्री महोदय, इस सारे ढांचे को ठीक से कीजिये। सारी व्यवस्था आपके विभाग में बनी हुई है, पूर्व के जमाने की है, आपने भी अभी उसके अंदर धैर्य रखा है और मैं सोचता हूं, आपने अभी बहुत परिवर्तन नहीं किये हैं। एक

(श्री जर्नादन गहलोत)

समय आपको ये सारे परिवर्तन करने होंगे। काम करने वाले लोगों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए, इस आधार पर मापदण्ड बनाकर पिछली सारी व्यवस्था को सुधारें।

माननीय सभापति महोदय, वर्ल्ड बैंक में पहले फेज के अन्दर 750 किलोमीटर सड़कों का प्रावधान था, वह करीब-करीब पूरा हो गया है लेकिन सैकिण्ड फेज का काम आपके विभाग में चालू नहीं हुआ है। मंत्री महोदय, उसको जल्दी प्रारम्भ करना पड़ेगा क्योंकि अभी तक तो उसमें कंसल्टेशन और अवार्ड का काम भी नहीं हुआ है। सैकिण्ड फेज तो आपका अभी बाकी पड़ा है। माननीय मंत्री महोदय, आपके सामने कठिनाइयां हो सकती हैं, सी.टी.बी.टी. पर हस्ताक्षर नहीं करने से, पोकरण के बम विस्फोट के कारण अमेरिका से सहायता रुक गई, वह भी एक कारण हो सकता है, मैं आपकी समस्या को समझ सकता हूं लेकिन जब सारी स्थिति बनी हुई है, तो इसके अन्दर क्या कार्यवाही कर सकते हैं, उसके बारे में आपको फैसला करना होगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं मेरे क्षेत्र का जिक्र आपको करना चाहता हूं। हमारे यहां भिवाड़ी से लेकर करौली तक वर्ल्ड बैंक की एक स्कीम बनी, उसके तहत सड़क का निर्माण हुआ। उस सड़क के निर्माण के अन्दर जिस प्रकार के हालात घटे हैं, आपको आश्चर्य होगा कि 1991 में इसकी स्कीम बनी थी केवल मात्र 44 करोड़ रुपये की थी। भिवाड़ी से लेकर मंडरायल तक। लेकिन उसी स्कीम का स्वरूप बढ़कर 74 करोड़ रुपये हो गया एक साल में। 44 करोड़ रुपये की स्कीम थी, वह 1991 में ही बनी और 1991 में ही वह 74 करोड़ रुपये की स्कीम हो गई। माननीय सभापति महोदय, 74 करोड़ रुपये तक ही मामला सीमित नहीं रहा, आज उस सड़क के ऊपर 102.74 करोड़ रुपये का खर्चा हो चुका है, जिसके अन्दर हिण्डौन के पास का बाइपास बना नहीं है, पांच किलोमीटर वह बाकी है जो करौली की बजाय मंडरायल तक जाना था। करौली से 14 किलोमीटर दूर पर ही यह अटका पड़ा है। अब वर्ल्ड बैंक का पैसा तो समाप्त हो गया, योजना समाप्त हो गई और आज वंचित कौन रह गया? करौली वंचित रह गया। बांदवा से लेकर गुडला की 14 किलोमीटर रोड की खुदाई का काम भी हो गया है, उसके बाद उसके ऊपर काम बंद कर दिया गया। मैं सोचता हूं, किसी तुगलकी व्यवस्था के तहत यह हुआ है। योजना में आ गया एक बार कि इसको पांचना बांध की ओर से लेकर जाएं, पांचना बांध के ऊपर से प्रावधान कर दिया गया बताया जो कि गुडला से बहुत दूर पड़ता है। सीधा रास्ता कहीं दूर से है, उसके बाद में उसको मोड़कर पांचना बांध से लेकर जाएंगे। आपके ब्रिज कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन के माध्यम से वहां पर एक पुल बना दिया गया, उसके ऊपर भी पैसा खर्च हो गया। लेकिन वहां पर आपका विभाग क्या कर रहा है? कैसे आंखें मूंदकर बैठा है? 14 किलोमीटर का प्रावधान पांचना का रखा, अब पांचना बांध वाले, इर्रिगेशन वाले कहते हैं कि हम हमारे पुल के ऊपर से सड़क को जाने नहीं देंगे। अगर सड़क पुल पर से जाती है तो पुल का नुकसान हो सकता है। पुल बना दिया उसके आगे, वह पुल बना हुआ पड़ा है लेकिन सड़क का कोई रास्ता नहीं है। माननीय सभापति

(श्री जर्नादन गहलोत)

महोदय, यह एक जिला हैटक्वार्टर है, नया जिला बना है, वहां की प्रगति की दृष्टि से यह रास्ता हमारे लिए बहुत आवश्यक है, भिवाड़ी से लेकर उसकी पूरी व्यवस्था हो। इससे आवागमन का साधन बहुत बढ़ा है और दिल्ली से करौली के पास में एक रास्ता भी इससे शार्ट कट बन गया है। 14 किलोमीटर के टुकड़े के अभाव में हमारे यहां बहुत कठिनाई आ रही है लेकिन आपके विभाग के ऊपर किसी प्रकार का असर नहीं हो रहा है—न वह उसके बारे में कोई चिंतित है, न किसी ने कोई उसके बारे में फैसला किया है। न इर्रिगेशन के साथ बैठे हैं। अधिकारियों का तालमेल ही नहीं है। मैंने आपके विभाग के लोगों से बात भी की लेकिन मुझे लगा कि सब कंफ्यूज्ड हैं—कोई कहता है कि स्टेट हाइवे है, कोई कहता है कि यह वर्ल्ड बैंक का पैसा था। पांचना की यह प्रॉब्लम उसके अन्दर बीच-बीच में फोरेस्ट विभाग की एन.ओ.सी. की प्राब्लम है, मैं सोचता हूं कि जब यह योजना बनी थी, इन सारी बातों को पहले देखा नहीं? कैसे यह राज बन गया? जब कोई स्कीम का निर्माण होता है, पहले उसका सर्वे होता है कि कहां कमियों हैं, कहां एन.ओ.सी. लेनी पड़ेगी, पुल पर जाएगा या नहीं जाएगा, इर्रिगेशन की योजनाओं के तहत इसको देखना पड़ता है। यह सारा ही मामला घपला है इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, यह गंभीर मसला है हमारे लिए और इसको आप प्राथमिकता से लेंगे कि कैसे जिला हैडक्वार्टर पर आवागमन के साधन तो पनपें मैं सोचता हूं कि करौली ऐसा स्थान है शायद जैसा राजस्थान में कोई तीर्थस्थान नहीं। दो माह के अन्दर 43 लाख दर्शनार्थी मध्यप्रदेश, राजस्थान और उत्तरप्रदेश से आये हैं। 43 लाख दो महीने मे उसमें हालत यह है कि ज्योंही करौली की बॉर्डर में घुसते हैं, खड्डों पर चलना पड़ता है। और चारों तरफ तो सही है। महत्त्वपूर्ण मामला है इसलिए इसको आप गम्भीरता से लेते हुए अपने बजट के अन्दर इस बात का प्रावधान करें कि कम से कम 14 किलोमीटर का टुकड़ा तो बने। मंडरायल पहुंचे जब पहुंचें। पिछली सरकार ने इतना पैसा इसके अन्दर खराब कर दिया, उन ठेकेदारों के जहां पैनल्टी लगनी

(16.07 बजे)

(श्री लक्ष्मण सिंह रावत, सभापति, पदासीन)

चाहिए थी—7 करोड़ 10 लाख रुपये की पैनल्टी लगनी चाहिए थी, उसमें आपके विभाग के लोगों ने और पैसा दे दिया। जहां 74 करोड़ में पैनल्टी लगाने की बजाय एस्केलेशन और महंगाई के पैसों का भुगतान 19 करोड़ रुपये और आपके विभाग ने कर दिया। उस पर पैनल्टी लगनी चाहिए थी 7 करोड़ 10 लाख की। यह हालत है। नहीं, वहां तो पैसों की कोई कमी नहीं थी।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : कोई चतुर्वेदीजी का आदमी होगा।

श्री जनार्दन गहलोत : माननीय भाटीजी, पैसों की कोई कमी नहीं थी। जिस प्रकार का पैसा इसमें लगा है, 44 करोड़ की योजना, उसी साल में उसका 74 करोड़ की होना और उसके बाद 19 करोड़ रुपये एस्केलेशन और महंगाई के और देना, हमारी सारी योजना का भट्टा बैठा दिया। इसमें पूरे भ्रष्टाचार की बू आ रही है। मैं सोचता हूं माननीय मंत्री महोदय, इसको गंभीरता से लेंगे। गलती तो पिछली

(श्री जर्नादन गहलोत)

सरकार की है लेकिन भुगतना आपको पड़ेगा। 102 करोड़ के अन्दर तो यह मंडरायल तक सड़क पहुंच जाती, लेकिन वहीं एक किनारे पर पड़ी है। मैं सोचता हूं, आप इसको गम्भीरता से लेते हुए हमारा सहयोग करेंगे ताकि आपको करौली क्षेत्र की जनता धन्यवाद दे सके।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से एक निवेदन करना चाहता हूं कि करौली से मासलपुर क्षेत्र के अन्दर सैण्ड स्टोन की काफी बड़ी मात्रा में सम्पदा है। खनिज उद्योग है, सारा पत्थर ट्रकों से ज्यादा से ज्यादा जाता है। खास तौर से उत्तरप्रदेश और मध्यप्रदेश में जाता है। राजस्थान में वे पत्थर कम काम आते हैं लेकिन मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश में जाते हैं। इसी के तहत करौली से मासलपुर और मासलपुर से आगरा तक सड़क के निर्माण की योजना पहले थी, लेकिन सरकार ने अधिकारियों के माध्यम से जिस प्रकार के ठेके दिये, सड़क टूट गई, फूट गई, 2-3-4 किलोमीटर का टुकड़ा आज भी पूरा नहीं हुआ जबकि दूसरी तरफ जिले में और आगरा के अन्दर उस सड़क का निर्माण हो चुका। 3-4-5 किलोमीटर टुकड़े के अभाव में यह आवागमन अवरुद्ध हो रहा है। मैं सोचता हूं कि योजना यह पहले की थी लेकिन उसकी क्रियान्विति नहीं हुई।

इसी प्रकार से, सभापति महोदय, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा करौली क्षेत्र दस्यु प्रभावित क्षेत्र है, यहां डकैतों का आतंक है। बहुत सारा पैसा सड़कों के निर्माण के लिए भारत सरकार की योजना के तहत आया है लेकिन विभाग ने इस प्रकार का प्रयास नहीं किया कि फोरेस्ट की जगह-जगह एन.ओ.सी. मिले। काम रुका पड़ा है। आपको यह व्यवस्था करनी होगी कि फोरेस्ट के, पी.डब्ल्यू.डी. के बीच उच्च स्तरीय मंत्री स्तर के ऊपर वार्ता हो और इसका हल निकले। एक छोटी-सी एन.ओ.सी. के अभाव में सड़क यहां पर एक कोने में बन जाती है, दूसरे कोने में आगे बन जाती है और बीच में टुकड़ा रह जाता है।

इससे बड़ी कठिनाई की स्थिति बनी है इसलिए इसको गम्भीरता से आप लें। ऐसी सड़क हमारी मासलपुर से टाडा जमूरा तक है, सारा भारत सरकार की योजना के तहत पैसा आया था। इसी प्रकार माइंस डिपार्टमैंट की योजना के तहत भी पैसा हमारे यहां आता है क्योंकि माइंस डिपार्टमैंट की बहुत बड़ी रेवेन्यू इसी क्षेत्र से आती है। इस तरह सड़कों के तीन आधार हमारे यहां बन सकते हैं। मासलपुर से खुड़ा तक सड़क बन गयी थी लेकिन डामर नहीं होने की वजह से सारी गिट्टियां उखड़ गयीं। डकैतों का एरिया है और हालत यह है कि पूरे एरिया में 10-10, 15-15, 20-20 किलोमीटर तक कोई व्यवस्था नहीं है। अगर जंगल में कोई आदमी मिल जाता है तो लूट लिया जाता है। अगर इसका डामरीकरण हो जाए तो मैं सोचता हूं कि हमारा जो खर्चा हुआ है वह बच सकता है।

इसी प्रकार मासलपुर से खेड़ा आलरेडी डामर रोड बन चुकी है लेकिन इतने खड्डे उसमें हो रहे हैं कि कोई निकल नहीं सकता। इसी प्रकार मासलपुर से सिलोती होती हुई हिण्डौन सम्पर्क सड़क बनने का पहले प्रावधान था, उसके अन्दर थोड़ी आप रुचि लें। मैं सोचता हूं कि

(श्री जर्नादन गहलोत)

खास तौर से दस्यु प्रभावित क्षेत्र होने के नाते हमारे यहां आवागमन के साधनों का अभाव है। हालत यह है कि आदमी की सुरक्षा की बात तो छोड़िये, हमारे गाय, भैंस और बकरियां तक सुरक्षित नहीं हैं। इस प्रकार की हालत में आप सड़कों में सबसे अधिक प्राथमिकता इस एरिया को दें ताकि हम कम से कम उनकी रक्षा कर सकें। सड़कों के अभाव में डकैत चारों तरफ से अन्दर घुस जाते हैं और पुलिस पीछा कर नहीं पाती। ऐसी स्थिति में मैं सोचता हूं कि आप इसको प्राथमिकता देंगे ताकि हमारे यहां व्यवस्था हो सके।

माननीय सभापति महोदय, समय ज्यादा मैं लेना नहीं चाहता लेकिन 2-4 बातें माननीय ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब से भी निवेदन करना चाहता हूं क्योंकि उनकी डिमांड भी आज है। माननीय यातायात मंत्रीजी, करौली में रोड़वेज डिपो के निर्माण का फैसला आज से 10 साल पहले हो चुका था। बड़ी मुश्किल से कुछ काम उसमें शुरु हो पाया है और अब करीब-करीब पहुंचने की स्थिति में है, लेकिन हमें मालूम नहीं कि आपका विभाग इसमें द्रुतगति से क्यों नहीं दौड़ रहा है। इतना धीरे काम चल रहा है कि उसकी प्रगति आ ही नहीं रही है सामने। मैं आपको बता देना चाहता हूं, आपके विभाग ने चाहे बताया नहीं होगा, कि कैला देवी मेले के अन्दर यदि किसी को आय हुई है तो 50 लांख रुपये की आय केवल मात्र आपकी रोडवेज को हुई है। मैंने जब फिगर लिये थे तब 50 लाख थे, अब एक करोड़ 6 लाख आप बता रहे हैं। मैं उस दिन वहां नहीं था। लेकिन कम से कम आपको यह मालूम है कि करौली की रोडवेज की व्यवस्था से आपको आमदनी बढ़ी है। ऐसी स्थिति में उसका निर्माण कार्य आप जल्दी से जल्दी करवाएं। मेले की व्यवस्था के समय आपके जो पहले एम.डी. साहब थे उनसे मैंने जिक्र किया तो उन्होंने काम शुरू करवाया लेकिन उसकी बगल में खड्डे पड़े हुए हैं, नाले पड़े हुए हैं। जो काम पांच लाख रुपये का स्वीकृत किया था टैम्परेरी, मुझे मालूम नहीं वे पांच लाख रुपये किसमें लगे हैं, वह नाला अभी तक पटा नही है। पांच लाख रुपये में 100 फीट नाला तो पट सकता है। वहां के एक्सईएन. के सामने कई ठेकेदार वहां खड़े थे मेरे सामने और कहा कि साहब, इसमें तो इतना ही खर्चा है। मालूम नहीं उसके बाद फिर भी क्या हो रहा है। माननीय मंत्री महोदय, हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए कि डिपो का निर्माण शीघ्र हो मेले में तो उसको चालू कर दिया था लेकिन मेला खतम होते ही फिर से डिपो को शहर में ले गये। वहां बैठने की छाया है तो फिर धूप में क्यों बैठें हम? दूसरी जगह डिपो पर बैठने की छत नही है, यहां कम से कम छत तो है। फिर भी वहां पर रैगुलर चालू नहीं कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में नाले की पटाई होनी चाहिए और उसके रख-रखाव के लिए जो पैसे की आवश्यकता है वह जल्दी से जल्दी दें ताकि इस काम का निर्माण हो सके।

माननीय मंत्री महोदय, आपके डी.टी.ओ. की हालत तो यह है कि चोर बाजारी के अलावा वहां कुछ नहीं है। वहां पर जो इंस्पैक्टर्स लगे हुए हैं उन्होंने लोगों को दुःखी कर रखा है। सारे बस आपरेटर्स, जीप वालों की रेट बंधी हुई है। हालत यह

(श्री जर्नादन गहलोत)

है इस वक्त डी.टी.ओ. मालूम नहीं, भगवान की कृपा है, वे कैसे लगे हुए हैं? पहले के जमाने के लगे हुए हैं। आपसे अब तक कहा नहीं इसलिए मैं आपको दोष देना नहीं चाहता, लेकिन वहां पर व्यवस्था सुधारनी पड़ेगी। बस आपरेटर जिनके पास जिनाइन परमिट है, वे दुःखी हैं और जो नाजायज बसें चल रही हैं उनकी कोई गिनती नहीं है। इतनी नाजायज बसें, जीपें चल रही हैं सबका पैसा बंधा हुआ है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस व्यवस्था को आप सुधारिये। पहले जो व्यवस्था थी वह तो सुधरनी चाहिए।

श्री सभापति : कृपया संक्षिप्त करें।

श्री जनार्दन गहलोत : एक बात और अंत में मैं कहना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, पहले कोई प्रश्न आया था, आपसे भी मेरी व्यक्तिगत चर्चा हुई थी और आपने रोडवेज की बसों का अस्थायी स्टैण्ड बनाने की बात स्वीकार की थी। आपके पिछले एम.डी. साहब ने स्टेटमैंट भी दिया था और अखबारों में, आकाशवाणी और टी.वी. पर इंटरव्यू भी आया था कि आपकी जो बसें राजस्थान में चल रही हैं आप उनका स्थान तय करेंगे कि किस स्टैण्ड पर वे रुकेंगी। यह जगह आइडेंटिफाई हो। गवर्नमैंट आर्गेनाइजेशन या जो भी जगह आइडेंटिफाई हो वह अच्छी जगह हो। वह मर्जी आये उस ढाबे पर बसों को खड़ा कर लेता है। आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए। आपने शायद एक स्कीम बनायी भी है, उसको आप इम्प्लीमैंट करें ताकि अच्छे स्थानों पर बसें खड़ी हो सके और लोगों को सुविधाएं प्राप्त हो सकें।

इसके अलावा, मंत्री महोदय, हमारे यहां से करौली जाने वाली जो बसें हैं वे केवल मात्र 12 बसें हैं। ये 12 बसें अलग से हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मेहंदीपुर बालाजी भी यात्री बहुत जाते हैं, महावीरजी का दर्शनीय स्थान हैं वह भी करौली डिस्ट्रिक्ट में है, मदन मोहनजी का स्थान भी करौली में है। तो सारे यात्रियों की दृष्टि से इन पर भार है इसलिए बसों की आप संख्या बढ़ाइये। पांच बजे के बाद तो जयपुर से कोई बस ही नहीं जाती। पांच बजे के बाद कोई बस करौली की तरफ नहीं जाती। जो प्राइवेट बसें जाती हैं वे नाजायज जाती हैं, परमिट वाली नहीं जातीं। कभी कोई जाती है, कभी कोई जाती है, सब फर्जीवाड़ा है। तो पांच बजे बाद कोई बस नहीं जाती, वह चालू करें।

श्री रामस्वरूप : माननीय सभापति महोदय, हमारे यहां पर मदन मोहनजी और गोविन्द देवजी के बारे में ऐसा है कि दोनों के एक दिन में कोई दर्शन करता है तो उसका निश्चित रूप से उद्धार हो जाता है, भगवान उस पर प्रसन्न होते हैं। इसलिए एक बस ऐसी लगाएं जो यहां और वहां का एक मिलान कर दे, दोनों के दर्शन वह बस करा दे तो बहुत सारे यात्रियों के कारण से इन बसों से इन्कम हो सकती है।

श्री सभापति : कृपया संक्षिप्त करें।

श्री जनार्दन गहलोत : माननीय सभापति महोदय, बड़ा महत्त्वपूर्ण है। आप तो, सभापति महोदय, धार्मिक विचारधारा के हैं, धार्मिक विचारधारा पर विश्वास करते हैं, यहां की एक मान्यता है कि गोविन्द देवजी, गोपीनाथजी और मदन मोहनजी के तीनों के एक साथ एक दिन में दर्शन हो जाएं तभी उस दर्शन का लाभ मिलता है। इसलिए

(श्री जर्नादन गहलोत)

टोडाभीम से आने वाले माननीय विधायक ने जो बात कही है, एक ऐसी बस हो जाए जो सवेरे यहां से जाए और शाम को वापस ले आए। द्रुतगामी हो, डीलक्स हो, उससे भी तेज हो। आज कई स्थान राजस्थान के अन्दर ऐसे हैं—उदयपुर है चाहे भीलवाड़ा है वहां से भी महावीरजी के दर्शनों के लिए बहुत दर्शनार्थी आते हैं आप ऐसे स्थानों से भी महावीरजी और करौली लिंक्स को जोड़िये। ऐसा ही नहीं, जयपुर से जो बसें जाती हैं...

श्री रामस्वरूप : मेंहदीपुर बालाजी होते हुए जाएं।

श्री जनार्दन गहलोत : मेंहदीपुर बालाजी होती हुई जाएं सब। मेंहदीपुर बालाजी होती हुई महावीरजी जाएं और महावीरजी से कैला देवी जाएं। मेहंदीपुर बालाजी जाएंगी तो टोडाभीम अपने आप ही जाएंगी। मेरा यह कहना है कि आज राजस्थान के अन्दर इन धर्मों को मानने वाली पापुलेशन जिन जिलों में ज्यादा है, खासतौर से उदयपुर, भीलवाड़ा वहां से महावीरजी के दर्शन करने आने वाले बहुत लोग हैं जबकि उधर से कोई बस नहीं जाती। ऐसे बिन्दुओं को आप इम्प्लीमैंट करें ताकि इन दर्शनीय स्थलों का हमको लाभ मिल सके। मैं इन्हीं शब्दों के साथ इन मांगों का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय सदस्य श्री भरोसी लाल।

श्री भरोसी लाल (हिण्डौन) : माननीय सभापति महोदय, मैं मांग संख्या-21 के कटौती प्रस्तावों के ऊपर माननीय मंत्री महोदय का ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं। राजस्थान की 80 प्रतिशत जनता ग्रामों में रहती है जहां पर कि सड़कों का बहुत बड़ा अभाव है। मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र हिण्डौन की कई सड़कों के बारे में आपका ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं। हिण्डौन से बाजणा बरखेड़ा होते हुए विजयपुरा तक जो सड़क जाती है, 6 किलोमीटर का रास्ता है लेकिन 20 किलोमीटर हिण्डौन होकर आना पड़ता है। यदि कोई बीमार हो जाए तो उस रास्ते से नहीं आना पड़ता है, 20 किलोमीटर के चक्कर से हिण्डौन आना पड़ता है। ऐसी स्थिति में बाजणा से यदि 6 किलोमीटर नवीन सड़क बन जाए तो हिण्डौन क्षेत्र और 20-25 ग्रामों की जनता के लिए बहुत कुछ फायदा मिलेगा। दूसरा, सभापति महोदय, हिण्डौन विधान सभा के हिण्डौन से खरेटा रोड होते हुए मोठियापुरा और कोटड़ी तक 30 किलोमीटर का टुकड़ा है, भाजपा के आठ साल के शासन में एक पैसा भी इन सड़कों पर नहीं लगा। टूटी-फूटी सड़कें पड़ी हुई हैं। खनिज क्षेत्र है और डांग एरिया में आता है, जहां पर डेली 200 ट्रैक्टर चलते हैं, 300 ट्रक चलते हैं। यह सड़क टूटी-फूटी अवस्था में, जीर्ण-शीर्ण अवस्था में पड़ी हुई है, इस सड़क की तुरन्त मरम्मत कराई जाए।

श्री सभापति : No talks, please.

श्री भरोसी लाल : तीसरी, हिण्डौन सड़क के बीच में होते हुए, मंत्री महोदय...

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : मैं तो, सर, हमारे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष, इनको कह रहा हूं कि संगत का असर पड़ जाता है, जरा ध्यान रखना, नहीं तो भविष्य फिर बिलकुल डूब जाएगा।

श्री रघुवीर सिंह : मेरे ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा।

श्री सभापति : कृपया विराजें। प्लीज कन्टीन्यू।

श्री भरोसी लाल : सभापति महोदय, हिण्डौन शहर में स्टेशन रोड से गऊशाला तक तीन किलोमीटर का टुकड़ा है जो शहर के बीच में होकर जाता है। उसमें दो-दो फीट के, डेढ़-डेढ़ फीट के गड्ढे पड़े हुए हैं, आम आदमी सड़क पर जा नहीं सकता। इतनी मिट्टी और धूल उड़ती है कि लोगों की आंखें खराब हो गई, लोगों के टी.बी. हो गई। ऐसी स्थिति में यह 3 किलोमीटर सड़क पक्की बनवाई जाए और उसके पास में होते हुए नाली बनवाई जाए जिससे कि बरसात में वह सड़क नहीं टूट सके।

सभापति महोदय, करौली रोड से एक ग्राम पंचायत भंगों पड़ती है, और पन्द्रह सौ की आबादी वाले क्षेत्रों में यह प्रावधान है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत को सड़क से जोड़ा जाए। लेकिन तेली की पंसेरी होते हुए भंगों ग्राम पंचायत की सड़क आज तक अधूरी पड़ी हुई है और ग्राम पंचायत हैडक्वार्टर सड़क से नहीं जुड़ा है। यह सड़क भी बनवाई जाए। सभापति महोदय, खरेटा रोड पर एक चांगोर नदी का पुल पड़ता है जो अधूरा पड़ा हुआ है। उसके लिए 42 लाख रुपये सैंक्शन पड़े हैं लेकिन वह पुल आज तक तैयार नहीं हुआ है। उस पुल को भी बनवाया जाए। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जगरवाल के कैचमेंट एरिया में बयाना को जाने वाली सड़क पर जगनारा नदी पर बरसात का पानी आता है तो दोनों बगल से, भरतपुर से आने वाली और हिण्डौन से आने वाली सड़क का आवागमन बंद हो जाता है। ऐसी स्थिति में इस पर एक छोटे टाइप की पुलिया बना दी जाए तो यात्रियों को असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसी तरह से हिण्डौन से गंगापुर रोड पर कटकर नदी के बीच जो पांचना बांध का पानी जाता है, बरसात में उसका भी रास्ता रुक जाता है। कटकर नदी पर एक छोटा पुल बनाया जाए तो यात्रियों को असुविधा नहीं होगी।

मैं मांग संख्या-12 के बारे में भी परिवहन मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि एक बस करौली से, सपोटरा से दिल्ली को रात के 9 बजे चलती थी। लेकिन आपके अधिकारियों की मिलीभगत के कारण प्राइवेट बस वालों से पैसा लेकर रोडवेज की बस बंद करवा दी गयी। जिससे आम यात्री परेशान होता रहता है। उस बस को रात्रि के 9 बजे चलवाया जाए दिल्ली के लिए जिससे आम आदमी को असुविधा का सामना नहीं करना पड़े। आपके डिपो में जो बसें लगी हुई हैं वे जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं, आप ज्यादा से ज्यादा नई बसें दें जिससे हिण्डौन डिपो की हालत सुधर सके।

मैं एक निवेदन और आपके माध्यम से करना चाहूंगा कि हिण्डौन डिपो काफी पुराना डिपो है लेकिन बस स्टैण्ड की हालत इतनी खराब है कि न वहां कोई शौचालय है, न कोई और चीज है और न कोई टिन शेड है। जो हम लोगों ने एक नई जमीन का चयन करवाया है, उसके तुरन्त पैसे देकर आपके डिपार्टमैंट से इस बस स्टैण्ड को तो डिपो में चेंज करवाया जाए और उस आगार को दूसरी जगह शिफ्ट करवाया जाए। सभापति महोदय, हमारे यहां से कम से कम पचास बसें

(श्री भरोसी लाल)

अवैध रूप से चलती हैं और परिवहन विभाग के जो भी कर्मचारी हैं उनकी प्रत्येक बस आपरेटर से माहवारी बंधी हुई है। यदि आप सिकन्दरा और दौसा के बीच में परिवहन विभाग की चौकी स्थापित कर दें तो जो अवैध रूप से बसें चलती हैं, उनका आवागमन बंद हो जाए। इससे रोडवेज की आय में भी काफी बढ़ोत्तरी हो सकती है। मैं मांग संख्या-21 और 12 का पूर्ण समर्थन करता हूं। जय हिन्द।

श्री सभापति : माननीय श्री दिग्विजय सिंहजी।

श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा) : सभापति महोदय, मांग संख्या-21 और 12 पर आज विचार कर रहे हैं। मैं सबसे पहले माननीय मंत्री महोदय, सार्वजनिक निर्माण विभाग को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके इस वर्ष के बजट में सड़कों के रख-रखाव के लिए और राज्य में सड़कों का नया जाल बिछाने के लिए धनराशि का अच्छा प्रावधान कराया है। इसके साथ-साथ माननीय मंत्री महोदय को इस बात के लिए मैं थोड़ा आगाह करना, चेतावनी देना चाहूंगा कि उनको जो विभाग मिला है वह चुनौतीपूर्ण विभाग है। यह विभाग, मुझे क्षमा करेंगे, शुरू से ही एक आलोचना की दृष्टि से कन्ट्रोवर्शियल विभाग रहा है। कई प्रकार की इसके अन्दर कन्ट्रोवर्सीज हुई हैं चाहे प्रशासनिक तरीके को लेकर हों, चाहे इसकी कार्यपद्धति को लेकर हो या चाहे अनियमितताओं को लेकर हो। आप इन सब समस्याओं का किस प्रकार से निराकरण करके आगे सुधार कर पाएंगे, यह आपके लिए निश्चित रूप से एक चुनौती है। अभी पूर्व वक्ताओं ने, माननीय सदस्यगण ने इस बात को कहा कि कई घोटाले हुए। डामर के भी घोटाले हुए हैं, उनका कोई पता नहीं। डामर के टैंकर्स के टैंकर्स गायब हुए हैं। मुझे मालूम है, चार साल पहले, तीन साल पहले निवाई के अन्दर डामर का घोटाला हुआ जहां पर पूरा टैंकर ही गायब हो गया, वहां का वहां ही बेच दिया गया। इस प्रकार के कई घोटाले हैं। उन सब अनियमितताओं को किस प्रकार से ठीक कर पाएंगे यह आपके लिए चुनौती है।

सभापति महोदय, उन सब बातों पर मैं नहीं जाऊंगा, मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि राजस्थान के अन्दर करीब 38 हजार गांव हैं और 38 हजार गांवों में से अभी भी करीब साढ़े सत्रह हजार गांव ऐसे हैं जो रोड से कनैक्टेड नहीं हैं, वह चाहे डब्लू.बी.एम. की हो, चाहे वह टार की हो। टार का तो प्रश्न ही नहीं उठता। अभी प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यगण कह रहे थे कि उनकी सरकार ने इतना कार्य कर दिया; लेकिन हमारे 38 हजार गांव जो कुल हैं उनमें से अभी भी साढ़े सत्रह हजार गांवों में कोई सड़क की सुविधा नहीं है। सभापति महोदय, अगर आप भारत के अन्दर पूर्वी राज्यों की स्थिति देखें तो राजस्थान आखिरी नम्बर पर आता है। आज राजस्थान के अन्दर 42.6 प्रतिशत रोड का जाल है। हम आज भी सड़क के निर्माण में, या सड़कों के जाल की जो बात कह रहे हैं उसके अन्दर अन्य प्रांतों से काफी पीछे हैं।

सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा माननीय मंत्रीजी से कि आप अब जो योजना बनाएं या इस वर्ष की जो

(श्री दिग्विजय सिंह)

योजना आपकी आए उसके अन्दर आप जिलेवार परसेंटेज लें कि किस जिले में कितने परसेंट रोड का निर्माण हो चुका। जहां सैचुरेशन हो गया है या जहां 60 प्रतिशत, 70 प्रतिशत गांव भी कवर हो गये हैं, उनको अभी सैग्रेगेट करके उन जिलों को लें जहां पर कि सड़कों का काम अधूरा पड़ा हुआ है। नई सड़कों का निर्माण भी कराएं। रख-रखाव और मेंटीनेंस के लिये आपने अधिक पैसा लिया है, लेकिन सभापति महोदय, आपको मेंटीनेंस के लिये जो पैसा मिला है वह पैसा पूरा भी अगर इन सड़कों के मेंटीनेंस में लगाया जाए तो पूरा नहीं पड़ता क्योंकि सड़कें इतनी बन गईं और बनने के साथ-साथ इनकी मेंटीनेंस नहीं हो पाई। मेंटीनेंस नहीं होने की वजह से आज जितना प्रावधान आपके पास आया है, मैं समझता हूं, मंत्री महोदय, वह बहुत कम रहेगा। उसको आप किस प्रकार से पूरा करेंगे?

सभापति महोदय, इसके साथ-साथ में ठेकेदारी प्रथा के बारे में यहां चर्चा हुई। मैं समझता हूं कोई भी सरकार आओ it cannot be done, आखिर काम तो इन्हीं के माध्यम से होगा। पर इस प्रथा को आप किस तरह से अच्छी बनाएं किस प्रकार से इसको कंट्रोल करें, इसके लिए इसके जो लैकूनाज हैं उनको दुरुस्त करने के ऊपर आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। मेरा सुझाव है कि आप डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर सतर्कता समितियाँ बनाएं जिसमें जन-प्रतिनिधि भी हों। ठेका प्रथा में जिसे आप कांट्रैक्ट देते हैं, वह तो जिसका टेण्डर होगा वह ले जाएगा, पर लेने के बाद वह जो कार्य करता है और कार्य करने के बाद उसका पेमेंट वगैरह जो भी हो वह सब जिले की सतर्कता समिति जिसमें जनप्रतिनिधि हों, उसके सामने आए। तो मैं समझता हूं सतर्कता समिति के सदस्य अपने क्षेत्र में काफी घूमते हैं, वे एकदम से आपको या विभाग को पाइंट आउट कर सकते हैं कि वह कार्य ठीक हुआ कि नहीं हुआ।

इसके साथ-साथ एक सुझाव और देना चाहूंगा। आपके पास में क्वालिटी कंट्रोल विभाग भी है, अगर आप क्वालिटी कंट्रोल से पहले सर्टिफिकेट ले लें कि उस रोड की क्वालिटी सही है या नहीं है और उसके बाद उस ठेकेदार का फाइनल पेमेंट करें तो मैं समझता हूं कोई नियन्त्रण उनके ऊपर लगेगा।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : मंत्री महोदय, पार्लियामैंटरी अफेयर्स मिनिस्टर साहब का आर्डर मिल गया है, धाकड़ जवाब देना आप।

श्री दिग्विजय सिंह : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जो हिपोक्रेसी है इसे भी दूर होना चाहिये। हमारे पास स्टेट हाई-वे और नेशनल हाई-वे हैं, जो स्टेट हाई-वे हैं वे सीधे आपके नियन्त्रण में हैं और उनके ऊपर सारा रख-रखाव और खर्चा आप करते हैं। नेशनल हाई-वे का सारा पैसा गवर्नमैंट आफ इण्डिया से आता है। उसके ऊपर आपका नियन्त्रण नहीं है, पर आपके थ्रू उसका सारा कार्य होता है। मैं कह रहा हूं कि स्टेट हाई-वे जो आपके हैं, उन स्टेट हाई-वेज को यदि आप प्राइवेट वालों को दे दें जैसे कि आपने कहीं बी.ओ.टी. को दिया है, और उनको प्रोत्साहित करें तो उन सड़कों की मेंटिनेंस भी होगी और वे अच्छा काम भी करेंगे। अभी नसीराबाद से देवली तक का कार्य

(श्री दिग्विजय सिंह)

इनको दिया हुआ है, वह सराहनीय कार्य है। वहां अगर 25 रुपये टोल टैक्स के वे लेते भी हैं तो जो यात्री दस लाख रुपये की गाड़ी में बैठकर जाता है उसको 25 रुपये देने में कोई आपत्ति नहीं होगी। मंत्री महोदय, आप इसको सब जगह लागू करें, बल्कि जहां-जहां आपके इम्पार्टेंट स्टेट हाई-वेज हैं कम से कम उन जगहों पर तो कर ही दें जो कि कैपिटल से डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर को जोड़ते हैं। इस प्रथा को अगर आप ओपन करें और उन लोगों को इन्वाइट करें तो आपका खर्चा भी नहीं होगा और उस सड़क का अच्छी तरह से रख-रखाव भी हो जाएगा। सभापति महोदय, आज स्थिति यह है, मुझे क्षमा करेंगे, कि राजस्थान में जब सड़कों की बात आती है और बाहर से जो लोग आते हैं, गुजरात से आते हैं, उसमें और यहां में बहुत अन्तर है। इसलिये क्वालिटी के हिसाब से मैं आपको सुझाव दे रहा हूं। मंत्री महोदय, आप इस ओर ध्यान देते हुए निश्चित रूप से कुछ इसके ऊपर मानस बनाएं।

सभापति महोदय, मैं टोंक जिले के बारे में आपका विशेष रूप से ध्यान दिलाना चाहूंगा। टोंक जिला सड़कों के विस्तार के संबंध में बहुत ही पिछड़ा हुआ रहा है। आप अगर वहां की सड़कों की हालत देखें तो कई सड़कें तो 10-10, 15-15 साल की प्लान की सड़कें हैं और आज दिन तक उनका निर्माण नहीं हुआ। अगर हुआ है तो 20 किलोमीटर की सड़क 5 किलोमीटर की सड़क बनकर रह गई, बाकी सड़क आज भी ज्यों की त्यों पड़ी हुई है। जैसे मेरे क्षेत्र में बोसरिया से नगर गोवर्धनपुरा तक की सड़क 10-15 साल से स्वीकृत हुई पड़ी है और आज दिन तक वह पूरी नहीं हुई है। उसको आप डामरीकरण करके पूरा करवाएं तो उनियारा से देवली का रास्ता सीधा हो जाएगा और कम से कम 40 किलोमीटर का फासला कम हो जाएगा। नहीं तो घूम-फिरकर वहां जाना पड़ता है। सभापति महोदय, इसी तरह से टोंक जिले में निवाई से बौंली सड़क है वह भी चौथी पंचवर्षीय योजना की सड़क है, गोरखंडी से सिवाड़ तक की सड़क भी पुरानी योजना की सड़क है...

(16.37 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

रावली सड़क भी आज अधूरी पड़ी है। जो सड़कें जिले में अधूरी पड़ी हुई हैं, जिनके ऊपर काम नहीं हुआ उनके ऊपर आप विशेष ध्यान देकर आप उनको पूरा करवाएं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और निवेदन करना चाहूंगा, वर्तमान में 515 करोड़ के प्रावधान के अंदर आप करीब 3350 किलोमीटर सड़क का निर्माण करने जाएंगे। मैं समझता हूं एक किलोमीटर सड़क का आप निर्माण करते हैं तो उसके ऊपर औसतन करीब 3 लाख रुपये खर्चा आता है। अब इस प्रावधान के अन्तर्गत आप कितना कर पाएंगे, यह आपको सोचना है। मंत्री महोदय, सड़कों का निर्माण करें, निश्चित रूप से यह सराहनीय है, पर जैसा मैंने आपको पूर्व में कहा, आप डिस्ट्रिक्टवाइज इसको देखें कि परसेंटेज के हिसाब से किस डिस्ट्रिक्ट में कमी है, किस में ज्यादा है। जहां ज्यादा बन चुकी है वहां स्टेगर कर दें और जिस जिले में कम बनी हैं उनको प्राथमिकता देकर उस जिले में ज्यादा सड़क निर्माण करवाएं तो उत्तम होगा।

(श्री दिग्विजय सिंह)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं परिवहन मंत्रीजी से भी निवेदन करना चाहूंगा। अभी हमारे भीलवाड़ा से उनियारा होकर सवाईमाधोपुर और महावीरजी तक बस चलती थी, उस बस को अब केवल सवाईमाधोपुर ही रोक दिया गया है। आपसे निवेदन करूंगा कि इस बस को आप वापस भीलवाड़ा से उनियारा, सवाईमाधोपुर होकर महावीरजी तक चलाएं।

इसके साथ-साथ, परिवहन मंत्री जी, मैं आपको एक बात और भी निवेदन करना चाहूंगा कि खास तौर से सीकर, चौमूं इस साइड इतने अवैध वाहन चल रहे हैं कि आपकी जो रोडवेज की बसें हैं उनमें कोई बैठता ही नहीं उन जीपों में 15-15, 20-20 सवारियां बैठकर आती हैं, इससे दुर्घटना हो जाती है, निश्चित रूप से दुर्घटना होती है। आदमी मरते हैं और आपकी आमदनी भी जाती है। इसलिए वहां पर जो आपकी फ्लाइंग है उसको आप सतर्क रखें। वह इस बात पर कभी ध्यान नहीं देती बल्कि दूसरे ही धंधे में लगी रहती है। इसी वजह से यह धंधा ज्यादा पनप रहा है। आप वहां ध्यान दें और ईमानदार अधिकारियों को वहां लगायें। जो बात मैं कह रहा हूं, आप किसी रोज चले जाओ, खास तौर से होली, दीवाली इन त्यौहारों के दिनों में आपको गाड़ियां ही गाड़ियां खड़ी मिल जाएंगी। ट्रक भी रुक जाते हैं। इस तरह से अपने फ्लाइंग स्क्वाड पर आप भी चैक रखें और आपका जो रीजनल आफिसर बैठा हुआ है उसको भी हिदायत करें कि वह भी इन फ्लाइंग स्क्वाड पर जाकर चैक करे तो आपकी सही स्थिति आ जाएगी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं अधिक न कहते हुए आशा करता हूं कि माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी, मैंने जो बात कही उसके ऊपर ध्यान देंगे और हमारे जिले की और मेरे क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उनका निराकरण करेंगे। आपने मुझे समय दिया, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जयदेवप्रसाद इन्दौरिया।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया (रतनगढ़) : स्वास्ति पंथा : क्योंकि अभी सदन में मांग संख्या-21 और 12 पर विचार चल रहा है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दोनों माननीय मंत्री महोदय का मेरे क्षेत्र की समस्याओं के बारे में ध्यान आकर्षित करूंगा। वैसे तो चूरू की सड़कें स्वीकृत थीं उनको निरस्त करना था, लेकिन साथ-साथ मेरे रतनगढ़ क्षेत्र की सड़कों का भी निरस्तीकरण कर दिया गया और उसका कारण यह बताया गया कि वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है। तो बिना पैसे के तो कोई काम होता नहीं है, क्योंकि नीति कहती है—

यस्याति वित्तम् सनरकुलिनः
सपण्डित स श्रुतवान गुणज्ञ।
स एव वक्ता सच दर्शनीय
सर्वेगुणा कांचनमाश्रयन्ति॥

सब गुण जो हैं वे कांचन माश्रयन्ति, पैसे से हैं और पैसे की अभी कमी है इसलिए चूरू और रतनगढ़ की स्वीकृत सड़कों को निरस्त कर दिया गया है। उनको वापस करना है, नहीं करना है, यह विभागीय काम है, मैं माननीय मंत्री जी पर छोड़ देता हूं। नहीं, कहने की जरूरत ही नहीं है, वह तो होगा अपने आप क्योंकि सड़कों के मंत्री जी बहुत सुशील, सभ्य, शिष्ट और ईमानदार व्यक्ति हैं।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : तभी तो हमने जवाई बनाया है इनको हमारा।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : आपका जवाई होने का इनको अहोभाग्य है। मैं इस सदन में जो कुछ कहूंगा सत्य कहूंगा। अभी जो मंत्रिमण्डल है राजस्थान का, उनमें से एक-दो मंत्रियों को छोड़कर सब अपने काम पर ध्यान दे रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं और काम को समझने की चेष्टा कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय सदस्य, आप समय पर सत्य बोलते हैं।

डा. जसवन्त सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, अकर्मण्य दो मंत्रियों का नाम तो बता दें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कुल दो मंत्रियों का ही है जो काम ठीक नहीं करते, सुनते नहीं और गड़बड़ कर रहे हैं। उनका नाम भी आज खोल ही दो।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य और वित्त मंत्री के लिए जो कुछ भावना है आज खुलकर कह ही दो।

श्री दिग्विजय सिंह : क्या वे आपकी संगत में हैं?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री दिग्विजय सिंह : आपकी संगत में हैं, वे तो।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : उपाध्यक्ष महोदय, आप मेरे को कहोगे कि टाइम ज्यादा ले लिया, मुझे ज्यादा नहीं लेना, यह टाइम ऐसे ही जा रहा है। नाम इसलिए सदन में नहीं बताऊंगा कि मैंने विधिवत उनको नोटिस नहीं दिया है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : मुझे अपने कर्तव्य का भान है और उसी हिसाब से मैं बोलता हूं। लेकिन मुख्य मंत्री जी यदि मुझे पूछेंगे तो मैं उनको एकांत में नहीं बताऊंगा, उन मंत्रियों के साथ बताऊंगा। किसी की निंदा करना मेरा स्वभाव नहीं है इसलिए जो कुछ मैं कहता हूं मुंह के ऊपर ही कहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य महोदय, डिमाण्ड सड़क की और ट्रांसपोर्ट की है, मंत्रियों की नहीं है।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : वह तो ऐसा है कि बीच में ये सम्मानित सदस्य बोल गये इसलिए मुझे उत्तर देना पड़ा।

श्री उपाध्यक्ष : आप अपनी बात कहें।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : अब मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। सड़कों के मामले में...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जिनका नाम लेना चाहते हो उन मंत्रियों को इंगित कर दो।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सिर्फ विधान सभा क्षेत्र के नाम से बता दें और खुद के मंत्री के लिए...(व्यंवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : देखिये, कितने चिन्तित हो रहे हैं।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : पण्डित जी, राठौड़ साहब का आप पूरा ध्यान रखना,

(श्री नरेन्द्र सिंह भाटी)

बड़े शातिर हैं ये फसांएंगे आपको। आपको वित्त मंत्रीजी की गरज है क्योंकि वित्त मंत्री जी पैसा रिलीज करेंगे तब ही अपने काम होंगे। इनके चक्कर में मत आओ आप।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : यह तो राठौड़ों पर आपने एक आक्षेप कर दिया। यह बहुत बुरी बात है, भाटी साहब। ऐसा मत किया करो आप।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : शातिर वर्ड का मतलब भी समझते हो?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : एक्सपर्ट हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा पाइंट आफ आर्डर है।

श्री उपाध्यक्ष : कोई पाइंट आफ आर्डर नहीं है, आप विराजें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अभी इंगित करके (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : वह तो एक-दूसरे को आप अच्छी तरह से समझते हो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत गम्भीर आक्षेप है, शातिर कहा है मुझे।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, कोई आक्षेप नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, शातिर मतलब मेरे जैसे व्यक्ति को।

श्री उपाध्यक्ष : यह तो कम्प्लीमैंट है।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : तो मैं क्या मूर्ख कहूं आपको? कमाल है।

श्री उपाध्यक्ष : यह तो कम्प्लीमैंट है, विराजो। माननीय सदस्य।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : राठौड़ साहब, आपकी चूरू की सड़कों के कारण तो मेरी सड़कें निरस्त हो गयीं। अब जैसे कि मुझे मालूम है...

डा. किरोडी लाल : इन्होंने कहा था कि सड़क तो कट रही थी चूरू की और कट गयी मेरी, आप इनसे यह तो पता कर लो कि आखिर में चूरू की सड़क क्यों कट रही है। इनसे पूछे न आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मंत्रीजी, आप इसका भी उत्तर देंगे। ऐसा क्या गुनाह कर लिया कि आप चूरू पर इतने कुपित हैं? आप राजनीतिक भेदभाव इतना रखते हैं कि एक ब्रह्मतुल्य व्यक्ति यह बात कह दे सदन के अन्दर कि कटनी तो थी चूरू की और काट दी रतनगढ़ की। मैं निवेदन करना चाहता हूं मैं मांग करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी से कि कृपया रतनगढ़ की सड़कों की तुरन्त स्वीकृति जारी करें, चूरू की सड़कों की तुरन्त जारी करें, वरना मैं और रतनगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य सड़क पर चलकर और गांव-गांव में जाकर खिलाफ आन्दोलन चलाएंगे।

श्री हरिसिंह (महुवा) (सरकारी मुख्य सचेतक) : आपने भाभड़ा साहब को तो सड़क पर चला दिया, इनको क्यों चला रहे हो?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : मैं आपके साथ कभी नहीं आऊंगा।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त करने दें न उनको आप।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री हरिसिंह (महुवा) (सरकारी मुख्य सचेतक) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि सदन का समय आज की मांगें पारित होने पर बढ़ाया जाए?

श्री उपाध्यक्ष : समय बढ़ाया गया।

मांग संख्या-21 एवं 12 पर विचार

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : मेरे क्षेत्र की सड़कों की हालत बहुत शोचनीय है। जो सड़कें टूटी-फूटी पड़ी हैं उनका जीर्णोद्धार किया जाना नितान्त आवश्यक है। मंत्रीजी अगर चाहें तो मैं उन सड़कों का यहां वर्णन कर सकता हूं और यदि वे चाहें तो मैं उनको लिखकर दे सकता हूं, जैसे उनकी सुविधा हो।

सड़क का और यातायात का घनिष्ठ सम्बन्ध है और यह संयोग की बात है कि आज दोनों ही मांगें एक साथ पारित होने जा रही हैं। सड़क ठीक होगी तो यातायात की व्यवस्था भी ठीक होगी। मैं यातायात मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि नेशनल हाई-वे नम्बर 11, आगरा से बीकानेर वाया जयपुर, सीकर, रतनगढ़, रतनगढ़ से आगे राजलदेसर एक बहुत बड़ा कस्बा है, नगरपालिका क्षेत्र है, पहले वहां रोडवेज की बसें राजलदेसर के अन्दर बने बस स्टैण्ड तक जाया करती थीं। लेकिन राजनीतिक दुर्भावना के कारण उन बसों को राजलदेसर के अन्दर जाने से बन्द कर दिया गया। जिससे वहां के यात्रियों को बड़ी कठिनाई होती है। रात्रि के अन्दर महिलाएं बच्चों के साथ नेशनल हाई-वे के ऊपर उतार दी जाती हैं। फिर उनको वहां से अन्दर जाने के लिये कोई वाहन उपलब्ध नहीं होता, उस स्थिति में कई अप्रिय घटनाएं घटित हो गयीं। वे घटनाएं पुनः घटित न हों उसके लिये मेरा विनम्र निवेदन है यातायात मंत्रीजी से कि जयपुर से बीकानेर और बीकानेर से जयपुर आने-जाने वाली बसों को राजलदेसर कस्बे के अन्दर से होकर जाने के आदेश प्रदान करें। यही मुझे कहना है।

पी. डब्ल्यू. मिनिस्टर ने तो कह ही दिया कि लिखकर दे देना, मैं दे दूंगा। मेरा विश्वास भी है उन पर। जयहिन्द।

श्री छोगाराम बाकोलिया (यातायात मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की जो मांग है, मैंने उसके लिये निर्देश दे दिये हैं।

श्री उपाध्यक्ष : बहुत-बहुत धन्यवाद। श्री अमरा रामजी।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : क्या कहा, मैंने सुना नहीं, मुझे सुनाई नहीं दिया, साहब।

श्री छोगाराम बाकोलिया : माननीय, पुराने सदस्य हैं। इनकी एक मांग है तो राजलदेसर के थ्रू जयपुर से बीकानेर जाने वाली जो बसें हैं वे उस बस स्टैण्ड से होकर जाएंगी। यह निर्देश मैंने आज ही उनके सामने ही दे दिये थे और उसकी पालना हो जाएगी।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : बहुत-बहुत धन्यवाद आपको।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय अमरा रामजी।

श्री महादेव सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इसी सन्दर्भ में एक बात कहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, ऐसे नहीं बोलते हैं।

श्री महादेव सिंह : इसी संदर्भ में एक निवेदन है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : ऐसे बोलते नहीं हैं, आप विराजिए, प्लीज।

श्री अमराराम (धोद) : उपाध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या-21—सड़क एवं पुल और 12-परिवहन पर चर्चा है। उपाध्यक्ष महोदय, सड़कों के मामले में राजस्थान की जो हालत है, चाहे हरियाणा से राजस्थान में घुसें या चाहे गुजरात से राजस्थान में घुसें, ज्योंही राजस्थान की सीमा में घुसते हैं, यात्रा करने वाले यात्री को पता लग जाता है कि राजस्थान में प्रवेश कर गये, चाहे आप कहीं से भी घुस जाएं। यह हालत लगातार होती जा रही है। अगर नेशनल हाई-वे को छोड़ दें तो बाकी चाहे वे स्टेट-हाई-वे हों, चाहे डिस्ट्रिक्ट रोड हों, ग्रामीण रोड की तो बात ही छोड़ दें, इनकी जितनी बुरी हालत आज सरकार बदल गयी लेकिन सड़कों की हालत अभी 4 महीने में नहीं बदली।

उपाध्यक्ष महोदय, वह हालत इसलिये है कि उनकी गुणवत्ता बहुत खराब है। नेशनल हाई-वे नम्बर–11, पर रींगस बाई-पास पर ओवर-ब्रिज बनाया गया और बनने के 6 महीने बाद पूरी सड़क टूट गयी। जो ठेकेदार हैं, वे इतने पावरफुल हैं कि जब इनका राज था, इनके 4 मंत्रियों को घर पर बुलाकर अभिनन्दन कर दिया और जब राज बदल गया तो राज के बदले हुए 4 मंत्रियों को अपने घर पर बुलाकर अभिनन्दन कर दिया।

डा. किरोड़ी लाल : संख्या 4 ही रही। पहले भी 4 थे, अब भी 4 हैं।

श्री अमराराम (धोद) : सड़क चार नहीं हैं, मंत्री 4 हैं। तो आज जो हालत है उसमें क्वालिटी मेन्टेन होनी चाहिए। हम डी.आर.डी.ए. की मीटिंग में, पी.डब्ल्यू.डी. के अधिकारियों से डामर सड़क की बात करते हैं, एक किलोमीटर की सड़क बनाने में राजस्थान की जनता का 8 से लेकर 10 लाख रुपया खर्च होता है। फिर 6 महीने के बाद में सड़क टूट जाए उसके लिये जिम्मेदार कौन है? न वह अधिकारी है, न वह ठेकेदार है। मैं नहीं समझता कि 91 करोड़ से 185 करोड़ रिन्युअल के लिये किया है, वह पैसा, सही सलामत सड़क पर पहुँच जाए। यह व्यवस्था अगर विभाग कर ले तो मैं समझता हूं कि खड्डे बूर सकते हैं, वरना पूरे नहीं होंगे। उससे खड्डे बढ़ेंगे कोई रोकने वाला नहीं जैसी कि विभाग की हालत है, चाहे वे नई में हो, चाहे वे पुरानी में हों।

उपाध्यक्ष महोदय, आज हालत यह है कि विभाग में उच्चाधिकारियों और चीफ इंजीनियर्स का तो बड़ा अमला खड़ा कर दिया गया लेकिन सड़क को मेन्टेन करने के लिये, उसकी साइड ठीक करने के लिये, जो भी कर्मचारी थे, बेलदार थे, उनकी संख्या विभाग में लगातार घटती जा रही है। कहीं नये अपाइंटमैंट नहीं। जो कुछ बचे हैं वे केवल अधिकारियों के घरों पर सेवा करने का काम करते हैं, सड़क को ठीक करने का और साइड ठीक करने का काम नहीं करते हैं। मंत्रीजी, आप कहीं भी जाकर देख लीजिए, पहले तो वे कम हो गये, और जो कुछ बचे हैं वे केवल अधिकारियों के घरों पर उनकी सेवा करने का काम करते हैं। कहीं भी राजस्थान में आप जाएंगे, सड़क पर साइड ठीक करते हुए या सड़क को मेन्टेन करते हुए मुश्किल से मिलेंगे।

(श्री अमराराम (धोद),

मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा, आपने जो यह विवरणिका दी है, इसमें सबसे ज्यादा भेदभाव आज तक हुआ है वह सीकर और नागौर के साथ हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, 1991 की जनसंख्या में 1500 से अधिक की आबादी के जो गांव अनकनैक्टेड हैं, जो आपने लिस्ट दी है 32 जिलों की उसमें सबसे ज्यादा सीकर और नागौर के गांव हैं। 97 सीकर में अनकनैक्टेड हैं और नागौर में 99 अनकनैक्टेड हैं। 1000 से 1500 के बीच की आबादी के गांवों में 32 जिलों में सबसे ज्यादा अनकनैक्टेड गांव हैं, सीकर में 122 और नागौर में 179। 1000 से कम के हैं वे नागौर में 278 हैं और सीकर में 279 हैं।

पिछले 50 साल में सड़कों पर इतना पैसा खर्च किया है, क्या इन दो जिलों ने गुनाह किया है कि इनके गांव सबसे ज्यादा अनकनैक्टेड हैं? आज सीकर जिले में तो यह हालत है कि नेशनल हाई-वे नम्बर-11 को छोड़कर चाहे डिस्ट्रिक्ट रोड हो, चाहे स्टेट हाई-वे हो, जरा-सी बरसात हो जाए तो स्टेट-हाई-वे नम्बर-25 बंद हो जाता है और 6-6 घण्टे तक शुरु नहीं होता जब तक कि बरसात बंद नहीं हो जाती। कोई भी सड़क चलने लायक नहीं। और ग्रामीण सड़कों की तो हालत यह है कि खड्डे ही खड्डे हो गये। दूसरा रास्ता है नहीं और उससे चल नहीं सकते हैं। जब भी आज रिन्यूअल का

(17.00 बजे)

काम करेंगे तो सबसे पहले स्टेट हाई-वे फिर डिस्ट्रिक्ट रोड और सबसे आखिर में ग्रामीण सड़कें आएंगी। तब तक जाते-जाते आपका बजट समाप्त हो जाएगा। 77 प्रतिशत लोग गांवों में रहते हैं, लेकिन पचास साल की आजादी के बाद आज भी 17,500 गांव कनैक्ट नहीं हुए हैं और जो किसी भी तरह से कनैक्ट हुए हैं उनकी रिन्युअल में सबसे आखरी प्रायोरिटी है। जिन गांवों को भी सड़क से कनैक्ट किया जाता है, आधे से ज्यादा गांव ऐसे हैं, उपाध्यक्ष महोदय, जोड़ते जहां कहीं आधे किलोमीटर दूर सड़क को छोड़ दिया, कहीं एक किलोमीटर दूर छोड़ दिया। आपने 15 लाख, 20 लाख या 50 लाख रुपये लगाये हैं, लेकिन जब तक गांव के बीच तक सड़क नहीं जाएगी, उस सड़क का उपयोग नहीं हो सकता है। मैं विधान सभा क्षेत्र धोद की बात करना चाहूंगा। मैं आपको ऐसी सड़कें गिना सकता हूं जिनको स्वीकृत हुए तीन साल हो गये, चार साल हो गये, लेकिन आज तक वे पूरी नहीं हुई हैं यह विभाग बड़े-बड़े ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए है कि अपना कमीशन ठीक से आ जाए, उनको सड़क बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। पांच-पांच और सात-सात सड़कों को मिलाकर एक कलस्टर बना दिया जाता है। ठेके की यह व्यवस्था रही है कि बड़े ठेकेदारों के माध्यम से उनका कमीशन अच्छी तरह से आता रहे, उनको बैनिफिट पहुंचता रहे। वरना छह सड़कों पर कलस्टर बनाकर एक ठेकेदार को देने की कहां आवश्यकता है? अगर छोटे ठेकेदार को मिलेगा तो छह जगह एक साथ काम शुरू हो सकता है और काम भी ठीक होगा। बड़े ठेकेदार हैं उनकी बड़े लोगों से पहुंच है इसलिए कलस्टर के रूप में यह व्यवस्था की है। मैं समझता हूं कि यह व्यवस्था न जनता के हित में है और न विभाग के हित में है। चाहे वह बिड़ोली

(श्री अमराराम (धोद)

की सड़क हो, चाहे मोरडूंगा की सड़क हो, क्लस्टर के अन्दर थी, जिसमें फायदा होता था, वे सड़कें तो उन्होंने बना दीं और जिनमें लागत ज्यादा आती थी वे छोड़कर चले गये। चार साल हो गये, आज तक नहीं बनायी। सांवली से धायलान लो। अभी निम्बाहेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य एक हजार के लिए कह रहे थे, आज सीकर में हालत यह है कि इनकी पापुलेशन 3500 से ज्यादा है, पंचायत हैडक्वार्टर है, लेकिन आज तक वे सड़क से नहीं जुड़ पाये हैं। किसी तरह से लड़-झगड़कर अगर स्वीकृति निकल गयी तो वह कार्यरूप में परिणत नहीं हुई। उपाध्यक्ष महोदय, पुरांछोटी लिस्ट में दी है आपने, 1991 की गणना में एक हजार से ज्यादा की आबादी है 1400 की आबादी है, मुश्किल से सड़क स्वीकृत हुई लेकिन इसीलिए उसको रोक दिया गया कि भारतीय जनता पार्टी के ब्लाक अध्यक्ष की ढाणी से जानी चाहिए थी। चार साल से स्वीकृत है लेकिन गांव वालों को इसलिए फायदा नहीं पहुँचा कि उनकी ढाणी को जोड़ने के लिए छह किलोमीटर सड़क बने और पुरांछोटी के लोगों को सात किलोमीटर का चक्कर काटकर आना पड़ा। इसका पूरे गांव ने जब विरोध किया तो मंत्रीजी ने यहां लाकर रख दी फाइल। सरकार बदलने के चार महीने बाद भी मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वह फाइल शायद आज भी यहीं पर है, वापस सीकर नहीं पहुँची है। चार साल पहले जो भी उस पर स्वीकृत राशि थी आज चार साल के बाद में करेंगे, उसमें वह पूरी नहीं होगी और अधूरी छोड़कर आ जाएंगे। उपाध्यक्ष महोदय, डब्ल्यू.बी.एम. तक बना दी, तीन बरसात निकल गयीं। पूरी टूट गयी। उसको ठेकेदार नहीं बनाते कैसा जटिल प्रोसीजर बना रखा है? हम अधिकारी से जब भी मिलते हैं तो

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

ठेकेदार को नोटिस दिया है। ठेकेदार को नोटिस पर नोटिस देते रहते हैं। अब फिर दे देते हैं। क्या प्रोसीजर है? कोई भी ठेकेदार अगर समय पर काम नहीं करता है तो उस पर पैनल्टी, केवल पैनल्टी से काम नहीं चलने वाला है। जितनी पैनल्टी लगाते हैं, उससे ज्यादा जनता का पैसा समय निकलने के कारण से, महंगाई बढ़ने के कारण उस सड़क पर लग जाता है तो केवल पैनल्टी से काम नहीं चलेगा। (व्यवधान)...

श्री देवीलाल बैरवा (शाहपुरा) : उनकी सिक्योरिटी जो लेते हैं, वह रोक लेते हैं। (व्यवधान)

श्री अमरा राम (धोद) : देवीलालजी, सिक्योरिटी से कोई फर्क उनको नहीं पड़ता है। 25 हजार, 50 हजार रुपये सिक्योरिटी के काटेंगे और राजस्थान की जनता को कई लाख रुपये का नुकसान हो जाएगा। केवल सिक्योरिटी से काम नहीं चलता है। उपाध्यक्ष महोदय, अगर कम्पेरीजन करें तो आपका पी.डब्ल्यू.डी. जिसके पास सब एक्सपर्ट हैं, वह सड़क बनाएगा उससे आधी कीमत पर ग्राम पंचायत बना देगी और उनसे बढ़िया सड़क बना देगी। उपाध्यक्ष महोदय, डामर की सड़कों पर तो रिपेयर का आपका प्रोविजन है, कुछ करते भी हैं, जिस तरह भी है, लेकिन जो सड़कें गांव में ग्रेवल और मैटल की बनी हुई हैं, आप उनको भी प्रायोरिटी पर बनाने का काम करें। ग्रेवल सड़क, चाहे वह अकाल

(श्री अमरा राम (धोद))

राहत में बने, चाहे वह सुनिश्चित रोजगार योजना में बने, किसी भी योजना में बने लेकिन उसको मेंटिनेंस का शायद विभाग में अभी तक कोई प्रोविजन नहीं है। इतने खड्डे पड़ जाते हैं कि ग्रामीण इलाकों में जो ऊंटगाड़ी, पशुओं के जाने का रास्ता है, वह रास्ता ही अवरुद्ध हो जाता है। दूसरा रास्ता होता नहीं है, और उससे चल नहीं सकते हैं। इसलिए एक समयानुसार उनकी भी मेंटिनेंस करने की कि खड्डे नहीं हों, आराम से जा सकते हों, ऐसी व्यवस्था निश्चित रूप से करनी चाहिए।

परिवहन विभाग की हालत भी वही है जो सड़कों की हालत है। परिवहन मंत्रीजी रोड टैक्स लेने की बात करते है, लेकिन इनके विभाग की तो हालत यह है, ऐसी अन्धेरगर्दी है कि स्कूटर के कागज को बस का कागज बना दें। जिसके दोनों हाथ या दोनों पैर नहीं हैं, उसको ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता है। कोई भी राजस्थान का ट्रांसपोर्ट का आफिस चाहे वह डी.टी.ओ. हो चाहे आर.टी.ओ.हो...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त करिये।

श्री अमरा राम (धोद) : उपाध्यक्ष महोदय, उसके सामने एजेन्ट के रूप में सैकड़ों लोगों को राजस्थान की जनता को चीट करने के लिए खुली छूट ट्रांसपोर्ट विभाग ने आज दे रखी है। चाहे उसको आंख से नहीं दिख रहा हो लेकिन उसने पैसा दे दिया तो निश्चित रूप से उसका ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा।

रोडवेज राजस्थान का सबसे बड़ा साधन है लोगों को रोजगार देने के लिए भी और परिवहन के लिये उसको जो घाटा पहुँचा रहे हैं वह है कांट्रेक्ट कैरिज ट्रांसपोर्ट करने को तो आप उसको कांट्रेक्ट कैरिज कह दें लेकिन उसकी आज यह हालत है कि राजस्थान की राजधानी के सिंधी कैम्प के अलावा राजस्थान भर से एक ही स्थान से नहीं, बीच से भी सवारियां उठाती हैं, आप इनको नहीं रोक सकते। जितने भी एक्सीडेंट के केसेज हैं, अगर सबसे ज्यादा जनहानि एक साल के अन्दर कोई करती हैं तो ये आपकी वीडिया कोच बसें करती हैं। क्योंकि वे ऐसे लोगों को रखते हैं–जिनको बस चलाने का एक्सपीरिएंस नहीं है। सस्ते से सस्ते ड्राइवर हैं और 90 और 100 की स्पीड से चलाते हैं। जब भिड़ जाती है तो एक दर्जन आधा दर्जन से कम लोगों की जान नहीं लेती है। आपने जो तीन करोड़ रुपये का बताया कि दो अभियान में चालान का विभाग ने वसूल किया है, अगर यातायात मंत्रीजी, आप इसका विश्लेषण करेंगे तो उन वीडिया कोच पर पैनल्टी इसमें नाम मात्र की है। यह उन लोगों से वसूल किया गया है जो आज गांव में साधारण से साधारण छोटे से छोटा आदमी है। गांव में जीप मिल जाएगी, कोई भी गांव का आदमी अपने पर्सनल काम से उस जीप से जाएगा। उनको सबसे ज्यादा पकड़ा है इन्होंने जीप से किसी जगह जा रहा है, किसी अपने सम्बन्धी के यहां पर जा रहा है, पकड़ लिया आपने और 14000-14000 रुपये पैनल्टी। जो अवैध रूप से सवारियां उठाती हैं उनसे तो लें, उनको रोकें। आपके विभाग ने जो तीन करोड़ रुपये से खजाना भरने की बात की है उसमें सबसे बड़ा भाग उन ग्रामीण लोगों का है जो अपने काम के लिए जीप लेकर जाते हैं, उनसे चौदह-चौदह हजार रुपये लिये हैं। वीडियो कोच का दस परसेंट भी

(श्री अमराराम) (धोद)

नहीं है क्योंकि तमाम वीडियो कोच या तो प्रभावशाली अधिकारियों की हैं या राजनेताओं की हैं। किसी डी.टी.ओ. की औकात नहीं हैं कि उन पर हाथ डाल दे।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त कीजिये।

श्री अमराराम (धोद) : बस, अभी समाप्त कर रहा हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, जिस दिन हाथ डाल दे दूसरे दिन वह वहां नहीं रहेगा। इसलिए दो तरफ से चूना लगाने का काम वीडिया कोच कर रही हैं। आर्थिक रूप से तो लगा ही रही हैं लेकिन जनहानि करने में सबसे ज्यादा लगा रही हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि...(व्यवधान)...

श्री छोगाराम बाकोलिया : इनको बन्द कर दें क्या? आर.टी.ओ. बन्द कर दें क्या?

श्री अमराराम (धोद) : बन्द करने लायक ही है, जब ऐसे ही काम करो तो।

श्री छोगाराम बाकोलिया : अभी नया आर.टी.ओ. आपके यहां खुलवा रहे हैं, आप कहो तो बन्द कर दें। नहीं तो...(व्यवधान)...

श्री अमराराम (धोद) : नहीं, पूरों को ही बन्द कर दो, राजस्थान में आप।

श्री छोगाराम बाकोलिया : उपाध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो कह रहे हैं कि अवैध जीपों को रोका जाए, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि बसों को भी रोका जाए। एक तरफ तरफदारी कर रहे हैं। अगर प्राइवेट बसें यात्री ले जाती हैं, तो डैफिनेटली उन पर चार्ज लगेगा ही। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : यातायात मंत्रीजी, आप उत्तर देते वक्त इतना बता देना कि आपने ये तीन करोड़ रुपये के जो विशेष अभियान चलाये इनमें वीडियो कोच पर कितनी पैनल्टी है और जो साधारण लोग एक गांव से दूसरे गांव अपने पर्सनल काम से जीप से जाते हैं उन पर कितनी हैं? यह बता दें, इससे स्पष्ट हो जाएगा कि आपके विभाग की कार्यक्षमता कैसी है। मैं यह नहीं कहता कि आप अवैध वाहनों को नहीं पकड़ें। लेकिन अवैध वाहन, जो राज्य की आय को सबसे बड़ा चूना लगाते हैं और जनहानि करते हैं, उनको न आपका विभाग पकड़ सकता है और मैं समझता हूं न आपकी कैपेसिटी है। वरना राजस्थान की राजधानी से तो हजारों बसें राजस्थान के हर शहर के लिये और जिला हैडक्वार्टर के लिये जाती हैं और आप कहते हैं उनको हम पकड़ नहीं सकते। हर शहर में काउंटर लगे हुए हैं। पोस्टर लगे हुए हैं सिन्धी कैम्प के दो किलोमीटर में। शाम को 8 बजे से 11 बजे तक आप सिन्धी कैम्प बस में बैठने जाओ, अटैची आपके हाथ में हो तो चार दफा उनसे छुड़ाकर सिन्धी-कैम्प पहुँचना पड़ता है और आपका ट्रांसपोर्ट कमिश्नर यहां बैठे, आर.टी.ओ. यहां बैठे उनको वे बसें दिखाई नहीं दे रही हैं। इससे स्पष्ट है कि अवैध वाहन रोकने की मंशा नहीं है। केवल जो छोटे लोग हैं, उनसे जबरदस्ती वसूल करने का काम आपका आर.टी.ओ. आफिस करता है। आपका आर.टी.ओ. आफिस लाइसेंस चैक नहीं करता। जहां भी चैक करने, वसूली करने जाते हैं बीस-बीस ट्रकों की एक साथ लाइन राजस्थान के अनेक हिस्सों में देखते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं आपसे यही निवेदन करना चाहूंगा, रोडवेज के अलावा, जो ग्रामीण

(श्री अमराराम) (धोद)

इलाकों में प्राइवेट बसें चलती हैं, यातायात मंत्रीजी, उनकी हालत क्या है? 1947 में देश और राजस्थान आजाद हुआ, उनकी बसें आजादी से पहले की चल रही हैं। आपके कागज बनते हैं, मॉडल वही है लेकिन क्या हालत है उनकी? 35 सीटर है और 100-100 सवारी आती हैं। राजस्थान के 77 प्रतिशत लोगों के लिए यह ट्रांसपोर्ट व्यवस्था है आपकी। दूसरे, जयपुर शहर की यातायात व्यवस्था इतनी जर्जर है कि जो प्राइवेट मिनी बसें चलती हैं, वे आदमी को आदमी नहीं समझते।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, समाप्त कीजिये। श्री त्रिलोक पुर्बिया।

श्री अमराराम (धोद) : आप और हम तो उसमें नहीं जाते, लेकिन शहर में जो कमजोर वर्ग है, उनको जाने के लिये जो व्यवस्था है (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, समाप्त कीजिये।

श्री अमराराम (धोद) : उसको सुधारने की व्यवस्था करेंगे। मैं यही बात कहते हुए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपको धन्यवाद देते हुए मेरी बात समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री त्रिलोक पुर्बिया।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी (ओसियां) : मैं मुख्य सचेतक जी की परमिशन ले लेता हूं, सिर्फ दो सुझाव देने हैं।

श्री उपाध्यक्ष : इनको कॉल कर लिया, इनके बाद बोल लेना।

श्री त्रिलोक पुर्बिया (उदयपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यान दक्षिण राजस्थान के एक महत्वपूर्ण नगर उदयपुर की ओर आकर्षित करना चाहूंगा जहां की आबादी पांच लाख से भी अधिक है। उदयपुर नगर राजस्थान का कश्मीर कहलाता है जहां देश-विदेश के हजारों पर्यटक रोज आते हैं। पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान उदयपुर शहर की सड़कों की यह दुर्दशा हुई है कि आये दिन दुर्घटनाएं होती हैं और काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जगह-जगह खड्डे हो गये हैं उनकी रिपेयरिंग ठीक से नहीं हो पा रही है। अभी सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी ने मांग संख्या–21 के तहत जो प्रस्ताव रखा, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। साथ ही उनसे मांग करता हूं कि उदयपुर नगर की समस्त सड़कों को पेवर के रूप में बदला जाए और पेवर कराकर इन सड़कों की दुर्दशा सुधारी जाए।

साथ ही, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करूंगा कि उदयपुर शहर मेवाड़ की एक ऐतिहासिक धरोहर है। इस शहर में कई ऐतिहासिक देवालय भी हैं। उनमें से एक महत्त्वपूर्ण स्थल अम्बा माता का क्षेत्र है, जहां अम्बा माता का प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है। यहां नगर से व और देश-प्रदेश से पर्यटक आते हैं। नगर की जनता के आने-जाने के लिये पास में एक अम्बापोल का पुल बना हुआ है, वह ऐतिहासिक पुल है। पुल की दशा जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है और आये दिन वहाँ दुर्घटना होती रहती है। मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है इस पुल की वाइंडिंग कराकर ठीक से इसकी मरम्मत करायी जाए। इसी क्षेत्र से जुड़ा हुआ अम्बा माता का क्षेत्र बहुत विशाल है जिसमें एक महाकालेश्वर का मंदिर भी है। वहाँ काफी धार्मिक नागरिक आते-जाते हैं।

(श्री त्रिलोक पुर्बिया)

यह अम्बा माता का विशाल क्षेत्र कालोनी के रूप में बसा हुआ है और लोगों के आने-जाने के लिये यह एक ही पुल है। इस पुल की मरम्मत कराकर इस क्षेत्र की जनता को और नागरिकों को सुविधा प्रदान करें।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से उदयपुर शहर में यातायात व्यवस्था की ओर, मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। इन दिनों में शहर में काफी आवक-जावक होने की वजह से और नगर की आबादी बढ़ने की वजह से काफी यातायात की अव्यवस्था हो रही है। इसके लिये मेरा सुझाव है कि शहर में तीन-चार फ्लाई ओवर का निर्माण कराया जाए, ताकि राह में चलते हुए लोगों को आने-जाने में सुविधा मिले। टू व्हीलर, थ्री व्हीलर और फोर व्हीलर के चलने से राह चलते हुए राहगीरों को काफी परेशानी होती है। इसलिए मेरा निवेदन है कि उदयपुर शहर के घनी आबादी क्षेत्र जो डैलीकेट स्थिति वाले क्षेत्र हैं, जहां पर काफी भीड़ रहती है और लोगों को परेशानी रहती है, उनमें एल.आई.सी. की बिल्डिंग से लेकर बापू बाजार में प्रवेश करते हैं वहां तक एक फ्लाई ओवर बनाया जाए। यातायात को डाइवर्ट करके जनता को सुविधा प्रदान की जाए। ठीक इसी तरह सेवाश्रम चौराहे से जहां मधु नर्सरी बनी हुई है, फ्लाई ओवर बनाकर यातायात को डाइवर्ट करने के लिये मेरा अनुरोध है। एक लम्बे समय से ऐसी स्थिति चलती आ रही है, आज...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : माननीय उपाध्यक्ष, महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि उदयपुर शहर में पी.डब्ल्यू.डी. की कितनी लम्बाई की सड़कें हैं तथा नगर परिषद की कितनी सड़कें हैं? उनकी लम्बाई बता दें तो ठीक रहेगा।

श्री त्रिलोक पुर्बिया : नगर परिषद का उल्लेख न करें तो ठीक रहेगा।

श्री मदन दिलावर : कितनी सड़कें नगर परिषद की हैं?

श्री त्रिलोक पुर्बिया : भाजपा के शासन में, और नगर परिषद में भी भाजपा है, शहर की सड़कों को और नागरिकों को परेशान कर रखा है। इसलिए मैं...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : सारी सड़कें नगरपालिका की हैं, माननीय सदस्य।

श्री त्रिलोक पुर्बिया : नगरपालिका यदि ठीक से काम कर लेती तो मुझे यहां आने का अवसर ही नहीं मिलता। उदयपुर के नागरिकों ने मुझे यहां इसलिए भेजा है कि उदयपुर के नागरिकों की तकलीफों में, उनकी भावना के अनुरूप काम नहीं किया। इसलिए तो मुझे यह अवसर मिला है उदयपुर से आने का। यहां मुझे बोलने में भी आप टोक रहे हो, इससे लगता है कि जोर से बोलो, जोर से बोलो, चिल्लाओ, इस तरह की भाषा अपनाने वाले लोग यहां भी रोड़ा अटकाना चाहते हैं। आपके कृत्य से यह स्थिति हुई है, जो सिमट कर 33 रह गये हैं। क्षमा करें, मुझे, मुझे अवसर मिला है अपनी बात कहने का। जब आप बोल रहे थे मैं शांति से सुन रहा था। आपको गम्भीरता से सुनने की आवश्यकता है। आप रोड़ा अटकाने में प्रवीण हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अपनी बात कहिये। (व्यवधान) पहली दफे आये हैं। पी.डब्ल्यू.डी. फ्लाई. ओवर तो बना ही सकती है न।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : परसों नगरपालिका की बात आएगी तब कह दें।

श्री उपाध्यक्ष : फिर कह देंगे, रिपीट कर देंगे।

श्री त्रिलोक पुर्बिया : नगरपालिकाओं से सम्बन्धित यह मैटर नहीं है जो आप नगरपालिका से कह रहे हैं। नगरपालिका सक्षम नहीं है, वह नहीं कर सकती। इसीलिए मैंने यह रखा कि सड़क और पुल के अन्दर सरकार के बजट में पर्याप्त धनराशि का उल्लेख किया गया है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप अपनी बात कहिये।

श्री मदन दिलावर : नगरपालिका को सरकार बहुत पैसे दे रही है (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नगरपालिका ही करेगी।

श्री त्रिलोक पुर्बिया : आप माफ करें, जब आप बोलते हैं हम शांति से सुनते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए कि कोई माननीय सदस्य बोल रहा है और उसकी भावनाओं को ठेस पहुँचाते हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ठेस पहुँची है फिर नहीं बोलेंगे।

श्री त्रिलोक पुर्बिया : उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मांग संख्या-12 के तहत भी माननीय यातायात मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि उदयपुर शहर की आबादी पांच लाख से अधिक हो गयी है, काफी दूर-दराज तक कालोनियां बनी हुई हैं।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : उदयपुर में तो वैसे ही काफी बसें चल रही हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री त्रिलोक पुर्बिया : उन कालोनियों में जाने-आने के लिए लोगों को काफी परेशानियां हो रही हैं। टैम्पो और दूसरे साधन पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हैं और अगर हैं तो वे अधिक किराया वसूल करते हैं। अतः मैं यातायात मंत्रीजी से अनुरोध करूंगा कि रोडवेज द्वारा उदयपुर में सिटी बसें लगायी जाएं ताकि दूर-दराज की कालोनियों में आने-जाने में सुविधा मिल सके और लोग समय पर अपने घरों में पहुँच सकें। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिय बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री कृष्ण मुरारी गंगावत। श्री नरेन्द्र सिंह जी भाटी।

श्री कृष्ण मुरारी गंगावत (थानागाजी) : उपाध्यक्ष महोदय, में अलवर जिले के थानागाजी क्षेत्र की सड़कों के बारे में आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। माननीय पी.डब्ल्यू.डी. मंत्रीजी, अलवर जिले में सबसे पिछड़ी हुई अगर तहसील है और सबसे बुरी दशा कहीं है सड़कों की तो वह थानागाजी की है। थानागाजी एक ट्राइबल एरिया है, बहुत लम्बा-चौड़ा इलाका है, माननीय पी.डब्ल्यू.डी. मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि आठ साल के बी.जे.पी. के कार्यकाल में पूरे क्षेत्र के अन्दर एक किलोमीटर भी सड़क का निर्माण नहीं हुआ। यह बड़ी दुर्भाग्य की स्थिति है। सड़कों की स्थिति ऐसी है कि आदमी केवल पैदल चले तो भी ठोकर खाकर गिरने की स्थिति है। मेरे बहुत-से साथी हैं, वे बहुत-सी बातें करते हैं कि हमारे इलाका एक ट्राइबल एरिया है, उसमें कोई विकास नहीं हुआ। वे अपने शासन की देखें कि उसके अन्दर ट्राइबल एरिया में क्या काम

(श्री कृष्ण मुरारी गंगावत)

हुआ है। यह बड़ा शोचनीय विषय है आज इस सदन के लिए।

सरिस्का क्षेत्र जो कि टूरिज्म के हिसाब से बहुत ही महत्त्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है, उसकी यह स्थिति है कि जो भी कोई विदेशी पर्यटक आते हैं, उनकी गाड़ी रास्ते में खड़ी होती है और उसको ठीक करने के लिए कोई मिस्त्री नहीं होता, ऐसी सड़कों की दुदर्शा है। सरिस्का से गोला का बास और गोला का बास से थानागाजी की जो रोड है उसकी इतनी बुरी दशा है कि वहां जो वाहन चलता है वह 15 किलोमीटर से अधिक गति से नहीं चल सकता। ऐसी स्थिति में मुझे आशा है कि हमारी सरकार, माननीय पी.डब्ल्यू.डी. मंत्रीजी और राजस्थान के मुख्य मंत्री निश्चित रूप से इस ओर ध्यान देकर हमारी सड़कों का कम से कम रिपेयर वर्क तो जल्दी ही कराएंगे जिससे आदिवासी क्षेत्र यह महसूस करे कि हम आज स्वतन्त्र भारत में रह रहे हैं।

दूसरा, मैं माननीय परिवहन मंत्रीजी को बताना चाहता हूं, परिवहन मंत्रीजी इस बात की जांच करा लें कि अगर सबसे रद्दी बसें कहीं चलती हैं तो वे इस रोड पर चलती हैं। राजगढ़ से जयपुर वाया टहला जो बस जाती है उससे बुरी दशा किसी बस की भी नहीं है। सरिस्का के अन्दर कटी घाटी के अन्दर जो बस जाती है पूरे दिन में एक ऐसी बस होती है जो कटी-घाटी के अन्दर जो बस जाती है। और यात्रियों का वहां कोई आने-जाने का साधन नहीं होता है। सबसे बुरी दशा उस क्षेत्र के अन्दर है। परिवहन मंत्रीजी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजगढ़ से टहला होती हुई दौसा-जयपुर जो बस जाती है उसकी दशा को देखें और अलवर से थानागाजी, प्रतापगढ़ होकर जयपुर जो बस जाती है उसकी दशा को देखें तो वास्तव में बसों की स्थिति हमारे थानागाजी क्षेत्र में बहुत ही दयनीय है। मैं आपको यह निवेदन करूंगा कि दस साल से बी.जे.पी. का शासन रहा है, उस शासन के अन्दर इन्होंने कांग्रेस के राज में जो बसें चलती थीं उन बसों को कम किया है, बढ़ाया नहीं है। ऐसी स्थिति है कि हमारे ट्राइबल एरिया में आने-जाने का कोई साधन नहीं है। निश्चित तौर पर इस ओर ध्यान कर बसों की ज्यादा व्यवस्था करें। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। जय हिन्दु।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नरेन्द्र सिंह भाटी।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी (ओसियां) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया और सचेतकजी ने अनुमति दी, इसके लिए धन्यवाद। मैंने तो एक्चुअली उनको कह भी दिया था कि पांच साल खूब बोले, अब दूसरों को भी बोलने की आवश्यकता है। लेकिन क्या करें, उपाध्यक्ष महोदय, कभी-कभी कोई सुझाव डिबेट में ऐसा आ जाता है कि अंकित कराना थोड़ा जरूरी है, इसलिए मैं आपसे डिस्टर्बेंस के लिए क्षमा चाहता हूं। मैं यातायात मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं मांग संख्या–12 के तहत आपको डिपार्टमेंट के लोग उत्तर देंगे कि, साहब, यह तो ट्यूरिज्म से सम्बन्धित है लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि रेलवे से भी हमने पैलेस आन व्हील्स मंजूर करवा ली। मैं आपको रिक्वैस्ट करता हूं क्योंकि ट्यूरिज्म आपकी स्टेट का मेन अंग है और आपकी सरकार ने इसको जितना पैसा देना चाहिए था नहीं

(श्री नरेन्द्र सिंह भाटी)

दिया। आप मेहरबानी करके एसी. बसेज की व्यवस्था आपके जो मेन ट्यूरिज्म सेंटर्स हैं वहां करें, जोधपुर से जयपुर, अभी तक आपके ट्रांसपोर्ट डिपार्टमैंट का ध्यान दिल्ली-जयपुर के बीच में ही रहा है, आप जयपुर से जोधपुर, जोधपुर से जैसलमेर भी कनैक्ट करिये। दिलावरजी तो मानेंगे नहीं लेकिन मैं इनको कहना चाहता हूं, इनको शायद पता नहीं है कि कोटा में ट्यूरिज्म का कितना पोटेंशल है। इसकी जानकारी प्राप्त करने में थोड़ा समय लगेगा लेकिन वास्तव में जयपुर से कोटा, बूँदी और आबू से अहमदाबाद, आज 90 परसेंट ट्यूरिस्ट आबू में गुजराती आ रहा है, भले ही वो दारू पीने के लिए आए कैसे भी आये लेकिन आपको उससे...

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : सही बात है, कैसे भी आए आता तो है।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : हां। इसलिए इन सब रूट्स पर आप इसकी इकॉनामिक आकलन न करें। इकॉनामिकली ट्यूरिज्म को प्रोत्साहन देने के लिए आपको इन्वैस्ट करना पड़ेगा।

मुझे याद है कि माथुर साहब मुख्य मंत्री थे और हमने यह पैलेस ऑन व्हील्स का प्रस्ताव यहां पास करवाया। पास करने के बाद में मैंने जब ट्यूरिस्ट गाइड्स और ट्रैवल एजेंट्स से बात की तो उन्होंने कहा हमें 30 परसेंट आप कमीशन दीजिये। यह न्यू आइडिया है और न्यू आइडिया को प्रोपेगेट करने के लिये हम 30 परसेंट चाहते हैं। 30 या 35 परसेंट। मंत्रीजी, हमने उनको कहा कि हमारा जो 10 प्रतिशत है वह आप देओ। नहीं माने। पैलेस ऑन व्हील्स हमने चलायी, रेलवे और हमारे बीच में कान्ट्रैक्ट हुआ और आज मेरा यह ख्याल है, मैं अगर गलत नहीं हूं तो आरटीडीसी. की आधी से ज्यादा इनकम पैलेस ऑन व्हील्स से आ रही है। आपके इन रूट्स पर बसेज आधी खाली भी जाएं साल दो साल, यह फ्यूचर के लिए इन्वैस्टमैंट है। आप ट्यूरिज्म मिनिस्टर महोदया से मिलकर दो-चार-पांच बस रूट्स ऐसे तय कर लें और उन रूट्स पर यह जरूर चलाएं मेरा आपको यह सुझाव है।

पीडब्ल्यूडी. मंत्री साहब, आप यों तो जवांई साहब भी हैं हमारे...

श्री उपाध्यक्ष : कितने जवांई हैं आपके? एक जवांई तो वे हो गये और एक ये हो गये, और कितने हैं?

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : नहीं, साहब मेरे और कोनसे हैं हुकुम?

श्री उपाध्यक्ष : एक तो इन्दौरियाजी को बताया आपने।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : नहीं-नहीं, मैंने तो अंकित किया है मंत्री महोदय की तरफ। चांडी इनका ससुराल है + + +

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : जसवन्त सिंहजी भी हैं, साहब।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : जसवन्त सिंहजी मेरे बड़ी बहिन के हसबैण्ड हैं। हमारा सौभाग्य है लेकिन उनको लेकर आप डूब गये। उनको आप और ऊपर चढ़ाओ। हम तो चाहते हैं कि वे पार्लियामैंट में जाएं आपके जो दूसरे जवांई साहब हैं न, एक-दूसरे के कारण दोनों ही रह गये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय भाटी साहब, आप यह भूल गये कि जिस व्यक्ति

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

के लिए आप टिप्पणी कर रहे हो वह इस हिन्दुस्तान की सरकार के सम्माननीय विदेश मंत्री हैं और उनके समय में हिन्दुस्तान का रिश्ता पड़ौसी राज्यों से जितना मधुर हुआ है उतना पहले कभी नहीं हुआ।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर-आर्डर।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : राठौड़ साहब। एक बात अर्ज कर दूं। आपकी और देवीसिंहजी की क्या हालत होती है उनके दरबार में, वह तो आपका जीव ही जानता है। मेरा आपको एक सुझाव है कि जब आपकी सरकार गिर जाए तो उनको यू.एन.ओ. भेज दो, वे संसार की सरकार में चले जाएं।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : ऐसे विदेश मंत्री न तो कभी हुए और नहीं होंगे। क्या बात की आपने ?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर-आर्डर।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : बधाई हो आपको, मुबारक हो आपको। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर-आर्डर। माननीय सदस्य, अपनी बात कहिए।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : सर, मैं तो इनको कह रहा हूं, सुझाव दे रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप इनसे ज्यादा जानते हो, आप तो अपनी बात कहिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : असल में ये जानते नहीं हैं किस सिद्धान्त के वे व्यक्ति हैं।

श्री उपाध्यक्ष : जानते कैसे नहीं हैं ?

डा. किरोड़ी लाल : ये जवांइयों का झगड़ा कब से चालू हो गया ?

श्री उपाध्यक्ष : आप पैदा भी नहीं हुए उससे पहले से जानते हैं उनको तो। आप विराजिए।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : राठौड़ साहब,...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ...(व्यवधान) कि राजस्थान की धरती पर ऐसा व्यक्ति पैदा हुआ है जिसने इस हिन्दुस्तान के पड़ौसी राज्यों के सम्बन्धों में इतना सुधार किया है। आज विश्व शांति के लिए उनका जो काम है...(व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : वी.पी. सिंह साहब, उनको यू.एन.ओ. का...

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : आज वे इंटरनेशनल हस्ती हैं। उन्होंने सी.टी.बी.टी. पर और जितना...(व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : वी.पी. सिंह साहब, उनको यू.एन.ओ. का एम्बेसेडर बनाओ तो आप उनके ओ.एस.डी. बनना, यह बैस्ट रहेगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय भाटी साहब, आर्डर-आर्डर।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : आपने जवांई साहब को इतना ऊंचा कर दिया और मेरे को इतना नीचा कर दिया, यह तो बहुत गलत है। ओ.एस.डी. तो आपको बनाएंगे साले साहब को, वे।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : मैं तो ऐसे ही साला हूं उनका।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : इसीलिए ओ.एस.डी. बनें आप। मेरे को आप क्या कहते हो ? मेरे को आपत्ति है, साहब, बड़ी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, ये खुद ओ.एस.डी. बनें।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : ये बन जाएं। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : ओ.एस.डी. तो साला ही बनना चाहिए, साहब।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर-आर्डर। आप किसी का क्यों बनना चाह रहे हो? आप बैठो ना।

श्री मदन दिलावर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इतने विद्वान आदमी को आप ओ.एस.डी. बना रहे हैं।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : (व्यवधान) इसका मतलब है मैं बिक्टीमाइज्ड हूं?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : अध्यक्ष महोदय, राजपूतों की लड़ाई इस तरह होती है क्या?

श्री उपाध्यक्ष : आप बनिया बीच में क्यों आ रहे हो? बिराजें आप।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : हम बनिये नही हैं। कर्म से नहीं हूं, साहब मैं।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : ऐसा है साहब, राजपूतों की तो ऐसे ही होगी। पिछले पांच साल आपके नेता की और मेरी हुई और यह चलता ही रहेगा।

डा. किरोड़ी लाल : हम तो चाहते हैं कि तलवारों से हो।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : आप देखते जाओ। आप मीणा हो, मीणाओं ने तो हमारी रक्षा की है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, समाप्त कीजिये।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, पी.डब्ल्यू.डी. के मंत्री महोदय को एक तो मैं बधाई देना चाहता हूं कि आपने तीन हाई-वेज मंजूर करवा लिए। इसके लिए तो आपको धन्यवाद। (व्यवधान) सुनिए तो सही।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर-आर्डर।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : हाई-वेज की बात हो रही है। सबसे ज्यादा महत्त्वपूर्ण हाई-वे आपने जो मंजूर करवाया वह है हिसार वाया नागौर टू पाली। वह सड़क बहुत खराब थी इसके लिए तो आपको बधाई। मैं कन्ट्रोवर्सी में पड़ना नहीं चाहता, मंत्री महोदय, लेकिन मेरे पास तीन-चार आडिटोरियल हैं। वह जो डिबेट यहां पर देवीसिंह भाटी के प्रश्न पर चली थी और बड़ी गर्मा-गर्मी हुई थी, वे आडिटोरियल आपके पास नहीं पहुंचे हैं तो उनकी कापी आपको भिजवा दूंगा। कांग्रेस सरकार की तरफ से, भले ही आप विपक्ष के नेता को कुछ भी कहिए, मुझे कोई आब्जेक्शन नहीं, वे सम्माननीय हैं लेकिन यह नहीं हो सकता, भले ही आप कह दें कि वह तो जी.ए.डी. से संबंधित है लेकिन हम तो आपको लिखते हैं, इसका रख-रखाव आपका डिपार्टमेंट करता है। एम.एल.एज. और मंत्री लोग और कांग्रेस के एम.एल.एज. और मंत्री अगर हाउसेज में इम्प्रूवमैंट चाहते हैं तो मेहरबानी करके हमें यह मत कहिए कि अर्थव्यवस्था के कारण हम आपको नहीं दे सकते। (व्यवधान) नहीं, कोई क्रिटिसिज्म नहीं है। मैं आपको इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि एक प्रोटोकाल होता है। You are the party in power, मैं चाहता हूं कि आप इनको सम्मान दें, इनको एक्चुअली आदर होना चाहिए। यहां पर हम भले ही कितने आपस में भिड़ें, वह बात दूसरी है लेकिन यह नहीं हो सकता कि वित्त विभाग से और आपसे हमें यह उत्तर मिले कि मंत्रियों के लिए अभी इस साल पैसा नहीं है। तो आपके पास विपक्ष के नेता के लिए आठ लाख रुपये कहां से आये? (व्यवधान) नहीं-नहीं, आप बाद में उत्तर दे

(श्री नरेन्द्र सिंह भाटी)

देना। I am not making it an issue. What I am trying to say is, उससे मैसेज जो जा रहा है न, वह यह जा रहा है कि भैरोंसिंहजी से यह सरकार दब रही है। क्यों दबें हम? (व्यवधान) अगर वे हमारे से नहीं दबते तो यहां आकर बैठते तो सही। उनको बुलाओ, यहां पर बैठाओ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हम ही बहुत हैं।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : 119 का नोटिस, दिलावर साहब, बोलते हो तो थोड़ी हिम्मत रखो। एक दो मंत्रियों के खिलाफ 119 का नोटिस दो। इसका मतलब क्या होता है पीछे आप समझोगे। ठीक है न? मैंने दिया है इसलिए आपको कह रहा हूं। सुरेन्द्र जी व्यास ने दिया है इसलिए मैं कह रहा हूं। 119 का...

श्री मदन दिलावर : मैं थोड़ा-सा ट्रेनिंग लेने के लिए आऊंगा।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : आप पधारना।

श्री जगमाल सिंह यादव : ऐसों को शिष्य रख लोगे क्या आप?

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : नहीं, शिष्य की बात नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, एक सैकिण्ड, मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि अगर इम्पोर्टेन्ट इश्यू उठाना हो तो नोटिस देकर उठाइये। आपने एक करोड़ का लगा दिया, उस पर हंगामा हुआ। मैं तो एक्चुअली, सीरियसली, इसलिए नहीं कि मेरी और आपकी कोई दुश्मनी है लेकिन मैं सात दिन का इसलिए कहता हूं कि जब तक आपको सबक नहीं मिलता तब तक आप सीखते नहीं। (व्यवधान) नहीं, सीरियसली। आप माफ करना, मैं क्षमा चाहता हूं आप माइन्ड करें तो, लेकिन हम भी नियमों में चलते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं विद कान्फीडेंस एण्ड विद टोटल सरेण्डर अर्ज करता हूं, आलोचना नहीं है, कि नियम इस हाउस के जितने प्रतिपक्ष के नेता ने तोड़े हैं किसी और ने नहीं तोड़े हैं। यह गलत है और हो क्या रहा है? उनके खुद गले आ रही है। मैं तो पांच साल निभ गया, भले ही 10-15 करोड़ से नीचे गया। लेकिन ये पांच साल मेरे पास हैं, मेरी सरकार है, मेरा सी.एम. है और मेरी पार्टी है, जिस दिन मैं चाहूंगा धड़ाके से 119 का नोटिस देकर ... मैं मैटीरियल कलैक्ट कर रहा हूं सीरियसली। ऐसे-ऐसे मैटीरियल हैं, उपाध्यक्ष महोदय, कि यह सदन चौंक जाए। यह नरपत सिंह राजवी वाला तो स्टोरी हो गयी, यह सरकार एक्शन लेगी उसमें क्या करेगी, मैं लाऊंगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, यह डिबेट हो रही है?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, डिमाण्ड पर बात करिये। विषयान्तर नहीं, प्लीज।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : आप जब चाहें तब आप बोलते हो।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : इनके दिमाग में सिर्फ एक ही बात है।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : इसलिए, मंत्री महोदय, मेरी रिक्वेस्ट है वित्त मंत्रीजी से और आपसे, ऐसी पालिसी निकाल दो कि सी.एम. के घर पर एक लाख 60 हजार का खर्चा हो रहा है और उस मकान पर आठ लाख रुपये खर्च हो रहा है। मंत्री महोदय, जिस समय पी.डब्ल्यू.डी. के चतुर्वेदी साहब मिनिस्टर थे उसमें उन्होंने जबरदस्त इम्प्रूवमैंट करवाया पहले ही। अब उसमें और एडीशनल खर्चा करते हैं। तो

(श्री नरेन्द्र सिंह भाटी)

एडिटोरियल में यह कहा गया है कि कमाल की बात है, टैक्सेज हो रहे हैं, दूसरी चीजें हो रही हैं और सरकार के पास यह पैसा कहां से आ गया?. एक इमोशनल इश्यू है, आप इस पर भविष्य में...If you don't have the money, then don't spend on any of us. But, please, don't have difference in selection.

श्री हरेन्द्र मिर्धा (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : मेन खर्चा है, साहब 7 लाख 80 हजार का, उसमें से 5 लाख कुछ तो उनके बाउण्ड्री वाल का है।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : आप देखिये, आपके ब्रदर को तो आपके एफर्टस ने बचाया है, उनकी कोई नहीं है इसमें।

श्री हरेन्द्र मिर्धा : नहीं, नहीं, इसका कोई नियम है, मैं आपसे कह रहा हूं।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : उनको कोई नहीं खाएगा, साहब। उनको कौन पूछेगा? ये ही नहीं पूछें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, समाप्त कीजिए।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री दुर्गा प्रसाद। आर्डर आर्डर।

श्री दुर्गा प्रसाद (गंगापुर) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रदेश के वास्तविक विकास के लिए, औद्योगिक विकास के लिए, पर्यटन के विकास के लिए, आम जनता की सुख-सुविधा के लिए यह आवश्यक है कि प्रदेश में आवागमन के साधन प्रचुर मात्रा में हों। और उपाध्यक्ष महोदय, जो आवागमन के साधन हो, मेरा ऐसा सोचना है कि वे सटीक भी हों। सटीक से मेरा मतलब यह है कि हवाई यात्रा है तो वह सुरक्षित हो, खतरे से रहित हो। इसी प्रकार यदि रेल यात्रा है तो समयबद्ध हो और नियमित हो। यह नहीं कि रेल 4-4, 5-5 घंटे देरी से आए और यात्री प्लेटफार्म पर उसकी बाट जोहता रहे। इसी प्रकार अगर सड़क यात्रा है तो वह अच्छी सुदृढ़ सड़कों पर हो, गड्ढे रहित सड़कों पर हो और उस पर ट्रक, बस या कार चलाने वाला ड्राइवर सुशिक्षित हो, लाइसेंसधारी हो ताकि यात्रा सुरक्षित हो सके।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश में आवागमन का मुख्य साधन सड़कें हैं। पैदल यात्री से लेकर साइकिल वाला, रिक्शा वाला, तांगे वाला, ऊंट गाड़ी वाला, बस, ट्रैक्टर और तो और एक नया वाहन चला है उसका नाम है जुगाड़, ये सब इन सड़कों पर से गुजरते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारे प्रदेश में सड़कों की हालत सबसे ज्यादा खराब है। विशेष तौर से पूर्वी राजस्थान में जहां से मैं रिप्रजेन्ट करता हूं, वहां पर सड़कों की हालत बेहद खराब है। ऐसा लगता है कि बी.जे.पी. वालों ने अपने 8 साल के कार्यकाल में कभी सड़कों की मरम्मत की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। आज हमारे यहां सड़कें इतनी टूटी-फूटी और जीर्ण-शीर्ण हैं कि उनके ऊपर से वाहन सफलतापूर्वक नहीं निकल सकते, आये दिन दुर्घटनाग्रस्त होते हैं, पट्टे टूट जाते हैं और उन पर चलने वाला आदमी हमेशा दुःखी होता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारी वर्तमान सरकार के सार्वजनिक निर्माण मंत्री की मैं प्रशंसा करता हूं कि इन्होंने नई सड़कों के बनाने के स्थान पर पहले यह निर्णय लिया कि

(श्री दुर्गा प्रसाद)

हम सर्वप्रथम प्रदेश में पुरानी सड़कों की मरम्मत करेंगे, उनका पुनरुद्धार करेंगे, उनका सुदृढ़ीकरण करेंगे तो मैं सोचता हूं कि आगे आने वाले दिनों में हमारे पूर्वी राजस्थान की सड़कों की मरम्मत होगी और उनका पुनरुद्धार होगा। इसके लिए हमारे पी.डब्ल्यू.डी. मिनिस्टर महोदय ने जो 191 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, मैं उनकी प्रशंसा करता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्षतिग्रस्त सड़कों की जब बात आती है तो मैं मंत्री महोदय का ध्यान आपके माध्यम से दिलाना चाहूंगा अपने विधान सभा चुनाव क्षेत्र गंगापुर के कस्बे गंगापुर सिटी की मुख्य सड़क की तरफ। यह सड़क स्टेट हाई-वे नम्बर 2 है जो कि गंगापुर सिटी के बीचों बीच में से होकर निकलती है। इस सड़क का शलाजहां से लेकर टीबिया तक का जो मार्ग है, करीब 3 किलोमीटर का मार्ग है और ढाल के अन्दर है। बरसात के दिनों में इसमें पानी भर जाता है। पिछले साल इसमें पानी भरा। पानी भरने के बाद वैसे तो इस सड़क की मिट्टी और डामर बहुत पहले ही उखड़ चुकी थी, बी.जे.पी. वालों ने इसकी मरम्मत की तरफ ध्यान नहीं दिया। पिछली साल जब इसमें पानी भरा तो उसमें से गुजरना बरसात के दिनों में एकदम से असम्भव हो गया। पैदल यात्री, साइकिल वाले, मोटर साइकिल सवार, साइकिल सवार, रिक्शे तो इसके ऊपर से बरसात के दिनों में निकल ही नहीं सकते थे, केवल बड़े ट्रक और बसें निकलती थीं। पानी भरने के कारण जब वे निकलती थीं तो सड़क में गड्ढे पड़ जाते थे। दो-दो फुट के गड्ढे सड़क में हो गये और पानी के बराबर रहने से वह पानी कीचड़ के रूप में परिवर्तित हो गया। सड़क में से आदमियों का निकलना, एक तरह से असम्भव हो गया। एक ऐसी दुर्घटना उस वक्त हुई कि एक गर्भवती औरत जिसके कि बालबच्चा होने वाला था, वह इस सड़क के कारण समय के अन्दर हॉस्पिटल नहीं पहुंच सकी और उस सड़क पर ही उसकी डिलीवरी हुई। पूरे गंगापुर में तहलका मच गया। एक जन आन्दोलन हुआ। गंगापुर के निवासियों ने गंगापुर के मुख्य मार्केट में चौपड़ में जाकर करीब 15-20 हजार की तादाद में इकट्ठे होकर एक सभा का आयोजन किया और निर्णय लिया कि समय रहते इस सड़क का निर्माण नहीं किया गया, इसका पुनरुद्धार नहीं किया किया गया तो चक्का जाम हड़ताल होगी, गंगापुर बंद होगा। कानून-व्यवस्था अगर भंग होती है तो इसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी। सरकार में बैठे प्रतिनिधियों को पता था, एस.डी.एम. साहब को पता था, हड़ताल होने जा रही है, लोग अपने लवाजमे के साथ तैयार थे कि कानून व्यवस्था कभी भंग न हो। वे उस सभा में आये। सभा में एक्स. ईएन. भी आया, एईएन. आया, जे. ईएन. भी आया, डी.एस.पी. आया, एस.डी.एम. साहब आये, इस प्रकार पूरा लवाजमा उस सभा में आया और उन्होंने यह आश्वासन दिया कि सड़क का हम पुनरुद्धार कराएंगे। कम से कम इतना तो कर देंगे कि बरसात के दिनों में आये दिन जो एक्सीडैंट हो रहे हैं, जो घटनाएं घट रही हैं वे नहीं घटें। (व्यवधान) रिक्शे से जा रही थी तब बरसात में जा नहीं सकी और डिलीवरी हो गयी।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज।

श्री दुर्गा प्रसाद : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक्स. ईएन. और एईएन. ने यह लिखित में आश्वासन दिया कि अण्डर मियाद 15 दिन हम सड़क को ऐसा कर देंगे ताकि दुर्घटनाएं नहीं घटें। कालान्तर में काम भी हुआ लेकिन सन्तोषजनक काम नहीं हुआ। चुनाव आ गये, चुनाव में जनता खो गयी, नेता लोग खो गये और बात आई गयी हो गयी। अब भी उस सड़क की पोजीशन वैसी की वैसी है। तीन किलोमीटर का स्टेट हाई-वे बिल्कुल टूट-फूट गया है, डामर नाममात्र की भी नहीं है। बरसात के दिनों में आये दिन दुर्घटनाएं होने की सम्भावना है। मैं हमारे सार्वजनिक मंत्री महोदय का आभारी हूं कि उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि आपकी सड़क की मरम्मत पर पूरा-पूरा ध्यान देंगे। आदरणीय भटनागर साहब जो रोड के चीफ इंजीनियर हैं, उन्होंने भी मुझे आश्वासन दिया है। परन्तु, महोदय, बरसात नजदीक आ रही है, बरसात के नजदीक आने के कारण फिर वहां पर पानी भरेगा। पहले तो वह आन्दोलन खतम हो गया था, लेकिन अबकी बार यह आन्दोलन बड़ा उग्र रूप धारण करेगा। इसलिए मैं बड़ा चिन्तित रहता हूं। मैं कई बार मंत्री महोदय से भी मिला हूं, भटनागर साहब से भी निवेदन किया है कि आप यदि पैसा बाद में देंगे, बरसात के बाद में रिपेयर करेंगे तो उसकी कोई उपयोगिता नहीं होगी, समय से पहले इस सड़क को रिपेयर कराएं। नहीं तो एक बहुत बड़ा जन आन्दोलन होगा और उसके अन्दर पार्टी पोलिटिक्स नहीं होगी। मैं सोचता हूं, बी.जे.पी. वाले और कांग्रेस वाले और निर्दलीय सभी मिलकर इसके पक्ष में जाएंगे। और कानून-व्यवस्था की एक स्थिति पैदा हो जाएगी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आप कर रहे हैं परन्तु इसकी स्वीकृति के लिये शीघ्रता से कदम उठाएं ताकि इस समस्या का निदान हो सके। यह एक गंभीर मसला है, मैं इसको बार-बार निवेदन कर रहा हूं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसके अतिरिक्त कुछ थोड़ी बात और कहना चाहता हूं। कुछ प्रैक्टिकल बातें है जो मेरे दिमाग में थीं जो मैं इस वक्त इस सदन में रखना चाहता हूं।

डा. किरोड़ी लाल : जो कह रहे हैं माननीय सदस्य, इसकी हालत वास्तव में बहुत खराब है और हमारा दोनों का एस.डी.ओ. मुख्यालय वहीं पर है।

श्री उपाध्यक्ष : तो वे कह रहे हैं ना।

डा. किरोड़ी लाल : हम दोनों को जब भी जाना पड़ता है तो कभी कोई...

श्री उपाध्यक्ष : तो वे कह रहे हैं ना हालत खराब है।

डा. किरोड़ी लाल : ऐसी बात नहीं हो जाए कि कहीं पब्लिक हमारा घेराव कर ले और हमारी स्थिति बिगड़ जाए।

श्री उपाध्यक्ष : वे कह चुके ना।

डा. किरोड़ी लाल : हमारी स्थिति बड़ी खराब है, मंत्री महोदय, वास्तव में हालत बहुत खराब है।

श्री दुर्गा प्रसाद : हमारी स्थिति खराब हो जाएगी। हमें तो नौबत यह हो जाएगी कि हम पिटेंगे और वहां पर। यह आन्दोलन पहले हमने ही किया था और अब हम सत्ता में हैं...

श्री देवीलाल बैरवा : उस समय खराब थोड़े हुई? आपकी सत्ता, आपका राज, आपके मंत्रीजी थे जब तैयार करते।

श्री दुर्गा प्रसाद : उपाध्यक्ष महोदय, मैं पांच मिनट और लूंगा। जो बात मैं कहना चाहता हूं वह जरूर कहूंगा इस समय। मेरा ऐसा सोचना है कि सड़क बनाने और मरम्मत करने मात्र से आम जनता की सड़क सम्बन्धी समस्याओं का निदान नहीं हो जाएगा, आम जनता की जो सड़क सम्बन्धी अन्य समस्याएं हैं, उनकी तरफ भी सरकार को ध्यान देना होगा। मिसाल के तौर पर, सड़कें जब बन जाती हैं तो उनके दोनों तरफ ग्रामीण सड़कों की बात कह रहा हूं, दोनो तरफ का जो हिस्सा होता है कच्ची सड़क होती है उस पर प्रभावशाली किसान या प्रभावशाली नेता लोग कब्जा कर लेते हैं। सड़क पर या तो निर्माण कर लेते हैं या दुकानें बना लेते हैं या दौड़ भाग कर खेत में एनक्रोचमैंट कर लेते हैं और सड़क एक लम्बी-सी जो डामर रोड है मात्र वह रह जाती है। जब आमने-सामने से बसें आती हैं तो घंटों उन बसों को निकलने में टाइम लगता है। मेरा निवेदन है कि इस प्रकार से जो सड़क सम्बन्धी कारण हैं उनके निराकरण के लिये भी अलग से आपको सोचना होगा, मंत्री महोदय को सोचना होगा। अभी करौली से आने वाले विधायक महोदय ने यह बताया था कि कुछ अधिकारी बैठे हुए हैं, उनके पास में काम नहीं है। मैं निवेदन करूंगा कि आप एक विभाग खोले और चीफ इंजीनियर की हैसियत का अधिकारी उस विभाग में रखे जो कि इन सड़क सम्बन्धी समस्याओं की तरफ ध्यान दे।

मिसाल के तौर पर मैं और निवेदन करूं। जब सड़क बनती तो कुछ प्रभावशाली लोग बिना सोचे समझे उस सड़क को काट देते हैं। जगह-जगह काट देते हैं और फिर पानी के डबले निकाल लेते हैं उसमें से। सड़क टूटती रहती है, किसी को परवाह ही नहीं है। जनता का पैसा बरबाद होता रहता है। इसके लिये फौरन एक्शन लेगा पड़ेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, परिवहन विभाग के मंत्री महोदय से मैं निवेदन करूंगा कहने को यह कहते हैं कानून में यह व्यवस्था है कि शराब पीकर ड्राइवर गाड़ी नहीं चलाएगा और स्टेट हाई-वे के बगल में, नेशनल हाई-वे के बगल में शराब की बड़ी-बड़ी दुकानें हैं उनमें बड़े-बड़े होर्डिंग्स पर यह लिखा होता है कि यहां पर देशी और अंग्रेजी शराब सस्ते दामों पर मिलती है। अब बताइये, उस रोड साइड दुकान पर ड्राइवर या खलासी तो वहां जाकर शराब ही पीएगा। कोई यह तो है नहीं की दूर शहर से आदमी वहां पर शराब खरीदने आएगा। इस बात को सब जानते हैं और यह भी जानते हैं कि कानून की अवहेलना हो रही है, पर कोई एक्शन नहीं लेता। मैं परिवहन विभाग के मंत्री महोदय से कहूंगा कि आप पूरे देश की बात नहीं कर सकते, कम से कम राजस्थान की बात तो कर सकते हैं, इस प्रकार की जो दुकानें हैं उनको सड़क से हटाएं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और निवेदन करना चाहूंगा। आजकल ग्रामीण क्षेत्रों में एक ऐसा शौक-सा हो गया है कि मेन हाई-वे या नेशनल हाई-वे ग्रामीण क्षेत्र से जो निकलता है उस सड़क से बचने वाले गिट्टी पत्थर लोग अपनी मनमर्जी से इकट्ठा कर और डामर का कहीं से इंतजाम करके एक मोटा-सा स्पीड ब्रेकर जिसे कहते हैं वह बना देते हैं। अब उस स्पीड ब्रेकर

(श्री दुर्गा प्रसाद)

में न तो पेंट होता है। न दोनों तरफ कोई बोर्ड होता है कि सावधान, आगे स्पीड ब्रेकर है और अनजाने में जब गाड़ियां, ट्रक, कारें आदि निकलती हैं तो पट्टे तुड़ा बैठती हैं और बैठने वालों की कमर में चणक पड़ जाती है। इसकी तरफ भी आपको ध्यान देना होगा। उपाध्यक्ष...

श्री उपाध्यक्ष : श्री बाबूलालजी नागर।

श्री दुर्गा प्रसाद : उपाध्यक्ष महोदय, दो-चार बातें और कह दूं?

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त कीजिये।

श्री दुर्गा प्रसाद : उपाध्यक्ष महोदय, एक-दो बातें और कह दूं।

श्री उपाध्यक्ष : हो गयी ना बहुत।

श्री दुर्गा प्रसाद : अच्छा, साहब, थैंक यू।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : यह हमारे लोगों के साथ अन्याय है।

श्री उपाध्यक्ष : हो गया ना। वे सैटिसफाइड हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : तीसरे नम्बर की पार्टी है...

श्री दुर्गा प्रसाद : मैं सैटिसफाइड नहीं हूं।

श्री उपाध्यक्ष : और बोल लो।

श्री दुर्गा प्रसाद : यह बड़ा महत्वपूर्ण था। ये बातें ऐसी थीं...

श्री उपाध्यक्ष : और बोल लो दो मिनट, नहीं सैटिसफाइड हो तो। और बोल लो।

श्री दुर्गा प्रसाद : आम जनता की बातें हैं और ये बातें ऐसी है कि जब हम नेता नहीं थे, इस सदन में नहीं बैठते थे तो उस पर नहीं बोलते थे।

श्री उपाध्यक्ष : और बोलिये।

श्री दुर्गा प्रसाद : आज हमें मौका मिला है तो हमें कहने ही नहीं दे रहे हैं आप। हम नये आदमी हैं इसलिये आपकी बातों से सब बातें भूल जाते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मुझे कोई तकलीफ नहीं है आप तो बोले जाओ।

श्री दुर्गा प्रसाद : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि कानून में स्पष्ट प्रावधान है कि सड़क पर वहीं इंजन चालित वाहन चलेगा जो कि परिवहन विभाग में रजिस्टर्ड हो, जो कि रोड टैक्स देता हो, जो...(व्यवधान) देखिये, गलत बात नहीं है, मैं सही बात कह रहा हूं। यह बात सही है। जिस तरह से जुगाड़ बढ़ते जा रहे हैं, देखिये, आप तो इस तरह से तरजीह दे रहे हैं कि एक गरीब आदमी है और किसी सेठ की जेब में से बटुआ चोरी करके भगता है, तो आप कहेंगे, गरीब आदमी है जाने दो। जो भी लेकर जा रहा है जाने दो। कानून की अवहेलना करता है तो उसको रोकिये। आज जिस प्रकार ये जुगाड़ पैदा हो गये हैं इन्होंने तमाम रोड की व्यवस्था को भंग कर दिया। इसको चलाने वाले व्यक्ति अशिक्षित होते हैं, कोई उनके पास लाइसेंस नहीं होता। बड़ी तेजी से, धड़ल्ले से सिंगल रूट पर गाड़ी चलाते हैं। साइड देते नहीं हैं। आप तो ऐसी बात कर रहे हैं कि चोरी करके मैं भागता हूं...

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री दुर्गा प्रसाद : ...(व्यवधान) देखिये, मुझे बात कहने दीजिये। आप अपनी कहियेगा। उपाध्यक्ष महोदय, परिवहन विभाग के मंत्री महोदय से मैं निवेदन करूंगा कि यह समस्या जिस तरह से उग्र रूप धारण कर रही है और हमारे...

श्री छोगाराम बाकोलिया (यातायात मंत्री) : इन्होंने ही बढ़ाये हैं ये जुगाड़ (व्यवधान) इसीलिये ये बोलते हैं।

श्री दुर्गा प्रसाद : यह देखा जाए तो इन्होंने ही पनपाये हैं। आज स्थिति ऐसी बन गयी है जब उनको रोका जाता है तो सेना की सेना जैसे इकट्ठे हो जाते हैं और आन्दोलन करने पर उतारू हो जाते हैं। इससे व्यवस्था ऐसी भंग होती है कि यह आप लोगों के लिये भी सिरदर्द होगा, आपके लिये भी होगा और हमारे लिये भी होगा। तो समय रहते इनको भी रोकना होगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बाबूलालजी नागर।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या-21 पर आपके माध्यम से सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी का ध्यान मेरे निर्वाचन क्षेत्र दूदू की सड़कों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मेरा निर्वाचन क्षेत्र सड़क के मामले में जयपुर जिले में एक ऐसा अभागा क्षेत्र है जहां पर 15-15 किलोमीटर तक कई इस तरह के ग्राम पंचायत मुख्यालय हैं जहां पर सड़क नहीं है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में चिकनी मिट्टी अलग है, जब भी बरसात होती है तो पैदल भी आदमी एक गांव से दूसरे गांव नहीं चल पाता है। कई बार तो ऐसी त्रासदी हो गयी है कि डिलीवरी के समय कई औरतों को अपने प्राणों को गंवाना पड़ा है। पूर्व में भी मैंने मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करवाया था।

(18.00 बजे)

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कुछ सड़कें ऐसी हैं जो 22 साल पहले बनी थीं और आज तक उनमें दुबारा डामर नहीं लगाया गया, दुबारा उनकी मरम्मत नहीं की गयी। परासूली से साखून एक ऐसी सड़क है जो 1976 में बनी। पांच किलोमीटर इसमें डामर करना है, मरम्मत करनी है। 15 सड़कें ऐसी हैं जिनमें 10 साल से मरम्मत नहीं हुई है। मैंने इस समस्या के लिये विधान सभा में प्रश्न लगाया था। मंत्रीजी ने आश्वासन दिया है कि मार्च के बजट में टॉप प्रायोरिटी पर इन सड़कों का नवीनीकरण कराऊंगा। मेरा मंत्री महोदय से नम्र निवेदन है और उनको स्मरण कराना चाहता हूं कि आपने हाउस में कमिटमैंट किया है, मेहरबानी करके अबके इन सड़कों का नवीनीकरण करा दें।

साथ ही मैं आपका ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में बहुत से पंचायत मुख्यालय ऐसे हैं, 1991 में एक हजार की आबादी से अधिक करीब 17 गांव हैं जिनमें अभी तक कोई सड़क की व्यवस्था नहीं है। आपसे अनुरोध है कि इसको प्राथमिकता से इस बार लें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी।

उपाध्यक्ष महोदय, साथ ही एक बहुत ही जबरदस्त समस्या है। जयपुर से अजमेर नेशनल हाई-वे है, जहां प्रतिदिन 10 और 15 वाहनों के एक्सीडेंट होते हैं। 2, 4, 5 लोग हर रोज दुर्घटना में मरते हैं। आपसे चार लाइन का प्रस्ताव सरकार से मंजूर हो गया है, मैं मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि अतिशीघ्र चार लाइन का काम शुरु करें जिससे कि आवागमन की सुविधा मिले और प्रतिदिन जो जान-माल की हानि हो रही है, जान-मान का जो नुकसान हो रहा है उससे बचा जा सके। और भी कई समस्याएं हैं, मंत्रीजी उदार हैं और आपने मुझे विश्वास दिलाया है कि इस बजट में

(श्री बाबूलाल नागर)

निश्चित रूप से प्राथमिकता के आधार पर ले लेंगे।

मैं परिवहन मंत्रीजी का भी ध्यानाकर्षित करना चाह रहा हूं। कई माननीय सदस्यों ने आपका ध्यान इस ओर आकर्षित किया है। आपने अवैध वाहनों को रोकने का प्रयास तो किया है लेकिन, मंत्री महोदय, बहुत-सी इस तरह की शिकायतें आयी हैं कि जो मात्र जयपुर अपने काम से आते हैं, प्राइवेट जीप वाले, जिनके प्राइवेट वाहन होते हैं, आपके परिवहन विभाग के अधिकारीगण उनका इतना बुरा हाल करते हैं कि उनसे लूट-खसोट मचा रखी है। दो-चार वाकये तो मेरे पास इस तरह के आये। मुझसे ही मिलने जयपुर आये और उन्हीं लोगों को पकड़ लिया गया। तब तक नहीं छोड़ा जब तक उन्होंने उनसे पैसे नहीं लिये। आपका कृत्य है कि अवैध वाहनों को रोका जाए राजस्व की वसूली हो, लेकिन इस आड़ में अधिकारी लोग बहुत ही ज्यादा गलत कार्य कर रहे हैं। कई बार मैं मेरे क्षेत्र से रात में 11-12 बजे तक आता हूं और कई बार तो सुबह 4 बजे भी आना पड़ा है। आप कभी इस रोड पर जाएं तो, मंत्री महोदय, आप खुद देख लें, आपको बगरू से किशनगढ़ तक 7-8 जगह परिवहन वाले आदमी खड़े मिलेंगे और 40-40, 50-50 ट्रक मिलेंगे। कोई सीधा गरीब आदमी फंस गया। कोई प्राइवेट वाहन वाले, जीप और कार वाले खड़े मिलेंगे जिनसे लूट-खसोट इन लोगों ने मचा रखी है। मैं आपको निवेदन करूं, एक दिन मैं स्वयं मेरे निर्वाचन क्षेत्र से आ रहा था। बगरू थाने के पास आपका परिवहन का अधिकारी, मैं नाम तो नही बताना चाहता, मैंने अपनी आंखों से देखा, एक शरीफ गांव के आदमी को इस तरह से परेशान कर रहा कि अगर मैं दखल नहीं दूं तो कम से कम हजार, दो हजार रुपये उस आदमी से लूट ले। आपका यह बहुत अच्छा काम है लेकिन आप इस तरह की भी इसमें व्यवस्था करिये कि शरीफ लोगों को और गलत काम नहीं करने वाले लोगों को इसमें नहीं फंसना पड़े, उनको नहीं लुटना पड़े। उम्मीद है कि आप निश्चित रूप से इस पर कदम उठाएंगे। मैं जानता हूं समय का अभाव है, बहुत लोगों को बोलना है। उपाध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत आभारी हूं, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती सुचित्रा आर्य।

श्रीमती सुचित्रा आर्य (नोहर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं पी.डब्ल्यू.डी. मिनिस्टर साहब का ध्यान मेरे हनुमानगढ़ जिले की तरफ आकर्षित करना चाहूंगी। पहले 8 साल जब बी.जे.पी. की सरकार थी तब उन लोगों ने बहुत बड़े-बड़े नारे दिये कि हम 1971 की जनगणना के अनुसार एक हजार से अधिक आबादी के गांवों को पंचायत मुख्यालय से जोड़ देंगे। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। हमारा नया जिला बना है हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ जिले के बारे में आपको भी अच्छी तरह मालूम है कि ज्यादा पैसा गंगानगर लगाया जाता है। नये जिले के अंदर अभी तक न तो कोई सरकारी इमारतें बनीं, न सड़कों का अभी कोई प्रावधान है। आपने कृषि विकास परियोजना में पैसा बांटा है, आठ जिलों के अन्दर जिससे कि 1971 की जनगणना के अनुसार एक हजार से अधिक आबादी वाले गांवों को डामर की सड़कों से जोड़ा जा रहा है। कृषि विकास परियोजना 106 मिलियन डालर की बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना है, इसके अंतर्गत भी सार्वजनिक

(श्री सुचित्रा आर्य)

निर्माण विभाग द्वारा 8 जिले—भरतपुर, धौलपुर, सवाईमाधोपुर, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़, श्रीगंगानगर लिये गये हैं। इस योजना में भी हनुमानगढ़ जिले का कहीं नाम नहीं है। सारे का सारा पैसा उन लोगों को दे दिया लेकिन हनुमानगढ़ जिला किसी को याद नहीं आया। क्या हनुमानगढ़ जिला अपनी रेवेन्यू नहीं देता? हनुमानगढ़ जिला और गंगानगर जिला ही है जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू देते हैं। हमारी जो सबसे बड़ी रोड है जो कि जयपुर से गंगानगर तक जाती है उसमें 2-2 फीट गहरे खड्डे हैं लेकिन उसे आज तक भी ठीक कराने की किसी ने कोशिश नहीं की। पिछली सरकार भी चली गयी। अब नई हमारी सरकार बनी है उससे भी यहां मैंने मेरे बजट भाषण में आग्रह किया कि आप इसको थोड़ा ध्यान से देखें और ज्यादा पैसा दें जिससे कि वह सड़क नयी बन सके। आपने उसको ठीक करवाने की बात की है, मरम्मत कराना चाहते हो लेकिन उसको नयी नहीं बनाना चाहते हो क्योंकि आपने कोई नयी का तो प्रावधान रखा ही नहीं है। मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि कृपया इस हनुमानगढ़ जिले को थोड़ा देखें।

मैं मेरी तहसील के बारे में भी बताना चाहूंगी? आज विज्ञान तो इतना आगे चला गया कि लोग चन्द्रमा पर जाकर बैठ गये और हमारे गांव में आज भी इतने ऊंचे-ऊंचे टीले पड़े हैं कि गांव की मां, बहन, बेटियां बीमार हो जाएं तो 10 पैसे की दवाई भी नसीब नहीं हो। वहीं तड़प-तड़पकर हमारी बहनें प्राण दे देती हैं, अगर कोई जापा हो और भयंकर बीमारी हो। लेकिन वहां आप सड़कें नहीं बनाएंगे तो कहां बनाएंगे? शहरों में तो सड़कें बन चुकीं इस देश की आजादी को 50 साल हो गये, कम से कम अब तो गांव पर ध्यान दीजिये। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहते थे, उनका सपना तभी साकार होगा जबकि हम गांव की तरफ विशेष तौर से ध्यान देंगे।

मैं थोड़ा-सा मेरी नोहर तहसील के बारे में भी कहना चाहती हूं। तीन स्टेट लेवल की सड़कें हैं, जिसमें एक है नोहर-पल्लू जिसमें आज भी 14 किलोमीटर की सड़क नहीं बनी है, नोहर से सरदारशहर का एक टुकड़ा पड़ा है। वित्त मंत्रीजी के भी लगता हुआ है, उन्होंने भी कभी ध्यान नहीं दिया कि कम से कम इसको तो बनवा दें। वह भी कृपा नहीं की है। मैं पी.डब्ल्यू.डी. मंत्रीजी से कहना चाहती हूं कि आप इसको थोड़ा नोट कीजिए। हमारे नोहर और साहवा वाली सड़क क्षतिग्रस्त है, उसे भी आप ठीक करवाइए। नोहर से सिरसा रोड जो स्टेट रोड है, उसे भी आप ठीक करवाइए। बाकी छोटी-मोटी सड़कें हैं दस किलोमीटर की, पिछली सरकार में भाई ज्ञान सिंहजी मंत्री थे, उन्होंने पूरा का पूरा पैसा भादरा में लगा दिया। भादरा को तो चारों तरफ से जोड़ दिया लेकिन नोहर की आबादी भी ज्यादा है और नोहर में फैक्ट्रियां ज्यादा होने के बावजूद भी आज तक सड़कों का अभाव है। नोहर एक ऐसी जगह है जहां की नागरिक परिषद् से जुड़े हुए व्यापारी लोग पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। इसलिए उसका नाम भी बहुत है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि वहां काम होगा तो आपका नाम चारों तरफ फैलेगा, इसलिए विशेष रूप से आप नोहर पर ध्यान दीजिए।

मैं पढ़कर बताती हूं आपको, इतनी सड़कें तो आप नहीं बना पाएंगे। कुछेक

(श्री सुचित्रा आर्य)

सड़कें हैं जिनको आप पी.डब्ल्यू.डी. से बना दें तो ठीक है, नहीं तो मण्डी समिति वाले तो दो किलोमीटर, तीन किलोमीटर, चार किलोमीटर से ज्यादा सड़क नहीं बनाएंगे। नोहर से पल्लू, 10 किलोमीटर, जबरासर से ललानिया, 8 किलोमीटर, बिंसरासर से कुलचासर 9 किलोमीटर, दूदली से धीरदेसर 15 किलोमीटर, रायसमपुरा से लाखासर, 8 किलोमीटर की दूरी है। बहुत सारी सडकें हैं, इनके आपको क्या नाम बताऊं, लेकिन मैं आपसे यह निवेदन करना चाहती हूं कि आप कुछ न कुछ नोहर की तरफ ध्यान दीजिए जिससे उसका विकास हो सके। वरना हालत बहुत भयंकर हैं।

परिवहन मंत्रीजी से भी मैं थोड़ा निवेदन करना चाहूंगी। परिवहन विभाग का मुख्य दायित्व राज्य के नागरिकों को सुगम व सुरक्षित आवागमन की सुविधा सुनिश्चित करना है, न कि उनका शोषण करना। उसमें सरलीकरण भी होना चाहिए। आपने डी.टी.ओ. लगा रखे हैं, ये कर वसूली करने के लिए हैं न कि लोगों को परेशान करने के लिए। इतना भयंकर भ्रष्टाचार है, मैं मेरी नोहर तहसील के बारे में कहना चाहती हूं कि हनुमानगढ़ जिले के डी.टी.ओ. ने चौथ वसूली का ऐसा अड्डा बना रखा है कि जो प्राइवेट बसें चलाते हैं, उनके घर में जाकर रहते हैं, वहीं खाना, वहीं पीना और सब कुछ वहीं करना और लोगों को परेशान करना। या तो आप इसे ठीक करिए नहीं तो वहां की हालत और ज्यादा खराब हो जाएगी, क्योंकि प्राइवेट बस वाले जो उनको पैसा देते हैं, उनकी बसें तो चलने देते हैं, दूसरे जिन्होंने परमिट ले रखे हैं उनको परेशान करते हैं। जिनकी बसें चलती हैं, वे तो बसें चलाने के लिए उनको सब कुछ देंगे। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि जो लोग टैक्सी चलाते हैं, वे गरीब लोग टैक्स भी देते हैं, इसके बावजूद भी उनको जगह-जगह खड़ा करके परेशान किया जाता है, इस पर भी आप ध्यान दीजिए।

प्रदूषण नियन्त्रण के बारे में थोड़ा-सा निवेदन करना चाहूंगी। वाहन प्रदूषण की रोकथाम के लिए विभाग ने 17 प्रदूषण नियन्त्रण दस्ते गठित कर रखे हैं। ये दस्ते वाहन प्रदूषण की किस प्रकार जांच करते हैं? जो जांच का पैसा दे देते हैं उनको तो वे सर्टिफिकेट अगर खराब भी होता है, खूब धुआं भी देता है तो भी दे देते हैं। सही होते हैं पर पैसे देने वाले नहीं होते हैं तो उनको अपना लाइसेंस काट देने पर भी वे नहीं देते हैं। इसके ऊपर भी आप ध्यान दीजिए। अगर ऐसे ही भ्रष्टाचार चलता रहा। तो यह प्रदूषण कभी खतम नहीं होगा। इसलिए मैं आपसे यही निदेवन करना चाहती हूं कि आप इस पर थोड़ा-सा ध्यान दीजिए जिससे कि अव्यवस्था सुधर सके।

लूणकरणसर के खाजूवाला में एम. पी. कोटे से बस अड्डे का भवन बन गया है, उस भवन में बुकिंग ऑफिस खोलने के लिये दूसरा लूणकरणसर बस अड्डे के स्थान का चयन करें ताकि पंचायत वहां पर बुकिंग ऑफिस बना दे और यात्रियों के लिए सुविधा हो जाए यह लूणकरणसर के बारे में कहना चाहती थी। इन्हीं शब्दों के साथ, जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : डाक्टर रघुवीर सिंह।

डा. रघुवीर सिंह गौड़ (कोटपूतली) : उपाध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या-21 के सम्बन्ध में आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि किसी

(डा. रघुवीर सिंह गौड़)

भी क्षेत्र के विकास के लिए सड़कों की बहुत अहमियत है। किसी ने कहा है कि जिस क्षेत्र का विकास करना है, वहां एक सड़क बना दीजिए और एक स्कूल खोल दीजिए। उसी आधार पर भारतीय जनता पार्टी के शासन में एक हजार की जनसंख्या पर सड़क बनाने की योजना बनाई गई और इस प्रकार की नीतिगत योजना पहली बार बनी। इसी के साथ उन जगहों पर स्कूल खोले गये जहां 250 की जनसंख्या थी। हालांकि इतने विशाल प्रांत में सीमिति साधनों के साथ यह सम्भव नहीं है कि सभी नीतियां पूरी हों, इसी कारण कुछ क्षेत्र बाकी रह गए, लेकिन मुझे आशा है कि नई सरकार निश्चित रूप से उन नीतिगत सिद्धान्तों पर पहुंचेगी और एक हजार से कम जनसंख्या वाले गांवों को भी सड़क से जोड़ेगी।

महोदय, मैं मेरे क्षेत्र के विषय में एक विशेष बात बताना चाहूंगा कि नेशनल हाई-वे नम्बर आठ, कोटपुतली विधान सभा क्षेत्र को दो भागों में विभक्त करता है, पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग। दोनों भागों में से पूर्वी भाग का विकास बिलकुल नहीं हो सका है। इसके राजनीतिक कारण रहे हैं। जो भी विकास हुआ वह अधिकतर पश्चिमी भाग में हुआ। यही कारण है कि आज वहां सड़क या स्कूल उसी क्षेत्र में ज्यादा है और पूर्वी भाग, बिलकुल अविकसित रह गया है। उदाहरण के लिए इस पूर्वी भाग में कुछ भाग ऐसे हैं जो कि तुलसीपुरा पंचायत से पांचूवाला की ओर का विशेष भाग है। मैं कहूंगा कि यह ऐसा स्थान है कि वहां पर पर्यटन विभाग एक सूचना पट्ट लगा दे कि अगर आपको पुराने राजस्थान की झलक देखनी है तो इधर पधारें। मैं समझता हूं कि वह क्षेत्र बिलकुल कटा हुआ है—न कोई सड़क है, न कोई पुल है। लोगों को उधर से जाना पड़ता है तो धूल भरे रास्ते, जंगल भरे रास्ते, पथरीले, उबड़-खाबड़, नाले, इनके अंदर से जाना पड़ता है। स्थिति यह है कि तुलसीपुरा से पांचूडाला जाने में तकरीबन 10-12 किलोमीटर का रास्ता होगा, पैदल और दूसरी गाड़ियों की बात छोड़ दें, जीप से जाने पर पांचूडाला पहुंचते-पहुंचते उस जीप की भी हालत खराब हो जाती है। इसलिए मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि इस क्षेत्र के विकास की ओर आप विशेष रूप से ध्यान दें। इस क्षेत्र के उत्तर की ओर भी ऊबड़-खाबड़ रास्ते हैं, नाले हैं, यही कारण है कि वह क्षेत्र भी बिल्कुल उपेक्षित पड़ा हुआ है। जहाजनोता से कोटपूतली जुड़ा हुआ है लेकिन इस क्षेत्र से होकर दादूका, पेचूका और बसई नाम के गांव भी आते हैं। बहुत समय पहले कदीमी रास्ता भी था, लेकिन नई सरकार बन जाने के कारण यह चौकी गोरधनपुरा से तराना की ओर अलवर जाने वाली सड़क बन गयी, इस कारण से यह जो पुराना रास्ता था वह उपेक्षित हो गया। मेरा निवेदन है कि मात्र 6 किलोमीटर रास्ता बनाने से सैंकड़ों लोगों को सुविधा होगी, डीजल की बचत होगी और लोगों को 15-16 किलोमीटर का चक्कर लगाकर कोटपुतली जाना पड़ता है, वह नहीं जाना पड़ेगा। मेरा निवेदन है कि इस क्षेत्र के लोगों को इस चक्कर से बचाने के लिए 6 किलोमीटर की राजनोड़ा से कोटपूतली सड़क बनाई जाए तो वहां के निवासियों को बहुत लाभ मिलेगा।

(18.20 बजे)

(श्री लक्ष्मण सिंह रावत, सभापति, पदासीन)

(डा. रघुवीर सिंह गौड़)

इसके मध्य भाग के लिए भी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मात्र 6 किलोमीटर सड़क बनाने पर भाखंरी से पावटा जुड जाता है। पावटा एक गौण मण्डी भी है और अच्छा कस्बा भी है लेकिन वहां के निवासियों को उधर जाने के लिए मण्डा होकर जोधपुरा प्रागपुरा होकर कम से कम 15 किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ता है, वहां के निवासियों को साधन नहीं होने के कारण व्यर्थ चक्कर लगाना पड़ता है इसलिए मात्र 6 किलोमीटर रास्ता बन जाए तो जैसा मैंने आपको बताया, पूरा का पूरा क्षेत्र सम्पर्क में आ जाता है।

दूसरी बात मैं इस सम्बन्ध में कहना चाहूंगा, कि एक नीति भी होनी चाहिए। सीमावर्ती सड़कों पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है, उदाहरण के लिए कोटपूतली क्षेत्र से हरियाणा, सीकर, अलवर जिला मिलता है लेकिन अलवर जिले की दो सड़कें सीधी उनसे कनेक्टेड हैं। पावटा से बुचारा है और उधर सीकर जाने के लिए मात्र तीन किलोमीटर की दूरी रह जाती है। सीकर ज़िले में जाने के लिए यह तीन किलोमीटर का टुकड़ा जोड़ दिया जाता है तो पावटा से बुचारा होते हुए सीकर सीधा पहुंचा जा सकता है। अभी स्थिति यह है कि सीकर जाने के लिए पावटा के लोगों को पहले शाहपुरा जाना होता है फिर अजीतपुरा होते हुए चक्कर काटते हुए उनको सीकर पहुंचना पड़ता है। इसी प्रकार एक दूसरा स्थान चांदोली दूदास है जो कि पहाड़ी क्षेत्र है। वहां पर आदिवासी लोग अधिक रहते हैं और वह बिलकुल कटा हुआ है। टोरडा गुजरान नामक एक जगह है, वहां से छह किलोमीटर की दूरी पर सीकर की सीमा लगती है। सीकर की ओर से तो वहां सड़क आयी हुई है, लेकिन हमारे कोटपूतली क्षेत्र में टोरडा गुज़रान से लेकर चांदोली दूदास होते हुए सीमा तक कोई सड़क नहीं है। पथरीली जगह है, ऊंची-नीची है और जंगलों से घिरी हुई है इसलिए वहां से किसानों को भी बड़ी दिक्कत आती है। अगर ये दोनों सड़कें जोड़ देते हैं तो दो जिलों का सीधा सम्पर्क हो जाता है। किसानों का आवागमन भी हो सकता है, अपनी जिंस वगैरह भी ला सकते हैं, जो पावटा मण्डी है वह उनको सीधी पड़ेगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस जिले की सीमा से लगती हुई जो सड़कें हैं उनको जोड़ दिया जाए।

इसी प्रकार हरियाणा में एक स्थान नारनौल से सड़क आती है, लेकिन वह हरियाणा के बार्डर तक है और कोटपूतली तक आने में कच्चे में आना पड़ता है। कोटपूतली क्षेत्र के छाजराना गांव से इसको जोड़ने के लिए मात्र तीन किलोमीटर की सड़क बनानी पड़ेगी। आपके माध्यम से मेरा मंत्री महोदय से निवदेन है कि केवल तीन-तीन किलोमीटर की सड़कें बनाने के बाद यदि हम अपना सम्पर्क दूसरे जिले से भली प्रकार से कर सकते हैं, मीलों का रास्ता बचा सकते हैं और किसानों को सुविधा दे सकते हैं, तो इस प्रकार की सड़कों पर ध्यान दिया जाना चाहिये।

इसके बाद मैं यह कहना चाहूंगा कि नेशनल हाई वे पर आजकल जो प्रैशर बढ़ रहा है। कोटपूतली से जयपुर तक चार लेन है और कोटपूतली से बहरोड़ तक अभी टू लेन ही है। लेकिन फोर लेन होने के बावजूद भी यह आश्चर्य की बात है कि एक्सीडेंट्स में बढ़ोत्तरी हुई है, कमी नहीं हुई है। कोटपूतली क्षेत्र में नेशनल हाई वे

(डा. रघुवीर सिंह गौड़)

नम्बर आठ करीब 35 किलोमीटर पड़ता है और, माननीय सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि पिछले साल की तिमाही में इस 35 किलोमीटर की दूरी में 69 मौतें हुई थीं एक्सीडेंट्स के अंदर और इस तिमाही में 104 मौतें हो चुकी हैं। चार लाइन होने के बावजूद भी इस 1999 की तिमाही में मौतों का बढ़ना, एक्सीडेंट नम्बर का बढ़ना, यह बहुत ही चिन्ताजनक बात है। इसके लिए सबसे बड़ा कारण जो पहले भी माननीय सदस्यों ने बताया है वह है अवैध वाहनों का होना। निश्चित रूप से शाहपुरा, पावटा, बहरोड़ और कोटपूतली में सैकड़ों जीपें दिन-रात घूमती रहती हैं और यह बात भी सही है कि आश्चर्यजनक रूप से एक-एक जीप में 30-30 तक की संख्या में सवारियां पायी गई हैं। इस पर कोई रोक नहीं लगी है बावजूद इसके कि प्रशासन का ध्यान बार-बार दिलाया जा रहा है। इसके लिए मेरा परिवहन मंत्रीजी से भी निवेदन है कि एक शटल शाहपुरा से बहरोड़ के बीच में 15-15 मिनट के अंतर से वे चलाएं। सवारियां इतनी अधिक होती हैं कि जीपों में जाती हैं और जीप में इसलिए जाते हैं कि उनको आशा होती है हमको ये जल्दी पहुंचाएंगे। जबकि होता उसका उलटा है। वे भी रुकती हुई जाती हैं। कभी कोई चैकिंग के लिए आते हैं तो भागते हैं और भागने के टाइम पर अक्सर उनके एक्सीडेंट होते हैं। लेकिन अगर शटल इस प्रकार चला दी जाए 15-15, 20-20 मिनट के अंतर से तो निश्चित रूप से आपकी आय भी बढ़ेगी और एक्सीडेंट के खतरे भी बहुत कम हो जाएंगे। मेरा निवेदन है कि यह वहां की बहुत जरूरत है, बहुत गंभीर मामला है, एक्सीडेंट्स रोजाना हो रहे हैं और ये रोके जा सकते हैं, इसलिए वहां पर लोकल शटल कम से कम बहरोड़ और शाहपुरा के बीच में चलायी जाए।

जैसा बानसूर से पधारने वाले माननीय सदस्य फरमा रहे थे, यह बात सही है कि यद्यपि आवागमन अलवर और कोटपूतली के बीच में बहुत बढ़ गया है, लेकिन गाड़ियों का रख-रखाव ठीक से नहीं हो पा रहा है। वहां पर बीच-बीच में अवैध वाहन भी चलते रहते हैं और यातायात व्यवस्था भी इस रूट पर अव्यवस्थित है। इसको ठीक करने के लिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं।

अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, यह बात सही है कि कुछ सड़कों में सुधार हुआ है, लेकिन एक-दो बहुत पुरानी सड़कें हैं जो उखड़ चुकी हैं। जोधपुरा से नारायणपुर जाने वाली सड़क, मेरे खयाल से उसका रख-रखाव काफी वर्षों से नहीं हुआ है और उसमें बहुत गड्ढे पड़ गये हैं जिससे कि पैदल चलना भी दूभर हो जाता है। मेरा निवेदन है कि जोधपुरा से नारायणपुर जाने वाली सड़क और गोवर्धनपुरा चौकी से कराना की ओर जाने वाली, इन दो सड़कों का सुदृढ़ीकरण भी होना चाहिए और नवीनीकरण भी होना चाहिए। एक सुदूरपुरा ढाढा से कोटपूतली आने वाली सड़क है, इसका भी नवीनीकरण हो, इसी निवेदन के साथ मैं अपनी बात खतम करना चाहूंगा, धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री देवीलाल।

श्री देवीलाल बैरवा (शाहपुरा) : माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या-21 और मांग संख्या-12 के ऊपर जो चर्चा हो

(श्री देवीलाल बैरवा)

रही है। सभापति महोदय, मेरा मंत्रीजी से यह निवेदन है कि मेरी शाहपुरा तहसील में जो भी सड़कें हैं, आप इस बात की जानकारी करा लें कि शाहपुरा तहसील की सड़कों में जितनी टूट-फूट हो रही है वैसी शायद राजस्थान में न हो। हमारे यहां से पहले गृह मंत्रीजी थे लेकिन 10 साल पहले कांग्रेस के राज में जो सड़कें बनीं, डामरीकरण हुआ एनीकट, पुलिया और ढोला बने थे, उन्होंने उस पर कोई भी काम नहीं कराया। मैं तो यह सोचता हूं कि हमारे गृह मंत्रीजी हैं उन्होंने चुनाव में दो करोड़ रुपये खर्च किए, उतना ही खर्चा पुलियाओं पर कर देते तो काम हो जाता। कम से कम दो करोड़ रुपया उन्होंने चुनाव में खर्च किया। मेरा निवेदन है कि दो करोड़ रुपया सड़कों पर खर्च कर देते तो आज सड़कें तैयार होतीं। मेरा मंत्रीजी से निवेदन है कि शाहपुरा से गुलाबपुरा जाने के लिए, 35 किलोमीटर लम्बी सड़क है। इसके ऊपर 10-12 गाड़ियां दिन-रात में आती-जाती रहती हैं। ट्रक, ट्रैक्टर, गाड़ियां खूब आ-जा रही हैं, लेकिन सड़क की हालत ऐसी हो रही है कि किसी का पट्टा टूट जाता है, मोटर साइकिलें जाती हैं तो उनकी ताड़ियां टूट जाती हैं। उसमें फुट-फुट भर के खड्डे हो रहे हैं। उस सड़क पर 10-12 साल पहले डामरीकरण कांग्रेस की सरकार में माथुर साहब थे तब हुआ था।

दूसरा मेरा नम्र निवेदन है कि दूसरी सड़क है-

श्री सभापति : प्लीज डोंट इंटरफियर। (व्यवधान) कृपया, व्यवधान न डालें।

श्री देवीलाल बैरवा : दूसरी सड़क शाहपुरा से पूल्यावत तक जा रही है, संगारी व गुड़कल्या खेड़ा और श्यामपुरा तक उस पर बिलायती बबूल भी बड़े-बड़े हो रहे हैं। उन बबूलों की हालत यह हो रही है कि गाड़ी निकलना ही मुश्किल हो रहा है। मैं तो यह सोचता हूं कि कोई पालणे वाली भी जाए और उसके साथ में कोई टाबर सोता हो तो उसकी आंखें फूट जाएं। मंत्रीजी ने इस काम के लिए ऑर्डर दिया और अकाल राहत में उन बबूलों को कटाया, कुछ खुदाया, लेकिन उस पर डामर नहीं है। मेरा निवेदन है कि उस पर आप डामर कराएं और उस सड़क को तैयार कराएं। तो हम सब लोगों के आने-जाने के लिए साधन अच्छा रहे। शाहपुरा से बिकोड़ा बड़ा मूहावाला जो सड़क जा रही है उसकी भी हालत ऐसी हो रही है कि एनीकट टूट रहा है, पुलिया टूट रही है और गाड़ियों के आने-जाने में बड़ी दिक्कत हो रही है। मेरा यही निवेदन है कि इस सड़क का आप जरूर काम कराएं। एक बात का तो मैं मंत्रीजी को धन्यवाद देता हूं कि शाहपुरा माताजी का खेड़ा, रेड, पचखेड़ा और खादेड़ा ये आपने नेशनल में ले लीं और इस सड़क पर कुछ काम भी हो रहा है।

दूसरा, मेरा निवेदन है, जैसा मेरे पूर्व वक्ताओं ने शाहपुरा, गुलाबपुरा वाले के लिए कह दिया, वहां ठेकेदारजी को कहा जाए कि इन पर कुछ काम करें, कुछ डामरीकरण करवाया जाए। उसमें ठेकेदार ने क्या किया कि खड्डे में कंकर डालकर थोड़ा बहुत डामर डाल दिया। चूंकि नीचे डामर नहीं था इसलिए गाड़ियों के आने-जाने से कंकर निकलकर बाहर आ गए हैं। आप चाहें तो इसकी आकर जांच कर लें ठेकेदार सूखी कंकर डालकर ऊपर डामर डालता है

(श्री देवीलाल बैरवा)

और उसके ऊपर रोलर फेर देता है। कंकर में नीचे तक वह डामर नही डाल रहा है इससे सड़क के ऊपर सारे कंकर बिखर जाते हैं। इससे आने-जाने वालों को बहुत दिक्कत हो रही है। इन पर न तो मनुष्य चल पा रहे हैं और पशुओं को भी बहुत तकलीफ हो रही है। अगर खड्डों के पैंदे से लेकर ऊपर तक कंकर और डामर मिलाकर जमाया जाए तो वह ठीक रहेगा।

मेरा यातायात मंत्रीजी से निवेदन है, मंत्री जी तो नहीं हैं लेकिन सभापतिजी बैठे हैं और सारे मैम्बरान बैठे हैं। एक तो शाहपुरा से अजमेर के लिए जो गाड़ियां चलाई जा रही हैं इसमें शाहपुरा की कोडड़ी की सांगरिया की सवारियों को नहीं बिठाया जाता है। डेढ़ बजे वाली गाड़ी सवारियों को पीछे छोड़कर रवाना हो जाती है और आगे चलकर गुलाबपुरा में खड़ी रहती है। अगर यह गाड़ी पौने चार बजे रवाना न होकर सवा पांच बजे अजमेर से रवाना हो तो पूरी की पूरी भरी हुई आएगी और भरी जाएगी जिससे उनको गाड़ियां बदलनी नहीं पड़ेंगी। इसलिए इस गाड़ी को अजमेर से सवा पांच बजे रवाना किया जाए।

दूसरा, मेरा निवेदन है कि भीलवाड़ा से जो गाड़ियां सुबह चलती हैं वे एक-एक घंटा के अन्तराल से रवाना हो जाती हैं। ऐसी दो-तीन गाड़ियां चल रही हैं। यदि गाड़ियों की रवानगी के बीच में कम से कम डेढ़ घंटे का अन्तराल रखा जाए तो ये गाड़ियां सवारियों से भरी हुई आएंगी। साथ ही मेरा निवेदन है कि केकड़ी होते हुए एक गाड़ी और चलाई जाए। मेरा निवेदन यह भी है कि जो गाड़ी भीलवाड़ा से केकड़ी, सवाईमाधोपुर, जयपुर तक चलती है उसे हरिद्वार तक किया जाए, यह गाड़ी फुल चलेगी।

अब मैं एनीकट और पुलियाओं के बारे में निवेदन करूंगा। मेरे यहां करीब 10 एनीकट हैं और सभापति महोदय, ये दसों ही एनीकट अधूरे पड़े हैं। मैं इनके नाम बता दूं, नाक्या जी..., ऊर्जा मंत्री जी बैठे हैं, कृपया नोट कर लें (व्यवधान)...

एक माननीय सदस्य : बुजुर्ग मैम्बर बोल रहे हैं।

श्री सभापति : जोइंट रेस्पोसबिलिटी है। मैं कह रहा हूं बैठें। माननीय सदस्य, प्लीज, सिट डाउन। (व्यवधान)

श्री देवीलाल बैरवा : दूसरे मंत्रीजी नोट कर रहे हैं। खारी नदी के ऊपर जो एनीकट है वह अधूरा पड़ा है, उस पर करीब 10-12 लाख रुपया खर्च हो चुका है। इसे पूरा करवाया जाए। दूसरा, जेगवा का है, उस पर करीब 8-10 लाख रुपये लग गए हैं। 4-5 लाख रुपए और लगा दिए जाएं तो इसका काम पूरा हो जाएगा। तीसरा, सांखली से सरदारपुरा है। एक बालवा है यह भी अधूरा पड़ा है। एक की तो पाल बंध गई है और दूसरे की नींव भरी जा चुकी है, उस पर अगर पट्टी-कातले डाल दिए जाएं तो यह ठीक हो जाएगा। चौथा, सवाई और सारला के बीच नदी पर है, इनके बीच में गाड़ियां आती-जाती रहती हैं। इस पर दो साल तो काम हो चुका है, 10-5 लाख रुपये और लगा दिया जाए तो वह पूरा हो जाएगा। पहले माथुर साहब, जोशी साहब, पहाड़िया साहब, मुख्य मंत्री रहे थे कई मुख्य मंत्रियों के कार्यकाल में 40-45 ढोले बन चुके थे लेकिन अधूरे रह गए थे। मैंने इनके लिए गृह मंत्रीजी को

(श्री देवीलाल बैरवा)

लिखकर भी दिया है कि ये अधूरे काम पूरे करवाये जाएं। उन्होंने कहा कि तीन महीने में हो जाएंगे, लेकिन पांच साल में भी नहीं हुए हैं अधूरे पड़ें हैं। आपने जो समय दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूं, धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री जगत सिंह दायमा। संक्षेप में।

श्री जगत सिंह दायमा (बानसूर) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी मार्फत् माननीय मंत्रीजी और सदन का ध्यान उस दिशा की तरफ दिलाना चाहता हूं जिसकी तरफ 50 साल से आज तक ध्यान नहीं दिया गया। सभापति महोदय, बार-बार मैं जिस वर्ग का जिक्र करता हूं, इधर उधर से आवाज आती है। कोई कहता है मनुवादी और कोई दूसरी बात कहता है। मेरी जो टीम है वह ऐसे वर्ग के लिए हैं जिसके बारे में मैं बात करता हूं तो आप लोग हंसते हैं। सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इस प्रदेश में, या इस देश में जो भी नीतियां बनती हैं वे सिर्फ उच्च वर्ग के लिए, उनकी सुविधा के लिए और बड़े व्यक्तियों के लिए बनती हैं। आप कहेंगे, कैसे? जितनी भी रोड बनी हैं उनका अवलोकन किया जाए। नीति की बात की जाए तो आप इस बात को पायेंगे कि बड़े-बड़े लोगों ने, चाहे वे जागीरदार थे, चाहे वे राजा थे, वे प्रभावशाली व्यक्ति थे, चाहे वे मंत्री बन गये, एम. एल. ए. बन गये, उन्होंने किसी नियम का करके अपने यहां तो रोड बनवा ली। कभी सड़क की नीति बनाते हैं तो कह देते हैं कि दो हजार की जो जनसंख्या होगी उसको जोड़ेंगे। कभी उसको घटाकर 1500 ले आते हैं, कभी हजार ले आते हैं। मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि चाहे पानी की नीति बने, चाहे बिजली की नीति बने, चाहे उद्योग की नीति बने, चाहे सिंचाई की नीति बने, चाहे परिवहन की नीति बने, चाहे सड़क की नीति बने, जो भी नीति आज तक बनी है वह ऊंचे वर्ग के लिए बनी है। जहां पर एक घनी आबादी का व्यक्ति रहता है, उच्च वर्ग का रहता है उसकी तरफ तो वह नीति बन गयी। बिजली लगाने की बात आए तो बड़े गांवों को पहले दें, उद्योग के लिए लिया तो बड़े गांवों को पहले लेकर कर लिया, पानी की बात आए कि पानी देना है तो पहले शहरों को देते हैं, फिर बड़े गांवों को देते हैं। कभी भी कोई भी नीति आपने बनायी है वह गरीब तबके के लिए नहीं बनायी है। मैं इसलिए ध्यान दिलाना चाहता हूं कि गरीब तबका गांवों में रहता है और गांवों में ही नहीं बल्कि ढाणियों में रहता है। आज मैं निदेवन करूं कि मेरे यहां पर रोड बना दीजिए तो कहेंगे कि एक हजार की जनसंख्या वाला है या नहीं। एक हजार की नहीं, मैं दो हजार की जनसंख्या को जोड़ने की बात कह सकता हूं कि दो हजार की संख्या अगर आपकी ढाणियों तक जाती है तो उधर से आप क्यों नहीं रोड बनाते हैं? इसलिए मैं बार-बार निवेदन करना चाहता हूं कि जो गरीब तबका रहता है, उसको शहरों में कहीं जगह है नहीं, उसको गांव में कहीं जगह है नहीं, वह ढाणियों में रहता है। और ढाणियां जो हैं वहां पर आप न स्कूल खोलते हो, न वहां पर सड़क भेजते हो। बिजली अगर देते हो तो बड़े गांवों में देते हो। आखिर मुझे बताएं कि जो गरीब तबका है, जो झोंपड़ी में रह रहा है, जो जंगल में रह रहा है उसको आखिर 50

(श्री जगत सिंह दायमा)

साल तक भी सुविधा नहीं मिली तो वह सुविधा कब मिलेगी? इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो नीति आप बना रहे हैं वह गरीब और पिछड़ा जो व्यक्ति रह रहा है, गांवों में रह रहा है उसकी तरफ ध्यान देकर भी आपको बनानी चाहिए।

सभापति महोदय, मैं 4-5 रोड्स का नाम बताऊंगा जहां पर इस तबके के लोग रहते हैं और वे छोटी-छोटी मिसिंग रोड्स हैं।

माननीय पी. डब्ल्यू. डी. मिनिस्टर साहब, अगर आप 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर रोड बना देंगे तो लोगों को बड़े कस्बों में जाने के लिए 40-40, 50-50 किलोमीटर का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं सीलीसेढ़ होते हुए बखतपुरा तक तो रोड बना रखी है जो लक्ष्मणगढ़ विधान सभा क्षेत्र में आती है, परन्तु वहां से कोई 15-16 किलोमीटर रामपुर कस्बा है वहां नहीं है। अलवर से जो रामपुर रोड थी यह राजाओं के समय से रोड थी, परन्तु वह रोड अब बंद हो गयी, रास्ता भर रह गया है। अगर यह 15-16 किलोमीटर रोड, मेरी प्राथमिकता है, पी. डब्ल्यू. डी. मिनिस्टर साहब, माननीय राठौड़ साहब मेरी बात की तरफ ध्यान दें लें, माननीय राठौड़ साहब, मेरा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इश्यू यह एक ही रोड का इश्यू है। अगर आप बखतपुरा से रामपुर को जोड़ दें— बखतपुरा के आसपास जो 40 हजार लोग रहते हैं उनको अगर रामपुर जाना है तो 75 किलोमीटर जाना पड़ेगा और फिर रामपुर कस्बे में जाते हैं, आप 15-16 किलोमीटर की रोड बना दें तो उनको 75 किलोमीटर का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। ये गांव हैं, ढांणियां हैं, वहां तक रोड पहुंची हुई है और यह मिसिंग रोड है, इसलिए मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, दूसरी रोड है बखतपुरा और बखतपुरा से छीढ तक, वह सिर्फ 4 किलोमीटर है। अगर इस 4 किलोमीटर को आप जोड़ दें तो फिर जरूरी नहीं है कि ये लोग अलवर से होकर बानसूर आएं। सिर्फ 4 किलोमीटर रोड बनने के बाद में आपकी 50 किलोमीटर रोड पूरी की पूरी तैयार हो जाती है।

इसी तरीके से नांगल लाखा से पहाड़ी, बागड़िया से मागरा डाकोड़ा, यह मागरा डाकोड़ा बागड़िया से है, पी. डब्ल्यू. डी. में है। पी. डब्ल्यू. डी. मिनिस्टर साहब, मैं जब इस विधान सभा का सदस्य था, मंत्री था तो दो किलोमीटर तो रोड बनी, उसके बाद में एक जीरो रोड़ी भी वहां पर नहीं डाली गयी और वह काम अधूरा पड़ा है। सिर्फ राजनीतिक कारणों से वह आगे नहीं बढ़ पाया। यह भारतीय जनता पार्टी के जमाने की बात कह रहा हूं, और तो मैं क्या कहूं?

एक ओर रोड है भवेड़ी से मोहम्मदपुर यह सिर्फ 4 किलोमीटर रोड है। अगर यह भवेड़ी से चार किलोमीटर रोड बन जाए तो कम से कम 20 हजार की आसपास की बस्तियां हैं उनको 43 किलोमीटर बहरोड़ नहीं जाना पड़े, सिर्फ 13 किलोमीटर से काम चल सकता है। कहां 43 किलोमीटर और कहां 13 किलोमीटर। ये 4-5 रोड बनायी हैं। वैसे गणित तो मेरा विषय रहा नहीं है, मेरा तो हिस्ट्री रहा है, सोशलॉजी रहा है, पोलिटिकल साइंस रहा

(श्री जगत सिंह दायमा)

है, परन्तु 516 करोड़ रुपये आपका बजट है, इसमें अगर 200 का भाग दे दिया जाए तो 2.62 करोड़ के करीब हिस्सा आता है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे तो आप पौने तीन करोड़ रुपये आप दे दें तो कुछ जो मेरे हिस्से का पैसा 25-30 लाख मुझे मिल रहा है वह इसमें जोड़कर इन रोड्स को पूरा करवा सकता हूं। एक तो मेरा यह निवेदन है।

श्री सभापति : कृपया संक्षिप्त करें।

श्री जगत सिंह दायमा : सभापति महोदय, दूसरा मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं स्पीड ब्रेकर्स के बारे में। आज चूंकि अधिकारी लोग यहां पर बैठे हैं, वे भी सुन रहे हैं। अलवर से भरतपुर 110 किलोमीटर है। आज के समय में क्योंकि अच्छी गाड़ियां हैं, तेज स्पीड की गाड़ियां हैं तो अगर 55 किलोमीटर की स्पीड से भी चलें तो 110 किलोमीटर दो घंटे में पहुंच सकती हैं। पर वहां तक पहुंचने में चार घंटे लगते हैं। क्यों लगते हैं? यह कभी भी ध्यान नहीं दिया जाता कि भरतपुर से अलवर तक कम से कम 500 स्पीड ब्रेकर्स बने हुए हैं। आखिर में अगर सरकार ध्यान नहीं देगी तो ध्यान देगा कौन? हर खेत पर स्पीडं ब्रेकर है। मैं इसलिए ध्यान दिलाना चाहता हूं कि यह इम्पोंटैण्ट बात है।

दूसरी बात, यह है कि अब नयी-नयी रोड्स बन रही हैं। मैं उदाहरण के तौर पर कहना चाहता हूं कि अलवर से भिवाड़ी जो रोड जाती है, यह मेरे बड़े भाई जगमाल सिंह जी का क्षेत्र है परन्तु इनको भी मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कि कितनी जगह स्पीड ब्रेकर बन गये। जितनी दूरी होनी चाहिए रोड पर, उससे कम दूरी पर लोगों ने मकान बना लिये। वहां अतिक्रमण हो रहे हैं, नजदीक बस्तियां बस रही हैं। हमने बाई पास बनाया परन्तु उसका लाभ नहीं मिल रहा। थोड़े दिनों में वहां पर नजदीक मकान बन गये और फिर कोई न कोई बच्चा भागदौड़ में इधर से उधर एक्सीडेंट हो जाता है। एक गांव में 5-5, 6-6 स्पीड ब्रेकर्स हैं, वे ऐसे स्पीड ब्रेकर्स हैं जो आपके विभाग ने नहीं बनाये परन्तु हमारी कमर टूट जाती है जब हम जाते हैं दनादन-दनादन और गाड़ियां भी टूट जाती हैं। अधिकारी लोग भी वहां से 50 बार गुजरते हैं, परन्तु ध्यान नहीं देते। मैं इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं, एक दिन मैं माननीय भैरोंसिंहजी साहब के साथ जा रहा था तो रास्ते में, उन्होंने 5-7 बार इसको नोट किया और सरिस्का में ठहरकर एक्स. ईएन. को बुलाया और कहा कि यह क्यों है, यह क्यों है। क्या इन अधिकारियों का ध्यान नहीं जाता है? जिस विभाग में बैठे हैं, सुविधाएं दे रखी हैं, गाड़ी दे रखी है, बंगले दे रखे हैं, इनके बच्चे अच्छी स्कूलों में पढ़ते हैं, सारी सुविधाएं दे रखी हैं उसके बाद गांवों की तरफ ध्यान क्यों नहीं जाता? इस तरह की जो अव्यवस्था है, उसकी तरफ आखिर इनका ध्यान क्यों नहीं जाता?

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री जगत सिंह दायमा : बस, दो मिनट में अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ। सभापति महोदय, एक पुल है, कोटकासिम का उसके ऊपर पुल बनवाया जाना चाहिए।

एक और डिमांड, यह 12 नम्बर की डिमांड है, उसमें निवेदन करना चाहता हूं

(श्री जगत सिंह दायमा)

कि आज बसों की बहुत कमी आ गई है। हमारे बच्चे, जो गांवों में, देहातों में पढ़ते हैं, वे पढ़ाई करने के लिए सड़कों पर खड़े हो जाते हैं और बस के इंतजार में खड़े रह जाते हैं। बहुत मार्मिक बात है। यह मेरे को गांव वालों ने कहा इसलिए मैं यह बात कर रहा हूं।

श्री सभापति : बिन्दु में, पाइंट्स में, आप शॉर्ट कीजिये।

श्री जगत सिंह दायमा : बस, बिन्दुवार, यह खतम करके मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।

बच्चे बस्ते लेकर खड़े हो जाते हैं, चाहे उनकी परीक्षा हो, चाहे ऊपर से बरसात आ रही हो, चाहे गर्मी हो, गाड़ियां आती हैं और धड़धड़ाहट करती हुई सीधी निकल जाती हैं। कोई एक-दो बस आती है, वह उनको लेती नहीं। दूसरे जो प्राइवेट वाहन चलते हैं जैसे जीप वगैरह, वे भी उनको नहीं बैठाते और बैठाते हैं तो एक-एक बच्चे से 10-10 रुपया किराया लिया जाता है। सभापति महोदय, इसलिए ध्यान दिलाना चाहता हूं कि छोटी-छोटी बातें जरूर हैं परन्तु पूरी जनता इन बातों से दुःखी हैं। मेरे यहां पर बसें पहले सात चलती थीं। जो पहले कलक्टर थे हमारे यहां माननीय दीपक उप्रेती साहब, वे आज यहां पर आये हैं और मैं उनको देख रहा हूं, वे अलवर में रहे हैं इसलिए इनकी तरफ ध्यान दें। जो बसें पहले वहां पर चलती थीं, वे बंद कर ली गई हैं और ये मेरे को बोल रहे हैं कि किनकी बसें हैं–

श्री सभापति : अब आप समाप्त करें। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। कृपया विराजिये। आपने 13 मिनट ले लिये 5 मिनट की जगह।

श्री जगत सिंह दायमा : यह सच बात है। मैं बहुत कहना चाहता हूं परन्तु मुझे मालूम है, माननीय जगमाल सिंह जी यादव जो मिनिस्टर रहे हैं, वे इस बारे में बोलेंगे और उनके विचारों के साथ मैं अपने विचार जोड़ना चाहूंगा। धन्यवाद। (व्यवधान) मुझे पता है कि वे क्या-क्या बोलेंगे, इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूं।

श्री सभापति : श्री मोहनलाल चौहान।

डा. किरोड़ी लाल : सभापति महोदय, नेशनल हाई-वे के ऊपर स्पीड ब्रेकर बिजली के खंभे लगाकर बना रखे हैं, यह नेशनल हाई-वे की प्रॉब्लम है। इनके प्रति तो सरकार को, माननीय मंत्री महोदय को गम्भीर होना पड़ेगा यह नेशनल हाई-वे की बड़ी समस्या है।

श्री मोहन लाल चौहान (परबतसर) : सभापति महोदय, आज मांग संख्या-21 सड़कें एवं पुल तथा मांग संख्या–12 यातायात पर सदन में चर्चा हो रही है। मैं सबसे पहले राजस्थान के मुख्य मंत्री, वित्त मंत्री और सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि अब की 518 करोड़ 84 लाख का बजट प्रावधान किया और मरम्मत और सुदृढ़ीकरण के लिए 95 करोड़ 50 लाख के दुगने 198 करोड़ का प्रावधान किया।

सभापति महोदय, नागौर जिले की सड़कों के मामले में भारी उपेक्षा की गई है। नागौर जिले में सड़कों की उपेक्षा होने से हमारे जिले का विकास ठप है। नागौर जिला एक बहुत बड़ा जिला है और इसका भू-भाग भी बहुत लम्बा चौड़ा है, 300 किलोमीटर दूर का जिला है। सड़कों का अभाव है। आज सड़कों की आवश्यकता

(श्री मोहन लाल चौहान)

है। सड़क नहीं होने से आज गांवों में सगाई नहीं करते हैं, सम्बन्ध नहीं करते हैं। वे पूछते हैं कि गांव में सड़क है या नहीं, बस जाती है या नहीं। इसलिए सड़कों की आवश्यकता बढ़ गई है और सड़कों का बनना बहुत जरूरी है। सड़कों में नागौर जिले की घोर उपेक्षा करने से हमें बहुत दर्द है कि नागौर जिला सड़कों में बहुत पीछे है और नागौर जिले के आप पी. डब्ल्यू. डी. मंत्री बने हैं। नागौर जिले के जो स्टेट हाई-वे हैं, परबतसर से जोधपुर वाया मेड़ता और अजमेर से बीकानेर वाया मेड़ता-नागौर, ये स्टेट हाई-वे अधूरे पड़े हैं। सिंगल रोड है कई जगह, डबल नहीं की गई है। मैंने पांच साल पहले यह मसला उठाया था। आज स्टेट हाई-वे उदयपुर संभाग या किसी भी डिवीजन में हो या बीकानेर डिवीजन में भी हो, वहां डबल रोड है जबकि नागौर जिले में आज तक स्टेट हाई-वे सिंगल रोड है। यह पैसा गया कहां? आठ साल में भारतीय जनता पार्टी की तत्कालीन सरकार ने जो उपेक्षा की है जो हमारे साथ में अन्याय किया गया है, उस घाटे की पूर्ति के लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा। नागौर जिले में स्टेट हाई-वे अधूरा पड़ा है, कई टुकडों में हैं। कहीं पर तो डबल कर दी है, कहीं बीच में छोड़ दी है। परबतसर से, किशनगढ़ से, रतनगढ़ से डिफैंस रोड बन रही है, वह भी कई जगह सिंगल रोड है, पुष्कर से नागौर जाते हैं वाया मेड़ता, वह भी कई जगह सिंगल रोड है। इनका सोच ही गलत है। मंत्री महोदय, आपके विभाग का सोच ही गलत है। ये आधा काम करके छोड़ देते हैं, कहीं बीच में दूसरी जगह से जोड़ते नहीं हैं। मैं तो यहां पर कहना चाहता हूं कि आपके विभाग ने इस तरह का सोच बना रखा है, वह गलत है। एक रोड कंबला से राबडियाद बन रही थी भाजपा के शासन में यह रोड डामर डालने के लिए साल भर तक पड़ी रही। डामर नहीं होने से इस रोड का दुरुपयोग हुआ है, इंजीनियर्स लोगों ने खूब दुरुपयोग किया है उस सड़क का, जबकि डेढ़ा खर्चा सड़क को पूरा करने में लगा। इसी तरह के कई उदाहरण हैं। सड़कों पर मैटीरियल कहीं पड़ा रहता है, गिट्टी कहीं पड़ी रहती है और सड़क टाइम पर बनती नहीं है, निश्चित समय पर बनती नहीं है। इसका मिसयूज तगड़ा हो रहा है और विभाग का कितना ही मैटीरियल जगह-जगह पड़ा हुआ है। बिलकुल ही आपके विभाग को सतर्क करना पड़ेगा कि जो भी काम करना हो, वह निश्चित समय में ठेकेदार करे। ठेकेदारों का राज चल रहा है आपके विभाग में तो। मंत्री महोदय, आप अपने विभाग को सतर्कता से संभालें। यह विभाग इतना मिसयूज कर रहा है, लाखों रुपयों का मैटीरियल कहीं पड़ा है, कहीं पहाड़ी पर मैटीरियल पड़ा हुआ है लेकिन ये लोग समय पर उसका उपयोग नहीं करते हैं। उसका दुरुपयोग होता है और काम भी समय पर नहीं होता है।

(19.00 बजे)

मंत्री महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे परबतसर में एक पुलिया है पी. एच. ई. डी. के नागा बांध पर, स्टेट हाई-वे की पुलिया है, लेकिन सिर्फ साढ़े सात फीट चौड़ी वहां पर आये दिन एक्सीडेंट होते हैं। बिलकुल बंधे के पास में पुलिया बनी हुई है। उसको चौड़ा करने के लिए सोच रखते ही नहीं हैं

श्री मोहन लाल चौहान : माननीय सभापति महोदय, हमारे क्षेत्र में कई सड़कें महत्त्वपूर्ण हैं। एक हमारे बडू से हरनावा, रानाबाई का धार्मिक स्थान है, वह सड़क काफी दिनों से नहीं बन रही हैं। बडू से रानाबाई का जो स्थान है, वह सात किलोमीटर सड़क बनाने की कृपा करें। बागोर से बडू सड़क इतनी खराब है, खड्डे पड़े हुए हैं, उसको भी आप ठीक कराएं तो बड़ी मेहरबानी होगी। इसकी जल्दी से जल्दी आप मरम्मत कराएं। एक सड़क हमारे पीपला से पुष्कर जाने वाली सड़क है, बहुत लम्बी-पुरानी सड़क है। साल भर से इस सड़क की दशा इतनी खराब है कि वहां पर वाहन नहीं चल सके, खड्डे पड़े हुए हैं। उसको भी इस साल में लेकर नई सड़क बनाने के लिए मैं निवेदन कर रहा हूं आपसे। हमारे क्षेत्र में और भी सड़कें हैं, मैं मंत्रीजी, आपको लिस्ट दूंगा और आप हमारे क्षेत्र पर ज्यादा ध्यान देंगे, ऐसा मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं।

माननीय सभापति महोदय, परिवहन मंत्रीजी विराजे हैं, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र में परबतसर जो सब डिवीजन मुख्यालय है वहां 120 रोडवेज बसों का आवागमन रहता है। वहां पर एक सब डिपो खोलने की मेरी मांग है, सब डिपो खोला जाए। वहां पर रात को यात्रियों के नियन्त्रण के लिए, कंट्रोल करने के लिए सब स्टेशन इंचार्ज का पद सृजित किया जाए। मैं आपसे इस बारे में भी निवेदन कर रहा हूं कि यह रोडवेज का किराया जो आपने बढ़ाया है उसको कम किया जाए, जनहित में अच्छा रहेगा। रोडवेज का किराया कम होना चाहिए, प्राइवेट बस वाले कम लेते हैं। आज भी आपका यह मसला था, मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप इसको कम करें।

सभापति महोदय, आपने मेरे को समय दिया उसके लिए धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति : माननीय श्री रामगोपाल बैरवा। संक्षेप में।

श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा) : माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या-21-सड़क एवं पुल पर चर्चा चल रही है। मैं भी इस चर्चा में अपने आप को सम्मिलित करते हुए माननीय मंत्री महोदय को कुछ जो मेरे क्षेत्र की समस्याएं हैं उनके लिए निवेदन करना चाहता हूं तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग में जो कमियां हैं उन पर सुझाव रखना चाहता हूं। सभापति महोदय, जिस तरह से पिछले आठ साल का समय गया, सार्वजनिक निर्माण विभाग का जो कार्य समय से होना चाहिए था वह कार्य समय से नहीं हो पाता था। दूसरी तरह से जो कार्य करवाया जाता है उसमें क्वालिटी में काफी अनियमितताएं रहती हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि जब कार्य स्वीकृत किया जाता है तब साथ ही यह निश्चित कर दिया जाता है कि यह कार्य इतने समय में पूरा कर लिया जाएगा लेकिन देखने में यह आता है कि वह कार्य निर्धारित समय में पूरा नहीं करके काफी लम्बे समय तक चलता रहता है। परिणाम यह होता है कि उसकी लागत दिनों-दिन बढ़ती जाती है। उदाहरण के तौर पर मैं कहना चाहूंगा कि वर्ल्ड बैंक की स्कीम के माध्यम से मेरे विधान सभा क्षेत्र में चार लिंक रोड्स का कार्य चल रहा था। पिछले लम्बे समय तक यह काम बंद रहा। विधान सभा में भी

(श्री मोहन लाल चौहान)

आपके डिपार्टमैंट वाले कि दुर्घटनाएं हो रही हैं। छोटी-सी पुलिया है, पचास फीट की पुलिया है, उसको पूरा नहीं कर रहे हैं। यह इनका सोच गलत है। जो भी कोई सड़कों का काम कर रहे हैं, जो भी इनको सड़क बनानी है, कहीं पर कोई सड़क किस हिसाब से बननी है, जनोपयोगी है कि नहीं, कोई समझते ही नहीं। जो उपयोगी सड़क है उसको नहीं बना रहे हैं। कहीं पर तो जहां बैलगाड़ी नहीं चलती वहां सड़क बना देते हैं और जहां बसें चलती हैं वहां पर सड़क नहीं बनाते। इस प्रकार का इनका सड़कों का सोच है। मास्टर प्लान इनका क्या कहता है, मास्टर प्लान के अनुसार चलते नहीं ये लोग। मास्टर प्लान इनका मास्टर प्लान के अनुसार आपको चलना है, मास्टर प्लान के अनुसार आपको सड़कें बनानी चाहिए। माननीय मंत्री महोदय, नागौर जिले के लिए तो मेरा विशेष निवेदन है। वित्त मंत्रीजी विराजे हैं, वित्त मंत्रीजी, हमारे जिले के साथ में घोर अन्याय हुआ है। आठ साल में पूर्ववर्ती सरकार ने इतना अन्याय किया है कि हमारे जिले को बहुत..(व्यवधान)

श्री चन्दन मल बैद : यह न्याय दिला दिया न अब।

श्री मोहन लाल चौहान : हमारे मंत्री तो अब बने हैं चार महीने में।

श्री चन्दन मल बैद : तो न्याय किया न?

श्री मोहन लाल चौहान : अब है तो क्या हुआ? हमारे मंत्रीजी तो बने हैं अब, पचास साल से हम उपेक्षित थे। हमारा नागौर जिला सड़कों में बहुत पीछे है। वित्त मंत्रीजी, आप पधारना कभी, जगह-जगह खड्डे पड़े हैं।

श्री कृष्ण मुरारी गंगावत : अब आप ले जाना।

श्री मोहन लाल चौहान : वित्त मंत्रीजी, आप पूंजी दो हमारे मंत्रीजी को, हम तो यह चाहते हैं।

श्री सभापति : कृपया चेयर को एड्रेस करें।

श्री मोहन लाल चौहान : माननीय मंत्री महोदय, हमारा बिदियाद औद्योगिक क्षेत्र है जहां रोजाना हजारों मजदूर जाते हैं। परबतसर से बिदियाद औद्योगिक क्षेत्र की रोड है, 15 किलोमीटर जिस पर बसें ऊपर-नीचे भर कर जाती हैं। लेकिन वह सड़क टूटी-फूटी होने से बहुत हालत खराब है और मजदूरों को वहां खतरा भी रहता है। इस वास्ते परबतसर से औद्योगिक क्षेत्र बिदियाद सड़क को आप प्रायोरिटी पर लीजिये, पेवर रोड बनवाइये ताकि जो हमारे मजदूर लोग रोजाना जाते हैं औद्योगिक क्षेत्र में, वे दुर्घटना से बच सकें।

माननीय मंत्री महोदय, मेरे क्षेत्र में नसीराबाद से रतनगढ़ तक जो डिफैंस रोड बनी है, गंगानगर तक बसें चलती हैं। हमारे परबतसर होकर अजमेर से गंगानगर तक बसें चलती हैं। हमारे परबतसर होकर अजमेर से गंगानगर और आगे भी जाती हैं, सरदारशहर भी जाती हैं, रतनगढ़ भी जाती हैं, तो यह राष्ट्रीय मार्ग घोषित होना चाहिए। यह डिफैंस रोड है इन्दौर से अजमेर होते हुए मेड़ता बीकानेर और नागौर इसको भी राष्ट्रीय मार्ग घोषित कीजिये। बीकानेर बहुत लम्बा रूट है और बहुत आवागमन का साधन है। (व्यवधान) स्टेट हाई-वे तो है, राष्ट्रीय मार्ग की मैं मांग कर रहा हूं।

श्री सभापति : कृपया संक्षिप्त करें।

(श्री रामगोपाल बैरवा)

मैंने क्वेश्चन लगाया था। कुछ रोड्स का निर्माण कार्य 1996 में पूरा होना था, कुछ रोड्स का निर्माण कार्य 1997 में पूरा होना था, लेकिन चार रोड्स में से एक का भी कार्य संमयावधि में पूरा नहीं हुआ। परिणाम यह हुआ कि दोबारा उनके टेण्डर हुए और लागत बढ़ा दी गई। हमें इस बात को दृढ़ता के साथ निश्चित करना है कि जो कार्य स्वीकृत किया जाए वह निश्चित अवधि में पूरा हो।

इसी तरह से पिछले सालों में जो सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से सड़कें बनाई गईं, उन सड़कों में क्वालिटी के हिसाब से काफी गिरावट आई है। आपने देखा होगा, काफी सड़कें जो बनाई जाती हैं वे साल भर में, छह महीने के बाद ही इस तरह से क्षतिग्रस्त हो जाती हैं कि साल भर के बाद ही हमें उस पर मरम्मत करवाने के लिए मांग करनी पड़ती है। जो क्वालिटी कंट्रोल जिला मुख्यालय पर बनाया जाता है, क्वालिटी कंट्रोल का यह दायित्व होता है कि जहां-जहां से भी इस तरह से निर्माण कार्य में शिकायतें आती हैं उनके आधार पर वह जाकर क्वालिटी को मेन्टेन करे। लेकिन क्वालिटी कंट्रोल का जो आपका विभाग बना हुआ है वह जहां की शिकायतें प्राप्त होती हैं वहां पर ध्यान नहीं देता है। हमें इस चीज को दृढ़ता के साथ लागू करना चाहिए कि क्वालिटी में कुछ सुधार हो ताकि साल और छह महीने में ही मेंटीनेंस की दोबारा आवश्यकता न पड़े।

माननीय सभापति महोदय, मैं इस चर्चा में मेरे विधान सभा क्षेत्र की जो महत्वपूर्ण समस्याएं हैं उनके लिए भी माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। जो सार्वजनिक निर्माण विभाग सुल्तानपुर में बना हुआ है उसका सहायक अभियन्ता कम से कम 120 किलोमीटर की दूरी तक का पूरा एरिया कवर करता है और उसका परिणाम यह हुआ है कि समय से कार्य पूरे नहीं होते। इसके लिए पिछली तत्कालीन सरकार ने तीस-चालीस सब डिवीजन खोलने का जो प्रस्ताव रखा था उस में इटावा में एक सब डिवीजन खोलने का भी प्रस्ताव है। मैं आपसे निदेवन करना चाहता हूं कि उस सब डिवीजन को आप लागू करें। इसी तरह से जो वर्ल्ड बैंक की स्कीम के तहत चार सड़कों का निर्माण कार्य स्वीकृत किया गया है उन कार्यों को भी आप तत्परता के साथ चालू करके पूरा करवाने का कष्ट करें। इसी तरह से इटावा में राज्य सभा मैम्बर फंड की दस लाख रुपये की राशि से जो स्टेडियम का निर्माण स्वीकृत करवाया गया था, पिछले दो साल से वह राशि पड़ी हुई है और आपके विभाग द्वारा अभी तक वह निर्माण कार्य चालू तक नहीं करवाया गया है। दो-दो बार उसके टेण्डर निकाल दिये गये। तो इस कार्य को भी समयबद्ध प्राथमिकता देते हुए पूरा करवाने का कष्ट करें।

इसी तरह से इटावा जो कि महत्त्वपूर्ण कस्बा है, उसके मालबाम्बोरी और मांगरोल क्षेत्र की हालत को देखते हुए यह लगता है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग किसी तरह का कोई काम नहीं कर रहा है। जहां-जहां भी क्षतिग्रस्त सड़कें हैं उन पर मरम्मत का कार्य चालू करके शीघ्रता से इनको पूरा किया जाए।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सार्वजनिक निर्माण विभाग में जो कुछ अनियमितताएं की जा रही हैं उनके

(श्री रामगोपाल बैरवा)

संबंध में भी माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा 31-8-96 को एक आदेश जारी किया गया। उस आदेश के अनुसार 1993 की जो बी. एस. आर. थी उसमें 30 प्रतिशत राशि जोड़कर एस्टीमेट और जी. आर. शिड्यूल तैयार करना था। काफी विभागों के द्वारा इसमें अनियमितता की गई और 30 प्रतिशत का जो अतिरिक्त भुगतान करना था उसमें एस्टीमेट और जी. आर. शिड्यूल की राशि को शामिल नहीं करते हुए टेण्डर प्रीमियम में ठेकेदार को सीधा लाभ दे दिया गया। उदाहरण के तौर पर, आप जांच करवाइए, नगर खण्ड कोटा में, जहां महाराव भीमसिंह चिकित्सालय के बॉयज और गर्ल्स होस्टल का निर्माण कार्य चल रहा है। उसमें वहां के अधिशासी अभियन्ताओं नें पर्टीकुलर ठेकेदार को लाभ देने का काम किया है। इसी के साथ और जगह के खण्डों में भी इस योजना को खतम करके ठेकेदारों को लाभ देने का कार्य किया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो 30 प्रतिशत अतिरिक्त राशि का भुगतान नगर खण्ड, कोटा में किया गया है, आप उसकी जांच करवाने का श्रम करें।

माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि यान्त्रिकी खण्ड, कोटा में जो पेवर प्लांट बनाया गया है उसमें आपके अधिकारी नियुक्त हैं। पेवर प्लांट के माध्यम से जो काम करवाये जाने चाहिये थे उसकी वहां के नगर खण्ड के अधिकारियों ने पिछले कुछ समय से अवहेलना की और इस पेवर प्लांट के माध्यम से कार्य नहीं करवा कर कोटा में चेतन एन्टरप्राइजेज, उदयपुर की कुछ फर्मे और कोटा नगर के जो कुछ काम करने वाले लोग थे, उन संस्थाओं को सीधा लाभ पहुंचाया गया। इस तरह की अनियमितताएं आपके खण्डों में चल रही हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस तरह की अनियमितताओं को रोका जाए।

माननीय सभापति महोदय, पिछले सालों से काफी जांचें आपके यहां चल रही हैं। 11-6-92 का आदेश था और विधान सभा प्रश्न में भी इस बात को स्वीकार किया गया है कि निदेशालय, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर के द्वारा जांच की गयी कि स्टेट हाई-वे कोटा-बारां रोड नम्बर 7 पर 10 किलोमीटर पर अलातिया नदी पर जो निर्माण कार्य करवाया गया था उस पर एप्रोज रोड और पुलिया के निर्माण कार्य में काफी अनियमितताएं हुई थीं। 17 लाख रुपये के लिये उस ठेकेदार को जिसका नाम त्रिलोक चन्द था, और उस संस्था को और वहां के अधिकारियों को दोषी पाया गया था। एक लम्बे समय के बाद मैंने उसके संबंध में विधान सभा में प्रश्न लगाया था और प्रश्न में भी इस बात को स्वीकार किया गया था कि हां, जांच करने पर इस तरह की अनियमितताएं पायी गयी हैं। फिर भी आपके विभाग द्वारा ऐसे कौनसे कारण बने हैं, ऐसी कौनसी परिस्थितियां बनी हैं कि उन लोगों के खिलाफ कार्यवाही नहीं की गई? जिस ठेकेदार को दोषी माना गया था उसके खिलाफ आपने वसूली के आदेश अभी तक जारी नहीं किये। मैं निवेदन करना चाहता हूं, इस तरह की जो अनियमितताएं हैं उन पर पूरा ध्यान दिया जाए।

श्री सभापति : कृपया, संक्षिप्त करें।

श्री रामगोपाल बैरवा : माननीय सभापति महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि जो भी इस तरह की शिकायतें हैं उनको प्राथमिकता के आधार पर पूरा करें और मेरे विधान सभा क्षेत्र में जो-जो भी निर्माण कार्य लंबे समय से पैंडिंग हैं उनको समय पर पूरा करवाने का कष्ट करें। माननीय सभापति महोदय, आपने जो मुझे समय दिया उसके लिये धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री जगमाल सिंह यादव। शॉर्ट में प्लीज।

श्री जगमाल सिंह यादव (तिजारा) : बहुत ही शॉर्ट में। आपके आदेश का पालन करूंगा।

सभापति महोदय, मांग संख्या–12 और 21 पर सदन में गंभीर मंथन हो रहा है। मैं देख रहा हूं जितनी बड़ाई और जितनी तारीफ पी. डब्ल्यू. डी. मंत्रीजी की की जा रही है, हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर की नहीं की जा रही है। बात वाजिब भी है। चिकित्सा मंत्रीजी से कहिए कि वे अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री सभापति : आप कन्टीन्यू करें, Please, don't bother about it. आप अपनी बात करें, ठीक है। इट्स ओके, आप अपनी बात बताइए।

श्री जगमाल सिंह यादव : चिकित्सा मंत्रीजी मेरी बात मंत्रीजी को सुनने नहीं दे रहे हैं।

मैं भी इसी क्रम में तारीफ कर रहा हूं पी. डब्ल्यू. डी. मंत्रीजी की और कुछ मुद्दों पर सदन का और सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं। मंत्रीजी भिवाड़ी से गंगापुर सिटी या करौली तक जो नेशनल हाई-वे बना, अभी नम्बर तो आपने उसका नहीं दिया है, कभी आपने अपने अधिकारियों से जांच करवाई कि कैसा निर्माण कार्य हुआ, क्या क्वालिटी है? आपके अधिकारी जानते हैं, सरकार जानती है कि वर्ल्ड बैंक का पैसा था वह सड़क बनने से पहले ही टूट गई। ये कहेंगे कि हम पर आरोप लगाने के लिये खड़े होते हैं लेकिन यह सत्य है कि वह इतनी घटिया क्वालिटी की सड़क है जिसमें वर्ल्ड बैंक का पैसा था। आप कहते हो कि वह हमारा नेशनल हाई-वे है, पर वह अप्रोच रोड से भी बुरी स्थिति में है। इसकी शिकायत भी हुई और लोगों ने हाई कोर्ट में पार्टी के पेमेंट रोकने के लिये रिट भी लगाई। पुरानी सरकार ने जो घोटाले, घपले किये, मैं चाहूंगा कि भविष्य में इस तरह के काम नहीं हों। नैतिकता की दुहाई देने वाली वो + + + क्या आप इसकी जांच करवाने को तैयार हैं? मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि अगर आप उसकी निश्चित रूप से जांच करवा लें तो आपको उसमें कम से कम 50 करोड़ का स्कैण्डल मिलेगा, भिवाड़ी से गंगापुर सिटी और करौली तक के रोड़ का।

सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत् यह भी कहना चाहता हूं, क्या आपने भी यह परम्परा बना ली कि पिछली सरकार जो घोटाले कर गई उस पर आप चुप्पी साध जाओगे और आप जो कर जाओगे उस पर इनकी सरकार आएगी यह चुप्पी साध जाएगी? राजस्थान में पिछले कई सालों से लगातार अखबारों में छपता रहा है, आरोप लगता रहा है कि तारकोल घोटाला हुआ। आप सब लोगों ने पढ़ा होगा तारकोल घोटाला।

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री राजेन्द्र चौधरी : इसका खुलासा करो।

श्री जगमाल सिंह यादव : ये भी जानते हैं, घोटालों की सरकार तो यही थी। मैं आपसे मांग करता हूं...

श्री सभापति : कृपया चेयर को एड्रेस कीजिए।

श्री जगमाल सिंह यादव : संक्षिप्त में आपने आदेश दिया है इसलिए मैं संक्षेप में ही कह रहा हूं।

मंत्रीजी, मैं चाहूंगा कि जो तारकोल घोटाला काण्ड था उसकी आप फाइल मंगवाइए और जो-जो दोषी अधिकारी हैं उनको आप सजा दें।

सभापति महोदय, मैं केवल आरोप ही लगाने को खड़ा नहीं हुआ हूं। कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो विभाग की नजर में नही हैं, विभाग के ध्यान में नहीं हैं। आपने 30-40 साल से किसानों की जमीन एक्वायर करके उस पर रोड तो बना दी, पर आज तक उनको मुआवजा नहीं दिया। किसानों ने क्या गुनाह किया? ऐसे मेरे क्षेत्र में ही नहीं, सभापति महोदय, राजस्थान में अनेक रोड्स हैं। मेरे ख्याल से 10 फीसदी रोड्स का भी मुआवजा राजस्थान सरकार ने नहीं दिया है और उन किसानों की जमीनें आपने ले लीं। क्या आप उनका मुआवजा देंगे?

दूसरा, मैं आपके मार्फत्, ध्यान आकर्षित कर रहा हूं कि आप सड़कें बनाने जा रहे हैं। डी. आर. डी. ए. में यह तय कर लिया कि ग्रेवल रोड बनेगी। वह पंचायत समिति का काम है, पंचायत समिति उसका काम कर ले और पी. डब्ल्यू. डी. जो रोड बनाएगी उसको आप अपने हाथ में लेंगे। मालूम है, डी. आर. डी. ए. में क्या हुआ है? सभापति महोदय, जहां 6 इंच की थिकनैस होनी चाहिये थी, मोटाई होनी चाहिये थी, पूरे राजस्थान में एक रोड ऐसी बता दें जो डी. आर. डी. ए. ने बनायी हो और उसकी 2 इंच की भी मोटाई हो। आप जब उसका तख्मीना लेंगे तो डी. आर. डी. ए. वाले तो बताएंगे कि एक किलोमीटर पर हमने दो लाख की रोड़ी डाल दी, या ग्रेवल डाल दी और आपका ए. ईएन. जो सर्वे करेगा, फिजिकल रिपोर्ट बनाऐगा, वह कहेगा कि इस पर 50 हजार की डाली है। डी. आर. डी. ए. ने जो ग्रेवल रोड बनायी है उनको आप कैसे लेंगे? उसकी क्या प्रक्रिया होगी? उसकी कैसे जांच करवाएंगे? क्योंकि डी. आर. डी. ए. दो लाख बोलेगा और आपका इंजीनियर बताएगा 50 हजार।

दूसरा, मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट रोड है, सभापति महोदय, जो केवल कानूनी लड़ाई में उलझा पड़ा है। पी. डब्ल्यू. डी. के अधिकारी जानते हैं कि बना एक्वायर्ड जमीन के जब ये रोड बनते हैं तो कोई भी व्यक्ति जाता है और लैण्ड एकवीजिशन एक्ट के तहत अपना स्टे ले आता है रेवेन्यू कोर्ट से कि साहब, मेरी जमीन का मुआवजा तो दिया नहीं और इन्होंने रोड बना दी। अब आपके कई रोड्स पर यह स्थिति है कि करोड़ों-करोड़ों रुपयें लग चुके लेकिन स्टे आ चुका रेवेन्यू कोर्ट से। लैण्ड एक्वीजिशन एक्ट में साफ है प्रावधान कि जब तक किसी खातेदार की जमीन का आप मुआवजा नहीं दोगे तब तक उसकी जमीन में सड़क नहीं निकाल सकते। आपके करोड़ों रुपये लग गये। मैं आपसे चाहूंगा कि राजस्थान भर में जितनी ऐसी सड़कें हैं जो बन गयीं लेकिन कहीं आधा

(श्री जगमाल सिंह यादव)

किलोमीटर या कहीं सौ मीटर रह गयी हैं, आप अपने विभाग के अधिकारियों को निर्देश दें कि उनकी लैण्ड एक्वीजिशन की कार्यवाही शीघ्र से शीघ्र चालू करें ताकि राजस्थान गवर्नमेंट का किसी सड़क पर लगा हुआ करोड़ों रुपया जाया नहीं जाए। 10-10, 20-20 साल से स्टे पड़े हैं। सभापति महोदय, यह मैं हमारे पी. डब्ल्यू. डी. मंत्री से कह रहा हूं।

मैं यातायात मंत्रीजी आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं, कि अलवर कलक्टर जो आज आपके एम. डी. बनकर आये हैं, मैं उनसे सहमत नहीं रहा लेकिन जब वे आ गये तो यह तय है कि दुश्मन भी बड़ाई करता है, तीन साल में जो डी. आर. डी. ए. की दूसरी किश्त नहीं आयी वह आपके एम. डी. ने अलवर में कलेक्टर रहते हुए... कलाकार आदमी हैं (व्यवधान) कलाकार भी है, कलक्टर भी हैं, चतुर भी हैं, एफिशिएंसी वाले भी हैं। प्रतिदिन आपकी रोडवेज में घाटा जा रहा है लेकिन मैं दावे से कहता हूं एक बस जो प्राइवेट ट्रांसपोर्टर चलाता है, सभापति महोदय, उससे वह दो बस बना लेता है, दो बस से चार बना लेता है, और अपने परिवार की गुजर-बसर करता है। आपसे कम लागत की उसकी बस है। आपके बेड़े में इतनी बसें हैं जो अच्छे रूटों पर चलती हैं, केवल मिस-मैनेजमेंट कारण है जो आर. एस. आर. टी. सी. टोटे में जा रहा है। अब मैं यह बात दावे से कह रहा हूं, मैं किसी की चापलूसी करने से नहीं कह रहा हूँ। मैं तो उनका घोर विरोधी रहा हूं मैनेजमेंट के मामले में। अगर बैठे हों तो मैनेजमेंट के लोगों से कहना भी चाहता हूं अलवर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर तो आपके एम. डी. की एफिशिएंसी साबित हो गयी लेकिन रोडवेज को जब मुनाफे में लाकर देंगे तो राजस्थान भर में एक छाप लगेगी कि आदमी कलाकार, चतुर और मैनेजमेंट का आदमी है। मैं दूसरी बात आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपका टोटे में क्यों जा रहा है। जब बाड़ ही खेत को खाएगी तो खेती होगी? सभापति महोदय, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं लेकिन पिछली सरकार ने आर. एस. आर. टी. सी. के पैरेलल जितने बढ़िया रोड़ थे विशेषकर अलवर में, पिलानी में, सीकर में और झुंझुनूं में वहां इतने परमिट जारी किये हैं कि उनका गैंग माफिया प्राइवेट ट्रांसपोर्ट, आर. एस. आर. टी. सी. के पैरेलल चलने लगा। सीधा-सा एक फार्मूला है, सभापति महोदय, अगर लोड फैक्टर रोडवेज का घटेगा और प्राइवेट का बढ़ेगा तो आर. एस. आर. टी. सी. टोटे में जाएगा, उसका कारण चाहे कुछ भी रहा हो। और लोड फ़ैक्टर अगर आर. एस. आर. टी. सी. का बढ़ेगा तो मुनाफे में आ जाएगा। मैं यह चाहता हूं, आपसे व्यक्तिगत भी मैंने निवेदन किया था, यातायात मंत्री महोदय, कि कितने परमिट हुए, किस साजिश के तहत हुए, किस-किस व्यक्ति के नाम हुए? मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, मैंने क्वेश्चन भी लगाया था लिस्ट नहीं हुआ, लेकिन आज मैं डिमाण्ड के मार्फत कहता हूं कि इसकी जांच कराएं बहुत बड़ा स्कैण्डल है। एक ट्रांसपोर्ट माफियाओं का गिरोह सक्रिय था इस बी. जे. पी. की गवर्नमैंट में जो आर. एस. आर. टी. सी. को खा गया। मैं यों भी कह सकता हूं कि बाड़ ने ही खेत को खाया है।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री जगमाल सिंह यादव : मैं एक ही मिनट में समाप्त करता हूं। सभापति जी, मुझ पर सख्त हैं क्योंकि मेरे मित्र भी रहे हैं।

(19.25 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं परिवहन मंत्रीजी का एक तरफ और ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, दो ही मिनट में कि जितने कण्डक्टर और ड्राइवर आपके सस्पैण्ड हैं, उनकी जांच करके तुरन्त उनका निलम्बन समाप्त करें। वरना होगा क्या? उपाध्यक्ष महोदय, मेरा अनुभव है, 90-91 में जब मेरे पास यह विभाग था, हालात क्या हुए, जो सस्पैण्ड कर दिये हमने उनको बहाल नहीं किया और वे कोर्ट में गये। मैं किसी कोर्ट पर और न्याय प्रणाली पर कोई शंकाएं नहीं जता रहा हूं लेकिन सौ प्रतिशत व्यक्ति जो सस्पैण्ड कर दिये थे, 15-15, 20-20 साल बाद वे लोग कोर्ट के आदेश लेकर बहाल होकर आ गये और जो हमने नयी भर्ती कर ली थी वे भी स्थायी हो गये। हालात यह बनी, उपाध्यक्ष महोदय, कि 80 लाख रुपये परमंथ सरप्लस बैठे हुए जो रोडवेज के कर्मचारी थे उनको मजबूरन कोर्ट के आदेश से हमको वेतन देना पड़ा। अब भी यही होगा। यातायात मंत्रीजी, अगर आपने उनको बहाल नहीं किया तो निश्चित तरीके से कोर्ट के इस तरह के प्रोसीजर हैं कि वे बहाल होकर आ जाएंगे जो आप नयी भर्ती करेंगे वे भी स्थायी हो जाएंगे और सरप्लस स्टाफ कोर्ट के आदेश से आपसे वेतन उठायेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यातायात मंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि मेरा इस विभाग से एक तरह का लगाव रहा है, कि क्लैण्डेस्टाइन आपरेशन रोकने के लिए पिछले तीन महीने में जो अथक प्रयास राजस्थान की इस कांग्रेस की सरकार ने किये हैं उसके परिणाम सापेक्ष आये हैं। तीन करोड़ से ज्यादा जो वाहन अवैध चल रहे हैं उनसे आपने जुर्माना वसूल किया है, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन दूसरा सवाल मैं करना चाहता हूं। आपको मालूम है आपके पास स्टाफ कितना है ट्रांसपोर्ट में, मंत्रीजी? चपरासी को भी अगर, उपाध्यक्ष महोदय, शामिल कर लिया जाए तो 8 सौ से ज्यादा आपके पास स्टाफ नहीं है जिसमें मुख्यालय भी शामिल है। मैं यह भी आपसे कहूंगा कि यह कमाने वाला विभाग है इसलिए आप मुख्य मंत्रीजी, वैदजी बैठे हैं, फाइनेंस वाले बैठे हैं, अपनी अंटी को थोड़ा ढीली करें। जहां राजस्थान लेवल पर 8 सौ आदमियों का विभाग हो जिसमें चपरासी, क्लर्क, बाबू और एनफोर्स करने वाला विभाग हो और मंत्री भी जिसमें शामिल हो तो राजस्थान में कैसे अवैध चलन रोक पाएंगे? 8 सौ के दम पर रोक पाएंगे? एनफोर्समैंट इंस्पैक्टर नहीं है आपके पास, ट्रैफिक इंस्पैक्टर नहीं हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा बैद जी कि यह कमाने वाला विभाग है, आपसे मांगता कुछ नहीं इसलिए चाहे आप आर. पी. एस. सी. से सलैक्टेड बाबू दें, चाहे इंसपैक्टर दें, चाहे डाइरेक्ट भर्ती करें, ट्रांसपोर्ट विभाग में पिछले कई सालों से जो भर्तियां नहीं हुई वे भर्तियां खोली जानी चाहिए। एक आपको और इंतजाम करना पड़ेगा, मेरा अनुभव ठीक रहा, कि जब तक कलेक्टर एस. पी. राजी नहीं हों, अवैध चलन नहीं रुकेगा। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमैंट के दम पर अवैध चलन नहीं रुकता है, अवैध चलन रुकता है जब कलेक्टर और एस. पी. अपना डण्डा घुमाते हैं। मैंने मेरे जमाने में एक सिस्टम चालू किया था, जितने टारगेट

(श्री जगमाल सिंह यादव)

दे दिये कि अवैध चलन से जो रकम वसूल करेगा, जो क्लैण्डेस्टाइन आपरेशन पर प्रभावी तरीके से रोक लगाएगा उस कलक्टर को, उस डीवाई. एस. पी. को, उस एस. एच. ओ. को जिसके क्षेत्र में अवैध चलन पर जुर्माना लगाया गया है... उसके सापेक्ष परिणाम आये और वे लोग रुचि लेने लगे।

जब तक पुलिस का डण्डा नहीं घूमेगा, आपका अवैध चलन न आज रुकने वाला है, न कल रुकने वाला है। अब आप कह रहे हैं कम्पोजिट हम चैकिंग कर रहे हैं। उसके परिणाम भी ठीक नहीं आएंगे। उसका कारण क्या है? ट्रांसपोर्ट के इंस्पैक्टर को जब डीवाई. एस. पी. के साथ भेजोगे तो वह ट्रांसपोर्ट का इंस्पैक्टर ईमानदारी से काम नहीं करेगा क्योंकि माल का हिस्सा फिर डीवाई. एस. पी. मांगेगा। पहले तो आपके ट्रांसपोर्ट कम्पोजिट चैकिंग में होगा क्या? जब डीवाई. एस. पी. जाएगा तो वह डीवाई. एस. पी. जो दिन में कमाकर लाएगा, आपका डी. टी. ओ. हिस्सा मांगेगा क्योंकि उससे बड़ा अफसर है। (व्यवधान) तो मेरा निवेदन यह है कि स्टाफ को बढ़ाइये, एस. पी. से, कलक्टर से आप सम्पर्क कीजिये और उनको इनाम स्वरूप प्रोत्साहन राशि दीजिये ताकि प्रभावी तरीके से वे कदम उठा सकें।

मैं एक बात और पूछना चाहता हूं, इन्होंने तो हटा दी लेकिन चैक पोस्ट हटाने का आपको फायदा क्या हुआ? क्या फायदा हुआ चैक पोस्ट हटाने का आपको? इनका तो यह धंधा था, ये करते थे। मैं कहता हूं पुनर्विचार करो, बैद जी। केवल ट्रांसपोर्ट चैक पोस्ट लगाने से, सैल्स टैक्स चैक पोस्ट लगाने से... आप सैल्स टैक्स की चैक पोस्ट को हटा दीजिये और ट्रांसपोर्ट की चैक पोस्ट लगा दो और ईमानदार आदमी लगा दो। नम्बर दो का माल जा रहा है वह एंट्री होगा। इण्डिस्ट्रयलिस्ट जो माल ले जा रहा है उसको एंट्री तो करनी पड़ेगी कि माल क्या ले जा रहा है। चाहे सेल्स टैक्स की चैक-पोस्ट मत लगाइये आप, ट्रांसपोर्ट की लगा दीजिए। मैंने लगायी थी भिवाड़ी में, उसकी बढ़िया अर्निंग थी। इण्डस्ट्रीज की जो चोरी थी वह रुक गयी। आज आपको याद होगा, कांग्रेस की आपकी गवर्नमैंट थी, सुजानसिंह जी यू. डी. एच. मिनिस्टर थे, भिवाड़ी में चुंगी लगायी थी, एक दिन में चुंगी आयी एक लाख 90 हजार रुपये। हालत यह हुई कि जितने बी. एम. ए. के थे, भिवाड़ी मैन्यूफैक्चरिंग एसोसिएशन वाले कांग्रेस सरकार के पास आकर + + + कि चाहे रुपया दो लाख ले लो परडे लेकिन चैक-पोस्ट मत डालो। हालात क्या बनते हैं? चैक-पोस्ट पर कौनसा ट्रक क्या माल ले गया, कहां से आया और कहां से गया? अगर ट्रांसपोर्ट की चैक-पोस्ट डाल देंगे तो यह चोरी भी, आप वाली भी, वित्त मंत्रीजी, आपका काम भी यही कर देंगे।

मैं एक मिनट आपकी जयुपर की ट्रैफिक व्यवस्था पर निवेदन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय सदस्य, आप ये आदर्श की बातें 3 महीने पहले बता देते तो यह आपका घाटा नहीं रहता। (व्यवधान) आप ये आदर्श की बातें 3 महीने पहले ही बता देते तो रोडवेज घाटे से उबर जाता।

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, अभी आप बोलेंगे।

श्री जगमाल सिंह यादव : मैं समझ नहीं पाया।

श्री छोगाराम बाकोलिया : उपाध्यक्ष महोदय, 3 महीने में, तो हम निरन्तर प्रयास करके घाटे के अन्दर मार्च के अन्दर (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : विराजें, विराजें। अभी आप बोलेंगे ना, अभी आप जवाब देंगे।

श्री छोगाराम बाकोलिया : हां, हां, वह तो दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : तो जल्दी क्यों कर रहे हैं?

श्री छोगाराम बाकोलिया : 2 करोड़ 90 लाख से प्रोफिट में आयी है मार्च के अन्दर।

श्री उपाध्यक्ष : अभी आप जवाब देंगे ना, इनको खतम करने दीजिए।

श्री जगमाल सिंह यादव : पारीक साहब, अभी मेरे से आपके सामने ही कह रहे थे कि मैं सबसे बड़ा मनु हूं। मैं जगत सिंह दायमा, बी.एस.पी. का तो हूं नहीं, आपका आदेश शिरोधार्य है। आपकी मानूं या नहीं, मैं मेरा आसन ग्रहण करता हूं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रतनारामजी।

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, आज पी. डब्ल्यू. डी. और रोडवेज की डिमाण्ड पर विचार-विमर्श हो रहा है, मैं भी मेरे विचार आपके माध्यम से रखना चाहता हूं।

राजस्थान में अपनी सरकार को अभी-अभी बनी है, परन्तु जब राजस्थान में लगातार 8 साल तक भाजपा की सरकार रही, उसमें रोड्स का भट्टा बैठ गया। मेरे विधान सभा क्षेत्र में देखो तो हमारे सामने पहले तत्कालीन मंत्रीजी भी थे परन्तु रोड्स की कोई मरम्मत नहीं की गयी। 3-3, 4-4 फीट लम्बे और आधे-आधे, फुट-फुट गहरे खड्डे आज भी मौजूद हैं। वहां लोग पैदल नहीं चल सकते हैं, ट्रैक्टर नहीं चल सकते हैं, ऐसी हालत में हमारी सड़कें हैं। अब हमारे पी. डब्ल्यू. डी. मंत्री युवा बने हैं, उनसे लोग आशाएं लगाये बैठे हैं। मैं भी जालौर जिले का एक विधायक हूं और रानीवाड़ा विधान सभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का लोगों ने मुझे अवसर दिया है, उनसे मैं भी आशा रखता हूं कि अब आपके दादाश्री बलदेवरामजी मिर्धा साहब ने, परम मित्र......। ये तो बात करते रहेंगे, साहब। यादव जी, आपके पारीक साहब के पास चले जाने से मंत्री महोदय हमारी बात नोट नहीं कर पायेंगे। इसलिये मेहरबानी करके डिस्टर्ब नहीं करें।

आपके दादा श्री बलदेवराम जी मिर्धा साहब के परम सहयोगी शहीद धर्मारामजी के नाम से एक सड़क रानीवाड़ा से, सांचोर के बीच से गुजरात का उनके नाम से नामकरण किया गया है, शहीद धर्माराम मार्ग।

एक माननीय सदस्य : ये इनके पिताजी हैं, साहब।

श्री रतनाराम चौधरी : जो हमारे परम पिताजी हैं, इनके दादाश्री के परम सहयोगी थे। आजादी दिलवाने में उन लोगों ने कंधे से कंधा मिलाकर काम किया था, इसलिये उनके नाम की जो सड़क बनी हुई है, उसकी मरम्मत 8 साल तक नहीं हुई। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं

(श्री रतनाराम चौधरी)

कि हम गुजरात के पड़ौसी हैं, कोई आदमी चाहे जीप में बैठा हो, चाहे बस में बैठा हो, चाहे किसी वाहन में बैठा हो और नींद में भी हो तो भी पता लग जाएगा कि अब गुजरात आ गया है। जब गुजरात से राजस्थान में प्रवेश करते हैं तो भी अपने आप गाड़ी बता देती है, अपने जम्प बता देते हैं कि हम राजस्थान में प्रवेश कर गये। ऐसी दुर्दशा है। आप गुजरात के रोड देख लीजिए, 2-2, 4-4 साल तक उनमें मरम्मत करने की जरूरत नहीं होती है। सही डामर सही मैटल बिछाते हैं, सही मूंगिया बिछाते हैं। हमारे राजस्थान में क्रैशर वाले ठेकेदार का भाई जेईएन., एईएन. है। कच्चा-पक्का मूंगिया रोलर के आगे टिक नहीं पाता है, घटिया मैटल रोलर के आगे टूट जाता है, फूट जाता है, चूरा हो जाता है, चूर्ण हो जाता है और 2-4-6 महीने में वह रोड वापस ज्यों का त्यों उखड़-उखड़ाकर ठिकाने पड़ जाती है, अपने लगाये हुए पैसे बेकार जाते हैं। अधिकारियों को आप सतर्क करें, निर्देश दें कि ऐसे ठेकेदारों जिनके पास क्रैशर हैं, जिनका भाई जे. ईएन., ए. ईएन. है उस ठेकेदार को उस क्षेत्र में काम नहीं करने दें।

दूसरा, ग्रेवल सड़क आप बनाते हैं, उसके बाद में मैटल बिछाते हैं। मैटल बिछाने के बाद 2-3 साल तक उसकी सुध नहीं लेते हैं डिपार्टमैंट वाले, पूरा मैटल इधर-उधर बिखर जाता है। बाद में जाकर डामरीकरण करते हैं। क्यों नहीं जल्दी से, जब मैटल बिछा दिया उसके बाद 2-4 महीने में डामरीकरण कर दिया जाए? तो आपका पैसा बच सकता है, कम पैसे से अच्छा काम हो सकता है। नहीं तो आपको दुबारा मैटल बिछाना पड़ता है, उस पर दुबारा रोलर चलाना पड़ता है। इसलिये ग्रेवल सड़क या मैटल सड़क जो आप बनाना चाहो, उस पर जल्दी से डामर करवा दिया जाना चाहिए। मेरे विधान सभा क्षेत्र में काफी समय पहले ग्रेवल सड़कें और मैंटल सड़कें बनी थीं, वे डामरीकरण का इन्तजार कर रही हैं, जैसे सिवाना से कोटड़ा है, बड़गांव से अमरापुरा है, कूड़ा से मंडाड़ी है। रामसिन एक ऐसा कस्बा है, जिसके गांव और शहर के बीच में से सड़क निकली है। गांव वालों की यह मांग है कि उसका बाईपास बनवाया जाए ताकि दुर्घटना न हो और यातायात की सुविधा सुचारू रूप से चल सके। मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक ही बाईपास है कृपा कर आप रामसिन में बनाने की स्वीकृति आप प्रदान करें।

हमारे रानीवाड़ा क्षेत्र में एक भी डाक बंगला नहीं है। आप बी. आई. पी. लोग पधारते हैं तो आपको ठहराने में बड़ी भारी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। इसलिये कृपा कर रानीवाड़ा में डाक बंगला बनाने की स्वीकृति प्रदान करें।

श्री हरिसिंह (महुवा) (सरकार मुख्य सचेतक) : डाक बंगले का मिसयूज करेंगे लोग।

श्री रतनाराम चौधरी : मिसयूज नहीं करेंगे। जब आप सर्किट हाउस का मिसयूज करते होंगे तब...। आपके वहां सर्किट हाउस बने हुए हैं, डाक-बंगले बने हुए हैं। आप जब 50 साल तक मिसयूज करते हैं तो हम भी कर लेंगे। अब तो मौका दो, 50 साल के बाद में तो। मिसयूज कोई नहीं करता है। कौन बेकार आदमी है जो उसमें जाकर

(श्री रतनाराम चौधरी)

ठहरेगा? जिसके घर में धन्धा नहीं है, जिस आदमी के घर में कोई काम नही है, वह निकम्मा आदमी जाकर वहां बैठता है। बाकी कोई काम वाला आदमी, आप जैसा और मेरे जैसा, किसान का बेटा, जिसको एक मिनट की फुर्सत नहीं है, वह जाकर खेत में काम करता है और खेत से छूटता है तब घर पर जाता है। इसलिये कोई मिसयूज नहीं होगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

हमारे परिवहन मंत्रीजी विराजमान हैं, मैं थोडा बहुत उनका ध्यान भी दिलाना चाहता हूँ। जैसे हमारे पूर्व वक्ताओं ने भी कहा, प्राइवेट बसें आपसे आधे किराये में चलती हैं, रूट भी उनके पास बढ़िया नहीं हैं फिर भी 2 साल चलती हैं और मुनाफे से दूसरी बस तैयार कर देते हैं। तो अपने रोडवेज में जहां बढ़िया रूट हैं, बढ़िया बसें हैं, वहां यह घाटा क्यों है? इस बात पर आपको गहराई में जाना पड़ेगा। आपके जो कण्डक्टर लोग हैं, वे रोज टिकट नहीं काटते हैं। टिकट नहीं काटें लेकिन सवारी है, चैक करने वाला आदमी जब जाता है तो वह उनसे आधा पैसा बांटकर ले लेता है और आधा उनके पास में रख देता है। उनको कोई डर नहीं हैं कि मेरी गाड़ी में कितनी सवारियां बिना टिकट की हैं और मेरे को कोई चैक करने वाला मिल जाएगा तो मुझे सस्पैंड होना पड़ेगा। इसका उनको कोई डर नहीं है। उनका बंटवारा होता है। आप एक भी बस हमको दे दो एक साल भर के लिए, मैं आपको एक वर्ष में करीब दस लाख रुपये मुनाफा करके बता दूंगा। एक बस दे दो हमको। भीनमाल से जयपुर एक बस। समझे न? हां, दीजिए आप। तो जब आपके पास लाखों बसें हैं तो आपको अरबों रुपये का मुनाफा होना चाहिए। वहां करोड़ों रुपये का घाटा...।

डा. किरोड़ी लाल : दस लाख रुपये कमाकर देंगे तो आप दो न इनको बस।

श्री रतनाराम चौधरी : यह क्यों? आपका दोष मैं नहीं निकालता हूँ यह आपका दोष नहीं है। आप तो अभी-अभी परिवहन मंत्री बने हैं, बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं, कोशिश कर रहे हैं।

डा. किरोड़ी लाल : 153 बसें देनी पडेंगी आपको। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त कीजिए।

श्री रतनाराम चौधरी : आपने आठ साल में इतना बिगाड़ा किया है, इतना भ्रष्टाचार फैलाया है, उसका यह नतीजा है। इसलिए कण्ट्रोल में आने में बहुत समय लगेगा, एक साल भर लगेगा। एक साल बराबर लगेगा। आपके आठ साल का जो भट्टा बैठाया है, उसको ठीक करने में, खड्डों को ठीक करने में, चतुर्वेदीजी के लम्बे-लम्बे खड्डे ठीक करने में अब हमारे पी. डब्ल्यू. डी. मिनिस्टर और परिवहन मंत्रीजी को काफी समय लगेगा, काफी मशक्कत और मेहनत करनी पड़ेगी। हम उन पर दोषारोपण नहीं करते हैं, दोषारोपण तो आपके ऊपर ही हम कर रहे हैं। यह जो अभी हमने बात की है कि... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, समाप्त कीजिए।

श्री रतनाराम चौधरी : इसलिए कृपा करके इस ओर पूरा ध्यान दें।

अन्त में, एक हमारे रानीवाड़ा से मण्डावरी तक जो सड़क जाती है, माननीय पी. डब्ल्यू. डी. मंत्री महोदय, वहां मेथरीवाड़ा गांव है। मेथरीवाड़ा में तीन बार

(श्री रतनाराम चौधरी)

रपट बन गयी और तीन बार रपट टूट गयी। इस तीन बार रपट बनने में तो पुलिया बन जाती। यहां पर रपट नहीं रह सकती, पानी ज्यादा है, बहाव ज्यादा है, वहां पर आपको पुलिया बनानी चाहिए। रोड्स के बीच-बीच में छोटे-मोटे पुल उस समय ही बना देने चाहिए जिससे काश्तकारों की जमीन का कटाव नहीं हो और पानी के बहाब का कण्ट्रोल हो जाए। यहां पर रपट की जरूरत है, वहां रपट बनाओ परन्तु रपट से वहां सही काम नहीं हो पाता, सही तरह से नहीं रह पाती है, टूट जाती है तो वहां पुलिया बनाने की आम स्वीकृति प्रदान करें। यह मेथरीवाड़ा है साहब।

श्री उपाध्यक्ष : धन्यवाद करिये।

श्री रतनाराम चौधरी : रानीवाड़ा से गुजरात की साइड में मेथरीवाड़ा वाली सड़क है। ग्राम मेथरीवाड़ा में, हाँ, साहब (व्यवधान) इसलिए जब यह जो...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री रतनाराम चौधरी : मेरे विधान सभा क्षेत्र की गांवों की सड़कें जो सात-आठ साल से कच्ची हैं...(व्यवधान)

हम आपसे उम्मीद लेकर चलते हैं क्योंकि आपको हमारे लोग जानते हैं, आपके फादर को अच्छी तरह से जानते हैं, आपके दादाजी को जानते हैं, वे कहते हैं कि जब आपके हरेन्द्र मिर्धा पी. डब्ल्यू. डी. मिनिस्टर बने हैं तो इन सड़कों का तो डामरीकरण हो जाएगा। लोग हमको पूछ रहे हैं और हम भी उनको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि बिलकुल होगी क्योंकि इस एरिया से, हमारे जिले से आपके परिवार का गहरा सम्बन्ध रहा है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मक्खन की पूरी ही बट्टी लगा दो। (व्यवधान)

श्री रतनाराम चौधरी : बहुत गहरा सम्बन्ध रहा है और परिवहन मंत्री तो हमारे जवांई हैं...(व्यवधान) हमारे जिले से स्वर्गीय श्री बलदेवरामजी का जो सम्बन्ध रहा है...(व्यवधान)...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, समाप्त कीजिए।

डा. किरोड़ी लाल : तीन पीढ़ी पुरानी बात कह रहे हैं।

श्री रतनाराम चौधरी : उनका भी हमारे जिले से काफी अच्छा लगाव है।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : ससुर साहब को क्यों भूल गये? ससुर साहब को भी तो कहो, अध्यक्ष है अपना।

श्री रतनाराम चौधरी : हां, साहब। आपका कहना ठीक बात है। ठीक है। ससुर साहब भी हैं, उनका लगाव भी हमारे जिले से है। बहुत ही गहरा लगाव है। ससुर साहब के लिहाज से बनाओ, चाहे आपके दादाजी के, आपके पिताजी के लिहाज से बनाओ, चाहे आपकी कृपा और मेहरबानी हमारे ऊपर हो जाए, इस हिसाब से बनाओ, हमारा काम पूरा करना चाहिए। आपने समय दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय महादेव सिंहजी, आप बोलेंगे क्या?

डा. किरोड़ी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, तीन पीढ़ी की बात की और उसके बाद आप...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : हम भी नहीं बोले हैं, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उसमें ससुरजी की बात भी कही है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : उसमें आप भी शामिल हो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ससुरजी की बात भी कही है।

श्री उपाध्यक्ष : उसमें आप भी शामिल हो। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : तीन पीढी की बात कह दी, उपाध्यक्ष महोदय, इनकी तरफ तो पूरा ध्यान देना चाहिए।

श्री अमराराम (पचपदरा) : मेरा भी निवेदन है कि जो रतनलालजी की अधूरी सड़कों का कार्य है, वह जल्दी बना दें। माननीय सदस्य कह रहे हैं यह बहुत जरूरी है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजिये।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : लेकिन मेरा फर्ज बनता है। मैं एम. एल. ए. हूं, उनके क्षेत्र का, इसलिए बार-बार मुझे कहना पड़ता है। मैं जाटी क्षेत्र का एम. एल. ए. हूं, जहां का जन्म स्थान अध्यक्ष महोदय का है और उनका ससुराल है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप सौभाग्यशाली हो।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : मैं हूं, साहब इसीलिए...

श्री उपाध्यक्ष : श्री महादेव सिंह जी।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : हाउस में तो हाउस की तरह...(व्यवधान)

श्री महादेव सिंह (खण्डेला) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या-21 और मांग संख्या-12 पर आज जो चर्चा हो रही है, उसमें मैं अपने आपको सम्मिलित करता हूं। मैं आपके माध्यम से सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा जब से आपने सार्वजनिक निर्माण विभाग सम्भाला है, लगातार तीन-चार बार निवेदन कर चुका हूं कि हमारे विधान सभा क्षेत्र में पिछले आठ साल से पहले की जो सड़कें बनी हुई थीं उन सब सड़कों की दुबारा मरम्मत कभी भी नहीं की गयी, हमारे इलाके की सड़कों की जल्दी से जल्दी मरम्मत करवाएं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब चुनाव हो रहे थे, उस समय आम आदमी के सामने एक ही चर्चा थी कि पिछली सरकार ने और कोई विकास किया है या नहीं किया है लेकिन दुनिया के सामने नजर यही आ रहा है कि सारी सड़कें टूट गयी हैं। पुरानी कांग्रेस सरकार ने जो सड़कें बनायी थीं, उन सड़कों की भारतीय जनता पार्टी की सरकार मरम्मत भी नहीं करा सकी इसलिए आम आदमी के दिल में रोष था और इसी वजह से, और भी अनेक कारण हो सकते हैं लेकिन यह एक बहुत बड़ा कारण था, जिससे जनता ने सरकार बदल कर कांग्रेस के हाथ में दी है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में फलासना से कावट तक, वाया खण्डेला, श्रीमाधोपुर से कोटड़ी लुहारवास तक, वाया खण्डेला, कावट से परसूपुरी तक, सिरोही से नीम के भगेगा तक, कावट से तला और गुरहारा तक, कोटड़ी लुहारवास तक, खण्डेला से गुरहारा तक और श्रीमाधोपुर से फलसाना वाया गोविन्दपुरा पुजारी का बास जितनी भी सड़कें हैं उनमें बहुत गहरे-गहरे खड्डे पड़े हुए हैं और कहीं-कहीं तो सड़कों का अस्तित्व ही खत्म हो गया है। जिस समय सड़कें बनायी गयी थीं, उस समय पहले जो पत्थर डाले जाते थे आज वे पत्थर निकल निकल कर बाहर आ रहे हैं और इससे

(श्री महादेव सिंह)

जितने भी साधन हैं, उनके आने-जाने में बड़ी रुकावट हो रही है। आपको मैं जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि इन सड़कों की टूट-फूट की वजह से आये दिन एक्सीडेंट्स होते हैं। परसों 11 तारीख को खण्डेला से कावट की तरफ जाती हुई एक जीप इसी खड्डे की वजह से एक्सीडेंट हुई और चार औरतों की एक्सीडेंट के स्थान पर ही मृत्यु हो गयी। मेरा निवेदन है कि इन सड़कों की मरम्मत नहीं होगी तो वहां रोजमर्रा वही हालत होगी जो परसों हुई थी। आज आम-आदमी यह चर्चा करता है कि पिछली सरकार ने तो कुछ नहीं किया था लेकिन इस सरकार को भी बने चार महीने हो गये और अभी तक सड़कों की मरम्मत नहीं हो रही है। मेरे कावट के पास में एक छोटी-सी नदी है, नाम मात्र की है, जिस पर ज्यादा से ज्यादा लाख-डेढ़ लाख रुपये खर्च होने से रपट बन सकती है। लेकिन उस रपट के लिए बार-बार लिखते जा रहे हैं। उसके लिए मैंने चार-पांच बार लिखकर दिया है और इसी पांच तारीख को लिखित में मेरे पास जवाब आया है कि राजस्थान की जितनी भी रोडवेज बसें जयपुर से खेतड़ी, जयपुर से झुन्झुनूं, जयपुर से नीमकाथाना जाती हैं, वे कावट के अन्दर होती हुई जाएंगी। लेकिन मुझे विभाग की तरफ से एक जवाब यह भी आया है कि कावट से निकलते ही रपट नहीं बनी है इस वजह से हमारी गाड़ियां नहीं जा सकती हैं, सड़क बहुत खराब है। जब यातायात विभाग यह मानता है कि सड़कें खराब हैं तो हम आपसे पुनः निवेदन करते हैं कि उस पुलिया का निर्माण कराया जाए और वहां जो टूटी-फूटी सड़कें हैं उनकी मरम्मत करवाई जाए जिससे गांव और शहर के अंदर आपको रोडवेज की बसें जा सकें। इस बाबत गांव और शहर के लोगों के अंदर बहुत बड़ा आक्रोश है, क्योंकि यहां से आधे किलोमीटर दूर ही बाईपास होती हुई सड़कें जाती हैं और पैसेन्जर्स को जबरदस्ती धक्के देकर उतार जाते हैं। कंडक्टर-ड्राइवर और पैसेन्जर्स के बीच में झगड़ा होता है। आज से करीबन एक महीने पहले एक रोडवेज की बस से यात्रियों को तो उतार दिया गया और उनका सामान जबरदस्ती लेकर चले गये। जब थोई थाने में रिपोर्ट दर्ज करवायी गयी और दूसरे रोज कंडक्टर और ड्राइवर को बुलाया गया तब उन्होंने कहा कि हमारी कोई गलती नहीं है, पैसेन्जर खुद सामान भूल गया और यह हमारे खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज हुआ है। इसको लेकर थानेदार ने उन पैसेन्जर्स के खिलाफ मुकदमा 182 लगाने के लिये कहा और कहा कि मैं तुम्हारे खिलाफ मुकदमा दर्ज करुंगा। इस तरह इन छोटी-छोटी बातों को लेकर आये दिन झगड़े होते हैं। इसलिए मेरा पुनः सार्वजनिक निर्माण मंत्री और यातायात मंत्री महोदय से निवेदन है कि ऐसी छोटी-छोटी बातों का सुधार किया जाए जिससे हमारे लोगों को राहत मिले। आपने मुझे समय दिया, इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री वी. पी. सिंहजी।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह (आसीन्द) : उपाध्यक्ष महोदय, समय का अभाव देखकर मैं पहले तो आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे समय दिया। आज मांग संख्या–12 और 21 पर जो डिस्कशन हो रहे हैं उसमें मेरे दो-तीन सुझाव मैं देना चाहता हूं। पहला सुझाव है, क्या जरूरत है कि रोडवेज गवर्नमैंट चलाए? एक समय

(श्री विजयेन्द्रपाल सिंह)

था कि पब्लिक सैक्टर यूनिट्स आगे आए इसके लिए नेहरूजी के जमाने में सर्विस सैक्टर को बढ़ावा दिया। लेकिन अब मैं पूछना चाहता हूं कि क्यों रोडवेज चलायी जाए? एक प्रश्न है। अभी वित्त मंत्रीजी थोड़ी देर पहले तो थे, मितव्ययता की बात आती है, लेकिन ये तो लॉस में हो गये। एक साल आप प्रोफिट ले लो, दूसरे साल फिर प्रोफिट आप ले लो, यह जगलरी है फिगर्स की। नहीं, तो आप पुराने लोसेज को देख लो। वे लोसेज अगर आप नहीं बताओगे। और बताओगे तो प्रोफिट में आ ही नहीं सकते। मैं तो आरोप लगाता हूं। मैं यह नहीं कहता हूं कि हमारे समय में, हमारी सरकार में तो प्रोफिट में चला दी। और आप नहीं चला सकोगे। आप चला दोगे? कोई नहीं चला सकता। अभी दो-तीन माननीय सदस्यों ने यह बात रखी कि प्राइवेट सैक्टर एक बस से दो करेगा, दो से चार करेगा। यह चल नहीं सकता।

आपके यही का यही हाल मोटर गैराज का है, फिगर्स देख लो आप। आपके जो भी मंत्री चलाते हैं गाड़ी, जो भी आपके अधिकारी मोटर गैराज से चलाते हैं, उनका खर्चा आता है 30 रुपये 80 पैसे पर किलोमीटर। (व्यवधान)

श्री कृष्ण मुरारी गंगावत : रोडवेज प्रोफ़िट में आ रही है।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : अब यह डिस्कशन की बात नहीं है। मैं तो एक सुझाव दे रहा हूं। आप सुन लें, डिस्टर्ब नहीं करें। आपको भी मौका मिलेगा, आप भी बोलिये।

मैं उस पैसे के अंदर, पांच रुपये, दस रुपये पर किलोमीटर के अंदर सबसे बढ़िया गाड़ी चला सकता हूं। मैं तो कहता हूं मर्सीडिज गाड़ी भी जो ट्यूरिस्ट लेता है, वह भी बीस रुपये से ज्यादा नहीं होती है। आप सब मंत्री मर्सीडिज गाड़ी में घूम सकते हैं और यह जो गाड़ी आप चलाते हो, धक्के लगते हैं। मेरे भी पहली बार यह गाड़ी आ गयी तो धक्का लगा। मैंने कहा, ऐसी गाड़ी? उन्होंने कहा, यह तो लोकल गाड़ी है, जो बाहर जाएगी आपकी वह अच्छी गाड़ी होगी। मैंने कहा, ऐसा है साहब..(व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन मंत्री) : वह तो आपको देखकर ही भेजी थी।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : नहीं-नहीं, सही बात है। यह डिस्कशन की बात नहीं है प्लीज और इसे आप देख लेना। इस पर आपको विचार करने की जरूरत है।

अब मैं रोडवेज की बात कर रहा हूं। रोडवेज का यही हाल है। आप जगलरी से फिगर्स कर लो। पुराने लोसेज नहीं बताओगे तो आप प्रोफिट में भी बता दोगे। इससे अच्छा है कि धीरे-धीरे बसेज आप कम करो। आज जितने भी ल्यूक्रेटिव रूट्स हैं, वह आप रखना चाहते हों। फिर आपके अवैध बसें चलती हैं, ये जीप्स चलती हैं। आपको खोलना ही पड़ेगा ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि पापुलेशन एक्सप्लोजन इतना है, ट्रांसपोर्ट बढ़ गया है।

दूसरी बड़ी समस्या जो है वह है रोड्स सेफ्टी की। रोड सेफ्टी के लिये सब सदस्यों ने बात कही। यह भी बात कही कि साहब, एक कोई बाहर का आदमी आया था और एक अच्छी गाड़ी लेकर चल रहा था। उससे पूछा गया कि आपका

(श्री विजयेन्द्रपाल सिंह)

एक्सीडेंट हो गया, किससे हुआ? उसने कहा कि सड़क से हो गया। सड़क से एक्सीडेंट हो गया, कैसे हो गया? जो अभी बात कर रहे थे कि आपके स्पीड ब्रेकर हैं, उसी से एक्सीडेंट हो गया। सड़क से ही एक्सीडेंट हो गया। न तो कोई बैलगाड़ी मिली उसको, न कोई आगे ट्रक वाला मिला, न कुछ हुआ। यह समस्या है, इस पर आपको विचार करना पड़ेगा। आज आप भी जानते हो कि आपके परिवार का सदस्य गाड़ी लेकर रात को कोई जरूरी काम से दिल्ली निकल जाए, अजमेर निकल जाए, जोधपुर निकल जाए, कहीं पर भी निकल जाए, नींद नहीं आती जब तक कि 12 बजे, एक-दो बजे तक टेलीफोन नहीं आ जाए कि अच्छी तरह से पहुंच गया हूं। फिक्र है। अब हम भी कह दें, आप भी कह दें और रोज अखबार भी पढ़ लेते हैं अपन, कि हमारे साथ थोड़े ही हुआ है, वह तो उसके साथ हुआ है। जाने कौन मर गये होंगे दस जने। वे जीप के अन्दर मर गये, वह हो गया। आज उनके साथ होता है तो कल अपने साथ भी हो सकता है। उसके लिये आपको कुछ करना ही पड़ेगा। यह नहीं तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो सेफ्टी रूल्स हैं, उसके लिये यहां से सुझाव भेजें, वहां जाकर डिस्कशन करें।

सबसे बड़ी चीज रोडवेज के जो ड्राइवर्स हैं, कितना रैश और नैग्लीजेंस से ड्राइविंग वे करते हैं। आप लोग भी जानते हैं, लाल बत्ती के अन्दर जब से चलने लग गये तो शायद आपको डिम लाइट भी कर देंगे और आपको साइड भी दे देंगे पर उनको कोई फिक्र नहीं कि छोटी गाड़ी उधर से आ रही है वह खड्डे में जाएगी, नीचे जाएगी, क्या होगा। वे यह नहीं जानते कि टर्न पर हमें ओवर-टेक नहीं करना है। वे यह नहीं जानते कि पुलिया पर अपन को ओवर-टेक नहीं करना है। दो बड़ी बसेज जा रही हैं या ट्रक जा रहे हैं, उनको ओरवटेक नहीं कर सकते, यह पता ही नहीं है। उनको यह नहीं पता कि इंटरमिटेंट जो लाइन लगी हुई है, उसका क्या मतलब होता है, सिंगल लाइन का क्या मतलब है, डबल लाइन का क्या मतलब है। डबल लाइन के अन्दर ओवरटेक कर ही नहीं सकते, यह उनको पता ही नहीं है। उनके लिये एक स्कूल चलाएं। स्कूल चलता है या नहीं चलता, मैं नहीं जानता पर उनको एक ट्रेनिंग देनी पड़ेगी कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिये।

श्री हरिसिंह (महुवा) (सरकारी मुख्य सचेतक) : ट्यूटर्स कहां के हों, अमरीका के हों या...(व्यवधान)

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : अमरीका के बता दूं आपको मैं। (व्यवधान) हंसने की बात नहीं है। आप इसको डायल्यूट कर लें, पर आप भी जानते हैं कि रोड सेफ्टी के लिये आज अपन रास्ता तो वही अपना रहे हैं। आपके जो नेशनल हाई-वेज हैं, उनको टोल रोड बना रहे हैं। अब टोल रोड्स का क्या मतलब होता है, उनको पता ही नहीं है। कर्सेप्शन ही नहीं है। कर्सेप्शन यह है कि जब भी फ्री वे होता है, आप तो मंत्री महोदय खूब बाहर भी घूमें हैं, जो फ्री वे होता है, उसके अन्दर मीलों तक कोई बीच के अंदर टर्न नहीं कर सकता, मीलों तक जब तक आपकी सर्विस रोड्स नहीं होंगी, टोल रोड्स तो आप चला ही नहीं सकते। जो दो किलोमीटर चलना चाहेगा, वह क्या करेगा, जब सर्विस रोड्स ही नहीं हैं, आपने उस पर विचार किया क्या? आपको यह भी विचार करना पड़ेगा कि 15 किलोमीटर

(श्री विजयेन्द्रपाल सिंह)

तक कोई बीच के अन्दर रास्ता नहीं है तो ट्रैक्टर वाला है, वह तो आधा किलोमीटर जाना चाहता है, खेत में जाना चाहता है, वह उलटा जा रहा है और आप जा रहे हैं 120 की स्पीड पर, क्या होगा? एक्सीडेंट होगा ही होगा। ऊंट गाड़ी नहीं चलनी चाहिये टोल रोड्स पर, बैलगाड़ी नहीं चलनी चाहिये। लेकिन जब तक आपकी सर्विस रोड्स नहीं होंगी, ये चल रही हैं। तो इसके लिये कोई विचार किया जाए। (व्यवधान)

श्री महेश जोशी (सरकारी उप मुख्य सचेतक) : आप एक प्रस्ताव करा दो अपनी पार्टी की तरफ से कि टोल रोड पर बैलगाड़ी नहीं चलनी चाहिये। (व्यवधान)

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : आप इस पर विचार करके हमें तो बुला लें, हम आपको रास्ता बता देंगे कैसे क्या होना चाहिये, कैसे उनको ट्रेनिंग देनी चाहिये। मैं ट्रेनिंग देने के लिये तैयार हूं उनको।

श्री जगमाल सिंह यादव : जनता ने आपको सलाह देने के लायक रखा ही नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

(20.00 बजे)

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहता हूं स्कूल बसेज अच्छी हों। बच्चों की सबको फिक्र है, रोज फिक्र लगती है कि स्कूल से बच्चा आ जाए घर पर, क्योंकि ट्रैफिक ऐसा हो गया। बच्चा तो भागेगा ही भागेगा एक्रास दी रोड, हर वक्त कोई अपना वहां पर आदमी नहीं हो सकता। उन लोगों को फिक्र ही नहीं होगी। इसके लिये मैंने पहले भी एक सुझाव दिया था कि सब स्कूल बसेज को आप पीला पेंट करें। बाहर जो आप बात कर रहे हो, बाहर एक सोच है कि जब स्कूल की बस खड़ी भी हो और अगर आपने ओवरटेक कर दिया उसको, निकल गये तो चालान हो जाएगा, आपका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। इतना बड़ा सोच है। ऐसा सोच आप ला सकोगे क्या? लाना चाहिये। रोज एक्सीडेंट होते हैं, बच्चों के होते हैं। आपकी जो रोडवेज की बसेज हैं, उनको भी आप यलो पेंट कर दें, स्कूल बस लिख दें। आप रेलवे लाइन को ले लें, क्रॉसिंग जहां होती है, आपकी जो रोडवेज की बसेज हैं, वे तो आगे जाकर खड़ी हो जाएगी और वहां पर ट्रैफिक जाम हर वक्त करेंगी। इसके लिए भी कोई रास्ता निकालिये। बहुत सिम्पल रास्ता है, सब एम. एल. एज. को आप एक चिट्ठी लिख दें और उनको आप कह दें कि जो भी रोडवेज की बस ऐसा करती है उनका नम्बर लिख कर मंत्रीजी को दे दें कि इस समय यह बस चल रही थी, इसने रैश एंड नैग्लीजेंट ड्राइविंग की, ओवरटेकिंग गलत की और क्रॉसिंग पर आकर सबसे आगे जाकर खड़ा हो गया, उसका आप चालान करो। देखिये, कितना फर्क पड़ जाता है। ऐसे दसों सुझाव मैं दे दूंगा आपको।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : मंत्री महोदय, यह तो करवाएं आप।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : यह तो करवा ही दें आप, इनको पता लग जाएगा कि कैसे इनका नियन्त्रण होता है। क्योंकि आपकी जितनी हाई-वे पैट्रोलिंग है वे अपना काम नहीं करते हैं। उनका तो काम आप जानते हो, दूसरा है। वे तो यही देखते हैं कि कोई रैश एंड नैग्लीजेंट ड्राइविंग कर रहा है, इसको पकड़ें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजेन्द्रजी पारीक।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात कहूंगा और खास तौर से एक-दो इश्यूज़ पर ही चर्चा करूंगा।

किसी भी क्षेत्र को सड़क से जोड़ना विकास की पहली प्राथमिकता है। मेरा इस मामले में निवेदन यह है कि आपकी सुनिश्चित रोजगार योजनाओं के माध्यम से जो आप ग्रेवल सड़क बनाते हैं उनका पूरी तरह से सदुपयोग नहीं हो सकता। इसलिए विभाग यह सुनिश्चित करे कि या तो ग्रेवल सड़क की बजाय मैटल सड़क बने और इसके साथ-साथ उसमें बी. टी. का कोई प्रोविजन हो ताकि आपका जो पैसा उसमें लग रहा है उस पैसे का सदुपयोग हो सके।

मेरा दूसरा निवेदन यह है कि जिला हैडक्वार्टर्स की 20 किलोमीटर की पैरीफेरी में ऐसे सभी गांव जो सड़क से नहीं जुड़े हुए हैं उन्हें मेहरबानी करके सड़क से जोड़ें ताकि बढ़ती हुई आबादी का दबाव जो शहरों पर पड़ता है वह कम होगा। यदि शहरों के नजदीक के जो विलेजेज हैं उनको हम सड़क से जोड़ देंगे तो लोग सुगमता से आवागमन कर पाएंगे और वे अपने क्षेत्र में जाना पसंद करेंगे। इससे जिलों पर दबाव कम होगा और चाहे वे पेयजल की समस्या हो, चाहे इलैक्ट्रिसिटी की हो, उससे निजात मिल जाएगी।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही सीकर की आर. ओ. बी. है नवलगढ़ रोड पर, उसके लिए भी माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा। साथ ही निवेदन है कि नीमकाथाना से सीकर रोड के लिए काफी अर्से पहले पांच करोड़ रुपया स्वीकृत हुआ था, उस पैसे से मात्र छापोली तक रोड बनी है। अब बाकी की जो रोड है छापोली से सीकर तक उसको यदि आप बनाएंगे तो लाभकारी है। इसके साथ सीकर से नागौर सड़क बड़ी महत्त्वपूर्ण है और काफी तकलीफ है उस सड़क के न बनने से। मेहरबानी होगी आपकी कि आप इसे करवाएं।

उपाध्यक्ष महोदय, समय का मुझे ध्यान है। रींगस की जो पुलिया बनी है, उसे बने बहुत अधिक समय नहीं हुआ है। जांच आप क्या कराएंगे यह तो आप जानें लेकिन उसमें इतना सुनिश्चित करें कि जल्द से जल्द उस पर भी पेवर बने ताकि यातायात सुगम हो सके।

उपाध्यक्ष महोदय, विधायकपुरी की एक व्यक्तिगत समस्या है। विधायकपुरी के सामने आकाशवाणी की जमीन से लगती हुई जो जमीन है वह जमीन पहले पी. डब्ल्यू. डी. के अण्डर में थी और उसमें चारों ओर से बाउण्ड्री थी। बाउण्ड्री होने से उसमें कोई गंदगी भी नहीं होती थी और मरे हुए मवेशी का डालना, ऐसा कुछ नहीं होता था। किन्तु पिछले दिनों पता नहीं किस + + + के चलते सामने की बाउण्ड्री को तोड़ दिया गया। उसके तोड़ने से ऐसा नारकीय जीवन जीने के लिए इस विधायकपुरी में रहने वाले विधायक मजबूर हो गये हैं कि वहां खुले रूप से सांस नहीं ले सकते। पर्यावरण पूर्ण रूप से दूषित हो गया है। कई बार तो हालात ऐसे हो जाते हैं कि घर में कोई मेहमान आया हुआ हो, विधायकपुरी के मकानों की तरफ यदि हवा चल रही हो तो मकानों में बैठना मुश्किल

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री राजेन्द्र पारीक)

हो जाता है। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि तत्काल इस पर आप कार्यवाही फरमाएं।

साथ ही, उपाध्यक्ष महोदय, कुछ सड़कों के लिए ठेकेदारों द्वारा कोर्ट में मैटर को पेंडिंग कर काम रोक दिया जाता है। जैसे सीकर में कुड़ली भादवाजी की एक सड़क, सात वर्ष पहले स्वीकृति हुई थी लेकिन ठेकेदारों ने उसको कोर्ट में ले जाकर पटक दिया। ऐसी सड़कें पूरी नहीं होतीं। इसमें तत्काल विभाग भी अपनी तरफ से कुछ कार्यवाही कर इनको रुकवाए।

मैं माननीय परिवहन मंत्रीजी को एक बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा, भले कितनी ही आलोचना करें हम लेकिन खास तौर से राजस्थान के एक्सीडेंट्स के जो परसेंटेज हैं वे राजस्थान रोडवेज के मुकाबले प्राइवेट बसों के ज्यादा हैं। इस मामले में राजस्थान रोडवेज का रिकार्ड अच्छा है। जितनी भी एक्सीडेंट्स की परसेंटेज निकाली हैं उसमें प्राइवेट बसेज का ज्यादा है इसलिए इस मामले में तो आप धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन राजस्थान की रोडवेज की बसों की जो हालत है उस हालत की वजह से वीडियो कोचेज में बैठने के लिए पैसेन्जर मजबूर होते हैं। बेहतर होगा कि आप उनकी हालत को सुधारें। जो यात्रीभार है उसको कम करने के लिए भी आप अपनी तरफ से भी कुछ व्यवस्था फरमाएं।

उपाध्यक्ष महोदय, नेशनल हाई-वे जहां सिटी को क्रॉस करते हैं उन नेशनल हाई-वे की सड़क सिटी तक तो काफी अच्छी होती है लेकिन सिटी का जो पोरशन होता है, नगरपरिषद् और पालिकाओं की हालत आजकल बड़ी खराब है और वह पोरशन विभागीय नॉर्म्स के अनुरूप नहीं होता है क्योंकि वे सिटी में इतना ट्रैफिक मानकर बढ़िया सड़क नहीं बनाते। सिटी के बाहर की रोड है वह तो बहुत अच्छी होती है। सीकर के अन्दर की जो थ्रू रोड है उस नेशनल हाई-वे को भी मेन्टेन करें तो काफी इच्छा होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री शिवनाथ सिंह : सीकर बाईपास का कहो।

श्री राजेन्द्र पारीक : सीकर बाईपास तो बन रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामस्वरूप मीणा। केवल पांच मिनट।

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : उपाध्यक्ष महोदय, सारे माननीय सदस्य चले गये, सीटें खाली पड़ी हुई हैं मैं समय पर आता हूं, लास्ट में जाता हूं उसके बावजूद आप पांच मिनट बोलने के लिए समय देते हो हमारे लिए तो और जो चले गये बोल-बोल कर, उनका पता नहीं कहां गये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, बहुमूल्य सुझाव आएंगे, आप तो जानते हैं।

श्री रामस्वरूप : इसलिए मेहरबानी करके जो लोग आते हैं, बैठते हैं, सदन की शोभा बढ़ाते हैं उनके साथ तो सीमा नहीं लगाएं।

उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सबसे पहले तो हमको इस बात की खुशी है कि हमारे माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी एक किसान के बेटे हैं और यह विभाग पहली बार किसी किसान के बेटे

(श्री रामस्वरूप)

को मिला है अब तक जो भी विकास हुआ था शहरों का हुआ था। उसका कारण यह था कि जो भी मंत्री पूर्व में भाजपा सरकार में बने थे वे शहर में रहने वाले थे और उनका ध्यान पूरा शहरों की ओर गया था। आज शहरों की सड़क को देख लो और गांवों की सड़क को देख लो, दोनों की दशा किस प्रकार की है? शहरों में आपने देखा होगा कि सड़कें कांच की तरह चमकती हैं लेकिन गांवों की सड़कों की हालत? जो भाजपा सरकार की हालत हो रही थी वही गांवों की हालत हो रही है।

आदरणीय ललित किशोर चतुर्वेदी जो पूर्व में सार्वजनिक निर्माण मंत्री थे कोटा के, वे कहा करते थे, इसी सदन के अन्दर कि जब मैं सड़क पर चलता हूं और जब मेरे दोचियां लगती हैं, तो मेरी छाती में फफोले पड़ जाते हैं। उनकी छाती में फफोले पड़े या नहीं पड़े, लेकिन बड़े दुःख की बात है कि राजस्थान की सड़कों की और भी दुर्दशा हो गयी। उसी का परिणाम है कि आज इनकी संख्या इतनी कम रह गयी है, मात्र चार-पांच आदमी बैठे हुए हैं टोटल ही। इसलिए मेरा, सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय, आप से निवेदन है कि राजस्थान में यह सरकार जो गयी है सड़कों की दुर्दशा के कारण ही गयी है, आपको पहली बार बहुत अच्छा मौका मिला है, आप प्राथमिकता के आधार पर ग्रामों की सड़कों की सबसे पहले मरम्मत कराएं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अगर नहीं करेंगे तो हमारी जैसी हालत होगी न?

श्री रामस्वरूप : बिल्कुल, आपकी जो मरम्मत हुई है वही होगी।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हमारी मरम्मत तो हो गयी, अगर नहीं करेंगे तो इनकी वैसी ही होगी?

श्री परसादी लाल : 200 करोड़ का प्रावधान है इसके लिए, निश्चित रूप से सड़कों की मरम्मत तो होगी।

श्री रामस्वरूप : इसके लिए मैं माननीय मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं, वित्त मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हमारी मंशा को समझा है और राजस्थान में सबसे ज्यादा बजट सड़कों की हालत को सुधारने के लिए आपने रखवाया है। इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम के अन्दर, सबसे पहले बड़ा कोई अभाव है हमारे यहां सहायक अभियन्ता का है। मैं पहले भी आपको कई बार निवेदन कर चुका हूं, कांग्रेस के समय में टोडाभीम में सहायक अभियन्ता रैगुलर बैठता था मैन्टिनेंस का, लेकिन बड़े दुःख की बात है कि भाजपा सरकार के समय में सबसे पहला इन्होंने काम यह किया कि मेरे उस सहायक अभियन्ता के दफ्तर को उठा कर वहां से हटा दिया और यह विश्व बैंक के दफ्तर के साथ उसे जोड़ दिया, हिण्डौन के साथ उसको जोड़ दिया। मेरा आपके माध्यम से विनम्र निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में 500 किलोमीटर सड़कें हैं और मेरे ही विधान सभा क्षेत्र में तीनों-चारों तीर्थ स्थान जुड़ते हैं। मेहंदीपुर का बालाजी, कैलादेवीजी और श्रीमहावीरजी तीनों एक साथ जुड़ते हैं, उनका लिंक वहां होता है।

(श्री रामस्वरूप)

इसी प्रकार मेरे यहां तीनों-चारों कार्यालयों की स्वीकृति भी हो गयी है, मुंसिफ कोर्ट भी वहां बनने जा रहा है, तहसील का भवन भी वहां पर बनेगा और वहां पर थाने की बिल्डिंग भी बनेगी। ये सारे सरकारी कार्यालय तभी बन सकते हैं जब वहां पर कोई सहायक अभियन्ता का कार्यालय होगा। माननीय शांति धारीवालजी, जो मंत्री महोदय का ध्यान बंटा रहे हैं, कृपया मेहरबानी करें। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे यहां पर तीनों-चारों कार्यालयों की स्वीकृति हो गयी है, तहसील का भी नया भवन बनेगा, मुंसिफ कोर्ट भी नया बनने जा रहा है और थाने की नयी बिल्डिंग भी बनने जा रही है। ये सारे आपके विभाग के द्वारा बनेंगे। सहायक अभियन्ता का कार्यालय जो कि भाजपा सरकार के टाइम में मेरे यहां से खत्म कर दिया गया था, मुझे आशा है विश्वास है कि मंत्री महोदय, सदन में आज ही तत्काल इसकी घोषणा करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : अब रोडवेज पर आ जाओ।

श्री रामस्वरूप : दूसरा मेरा निवेदन है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे ही विधान सभा क्षेत्र के अन्दर श्री महावीरजी से लेकर टोडाभीम तक की सड़क की स्वीकृति हो चुकी है। सारी सड़क बन चुकी है, मात्र ढाई किलोमीटर का टुकड़ा बचा है। पूरा जैन समाज मेहंदीपुर बालाजी होते हुए श्रीमहावीरजी को जाता है जबकि पचास किलोमीटर का चक्कर बचता है हिण्डौन होकर जाने से। उनका पचास किलोमीटर का चक्कर बचने के लिए आपकी मात्र ढाई किलोमीटर की सड़क की जरूरत है जो स्वीकृत पड़ी है। इसी सदन में माननीय पूर्व मंत्री महोदय ने यह घोषणा की थी कि मैं तुरन्त उसको बनवा दूंगा। लेकिन उनसे तो पूरी नहीं हुई, आप इसको पूरा कराएंगे तो सारे तीर्थ यात्रियों को जो जाते हैं महावीरजी के अन्दर, उनको सुलभता प्राप्त होगी।

दूसरा, मेरा निवेदन है कि हमारे यहां टोडाभीम की एक घाटी है जिसमें हर साल एक्सीडेंट होते हैं। उस घाटी में केई मोड़ आते हैं। पिछली बार भी राजस्थान रोडवेज की एक बस मोड़ पर टोडाभीम होते हुए ऊपर से नीचे गयी थी जिसके अन्दर कई आदमियों की मौत हुई थी। और आपकी गाड़ी बिलकुल चकनाचूर हो गयी थी। इस प्रकार पचास घटनाएं अब तक हो चुकी हैं इस घाटी के अन्दर। मेरा विनम्र निवेदन है कि इस घाटी में कोई व्यवस्था करें, हिंजलेन वगैरह लगवाएं ताकि इस प्रकार की घटनाओं से बचा जा सके। आप मेहरबानी करके इसकी ओर भी ध्यान दें।

तीसरा, मेरा निवेदन है, माननीय मंत्री महोदय, कि हमारे यहां नादौती तहसील भी लगती है। इस तहसील के अन्दर, मैंने प्रश्न लगाया था उसके उत्तर में आपने बताया था कि 14 सड़कें अधूरी पड़ी हुई हैं। नादौती से गड़गोरा होती हुई नेशनल हाईवे, नम्बर 11 से भांडारेज को मिलाती एक सड़क है, यह तीन जगह पर अधूरी पड़ी हुई है। कहीं आधा किलोमीटर, कहीं एक किलोमीटर और कहीं दो किलोमीटर, इतनी सी अधूरी पड़ी हुई है, बाकी सड़क कम्प्लीट बन चुकी है। एक-एक, दो-दो, किलोमीटर के जो टुकड़े हैं मेहरबानी करके आप इस अधूरी सड़क को पूरा कराएं ताकि नेशनल हाईवे, नम्बर 11 से नादौती को जोड़ा जा सके।

(श्री रामस्वरूप)

इसके साथ ही मंत्री महोदय, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग की तरफ से पिछली बार नई सड़कों की इसी सदन में घोषणा हुई थी जिसका बजट भी आपने दे दिया, इसमें मेहंदीपुर बालाजी का बाईपास है। मेहंदीपुर के अन्दर मन्दिर के सामने रोडवेज की बसें चार-चार घंटे खड़ी रहती हैं इसलिए बाईपास होना जरूरी था।. आपने सात लाख रुपया मंजूर भी कर दिया और मंजूर होने के बाद काम भी वहां पर चालू हो गया, लेकिन अभी हाल ही मुझे वहां के अफसरों ने बताया कि काम बन्द कर दिया गया है। आपने कोई इस प्रकार के आदेश निकाले हैं कि जो भी काम चल रहे हैं उनको बन्द कर दिया जाए, कोई काम चालू नहीं रखा जाए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय सदस्य, मंजूर हमने किया है या इन्होंने किया है, सही-सही बता दें? सत्य तो बोलो।

श्री रामस्वरूप : मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आपने आदेश निकाले हैं कि जो काम चालू नहीं हुआ है उसको रोका जाए। लेकिन हमारे यहां डेढ़ लाख रुपया लग चुका है। और चलते हुए काम को उन्होंने रोक दिया। आपके अधिकारियों ने यह रिपोर्ट भेज दी कि सड़क का काम चालू नहीं हुआ है। आप स्वयं मेहंदीपुर बालाजी के बाईपास को जाकर देख लें मौके को, डेढ़ लाख का काम उसके अन्दर हो चुका है, उस काम को रोक दिया है। काम रोकने के कारण हमारी यह महत्वपूर्ण समस्या और उलझ गयी है। इसलिए आप इसकी जांच करवाएं।

डा. किरोड़ी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, मेहंदीपुर बालाजी का बड़ा महत्वपूर्ण बाईपास है, मौके पर तो जाओ, रामस्वरूपजी कह रहे हैं, साहब।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : शुरु हमने किया और कह रहे हैं, कि आपने किया।

डा. किरोड़ी लाल : शुरू हमने किया और इन्होंने बन्द कर दिया काम।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री हरेन्द्र मिर्धा (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : मैं रामस्वरूपजी को सैटिसफाई कर दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप बैठ जाओ न, कहा है सैटिसफाई कर देंगे आपको। बात समाप्त हो गयी।

श्री रामस्वरूप : उन्होंने जो जवाब दिया है, काफी महत्वपूर्ण है, साहब। दो मिनट, मैं अपनी बात पूरी करके बैठ ही रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि सड़क अभी चालू नहीं हुई और रोक दी गयी है। ड़ेढ लाख का काम उसमें हुआ है और रात-दिन काम चल रहा था। जिन्होंने यह गलत जवाब दिया है। आप स्वयं उसकी जांच करवा लें कि उन्होंने असत्य रिपोर्ट कैसे पेश की। इसके साथ ही मैं आपसे पुनः निवेदन करूंगा कि मेरे यहां का सहायक अभियन्ता का कार्यालय जो इन्होंने बन्द कर दिया था, आप उसको मेहरबानी करके चलाएं और अधूरी सड़कों को पूरा करें।

इसके साथ ही हमारे रोडवेज मंत्रीजी यहां विराजमान हैं...

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त कीजिए, माननीय सदस्य।

श्री रामस्वरूप : तीन दिन पहले मैंने सदन के अन्दर एक घोटाले को यहां रखा था, औजार काण्ड। जिसके अन्दर औजारों की खरीद में घोटाला हुआ था। आपने उन व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही की इसके लिए तो आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं इस बात के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि आप भी सचेत रहें। यह तो मैंने मेहनत करके इस प्रकार के घोटाले को लाकर इस सदन में रख दिया। अगर हम इस घोटाले को सदन में लाकर नहीं रखते तो आपको तो यह भी पता नहीं था कि कोई घोटाला हो गया। इसलिए अगर सबसे बड़ी कोई बात है तो यह कि हम आपके विधायक हैं, हम आपकी आंख हैं, हम आपके कान हैं, आप मेहरबानी करके हमारी बातों पर गौर किया करो। हमने इतने बड़े घोटाले आपको लाकर दिये। ऐसे घोटाले तो मैं और भी दूंगा आपको। और भी कई घोटाले मेरे पास आ पहुंचे हैं, आप तो कार्यवाही करने के लिए तैयार रहिए। इनके समय में जितने भी काम हुए हैं, वे घोटाले मुझे मिल रहे हैं। सब घोटाले मैं आपके सामने रख दूंगा। यह घोटाला सरकार तो गयी अब आप घोटाले का पता लगाकर दण्डित करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रघुवीरजी मीणा। आप समाप्त कीजिए, माननीय रामस्वरूपजी।

डा. किरोड़ी लाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सुमित्राजी परेशान हो रही हैं।

श्री रामस्वरूप : उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट ओनली।

दूसरा, मेरा निवेदन है कि हमारा नया जिला करौली बना है लेकिन करौली जिले के लिए टोडाभीम से, नादौती से आपने अभी तक कोई बसें नहीं लगायी हैं जबकि हमारी अदालत भी वहीं है, जिला हैडक्वार्टर भी वहीं है, जिले के सभी दफ्तर भी वहीं बने हुए हैं। मेहरबानी करके हमारे नादौती और टोड़ाभीम जो तहसील हैडक्वार्टर्स हैं उनके लिए वहां से बसों की व्यवस्था करें। एक बस सुबह जानी चाहिए और एक बस निश्चित रूप से शाम को आनी चाहिए। यह मेहरबानी करके आप आज ही घोषणा करें।

दूसरा, मेरा निवेदन है कि हमारे यहां की बसों की हालत खराब है। बसें ऐसी हैं जो धक्के से स्टार्ट होती हैं वे बसें बी. जे. पी. की सरकार के टाइम की हैं। वह सरकार भी धक्का प्लेट सरकार थी। अब तो सरकार कांग्रेस की आ गयी, काफी बढ़िया मंत्री बन गये। इतना बढ़िया मंत्री होते हुए खराब गाड़ियां मुझे दे रखी हैं।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप समाप्त कीजिए, माननीय सदस्य।

श्री रामस्वरूप : आप मेहरबानी करके इन धक्का प्लेट गाड़ियों को जयपुर में भिजवा दें, उनको सिटी बस लगा दें। जयपुर के लोगों ने बहुत मौज की है अब तक, अब गांवों में नयी बसें चलाएं।

आखिर में मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि हिण्डौन डिपो की जो हालत खराब है, मेहरबानी करके आप उस पर ध्यान दें। आपका जो वह डिपो है वह ग्रामीण क्षेत्र से लगा हुआ है। इसके अन्दर कैलादेवी आती है और वहां से लाखों रुपये की आय होती है...

श्री उपाध्यक्ष : अब आप समाप्त कीजिए, माननीय सदस्य। आपको धन्यवाद।

श्री रामस्वरूप : उपाध्यक्ष महोदय, इनको अन्त में धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय निश्चित रूप से मेरे यहां सहायक अभियन्ता का कार्यालय खोलेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री रघुवीरजी मीणा।

श्री रामस्वरूप : ...और आप मेरे यहां बसों की व्यवस्था करेंगे। इसके साथ ही, मंत्री महोदय ने मेरी बात को ध्यान से सुना है और लिखा भी है, मुझे विश्वास है कि जरूर मुझे जवाब मिलेगा। उपाध्यक्ष महोदय, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया।

श्री रघुवीरसिंह (सराड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या-21 और 12 पर डिबेट चल रही है, मैं भी इसमें सम्मिलित होता हुआ आपके माध्यम से सार्वजनिक निर्माण मंत्री और परिवहन मंत्रीजी का ध्यान मेरे क्षेत्र की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा। महोदय, जिस क्षेत्र से मैं चुनकर आता हूं सम्पूर्ण जनजाति बहुल क्षेत्र है...

श्री रामस्वरूप : ...(व्यवधान) ये कह रही हैं। प्रेस में आएं चाहे नहीं आएं, मेरी बातों को जनता ने तो सुना है। मत आओ प्रेस में। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर आर्डर। आप घर नहीं जाना चाहते हो क्या?

श्री रघुवीर सिंह : पिछले आठ सालों में इस क्षेत्र में किसी भी तरह का सड़कों के मामले में ध्यान नहीं दिया गया, उसकी वजह से आठ साल पहले कांग्रेस के शासन में जो सड़कें बनायी गयी थीं वैसी की वैसी ही रह गयीं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप हमेशा ऐसे समय में बुलवाते हो जब प्रेस के लोग चले जाते हैं।

डा. किरोड़ी लाल : इलाके के लोगों को फंसा नहीं देंगे, साहब?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री रामस्वरूप : आगे होम की मांग आ रही है उसमें जल्दी दे देना टाइम। उस वक्त पता लग जाएगा।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा समय था आपके टाइम जब दो-दो बजे तक डिबेट चलती थी। हां, चलाइये।

श्री उपाध्यक्ष : चलाएंगे, चलाएंगे। ऐसा इन्ट्रैस्ट क्रीएट करो जरूर चलाएंगे।

श्री रघुवीर सिंह : मान्यवर, पिछले आठ सालों से मेरे जनजाति बहुल विधान सभा क्षेत्र में किसी तरह का सड़कों के मामले में ध्यान नहीं दिया गया है। जनजाति क्षेत्र में बिखरी हुई आबादी है, जहां लोगों को आने-जाने की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती है। छोटी-छोटी जमीनें होने के कारण अपने साग-सब्जी या किसी भी तरह से अपने गुजारे के लिए जो लोग रोजगार के अवसर ढूंढते हैं उनको भी अक्सर यातायात के अभाव में सुविधा मिल नहीं पाती है। मेरा निवेदन यह है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र सराड़ा से परसाद वाया निम्बोदा सड़क की बहुत कम डिस्टैंस है। 12 किलोमीटर करीब वह सड़क पक्की हो गयी है परन्तु बीच में चार-साढ़े चार किलोमीटर कच्ची है। उसकी वजह से उस रोड़ पर न किसी तरह का वाहन जा सकता है न आ सकता है। जो सरकार का पैसा लगा हुआ है उसका कोई उपयोग भी नहीं हो रहा है। बीच में कई गांव पड़ते हैं उन

(श्री रघुवीर सिंह) (सराड़ा)

गांवों को भी इसका फायदा नहीं मिल रहा है। एक थड़ा से मल्लाड़ा बाया बडावली सड़क है उस पर भी दोनों साइड में थोड़ा-थोड़ा डामर हुआ है, बीच में वह सड़क भी अधूरी है। यह भी कई गांवों को जोड़ती हुई जाती है और कच्ची पड़ी है, जर्जर अवस्था में है। उस सड़क का भी कोई उपयोग नहीं है, किसी ग्राम-वासी को कोई फायदा नहीं मिलता है। सड़कों का डामरीकरण कहीं-कहीं होता है परन्तु उसकी क्वालिटी मेन्टेन नहीं होती है, उसकी कोई निगरानी नहीं होती है।

मैं आपसे निवेदन करूं कि वर्ल्ड-बैंक के पैसे से जो सड़कें बनीं वे सड़कें पेवर होती हैं, बहुत अच्छा काम होता है। उसका कारण यह है कि वे टीमें गाड़ी में सारा अपना साधन लेकर आती हैं—उतरे, बाइब्रेशन मशीन, वगैरह जो भी होती है ड्रिलिंग मशीन खड़ी की और चैक कर लेते हैं। उस डर से विभाग के या ठेकेदार के जो भी लोग होते हैं वे काम अच्छा करते हैं। परन्तु विभाग की जो सड़कें होती हैं, या विभाग जिनकी मानिटरिंग करता है उन सड़कों की क्वालिटी बिलकुल ही घटिया होती है। साल भर बाद ही वह रोड टूट जाती है। उसकी थिकनैस देखो, 6 इंच अब तो ठीक है, वह 2 इंच भी नहीं होती है। क्वालिटी मेन्टेन करने के लिए भी ध्यान देने की आवश्यकता है।

मैं आपसे निवेदन यह भी करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में कई बड़े-बड़े कस्बे भी हैं। उस एरिया में अभी विलेज रोड बनी नहीं है। वहां 10, 15 साल पहले एक बार सड़क बनी थी। उसके बाद बारिश आई, बारिश आती रही और टूटते-टूटते सड़कों की हालत यह हो गयी कि उन गांवों में किसी भी तरह का वाहन मोटर साइकिल वाले हैं, साइकिल वालें हैं या पैदल हैं, घूम फिर नहीं सकते। तो विलेज रोड्स भी बढ़ाना बहुत जरूरी है। जैसे परसा, सराडा, बड़गांव, टोकर, झाड़ोली इस तरह से कई गांव हैं जिनको मैं गिनाऊं तो काफी लम्बा समय लगेगा परन्तु विलेज रोड्स को भी बनाना चाहिए। कई जगह पंचायत मुख्यालय भी हैं। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर कहूं, चावंड से नटारा एक बहुत बड़ी पाल है, 10-12 गांव बंध सकें इतनी बड़ी पाल है परन्तु वहां आज ऐसी स्थिति है कि जो पंचायत हैडक्वार्टर है और आज तक भी रोड कम्पलीट नहीं हुई है। ऐसे कई उदाहरण हैं हमारे पास।

एक निवेदन करना चाहूंगा कि एक अन्तरराज्यीय सड़क है खैरवाड़ा से रानी जो हाई-वे से जुड़ती हुई है। जब हाई-वे जाम होता है या नहीं भी होता है तो भी यह रोड थोड़ी शार्ट पड़ती है। इस पर ट्रैफिक का दबाव भी बहुत ज्यादा रहता है इसलिए इस रोड का सुदृढ़ीकरण भी बहुत आवश्यक है। एक ख्याणी से झांझरी तक तीस किलोमीटर की सड़क है वह 13 किलोमीटर कच्ची है। उसकी वजह से वहां कई तरह की दिक्कतें हैं। उसको भी पक्की करना चाहिए। जो 13 किलोमीटर बची हुई है उसको पक्की करके आगे कार्यवाही करनी चाहिए। एक निवेदन यह है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र सराड़ा में बांसवाड़ा से लेकर सलूम्बर, सराड़ा, सरूपाल, नेनबारा, बागपुरा होती हुई गोगुन्दा इतनी बड़ी स्टेट हाई-वे सड़क है, इस सड़क पर भी ध्यान देकर करवाने की जरूरत है। पालिया खेड़ा से बावलवाड़ा

(श्री रघुवीर सिंह) (सराड़ा)

सड़क, यह भी बहुत जरूरी सड़क है। यह कई विधान सभा क्षेत्रों को जोड़ती है—खैरवाड़ा, सराड़ा, झाड़ोल इस रोड को भी बनवाना चाहिए। मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक ओडा से बगरूवा 5-6 किलोमीटर का डिस्टैंस है। यह उदयपुर से जयसमंद सलूम्बर रोड़ पर लगता हुआ एक गांव है। 5 किलोमीटर सड़क नहीं होने की वजह से इनको जयसमंद होकर करीब 50 किलोमीटर राउण्ड काट करके उस गांव में वापस आना पड़ता है। अगर ओड़ा से बगरूवा सड़क बना देते हैं तो 5-6 किलोमीटर में लोग गांव आ-जा सकते हैं। उदयपुर आ-जा सकते हैं। तो इस रोड पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है।

दूसरा, यातायात मंत्रीजी का ध्यान भी मैं आकर्षित करना चाहूंगा कि हमारे उदयपुर में बसों की संख्या बहुत है। पिछली सरकार के समय में भी हमने बहुत मांग की थी परन्तु उन्होंने ध्यान दिया नहीं। वहां दो डिपो आज की तारीख में हो जाएं ऐसी स्थिति है। डीलक्स डिपो अलग हो जाए, एक्सप्रेस अलग हो जाएं ताकि वहां की व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। बसों की संख्या की जहां बात आती है, जनजाति क्षेत्र में बसें रोडवेज की कम चलती हैं। वहां किसी तरह की और कोई बसें भी नहीं चलती हैं। आपकी प्राइवेट बसें जो होती हैं वे परमिट किस रोड का है और चलती किस रोड पर हैं। उसके पीछे कारण यह है कि उनको आसानी चाहिए, पक्का अच्छा रोड चाहिए और जहां ज्यादा ट्रेफिक मिले उस रोड पर निकलते हैं। लोगों को जीपों में जाना पड़ता है, लटक-लटक कर जाते हैं, और एक्सीडेंट होते हैं। ऐसी स्थिति में जनजाति क्षेत्र में सराड़ा, झाड़ौल, कोटड़ा, नैनबारा इन क्षेत्रों में ज्यादा रोडवेज की बसें लगवानी चाहिए। मान्यवर, मैंने मंत्रीजी को, एम. डी. साहब को डिपो मैनेजर साहब को, सभी को बसों की संख्या बढ़ाने के लिए लिखकर भी दिया है। एक निवेदन यह है कि उदयपुर से डूंगरपुर के बीच में शाम को 5 बजे बाद कोई भी लोकल बस नहीं है। वहां के क्षेत्र के सभी लोग एक्सप्रेस का किराया देकर जाएं, यह भी कोई जरूरी नहीं है। दूसरा यह है कि बीच में कई लोकल स्टेशन्स आते हैं और एक्सप्रेस होने की वजह से वे बसें 15 किलोमीटर से पहले कहीं रुकती नहीं है। हमारा सुझाव यह है कि लोकल बसें शाम को 6 बजे तक या इससे भी लेट अगर हो सके तो एक-दो बसें जाएं।

दूसरा मेरे विधान सभा क्षेत्र में जावर माइन्स हिन्दुस्तान जिंक की है वहां उदयपुर से जो बसें चलती हैं वे सारी एक्सप्रेस का किराया चार्ज करती हैं। वहां कई लोग जाते-आते हैं, सुबह जाते हैं, काम करके शाम को वापस आते हैं। उन बसों का किराया भी आपको एक्सप्रेस का नहीं लेकर लोकल का चार्ज करना चाहिए।

एक निवेदन यह है रोडवेज के घाटे की बात पर कि पिछली सरकार के समय भी हम कांग्रेस पार्टी के लोग हमेशा इसका विरोध करते रहे कि किराया बढ़ा दिया है उसको घटाना चाहिए। उसके पीछे हमारा तर्क यह है कि प्राइवेट बसें आपसे आधे किराये में भी फायदे में रहती हैं। उदयपुर से जयपुर 80 रुपये में प्राइवेट बस लाती है फिर भी वह मुनाफे में है। हमारी रोडवेज की बस 200 रुपये में आती है एक सवारी। 200 रुपये में क्यों बैठेगा, वह तो 80 रुपये में आएगा? 80 रुपये

(श्री रघुवीर सिंह) (सराड़ा)

और 200 रुपये का फर्क है। पहले समय में जो किराया बढ़ाया था 30 परसेन्ट उसमें से कम करो या बढ़ा हुआ किराया वापस ले लो तो निश्चित तौर पर सवारियां आपकी डीलक्स गाड़ी में या रोडवेज की गाड़ी में बढ़ेंगी और आपकी आमदनी भी बढ़ेगी। चैकिंग करके जो आपने तीन महीने में 3 करोड़ रुपया कलैक्ट किया है इसके लिए तो आपको धन्यवाद परन्तु अभी भी और चैकिंग बढ़ाने की जरूरत है। नाथद्वारा से बम्बई, नाथद्वारा से अहमदाबाद, सूरत, जयपुर, उदयपुर—ये जितनी बसें आती हैं इनको अगर आप सख्ती से रोकने की कोशिश करें तो आपकी आमदनी और भी बढ़ सकती है। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे समय दिया। उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी।

श्री हरेन्द्र मिर्धा (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या-21 के अन्तर्गत सड़क एवं पुल विकास के लिये आगामी वर्ष हेतु प्रस्तुत अनुदानों पर हुई चर्चा के दौरान माननीय सदस्यों द्वारा दिये गये रचनात्मक सुझावों के लिये मैं उनका अत्यन्त आभारी हूं। इन सुझावों से जहां माननीय सदस्यों की इस क्षेत्र में गहन रुचि स्पष्ट होती है, वहीं मुझे भी इस प्रकार के सहयोग से अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करने में बल मिलता है।

महोदय, राज्य के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिये सड़क आधारभूत आवश्यकता है। माननीय सदस्यों के साथ-साथ मैं भी राज्य की मौजूदा सड़क प्रणाली के विकास एवं उसके सुचारू रख-रखाव के लिये चिंतित हूं। माननीय सदस्य इस बात से अवगत हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा राज्य देश में दूसरा स्थान रखता है। राज्य का कुल क्षेत्रफल 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर है। प्रदेश के पश्चिमी भू-भाग में फैला हुआ इलाका रेगिस्तानी है जहां छोटी-छोटी आबादी वाले गांव और ढाणियां हैं। राज्य के दक्षिण और दक्षिण पूर्व अंचल में पहाड़ी क्षेत्र है, जहां छोटे-छोटे मजरें और टेकरियों में विभिन्न जनजातियों के भाई-बहन निवास करते हैं। इन दूर-दराज स्थानों में बसे हुए व्यक्तियों तक विकास की रेखाओं को खींचना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। माननीय सदस्यगण, सहमत होंगे कि जब तक विकास की यह गंगा उन तक नहीं पहुंचेगी तब तक समूचे प्रदेश का विकास अधूरा ही रहेगा। मैंने राज्य के विस्तृत क्षेत्रफल की चचा इसलिये की है कि माननीय सदस्यगण सड़कों के विकास की समस्या को इस परिप्रेक्ष्य में देखें।

जहां सड़कों की उपलब्धि की राष्ट्रीय औसत 73 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर है, वहीं हमारे राज्य में यह औसत अब तब मुश्किल से लगभग 43 किलोमीटर पहुंच पाया है। केवल इस एक आंकड़े को देखकर ही यह बात स्पष्ट होती है कि हमें देश के अन्य विकसित राज्यों की पंक्ति में खड़ा होने के लिये अभी कितना और प्रयास करना बाकी है। वैसे तो राज्य के सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित एवं सांस्थानिक सड़क प्रणाली की कुल लम्बाई इस समय लगभग 81,000 किलोमीटर है, परन्तु केवल राष्ट्रीय औसत तक आने के लिये हमें अभी भी कम से कम एक लाख किलोमीटर लम्बाई की

(श्री हरेन्द्र मिर्धा)

सड़कों का और निर्माण करना होगा। इतना बड़ा काम पूरा करने में लिये पर्याप्त समय और साधन दोनों की आवश्यकता होगी। इस सन्दर्भ में नवीं पंचवर्षीय योजना में सड़कों व पुलों के योजनाबद्ध विकास हेतु लगभग 1353 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गयी है। इसके प्रथम दो वर्षों में लगभग 400 करोड़ रुपये व्यय किये गये।

मुझे माननीय संदस्यों को यह सूचित करते हुए हर्ष है कि वर्ष 1999-2000 के लिये विभागीय योजना का आकार 385 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है जो वर्ष 1998-99 में हुए व्यय की तुलना में लगभग 97 प्रतिशत अधिक है। यह वृद्धि हमारी सरकार द्वारा आधारभूत आवश्यकता के विकास को तेज गति देने के संकल्प का एक ठोस परिणाम है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि सड़कों का विस्तार जितना आवश्यक है उतनी ही आवश्यकता इस बात की भी है कि पूर्व निर्मित सड़कों के संधारण की ओर उचित ध्यान दिया जाए। पिछले कुछ वर्षों में विकास के नाम पर नित नयी सड़कों की घोषणा करके भारतीय जनता पार्टी सरकार ने वाहवाही लूटने की कोशिश की। परन्तु ऐसा करते समय उन्होंने इस बात को बिलकुल भुला दिया कि तीन-चार दशकों में बनी हुई सड़कों का रख-रखाव भी जरूरी है। उनकी नीतियों की दूरदर्शिता से...

श्री अमराराम चौधरी : आपकी तो सबने प्रशंसा की है।

श्री हरेन्द्र मिर्धा : मैं तो कम्पेयर कर रहा हूं।

उनकी नीतियों में दूरदर्शिता के इस अभाव के दुष्परिणाम अब समूचे राज्य की जनता भोग रही है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अधिकांश माननीय सदस्यगण और अन्य जन-प्रतिनिधिगण की सार्वजनिक निर्माण विभाग के प्रति मुख्य शिकायत यह है कि उनके क्षेत्र की सड़कों की हालत खस्ता है। आम नागरिक भी सड़कों की हालत से परेशान हैं। लोगों की शिकायत तो यहां तक है कि उनके क्षेत्र में बनी हुई कुछ सड़कों को तो सड़क का नाम देना ही गलत है। लोग कहते हैं कि इसके बजाय तो यह ठीक था कि वहां सड़क होती ही नहीं और लोग सब्र कर लेते कि कभी तो सड़क बनेगी। लेकिन बनी हुई सड़कों की दुर्दशा से जिस कठिनाई का सामना होता है उसका बयान करना मुश्किल है। महोदय, मैं इस दुर्दशा के बारे में कुछ कहने के बजाय कुछ आंकड़े प्रस्तुत करना चाहता हूं। विभाग द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार सड़कों के संधारण व रखरखाव के लिये आवश्यक राशि तथा पिछले चार वर्षों में इस हेतु किये गये वास्तविक व्यय का लेखा-जोखा निम्न प्रकार है :—

1995-96 में आवश्यकता थी 272 करोड़ की और व्यय हुआ 117 करोड़,

1996-97 में 291 करोड़ रुपये की आवश्यकता थी, व्यय हुआ 117 करोड़,

1997-98 में 222 करोड़ रुपये की आवश्यकता थी, व्यय हुआ 107 करोड़, और

1998-99 में 262 करोड़ रुपये की आवश्यकता थी, व्यय हुआ 126 करोड़।

(श्री हरेन्द्र मिर्धा)

इन सड़कों से यह स्पष्ट होता है कि पिछले कुछ वर्षों में विभाग ने सड़कों के रख-रखाव पर जरूरत के मुकाबले आधी रकम भी खर्च नहीं की। पिछले दो वर्षों में इस खर्च का अनुपात घटकर एक तिहाई ही रह गया। महोदय, कांग्रेस पार्टी ने इस बात को समझा और अपने चुनावी घोषणा-पत्र में सड़कों के रख-रखाव की प्राथमिकता देने का वायदा किया। पिछली सरकार की गलत नीतियों से दुःखी जनता ने हमारे इस इरादे को भरपूर समर्थन दिया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को और इस सदन के माध्यम से राज्य की जनता को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सड़कों के रख-रखाव को प्राथमिकता देने के वायदे को हमारी सरकार अपनी पूरी शक्ति लगा कर क्रियान्वित करेगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन को यह सूचित करते हुए मुझे अत्यन्त हर्ष है कि हमारे इस वायदे को अमलीजामा पहनाने के लिये सरकार ने वर्ष 1999-2000 में सड़कों के संधारण के लिये खर्च की जाने वाली राशि को वर्ष 1998-99 के मुकाबले लगभग दुगना कर दिया है। वर्ष 1999-2000 में सड़कों के रख-रखाव तथा नवीनीकरण के लिये कुल 226 करोड़ रुपये व्यय किये जाएंगे जो निर्धारित मापदंडों के अनुसार आवश्यक राशि का कुल 60 प्रतिशत है। एक वर्ष में सड़कों के रख-रखाव के लिये बजट में इतनी बड़ी वृद्धि करना इस विभाग के लिये ऐतिहासिक उपलब्धि है। विभाग इस वृद्धि के लिये माननीय मुख्य मंत्री महोदय और वित्त मंत्री महोदय के प्रति अत्यन्त आभारी है। इस बढ़ी हुई राशि से विभाग अगले वर्ष में 6255 किलोमीटर सड़कों का रख-रखाव एवं नवीनीकरण कर सकेगा। विभाग ने बड़ी मुस्तैदी से इस हेतु विस्तृत योजना तैयार कर ली है। मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सरकार इस राशि का समयबद्ध तरीके से सदुपयोग करने के लिये पूरी तरह से तत्पर है। उनियारा, गंगानगर, कुशलगढ़, झुंझुनूं, चूरू, बाड़मेर, जैतारण, सपोटरा व चौमूं से आने वाले माननीय सदस्यों ने और अन्य कई माननीय सदस्यों ने अपने-अपने क्षेत्रों में सड़कों की मरम्मत एवं उसके सुधार की आवश्यकता के बारे में सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। (व्यवधान) और भी अन्य सदस्य, मैंने कहा ना।

जैसा कि मैंने अभी निवेदन किया, राज्य सरकार इस वर्ष सड़क मरम्मत एवं विकास के कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देगी। यद्यपि केवल एक वर्ष की अवधि में पूरे राज्य में फैली हुई समूची सड़क प्रणाली में आवश्यकतानुसार सुधार करना सम्भव नहीं होगा, मैं सभी माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि उनकी मांग को वित्तीय संसाधनों की सीमा के अन्दर रहते हुए शनैः शनैः चरणबद्ध तरीके से पूरा करने के प्रयास करूंगा।

कार्य की गुणवत्ता के बारे में भी आम जनता को कई शिकायतें हैं। नगर, बामनवास, बाड़ी, पीपल्दा से आने वाले माननीय सदस्यों और अन्य माननीय सदस्यों ने भी इस बारे में राज्य सरकार का ध्यानाकर्षित किया है। मैं सभी माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि विभाग भी इन शिकायतों के प्रति सजग है। कार्य में गुणवत्ता में कमी, इसके निष्पादन में देरी होना या अन्य

(श्री हरेन्द्र मिर्धा)

अनियमितताओं के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि ऐसे प्रत्येक प्रकरण की विभाग द्वारा जांच कराई जाएगी। यदि प्राप्त जांच के पश्चात् किसी भी कार्य में कोई कमी पाई गयी तो इसके दोषी व्यक्तियों को अवश्य दंडित किया जाएगा।

हमारी सरकार के चुनावी घोषणा-पत्र में सड़कों के रख-रखाव को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के अलावा 1991 की जनगणना के अनुसार 1000 की आबादी वाले गांवों और पंचायत मुख्यालयों को सड़क से जोड़ने के कार्य को प्राथमिकता देने का संकल्प लिया गया है। यद्यपि इस वर्ष में पूर्व निर्धारित सड़कों का संधारण हमारे विभाग का मुख्य लक्ष्य रहेगा, फिर भी हमारे घोषणा-पत्र में लिये गये इस संकल्प की क्रियान्विति के लिये भी समुचित प्रयास किये जाएंगे। इस संदर्भ में इस वर्ष लगभग 135 करोड़ रुपये की राशि से कुल 350 गांवों को सड़कों से जोड़ा जाएगा जिसमें 265 पंचायत मुख्यालय शामिल हैं।

शिव, टोंक, पचपदरा, रायपुर, भरतपुर, टोडाभीम, भिनाय, बागीदोरा, करौली व तिजारा से आने वाले माननीय सदस्यों ने और कई अन्य माननीय सदस्यों ने अपने-अपने क्षेत्रों के उचित गांवों को सड़कों से जोड़ने और नयी पुलियाओं के निर्माण की आवश्यकता के बारे में सरकार का ध्यानाकर्षित किया है। मैं इस बात को मानता हूं कि उनकी इन मांगों का पर्याप्त औचित्य है। मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सरकार द्वारा निर्धारित प्राथमिकताएं एवं उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के संदर्भ में विभाग नयी सड़कों और पुलियाओं के प्रस्तावों की योजनाबद्ध तरीके से क्रियान्वित करने का प्रयास करेगा।

वर्ष 1999-2000 में विभाग द्वारा क्रियान्वित किये जाने वाले कार्यक्रम का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण और प्रमुख बिन्दु यह होगा कि अनुसूचित जाति के बाहुल्य वाले 99 गांवों को डामर की सड़क से जोड़ दिया जाएगा। इस लक्ष्य की प्राप्ति के फलस्वरूप इस वर्ष के अन्त तक सम्पूर्ण प्रदेश में कम से कम 400 व 40 प्रतिशत अनुसूचित जाति के व्यक्तियों वाले सारे गांव डामर की सड़क से जुड़ जाएंगे। समाज के कमजोर वर्ग के आर्थिक उत्थान में सार्वजनिक निर्माण विभाग का यह एक महत्वपूर्ण योगदान होगा।

सड़क विकास हेतु संस्थागत वित्त प्राप्त करने के संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा लगभग 2500 करोड़ रुपये की लागत से विश्व बैंक के सम्मुख एक परियोजना प्रस्तुत की गयी है जिसके अन्तर्गत लगभग 1500 किलोमीटर लम्बी सड़कों को 60 मीटर तक चौड़ा किया जाएगा। इसके अतिरिक्त लगभग 1800 किलोमीटर सड़कों का सामयिक रख-रखाव भी इस योजना के अन्तर्गत किया जाना प्रस्तावित है। वर्ष 1999-2000 में इस परियोजना के लिए 110 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। सड़कों के विकास एवं विस्तार के लिये संसाधन जुटाने की दृष्टि से अधिक से अधिक बी.ओ.टी. परियोजनाएं क्रियान्वित किये जाने के प्रयास किये जाएंगे। इस समय 2700 करोड़ रुपये की लागत से दो परियोजनाएं-भरतपुर उप मार्ग व सीकर उप मार्ग प्रगति पर हैं। इसके अतिरिक्त तीन अन्य परियोजनाएं—केकड़ा से आमेर सड़क पर 19 किलोमीटर लम्बाई की सड़क का विकास, अजमेर-चित्तौड़गढ़ सड़क पर रायला

(श्री हरेन्द्र मिर्धा)

और बांदनवाड़ा पर रेल पुल तथा निम्बाहेड़ा से नीमच सड़क पर 10 किलोमीटर लम्बाई की सड़क का विकास स्वीकृति के अंतिम चरण में है। विभाग यह प्रयास करेगा कि इन गतिविधियों को और आगे बढ़ाया जाकर इस वर्ष के दौरान लगभग 8-10 बी.ओ.टी. परियोजनाएं प्रारम्भ की जाएं।

राज्य में इस समय लगभग 3000 किलोमीटर लम्बाई के 8 राष्ट्रीय उच्च मार्ग विद्यमान हैं। राष्ट्रीय उच्च मार्गों में लम्बाई की दृष्टि से राजस्थान देश में तीसरा स्थान रखता है। मुझे माननीय सदस्यों को यह सूचित करते हुए हर्ष है कि केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार के अनुरोध पर जनवरी, 1999 में लगभग 900 किलोमीटर लम्बाई के 3 और राष्ट्रीय उच्च मार्गों के निर्माण की स्वीकृति दी है जो इस प्रकार हैं।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : देखा, कितना बढ़िया काम किया है सेन्ट्रल गवर्नमैन्ट ने।

श्री हरेन्द्र मिर्धा : राष्ट्रीय उच्च मार्ग संख्या-76 जो पिंडवाड़ा, उदयपुर, मंगलवाड़, चित्तौड़गढ़, कोटा होते हुए मध्यप्रदेश में शिवपुरी तक जाएगा इसकी लम्बाई लगभग 480 किलोमीटर होगी। राष्ट्रीय उच्च मार्ग संख्या-79 जो अजमेर, नसीराबाद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ से रतलाम होते हुए इंदौर तक जाएगा, उसकी लम्बाई 220 किलोमीटर होगी। तीसरा राष्ट्रीय उच्च मार्ग संख्या-65 जो हरियाणा से हिसार, राजस्थान से फतेहपुर, नागौर, जोधपुर होते हुए पाली तक विस्तार किया जाएगा, उसकी लम्बाई लगभग 240 किलोमीटर होगी। मैं माननीय सदस्यों को यह भी सूचित करना चाहता हूं कि जयपुर-दिल्ली राष्ट्रीय उच्च मार्ग संख्या-8 के चार लेन का कार्य प्रगति पर है और यह आशा की जाती है कि अगले वर्ष तक यह कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा। इसके अलावा एन. एच. ए. आई. द्वारा जयपुर से किशनगढ़ राष्ट्रीय उच्च मार्ग को भी चार लेन करने का कार्य प्रारम्भ किया जाने की संभावना है। उच्च मार्गों पर यातायात का दबाव बढ़ने के कारण और कई जगह रेलवे ओवर-ब्रिज बनाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। जयपुर में करीब 32 करोड़ रुपये की राशि से तीन ऐसे पुलों का निर्माण प्रगति पर है। इन योजनाओं के वर्ष 1999 के अंत तक पूर्ण हो जाने की संभावना है।

सीकर में जनता की बहुत समय से चली आ रही मांग व वहां के रेल मार्गों की आवश्यकता को देखते हुए राज्य सरकार ने सीकर शहर में सात करोड़ रुपये की लागत से एक रेल मार्ग पुल के निर्माण का निश्चय किया है। खास तौर से हमारे राजेन्द्र पारीकजी इस सम्बन्ध में बहुत ही प्रगतिशील हैं और बहुत ही टाइम से मेहनत कर रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, अन्न छोड़ रखा है। इसलिए आज मैं निवेदन करूंगा आपके माध्यम से न सिर्फ हमारी पार्टी के सदस्यों की तरफ से बल्कि पूरे सदन की तरफ से कि अन्न खाना शुरू कर दें, उनका जो काम था वह पूरा हो गया है।

श्री राजेन्द्र पारीक : मंत्री महोदय, उसका शिलान्यास करें ताकि मुझे भी अन्न खाने को मिले। आप सबको भी मैं निमंत्रित करूंगा वहां पर।

श्री हरेन्द्र मिर्धा : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे विश्वास है कि विभाग के इन इरादों और प्रयासों को सदन के अंदर और बाहर

(श्री हरेन्द्र मिर्धा)

पूरा समर्थन मिलेगा। विभाग के समस्त कार्य-कलापों को जनता की अपेक्षा के अनुरूप लाने में मैं अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोडूंगा। मुझे आशा है कि हमारे इस प्रयास में विभाग को माननीय सदस्यों का बहुमूल्य मार्गदर्शन एवं पूर्ण सहयोग निरन्तर मिलता रहेगा, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : इसमें क्या पूछना है आपको ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : एक बात है. .(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। एक-एक पूछिये न आप।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का इस बात के लिये तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने 7 करोड़ की इस महत्ती योजना को स्वीकृति दी। 5 अप्रैल को इन्होंने माननीय रेल मंत्री को भी इस आशय का पत्र लिखा है जिससे सहभागिता के आधार पर इस पुल का निर्माण शीघ्र शुरु कर सकें। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय और माननीय मंत्री महोदय जल्दी से जल्दी उसका शिलान्यास करें। मुख्य मंत्री महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : सार्वजनिक निर्माण मंत्री और मंत्री महोदय क्या होता है? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : इनको तो निमंत्रित कर ही रहा हूं ताकि उस पुल का शिलान्यास हो।

श्री उपाध्यक्ष : आप बहुत एक्साइट हो रहे हो। बोल रहे हो जो ही पता नहीं पड़ रहा है।

श्री राजेन्द्र पारीक : दे रहा हूं, तहे दिल से दे रहा हूँ। आपको निमंत्रित कर रहा हूँ वहां पर।

श्री उपाध्यक्ष : एक्साइटमैंट ज्यादा हो गया, विराजें आप।

श्री राजेन्द्र पारीक : धन्यवाद, साहब, आपको।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से दो-तीन छोटी-छोटी जानकारी चाहूंगा। मंत्री महोदय, आपने बड़ा लंबा-चौड़ा भाषण दिया और यह कहा कि इस बार सरकार ने सड़कों के रख-रखाव के लिए बड़ा उचित प्रावधान किया है। आपने अपने भाषण में कहा कि 226 करोड़ का प्रावधान किया है और पिछले वर्ष यह प्रावधान 262 करोड़ का था। आपने यह कहा कि राष्ट्रीय उच्च मार्ग संख्या-65 और राष्ट्रीय उच्च मार्ग संख्या-79, ये केन्द्रीय सरकार ने आपकी सरकार आने के बाद आपकी कृपा से स्वीकृत कर दिये हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय उच्च मार्ग संख्या-65 इस पर तो पैसा स्वीकृत हो गया, काम चालू हो गया है और मैं समझता हूं कि इस पर एक करोड़ से ज्यादा पैसा खर्च हो चुका है। इस तरह की बातें क्यों कहते हो? हमें मालूम है कि सरकार आपकी है, आप अच्छा काम करोगे तो हम प्रशंसा करेंगे। पर वे बातें जो पहले हो चुकी हैं? अब आपने कह दिया कि हमने हर ग्राम पंचायत को सड़क से जोड़ने का लक्ष्य हाथ में रखा है, मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि यह योजना कब प्रारम्भ हुई? 135 करोड़ का प्रावधान रखा है। उपाध्यक्ष महोदय, फिर मैं निवेदन करना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न क्या है आपका ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह बात कह दी कि विश्व-बैंक के सम्मुख 1500 करोड़ की परियोजना लेकर के गये हैं। यह परियोजना कब बनी थी, मंत्री महोदय, यह भी बता दो आप ?

श्री उपाध्यक्ष : इन्होंने कब कहा कि आपके टाइम में नहीं हुई ?

डा. किरोड़ी लाल (बामनवास) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने अपने भाषण में अनुसूचित जाति के 99 गांव बताये हैं। ऐसा लगता है, 99 का मतलब यह है जो सम्बल विलेज हैं, जिनमें शिड्यूल्ड कास्ट की आबादी 50 परसेंट से ज्यादा है उनको ये सड़क से जोड़े जाने में प्राथमिकता देंगे। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या इसी तरह से जिन गांवों में शिड्यूल्ड ट्राइब्स की आबादी 50 परसेंट से ज्यादा है उनको भी जोड़े जाने का आप प्रावधान रखेंगे, एक ? दूसरा, आपने बोला है कि 135 करोड़ रुपये हम खर्च करेंगे 350 गांवों को और 250 पंचायत मुख्यालयों को जोड़ने में वे गांव जिनकी 1991 की जनगणना के अनुसार आबादी एक हजार से ज्यादा है। मंत्री महोदय, ऐसे और कितने गांव रह जाते हैं एक हजार की आबादी के और कितने ग्राम पंचायत मुख्यालय रह जाते हैं जिनको जोड़ा जाना बाकी रह गया है ? इनको जोड़ने में आप किस तरीके की प्राथमिकताएं तय करेंगे ?

तीसरा क्वेश्चन, आपने, 226 करोड़ रुपये रखकर...

श्रीमती सुमित्रा सिंह : इस रिपोर्ट में सब लिखा है।

डा. किरोड़ी लाल : इसमें कुछ नहीं लिखा है। 226 करोड़ रुपये आपने रिपेयर के लिए...

श्री उपाध्यक्ष : आप इस रिपोर्ट को पढ़ें तो इसमें सब है। इसको अगर आप पढ़ लोगे तो यह प्रश्न आप नहीं उठाओगे। शायद आपने पढ़ा नहीं है।

डा. किरोड़ी लाल : मैं तो प्रश्न पूछ रहा हूं। उसमें शिड्यूल्ड ट्राइब्स के गांव हैं...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : शायद आपने पढ़ा नहीं इसलिए आप उसको उठा रहे हो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : किताब तो पहले ही दे दी थी, फिर इतनी मशक्कत की जरूरत ही नहीं थी। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : शिड्यूल्ड ट्राइब्स के गांवों को जोड़े जाने के लिए यहां पर कई प्रश्न...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कोई आवश्यकता नहीं है जो आप पूछ रहे हो।

डा. किरोड़ी लाल : पचास प्रतिशत पापुलेशन के शिड्यूल्ड कास्ट के गांव सड़क से जोड़े जा रहे हैं तो शिड्यूल्ड ट्राइब्स के गांव भी जोड़ेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : पूछ लिया न आपने ?

डा. किरोड़ी लाल : कहीं नहीं है इस किताब में।

श्री उपाध्यक्ष : पूछ लिया न आपने ?

डा. किरोड़ी लाल : हां, तो फिर जवाब दिलवाओ न।

श्री उपाध्यक्ष : देते हैं, देते हैं, देंगे, बैठो। माननीय रामस्वरूपजी।

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : उपाध्यक्ष महोदय, भाजपा के शासन काल में टोडाभीम से सहायक अभियंता का कार्यालय हटाया गया था क्योंकि उस समय दो-दो बार कांग्रेस वहां से जीतकर आई। माननीय मंत्रीजी, मेरा विनम्र निवेदन है कि आप उस कार्यालय को दुबारा खोलें मेरे यहां पर पांच सौ किलोमीटर सड़कें हैं, 3-4 सरकारी कार्यालयों की भी स्वीकृति हो चुकी है—वहां पर थाने की स्वीकृति हो गई, तहसील की स्वीकृति हो गई, मुंसिफ मजिस्ट्रेट न्यायालय का भवन स्वीकृत हो गया, तीनों भवनों का कार्य चलेगा, और मेरे सहायक अभियंता कार्यालय को हिण्डौन ले जाकर रख दिया इन्होंने। माननीय मंत्रीजी, इनके द्वारा जो अन्याय मेरे क्षेत्र के साथ किया गया है, क्योंकि मेरे यहां कांग्रेस जीतती है, क्या आप पुनः उस सहायक अभियन्ता कार्यालय को खोलेंगे? माननीय मंत्रीजी, मेरा निवेदन है...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री रामस्वरूप : मंत्रीजी कह रहे हैं कि खोल देंगे। बहुत अच्छा, मंत्रीजी, धन्यवाद।

श्री जगमाल सिंह यादव (तिजारा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो प्रश्न पूछना चाहता हूं। एक तो यह कि माननीय मंत्रीजी ने घोषणा की है कि 1991 की आबादी के अनुसार जिन गांवों को सड़क से जोड़ देंगे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं कि अन्तरराज्यीय सड़क है, इन्टर-स्टेट सीमा जो दूसरे राज्यों से लगती है—एम. पी. से, हरियाणा से, उन स्टेट ने अपने बॉर्डर तक अपनी सड़कें बना दीं और पी. डब्ल्यू. डी. मिनिस्टर साहब उन गांवों की आबादी 1991 के आधार पर एक हजार नहीं है और मिस लिंक एक किलोमीटर, दो किलोमीटर की है तो क्या उन गांवों को सड़क से जोड़ने का विचार रखते हैं? जहां दूसरे स्टेट्स की गवर्नमैन्ट ने बना दी, क्या आप जोड़ेंगे?

मेरा दूसरा स्पेसिफिक क्वेश्चन है, मैंने मेरी डिमाण्ड्स में भी जिक्र किया था, कि भिवाड़ी से करौली, गंगापुर सिटी तक जो रोड बना है, वह बनने से पहले ही टूट गया। उसका मुहूर्त भी यहीं हुआ था, माननीय मंत्री महोदय + + + जो अधिकारी था पी. डब्ल्यू. डी. का, चतुर्वेदी साहब ने यहीं उसे सस्पैण्ड किया था क्योंकि वह सड़क बनी, उससे पहले टूट गई। बहुत-सी शिकायतें आपको मिलीं, क्या उनकी जांच कराने का आप इरादा रखते हैं? (व्यवधान) मेरा क्वेश्चन आपसे भी सम्बन्धित है।

तीसरी बात, मैं पूछना चाहता हूं कि बी.जे.पी. की गवर्नमैंट में तारकोल या कोलतार, कुछ भी कह लो...

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी (ओसियां) : जो सदन का मैम्बर न हो, उसका नाम नहीं लेना चाहिए। आप एक्सपंज करवाइए, + + + साहब का नाम लिया।

श्री जगमाल सिंह यादव : मैं एक्सक्यूज करता हूं, एक्सपंज कर दें, मैंने एक्सक्यूज कर लिया।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री जगमाल सिंह यादव : तीसरी बात मैं पूछना चाहता हूं कि बी.जे.पी. की गवर्नमैंट में तारकोल काण्ड हुआ, बहुत

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री जगमाल सिंह यादव)

उछाला प्रेस ने लेकिन उसकी जांच नहीं नहीं की सरकार ने आज तक। क्या आप उस तारकोल काण्ड की जांच करवाने का विचार रखते हैं?

श्री जनार्दन गहलोत (करौली) : उपाध्यक्ष महोदय, अपनी बात पर मैं पहले भी निवेदन कर चुका हूं। नेशनल हाई-वे नम्बर-8 जो धारूहेडा से शुरु होता है, महुवा में हाई-वे नम्बर-11 से जुड़ता है, जिस सड़क निर्माण का इन्होंने जिक्र किया है, 102 करोड़ 74 लाख रुपये उस पर खर्च हो चुके हैं। तो नेशनल हाई-वे नम्बर-आठ से नेशनल हाई-वे नम्बर-ग्यारह जुड़ गया। विश्व बैंक की योजना थी, करौली से आगे के मंडरायल से मुरैना होते हुए ग्वालियर के पास से जोड़ते हुए मुम्बई नेशनल हाई वे से दिल्ली नेशनल हाई-वे जोड़ने की योजना का प्रावधान लेकर ही विश्व बैंक में गये थे। दुर्भाग्य से इस योजना में शुरू में 44 करोड़ रुपए का एस्टीमेट था, जिसको बढ़ाकर 74 करोड़ रुपये कर दिया गया। 1991 में अब उन मामलों को इंगित किया है कि उस पर पैसे का कितना दुरुपयोग हुआ, 102 करोड़ रुपये की योजना में कितने घोटाले हुए पिछली सरकार में, मुरैना तक यह सड़क पहुंच जाती ताकि हमारे तीन नेशनल हाई वे से जोड़ने का (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपका प्रश्न क्या है, माननीय सदस्य? आर्डर-आर्डर।

डा. किरोड़ी लाल : कांग्रेस के सदस्य हाईकोर्ट से स्टे ले आए थे। (व्यवधान) मुख्य सचेतकजी, रिकार्ड पर है, बीजेपी. की सरकार का दोष तो नहीं था।

श्री जनार्दन गहलोत : उपाध्यक्ष महोदय, बामनवास से आने वाले माननीय सदस्य...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय जनार्दन सिंहजी, डाइरेक्ट क्वेश्चन क्या है आपका?

श्री जगमाल सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, वे यह नहीं कह रहे हैं कि स्टे नहीं...(व्यवधान) ईमानदारी से काम होगा तो बच जाएंगे, उनके ऊपर कोई आरोप थोड़े लगा रहे हैं?

श्री जनार्दन गहलोत : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा डाइरेक्ट क्वेश्चन यह है कि तीन नेशनल हाई-वे से जोड़ने की योजना थी और सारा मामला रुक गया। मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाह रहा हूं कि तीन नेशनल हाई-वे बड़े महत्त्वपूर्ण हैं, आपके राजस्थान से शार्टेस्ट रूट बन जाता है। नेशनल हाई-वे जो धौलपुर होते हुए ग्वालियर, मुरैना से आगे जुड़ता है, मथुरा और आगरा से जुड़ जाता है, उधर दिल्ली से उसका लिंक जुड़ता है, उसकी लम्बाई बहुत कम हो जाती है। यही बात लेकर इसको आप आगे योजना में लेंगे?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। (व्यवधान) उनको याद ही नहीं रहेगा। इसका जवाब तो दे देने दो, आप बाद में पूछ लेना।

श्री हरिसिंह (महुवा) (सरकारी मुख्य सचेतक) : एक मिनट चाह रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप इतने प्रश्न पूछ रहे हैं कि इनको याद ही नहीं रहेगा। इनको जवाब तो देने दें।

श्री राजेन्द्र पारीक : मैं प्रश्न पूछ रहा हूं कि जब सड़क बन गई तो गाड़ी चल रही है। मैं तो यह कह रहा हूं...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर-आर्डर।

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक बहुत ही जरूरी प्रश्न है।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी जवाब दें उससे पहले मैं व्यवस्था चाहता हूं। मान्यवर, इस साल के बजट में सड़कों की मरम्मत के लिए जैसा कि मालूम हुआ, 226 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। माननीय सदस्यों ने जो कटौती प्रस्ताव दिए हैं और जिन माननीय सदस्यों ने यहां पर अपने विचार व्यक्त किए हैं, अगर माननीय मंत्री महोदय सभी माननीय सदस्यों की मांगों की पूर्ति करते हैं तो चार सौ करोड़ रुपये खर्च होते हैं। अब मैं आपसे यह व्यवस्था चाहता हूं कि जिन माननीय सदस्यों ने यहां कटौती प्रस्ताव दे दिए और यहां पर बोल लिए, बोलने के बाद मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित कर दिया, अगर उन्हीं पर कमिटमैंट हो गया तो फिर जो नहीं बोल पाए, जिन्हें मांग करने का मौका नहीं मिला है, उनकी मांगों का क्या होगा? दूसरों का क्या होगा? मैं व्यवस्था यह चाहता हूं कि मंत्री महोदय और सरकार सारी दृष्टियों को ध्यान में रखकर, तमाम क्षेत्रों को ध्यान में रखकर यथोचित सभी की मांगों का समायोजन करे, यह आश्वासन सदन में मिलना चाहिए। यह कोई मतलब नहीं होता कि जिन माननीय सदस्यों ने मांग रख दी उनको तो पोजीटिव ले लें जो नहीं बोल पाए हैं आपकी आज्ञा न मिलने के कारण, उनकी स्थिति बड़ी दयनीय हो गई है।

श्री उपाध्यक्ष : आपने प्रश्न भी पूछ लिया और जवाब भी दे दिया, मुझे क्या जरूरत पड़ी इसकी? (व्यवधान) दोनों ही बातें आपने कर लीं न।

श्री रामनारायण चौधरी : आप व्यवस्था करवाइए, जरूरत पड़ेगी। वे जवाब देंगे, आप जवाब देने का आदेश देंगे तो। (व्यवधान)

श्रीमती कमला बृजलाल (सपोटरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। मुझे बोलने दें, आपने मुझे पहले भी बोलने नहीं दिया। इसके लिए भी नहीं बोलने दिया।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी आपका ख्याल रखेंगे। जिनका हवाला इनके भाषण में नहीं आया है, उनका भी ख्याल रखेंगे।

श्रीमती कमला बृजलाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगी, मैंने पहले भी कटौती प्रस्ताव दिया था कि मेरा क्षेत्र हाड़ौती कस्बा बहुत बड़ा है, चार महीने तक बिल्कुल ही कट जाता है, टापू की तरह रहता है। जिसके बाहर से नदी बह रही है, कोई सड़क नहीं है, कोई साधन नहीं है। 50 साल देश को आजाद हुए हो गए, आप मुझे यह तो आश्वासन दें कि वहां पर सड़क बनेगी या नहीं बनेगी। या पुलिया की रपट बनने के बाद उस पर ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री रमजान खान (पुष्कर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक सवाल है, मंत्रीजी जवाब दे देंगे साथ-साथ।

श्री हरिसिंह (महुवा) (सरकारी मुख्य सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय, बामनवास से आने वाले माननीय सदस्य ने भिवाड़ी से करौली तक जो सड़क मंजूर हुई थी स्टेट हाई-वे, इस पर मेरे हाईकोर्ट जाने की बात

(श्री हरिसिंह) (महुवा)

कही है। उपाध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि मैं हाई कोर्ट गया था..(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : एक माननीय सदस्य बोल रहे हैं, तसल्ली रखें। आप खड़े हैं, उनको तो बोलने दो।

श्री हरिसिंह (महुवा) (सरकारी मुख्य सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय, मजबूरी यह थी कि भिवाड़ी से करौली तक जो सड़क बन रही थी, उस सड़क में जो घोटाले हुए, उसके सम्बन्ध में मैंने हाउस में एक बार नहीं, अनेक बार सरकार का ध्यान आकर्षित किया, सरकार ने कभी ध्यान नहीं दिया। 74 करोड़ रुपए की योजना 102 करोड़ रुपए पर पहुंच गई, इस पर जिस प्रकार से एक्सप्लेनेशन किया गया...

श्री उपाध्यक्ष : आपका प्रश्न क्या है?

श्री हरिसिंह (महुवा) (सरकारी मुख्य सचेतक) : मेरा एक निवेदन है, एक निवेदन सुन लो, साहब।

डा. किरोड़ी लाल : प्रश्न कुछ नहीं है, साहब हमने विकास के कार्य करवाए, विकास के काम को इन्होंने अवरुद्ध कर दिया। हमने विकास के कार्य करवाये, 102 करोड़ रुपए का बजट रखा और उन्होंने विकास के काम को हाईकोर्ट से स्टे लाकर अवरुद्ध कर दिया। मैं मुख्य सचेतकजी से आग्रह करता हूं... (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) (सरकारी मुख्य सचेतक) : आप बोल लिए न?

डा. किरोड़ी लाल : आपकी सरकार आ गई, कोई बात नहीं। आप हाईकोर्ट से स्टे ले आए, उसकी स्वीकृति तो दिला दें। जनार्दनजी भी यही बात उठा रहे हैं, अब आप इसको आगे सैंक्शन करा लो, मंत्रीजी मान जाएंगे।

श्री हरिसिंह (महुवा) (सरकारी मुख्य सचेतक) : आप बोल लिए न? ये जो कह रहे हैं, हाईकोर्ट से स्टे लाने का, सड़क निर्माण पर स्टे नहीं लाये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप डाइरेक्ट प्रश्न जो पूछना चाहते हैं मंत्रीजी से पूछ लीजिए, भाषण चालू कर दिया।

श्री हरिसिंह (महुवा) (सरकारी मुख्य सचेतक) : एक मिनट, नहीं, नहीं, यह नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, जब ठेकेदार सरकार के अधिकारियों से समझौता करके, हिण्डौन बाई-पास को 14 किलोमीटर अधूरा छोड़कर भाग रहे थे और फाइनल पेमेंट ले रहे थे तब हाई कोर्ट से मैंने जाकर पेमेंट पर रोक लगवाई थी, कार्य पर रोक नहीं लगवाई थी। सड़क की तो हम आज भी मांग कर रहे हैं कि उसे करौली तक बनाएं। (व्यवधान)

(21.00 बजे)

डा. किरोड़ी लाल : ऐसा नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रमजान खान जी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, यह डिबेट दुबारा चालू हो गई।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री जगमाल सिंह यादव : माननीय सदस्य ने पूछा क्या जांच कराओगे, अगर ये पाक साफ होंगे तो बच जाएंगे। अगर इनकी गलती होगी, अधिकारी दोषी होंगे तो क्या सजा देंगे? (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : सी. बी. आई. से जांच कराओ आप।

श्री जगमाल सिंह यादव : सी. बी. आई. नहीं, इस सरकार की तरफ से...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय जगमाल सिंहजी, विराजिए, प्लीज।

श्री जगमाल सिंह यादव : सी. बी. आई. में तो, उपाध्यक्ष महोदय, जांच जाएगी तो। सी. बी. आई. को केस करते-करते पागल हो जाओगे।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिए, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हमारी चिन्ता मत करो।

श्री हरिसिंह (महुवा) (सरकारी मुख्य सचेतक) : आपने जो आरोप लगाया, जांच करवाइए, माननीय सदस्य। (व्यवधान) आप इस सड़क पर जो घोटाला हुआ है उसकी जांच करवाइए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। (व्यवधान) आप पीछे बोल लेना।

डा. किरोड़ी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, हम जांच के पक्ष में हैं लेकिन जो जनार्दनजी ने मामला उठाया है, जो सड़क थी, स्टे लेने के लिए...

श्री उपाध्यक्ष : आपके पीछे माननीय सदस्य खड़े हैं, उनको काल किया है उनको बोलने दीजिए।

डा. किरोड़ी लाल : उसकी सैंक्शन के अन्दर मंत्रीजी थोड़ा बताएं।

श्री जगमाल सिंह यादव : हम वही तो कह रहे हैं। (व्यवधान)

श्री रमजान खान : उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि यहां पर मैंने मांग संख्या-21 में पुष्कर घाटी के अन्दर टनल बनाने के बारे में बात उठायी थी और इस संबंध में मैंने निवेदन किया था कि भारत सरकार के पर्यावरण विभाग द्वारा स्वीकृति हो चुकी है। इस बारे में राज्य सरकार की ढिलाई हो रही है जिसकी वजह से उस कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति नहीं हो रही है। इस बारे में, मंत्री महोदय, क्या विचार है ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी। अब कोई प्रश्न नहीं, विराजिए आप। बस बहुत हो गया, विराजिए प्लीज। बैठिए, बहुत हो गया। (व्यवधान)

श्री हेमाराज चौधरी (गुढ़ामलानी) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने सबको अलाउ किया, लेकिन मुझे नहीं बुलाया। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बैठिए, बहुत हो गया। उनको याद नहीं रहेगा क्या बोले। बैठिए। एक मिनट आप बैठें, बाद में पूछ लेना। पहले इनका जवाब देने दो।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न मैं भी पूछ लूं।

श्री उपाध्यक्ष : इनको जवाब देने दीजिए। बाद में पूछ लेना आप।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न मैं भी पूछना चाहती हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, इतने प्रश्न पूछ लिए, उनको जवाब तो देने दो। उनको मालूम ही नहीं रहेगा कि क्या जवाब देना है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैं एक ही पूछ लूं।

श्री उपाध्यक्ष : उनको बोलने दीजिए पहले।

श्रीमती सुचित्रा आर्य (नोहर) : उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहती हूं, हनुमानगढ़ और

(श्रीमती सुचित्रा आर्य)

गंगानगर वाली सड़क क्षतिग्रस्त है उसको सही करने का विचार रखते हैं या नहीं ? हनुमानगढ़ जिले के बारे में अभी सड़कों के बारे में मैं बोली थी, इन्होंने हनुमानगढ़ का कहीं नाम नहीं लिया, इसलिए मुझे चिन्ता है इसके बारे में बताएं।

श्री हरेन्द्र मिर्धा : माननीय सदस्या, मुझे पूरी चिन्ता है, सड़क को दुरुस्त करने का हमारा पूरा इरादा है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह क्या धींगामस्ती है, जिसकी मर्जी आए वह बोलेगा। आपने मुझे नहीं पूछने दिया प्रश्न।

श्री उपाध्यक्ष : आप पूछो ना। आपके मन में हो तो पूछ लो।

श्री हरेन्द्र मिर्धा : पहले जवाब तो दे दूं मैं। पहले माननीय सदस्यों ने पूछा है उनका जवाब तो दें दूं।

श्री उपाध्यक्ष : इनको याद ही नहीं। आपसे पूछ लेंगे। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, यह धींगामस्ती क्या है ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक ही प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष : हां, बोलो। (व्यवधान) विराजें, प्लीज। आर्डर, आर्डर। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी : पहले मेरे को अलाउ करें।

श्री उपाध्यक्ष : उनको ही बोलने दें। बोलने देंगे, एक मिनट।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनूं) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से यह पूछना चाहती हूं कि विभाग में छह तो मुख्य अभियन्ता हैं और 7 अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता हैं। मितव्ययता के नाम पर इन लोगों ने व्यक्तिगत तौर पर किसी को फायदा पहुंचाने के लिए ये पद सृजित कर दिए थे, आप क्या कम करना चाहेंगे इन्हें ? क्या आवश्यकता नहीं समझते इन्हें कम करने की, जरा इसका भी जवाब दें ?

श्री उपाध्यक्ष : हेमारामजी।

श्री हेमाराम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा मंत्री महोदय से यह निवेदन है कि बाड़मेर जिले में इस साल भयंकर चक्रवाती तूफान आया था, उस तूफान की वजह से बाड़मेर के आधे हिस्से में सड़कें एकदम नष्ट हो गई। सड़कों का जो नुकसान हुआ उसका एस्टीमेट भी भेजा। उन सड़कों की मरम्मत के लिए आपने कितनी राशि बाड़मेर जिले को आवंटित की थी ? दूसरा प्रश्न मेरा यह है, उपाध्यक्ष महोदय, कि यह सैन्य अभ्यास इस बार...

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजें प्लीज। (व्यवधान) आप बोल चुके हैं।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : हम तो प्रश्न कर रहे हैं।

श्री हेमाराम चौधरी : बाड़मेर जिले में (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त करिए।

श्री हेमाराम चौधरी : बाड़मेर जिले में मिलिट्री वालों के सैन्य अभ्यास के दौरान बड़े-बड़े टैंकर थे, वे रोड्स पर चले उसकी वजह से सड़कें बिल्कुल साफ हो गई। जो ग्रेवल की सड़कें थीं वे तो इस तरह से हो गई कि उनके ऊपर कोई गाड़ी चल नहीं सकती, खड्डे पड़ गए। डामर की थी उसके ऊपर भी खड्डे पड़ गए। उस सैन्य अभ्यास की वजह से सड़कों का जो नुकसान हुआ है, क्या आप भारत सरकार से उसका पैसा प्राप्त करके उन सड़कों को वापस ठीक कराने का विचार रखते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह (आसींद) : क्या माननीय मंत्री महोदय यह विचार रखते हैं कि 226 करोड़ रुपया आपने मैंटिनेंस के लिए रखा है और 200 एम.एल.ए. हैं—153 तो आपके ही हैं, हम तो बहुत कम हैं, क्या एक-एक करोड़ रुपया हर कांस्टीट्यूएंसी में मेंटिनेंस के लिए देंगे? 153 करोड़ तो आपको मिल जाएंगे, हमारे को तो 33 करोड़ ही मिलेंगे उससे सड़कों की मैंटिनेंस भी हो जाएगी।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री जगमाल सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, ये जो मांग कर रहे हैं इन्होंने भी यही नजरिया रखा था?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : इन्होंने भी यही नजरिया रखा था, सबको बराबर बांट दिया?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, आर्डर, प्लीज।

श्री हरेन्द्र मिर्धा : उपाध्यक्ष महोदय, जैसे-जैसे जिस क्षेत्र की आवश्यकता होगी उस हिसाब से अलग-अलग सैंक्शन हो जाएगी। सबके साथ न्याय होगा और विकास में किसी क्षेत्र को नहीं छोड़ा जाएगा। माननीय हेमाराजजी ने...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अब तो समाप्त करें। अब तो रुको।

श्री हरेन्द्र मिर्धा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय हेमारामजी, विधायक गुढ़ामलानी ने अभी एक प्रश्न कहा है कि मिलिट्री की डिफेंस एक्सरसाइज, जो बाड़मेर में होती है, उस डिफेंस एक्सरसाइज में जो टैंक वगैरह सड़कों पर चलते हैं उससे सड़कें टूट जाती हैं। (व्यवधान) उस हिसाब से...

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। इतने इम्पेशेण्ट क्यों होते हो?

श्री हरेन्द्र मिर्धा : इसका जितना भी अपने को नुकसान हुआ है उसका पूरा एस्टीमेट मेरे पास आ गया है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं, डिफेंस मिनिस्ट्री में लिखने को। माननीय मुख्य मंत्रीजी से भी मैंने निवेदन किया है कि वे अपने प्रभाव को पूरा इस्तेमाल करें कि यह राशि हमको डिफेंस मिनिस्ट्री से वापस मिल जाए ताकि सड़कें जो खराब हो गई उनकी वापस मरम्मत करवा सकें।

जहां तक पुष्कर के टनल का प्रश्न है, रमजान साहब ने बात की थी अजमेर में अपन लोग मिले थे, माननीय मुख्य मंत्रीजी भी वहां पर थे और आपसे मैंने वादा किया था अपन जयपुर में बैठकर इस सम्बन्ध में विस्तार से चर्चा करेंगे और देखेंगे कितना सम्भव है इसको वापस चालू करना। अभी तक जो सूचना मेरे पास है उसके अनुसार यह बी. ओ. टी. के अन्दर वायबल नहीं है और एनवायरमैंट मिनिस्ट्री की एन. ओ. सी. आई थी वो भी कंडीशनल है। उस कंडीशन को हम कितना मीट कर सकते हैं, कैसे अपन कर सकते हैं उस विषय में हम चर्चा कर लेंगे बैठकर। जो भी सम्भव होगा मिलकर बात कर लेंगे। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री हरेन्द्र मिर्धा : माननीय सुमित्रा सिंहजी ने जो चीफ इंजीनियर्स के पद हैं उनके बारे में कहा। आवश्यकता के अनुसार जैसे-जैसे टाइम होगा इनको कम कर दिया जाएगा। दो चीफ इंजीनियर के पद आलरेडी कम हो गए हैं, एक राजस्थान

(श्री हरेन्द्र मिर्धा)

विधान सभा का चीफ इंजीनियर है जो विधान सभा की बिल्डिंग का काम खतम होते ही कम हो जाएगा। मेरे ख्याल से साल के अंत तक तीन-चार इंजीनियर्स के पद अपने आप कम हो जाएंगे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय यातायात मंत्रीजी। (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : अन्तर-राज्यीय सीमा पर...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय यातायात मंत्रीजी।

श्रीमती सुचित्रा आर्य : माननीय मंत्री महोदय, मेरी बात का तो आपने जवाब ही नहीं दिया।

श्री उपाध्यक्ष : विराजें, प्लीज। बहुत कवेश्चन हो गए।

श्री जगमाल सिंह यादव : मैं निवेदन कर रहा था, भिवाड़ी रोड की क्या जांच कराने का विचार सरकार रखती है? अन्तरराज्यीय सीमा पर बसने वाले गांवों को क्या जोड़ेंगे आप?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय यातायात मंत्रीजी।

श्री छोगाराम बाकोलिया (यातायात मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, परिवहन विभाग राजस्व आय की दृष्टि से राज्य में वाणिज्य कर एवं आबकारी विभाग के बाद तीसरे स्थान पर आता है। विभाग द्वारा राज्य में मोटरयानों के पंजीयन, नियन्त्रण, करारोपण और उसकी वसूली, जन सुविधार्थ नये मार्गों का निर्धारण और पुराने मार्गों का विस्तार, साथ ही इन पर परिवहन सुविधा सुलभ करवाने हेतु मोटरयानों को अनुज्ञा-पत्र प्रदान करना, ड्राइविंग लाइसेंस एवं कंडक्टर लाइसेंस जारी करना आदि कार्यों का सम्पादन मोटरयान अधिनियम, 1988 और उसके अन्तर्गत निर्मित केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989; राजस्थान मोटरयान नियम, 1990; राजस्थान मोटरयान कराधान अधिनियम, 1951 एवं उसके अन्तर्गत निर्मित राजस्थन मोटरयान कराधान नियम, 1951 के अन्तर्गत किया जाता है। इसके साथ ही राजस्थान नौकायान अधिनियम, 1956 एवं उसके अन्तर्गत निर्मित राजस्थान नौकायान नियम, 1957 के अन्तर्गत नौका संचालन से सम्बन्धित कार्यों यथा नौकाओं के लिए लाइसेंस एवं फिटनेस के जारी किये जाने का सम्पादन किया जाता है।

इस सदन के माननीय सदस्यों द्वारा कटौती प्रस्तावों के माध्यम से प्रमुख बिन्दुओं की ओर विभाग का ध्यान आकृष्ट किया गया है। यद्यपि उन प्रस्तावों के जवाब माननीय सदस्यों को भिजवा दिये गये हैं, फिर भी वाहनों के अवैध संचालन के बारे में माननीय सदस्यों ने जो गहरी चिन्ता व्यक्त की है, मैं राज्य सरकार की ओर से उनकी इस भावना का आदर करते हुए सूचित करना चाहूंगा किं परिवहन विभागं इस प्रकार के अवैध संचालन को रोकने के लिए कृतसंकल्प है। इसी उद्देश्य से हमने शासन की बागडोर संभालने के पश्चात् जिला प्रशासन एवं पुलिस के सहयोग से इन चार माहों में दो विशेष जांच अभियान चलाये हैं। इस अभियान के दौरान 43343 वाहनों को चैक किया जाकर 14090 वाहनों के चालान किये गये तथा 4585 वाहनों को जब्त किया जाकर राजकोष में रुपये 294.14 लाख का राजस्व एकत्रित किया गया। जबकि इससे पूर्व के आठ महीनों में जो अभियान चलाये गये उनमें मात्र 18604 वाहनों को चैक किया गया और 7642 वाहनों के चालान बनाये गये एवं 3073 वाहनों को जब्त किया जाकर...

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज।

श्री छोगाराम बाकोलिया : राजकोष में रुपये 70.92 एकत्रित किये गये।

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज, आर्डर।

श्री छोगाराम बाकोलिया : परिवहन विभाग ऐसे वाहनों को रोकने के लिए सतत् प्रयासरत रहता है तथा यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि भविष्य में इस हेतु और अधिक व योजनाबद्ध कार्यवाही की जाती रहे। यह भी प्रयास किया जा रहा है कि जनता की आवागमन की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा अधिक सेवाएं प्रदान की जाएं। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : इनके भाषण की एक-एक प्रति हमको बंटवा दें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज। आर्डर, आर्डर।

डा. किरोड़ी लाल : माननीय मंत्रीजी के भाषण की एक-एक प्रति हमको बंटवा देना। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, आपके पास आ जाएगा; प्रोसीडिंग में आ जाएगा। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : यह पढ़ने का, पढ़कर सुनाने का क्या सिस्टम चलाया है? (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : यह परम्परा क्या उचित है? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज, आर्डर, आर्डर।

श्री छोगाराम बाकोलिया : माननीय सदस्यों ने राजस्थान पथ परिवहन निगम द्वारा (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय उपाध्यक्ष जी, क्या यह परम्परा उचित है? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, कॉ-आपरेट कीजिए, प्लीज।

श्री छोगाराम बाकोलिया : सुनिये, सुनिये।

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज, कॉ-आपरेट कीजिए, माननीय रामस्वरूपजी। (व्यवधान)

श्री छोगाराम बाकोलिया : आपने दोनों डिपार्टमेंट के अंदर अवैध वाहनों के संचालन एवं भ्रष्टाचार की बात की, मैं उसको ठीक करने के लिए आपको कह रहा हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बोलिये, बोलिये। आर्डर प्लीज।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आपके पास इस मांग संख्या के बाबत् कोई सवाल ही नही है पूछने को, इसलिए आप चाहते हैं कि इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : पढ़ा हुआ मान लिया जाए। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : पढ़ा क्यों मान लिया जाए? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। (व्यवधान)

श्री छोगाराम बाकोलिया : आप हमारी उपलब्धियों को सुनना ही नहीं चाहते, हम तो अपनी उपलब्धियां बता रहे हैं। इन चार माह में बहुत ज्यादा प्रयास करके इस भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया है, यह मैं बताना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ (संसदीय कार्य मंत्री) : आप पढ़ा हुआ मान लें, हम तो सुनना चाहते हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : ऑन ए पाइण्ट ऑफ आर्डर। (व्यवधान)

श्री छोगाराम बाकोलिया : आपकी सरकार की उपलब्धियों पर ओवरराइड करके हमने जो अच्छे काम किए हैं उनको बताना चाहते हैं, आप सुनना ही नहीं चाहते।

श्री शांति कुमार धारीवाल : आप सवाल करिये, रोडवेज की गाड़ी है कुचल कर रख देगी। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : रामस्वरूपजी, विराजो प्लीज। (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : यह व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त तो करने दो।

श्री छोगाराम बाकोलिया : राजस्थान पथ परिवहन निगम द्वारा वर्तमान में उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं के बारे में असंतोष जाहिर किया गया है तथा विभिन्न क्षेत्रों में अनेक मार्गों पर निगम की बसें चलाने की मांग की गयी है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : यह व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : यह व्यवस्था का प्रश्न है। (व्यवधान) ऑन ए पाइण्ट ऑफ आर्डर।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं परिवहन मंत्रीजी की इस बात के लिये तो तारीफ करना चाहूंगी कि उन्होंने पहले ही हमें अपने कटौती प्रस्तावों के जवाब भेज दिए। पहली बार ऐसा हुआ है, इस बात के लिए तारीफ करुंगी। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, इसे कहां तक आप उचित समझते हैं कि मंत्री आकर लिखा हुआ लाकर यहां पढ़ दें? यह नियमों के विरुद्ध है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : इस सम्बन्ध में मैं आपकी व्यवस्था चाहूंगी रूल्स के मुताबिक तो ऐसा कोई कर नहीं सकता है, आपने नियमों में परिवर्तन कर दिया है क्या? नियमों में परिवर्तन नहीं किया तो आप इसको उचित समझते हैं क्या? मैं इस बारे में आपकी व्यवस्था चाहूंगी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री छोगाराम बाकोलिया : जी, हां।

श्री उपाध्यक्ष : कुछ नोट्स देखकर सामने देखकर बोलते रहिये। (व्यवधान)

श्री छोगाराम बाकोलिया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे ओसियां से आने वाले हमारे नरेन्द्रजी भाटी ने (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह तो कोई व्यवस्था नहीं हुई। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : हो गई न व्यवस्था।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप नियमों की प्रक्रिया पढ़कर बता दें। (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : यह सदन नियमों से चलता है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैंने कहा जिसको समझा नहीं है क्या आपने? व्यवस्था हो गई न। यह व्यवस्था ही तो है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : यह सदन भी नियमों व परम्पराओं से बंधा हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष : यह मैंने व्यवस्था ही तो दी है और क्या किया है?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : यह क्या व्यवस्था हुई? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : व्यवस्था दे दी। अगर आप समझ गये हों तो मैंने व्यवस्था दे दी है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : हम नियमों और परम्पराओं से बंधे हुए हैं और यह सदन भी। (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : परम्पराएं इसी प्रकार से बनती हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप डरा नहीं सकते मुझे।

श्री खेतसिंह राठौड़ : परम्पराएं भी तो इसी प्रकार से बनती हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन भी और आसन भी दोनों ही नियमों से और परम्पराओं से बंधे हुए हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, मैंने व्यवस्था दे दी है, आप समझे नहीं तो मैं भले ही रिपीट कर देता हूं। मैंने व्यवस्था दी है कि वे कुछ देखते रहें और सामने देखकर बोलते रहें। माननीय मंत्री जी। (व्यवधान)

श्री छोगाराम बाकोलिया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे ओसियां से पधारने वाले (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह नियमों के विरुद्ध है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : नोट तो देख ही सकते हैं, वही बात कह रहा हूं।

डा. किरोड़ी लाल : नोट तो देखें, कॉमा और पूर्ण विराम का तो ध्यान रखें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : यही बात तो कह रहा हूं। कह तो दिया।

श्री रामनारायण चौधरी : इतनी लंबी-चौड़ी फिगर है, नोट नहीं देखें तो इतनी जबानी कोई याद नहीं रख सकता है क्या? (व्यवधान)

श्री छोगाराम बाकोलिया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पास इतनी फिगर है कि (व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सारे फैक्चुअल फिगर देना चाहता हूं। अगर फैक्चुअल फिगर नहीं सुनना चाहेंगे तो मुझे क्या मैं तो वैसे ही एटरैंडम दे दूंगा। (व्यवधान)

श्री शांति कुमार धारीवाल : इसमें चारों तरफ आंकड़े ही आंकड़े हैं। अब आप लोगों को आंकड़े तो याद हैं नहीं, परिवहन मंत्रीजी अगर देख कर बोलें उसमें भी एतराज है आपको। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, विराजिए।

श्री छोगाराम बाकोलिया : कितने, वाहन सीज किए, कितने पर पैनल्टी लगी, जीपें कितनी सीज कीं उनके आंकड़ें तो मुझे देने ही पड़ेंगे न।

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज कन्टीन्यू। (व्यवधान)

श्री छोगाराम बाकोलिया : आपकी बड़ी मेहरबानी है, आपने मुझे सुनकर अच्छी व्यवस्था दी है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, प्लीज आर्डर।

श्री छोगाराम बाकोलिया : इसके अलावा विभिन्न शहरों एवं कस्बों मे बस स्टैण्ड्स की व्यवस्था करने की भी मांग की है। मैं यहां यह निवेदन करना चाहूंगा कि प्राप्त हुई सभी मांगों की गहन समीक्षा कर उपलब्ध संसाधनों के आधार पर इन मांगों की पूर्ति करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। किन्तु निगम की वित्तीय क्षमताओं को देखते हुए सभी मांगों को एक साथ पूरा करना सम्भव प्रतीत नहीं होता है,

(श्री छोगाराम बाकोलिया)

इसलिए इस हेतु प्राथमिकता निर्धारित कर सेवाएं प्रारम्भ की जाएंगी।

यह भी निवेदन है कि पथ परिवहन निगम द्वारा उपरोक्त मार्गों पर उपलब्ध यात्री भार का सर्वेक्षण भी करवाया जा रहा है तथा जिन मार्गों पर यात्री भार आर्थिक रूप से पर्याप्त होगा उन पर तुरन्त कार्यवाही की जाएगी। वर्तमान में राजस्थान पथ परिवहन निगम द्वारा अपने 46 आगारों से 2672 मार्गों पर 4971 बसें संचालित कर औसतन 13.80 लाख किलोमीटर दूरी तय कर औसतन 8.30 लाख यात्रियों को प्रतिदिन परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, ये पढ़कर सुना रहे हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, यह व्यवस्था का प्रश्न है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप चाहते क्या हैं?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हम तो कुछ नहीं चाहते, हम तो यह चाह रहे हैं कि आसन ने जो व्यवस्था दी है उसका थोड़ा बहुत तो पालन करें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : पालन कर रहे हैं न, कभी-कभी तो देख रहे हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : व्यवस्था का पालन हो रहा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, यह विधान सभा नियमों और प्रक्रियाओं से चलती है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : ऐसा है, माननीय राजेन्द्र राठौड़जी...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह क्या हो रहा है? आपने इस सदन में बहुत-से विभागों के रिप्लाई देखे हैं, यह नई परम्परा अब आई है। इससे पहले भी तो लोग रिप्लाई करते थे। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप सुनिये तो सही। (व्यवधान)

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, नियमों के अन्दर यह स्पष्ट है कि पढ़ते-पढ़ते...(व्यवधान)

श्री महेश जोशी (सरकारी उप मुख्य सचेतक) : ये तो आपकी तरफ देख रहे थे, आप उधर देख रहे थे। (व्यवधान) आप उधर देख रहे थे, इसलिए आपका ध्यान नहीं है। ये व्यवस्था के टाइम आपकी तरफ ही देख रहे थे। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : पढ़ना नहीं जाने वो क्या पढ़ेगा? (व्यवधान) पढ़ने दो, पढ़ने दो। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, रामस्वरूपजी। माननीय सदस्य, विराजिए।

श्री रामस्वरूप : आप जानते तो हो, नहीं कुछ और फेंक रहे हो। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजिए। (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : आपको पहले टेबल (व्यवधान) करनी पड़ेगी, फिर पढ़ना, क्यों फेंक रहे हो? फिगर को तो कागज में देख रहे हैं, बाकी हम आपकी तरफ भी देख रहे हैं, इनकी तरफ भी देख रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय जगमाल सिंहजी।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : अगर आप पढ़ रहे हो तो You have to table it and then you can read. यह कर सकते हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मंत्रीजी का दुर्भाग्य यह है कि वे आपकी

(श्री उपाध्यक्ष)

तरफ देखते हैं तो आप बातें करने लग जाते हो, आपको ध्यान नहीं रहता कि वे देख रहे हैं या नहीं। कभी आप ऊपर देख लेते हो। आप इनकी तरफ ध्यान रखो वे आपकी तरफ देख रहे हैं। (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : आपके टाइम भी तो ऐसा ही होता था। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं, ऐसा नहीं होता था। (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : कैसे नहीं होता था? (व्यवधान) आपके दिलावरजी, सोनगराजी, इसी प्रकार से जवाब देते थे। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं, नहीं देते थे। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, इसको समाप्त होने दीजिए। आप समाप्त करिये।

श्री छोगाराम बाकोलिया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे ख्याल से (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज कन्टीन्यू।

श्री छोगाराम बाकोलिया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे ख्याल से माननीय सदस्य को भूख ज्यादा लग गई है इसलिए ज्यादा चिन्तित हैं। माननीय सदस्यों ने नये मार्ग खोलने के प्रस्ताव दिये हैं...

डा. किरोड़ी लाल : टोडाभीम से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा कि क्योंकि ये पढ़े लिखे हैं इसलिए पढ़कर सुनाएंगे, आप लोग अनपढ़ हो इसलिए पढ़कर क्या सुनाओगे। यह बड़ा गलत बोला है।

श्री रामस्वरूप : आपने पढ़कर सुनाया है क्या कभी? पढ़ते तो हो ही नहीं, आपने तो कभी जवाब ही नहीं दिया।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। माननीय मंत्रीज़ी।

श्री छोगाराम बाकोलिया : माननीय सदस्यों ने नये मार्ग खोलने के लिए प्रस्ताव दिये हैं, इन प्रस्तावित मार्गों का सर्वे करने के निर्देश परिवहन विभाग को दिये जा चुके हैं।

परिवहन विभाग एवं परिवहन निगम में भ्रष्टाचार के बारे में माननीय सदस्यों ने ध्यान आकर्षित किया है। यह राज्य सरकार की चिन्ता का विषय भी है। राज्य सरकार ने अपने कामकाज में अधिक पारदर्शिता एवं संवेदनशीलता की नीति को अपनाया है। यह प्रयास किया जाएगा कि जो भी विशिष्ट शिकायत मिले, ऐसे मामलों में शिकायतें राज्य सरकार को प्राप्त होंगी तो सरकार द्वारा एक निश्चित अवधि में उसकी जांच करवाकर उस पर कार्यवाही की जाएगी।

इसके अलावा परिवहन विभाग में भविष्य में अनेकों नवाचार जैसे नागरिक अधिकार-पत्र जारी कर उनके अनुसार कार्य निष्पादित करने का कार्य लागू किया गया है...

श्री उपाध्यक्ष : उनको समाप्त तो करने दो, जल्दी क्या है?

श्री छोगाराम बाकोलिया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे ओसियां से पधारने वाले माननीय विधायक श्री नरेन्द्र सिंहजी ने अपनी ओर से मांग रखी है और उसके अन्दर तीन ए. सी. बसें जोधपुर से जयपुर, जोधपुर से जैसलमेर, जोधपुर से माउंट-आबू, अहमदाबाद चालू करने के लिए कहा है जिससे पर्यटन को थोड़ा-सा बढ़ावा मिलेगा। इसके लिए पर्यटन मंत्रीजी से टाई-अप करके इस कार्य को किया

(श्री छोगाराम बाकोलिया)

जाएगा। मैं माननीय विधायक को आश्वस्त करना चाहता हूं कि पर्यटन मंत्रीजी से आपस में बात करके यह किस तरीके से पर्यटन को बढ़ावा देना चाहते हैं उनमें सहयोग करके ए. सी. बस उपलब्ध होने के बाद में चालू करने का प्रयास करेंगे।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : आपको और सी. एम. साहब को बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री छोगाराम बाकोलिया : हमारी हनुमानगढ़ से पधारने वाली सदस्या ने अपनी ओर से विभाग के अन्दर थोड़ी-सी अनियमितता बतायी है, मैं उन अनियमितताओं के बारे में पता लगाकर आवश्यक कार्यवाही करूंगा।

इसी तरीके से हमारे करौली से पधारने वाले माननीय विधायक ने बताया कि अपने बस स्टैण्ड के ऊपर मार्ग अवरुद्ध होने के कारण प्राइवेट बसें वहां तक नहीं पहुंच पाती हैं। उसमें मैं निवेदन करना चाहता हूं कि प्राइवेट पार्टी ने, व्यक्ति ने कोई निर्माण कर रखा है बीच में इसलिए अवरोध हो गया है, इसके कारण से वे नाले के ऊपर से जा रही हैं। जिसके कारण से यह अवरोध हुआ है..

श्री जनार्दन गहलोत : मैंने यह कहा था कि नाले को पाटने का काम कराया जाना चाहिए। आपने खुद ने कहा कि एक करोड़ से ज्यादा तो कैला देवी मेले पर ही आपको आमदनी हुई है। एक करोड़ 82 लाख तो आपने खुद ने कहा है। मतलब इतने पैसे की आमदनी हुई है, 43 लाख लोग गये हैं, दो महीने के अन्दर। हमने कहा कि उस बस स्टैण्ड को चालू तो करवाएं निर्माण तो कम से कम पूरा करवाएं।

श्री छोगाराम बाकोलिया : महावीरजी और कैला देवी के मेले में कोई रुकावट नहीं आने देंगे। यथा-सम्भव वहां पर जल्दी से जल्दी बस-स्टैण्ड का निर्माण कराएंगे। ताकि आने वाले आगंतुक को, मेले में पहुंचने वाली किसी भी सैलानी को कोई तरीके से दिक्कत नहीं हो।

मांग संख्या-21 का पारण

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या-21 सड़कें एवं पुल के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 5,49,35,93,000/- (पांच अरब उनचास करोड़ पैंतीस लाख तिरानवे हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-12 का पारण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-12 अन्य कर (परिवहन) के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 32,35,76,000/- (बत्तीस करोड़ पैंतीस लाख छिहत्तर हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

सदन की बैठक गुरुवार, दिनांक 15 अप्रेल, 1999 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 21.25 बजे, गुरुवार, 15 अप्रेल, 1999 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

परिशिष्ट–1

परिशिष्ट–1

(तारांकित प्रश्न संख्या 332 का विवरण)

वर्ष 1989-90 से 1998-99 (16-3-99) तक कण्डम की गई बसों का विवरण

वर्ष	बसों की संख्या
1989-90	357
1990-91	60
1991-92	460
1992-93	448
1993-94	532
1994-95	492
1995-96	287
1996-97	280
1997-98	454
1998-99 (16-3-99 तक)	579
योग	3949

बसों के कन्डमनेशन के सम्बन्ध में निम्न प्रक्रिया अपनाई जाती है : —

प्रबन्ध निदेशक के आदेश दिनांक 28-10-95 के द्वारा नाकारा समिति का गठन किया हुआ है इस समिति के निम्नलिखित सदस्य होते हैं : —

1. प्रबन्ध निदेशक द्वारा मनोनीत महाप्रबन्धक स्तर का	समन्वयक
2. महाप्रबन्धक (उत्पादन)	सदस्य
3. वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी द्वारा मनोनीत	सदस्य
4. प्रभारी केन्द्रीय कार्यशाला	सदस्य सचिव

नाकारा समिति प्रस्तावित बसों को वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी के आदेश संख्या-7040 दिनांक 9-10-95 द्वारा निर्धारित नार्म्स (कन्डमनेशन हेतु) के तहत भौतिक रूप से निरीक्षण कर बसों को नाकारा करने हेतु अपनी प्रोसीडिंग प्रस्तुत करती है जिसके आधार पर महाप्रबन्धक (उत्पादन) द्वारा नाकारा आदेश जारी किये जाते हैं।

परिशिष्ट–2

वर्ष 1989-90 से 1998-99 (माह जनवरी, 99 तक)
की अवधि में ख़रीद, की गयी वाहनें

वर्ष	बेड़े में सम्मिलित की गयी वाहनों की संख्या
1989-90	244
1990-91	201
1991-92	632
1992-93	632
1993-94	113
1994-95	720
1995-96	397
1996-97	385
1997-98	657
1998-99 (जनवरी, 99 तक)	504
योग	5525

बसों को खरीदने व उन पर बॉडी बनाने के सम्बन्ध में प्रक्रिया

परिवहन निगम मण्डल की स्वीकृति के उपरान्त चैसिस निर्माताओं (मैसर्स अशोक लीलेण्ड एवं टैल्को) से चैसिस के क्रय हेतु कोटेशन मंगवाये जाते हैं। चैसिस निर्माताओं द्वारा दी गई दरों व शर्तों पर नेगोशिएशन द्वारा दरों व शर्तों को अन्तिम रूप देकर चैसिस के क्रय आदेश दिये जाते हैं। इसी प्रकार चैसिस पर विभिन्न प्रकार की बस बॉडी निर्माण हेतु अखिल भारतीय स्तर पर निविदायें आमंत्रित की जाती हैं। बॉडी निर्माताओं द्वारा दी गई दरों व शर्तों पर नेगोशियेशन/आपसी सहमति से न्यूनतम दर पर बस बॉडी निर्माण हेतु सहमति लेकर बस बॉडी का निर्माण कराया जाता है।

परिशिष्ट–3

निगम में वर्ष 1989-90 से आज तक प्रतिवर्ष निम्नानुसार वर्ग में रोजगार दिया गया
दिनांक 17-3-99 तक स्थिति

क्र.सं.	वर्ग	89-90	90-91	91-92	92-93	93-94	94-95	95-96	96-97	97-98	98-99
1.	आर्टीजन ग्रेड-तृतीय (आईटीआई) सीधी भर्ती	—	—	—	—	—	—	—	—	—	118
2.	चालक वर्ग सीधी भर्ती	—	—	—	44	856	1129	60	220	454	131
3.	परिचालक वर्ग मृतक आश्रित	—	—	—	—	—	79	19	66	66	57
4.	कनिष्ठ लिपिक मृतक आश्रित	—	—	10	35	14	1	6	1	—	—
5.	च. श्रेणी कर्मचारी मृतक आश्रित	—	—	28	43	—	1	2	—	—	—
6.	अदक्ष कारीगर आर्टीजन ग्रेड तृतीय, मृतक आश्रित	—	—	—	—	14	14	16	178	98	31
7.	सब इन्जीनियर (निर्माण) मृतक आश्रित	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
8.	चालक वर्ग मृतक आश्रित	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4
	कुल योग	—	—	38	122	884	1224	103	465	621	341

परिशिष्ट–2

(तारांकित प्रश्न संख्या-333 का विवरण)

वन विभाग में प्रधान मुख्य वन संरक्षकों को आवंटित कार्यों का विवरण

(1) प्रधान मुख्य वन संरक्षक राजस्थान, जयपुर

1. वानिकी सम्बन्धी मसलों में राज्य के प्रमुख सलाहकार होंगे।

2. आयोजना, बजट, नीति निर्धारण, समन्वय एवं प्रबोधन का सम्पूर्ण दायित्व का निर्वहन करेंगे।

3. कार्मिक सम्बन्धी मसलों के प्रभारी होंगे।

4. वन (संरक्षक) अधिनियम, 1980 से सम्बन्धित मामलों को डील करवायेंगे।

5. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, मुख्य वन संरक्षक (विकास), मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन), मुख्य वन संरक्षक, अरावली वृक्षारोपण परियोजना, मुख्य वन संरक्षक वानिकी विकास परियोजना, कोटा, मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक मरुस्थल वनारोपण एवं चरागाह विकास, जोधपुर, मुख्य वन संरक्षक इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, बीकानेर के कार्यों का नियन्त्रण एवं समन्वय करना।

(2) प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त, जयपुर

1. वन बन्दोबस्त, वन प्रबन्ध एवं कार्य आयोजना सम्बन्धी समस्त कार्यों की देखरेख करना।

2. वन अनुसंधान सम्बन्धी कार्यों की देखरेख करना।

3. वन प्रशिक्षण कार्यक्रम की देखरेख करना।

4. वन उपज के विदोहन का कार्य कर रहे विभागीय कार्य योजना प्रभाग के कार्यों की देखरेख करना।

5. केन्द्र प्रवर्तित योजना नदी घाटी परियोजना चम्बल, कड़ानां एवं दांतीबाड़ा तथा बाढ़ग्रस्त नदी परियोजना साहिबी तथा नई परियोजना बनाने के कार्यों की देखरेख करना।

परिशिष्ट-3

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिए जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर)

जनाना अस्पताल अजमेर के स्वीकृत निर्माण कार्य

337. श्री ललित भाटी (अजमेर पूर्व): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) अजमेर में जनाना अस्पताल के निर्माण हेतु जारी स्वीकृत राशि में कौन-कौनसे कार्य प्रस्तावित थे एवं इसके स्थान पर कौन-कौनसे कार्य करवाये गये? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त भवन के निर्माण हेतु जारी स्वीकृति में 6800 वर्गमीटर क्षेत्र में अस्पताल भवन तथा शेष विभिन्न श्रेणियों के करीब 25 स्टाफ क्वाटर्स नर्सेज होस्टल ओवर हैड टैंक व चारदीवारी आदि पर व्यय किये जाने थे? स्वीकृत तखमीने की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि ठेकेदारों व अभियन्ताओं ने आपसी सांठ-गांठ कर स्वीकृति से अधिक राशि उक्त निर्माण पर व्यय कर दी एवं स्टाफ क्वाटर्स, होस्टल, ओवरहैड टैंक व चारदीवारी कार्य करवाये नहीं गये? यदि हां, तो निर्मित भवन का क्षेत्र व वास्तविक लागत का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि मुख्य अभियन्ता, जयपुर ने दिनांक 30-10-94 को अजमेर यात्रा पर यह निर्देश दिये थे कि स्टाफ क्वाटर्स, होस्टल आदि की निविदायें शीघ्र सम्भाग स्तर पर आमन्त्रित कर कार्य प्रारम्भ करें? यदि हां, तो क्या इन निदेशों की पालना हुई? यदि नहीं, तो क्यों?

(5) क्या यह सही है कि स्टाफ क्वाटर्स, ओवर हैड टैंक व चारदीवारी जैसे महत्वपूर्ण कार्यों के नहीं होने के कारण इस भवन पर व्यय की गई राशि उपयोग में नहीं आ रही है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सम्बन्ध में दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) अजमेर में जनाना अस्पताल के निर्माण हेतु जारी स्वीकृति राशि में जनाना अस्पताल भवन का निर्माण कार्य प्रस्तावित था एवं जिसके अन्तर्गत स्वीकृत तखमीना अनुसार निम्नांकित निर्माण कार्य प्रस्तावित किये गये थे : —

(अ) ओ.पी.डी. एवं इमरजेन्सी ब्लाक

(ब) वार्ड (ग्राउन्ड फ्लोर)

(स) एडमिन्स्ट्रेटिव ब्लाक

(द) वार्डस व ओ. टी. (फर्स्ट फ्लोर)

(य) कोटेज वार्ड्स

(र) सेनेटरी वर्क्स

(ल) कम्पाऊण्ड वाल

(व) इलेक्ट्रीक फिटिंग, पंखे एवं मेनलाइन कनेक्शन का कार्य

(श) अप्रोच सड़क का निर्माण

(ष) गारबेज सफाई, आदि

उक्त स्वीकृति के तहत उपरोक्तानुसार ही कार्य करवाये गये हैं। प्रशासनिक

राजस्थान सरकार

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य ग्रुप–II विभाग

क्रमांक : पं. 11एमई/1/94   जयपुर, दिनांक : 15 जून, 1994

प्रधानाचार्य,

मेडिकल कालेज,

अजमेर।

विषय : अजमेर में मातृ एवं शिशु केन्द्र (जनाना अस्पताल) के निर्माण की स्वीकृति

महोदय,

निदेशानुसार अजमेर में 300 शैयाओं के एक मातृ एवं शिशु केन्द्र (जनाना अस्पताल) जिसकी अनुमानित लागत 540.00 लाख (अक्षरे रुपये पांच करोड़ चालीस लाख रुपये मात्र) से अधिक नहीं होगी के निर्माण हेतु शासन की प्रशासनिक स्वीकृति एतद्_द्वारा प्रदान की जाती है।

उक्त मातृ एवं शिशु केन्द्र के निर्माण पर होने वाला व्यय योजना मद के अन्तर्गत मेडीकल कालेज, अजमेर के लिये राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर आवंटित बजट के अनुसार वहन होगा वर्ष 1994-95 के लिये आवंटित धनराशि की स्वीकृति अलग से प्रसारित की जा रही है।

यह स्वीकृति वित्तीय व्यय II विभाग से उनके पत्रांक पं. 61321 वित्त/व्यय-1/94/75, दिनांक 2-4-94 द्वारा प्राप्त स्वीकृति के आधार पर जारी की जा रही है।

भवदीय,
ह/-

(राजेश्वर सिंह)

उप शासन सचिव

Time of Work : DETAILED ESTIMATE FOR CONSTRUCTION ON ZANANA (MOTHER & CHILD) HOSPITAL AT AJMER

(Job No. 282/4210/Medical/Allopathy/P/94-95)

GENERAL ABSTRACT

Description	Amount
A. DPD & EMERGENCY BLOCK	1,76,21,085.00
B. WARDS (GROUND FLOOR)	99,69,331.00
C. ADMINISTRATION BLOCK	43,34,533.00
D. WARDS & C.T. FIRST FLOOR	68,73,151.00
E. COTTAGE WARD	18,25,093.00
F. SANITARY WORK (FOR ALL BUILDINGS)	10,43,857.00
G. COMPOUND WALL	25,89,612.00
	4,42,56,662.00
(i) 5% electric fitting on A to E Rs. 4,06,23,193.00	20,31,160.00
(ii) 300 Nos. fans @ 900/- each	2,70,000.00
(iii) 20 Nos. exhaust fans @ 1500/- each	30,000.00
(iv) Electric main line connection & compound lighting I.S.	1,00,000.00
(v) Approach & internal roads I.S.	2,50,000.00
(vi) Garbage Clearance & Development of Land L.S.	3,00,000.00
	4,72,37,822.00
42% Supervision & conlingency Charges	21,25,702.00
1% Quality Control Charges	4,72,378.00
	4,98,35,902.00
Say Rs.	498.50 (Lacs)

Sd/-	Sd/-
(B.G. Goyal)	(C.P. Bramiwar)
Executive Engineer	Superintending Engineer
CPWD City Div.	PWD Circle I
Ajmer	Ajmer

NOTICE INVITING TENDER

Sealed Tenders are invited on behalf of Governor of Rajasthan from approved 'AA' class of Contractors of P.W.D., Irrigation, P.H.E.D., I.G.N.P., C.A.D. and also appropriate class of Contractors of C.P.W.D., M.E.S. and Railways. The Tender copies shall be sold on cost from 12-2-94 to 20-12-1994 to the eligible and experienced contractors as noted below.

The contractors enlisted with other departments shall however be required to deposit Earnest Money as specified at the time of issue of tender copy : –

S. No.	Name of Work	Amount	Earnest Money	Cost of Tender	Times of Completion
1.	Construction of Zanana Hospital at Ajmer including electric and sanitary works	340.00 lacs.	6.80 lacs.	500.00	30 Months

The tender copies shall be sold only to those contractors (i) who have sufficient Experience of executing work of similar nature and Magnitude, who have executed the work of (a) RCC 1000 cum (b) Masenary 2000 cum (c) Plaster 10000 sqm, flooring 4000 sqm. in any one year in past 5 years (please bring details and authentic proof in this regard) (ii) who have sufficinet T & F and machineries say minimum(a)CC Mixer of Hopper type 3 Nos. (b) Neddle vibrators 3 Nos. (c) Plate vibrators 3 Nos. (d) steel/ply shuttering(in new condition 3000 sqm. (iii) who have adecuate technical staff (please enclose list of staff). (iv) who have qualified electrical Engineer having licence from Electrical inspectors .)

The tenders shall be receiver on .... shall be opened at 3.30 PM on .... once of contractors or their representative who choose to be present in this office.

Sd/-

CHIFE ENGINEER PWD

Rajasthan, Jaipur

जिला प्रमुख एवं उप-प्रमुख उदयपुर के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव

338. श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी): क्या पंचायत-राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या दिनांक 23-2-99 को उदयपुर जिला प्रमुख एवं उप-प्रमुख के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के निर्णय के लिये 11 से 1.30 तक का समय प्रमुख हेतु निश्चित था? यदि हां, तो बैठक में उपस्थित जिला परिषद् के सदस्यों के हस्ताक्षरयुक्त पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि 1 बजे अविश्वास प्रस्ताव पर निर्णय हेतु मतदान की प्रक्रिया प्रारम्भ की गई? क्या पहले गुप्त मतदान प्रारम्भ करने का निर्णय पीठासीन अधिकारी ने कर प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी थी? यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा?

(3) क्या पीठासीन अधिकारी ने पुनः प्रक्रिया बदलकर हाथ खड़े कराये उस पर भी निर्णय नहीं होने पर कागज पर हस्ताक्षर कराये गये?

(4) क्या 1.30 बजे उसी स्थान पर उप-प्रमुख के विरुद्ध भी अविश्वास पर निर्णय करने हेतु सचिव, जिला परिषद ने प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी थी? यदि हां, तो प्रमुख का निर्णय कब एवं किस आधार पर किया गया?

उत्तर

(1) जी, हां। बैठक में उपस्थित सदस्यों की हस्ताक्षरयुक्त पत्र की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी, हां। असामान्य परिस्थितियों के कारणवश प्रक्रिया बदलने का निर्णय लिया गया।

(3) जी, हां। हाथ खड़े करके मतदान की पुष्टि हेतु सदस्यों के हस्ताक्षर भी करवाये गये।

(4) जी, हां। जिला प्रमुख के विरुद्ध दिनांक 23-2-99 को अपरान्ह 1.30 बजे के पूर्व अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के बाद उक्त पद रिक्त घोषित कर दिया गया एवं तत्पश्चात् उप प्रमुख के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर बैठक आरम्भ की गई।

श्रीमती वन्दना मीणा, प्रमुख, जिला परिषद्, उदयपुर के विरुद्ध प्राप्त अविश्वास प्रस्ताव पर विचारार्थ बैठक दिनांक 23-2-99 समय प्रातः 11.00 बजे सदस्यों की उपस्थिति

क्र.सं.	नाम सदस्य	निर्वाचन क्षेत्र संख्या	हस्ताक्षर
1	2	3	4
1.	श्री सापाराम मीणा	2-कोटड़ा	
2.	श्री भगवती लाल भील	3-कोटड़ा	
3.	श्री बाबूलाल भील	4-कोटड़ा	
4.	श्री शंकर लाल भील	5-झाडोल	
5.	श्री कमलाशंकर भील	6-कोटड़ा	
6.	श्री लालूदास भील	7-झाडोल	

1	2	3	4
7.	श्रीमती मैनादेवी भील	8-झाडोल	
8.	श्री भूरालाल मीणा	9-झाड़ोल	
9.	श्रीमती लाजवन्ती मीणा	10-खेरवाड़ा	
10.	श्री शंकर लाल मीणा	11-खेरवाड़ा	
11.	श्री रूपलाल मीणा	12-खेरवाड़ा	
12.	श्री सालिगराम	13-खेरवाड़ा	
13.	श्री विद्यासागर मीणा	14-खेरवाड़ा	
14.	श्रीमती मीरा मीणा	15-गिर्वा	
15.	श्रीमती सज्जनदेवी मीणा	16-गिर्वा	
16.	श्री ख्याली लाल कलाल	17-सराड़ा	
17.	श्री मन्नाराम मीणा	18-सराड़ा	
18.	श्री गीता मीणा	19-सराड़ा	
19.	श्री ताराचन्द जैन	20-सराड़ा	
20.	श्रीमती विमला जैन	21-सराड़ा	
21.	श्रीमती सीतादेवी मीणा	22-सलूम्बर	
22.	श्री छगन लाल जैन	23-सलूम्बर	
23.	श्रीमती पालुकुमारी मीणा	24-सलूम्बर	
24.	श्रीमती वन्दना मीणा	25-धरियावद	
25.	श्रीमती नाथी मीणा	26-धरियावद	
26.	श्रीमती बरजा मीणा	27-धरियावद	
27.	श्री केरिया मीणा	28-धरियावद	
28.	श्रीमती कैकु डांगी	29-सलूम्बर	
29.	श्री हरिसिंह चौहान	30-गिर्वा	
30.	श्रीमती सुशीलाबाई जैन	31-भीण्डर	
31.	श्री रामसिंह शेखावत	32-भीण्डर	
32.	श्री विजय सिंह सिसोदिया	33-भीण्डर	
33.	श्री पन्ना सालवी	34-भीण्डर	
34.	श्री दिलीप सिंह चौहान	35-भीण्डर	
35.	श्रीमती मन्जु ढोली	36-मावली	
36.	श्री अर्जुन लाल खटीक	37-मावली	
37.	श्रीमती रेखा गुर्जर	38-मावली	

1	2	3	4
38.	श्री पुष्कर डांगी	39-मावली	
39.	श्री किशन लाल शर्मा	40-गिर्वा	
40.	श्री गोपीराम मीणा	41-गिर्वा	
41.	श्री केसुलाल पालीवाल	42-बड़गांव	
42.	श्रीमती कृष्णा बाई जोशी	43-बड़गांव	
43.	श्रीमती पूर्णिमा कुमारी	44-गोगुन्दा	
44.	श्री सत्यनारायण अग्रवाल	45-गोगुन्दा	
45.	रिक्त	46-गोगुन्दा	

ह/–
जिला कलक्टर

श्री ताराचन्द जैन, उप-प्रमुख जिला परिषद्, उदयपुर के विरुद्ध प्राप्त अविश्वास प्रस्ताव पर विचारार्थ बैठक दिनांक 23-2-99 समय अपरान्ह 1.30 बजे सदस्यों की उपस्थिति

क्र.सं.	नाम सदस्य	निर्वाचन क्षेत्र संख्या	हस्ताक्षर
1.	श्री सापाराम मीणा	2-कोटड़ा	
2.	श्री भगवती लाल भील	3-कोटड़ा	
3.	श्री बाबूलाल भील,	4-कोटड़ा	
4.	श्री शंकर लाल भील	5-झाडोल	
5.	श्री कमलाशंकर भील	6-कोटड़ा	
6.	श्री लालूदास भील	7-झाडोल	
7.	श्रीमती मैनादेवी भील	8-झाडोल	
8.	श्री भूरालाल मीणा	9-झाड़ोल	
9.	श्रीमती लाजवन्ती मीणा	10-खेरवाड़ा	
10.	श्री शंकर लाल मीणा	11-खेरवाड़ा	
11,	श्री रूपलाल मीणा	12-खेरवाड़ा	
12.	श्री सालिगराम	13-खेरवाड़ा	
13.	श्री विद्यासागर मीणा	14-खेरवाड़ा	
14.	श्रीमती मीरा मीणा	15-गिर्वा	
15.	श्रीमती सज्जनदेवी मीणा	16-गिर्वा	
16.	श्री ख्याली लाल कलाल	17-सराड़ा	
17.	श्री मन्नाराम मीणा	18-सराड़ा	

1	2	3	4
18.	श्री गीता मीणा	19-सराड़ा	
19.	श्री ताराचन्द जैन	20-सराड़ा	
20.	श्रीमती विमला जैन	21-सराड़ा	
21.	श्रीमती सीतादेवी मीणा	22-सलूम्बर	
22.	श्री छगन लाल जैन	23-सलूम्बर	
23.	श्रीमती पालुकुमारी मीणा	24-सलूम्बर	
24.	श्रीमती वन्दना मीणा	25-धरियावद	
25.	श्रीमती नाथी मीणा	26-धरियावद	
26.	श्रीमती बरजा मीणा	27-धरियावद	
27.	श्री केरिया मीणा	28-धरियावद	
28.	श्रीमती कैकु डांगी	29-सलूम्बद	
29.	श्री हरिसिंह चौहान	30-गिर्वा	
30.	श्रीमती सुशीलाबाई जैन	31-भीण्डर	
31.	श्री रामसिंह शेखावत	32-भीण्डर	
32.	श्री विजय सिंह सिसोदिया	33-भीण्डर	
33.	श्री पन्ना सालवी	34-भीण्डर	
34.	श्री दिलीप सिंह चौहान	35-भीण्डर	
35.	श्रीमती मन्जु ढोली	36-मावली	
36.	श्री अर्जुन लाल खटीक	37-मावली	
37.	श्रीमती रेखा गुर्जर	38-मावली	
38.	श्री पुष्कर डांगी	39-मावली	
39.	श्री किशन लाल शर्मा	40-गिर्वा	
40.	श्री गोपीराम मीणा	41-गिर्वा	
41.	श्री केसुलाल पालीवाल	42-बड़गांव	
42.	श्रीमती कृष्णाबाई जोशी	43-बड़गांव	
43.	श्रीमती पूर्णिमा कुमारी	44-गोगुन्दा	
44.	श्री सत्यनारायण अग्रवाल	45-गोगुन्दा	
45.	रिक्त	45-गोगुन्दा	

ह/–
कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद्, उदयपुर

ग्राम पंचायत मूंडला की मतदाता सूची

339. श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

क्या पंचायत समिति छबड़ा के मूंडला पंचायत के सरपंच का नाम मूंडला पंचायत की मतदाता सूची से हटाने का उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है? यदि हां, तो कब?

उत्तर

अपील संख्या–155/94 में जिला कलक्टर, बारां के निर्णय दिनांक 3-12-94 द्वारा वर्तमान सरपंच, ग्राम पंचायत, मूंडला का नाम ग्राम पंचायत, मूंडला के वार्ड सं. 9 ग्राम खेड़ी से अपवर्जित किया गया। सरपंच, पंचायत, मूंडला ने जिला कलक्टर, बारां के निर्णय के विरुद्ध राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में रिट पिटिशन सं. 6713/94 दायर की जो 14-3-97 को खारिज हो गई। वर्तमान में जिला कलक्टर का निर्णय दिनांक 3-12-94 से प्रभावशील है।

जिला जैसलमेर में प्रस्तावित निगम आगार

340. श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) जिला जैसलमेर में राज्य पथ परिवहन की कितनी बसों का संचालन होता है?

(2) क्या उक्त जिला ऐसा है जहां परिवहन निगम का आगार नहीं है?

(3) क्या सरकार उक्त जिले में निगम का आगार खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जिला जैसलमेर में राजस्थान परिवहन निगम की 60 बसों का दैनिक संचालन होता है।

(2) जी, हां।

(3) जी, हां। सर्वेक्षण करवाया जाकर तदनुरूप कार्यवाही उपयुक्तता के आधार पर की जायेगी।

राष्ट्रीय उद्यान रणथम्भौर की व्यय राशि का अंकेक्षण

341. श्रीमती यासमीन अबरार (सवाई-माधोपुर) : क्या वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) प्रति वर्ष सवाईमाधोपुर में स्थित रणथम्भौर राष्ट्रीय उद्यान में सड़कें, रास्ते, एनीकट, जानवरों (वन्य जीवों) के लिये पानी तथा अन्य रख-रखाव पर सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा कितना व्यय किया जाता है?

(2) क्या उक्त सारा व्यय रणथम्भौर राष्ट्रीय उद्यान के अधिकारियों द्वारा या किसी अन्य एजेन्सी द्वारा किया जाता है? क्या उक्त कार्य प्रतिवर्ष प्रमाणित आडिट किसी सरकारी एजेन्सी द्वारा करवाती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) रणथम्भौर राष्ट्रीय उद्यान में रह रहे वन्य जीवों की गत पांच वर्षों की संख्या कितनी है? सूची सदन की मेज पर रखें। सरकार वन्य जीवों के शिकार को रोकने के लिए क्या उपाय कर रही है?

उत्तर

(1) राष्ट्रीय उद्यान रणथम्भौर में प्रति वर्ष सड़क, रास्ते एनीकट जानवरों (वन्य

(राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण)

जीवों) के लिए पानी तथा अन्य रख-रखाव हेतु केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा 50:50 के अनुपात में राशि व्यय की जाती है। पिछले चार वर्षों का विवरण निम्न प्रकार है : —

क्र. सं.	वर्ष	आबंटित राशि लाख रुपयों में	व्यय राशि लाख रुपयों में
1.	95-96	29.30	29.80
2.	96-97	35.40	32.65
3.	97-98	34.90	31.14
4.	98-99	50.00	32.32

(2) उक्त समस्त कार्य विभाग द्वारा विभागीय तौर पर करवाया जाता है। कराये गये कार्यों की मजदूरी का भुगतान किये जाने से पूर्व उनको क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वारा शत-प्रतिशत प्रमाणित किया जाता है तथा प्रत्येक वर्ष आडिट महालेखाकार राज. जयपुर द्वारा सम्पादित किया जाता है।

(3) रणथम्भौर परियोजना में गत पांच वर्षों में पाए गए वन्य जीवों की संख्या संलग्न प्रपत्र में अंकित है। शिकार रोकने हेतु उद्यान में उपयुक्त स्थानों पर चैक-पोस्ट कायम किये गये हैं। उद्यान में 21 स्टेशनों पर वायरलैस सिस्टम कार्यरत हैं, जिससे वन्य जीव उडनदस्ता जुड़ा हुआ है। किसी भी अपराध की सूचना मिलने पर उडनदस्ता मौके पर जाता है इसके अलावा अन्य अधिकारी भी क्षेत्र में सतत भ्रमण कर निगरानी रखते हैं। स्टाफ को शिकारियों से निबटने के लिए शस्त्र भी उपलब्ध कराये गये हैं।

वन्य जीवों की संख्या का प्रपत्र

बाघ-बघेरा एवं अन्य जीव गणना राष्ट्रीय उद्यान रणथम्भौर

क्र. सं.	नाम वन्य प्राणी	वर्ष 1993	वर्ष 1995	वर्ष 1997
1.	टाइगर	25	27	24
2.	पेंथर	41	57	51
3.	स्लोथबियर	56	53	107
4.	स्पोटैड डियर	4964	4801	4448
5.	सांभर	2947	3344	2871
6.	नीलगाय	1829	2407	1653
7.	चिंकारा	497	808	581
8.	वाइल्ड बोर	1088	1521	1617
9.	जैकाल	367	432	633
10.	डायना	142	142	229

छात्रवृत्ति की राशि में वृद्धि

342. श्री बाबू लाल सिंगारिया (केकड़ी): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति की दरों में गत 20 वर्षों में कब-कब बढ़ोत्तरी की गई? यदि नहीं, तो क्यों? अब सरकार कब तक छात्रवृत्ति की दरें बढ़ाने का विचार रखती है?

उत्तर

अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्रों को दी जाने वाली पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति की दरें विभागीय आदेश दिनांक 30-1-1985 द्वारा दिनांक 1-7-84 से बढ़ाई गई थीं। वर्ष 1992 में इन दरों में वृद्धि हेतु प्रस्ताव विभाग द्वारा भेजे गये थे लेकिन वित्त विभाग की सहमति नहीं होने से दरों में वृद्धि नहीं की जा सकी। वर्ष

(समाज कल्याण मंत्री)

1995-96 से यह योजना शिक्षा विभाग को हस्तान्तरित कर दी गई है। कक्षा नवीं एवं दसवीं के उन छात्र व छात्राओं को जिनका मुख्यालय पर दसवीं कक्षा तक का विद्यालय नहीं है, राज्य सरकार दरों में वृद्धि करने का विचार रखती है।

उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति : —

यह योजना भारत सरकार के द्वारा जारी नियमों के अन्तर्गत संचालित है। भारत सरकार द्वारा इस योजनान्तर्गत छात्रवृत्ति की दरों में वर्ष 1981, 1989 एवं 1995 में वृद्धि की गई है।

जिला नागौर के उप स्वास्थ्य केन्द्रों में रिक्त पद

343. श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) विधान सभा क्षेत्र डेगाना, जिला नागौर में कुल कितने उप स्वास्थ्य केन्द्र कार्यरत हैं? सूची ग्रामवार सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला नागौर में उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर ए.एन.एम. के कुल कितने पद सृजित हैं और उनमें से कितने पद रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र डेगाना, जिला नागौर में कुल 73 उप स्वास्थ्य केन्द्र कार्यरत हैं। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जिला नागौर में उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) कुल 539 पद सृजित हैं, इनमें से उप केन्द्रों पर 68 पद रिक्त हैं। विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(3) जी, हां। जिला नागौर में स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) के रिक्त पदों को भरने हेतु निदेशालय द्वारा अक्टूबर, 98 में 51 पदों को भरने की स्वीकृति एवं मार्च, 99 में 30 पदों को भरने की स्वीकृति जारी की गई जिनमें उपलब्ध 36 प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जा चुकी है। शेष रिक्त पदों को प्रशिक्षित अभ्यार्थी उपलब्ध होने पर भरा जाना सम्भव हो सकेगा।

विधान सभा क्षेत्र डेगाना में कार्यरत उप स्वास्थ्य केन्द्रों की सूची

केन्द्र का नाम	केन्द्र का नाम
पं. स. डेगाना	8. सिरासना
1. लंगोड	9. चम्पाखेड़ी
2. झंगड़वास	10. देवलामादा
3. गोरडीचाचा	11. सांजू
4. डेगाना गांव.	12. खिवताना
5. विलानेस	13. बामणों खुर्द
6. रामसरी	14. चुई
7. कित्तलसर	15. चुआ

केन्द्र का नाम	केन्द्र का नाम
16. कवाल	45. पालीयास
17. राजापुरा	46. निम्बड़ीकलां
18. बरना	47. निम्बड़ीकोठारिया
19. मांझी	48. पाल्लड़ीकलां
20. चान्दारुण	49. मेवड़ा
21. मिठडिया	50. नाथावड़ा
22. जालसूखुर्द	51. थाटा
23. रेंवत	52. लूनियास
24. तामडोली	53. राजलोता
25. खैरवा	54. मांडलजोधा
26. दागड़ी	55. बिखरनियाकलां
27. भादवासी	56. लवादर
28. गुणसली	57. राजापुरा (दोबार स्वीकृत)
29. कुल्यासनीखुर्द	**पं. स. रियाबड़ी**
30. जैतपुराकलां उपहरनिया की ढाणी	58. सूरजगढ़
31. आंतरोलीकला	59. सथानाखुर्द
32. आंतरोलीखुर्द	60. कोड़
33. जालसूनानक	61. टेहला
34. जालसूकलां	62. गुढ़ाजगमालोत
35. मोगास	63. लाडपुरा
36. बुटाटी	64. ढाणीपुरा
37. निम्बड़ी चन्दावंता	65. कीला
38. ढाढरियाकलां	66. निम्बोलाबिस्वा
39. राजोद	67. सनेड़िया
40. बछवारी	68. मोडीकलां
41. आकेली "बी"	69. मोरियाना
42. पूनास	70. भैरून्दा
43. चोलीयास	71. सूदवाड़
44. निम्बोलाकलां	72. सूरियास
	73. डोडीयाना

नागौर जिले में उपकेन्द्रों पर ए. एन. एम. के रिक्त पदों की सूचना

पं. स.	संस्थान का नाम	कब से रिक्त है
1. नागौर	उपकेन्द्र डेरवा	4/97
	उपकेन्द्र गोधन	3/99
2. मूण्डवा	उपकेन्द्र पीपलिया	3/97
	उपकेन्द्र भटनोखा	4/98
	उपकेन्द्र माडपुरा	- -
3. मेडता	उपकेन्द्र खेडूली	3/99
	उपकेन्द्र हरसोलाव	2/99
	उपकेन्द्र कुरडाया	—
	उपकेन्द्र बीटन	—
	उपकेन्द्र रेण	—
4. रिंया	उपकेन्द्र बडायली	—
	उपकेन्द्र सूदवाड़	—
	उपकेन्द्र मुगदड़ा	—
5. डेगाना	उपकेन्द्र बूटाटी	8/98
	उपकेन्द्र निम्बोंलाकलां	11/97
	उपकेन्द्र राजापुरा	9/98
	उपकेन्द्र ढाढरियाकलां	8/98
	उपकेन्द्र नथावड़ा	9/98
	उपकेन्द्र राजापुरा	—
	उपकेन्द्र कित्तलसर	—
6. परबतसर	उपकेन्द्र हुडिया	7/98
	उपकेन्द्र मोडीचारणा	7/98
	उपकेन्द्र बस्सी	—
7. मकराना	उपकेन्द्र सफेदबड़ी	9/98
	उपकेन्द्र इन्दोखा	2/97
	उपकेन्द्र नान्दोलीमेडतिया	9/98
	उपकेन्द्र नान्दोलीचंदावता	8/98
	उपकेन्द्र चांडी	12/96
	उपकेन्द्र धानणवा	2/97
	उपकेन्द्र जूसरीया	2/97
	उपकेन्द्र कूकडोद	8/97
	उपकेन्द्र मोखंमपुरा	6/98
	उपकेन्द्र भरनाई	6/98
	उपकेन्द्र देवरी	6/98
	उपकेन्द्र बुडस	—
	उपकेन्द्र मनीना	—
	उपकेन्द्र रानीगांव	—
	उपकेन्द्र खारडिया	—
	उपकेन्द्र बांसड़ा	—
8. कुचामन	उपकेन्द्र करकेड़ी	8/98
	उपकेन्द्र बवलीगुढ़ा	8/98
	उपकेन्द्र खाखडकी	12/96
	उपकेन्द्र रघुनाथपुरा	3/97
	उपकेन्द्र परवेड़ी	4/97
	उपकेन्द्र इन्डाली	6/97
	उपकेन्द्र इन्दोखा	12/96
	उपकेन्द्र बरजन	9/86
	उपकेन्द्र छापरी	3/97
	उपकेन्द्र श्रवणपुरा	4/98
	उपकेन्द्र चावण्डिया	6/97
	उपकेन्द्र शिम्भुपुरा	10/97
	उपकेन्द्र जीणवास	8/98
	उपकेन्द्र देवलीकलां	—
	उपकेन्द्र खारीया	—
9. डीडवाना	उपकेन्द्र बेगसर	9/98
	उपकेन्द्र क्यामसर	7/98
	उपकेन्द्र खुनखुना	—
10. लाडनूं	उपकेन्द्र डाबड़ी	3/99
	उपकेन्द्र रोडू	3/99
11. जायल	उपकेन्द्र सांडीला	9/98
	उपकेन्द्र रोटू	10/97
	उपकेन्द्र ऊंचाईडा	9/98
	उपकेन्द्र बोसेरी	6/98
	उपकेन्द्र धारणा	9/98
	उपकेन्द्र सुवादिया	8/98
	उपकेन्द्र लूणसरा	—
	उपकेन्द्र झाडेली	—
	उपकेन्द्र झाडेली	—

दीगोद (कोटा) का भू-जल स्तर

344. श्री हेमन्त कुमार (दीगोद) : क्या भू-जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

क्या यह सही है कि जिला कोटा के विधान सभा क्षेत्र दीगोद की पंचायत समिति सांगोद में भू-जल स्तर तेजी से नीचे जा रहा है जिससे प्रति वर्ष कई ट्यूबवैल व हैण्ड पम्प बेकार हो रहे हैं? क्या जल स्तर नीचे जाने से पीने के पानी की समस्या खड़ी हो रही है? यदि हां, तो इसे रोकने के लिए क्या-क्या उपाय किये गये और नहीं, तो क्यो?

उत्तर

जी, नहीं। गत 15 वर्षों में भू-जल स्तर औसतन मात्र 2.02 मीटर नीचे गिरा है। फिर भी गर्मी के मौसम में सूखने वाले हैण्ड पम्पों के स्थान पर अधिक गहराई वाले हैण्ड पम्प बनाये जा रहे हैं। नलकूप आधारित जल योजनाओं पर कोई प्रभाव नहीं हुआ है।

विधान सभा क्षेत्र नोहर की क्षतिग्रस्त सड़कों का नवीनीकरण

345. श्रीमती सुचित्रा आर्य (नोहर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र नोहर की सड़कें क्षतिग्रस्त होने पर भी उनका गत 10 वर्षों में एक बार भी नवीनीकरण नहीं किया गया है? अब उक्त सड़कों को नवीनीकरण कब तक कर दिया जायेगा?

(2) क्या यह सही है कि उक्त क्षेत्र के ग्राम चान्देड़ी, बड़ी, ढाणी चारणान, लाखेरा, कुलचासर, लाडम, सीरासर, उदासर, ढिलकी, सीरासर, नेहराना, कणाऊ, लूणासर, ढाणी बिजारणियान, 16 एनटीआर, जोजासर, शेख चुलिया, धीरदेसर, ढाणी मायला, ढाणी लेधान, देवासर, कानसर, घनियासर, बिजासर, मालासर, प्रेमपुरा, कलासर, उदासर छोटा, चारणवासी, बन्नासर, धान्धु, पल्लू से नोहर तक, नीमला टिडियासर, रातुसर को सड़क नीति के अन्तर्गत आते हुए भी अभी तक डामरीकृत सड़कों से नहीं जोड़ा गया, है? यदि हां, तो उक्त ग्रामों को अब कब तक सड़क से जोड़ा जायेगा?

उत्तर

(1) जी, नहीं। नोहर विधान सभा क्षेत्र में 439 कि.मी. डामरीकृत सड़कें हैं। जिनमें से पिछले 10 वर्षों में 50 कि.मी. लम्बाई में नवीनीकरण कार्य एवं रख-रखाव मद में उपलब्ध वित्तीय संसाधनों एवं प्राथमिकताओं के आधार पर संधारण किया गया है। वर्ष 1999-2000 में विभिन्न मदों में 49.60 कि.मी. सड़कों के नवीनीकरण/सुदृढ़ीकरण इत्यादि के कार्य प्रस्तावित हैं। जिनकी अनुमानित लागत–122.00 लाख रु. है, एवं शेष कि.मी. का साधारण मरम्मत द्वारा रखरखाव प्रस्तावित है।

(2) जी, नहीं। प्रश्न में वर्णित गांवों की डामर सड़क द्वारा जुड़ने की स्थिति निम्न प्रकार है : — ननाऊ, लाखेरा, नीमला, जोजासर एवं टिडियासर गांव डामर सड़क से जुड़े हुए हैं। गांव मालासर, लाडम, ढीलकी, कानसर सड़क नीति में आते हैं। जिनको डामर की सड़क से जोड़ने के लिए विभिन्न योजनाओं में स्वीकृति प्राप्त है तथा कार्य प्रगति पर है। गांव चांदेडी बड़ी, सीरासर, दनियासर, धांधुसर, नेहराना, देवासर एवं चारणवासी सड़क नीति के प्रांवधान में

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

आते हैं तथा इन्हें नीति अनुसार वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं प्राथमिकता से नवीं पंचवर्षीय योजना में डामर की सड़क से जोड़ा जाना प्रस्तावित है।

गांव कुलच्चासर, उदांसर, धीरदेशर, लूणासर, शेखचुलिया, ढाणी माहेला, ढाणी लेगान, बींझासर, प्रेमपुरा, कलासर, बन्नासर, ढाणी चारणान, ढाणी बिंजारनियां, 16 एनटीआर, रातुसर एवं उदासर छोटा सड़क नीति में नहीं आते हैं। अतः सीमित वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत इन्हें डामर की सड़क से जोड़ा जाना प्रस्तावित नहीं है।

नोहर से पल्लू तक की सड़क की मुन्सरी से न्यौलखी के बीच 14 कि.मी. का कार्य शेष है। जिसे वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर पूरा करवाया जाना प्रस्तावित है।

पंचायत समिति, जहाजपुर का आय-व्यय प्रकरण

346. श्री रतन लाल ताम्बी (जहाजपुर) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति जहाजपुर की दुकानों, क्वार्टर तथा सिंचाई की पूरी राशि नियमानुसार वसूल होकर पंचायत समिति कोष में जमा नहीं हो रही है? यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं? किस की दायित्वहीनता से कोष का नुकसान हो रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त पंचायत समिति की आय को मनमाने ढंग से व्यय किया जाता रहा है? क्या सरकार इसके सम्बन्ध में पिछले पांच वर्षों की आय तथा उसके व्यय की विशेष जांच करवाकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही कराने का विचार रखती है?

(3) क्या यह सही है कि पंचायत समिति की आय बजट स्वीकृति के विपरीत स्वीकृत राशि से अधिक व्यय किया गया है और सरकार के निदेशों के विपरीत जीप का दुरुपयोग किया गया है? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच करा कर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही कराने का विचार रखती है?

(4) क्या यह सही है कि पंचायत समिति द्वारा कई प्रकार के कर एवं फीस लागू की गई हैं? यदि हां, तो गत पांच वर्षों में कर और फीस से कितनी आय हुई है? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार गत पांच वर्षों की आय का बड़ी मात्रा में कोष में जमा न होने तथा व्यय का नियमों के विपरीत मनमाने ढंग से दुरुपयोग होने की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही कर राशि का दायित्व निर्धारित करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) पंचायत समिति, जहाजपुर दुकानों, क्वार्टर एवं सिंचाई की राशि सम्पूर्ण रूप से जमा नहीं हो पा रही है। दुकानों एवं क्वार्टरों के किराये की राशि न्यायिक तथा अन्य विवाद होने के कारण नहीं वसूल हो पा रही है। सिंचाई कर की राशि गत दो-तीन वर्षों से कम वर्षा के कारण, तालाबों में सिंचाई योग्य पानी नहीं आने के कारण, डिमाण्ड कायम नहीं होने तथा स्थाई राजस्व कर्मचारी नहीं होने के कारण वसूल नहीं हो पा रही है।

(पंचायती राज मंत्री)

(2) जी, नहीं। पंचायत समिति की आय को बजट प्रावधान के अनुसार व्यय किया जाता रहा है। बजट प्रावधान से अधिक व्यय का प्रशासन वित्त और कराधान स्थाई समिति की बैठक में अनुमोदन किया गया है। इस व्यय की विशेष जांच करवा कर तदनुसार कार्यवाही की जावेगी।

(3) सरकार के निर्देशों के विपरीत जीप के दुरुपयोग की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(4) पिछले पांच वर्षों में पंचायत समिति के विभिन्न करों से हुई आय का विवरण परिशिष्ट–1 पर संलग्न है। पंचायत समिति द्वारा फीस आदि से कोई आय नहीं हुई है।

(5) पिछले पांच वर्षों में चूंकि नियमों के विपरीत कार्यवाही नहीं हुई है, अतः दायित्व निर्धारित करने की फिलहाल आवश्यकता नहीं है। किन्तु यदि विशेष रूप से भविष्य में ऐसी शिकायत अथवा अनियमितता कहीं होगी तो दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही कर दायित्व निर्धारित किया जावेगा।

परिशिष्ट–1

कार्यालय जिला परिषद, भीलवाड़ा

पंचायत समिति, जहाजपुर के करों की वसूली की सूचना

पंचायत समिति कर : —

क्र.सं.	वर्ष	वसूली राशि (आय)	वि. वि.
1.	94-95	21676	
2.	95-96	13662	
3.	96-97	13525	
4.	97-98	14147	
5.	98-99 (दिसम्बर, 98)	3073	

2. व्यवसाय कर

क्र.सं.	वर्ष	वसूली राशि (आय)	वि. वि.
1.	94-95	3714	
2.	95-96	4270	
3.	96-97	8397	
4.	97-98	10980	
5.	98-99 (दिसम्बर, 98)	26070	

3. शिक्षा कर वसूली

क्र.सं.	वर्ष	वसूली राशि (आय)	वि. वि.
1.	94-95	14191	
2.	95-96	73413	
3.	96-97	414	
4.	97-98	11290	
5.	98-99	248903	

तारांकित प्रश्न संख्या–347

(स्थगित)

राज्य के निलम्बित चालक/ परिचालक

348. श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के कितने चालक/परिचालक निलम्बित हैं? जिलेवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त कर्मियों के विरुद्ध प्रमुख क्या-क्या आरोप हैं?

(3) उक्त प्रकरणों की जांच शीघ्र निपटाने के लिये सरकार क्या विशेष कदम उठाने जा रही है?

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में वर्तमान में 109 चालक एवं 342 परिचालक निलम्बित हैं। जिलेवार एवं आगारवार विवरण परिशिष्ट–1 में उपलब्ध है।

(2) उक्त कर्मियों के विरुद्ध प्रमुख आरोप निम्न हैं :—

1. बिना टिकिट यात्री ले जाना
2. डिफ्रेंस टिकिट (कम राशि के) जारी करना।
3. निगम राजस्व का गबन करना।
4. टिकिटों में हेराफेरी एवं काट-छांट।
5. यात्रियों एवं निगम के निरीक्षकों के साथ अभद्र व्यवहार करना।
6. ड्यूटी पर लम्बे समय से उपस्थित नहीं होना
7. निरन्तर कम आय अर्जित करना।
8. वाहन का निरस्तीकरण करना।
9. वाहन की दुर्घटना।
10. ऑन डी. एस. ए. वाहन में बिना टिकट यात्री ले जाना।
11. निरीक्षण के दौरान वाहन को न रोकना।
12. वाहन को लापरवाही से नुकसान पहुंचाना।

(3) उक्त प्रकरणों की जांच शीघ्र निपटाने हेतु जांच अधिकारियों को दिन-प्रतिदिन आधार पर जांच पूर्ण करने के निर्देश दिये गये हैं।

परिशिष्ट–1

परिवहन निगम में निलम्बित चालक/परिचालकों का जिलेवार एवं आगारवार विवरण

क्र. सं.	नाम जिला	स्थापित आगार	निलम्बित	
			चालक	परिचालक
1	2	3	4	5
1.	जयपुर	1. जयपुर	4	14
		2. वैशाली	3	03
		3. सी.बी.एस., जयपुर	—	01
		4. विद्याधर नगर	1	05
		5. झालाना डूंगरी	3	04
		6. सांगानेर	1	09
		7. सुविधा आगार	6	01

1	2	3	4	5
		8. कोटपूतली	—	05
2.	दौसा	दौसा	5	06
3.	सीकर	सीकर	—	06
4.	झुंझुनूं	1. झुंझुनूं	—	06
		2. खेतड़ी	1	01
5.	अजमेर	1. अजमेर	1	06
		2. अजयमेरू	–	08
		3. ब्यावर	3	10
6.	जोधपुर	1. जोधपुर	2	13
		2. फलौदी	4	01
7.	बाड़मेर	बाड़मेर	4	15
8.	सिरोही	1. सिरोही	2	04
		2. आबूरोड़	2	02
9.	पाली	1. पाली	3	05
		2. फालना	—	04
10.	उदयपुर	उदयपुर	9	17
11.	बांसवाड़ा	बांसवाड़ा	3	03
12.	डूंगरपुर	डूंगरपुर	1	04
13.	चित्तौड़	चित्तौड़	3	05
14.	कोटा	कोटा	5	12
15.	बून्दी	बून्दी	3	09
16.	बारां	बारां	6	21
17.	झालावाड़	झालावाड़	4	19
18.	टौंक	टौंक	1	05
19.	अलवर	1. अलवर	2	8
		2. मत्स्य नगर	3	1
		3. तिजारा	—	5
20.	भरतपुर	1. भरतपुर	3	9
		2. लोहागढ़	3	8
21.	करौली	हिण्डौन	2	6
22.	धौलपुर	धौलपुर	—	4

1	2	3	4	5
23.	बीकानेर	बीकानेर	—	19
24.	गंगानगर	1. गंगानगर	3	9
		2. अनुपगढ़	2	7
25.	हनुमानगढ़	हनुमानगढ़	1	5
26.	चूरू	1. चूरू	3	4
		2. सरदारशहर	1	4
27.	नागौर	नागौर	1	12
28.	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा	1	12
29.	जालौर	जालौर	4	3
30.	जैसलमेर	—	—	—
31.	सवाईमाधोपुर	—	—	—
32.	राजसमन्द	—	—	—
	दिल्ली	दिल्ली	—	2

माउण्ट आबू में चाय की खेती

349. श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : क्या वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

क्या यह सही है कि माउण्ट आबू में चाय की खेती की कोई योजना विचाराधीन है? क्या सरकार उक्त योजना को चालू करने के सम्बन्ध में अपने स्तर पर कोई विचार कर रही है? यदि हां, तो कब से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी, नहीं।

इटावा (कोटा) में स्वीकृत छात्रावास का निर्माण

350. श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि इटावा (कोटा) में छात्रावास निर्माण हेतु राशि स्वीकृत की गई थी? यदि हां, तो कब कितनी राशि तथा निर्माण कार्य पूर्ण होने की अवधि क्या थी?

(2) उक्त छात्रावास का निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं होने के क्या कारण हैं? कार्य प्रारम्भ करने के लिये सरकार द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो इसके लिये कौन दोषी है?

(3) क्या सरकार इटावा में स्वीकृत छात्रावास को शीघ्र पूर्ण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी, हां। वर्ष 1995-96 में इटावा, कोटा में भवन निर्माण हेतु 29.73 लाख रुपये की स्वीकृति जारी की गई थी। यद्यपि निर्माण कार्य पूर्ण करने की अवधि निश्चित नहीं है। साधारणतया छात्रावास निर्माण में एक वर्ष के लगभग समय लगता है।

(समाज कल्याण मंत्री)

(2) छात्रावास भवन हेतु आवंटित भूमि पर अदालत में वाद दायर होने के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका। प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण निर्माण कार्य हेतु कार्यवाही नहीं की जा सकी, जिसके लिए कोई भी अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं है।

(3) जी, हां। न्यायालय में दायर वाद पर फैसला होने के बाद भवन का निर्माण कार्य शीघ्र प्रारम्भ किया जाएगा।

विधान सभा क्षेत्र धोद के चिकित्सालयों में रिक्त पद

351. श्री अमराराम (धोद) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या सरकार की जानकारी में है कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी एवं अधिकारी ग्रामीण क्षेत्रों में समय पर उपस्थित नहीं रहते? क्या सरकार इसके लिए कोई ठोस कदम उठाने जा रही है?

(2) क्या सरकार सीकर जिले के श्री कल्याण राजकीय हास्पिटल की वर्तमान व्यवस्था से सन्तुष्ट है? यदि नहीं, तो रोगियों की माकूल चिकित्सा व्यवस्था हेतु सरकार क्या ठोस कार्यवाही करने जा रही है?

(3) विधान सभा क्षेत्र धोद के चिकित्सा केन्द्रों में कितने-कितने व कहां-कहां अधिकारी एवं कर्मचारियों के पद रिक्त हैं तथा इनकी कब तक पूर्ति कर दी जायेगी?

उत्तर

(1) जी, हां, राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के चिकित्सा संस्थानों में अधिकारी एवं कर्मचारियों के अनुपस्थित पाये जाने पर सी. सी. ए. नियम 17 के अन्तर्गत 87 अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है। गत वर्ष 24 चिकित्सकों की सेवायें, समाप्त की जा चुकी हैं। तथा 22 चिकित्सकों के त्याग-पत्र स्वीकृत किये गये हैं। भविष्य में भी शिकायत प्राप्त होने पर अथवा आकस्मिक निरीक्षण करवाये जाने पर अनुपस्थित पाये जाने वालों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाती रहेगी ताकि इस व्यवस्था में सकारात्मक सुधार लाया जा सके। 3 वर्ष की ग्रामीण क्षेत्र में अनिवार्य सेवा हेतु नियमों में संशोधन का भी प्रस्ताव विचाराधीन है।

(2) जी, हां।

(3) धोद विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले चिकित्सा संस्थानों में चिकित्सा संस्थानवार स्टाफ के रिक्त पदों का विवरण संलग्न है।

कनिष्ठ विशेषज्ञ, वरिष्ठ लिपिक एवं नर्स श्रेणी प्रथम के रिक्त पदों को विभागीय पदोन्नत समिति से चयनित होने के उपरान्त ही भरा जाना सम्भव हो सकेगा। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एवं लैब टैक्नीशियन के रिक्त पदों को भरने हेतु राज्य सरकार ने अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी कर दिया है। पद भरने की प्रक्रिया जारी है। वाहन चालक के रिक्त पदों को वेतन श्रृंखला–1 से 6 तक के पदों को भरने पर प्रतिबन्ध होने के कारण भरा जाना सम्भव नहीं हो सका। चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों को भरने हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग को अर्थना भिजवा दी गई है। चयनित अभ्यार्थी उपलब्ध होने पर उक्त पदों को भरा जाना सम्भव हो सकेगा।

धोद विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले चिकित्सा संस्थानों में रिक्त पदों का विवरण

क्र.सं.	चिकित्सा संस्थान का नाम	पद नाम	रिक्त पदों की संख्या	विशेष विवरण
1.	सामुदायिक स्वा. केन्द्र, लोसल	1. कनिष्ठ विशेषज्ञ	2	एक चिकित्सा अधिकारी कनिष्ठ विशेषज्ञ एक पद के विरुद्ध कार्यरत है।
2.	मातृ शिशु क. केन्द्र, लोसल	1. वरिष्ठ लिपिक	1	
		2. प्रसाविका	1	
3.	प्रसोत्तर केन्द्र, लोसल	1. वरिष्ठ लिपिक	1	
		2. वाहन चालक	1	
		3. प. क. कार्यकर्ता	1	
4.	प्राथमिक स्वा. केन्द्र, फतेहपुरा	1. वाहन चालक	1	
5.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, दुजोद	1. लेब टेक्नीशियन	1	
6.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, खुड़	1. चिकित्सा अधिकारी	1	
		2. लेब टैक्नीशियन	1	
7.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रसीदपुर	1. वरिष्ठ लिपिक	1	
8.	एडपोस्ट, नेतड़वास	1. नर्स श्रेणी प्रथम	1	
9.	उपकेन्द्र, सेसम	1. प्रसाविका	1	
10.	उपकेन्द्र, सामी	1. प्रसाविका	1	
11.	उपकेन्द्र, झुनकावास	1. प्रसाविका	1	

जिला बाड़मेर की अनुदानित योजनाएं

352. श्री अमीन खान (शिव) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला बाड़मेर में सरकार ने कितनी योजनाएं चला रखी हैं।

(2) उक्त योजनाओं से उक्त जिले में कितने किसान लाभान्वित हुए हैं? तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त जिले में उक्त योजना के तहत कितने लोगों को अनुदान राशि दी गई है? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्तमान में जिला बाड़मेर में कृषि विभाग की 7 योजनाएं चल रही हैं।

(2) उक्त योजनाओं से जिले में 7794 कृषक लाभान्वित हुए हैं। लाभान्वितों की सूची एनेक्सचर–1 पर संलग्न है।

(कृषि मंत्री)

(3) जिला बाड़मेर में इन योजनाओं के तहत 424 लोगों को अनुदान राशि दी गई है। लाभान्वित कृषकों की सूची एनेक्सचर-2 पर संलग्न है।

(सूची प्रश्न शाखा के मूल सैट में सुरक्षित रखी गयी)

पाली शहर का प्रस्तावित बाईपास

353. श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) पाली शहर में हाउसिंग बोर्ड से बाण्डी नदी की पुलिया तक की मुख्य सड़क पर गत पांच वर्षों में कितनी दुर्घटनाएं हुई एवं कितने व्यक्ति मारे गये?

(2) क्या सरकार उक्त दुर्घटनाओं को रोकने हेतु बाईपास बनाने का विचार रखती है?

(3) क्या बाईपास के निर्माण हेतु सर्वे करा लिया गया है? यदि हां, तो अब बाईपास सड़क का निर्माण कितनी अवधि में चालू करा दिया जावेगा?

उत्तर

(1) पाली शहर में हाउसिंग बोर्ड से बाण्डी नदी की पुलिया तक की मुख्य सड़क पर गत पांच वर्षों में पुलिस विभाग, पाली से प्राप्त सूचना अनुसार कुल 126 छोटी-बड़ी दुर्घटनाएं हुई हैं जिसमें 16 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है।

(2) जी, हा।

(3) अभी केवल प्रारम्भिक सर्वेक्षण हुआ है। इस कार्य को बी. ओ. टी. (बिल्ट आपरेट ट्रांसफर) की योजनान्तर्गत वाइबल पाये जाने पर कराये जाने का विचार है।

पंचायत समिति, दूदू में भू-संरक्षण कार्य

354. श्री बाबूलाल नागर (दूदू) : क्या विशिष्ट योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) पंचायत समिति क्षेत्र दूदू (जयपुर) में जलग्रहण एवं भू-संरक्षण कार्य कहां-कहां चल रहे हैं, उक्त कार्य किस एजेन्सी के माध्यम से करवाये जा रहे हैं? अब तक कुल कितनी राशि का कार्य हो चुका है और कितने कार्य शेष हैं?

(2) क्या पंचायत समिति, दूदू में अन्य स्थानों पर भी कार्य करवाने के प्रस्ताव विचाराधीन है? यदि हां, तो कहां-कहां?

उत्तर

(1) पंचायत समिति, दूदू (जयपुर) में चल रहे जलग्रहण एवं भू-संरक्षण के कार्य का स्थान, परियोजना क्रियान्वयन एजेन्सी का नाम एवं माह फरवरी, 99 तक जलग्रहण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत व्यय की गई राशि का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। (परिशिष्ट–1)

(2) जी, हां। पंचायत समिति क्षेत्र दूदू में अन्य स्थानों यथा कोरसीना–II, कोरसीना–III, सरथला एवं भीरावता के 4 जलग्रहण विकास परियोजनाएं विचाराधीन हैं।

परिशिष्ट–1

क्र. सं.	कार्यकारी एजेन्सी का नाम	जलग्रहण क्षेत्र का नाम	स्वीकृति दिनांक	कुल स्वीकृत राशि (लाखों में)	फरवरी, 99 तक व्यय राशि (लाखों में)
1.	ग्राम सेवा मण्डल आईदान का वास, दूदू	कोरसीना	25-2-97	22.80	3.46
2.	उप निदेशक जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण, जयपुर	बिचून-I	22-8-97	24.80	9.66
3.	" "	सौरठों का बास	"	15.96	1.07
4.	" "	बेहरानां	"	22.15	3.13
5.	" "	बिचून-II	23-6-98	11.78	0.99
6.	" "	दन्तरा	13-7-98	24.70	1.12
7.	" "	नीमली-I	13-7-98	24.98	1.082
8.	" "	बोकडावास-I	"	23.55	0.816
9.	" "	नीमली-II	"	20.35	0.926
10.	वि. अ. पं. सं., दूदू	बीगोलाव	23-6-98	25.00	0.547
11.	" "	पवालिया	"	25.00	0.383
12.	" "	रघुनाथपुरा-हट्टूपुरां	"	23.25	0.327
13.	" "	पालूकलां	"	24.35	0567
14.	उप वन संरक्षक पूर्व, जयपुर	दादूपालका	27-4-97	25.00	19.81
15.	" "	रामसागर	"	25.00	4.82
16.	" "	आकोदा	"	25.00	5.92
17.	" "	मोरसर	"	25.00	3.28
18.	" "	कचनार	"	25.00	4.31
19.	" "	नयागांव	3-1-98	25.00	4.80
			योग	438.67	67.018

अराई से सरवाड़ मार्ग पर निगम बस सेवा

355. श्री सांवर लाल (भिनाय) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या अराई से सरवाड वाया छोटा जांवा आकोडिया बोराडा फतहगढ़ मार्ग पर राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसें संचालित हैं? यदि नहीं, तो क्यों और स्थगन है तो किसने कब किया? इस सम्बन्ध में निगम ने अब तक क्या कार्यवाही की है?

(2) क्या निगम इस मार्ग पर बसें चलाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी, नहीं। अजमेर - सरवाड़ वाया किशनगढ़ अराई - छोटालाम्बा - आकोडिया - बोराड़ा - फतहगढ़ मार्ग का अराई से छोटा लाम्बा - आकोड़िया - बोराड़ा - फतहगढ़ - सरवाड़ का भागांश पंचम अध्याय (अराष्ट्रीयकृत) का मार्ग है। इस मार्ग पर निगम द्वारा पूर्व में अप्रेल, 1996 से 23-10-98 तक 2 बसों द्वारा 4 परिचक्र प्रतिदिन संचालित किए गये थे।

इस मार्ग पर पर्याप्त यात्रीभार नहीं मिलने के कारण मुख्यप्रबन्धक अजयमेरू, आगार ने दिनांक 23-10-98 से उक्त बस संचालन को स्थगित कर दिया है। उक्त मार्ग पर संचालित सेवाओं की आय प्रति कि.मी. व यात्रीभार माहवार का विवरण परिशिष्ट-I पर उपलब्ध है।

(2) जी, हां। सम्बन्धित आगार को पुनः इस मार्ग पर वाहन संचालन प्रारम्भ किए जाने के आदेश क्रमांक: एफ 1/याता/मु/स. सा/99/453 दिनांक 9-4-99 द्वारा दे दिए गए हैं। साथ ही जनसुविधार्थ दो अन्य बसों, जिनका संचालन जयपुर से बोराड़ा वाया अराई-छोटा, लाम्बा-आकोडिया होकर किया जा रहा था, की सरवाड़ तक वृद्धिकरण कर दिया गया है। इन सेवाओं को सम्मिलित करने पर इस मार्ग पर निगम की 4 बसों द्वारा 6 परिचक्र संचालित किए जाएंगे।

परिशिष्ट-1

मार्ग पर संचालित परिवहन निगम की सेवाओं का आय प्रति कि.मी. व यात्रीभार का विवरण पत्र

माह	संचालित परिचक्र	आय प्रति कि.मी.	यात्रीभार (प्रतिशत में)
अप्रेल, 96	4	6.60	62
मई, 96	4	8.06	76
जून, 96	4	7.81	73
जुलाई, 96	4	6.54	61
अगस्त, 96	2	6.31	59
सितम्बर, 96	2	6.45	61
अक्टूबर, 96	2	6.42	60
नवम्बर, 96	2	7.70	68

1	2	3	4
दिसम्बर, 96	2	8.06	65
जनवरी, 97	2	6.23	50
फरवरी, 97	2	6.79	54
मार्च, 97	3	6.86	55
अप्रेल, 97	2	7.92	63
मई, 97	3	8.64	69
जून, 97	3	7.91	63
जुलाई, 97	3	6.49	52
अगस्त, 97	2	6.84	55
सितम्बर, 97	2	6.30	50
अक्टूबर, 97	2	5.18	41
नवम्बर, 97	2	6.03	48
दिसम्बर, 97	2	6.23	40
जनवरी, 98	2	6.15	41
फरवरी, 98	2	7.46	50
मार्च, 98	2	6.99	46
अप्रेल, 98	2	6.57	44
मई, 98	2	7.36	51
जून, 98	2	5.16	41
जुलाई, 98	2	5.98	48
अगस्त, 98	2	6.26	50
सितम्बर, 98	2	5.10	41
अक्टूबर, 98	2	4.77	38

खरेकड़ी एवं पुष्कर फीडर पर वृक्षारोपण

356. श्री रमजान खान (पुष्कर) : क्या वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि प्रतिवर्ष वर्षा के पानी के साथ मिट्टी बहकर पुष्कर सरोवर में आती है ?

(राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण)

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार ने इस मिट्टी को रोकने के लिए खरेकड़ी और पुष्कर फीडर पर समय - समय पर वृक्षारोपण करवाये हैं? यदि हां, तो कौन - कौनसे वर्ष में कितनी - कितनी राशि के? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त दोनों फीडरों पर किये गये वृक्षारोपण में कितने पेड़ जिन्दा हैं? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि किये गये वृक्षारोपण की देखभाल नहीं होने के कारण अधिकतर पेड़-पौधे मर गये, जिससे मिट्टी रोकने का लाभ नहीं मिल सका? यदि हां, तो क्या सरकार पुनः वृक्षारोपण करवायेगी और इनको जिन्दा रखने हेतु विभागीय अधिकारियों को कड़े निर्देश देगी?

उत्तर

(1) जी, हां। प्रतिवर्ष वर्षा के पानी के साथ मिट्टी बहकर पुष्कर सरोवर में आती रही है। गत वर्षों में कराये गये वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण कार्यों के परिणामस्वरूप मृदा क्षरण में कुछ कमी अवश्य आई है।

(2) जी, हां। खरेकड़ी एवं पुष्कर फीडर में वित्तीय वर्ष 1992-93 से वित्तीय वर्ष 1994-95 के मध्य वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण कार्य करवाये गये हैं। करवाये गये कार्यों एवं व्यय की राशि का वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) खरेकड़ी फीडर पर लगाये गये 61,000 पौधों में से 27,450 पौधे जीवित हैं। पुष्कर फीडर में लगाये गये 79,000 पौधों में से 37,150 पौधे जीवित हैं। वर्षवार लगाये गये पौधों एवं जीवित पौधों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) यह सही है कि वृक्षारोपण क्षेत्रों में रोपित किये गये पौधों में से लगभग आधे पौधे जीवित नहीं रहे हैं परन्तु जीवित पौधों तथा प्राकृतिक रूप से पनपे पौधों से वृक्षारोपण अच्छे वन क्षेत्र के रूप में विकसित हो चुके हैं जिससे वृक्षारोपण मिट्टी के कटाव को रोकने में सफल रहे हैं। अतः पुनः वृक्षारोपण करने की आवश्यकता नहीं है।

वन मण्डल - अजमेर

वन विभाग के माध्यम से
पुष्कर विकास योजनान्तर्गत कराये गये वृक्षारोपण कार्य भू-संरक्षण कार्य एवं उन पर व्यय राशि का विवरण

क्र. सं.	नाम फीडर	भौतिक लक्ष्य हैक्टर में	लगाये गये पौधों की सं.	जीवित पौधों की सं.	कराये गये भू-संरक्षण कार्य				वर्ष वार व्यय लाखों में					वि. वि.
					चैक्डेम घ. मी.	मूजा स्लिम संख्या	कन्टर डायेक्स घ. मी.	मलचिंग र. मी.	93-94	94-95	95-96	96-97	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	खरेकड़ी फीडर : - वर्ष 1992-93 के कार्य													वर्ष 1992-93 के कार्यों पर किये गये व्यय का समायोजन 1993-94 में किया।
1.	खरेकड़ी वृक्षा.	73	12000	6000	1560	10000	—	5000	4.44	0.81	—	—	5.25	
2.	नागपहाड़—I	211	11000	4450	7298	—	—	4400	4.94	0.92	0.60	0.34	6.80	
		284	23000	10450	8858	10000	—	9400	9.38	1.73	0.60	0.34	12.05	
	वर्ष 1993-94 के कार्य													
3.	खरेकड़ी फांडर	12	18000	8400	—	101400	—	—	4.42	0.75	1.08	0.52	6.77	
4.	नागपहाड़—II	176	13000	5500	6223	—	2765	—	2.96	1.26	0.34	0.48	5.04	
5.	नाथा का डामडा	7	7000	3100	—	—	—	—	1.68	—	—		1.68	
		195	38000	17000	6223	101400	2765	—	9.06	2.01	1.42	1.00	13.49	
	वर्ष 1994-95 के कार्य													
6.	प्रभुता पर्वत	30	—	—	1073	—	—	—	—	0.85	0.15	—	1.00	
	योग खरेकड़ी फीडर	509	61000	27450	16154	111400	2765	9400	10.44	4.59	2.17	1.34	26.54	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2. पुष्कर फीडर :														
वर्ष 1993-94 के कार्य														
	1. स्काऊट कैम्प	73	24000	12200	3965	25750	1286	—	2.98	0.42	0.75	0.64	4.79	
	2. बालाजी घाटी	37	—	—	2700	—	1336	—	1.48	0.16	0.34	0.48	2.46	
	3. गडूम्बा	20	5000	2250	—	—	—	—	0.52	—	0.30	0.27	1.09	
	4. सीता सेवड़ी	69	—	—	4000	—	1075	—	1.78	0.16	0.12	0.23	2.29	
		199	29000	14450	10665	25750	3697	—	6.76	0.74	1.51	1.62	10.63	
वर्ष 94-95 के कार्य														
	5. पांडू चेरी	180	—	—	8767	—	—	—	—	2.86	0.21	—	3.07	
	6. सांड डूंगरी	70	20000	8500	3597	—	—	—	—	2.09	0.31	0.37	2.77	
	7. भट्ट बावड़ी	83	30000	14200	1523	11000	—	—	—	2.05	0.58	0.40	3.03	
	8. पाप मोचनी	8	—	—	1025	4000	—	—	—	0.33	0.50	0.35	1.18	
योग पुष्कर फीडर		341	50000	22700	14912	15000	—	—	—	7.33	1.60	1.12	10.05	
		540	79000	37150	25577	40750	3697	—	6.76	8.07	3.11	2.74	20.68	

अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लाभान्वित व्यक्ति

357. डा. किरोड़ी लाल (बामनवास): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) राजस्थान अनुसूचित जाति/जनजाति वित्त विकास सहाकारी निगम को वर्ष 1995-96 से फरवरी, 1999 तक कितनी-कितनी राशि का प्रावधान था तथा इस निगम द्वारा इन वर्ग के कल्याण के लिये कितनी-कितनी राशि किस-किस कार्य के लिए दी गई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त निगम को उक्त वर्षों में कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त निगम द्वारा अनुसूचित जनजाति के शैक्षणिक उत्थान, महिला, निराश्रितों एवं विकलांगों के विकास एवं आर्थिक स्वावलम्बन हेतु क्या-क्या कार्य कर कितने लोगों को लाभान्वित किया गया ?

उत्तर

(1) राजस्थान अनुसूचित जाति/जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लि. को वर्ष 1995-96 से 1998-99 तक योजनाओं के संचालन हेतु कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार से विशेष केन्द्रीय सहायता एवं राष्ट्रीय स्वच्छकार योजना में निम्नानुसार प्रावधान था : —

वित्तीय वर्ष	विशेष केन्द्रीय सहायता	राष्ट्रीय स्वच्छकार (राशि लाखों में)
1995-96	2373.00	–
1996-97	2300.00	686.50
1997-98	2280.00	272.65
1998-99	3000.00	500.00

निगम वर्ष 1995-96 से फरवरी, 99 तक संचालित योजनाओं में योजनानुसार दी गई राशि परिशिष्ट "अ" पर प्रस्तुत है।

(2) राजस्थान अनु. जाति जन जाति वित्त एवं विकास निगम को विशेष केन्द्रीय सहायता राशि मद में वर्षवार निम्न प्रकार राशि दी गई : –

वित्तीय वर्ष	विशेष केन्द्रीय सहायता	राष्ट्रीय स्वच्छकार (राशि लाखों में)
1995-96	2161.73	227.00
1996-97	1603.72	1710.48
1997-98	2257.01	272.65
1998-99	2549.72	—

(3) निगम को केन्द्रीय/सरकार से जो विशेष सहायता राशि प्राप्त होती है, मात्र अनुसूचित जाति वर्ग के आर्थिक उत्थान के लिये व्यय की जा सकती है। निगम को अनुसूचित जन जाति के लिये विशेष केन्द्रीय सहायता राशि प्राप्त नहीं होती है। किन्तु राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/जन जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा वित्त पोषित आर्थिक सहायता कार्यक्रम के तहत राज्य के अनु. जन जाति वर्ग के बेरोजगारों एवं अर्द्ध बेरोजगार व्यक्तियों को स्वरोजगार हेतु आर्थिक संसाधन उपलब्ध करवाने के लिये रियायती ब्याज दर पर ऋण सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। वर्ष 1998-99 में कुल 27 व्यक्तियों को स्वरोजगार हेतु आर्थिक संसाधन उपलब्ध करवाये गये हैं।

परिशिष्ट–"अ"

निगम वर्ष 1995-96 से फरवरी, 99 तक निगम द्वारा संचालित योजनाओं में दी गई राशि

योजना का नाम	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99 (फरवरी, 99 तक)
पोप शहरी	311.97	283.11	495.42	112.38
दुकान शहरी	6.48	0.10	—	—
आटो रिक्शा	9.46	12.68	12.82	4.28
स्काइट	285.60	208.08	150.31	51.18
बीएड/एसटीसी	—	6.10	20.88	5.78
पम्पसेट सामूहिक	446.76	239.43	193.39	64.89
पम्पसेट व्यक्तिगत	60.26	32.69	26.68	13.27
कुओं को गहरा करना	59.50	48.87	34.62	5.07
कार्यशाला	305.41	245.86	394.75	140.89
जलोत्थान	0.52	—	—	—
पीईटी/पीएमटी	—	—	11.11	3.10
कृषि यन्त्र	58.96	114.52	122.09	49.43
दुकान ग्रामीण	20.09	2.57	1.33	2.54
विद्युत कनेक्शन	8.89	25.38	27.09	10.81
उन्नत गाय	4.27	1.35	2.32	0.67
उन्नत भैंस	124.90	89.39	111.89	31.16
पोप ग्रामीण	332.30	484.27	662.22	299.47
टांका	107.19	83.51	10.83	—
सम्बल	10.28	—	—	—
एनएसएफडीसी	—	—	7.73	74.66
होस्टल	43.84	3.92	—	—
राष्ट्रीय स्वच्छकार	324.26	215.15	165.83	26.73

जिला चूरू का पोलोटेक्निक कालेज

358. श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : क्या तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) सरकार ने जिला मुख्यालय चूरू पर पोलोटैक्निक कालेज खोलने की स्वीकृति कब जारी की तथा शिक्षा सत्र कब कहां किस-किस विषय के साथ प्रारम्भ हुआ, कौन-कौन सी श्रेणी के कितने पद कब-कब सृजित करने का निर्णय हुआ? भवन निर्माण की कितने की योजना थी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार चूरू में पोलोटेक्निक कालेज के भवन व उपकरण हेतु आवश्यक संसाधन जुटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व कितना?

(3) चूरू के पोलोटेक्निक कालेज का भवन निर्माण कब प्रारम्भ हुआ, किस विभाग ने किया व अब निर्माण कार्य किस कारण से बंद है?

उत्तर

(1) जिला मुख्यालय चूरू पर पोलोटैक्निक कालेज खोलने की स्वीकृति माह फरवरी, 98 में प्रदान की गई थी, जिसके तहत भवन निर्माण कार्य के लिये 60 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति तथा रुपये 20 लाख की वित्तीय स्वीकृति जारी की गई थी। वर्ष 1998-99 में वित्तीय संसाधनों के अभाव में इस संस्थान के लिए न तो पदों का सृजन किया गया तथा न ही शिक्षा सत्र प्रारम्भ किया गया। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की अनुमति भी प्राप्त नहीं हुई थी जो कि एक पोलोटैक्निक संस्थान के प्रारम्भ करने के लिए विधिक रूप से आवश्यक है।

(2) जी, हां। चूरू पोलोटैक्निक कालेज के भवन के उपकरण हेतु आवश्यक संसाधन जुटाने के लिए वर्ष 1999-2000 में रुपये 156.00 लाख की राशि का प्रावधान प्रस्तावित है। इसमें रुपये 100.00 लाख भवन निर्माण के लिए तथा रुपये 35.00 लाख उपकरण क्रय हेतु रखे गये हैं तथा रुपये 21.00 लाख फर्नीचर, लाइब्रेरी तथा पदों के सृजन हेतु रखे गये हैं।

(3) चूरू पोलोटैक्निक के लिए भवन निर्माण कार्य वर्ष 1998-99 में प्रारम्भ कर दिया गया है। यह निर्माण कार्य राजस्थान राज्य पुल एवं निर्माण निगम जयपुर द्वारा किया जा रहा है। निगम की सूचना के अनुसार भवन निर्माण का कार्य रुका हुआ नहीं है। मार्च, 99 तक 9.25 लाख की राशि व्यय की जा चुकी है तथा भवन की छत का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है।

विधान सभा क्षेत्र जैतारण में भू-संरक्षण कार्यों में अनियमितताएं

359. श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) उप खण्ड जैतारण में गत पांच वर्षों में जलग्रहण एवं भू-संरक्षण विभाग द्वारा किस-किस योजना के तहत कौन-कौनसे ग्रामों में कितनी-कितनी लागत के कार्य सरकार द्वारा स्वीकृत किये गये? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों ने मिलीभगत करके मजदूरों के फर्जी नाम मस्टर-रोलों में अंकित करके लाखों रुपये की राशि बिना भुगतान मजदूरों को किये ही उठा ली है?

(3) क्या यह भी सही है कि जिन मजदूरों के नाम अधिकारियों/कर्मचारियों ने मस्टररोलों में दर्ज किये हैं उस नाम के मजदूर वहां निवास ही नहीं करते हैं?

(4) क्या विभाग में इस सम्बन्ध में ऐसी कोई शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हां, तो क्या उसकी जांच करवाई गई? शिकायत की प्रति मय जांच रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या उक्त सम्बन्ध में प्राप्त शिकायत की जांच में दोषी पाये अधिकारियों के विरुद्ध सरकार कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) उप खण्ड जैतारण में जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग द्वारा गत पांच वर्षों में स्वीकृत कार्यों के विवरण की योजनावार सूची एनेक्सचर-1 पर संलग्न है।

(2) जी, नहीं।

(3) जी, नहीं।

(4) जी, नहीं।

(5) जी, नहीं।

एनेक्सचर—एक

स्वीकृत कार्यों के विवरण की योजनावार सूची

नाम योजना	जलग्रहण क्षेत्र का नाम	ग्राम का नाम	स्वीकृत राशि (लाखों में)				
			94-95	95-96	96-97	97-98	98-99
1	2	3	4	5	6	7	8
राष्ट्रीय जलग्रहण विकास योजना	1. बलाड़ा टुकड़ा	1. बलाड़ा 2. टुकड़ा	12.00	25.00	25.00	25.00	—
	2. चैनपुरा	1. चैनपुरा 2. सेवरिया 3. रास 4. रूपनगर	—	—	—	—	21.00
	3. बिराटियां कलां खुर्द	1. झोतड़ा 2. बिराटियां कलां 3. बिराटियां खुर्द 4. गिरी	12.00	19.00	25.00	25.00	21.00
	4. बूंटीवास	1. बूंटीवास 2. चावण्डिया 3. रामावास	12.00	6.00	25.00	5.00	—
		योग	36.00	50.00	75.00	55.00	42.00
मरू विकास योजना	1. आसरलाई 2. दागला	1. आसरलाई 2. दागला	7.00 5.00	2.00 1.00	— —	— —	— —

1	2	3	4	5	6	7	8
	3. बूंटीवाल	1. बूंटीवाल	6.00	4.00	—	—	—
	4. नाहरपुरा	2. नाहरपुरा	2.00	1.00	—	—	—
	5. अमरपुरा	1. अमरपुरा 2. दयालपुरा 3. बलुपुरा	4.00	10.00	—	—	—
	6. रास पालियावास	1. रास पालियावास 2. पालियावास	—	—	0.20	4.50	11.72
	7. बादरा	1. बादरा-भंवरिया 2. बाबरा	—	—	—	6.00	11.73
	8. रास	8. रास	—	—	—	—	11.72
	9. भंवरिया-पाटण	9. भंवरिया-पाटण	—	—	—	—	11.73
	योग		24.00	18.00	0.20	10.50	46.90
सुनिश्चित रोजगार योजना	1. पालियादास 8/3	1. पालियादास 8/3	—	—	—	—	5.15
	2. पालियादास 8/4	2. पालियादास 8/4	—	—	—	—	5.41
	3. टुकडा	1. टुकडा	—	—	—	—	11.90
	4. नाहरपुरा	1. नाहरपुरा	—	—	—	—	5.93
	5. बाबरा	1. बाबरा	—	—	—	—	6.72
	6. पोलपाई	1. पोलपाई	—	—	—	—	11.83
	योग						46.94

परिशिष्ट–4

परिशिष्ट—अ

(तारांकित प्रश्न संख्या-329 की सूची)

विभाग में कार्यरत दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची

(1) अधिकारियों की सूची

1. श्री मदन राज मेहता, तत्कालीन अधीक्षक (भंडार) राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर
2. श्री सतीश कुमार माथुर, तत्कालीन सहायक अधीक्षक (भंडार) राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर

(2) कर्मचारियों की सूची

1. श्री राजेन्द्र नागर, लेखाकार
2. श्री हनुमान प्रसाद कन्दोल, कनिष्ठ लेखाकार
3. श्री किशन सिंह लेखाकार
4. श्री गोविन्द कुमार शर्मा, कनिष्ठ लिपिक
5. श्री रमेशचन्द वर्मा, वरिष्ठ लिपिक
6. श्री लक्ष्मण कुमार गोठवाल, कनिष्ठ लिपिक
7. श्री परशुराम जाटव, कार्यालय सहायक
8. श्री लक्ष्मणदास शर्मा, वरिष्ठ लिपिक
9. श्री प्रेमचन्द चौहान, कनिष्ठ लिपिक
10. श्री हरिसिंह, कनिष्ठ लिपिक
11. श्री कृष्ण गोपाल गुप्ता, वरिष्ठ लिपिक
12. श्री रिद्धीचन्द मीणा, पैकर
13. श्री मधुसूदन माथुर, कनिष्ठ लिपिक
14. श्री मांगीलाल बैरवा, कनिष्ठ लिपिक
15. श्री दामूलाल व्यास, पैकर
16. श्री रामगोपाल विजय, कनिष्ठ लिपिक
17. श्री कल्याणसिंह, कनिष्ठ लिपिक
18. श्री झाबरमल, कनिष्ठ लिपिक
19. श्री राधेश्याम दैवड़ा, वरिष्ठ लिपिक
20. श्री लालचन्द गर्ग, कार्यालय सहायक

निदेशक,
मुद्रण एवं लेखन सामग्री, विभाग
राजस्थान, जयपुर

परिशिष्ट "अ"

परिशिष्ट–5

(तारांकित प्रश्न संख्या-330 की सूची)

विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में सांसद कोटे से स्वीकृत कार्यों की सूची

क्र.सं.	स्वीकृत कार्य का नाम	स्वीकृति		स्वीकृत राशि (लाखों में)	माह फरवरी 99 तक व्यय राशि (लाखों में)	कार्य की वर्तमान स्थिति	कार्य पूर्ण होने की तिथि	विशेष विवरण
		क्रमांक	दिनांक					
1.	गुढाकटला से खूंटजाटोली ग्रेवल रोड	1964-66	7.3.95	1.09	1.09	पूर्ण	23.7.95	—
2.	हिंगोटा से करनपुरा ग्रेवल रोड	1964-66	7.3.95	3.74	3.62	पूर्ण	8.8.95	—
3.	महुखेडा से ढिगारिया भीम ग्रेवल रोड	3075-77	17.6.95	3.63	2.01	पूर्ण	31.12.95	—
4.	खेडी से रानापाड़ा ग्रेवल रोड	3075-77	17.6.95	3.93	3.51	पूर्ण	19.11.95	—
5.	गुढाकटला रोड़ से नारायणी माता ग्रेवल रोड	17279	12.3.96	4.30	2.94	पूर्ण	28.8.96	—
6.	करनावर से शामलाजी डामर रोड	6653	17.9.96	0.93	1.38	पूर्ण	24.6.97	—
7.	पुलिया निर्माण लीलोज गांव के पास	755-58	3.7.97	7.07	6.34	अपूर्ण	कार्य प्रगति पर है, जून-99 तक पूर्ण होने की सम्भावना है।	
8.	पुलिया निर्माण नांगल से झामरवाड़ा सड़क पर	755-58	3.7.97	7.50	6.60	अपूर्ण		
9.	राजकीय महाविद्यालय बांदीकुई में कमरे निर्माण	10970	3.2.99	2.00	-	प्रारम्भ नहीं	कार्य शीघ्र प्रारम्भ कराया जा रहा है।	

अति. कलक्टर (विकास) दौसा

परिशिष्ट–6

(तारांकित प्रश्न संख्या 335 का विवरण)

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, उच्चीकृत उप स्वास्थ्य केन्द्रों एवं उपकेन्द्रों पर स्टाफ के सृजित, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण

	चिकित्सा संस्थान	पद नाम	स्वीकृत पद	रिक्त पद	कब से रिक्त है
	1	2	3	4	5
1.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/ब्लाक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, खारची	कनिष्ठ विशेषज्ञ (मेडिसन, सर्जरी)	2	2	एक कनिष्ठ विशेषज्ञ के पद विरुद्ध चिकित्सा अधिकारी कार्यरत है। मई 98, अप्रेल 99 से
		वरिष्ठ चिकित्सा	1	–	
		अधिकारी	3	–	
		चिकित्सा अधिकारी	1	1	9/96 से
		नर्स श्रेणी प्रथम	7	–	
		नर्स श्रेणी द्वितीय	2	–	
		प्रसाविका			
2.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, आऊवा	चिकित्सा अधिकारी	1	–	
		नर्स श्रेणी द्वितीय	1	–	
		प्रसाविका	1	–	
3.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जोजावर	चिकित्सा अधिकारी	2	1	9/98 से एक चिकित्सा अधिकारी पदस्थापित कर दिया गया है कार्यग्रहण किया जाना अपेक्षित है।
		नर्स श्रेणी द्वितीय	2		
		महिला स्वा. दर्शिका	1		
		प्रसाविका	1		
4.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कन्टालिया	चिकित्सा अधिकारी	1		
		नर्स श्रेणी द्वितीय	2		
		महिला स्वा. दर्शिका	1		
		प्रसाविका	1		
5.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, धनला	चिकित्सा अधिकारी	2		
		नर्स श्रेणी द्वितीय	3		
		महिला स्वा. दर्शिका	1		
		प्रसाविका	1		

1	2	3	4	5
6. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सारण	चिकित्सा अधिकारी	1		
	नर्स श्रेणी द्वितीय	2		
	प्रसाविका	1		
7. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं मातृ शिशु कल्याण केन्द्र, रानावास	वरिष्ठ चिकि. अधि.,	1	—	
	चिकित्सा अधिकारी	1	—	
	नर्स श्रेणी द्वितीय	1	—	
	प्रसाविका	3	1	9/98 से
	महिला स्वा. दर्शिका	1	—	
8. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बागौल	चिकित्सा अधिकारी	1	—	
	नर्स श्रेणी द्वितीय	1	—	
	महिला स्वा. दर्शिका	1	1	10/98 से
	प्रसाविका	1	—	
9. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, धामली	चिकित्सा अधिकारी	1		
	नर्स श्रेणी-द्वितीय	2		
	महिला स्वा. दर्शिका	1		
	प्रसाविका	1		
10. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बानता	चिकित्सा अधिकारी	1		
	नर्स श्रेणी-द्वितीय	1		
	प्रसाविका	1		
11. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, खिवाड़ा	चिकित्सा अधिकारी	1		
	नर्स श्रेणी-द्वितीय	2		
	प्रसाविका	1		
12. उच्चीकृत उप स्वास्थ्य केन्द्र, गजनीपुरा	नर्स श्रेणी-द्वितीय	1		
	प्रसाविका	1		
13. उच्चीकृत उप स्वास्थ्य केन्द्र, मुसालिया	नर्स श्रेणी-द्वितीय	1		
	प्रसाविका	1		
14. उच्चीकृत उप-स्वास्थ्य केन्द्र, सरवाड़	नर्स श्रेणी-द्वितीय	1		
	प्रसाविका	1		
15. उच्चीकृत उप-स्वास्थ्य केन्द्र, देवली (अउवा)	नर्स श्रेणी-द्वितीय	1		
	प्रसाविका	1		
16. उप केन्द्र, सिरीयारी	प्रसाविका	1		
17. उप केन्द्र, धुन्धला	प्रसाविका	1		

1	2	3	4	5
18. उप केन्द्र, खरडी	प्रसाविका	1		
19. उप केन्द्र, चौकड़िया	प्रसाविका	1		
20. उप केन्द्र, चिरपटिया	प्रसाविका	1		
21. उप केन्द्र, फुलाद	प्रसाविका	1	—	
22. उप केन्द्र, बिठोडाकला	प्रसाविका	1	—	
23. उप केन्द्र, शेखावास	प्रसाविका	1	—	
24. उप केन्द्र, सिनला	प्रसाविका	1	—	
25. उप केन्द्र, राजोला	प्रसाविका	1	—	
26. उप केन्द्र, गोदावास	प्रसाविका	1	—	
27. उप केन्द्र, राजकीयावास	प्रसाविका	1	—	
28. उप केन्द्र, जाडन	प्रसाविका	1	—	
29. उप केन्द्र, भगोड़ा	प्रसाविका	1	—	
30. उप केन्द्र, बभाण	प्रसाविका	1	—	
31. उप केन्द्र, माण्डा	प्रसाविका	1	—	
32. उप केन्द्र, बोरनाडी	प्रसाविका	1	—	
33. उप केन्द्र, सहवाज	प्रसाविका	1	—	
34. उप केन्द्र, गुडा केसरसिंह	प्रसाविका	1	—	
35. उप केन्द्र, हिंगोला	प्रसाविका	1	—	
36. उप केन्द्र, चेलावास	प्रसाविका	1	—	
37. उप केन्द्र, बोगला	प्रसाविका	1	—	
38. उप केन्द्र, नरसिंहपुरा	प्रसाविका	1	—	
39. उप केन्द्र, रडावास	प्रसाविका	1	—	
40. उप केन्द्र, ईसाली	प्रसाविका	1	—	
41. उप केन्द्र, कराडी	प्रसाविका	1	—	
42. उप केन्द्र, जाणुदा	प्रसाविका	1	—	
43. उप केन्द्र, निम्बला	प्रसाविका	1	—	
44. उप केन्द्र, पाचेटिया	प्रसाविका	1	—	
45. उप केन्द्र, दूदोड़	प्रसाविका	1	—	

1	2	3	4	5
46. उप केन्द्र, गादाणा	प्रसाविका	1	—	
47. उप केन्द्र, वोपारी	प्रसाविका	1	—	
48. उप केन्द्र, गुडा रामसिंह	प्रसाविका	1	—	
49. उप केन्द्र, बड़ी	प्रसाविका	1	—	
50. उप केन्द्र, बासनी जोजावर	प्रसाविका	1	—	
51. उप केन्द्र, भिमालिया	प्रसाविका	1	—	
52. उप केन्द्र, मलसा बावडी	प्रसाविका	1	—	
53. उप केन्द्र, चावण्डिया	प्रसाविका	1	—	
54. उप केन्द्र, बारसा	प्रसाविका	1	—	
55. उप केन्द्र, बोरीमाडा	प्रसाविका	1	—	
56. उप केन्द्र, सिचाणा	प्रसाविका	1	—	
57. उप केन्द्र, सिवास	प्रसाविका	1	—	
58. उप केन्द्र, केरली	प्रसाविका	1	1	9/98 से
59. उप केन्द्र, गवाडा	प्रसाविका	1	—	
60. उप केन्द्र, जीवनकलां	प्रसाविका	1	—	
61. उप केन्द्र, गेनड़ी	प्रसाविका	1	1	9.4.99 से रिक्त
62. उप केन्द्र, बणदार	प्रसाविका	1	—	
63. उप केन्द्र, निप्पल	प्रसाविका	1	—	
64. उप केन्द्र, रामाजीगुडा	प्रसाविका	1	—	
65. उप केन्द्र, बोरड़ी	प्रसाविका	1	—	
66. उप केन्द्र, मगरतलाब	प्रसाविका	1	—	
67. उप केन्द्र, कोलर	प्रसाविका	1	—	
68. उप केन्द्र, गॉती	प्रसाविका	1	—	
69. उप केन्द्र, सासरी	प्रसाविका	1	—	
70. उप केन्द्र, बायलाना	प्रसाविका	1	—	
71. उप केन्द्र, सुमेल	प्रसाविका	1	—	
72. उप केन्द्र, केसूली	प्रसाविका	1	—	
73. उप केन्द्र, मांडपुरा	प्रसाविका	1	—	

परिशिष्ट–I

परिशिष्ट–7

(अतारांकित प्रश्न संख्या-444 का विवरण)

वर्ष 1991-92 से 1997-98 तक जनजाति विकास विभाग द्वारा व्यय की गई राशि का विवरण

क्र. सं.	वर्ष	जनजाति उपयोजना क्षेत्र				मांडा			माडा कलस्टर	बिखरी आबादी	सहरिया		योग	महायोग
		राज्य योजना	वि.के.स.	के.प्र.यो.	योग	वि.के.स.	रा.यो.	योग			के.प्र.यो.	रा. यो.		6+9+10 +11+14
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
1.	1991-92	55.23	1077.02	27.57	1159.82	350.22	–	350.22	11.32	70.64	47.15	4.24	51.38	1643.39
2.	1992-93	88.33	1295.19	28.05	1411.57	450.41	–	450.41	13.51	113.88	34.93	4.65	39.58	2028.95
3.	1993-94	317.8	1907.79	3.89	2229.48	381.49	–	381.49	15.76	100.85	38.52	5.20	43.72	2771.30
4.	1994-95	591.32	2469.32	77.10	3137.74	448.96	14.42	463.38	19.20	134.64	45.60	6.35	51.95	3806.91
5.	1995-96	670.81	3000.58	4.64	3676.03	462.02	59.04	521.06	16.41	116.05	57.16	11.96	69.12	4398.67
6.	1996-97	891.31	2303.59	7.17	3202.07	483.12	52.02	535.14	24.97	167.21	39.16	13.21	52.37	3981.76
7.	1997-98	521.01	1788.97	394.68	2704.66	422.33	40.60	462.93	21.37	104.87	50.42	12.99	63.41	3357.24
	योग	3135.81	13842.46	543.10	17521.37	2998.55	166.08	3164.63	122.54	808.14	312.94	58.60	371.54	21988.22

परिशिष्ट-

परिशिष्ट-8

परिशिष्ट "अ"

(अतारांकित प्रश्न संख्या-448 की स्थिति एवं विवरण)

क्र. सं.	नाम प्रधान जिसके विरुद्ध अनियमितता की जांच विचाराधीन है	पंचायत समिति	जिला	कब से विचाराधीन है।
1	2	3	4	5
1.	श्री मोतीराम कोली	रेवदर	सिरोही	20-5-98
2.	श्री घनश्याम शर्मा	थानागाजी	अलवर	4-12-95
3.	श्रीमती सुशीला देवी	नगर	भरतपुर	1-5-98
4.	श्रीमती रामवती	सेवर	भरतपुर	
5.	श्री रवीन्द्र भारद्वाज	करौली	करौली	नर्ष 98
6.	श्री पृथ्वीपाल सिंह	लाडपुरा	कोटा	13-8-97
7.	श्रीमती लाली देवी, पूर्व प्रधान	लूणी	जोधपुर	3-12-96
8.	श्री चैनाराम, पूर्व प्रधान	ठीठवाड़ा	नागौर	14-6-90
9.	श्री भंवरलाल, पूर्व प्रधान	मकराना	नागौर	28-10-96
10.	श्री रामकरण गुजर	निवाई	टोंक	30-9-93
11.	श्रीमती नन्दु देवी गाडरी	रेलमगरा	राजसमन्द	3-2-99
12.	श्री रोशन लाल, पूर्व प्रधान	गिर्वा	उदयपुर	13-1-88
13.	श्री धर्मा मीणा	गिर्वा	उदयपुर	6-11-95
14.	श्री गौत्तम लाल	धरियावद	उदयपुर	27-11-95
15.	श्री सूर्य प्रकाश	खैरवाड़ा	उदयपुर	18-8-97
16.	श्री कनक मल जैन	डंगला	चित्तौड़गढ़	
17.	श्रीमती शीलाराज	फागी	जयपुर	1-8-97
18.	श्री लक्ष्मण हरितवाल	सांगानेर	जयपुर	9-1-96
19.	श्रीमती अनिता चौधरी	आमेर	जयपुर	13-10-95
20.	श्री हनुमान सहाय व्यास	शाहपुरा	जयपुर	6-4-97
21.	श्री बी.एल. मीणा, पूर्व प्रधान	चाकसू	जयपुर	1-10-96
22.	श्रीमती विमला बेनीवाल	झुन्झुनूं	झुन्झुनूं	4-9-96
23.	श्रीमती विमला चौधरी.	अलसीसर	झुन्झुनूं	4-2-98
24.	श्री रणजीत सिंह	नवलगढ़	झुन्झुनूं	4-2-98

1	2	3	4	5
25.	श्री चुन्नी लाल जांगिड़	फतेहपुर	सीकर	30-4-97
26.	श्री खुशवीर सिंह	मारवाड़ जंक्शन	पाली	29-6-98
27.	श्री रामेश्वर चौहान	सौजत	पाली	13-6-96
28.	श्री हीरासिंह चौहान	रायपुर	पाली	13-10-98
29.	श्री चुन्नीलाल जांगिड़	फतेहपुर	सीकर	27-8-98
30.	श्रीमती विमला बेनीवाल	झुन्झुनूं	झुन्झुनूं	19-9-97
31.	श्रीमती अर्चना जैन	पिसांगन	अजमेर	30-4-98
32.	श्री शंकर सिंह रावत	जवाजा	अजमेर	28-10-97
33.	श्री छीतरमल	अराई	अजमेर	18-2-99
34.	श्रीमती कमलेश कुमारी	किशनगढ़	अजमेर	10-2-99
35.	श्री भंवर लाल गर्ग	सुवाणा	भीलवाड़ा	19-12-97

क्र. सं.	नाम विकास अधिकारी जिसके विरूद्ध अनियमितता की जांच विचाराधीन है।	पंचायत समिति	जिला	कब से विचाराधीन है।
1.	श्री गजेन्द्र कुमार	सराड़ा	उदयपुर	1999
2.	श्री पुखराज वैष्णव	धरियावद	उदयपुर	1999
3.	श्री गजेन्द्र लोढा	गिर्वा	उदयुपर	1998
4.	श्री चन्दनमल	बढ़गाव	उदयपुर	1993
5.	श्री महेन्द्र सिंह त्यागी	करणपुर	गंगानगर	1994
6.	श्री महावीर प्रसाद	अनूपगढ़	गंगानगर	1995
7.	श्री मोहन लाल मेहरा	अनूपगढ़	गंगानगर	1992
8.	श्री सज्जन मल माथुर	चोहटन	बाड़मेर	1993
9.	श्री प्रकाश चन्द माथुर	धोरीमन्ना	बाड़मेर	1994
10.	श्री मोहन लाल विश्नोई	शिव	बाडमेर	1995
11.	श्री जगदीश प्रसाद रैगर	सपोटरा	करोली	1998
12.	डा. गोरी नन्दन गोयल	हिण्डोर	करौली	1998
13.	श्री धन्ने सिंह	खेतडी	झुन्झुनूं	1997
14.	श्री प्यारे लाल	अलसीसर	झुन्झुनूं	1997
15.	श्री मोहन लाल विश्नोई	फलोदी	जोधपुर	1998
16.	श्री हरिकिशन व्यास	लूणी	जोधपुर	1998

1	2	3	4	5
17.	श्री बाबूलाल देवड़ा	बालेसर	जोधपुर	1999
18.	श्री हिम्मत सिंह	ओसियां	जोधपुर	1999
19.	श्री मुनीराज सिंह	मसूदा	अजमेर	1997
20.	श्री अजयपाल सिंह	सेवर	भरतपुर	1993
21.	श्री रामजी लाल	कुम्हेर	भरतपुर	1987
22.	श्री प्रेम प्रताप सिंह	कुम्हेर	भरतपुर	1991
23.	श्री रामसिंह वर्मा	नगर	भरतपुर	1993
24.	श्री जगदीश प्रसाद गौतम	नगर	भरतपुर	1995
25.	श्री उपेन्द्र महलावत	नगर	भरतपुर	1997
26.	श्री अरविन्द कुमार गुप्ता	बांदीकुई	दौसा	1995
27.	श्री अजीत सिंह यादव	दौसा	दौसा	1995
28.	श्री वीरेन्द्र कुमार जैन	दातारामगढ़	सीकर	1995
29.	श्री शिवशंकर गुप्ता	दातारामगढ़	सीकर	1994
30.	श्री रामावतार शर्मा	खण्डेला	सीकर	1996
31.	श्री गिरधारी सिंह	पिपराली	सीकर	1997
32.	श्री बद्री प्रसाद जांगिड	लक्ष्मणगढ़	सीकर	1997
33.	श्री जगदीश प्रसाद महला	लक्ष्मणगढ़	सीकर	1997
34.	श्री राजेन्द्र पाल सिंह	रियां	नागौर	1998
35.	श्री श्याम सुन्दर जोशी	जायल	नागौर	1998
36.	श्री छोगाराम	नागौर	नागौर	1997
37.	श्री मानसिंह	डेगाना	नागौर	1997
38.	श्री कृष्ण दत्त	लाडनूं	नागौर	1996
39.	श्री कृष्ण दत्त शर्मा	डेगाना	नागौर	1997
40.	श्री शंकर प्रसाद	मेड़ता	नागौर	1995
41.	श्री सुभाष गोदारा	भादरा	हनुमानगढ़	1993
42.	श्री गोपाल सिंह	नोहर	हनुमानगढ़	1993
43.	श्री अख्तर अली	भादरा	हनुमानगढ़	1995
44.	श्री अख्तर अली	नोहर	हनुमानगढ़	1995
45.	श्री पुरुषोत्तम व्यास	भादरा	हनुमानगढ़	1992
46.	श्री अख्तर अली	हनुमानगढ़	हनुमानगढ़	1995
47.	श्री शान्तीलाल पाटनी	माण्डल	भीलवाड़ा	1993

1	2	3	4	5
48.	श्री पूर्णा शंकर त्रिपाटी	माण्डल	भीलवाड़ा	1997
49.	श्री धर्मवीर मित्तल	हुरडा	भीलवाड़ा	1992
50.	श्री भंवर लाल वर्मा	हुरड़ा	भीलवाड़ा	1997
51.	श्री ओ. पी. भट्ट	सुवाणा	भीलवाड़ा	1992
52.	श्री श्याम लाला विजयवर्गीय	सुवाणा	भीलवाड़ा	1997
53.	श्री मनसुख पोरवाल	सुवाणा	भीलवाड़ा	1997
54.	श्री रामेश्वर लाल शर्मा	शाहपुरा	भीलवाड़ा	1998
55.	श्री गुलाब चन्द्र	शाहपुरा	भीलवाड़ा	1996
56.	श्री कमल किशोर माथुर	रायपुर	भीलवाड़ा	1997
57.	डा. योगेश जोशी	खमनोर	राजसमन्द	1998
58.	श्री प्रेम सिंह चौहान	देवगढ़	राजसमन्द	1994
59.	डा. आर.पी. सिंह	निवाई	टोंक	1997
60.	श्री योगेन्द्र राणा	मालपुरा	टोंक	1997
61.	श्री रणवीर सिंह	सोजत	पाली	1995
62.	श्री ए.के. सक्सेना	मारवाड़ जंक्शन	पाली	1995
63.	श्री प्रेम सिंह मेडतिया	बाली	पाली	1995
64.	श्री रमेश कुमार पाटगांवकर	गढ़ी	बांसवाड़ा	1997
65.	श्री उमा शंकर चोबे	तलवाडा	बांसवाड़ा	1998
66.	श्री ज्ञान प्रकाश पंचोरी	पीपलखूंट	बांसवाड़ा	1996
67.	श्री उमा शंकर चोबे	बांसवाड़ा	बांसवाड़ा	1997
68.	श्री उमा शंकर चोबे	बांसवाड़ा	बांसवाड़ा	1998
69.	श्री मांगीलाल चरपोटा	पीपलखूट	बांसवाड़ा	1998
70.	श्री रमेश कुमार पाटगावकर	गढी	बांसवाड़ा	1997
71.	श्री अमृतलाल यादव	घाटोल	बांसवाड़ा	1993
72.	श्री रमेश कुमार पाटगांवकर	गढ़ी	बांसवाड़ा	1997

परिशिष्ट–"ब"

भाग–2 से सम्बन्धित सूची

क्र. सं.	नाम प्रधान जिसके विरुद्ध आरोप सिद्ध हुए हैं।	पंचायत समिति	जिला	आरोप सिद्ध होने पर की गयी कार्यवाही
1	2	3	4	5
1.	श्री मोतीराम कोली	रेवदर	सिरोही	विभागीय जांच करवाई जा रही है।
2.	श्री घनश्याम शर्मा	थानागाजी	अलवर	विभागीय जांच करवाई जा रही है।
3.	श्रीमती सुशीला देवी	नगर	भरतपुर	विभागीय जांच करवाई जा रही है।
4.	श्री पृथ्वीपाल सिंह	लाडपुरा	कोटा	विभागीय जांच करवाई जा रही है।
5.	श्रीमती लाली देवी	लूणी	जोधपुर	स्पष्टीकरण चाहा गया है।
6.	श्रीमती नन्दु देवी गाडरी	रेलमगरा	राजसमन्द	स्पष्टीकरण चाहा गया है।
7.	श्रीमती विमला बेनिवाल	झुन्झुनूं	झुन्झुनूं	प्रकरण में निर्णय लिया जा रहा है।
8.	श्रीमती विमला चौधरी	अलसीसर	झुन्झुनूं	विभागीय जांच करवाई जा रही है।
9.	श्री चुन्नी लाल जांगीड़	फतेहपुर	सीकर	विभागीय जांच करवाई जा रही है।
10.	श्री खुशवीर सिंह	मारवाड़ जंक्शन	पाली	विभागीय जांच करवाई जा रही है।
11.	श्री रामेश्वर चौहान	सौजत	पाली	विभागीय जांच करवाई जा रही है।
12.	श्री हीरासिंह चौहान	रायपुर	पाली	विभागीय जांच करवाई जा रही है।
13.	श्री चुन्नीलाल जांगिड़	फतेहपुर	सीकर	विभागीय जांच करवाई जा रही है।
14.	श्रीमती अर्जना जैन	पिसांगन	अजमेर	निर्णय लिया जाना अपेक्षित है।
15.	श्री भंवर लाल गर्ग	सुवाणा	भीलवाड़ा	प्रकरण पर निर्णय लिया जाना अपेक्षित है।

विकास अधिकारियों के 16 सी.सी.ए. के अन्तर्गत विचाराधीन जांच प्रकरण (कार्मिक विभाग में)

क. सं.	नाम विकास अधिकारी	पंचायत समिति	जिला	कार्मिक विभाग में भेजने की तिथि	पैतृक विभाग
1.	श्री दयाभानू शर्मा	थानागाजी	अलवर	28-4-95	शिक्षा
2.	श्री मोहन लाल शर्मा	नदबई	भरतपुर	3-9-94	पशुपालन
3.	श्री अजयपाल सिंह	सेवर	भरतपुर	4-3-94	पशुपालन
4.	श्री चन्दन मल छापिया	सिवाना	बाड़मेर	1994	कृषि
5.	श्री धर्मवीर मित्तल	हुरड़ा	भीलवाड़ा	19-2-92	पशुपालन
6.	श्री शान्ति लाल पाटनी	माण्डल	भीलवाड़ा	25-1-91	कृषि
7.	श्री शान्ति लाल पाटनी	हुरड़ा	भीलवाड़ा	25-1-91	कृषि
8.	श्री ओ. पी. भट्ट	सुवाना	भीलवाड़ा	11-5-94	पशुपालन
9.	श्री श्यामलाल विजयवर्गीय	सुवाना	भीलवाड़ा	16-7-97	शिक्षा
10.	श्री अरविन्द कुमार गुप्ता	बांदीकुई	दौसा	18-9-95	पशुपालन
11.	श्री भगवान सहाय जाट	सिकराय	दौसा	2-2-95	सांख्यिकी
12.	श्री दौलत राम सारण	-	हनुमानगढ़	2-4-88	कृषि
13.	श्री शम्भु सिंह राठौड़, से. नि.	रानी	पाली	28-6-94	विकास
14.	श्री रामावतार शर्मा	खण्डेला	सीकर	10-7-96	सहकारिता

विकास अधिकारियों के 17 सी.सी.ए. के अन्तर्गत विचाराधीन जांच प्रकरण

क्र.सं.	नाम विकास अधिकारी	पंचायत समिति	जिला	विभाग
1	2	3	4	5
1.	श्री गुलाब सिंह राठौड़	सिवाना	बाड़मेर	शिक्षा
2.	श्री महेन्द्र सिंह भादुरे	चोहटन	बाड़मेर	शिक्षा
3.	डा. अरविन्द कुमार गुप्ता	बांदीकुई	दौसा	पशुपालन
4.	श्री अर्जुन लाल मीणा	सवाईमाधोपुर	सवाईमाधोपुर	पशुपालन
5.	श्री शिवशंकर गुप्ता	दातारामगढ़	सीकर	कृषि
6.	श्री बद्री प्रसाद जांगिड़	लक्ष्मणगढ़	सीकर	शिक्षा

परिशिष्ट-9

(अतारांकित प्रश्न संख्या-449 का विवरण)

ग्राम पंचायत, मलिकपुरा (खण्डेला) द्वारा वर्ष 1990 से फरवरी, 99 तक जारी किये गये निःशुल्क आवासीय भू-खण्डों की सूची

क्र. सं.	नाम पट्टाधारी	भूमि का नाप	जारी करने का दिनांक	जाति
1.	श्री ओमप्रकाश/बद्रीप्रसाद ब्राह्मण	462 वर्ग फीट	30-5-94	सामान्य
2.	श्री गणपत/भाग बलाई	150 वर्गगज	6-7-95	अ. जाति
3.	श्रीमती चन्द्री बेवा/मोहन नाई	150 वर्गगज	6-7-95	पिछडा वर्ग
4.	श्री गिरधारी/हुक्माराम बलाई	150 वर्गगज		अ. जाति
5.	श्रीमती पतासी बेवा/मूलाराम बलाई	108 वर्गगज	6-7-95	अ. जाति
6.	श्री सूरजा/श्री बालूराम रैगर	135 वर्गगज	6-7-95	अ. जाति
7.	श्री बाबूराम रैगर/श्री रामदेव	100 वर्गगज	6-7-95	अ. जाति
8.	श्री रामेश्वर बलाई/श्री रुद्धराम बलाई	150 वर्गगज	6-7-95	अ. जाति
9.	श्री गुलाब/श्री मांगुमनिवार	94 वर्गफीट	7-12-95	सामान्य
10.	श्री हथमान खाती/श्री पीथाराम खाती	150 वर्गगज	6-12-95	पिछड़ा वर्ग

ग्राम पंचायत, मलिकपुरा (खण्डेला) द्वारा वर्ष 1990 से फरवरी, 99 तक जारी किये गये सःशुल्क आवासीय भू-खण्डों की सूची

क्र. सं.	नाम पट्टाधारी (सामान्य वर्ग)	भूमि का नाप	प्राप्त राशि (रुपयों में)
1.	श्री कन्हैयालाल/रामगोपाल शर्मा	425 वर्गगज	290/–
2.	श्री जगदीश/केशरमल चैजारा	880 वर्गगज	400/–
3.	श्री गोविन्दराम/हीराराम	800 वर्गगज	400/–
4.	श्री फतेहचन्द/भगवान सहायक शर्मा	3600 वर्गफीट	280/–
5.	श्रीमती गीता/केदारमल जी शर्मा एवं पवन कुमार/रामेश्वर लाल शर्मा	$342\frac{1}{2}$ वर्गगज	200/–
6.	श्रीमती बीता/केदारमल शर्मा	$71\frac{1}{2}$ वर्गगज	100/–
7.	श्री पवन कुमार/रामेश्वर लाल शर्मा	$71\frac{1}{2}$ वर्गगज	100/–
8.	श्री जगदीश/गोविन्द नारायण	663 वर्गफीट	150/–
9.	श्री फतह चन्द/भगवान सहाय	248 वर्गगज	450/–
10.	श्री हरफूल सिंह/मुरलीधर जाट	639 वर्गगज	600/–
		प्राप्त राशि का योग :	2970/– रु.

(स)

ग्राम पंचायत, कुद्न, पंचायत समिति, धोद (सीकर) द्वारा वर्ष 1990 से फरवरी, 99 तक जारी किये गये निःशुल्क आवासीय भू-खण्डों की सूची

क्र. सं.	नाम पट्टाधारी	भूमि का नाप	जारी करने का दिनांक	जाति
1.	श्री प्रभु/श्री कालू दरोगा	150 वर्गगज	20-1-96	पिछड़ा वर्ग
2.	श्री गणेश/कुशला जाट	150 वर्गगज	20-1-96	सामान्य
3.	श्रीमती सूरज कंवर/बेवा उगम सिंह राजपूत	150 वर्गगज	20-1-96	सामान्य
4.	श्री सुधीर/चन्द्रप्रकाश ब्राह्मण	150 वर्गगज	3-3-97	सामान्य
5.	श्री बनवारी/भगवाना राम जाट	150 वर्गगज	92-93	सामान्य
6.	श्री केसर/खड़गा राम जाट	150 वर्गगज	92-93	सामान्य
7.	श्री रुगनाथ सिंह/भंवर सिंह दरोगा	150 वर्गगज	7-9-92	पिछडा वर्ग

ग्राम पंचायत, कुदन पंचायत समिति, धोद (सीकर) द्वारा वर्ष 1990 से फरवरी, 99 तक जारी किये गये सःशुल्क आवासीय भू-खण्डों की सूची

क्र. सं.	नाम पट्टाधारी	भूमि का नाप	जारी करने का दिनांक	प्राप्त राशि (रुपयों में)	जाति
1.	श्री कमल पुत्र घनश्याम ब्राह्मण	150 वर्गगज	3-1-99	1500/–	सामान्य
2.	श्री राकेश पुत्र राधाकृष्ण नाई	150 वर्गगज	3-1-99	1500/–	पिछड़ा वर्ग
3.	श्री भगवान पुत्र प्रेमा जाट	128.3 वर्गगज	21-3-90	33/–	सामान्य
4.	श्री जगदीश पुत्र सुखदेवा जाट	1425 वर्गफुट	24-8-90	40/–	सामान्य
5.	श्रीमती शारदा देवी एवं सुलतानसिंह जाट	329 वर्गगज	3-2-97	658/–	सामान्य
6.	श्री कैलाश पुत्र भगवानाराम सोनी	224 वर्गगज	3-3-97	448/–	पिछडा वर्ग
7.	श्री शिवभगवान पुत्र इशर जाट	302 वर्गगज	3-3-97	604/–	सामान्य
8.	श्री सीताराम पुत्र बनाराम सोनी	115 वर्गगज	4-8-97	200/–	पिछड़ा वर्ग
9.	श्री रामनिवास दत्तक पुत्र जवाराराम जाट	625 वर्गगज	5-6-98	200/-	सामान्य
10.	श्री हरलाल पुत्र खीवा बलाई	149 वर्गगज	5-6-98	200/–	अ. जाति
11	श्री सावरमल पुत्र सादाराम जाट	144 वर्गगज	5-6-98	200/-	सामान्य

परिशिष्ट–"अ"

परिशिष्ट-10

(अतारांकित प्रश्न संख्या-451 की सूचना)

क्र.सं.	नाम जिला परिषद	डी.पी.सी. की बैठक एवं तिथि का विवरण
1	2	3
1.	करौली	शून्य
2.	दौसा	11-6-96
		21-6-96
		12-3-97
3.	कोटा	शून्य
4.	पाली	शून्य
5.	झालावाड़	29-2-96
		11-7-96
		7-10-96
		16-12-96
		7-11-97
		8-12-97
		7-4-98
		12-6-98
		19-8-98
6.	सीकर	29-8-98
7.	सवाईमाधोपुर	27-6-98
8.	जयपुर	5-5-96
		4-12-96
		16-5-97
9.	बूंदी	28-6-96
		16-6-97
10.	भीलवाड़ा	25-11-97
		31-3-98
		7-9-98
11.	चूरू	26-6-98
12.	सिरोही	14-2-95
		15-6-96
		21-5-98
13.	धौलपुर	शून्य

1	2	3
14.	उदयपुर	शून्य
15.	भरतपुर	24-7-96
16.	बारां	6-11-95
		25-11-95
		26-2-96
		7-5-96
		28-6-96
		17-1-97
		4-2-97
		26-2-97
		29-3-97
		30-6-97
		29-11-97
		21-12-97
		7-5-98
		29-6-98
		9-7-98
		17-10-98
17.	टोंक	शून्य
18.	नागौर	9-9-97
19.	डूंगरपुर	शून्य
20.	बीकानेर	शून्य
21.	श्रीगंगानगर	3-8-95
		4-8-97
22.	हनुमानगढ़	15-7-97
23.	झुन्झुनूं	शून्य
24.	जालौर	17-7-97
25.	चित्तौड़गढ़	2-8-95
		3-2-96
		19-2-96
		27-3-96
		24-6-96
		1-10-96

1	2	3
		15-10-96
		10-12-96
		13-2-97
		21-6-97
		6-9-97
		20-12-97
		27-4-98
		13-8-98
		14-10-98
26.	धौलपुर	शून्य
27.	राजसमन्द	31-7-97
28.	बाड़मेर	27-12-97
29.	जैसलमेर	18-11-97
30.	बांसवाड़ा	5-2-96
		5-8-98
31.	अलवर	4-10-95
		1-12-95
		15-1-96
		8-2-96
		29-2-96
		27-6-96
32.	अजमेर	12-12-97

परिशिष्ट-11

परिशिष्ट–"अ"

(अतारांकित प्रश्न संख्या-453 की सूची)

क्र. सं.	नाम पं.सं.	नाम ग्राम पंचायत	सम्बल गांव का नाम
1.	आबूरोड	मोरथला	तरतोली
2.	पिण्डवाड़ा	नयासानवाड़ा	खडी गगरवा
3.	रेवदर	पादर	वडेचो
		मूदेवाड़ा	डेरलो
			भीलड़ा खेड़ा
			रामपुरा पीसोसो
	रेवदर	भैरूगढ़	करेली
			आवाड़ा
			भैरूगढ़
	रेवदर	लूणोल	पैरवा
			करोंटी
	रेवदर	लोलपुर	देरोल
			वाडका
	रेवदर	जीरावल	सरणका खेड़ा
	रेवदर	रायपुर	हडभतियां
	रेवदर	वरमाण	वरमाण
			खाण
	रेवदर	मारोल	पादरू खेड़ा
			दांतो
			निम्बोड़ा
	रेवदर	धवली	धवली
			लोलोरा
	रेवदर	डाक	डाक
	रेवदर	झाबाणी	थल
	रेवदर	रेवदर	रानाडो
	रेवदर	धाण	दादरला
	रेवदर	दत्ताणी	बहादुरपुरा, बिदनिया
			सालोतरा, दत्ताणी
			पीपलिया पालड़ी खेड़ा
	रेवदर	सेलवाड़ा	सेरवा
	रेवदर	सोनेला	कुसुमा
	रेवदर	मकावल	गोरेली
	रेवदर	दोलपुरा	दोलपुरा, सामपुरा खेडा
	रेवदर	बांट	माटासन
		योग	39

परिशिष्ट–12

(अतारांकित प्रश्न संख्या-455 की सूचियां)

वर्तमान सरपंच, ग्राम पंचायत में वा, पंचायत समिति, दूदू (जयपुर) द्वारा अपने कार्यकाल में करवाए गए निर्माण/विकास कार्यों की सूची

क्र. सं.	कार्य का नाम	स्वीकृति क्र./दिनांक	कार्य स्थल	योजना का नाम	स्वी. राशि	व्यय राशि	कार्य की स्थिति
1.	सार्वजनिक तालाब खुदाई, मंगीथला, सेवा	182-89/26-6-95	मूंगीथला	सुनि. रोजगार	50,000	32,640	पूर्ण
2.	रा. प्रा. शाला नोरंगपुरा में चार दीवारी	4444/25-3-96	नोरंगपुरा	अकाल राहत	2,00,000	9,152	पूर्ण
3.	सामुदायिक भवन निर्माण सेवा	94-95/95-96	सेवा	ज. रो. यो.	50,000	48,983	पूर्ण
4.	रा. प्रा. वि. (कन्या) सेवा में 2 कमरों का नि.	1053-62/11-2-97	सेवा	सुनि. रोजगार	1,13,000	1,11,820	पूर्ण
5.	ग्राम सेवा से दयालपुरा रास्ता दुरुस्ती	95-96	दयालपुरा	ज. रो. यो.	20,000	17,920	पूर्ण
6.	सार्व. तालाब पर हरिजन घाट निर्माण	96-97	सेवा	ज. रो. यो.	45,000	41,214	पूर्ण
7.	क्षतिग्रस्त तालाब दुर्गा वाली पर मिट्टी की पाल का पुनः निर्माण व चादर नि.	2562-67/13.5.98	दयालपुरा	सुनि. रोजगार	1,75,000	1,74,029	पूर्ण
8.	रा. मा. वि. सेवा में हाल व बरामदा नि.	98-99	सेवा	ज.रो.यो.+ निजी आय +10वें वित्त आयोग	88,000	85,003	पूर्ण
9.	रा. आयु. ओष. सेवा में कमरों का नि.	1008/1-6-98	सेवा	अपना गांव अपना काम योजना+ निजी आय	67,500+ 22,500	89,836	पूर्ण
10.	सेवा गांव में रास्ता दुरुस्ती कार्य	98-99	सेवा	निजी आय	35,000	34,500	पूर्ण
11.	रा. प्रा. वि. दयालपुरा में कमरा व बरामदा निर्माण	1511-43/16-9-98	दयालपुरा	अ. गा. अ. काम	1,11,500	– कार्य चल रहा है।	
12.	रा. मा. शाला सेवा में दो हाल निर्माण	"	"	सेवा	1,33,500	"	"
13.	रा. प्रा. शाला दयालपुरा में कमरा नि.	6891-94/2-9-98	दयालपुरा	अल्प बचत	1,34,000	"	"

विकास अधिकारी, पंचायत समिति, दूदू

सम्बन्धित सूचना

क्र. सं.	कार्य का नाम	कनिष्ठ अभियन्ता पं. सं. द्वारा जांच	सहायक अभियन्ता, (डी. आर. डी. ए.) द्वारा जांच
1.	सार्वजनिक तालाब खुदाई, मूंगीथला, सेवा	3-7-95	—
2.	रा. प्रा. शाला नौरंगपुरा में चार दीवारी	23-11-96	—
3.	सामुदायिक भवन निर्माण सेवा	23-11-96	—
4.	रा. प्रा. वि. (कन्या) सेवा में 2 कमरों का निर्माण	24-4-97	24-4-97
5.	ग्राम सेवा से दयालपुरा रास्ता दुरुस्ती	26-11-97	—
6.	सार्वजनिक तालाब पर हरिजन घाट निर्माण	26-11-97	—
7.	क्षतिग्रस्त तालाब दुर्गावाली पर मिट्टी की पाल का पुनः निर्माण व चादर निर्माण	17-6-98	2-7-98
8.	रा. मा. वि. सेवा में हाल व बरामदा निर्माण	2-7-98	2-7-98
9.	रा. आयु. औष. सेवा में कमरों का निर्माण	19-8-98	19-8-98
10.	सेवा गांव में रास्ता दुरुस्ती कार्य	15-10-98	—
11.	रा. प्रा. वि. दयालपुरा में कमरा व बरामदा निर्माण	15-10-98	—
12.	रा. मा. शाला सेवा में दो हाल निर्माण —		—
13.	रा. प्रा. शाला दयालपुरा में कमरा निर्माण	15-10-98	—

एस. डी/—
विकास अधिकारी
पंचायत समिति, दूदू
जिला—जयपुर

प्रपत्र "क"

परिशिष्ट-13

(अतारांकित प्रश्न संख्या-459 की सूची)

खारची विधान सभा क्षेत्र के निम्न गांव जो पंचायत मुख्यालय/तहसील मुख्यालयों से नहीं जुड़े हुये हैं

क्र.सं.	ग्राम का नाम	1991 की जनसंख्या
1.	अणजी की ढाणी	(591)
2.	आसन	(257)
3.	आसन मेलरा	(106)
4.	बाणिया मांली	(423)
5.	बांसोर	(741)
6.	आसन डार्कानिया	(148)
7.	बारातन का ओढ़ा	(219)
8.	श्रावन	(580)
9.	भीनोली	(449)
10.	भेलपुरा	(343)
11.	भोजावास	(425)
12.	चौधरियों की ढाणी	(505)
13.	दादिया	(725)
14.	ढाल	(568)
15.	ग्वार	(662)
16.	गुढाभोपा	(369)
17.	गुढा भोपत	(269)
18.	गुढा धमावता	(335)
19.	गुढा दुर्गा	(877)
20.	गुढा दुरजन	(390)
21.	गुढा गंगावन	(258)
22.	गुढा गंगा-2	(207)
23.	गुढा हिमता	(184)
24.	गुढा हिन्दू	(163)
25.	गुढा प्रेमसिंह	(624)
26.	गुढ़ा रुपसिंह	(482)
27.	जोडकिया	(449)
28.	करवारा	(497)
29.	करमाल	(515)
30.	खेड़ा कल्याणपुरा	(534)
31.	मानी	(556)
32.	मायाला गुढा	(243)
33.	नया गुढा	(441)
34.	नीवन की खेजड़ी	(401)
35.	राड झालरा	(839)
36.	राजकियावास खुर्द	(353)
37.	सतियों की ढाणी	(174)
38.	सोढा की ढाणियां	(31)
39.	तालका	(234)
40.	आसपुरा	(624)
41.	अनेवा	(707)
42.	अटारिया	(836)
43.	डायलाना खुर्द	(676)
44.	गुढा आसकरण	(538)
45.	गुढा गोपीनाथ	(348)
46.	गुढ़ा जैतावतान	(504)
47.	गुढा कालान	(116)
48.	गुढा खोवा	(156)
49.	गुढा कितीयान	(96)
50.	जटियों की ढाणी	(561)
51.	मेवी खुर्द	(772)
52.	तीखी	(115)

परिशिष्ट–14

प्रपत्र "अ"

(अतारांकित प्रश्न संख्या-461 की सूचियां)

विधान सभा क्षेत्र श्री गंगानगर में सड़क से नहीं जुड़े हुए गांवों की सूची

क्र.सं.	ग्राम का नाम	1991 की जनसंख्या
1.	5 एम एल	265
2.	22 एल एन पी	130
3.	पत्तीखिया प्रथम	527
4.	14 एल एन पी	19
5.	27 एल एन पी	77
6.	17 एल एन पी	60
7.	19 एल एन पी	192
8.	21 एल एन पी	128
9.	15 एल एन पी	5
10.	20 एल एन पी	351
11.	26 एल एन पी	20

प्रपत्र "ब"

विधान सभा क्षेत्र श्री गंगानगर में सड़क से नहीं जुड़े हुए गांवों की सूची मय दूरी सहित

क्र.सं.	ग्राम का नाम	1991 की जनसंख्या	दूरी किमी. में
1.	5 एम एल	265	3.0
2.	22 एल एन पी	130	2.0
3.	पत्तीखिया प्रथम	527	1.0
4.	14 एल एन पी	19	2.5
5.	27 एल एन पी	77	1.5
6.	17 एल एन पी	60	3.5
7.	19 एल एन पी	192	1.0
8.	21 एल एन पी	128	0.5
9.	15 एल एन पी	5	1.0
10.	20 एल एन पी	351	2.5
11.	26 एल एन पी	20	3.0
		योग	22.5

परिशिष्ट–15

परिशिष्ट "क"

(अतारांकित प्रश्न संख्या-462 का विवरण)

चूरू शहर में वर्ष 98-99 में स्वीकृत सड़कों का विवरण

क्र.सं.	योजना का नाम	स्वीकृत कार्यों की संख्या	पूर्ण हुये कार्यों की संख्या	विशेष विवरण
1.	निर्बन्ध योजना	1	1	यह कार्य विधायक कोटे में स्वीकृत हुआ था।
2.	32 जिला 32 काम	शून्य	—	—
3.	सांसद कोटा (लोकसभा)	4	—	इनकी स्वीकृति फरवरी, 99 में प्राप्त हुई, इन कार्यों हेतु निविदायें आमन्त्रित की हुई हैं जो दिनांक 7-5-99 को प्राप्त की जानी है।
	सांसद कोटा (राज्यसभा)	1	—	यह कार्य प्रगति पर है सड़क व्यस्ततम क्षेत्र में अवस्थित होने के कारण प्रगति धीमी रही। कार्य जून, 99 तक पूर्ण कर दिया जायेगा।
	योग	6	1	

परिशिष्ट "क"

परिशिष्ट-16

(अतारांकित प्रश्न संख्या-465 का विवरण)

क्र.सं.	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि (लाखों में)	ठेकेदार का नाम जिनके द्वारा कार्य करवाया जा रहा है।	विशेष विवरण
1.	सम्पर्क सड़क लूनवा से स्टेट हाइवे नं. 2ए से मूण्डघसाई तक सड़क पर डामरीकरण का कार्य अन्तर्गत बी. एम. एस. पी. जोब नं. 286	7.50	श्री गणेश मिर्धा, अमरपुरा (सीकर)	कार्य प्रगति पर है। माह नवम्बर, 99 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।
2.	चितावा से घाटवा नहीं है बल्कि लाम्बा से जिजोंट है, जो कि नाबार्ड में स्वीकृत है।	39.75	श्री बिहारीलाल शर्मा, कुचामन सिटी	कार्य प्रगति पर है। माह नवम्बर, 99 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।
3.	देवली नदी पर काजवे का निर्माण कार्य अन्तर्गत बी. एम. एस. पी.	9.50	श्री गणेश मिर्घा, अमरपुरा (सीकर)	कार्य प्रगति पर है। माह नवम्बर 99 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

परिशिष्ट–17

परिशिष्ट "अ"

(अतारांकित प्रश्न संख्या-466 का विवरण)

जैतारण विधान सभा क्षेत्र में वर्तमान में स्वीकृत मेटल सडकों का विवरण

क्र. सं.	कार्य का विवरण	स्वीकृत राशि (लाखों में)	योजना का नाम	कार्य प्रगति विवरण	कार्य पूर्ण या पूर्ण होने की संभावित तिथि
1.	पाटवा से झांझनवास सड़क किमी. 14/500 से 17/0	5.00	सु. रो. यो.	मेटल (सामग्री) इकट्ठा करने का कार्य पूर्ण, कुटाई कार्य शेष	मई, 99
2.	झांझनवास से बिजवाडिया सड़क किमी. 0/0 से 2/0	5.00	–"–	–"–	मई, 99९
3.	लितरिया से खराडी सड़क किमी. 0/0 से 3/500	4.58	–"–	3 किमी. मेटल की कुटाई कर दी गई कार्य प्रगति पर है।	अप्रेल, 99
4.	बलाडा से राबडियावास सड़क किमी. 3/0 से 6/0	5.00	–"–	मेटल (सामग्री) इकट्ठा करने का कार्य पूर्ण, कार्य प्रगति पर	मई, 99
5.	रास से कुडकी सड़क किमी. 15/0 से 18/0	5.00	–"–	मेटल (सामग्री) इकट्ठा करने का कार्य प्रगति पर	मई, 99
	योग	**24.58**			
6.	सम्पर्क सड़क भाकरवास किमी. 0/0 से 1/200	2.10		निर्बन्ध राशि मेटल कार्य पूर्ण योजना	मार्च, 99

परिशिष्ट-18

एनेक्चर–'A'

(अतारांकित प्रश्न संख्या-473 का विवरण)

गत दस वर्षों में विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेडा में जलग्रहण एवं भू-संरक्षण विभाग द्वारा करवाये गये कार्यों का विवरण

क्र. सं.	नाम कार्य	पंचायत समिति	मद	कार्य की स्थिति
1.	जाखमिया एनीकट	छोटी सादड़ी	जवाहर रोजगार योजना	पूर्ण
2.	जोधपुरिया एनीकट	"	माडा योजना	"
3.	नावनखेडी एनीकट	"	"	"
4.	नरसा एनीकट	निम्बाहेड़ा	बिखरी जन जाति	"
5.	जल ग्रहण क्षेत्र नृसिंहगढ़	"	राष्ट्रीय जल ग्रहण विकास योजना	चालू
6.	जल ग्रहण क्षेत्र सेमरथली	छोटी सादड़ी	'	"
7.	जल ग्रहण क्षेत्र जलोदाजागीर	"	आश्वासित रोजगार योजना	"
8.	जलग्रहण क्षेत्र बम्बोरी	"	"	"
9.	जल ग्रहण क्षेत्र दूधी तलाई	"	"	"
10.	जल ग्रहण क्षेत्र हडमतियाजागीर	"	"	"
11.	जल ग्रहण क्षेत्र लूणखेदा	निम्बाहेड़ा निम्बाहेड़ा	"	"
12.	जल ग्रहण क्षेत्र पीलखेडी	"	"	"
13.	जल ग्रहण क्षेत्र भूवानिया खेड़ी	"	"	"

परिशिष्ट–19

सूची "क"

(अतारांकित प्रश्न संख्या-475 की सूचियां)

टाटगढ़ रावली अभयारण्य फुलाद पौधशाला, सिरयारी वृक्षारोपण वन वन खंड कल्याणपुरा के सुरक्षा एवं प्रबन्ध हेतु स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण

क्र. सं.	नाम पद	स्वीकृत संख्या	रिक्त पद	कार्यालय जिसके अन्तर्गत स्वीकृत पद आते हैं	
1.	सहायक वन संरक्षक	1	शून्य	उप मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक उदयपुर	
2.	क्षेत्रीय-I	2	–"–	–"–	–"–
3.	क्षेत्रीय-II	2	–"–	–"–	–"–
4.	वनपाल	9	–"–	–"–	–"–
5.	सहायक वनपाल	3	–"–	–"–	–"–
6.	वन रक्षक	37	–"–	–"–	–"–
7.	वाहन चालक	1	–"–	–"–	–"–
8.	वनपाल	1	–"–	उप वन संरक्षक,	पाली
9.	वन रक्षक	1	–"–	–"–	–"–

सूची "ख"

गत पांच वर्षों में वन्य जीव अभ्यारण्य टाटगढ़ रावली में
योजनावार, स्वीकृत राशि व व्यय राशि का विवरण

क्र. सं.	वर्ष	योजनाएं									
		अरावली वृक्षा. योजना		डी.डी.पी.		निर्बन्ध योजना		केन्द्रीय प्रवर्तित योजना		आश्वासित रोजगार योजना	
		स्वीकृत राशि (लाखों में)	व्यय राशि (लाखों में)	स्वीकृत राशि (लाखों में)	व्यय राशि (लाखों में)	स्वीकृत राशि (लाखों में)	व्यय राशि (लाखों में)	स्वीकृत राशि (लाखों में)	व्यय राशि (लाखों में)	स्वीकृत राशि (लाखों में)	व्यय राशि (लाखों में)
1.	93-94	9.465	9.45	15.978	15.32	—	—	0.64	0.64	—	—
2.	94-95	13.685	11.76	27.076	14.18	—	—	0.74	0.74	5.00	—
3.	95-96	22.63	22.91	27.134	33.60	4.94	—	—	—	0.90	5.90
4.	96-97	11.53	10.83	—	—	—	2.498	—	—	—	—
5.	97-98	8.91	8.22	—	—	—	0.98	—	—	—	—
	योग	66.22	63.17	70.188	63.10	4.94	3.478	1.38	1.38	5.90	5.90

परिशिष्ट–20

परिशिष्ट–"अ"

(अतारांकित प्रश्न संख्या-477 की प्रति)

F-19(01)RPCB/PAAC/Ajmer(01-01)/1910-16 Dt. 4/2/99

To,
The District Collector,
AJMER

The Divisional Railway Manager,
AJMER.

Complaint No. 87/98-99

Sub : Pollution in residential area due to loading/unloading of cement bags at Madar Railway Station (Ajmer)

Ref. : Complaint of Shri Govind .Singh Gurjar, MLA, No. NIL, dated. 6.1.99

Sir,

Kindly refer to enclosed complaint made by Hon'ble MLA Shri Govind Singh Gurjar regarding pearution problem being faced by the people residing near Madar Railway Station. This problem is due to unloading of cement bags from Railway weagons and their loading in trucks for onwards distribution. In the process a lot of cement dust is generated and it cause problem of Air Pollution in the nearby areas.

This problem of pollution may be removed by following alternatives : –

1. The loading/unloading of cement bags at Madar Railway Station be stopped and this work be carried out at some other Railway Station where such problem may unlikely to arise in near future.
2. Special enclosures may be provided for loading/unloading work.
3. Loading/unloading work may be resticted to fixed hours so that problem of Air Pollution is least felt.
4. The residential areas may be shifted away from the Railway Station, of. found pcosible.

The proper and appropriate action depend upon local conditions and exceptence by local residents and Railway Administration.

परिशिष्ट–"ब"

F. 19(01)RPCB/PAAC/Ajmer (01-01)

The Managing Director,
M/s. Shree Cement Ltd.
BEAWAR. (Distt. Ajmer)

Sub : Pollution on due to loading/unloading of cement at Mader Railway Station (Ajmer) - complaint received from the nearby residents.

Ref : (1) Letter of Shri Govind Singh Gurjar MLA, dated 6.1.99.
(2) Collector, Ajmer's Letter No. F. 9/925 dated 8.2.99.

– X – X – X –

In reference to above, it is informed that people residing near Madar Railway Station have submitted through Hon'ble MLA and Collector their :

i. Large Scale loading/unloading of (Cement Bags) activities are being carried out by you at Madar Railway Station Ajmer.

ii. Above activities are being carried out in both day & night hours.

iii. Due to in-efficient measures provided by you for the control of enissions major Air pollution problem has been created in the area.

iv. Near by public is facing health problems due to air pollution.

In view of above following alternat as the advisable : –

1. The loading/unloading of cement bags at Madar Railway Station be stopped and this work be carried out at some others Railway Station where such problem may unlikely to arise in near future.
2. Special enclosurea may be provided for loading/unloading work.
3. Loading/unloading work may be restricted to fixed hours so that problem of Air Pollution is lgast felt.

Your are directed to take above steps immediately send compliance report within a fortnight.

(DR. AKSHEY BHARGAVA)
Member Secretary

परिशिष्ट–21

परिशिष्ट–"क"

(अतारांकित प्रश्न संख्या-480 का विवरण)

क्र.सं.	पत्र-पत्रिका/स्मारिका	दिनांक	भुगतान राशि
1.	सी.टी. कोन—1998 स्मारिका, जयपुर	17-3-98	12,500.00
2.	माया, दिल्ली	27-3-98	40,000.00
3.	ओजस्वीनी मासिक, भोपाल	27-3-98	15,000.00
4.	भारती मासिक, जयपुर	27-3-98	12,000.00
5.	नई गुदगुदी मासिक, जयपुर	27-3-98	4,000.00
6.	मधुमति, मासिक, उदयपुर	27-3-98	425.00
7.	कंचनलता द्विमासिक, खेतड़ी	27-3-98	905.00
8.	होम्यो सेवक, मासिक, जयपुर	27-3-98	77.00
9.	इण्डियन बुक क्रोनिकल मासिक, जयपुर	27-3-98	94.00
10.	माणक मासिक, जोधपुर	21-4-98	10,000.00
11.	माणक मासिक, जोधपुर	21-4-98	10,000.00
12.	माणक मासिक, जोधपुर	21-3-98	10,000.00
13.	इण्डिया टूडे, नई दिल्ली	7-5-98	2,80,000.00
14.	जहानवी पत्रिका, नई दिल्ली	8-6-98	6,000.00
15.	राजस्थान मिडिया गाईड, जयपुर	31-7-98	4,000.00
16.	इंटरनल राजस्थान, नई दिल्ली	31-7-98	68,000.00
17.	इंकवर्ड, जयपुर	30-8-98	20,000.00
18.	पाती, तिमाही पत्रिका, जयपुर	13-8-98	15,000.00
19.	माया, दिल्ली	14-8-98	40,000.00
20.	ओजस्वनी मासिक, भोपाल	14-8-98	15,000.00
21.	भारती मासिक, जयपुर	14-8-98	12,000.00
22.	कंचनलता, द्विमासिक, खेतड़ी	14-8-98	845.00
23.	लोक शिक्षक, मासिक, जयपुर	14-8-98	68.00
24.	सेन्ट्रल रेवन्यू स्पार्टस मीट, 1998 (स्मारिका)	17-12-98	25,000.00
25.	अहिंसा विहगाम, मासिक, जोधपुर	22-1-99	37.40
26.	नई शिक्षा मासिक, जयपुर	22-1-99	45.05
27.	कंचनलता मासिक, झुन्झुनूं	22-1-99	845.00
28.	मधुमति मासिक, उदयपुर	22-1-99	425.00
29.	होम्यो सेवक, मासिक, जयपुर	22-1-99	77.00
30.	जनरल आफ जैम इस्ड्रीज, मासिक जयपुर	22-1-99	94.00
31.	लोक शिक्षक मासिक, जयपुर	22-1-99	68.00
32.	लोक जीवन स्वर्गीय जयनारायण व्यास स्मारिका, 99 जोधपुर	26-3-99	2,618.00

परिशिष्ट "अ"

परिशिष्ट–22

विज्ञापन क्रमांक : 1/99

(अतारांकित प्रश्न संख्या-481 की प्रतिलिपियां)

मालवीय क्षेत्रीय अभियान्त्रिकी महाविद्यालय जयपुर

महाविद्यालय में रिक्त अधोलिखित पदों के लिये निर्धारित प्रपत्र में आवेदन-पत्र आमन्त्रित किये जाते हैं

क्र.सं.	पद का नाम	संख्या
1.	कुल सचिव (रु. 12000-16500)	1
2.	सहायक कुल सचिव (रु. 8000-13500)	1
3.	सम्पदा अभियन्ता (रु. 8000-13500)	1
4.	फोरमैन (रु. 8000-13500)	1
5.	सहायक फोरमैन (रु. 6500-10500)	1
6.	छात्रावास प्रबन्धक (रु. 6500-10500)	1
7.	सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष (रु. 6500-10500)	1
8.	तकनीकी सहायक (रु. 5500-8000)	
	1. रासायनिक अभियान्त्रिकी	1
	2. वास्तुकला	1
	3. परिकल्प केन्द्र	1
9.	वरिष्ठ तकनीशियन (रु. 5000-8000)	
	1. रासायनिक अभियान्त्रिकी	1
	2. संगणक अभियान्त्रिकी	1 TLC
	3. परिकल्प केन्द्र	1
	4. वैद्युतवणिकी अभियान्त्रिकी	1
10.	तकनीशियन (रु. 3200-4000)	
	1. वैद्युत अभियान्त्रिकी	4
	2. यांत्रिकी अभियान्त्रकी	8
	3. संरचनात्मक अभियान्त्रिकी	1
	4. जानपद अभियान्त्रिकी	2
	5. रासायनिक अभियान्त्रिकी	1
	6. टेलीफोन एक्सचेंज	1 TLC
11.	आशुलिपिक (हिन्दी/अंग्रेजी) (रु. 5500-175-9000)	7
12.	विधि सहायक (रु. 5000-8000)	1 TLC
13.	स्टोर कीपर (रु. 5000-8000)	1 TLC
14.	सुरक्षा पर्यवेक्षक (रु. 5000-8000)	1
15.	कनिष्ठ लेखाकार (रु. 5000-8000)	5
16.	कैटलीपर कम क्लासीफायर (रु. 4000-100-6000)	1
17.	पुस्तकालय तकनीकी सहायक (रु. 4000-100-6000)	1
18.	कम्प्यूटर ऑपरेटर (रु. 4000-6000)	1 TLC
19.	आशुटाइपिस्ट (हिन्दी-अंग्रेजी) (रु. 3050-75-3950-80-4590)	1

इन पदों के लिये अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग का आरक्षण महाविद्यालय द्वारा अंगीकृत राजस्थान सरकार के नियमानुसार किया जायेगा। इन रिक्त पदों से सम्बद्ध पूर्ण विवरण एवं वांछनीय अर्हताओं सहित निर्धारित प्रपत्र महाविद्यालय कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस को प्रातः 10.00 बजे से सांय 1.00 बजे से मध्य रु. 50/– (अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए रु. 25/– मात्र) के नकद भुगतान अथवा कुल सचिव, मालवीय क्षेत्रीय अभियान्त्रिकी महाविद्यालय, जयपुर के नाम भुगतान योग्य रु. 75/– के डिमाण्ड ड्राफट/भारतीय पोस्टल ऑर्डर (अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए रु. 50/– मात्र) प्रस्तुत करके डाक द्वारा प्राप्त किये जा सकते हैं। महंगाई एवं अन्य भत्ते महाविद्यालय द्वारा अंगीकृत राज्य सरकार के नियमानुसार देय होंगे। प्रत्येक पद के लिये पृथक प्रार्थना-पत्र वांछनीय है। पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर जिन व्यक्तियों ने उक्त पदों के लिये अपने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किये थे उन्हें पुनः प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है। हर दृष्टि से सम्पूर्ण निर्धारित प्रार्थना-पत्र महाविद्यालय के कुल सचिव कार्यालय में दिनांक 31 मार्च, 1999 को सांय 5.00 बजे तक पहुंचने चाहिये। अपूर्ण अथवा निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त प्रार्थना-पत्र पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

कुल सचिव

MALAVIYA REGIONAL ENGINEERING COLLEGE, JAIPUR

RULES FOR MAKING APPOINTMENTS AT THE COLLEGE

(Approved vide item No. 5 of the Agenda for the first meeting of the Society held on 23rd September, 1963 with amendments)

1. The Society shall determine whether a particular appointment is to be made by an open advertisement or by invitation.

   The selection of the condidates for appointments to the posts in Regional Engineering College will be made on the advice of the Selection Committee as given below : –

(a) For the post of Professors : –

(i) Chairman of the Society or his nominee	Chairman
(ii) One member of the Society nominated by the Chairman	Member
(iii) Representative of the Central Government (Director (T) MHRD or his nominee)	Member
(iv) Head of the Department concerned if recruitment is to be made to the post of Professor below the status of the Head of Department.	Member

(v) Representative of Rajasthan University who may be the member of the Board of Governors.	Member
(vi) Three experts selected by the Principal from a panel approved by the Society out of which at least one should be from a place outside Rajasthan.	Member
(vii) Nominee of the AICTE	Member
(viii) Principal	Member

(b) For the post of a Reader and other equivalent teaching posts : –

(i) Chairman of the Society or his nominee	Chairman
(ii) One member of the Society nominated by the Chairman	Member
(iii) Representative of the Central Government (the Regional Officer concerned in the region)	Member
(iv) Representative of Rajasthan University	Member
(v) Two experts selected by the Principal from out of the panel approved by the Society. The Principal may also associate with the selection the Head of the Department concerned in the College provided he is of the rank of the Professor	Member
(vi) Nominee of the AICTE	Member
(v) Principal	Member

(c) For the post of Lecturer or other equivalent teaching posts : –

(i) Principal	Chairman
(ii) Representative of the Central Government (the Regional Officer concerned in the region)	Member
(iii) Representative of the University of Rajasthan.	Member
(iv) Two experts selected by the Principal form the panel approved by the Chairman - one of whom may be Head of the concerned Department, if he is a Professor.	Member
(v) One member of the Society nominated by the Chairman	Member
(vi) Nominee of AICTE	Member

(d) Screening Committee for Sr. Scale Leacturer/Selection scale Lecturers : –

(i) Principal	Chairman
(ii) One member of the Society nominated by the Chairman	Member
(iii) Concerned Head of Department	Member

(e) For the Non-teaching posts equivalent to Reader (Rs. 3700–5700) : –

(i) Chairman of the Society or his nominee	Chairman
(ii) One member of the Society nominated by the Chairman	Member
(iii) Representative of the Central Governemnt	Member
(iv) Two experts selected by the Principal from a panel approved by the Society.	Member
(v) Principal	Member

(f) For the Non-teaching posts below the scale of Rs. 3700–5700 but above and including (Rs. 2200–4000)

(i) Principal	Chairman
(ii) Two experts selected by the Principal from the approved panel, one of whom may be the Head of the concerned Department in the College.	Member
(iii) One member of the Society nominated by the Chairman	Member

(g) For the remaining posts : –

(i) Principal or his nominee.	Chairman
(ii) Concerned Dean/Chief Coordinator/Head of the Department	Member
(iii) Subject expert selected by the Principal who will not be an employee of the College.	Member

In the absence of the Principal, any member of the staff of the College, who performs the current duties of the Principal, shall be the Chairman of the Selection Committee.

1 A. As far as possible and consistent with efficiency, the instructions contained in Government of India's, Ministry of Education letter No. F. 20-1/67-T. 1 dated 23.8.68 along with the enclosures regarding reservation of vacancies for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Public Sector Under takings, Semi-Government and Statutory Bodies may be kept in view while filling various posts at the College to the extent of provision made on the subject in the Rajathan Government Service Rules as in force at the time of recruitment. In case of vacancies in Class IV and Ministerial Staff in particular, every effort should be made in future recruitments to remove the previous backlog and achieve the percentage of reservation for Scheduled Castes & Scheduled Tribes as contained in the Government of Rajasthan orders for such reservation in force at the time of recruitment.

2. Appointments on contract basis or on deputation or by assignment by the Government form a pool of teachers created by them may be made without reference to the above Selection Committees. All such appointments can be made by the Principal with the approval of the Chairman.

2 A. Notwithstanding anything contained in rule '1' & '2' above, appointments to senior ministerial posts may be made by promotion from amongst the employees of the Society or by re-employing persons retiring from the service of the Central or State Government.

3. All applications received within the date specified in the advertisement shall be considered provided that the Principal may, for sufficient reasons to be recorded in writing, consider any application received after the specified date.

4. The Principal shall examine the particulars of all persons who have applied and shall also consider other suitable names suggested to him or otherwise brought to his notice. He will then select with the approval of the Chairman of the Selection Committee concerned the candidates who are to be called for interview and convene the meeting of the Selection Committee. The Selection Committee will interview the candidates and shall record its recommendation. The names of the candidates recommended for appointment shall be arranged in order of merit, by the Selection Committee.

5. No act of proceedings of the Selection Committee shall be called in question on the ground merely of the absence of any member or members of the Selection Committee.

6. "The candidates called for interview for the posts of Readers or equivalent or higher to this category shall be paid **contribution** towards their travelling expenses to the extent of single fare of the classes mentioned below each way from their permanent head-Quarters or from the place from which the journey is actually performed, whichever is less, to the place of interview, by the shortest route."

(a) Candidates called for interview for the post of Professor and equivalent : I Class

(b) Candidates called from interview for the post of Reader and equivalent : II Class

In case the journey performed by the candidate involves journey by road between certain points for which rail coneection is not available, the contribution will be paid at the rate of five paise per kilometer for the actual distance so travelled for all the above categories.

7. **All appointments based on the recommendation of the Selection Committee will be made by the Principal according to the procedure laid down below : –**

7 (a) *For Posts, the scale of pay of which are equal or higher than that of Lecturers : –*

The appointments will be made with the approval of the Chairman, in accordance with the order of merit recorded by the Selection Committee. Appointments with **upto ten** increments can be made without reference to the Society. If the number of increments recommended by the Selection Committee is **more then ten**, appointments can be made only with the approval of the Society. If, however, in exceptional cases, appointments are not made according to the order of merit recorded by the Selection Committee, the reasons for the same should be specified in writing by the appointing authority. The Chairman can approve an appointment on such posts on temporary basis for a period not exceeding one year without the recommendations of the Selection Committee. The Chairman shall be deemed to be the appointing authority in respect of these posts.

7(b) *For all other posts :*

Appointments will be made in accordance with the order of merit recorded by the Selection Committee.

Appointments with upto ten increments can be made without reference to the Society. If the number of increments recommended by the Selection Committee is more than ten, appointments can be made only with the approval of the Society. If, however, in exceptional cases the appointments are not made according to the merit recorded by the Selection Committee, the

reasons for the same should be specified by the appointing authority in writing. **The Principal shall be deemed to be the appointing authority for these posts.**

8. All appointments made at the College shall be reported to the Society at its next meeting.

9. Posts will be Advertised according to the qualifications laid down by the College. For posts, the qualifications for which are not laid down by the College, the qualifications will be **prescribed** by the Principal subject to the conditions that approval of the qualifications by the Chairman will be **necessary** for all posts, carrying a starting salary of more than Rs. 2000/- (Revised to 6500/-)